இந்தியன் வங்கி
इंडियन बैंक
Indian Bank

உங்கள் வங்கி • आपका अपना बैंक • YOUR OWN BANK

वार्षिक रिपोर्ट / ANNUAL REPORT 2016-17

"புதிய இந்தியா"வை உருவாக்க
இந்தியன் வங்கி
டிஜிட்டல் மயமாகிறது.

"नए भारत" के निर्माण
के लिए इंडियन बैंक
बना डिजिटल

Indian Bank goes digital to create "New India"

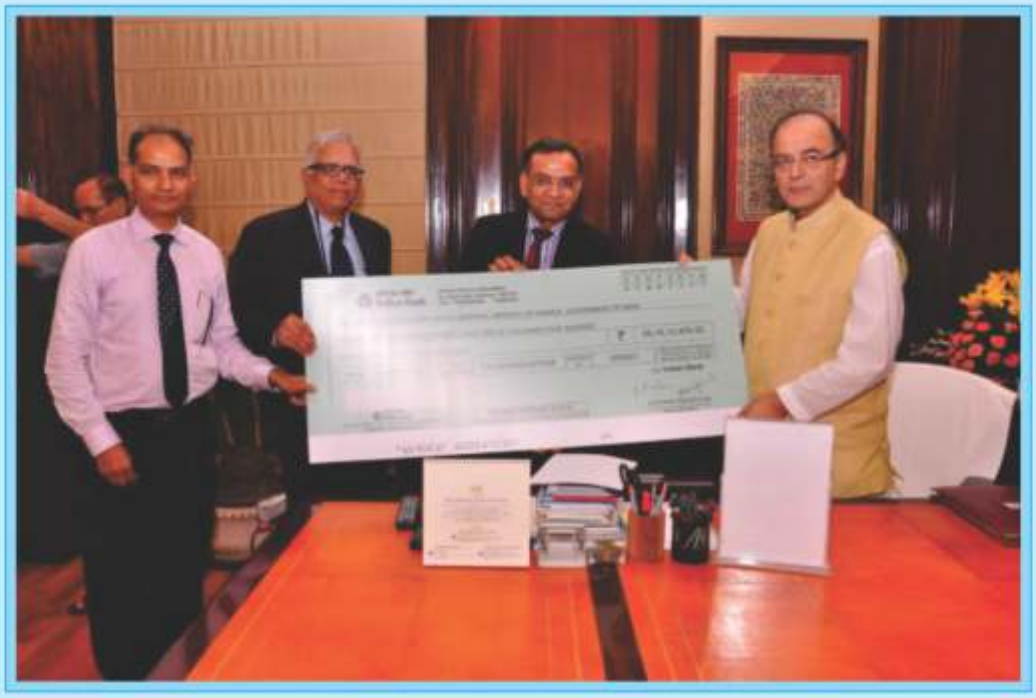

श्री महेश कुमार जैन, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, श्री अरुण जेटली, माननीय केन्द्रीय वित्त मंत्री, भारत सरकार को लाभांश चेक सौंपते हुए।

Shri. Mahesh Kumar Jain, MD & CEO handing over the dividend cheque to Shri. Arun Jaitley, Hon'ble Union Finance Minister, Government of India.

स्वर्ण भारत ट्रस्ट, विजयवाड़ा में श्री वेंकय्या नायडु, माननीय केन्द्रीय शहरी विकास मंत्री, भारत सरकार की उपस्थिति में दीप – प्रज्ज्वलन करते हुए श्री ए. एस. राजीव, कार्यपालक निदेशक

Lighting of lamp by Shri A.S Rajeev, Executive Director in the presence of Shri M Venkaiah Naidu, Hon'ble Union Minister for Urban Development, Government of India at Swarna Bharat Trust, Vijayawada.

निदेशक मंडल
BOARD OF DIRECTORS

टी. सी. वेंकट सुब्रमणियन
गैर कार्यपालक अध्यक्ष
T C VENKAT SUBRAMANIAN
NON-EXECUTIVE CHAIRMAN

किशोर खरात
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी
KISHOR KHARAT
MANAGING DIRECTOR & CEO

ए एस राजीव
कार्यपालक निदेशक
A S RAJEEV
EXECUTIVE DIRECTOR

एम. के. भट्टाचार्य
कार्यपालक निदेशक
M K BHATTACHARYA
EXECUTIVE DIRECTOR

मुदिता मिश्रा
MUDITA MISHRA

जे के दाश
J K DASH

विजय कुमार गोयल
VIJAY KUMAR GOEL

पद्मनाभन विट्ठल दास
PADMANABAN VITTAL DASS

विनोद कुमार नागर
VINOD KUMAR NAGAR

श्रीराम रामचन्द्रन
SRIRAM RAMACHANDRAN

महाप्रबन्धक / GENERAL MANAGERS

एस के परिदा
S K Parida

उदय भास्कर रेड्डी के
Udaya Bhaskara Reddy K

धर्मराज पी
Dharmaraj P

नागराजन एम
Nagarajan M

चेळियन एस
Chezhian S

पार्थसारथी बी
Parthasarathy B

मणिमारन आर
Manimaran R

कृष्णन एस
Krishnan S

प्रशांत वी ए
Prasanth V A

लक्ष्मीपति रेड्डी जी
Lakshmipathy Reddy G

गोपाल वी
Gopal V

वेंकटेस पेरुमाल पी
Venkatesa Perumal P

आजाद सिंह गंडस
Azad Singh Gandas

कार्तिकेयन एम
Karthikeyan M

चन्द्रा रेड्डी के
Chandra Reddy K

रामू ए
Ramu A

रवि एस
Ravi S

बालसुब्रमणियन आर
Balasubramanian R

रेंगराजन एस
Rengarajan S

देवराज डी
Devaraj D

कॉर्पोरेट कार्यालय : 254 - 260 अव्वै षण्मुगम सालै
Corporate Office : 254-260, Avvai Shanmugam Salai
चेन्नै **Chennai - 600 014**

वार्षिक रिपोर्ट **Annual Report 2016-17**

निष्पादन की प्रमुख बातें **PERFORMANCE HIGHLIGHTS**

(₹ करोड़ों में) (₹ in crore)

विवरण Particulars	31-03-13	31-03-14	31-03-15	31-03-16	31-03-17
कुल व्यापार Total Business	249136	286634	298057	310918	314654
जमाएं (ग्लोबल) Deposits (Global)	141980	162275	169225	178286	182509
अग्रिम (ग्लोबल) Advances (Global)	107156	124359	128832	132632	132145
निवेश (सकल) Investments (Gross)	42056	47635	46804	53418	67956
ब्याज आय Interest Income	13898	15249	15853	16244	16040
गैर ब्याज आय Non Interest Income	1283	1372	1363	1781	2211
कुल आय Total Income	15181	16621	17216	18025	18251
ब्याज व्यय Interest Expenses	9368	10889	11391	11798	10894
परिचालनगत व्यय Operating Expenses	2751	2831	2811	3195	3356
कुल व्यय Total Expenditure	12119	13720	14202	14993	14250
परिचालनगत लाभ Operating Profit	3061	2901	3014	3032	4001
निवल लाभ Net Profit	1581	1159	1005	711	1406
जमाओं की लागत (%) Cost of Deposits (%)	7.07	7.15	7.10	6.76	6.03
अग्रिमों पर प्रतिफल (%) Yield on Advances (%)	11.03	10.38	10.19	9.63	9.17
निवल ब्याज मार्जिन (%)Net Interest Margin (%)	3.09	2.60	2.50	2.33	2.59
औसत आस्तियों पर प्रतिफल (%) Return on Average Assets (%)	1.02	0.67	0.54	0.36	0.67
ईक्विटी शेयर पूंजी Equity Share Capital	430	465	480	480	480
स्थायी गैर–संचयी अधिमान शेयर पूंजी Perpetual Non-Cumulative Preference Share Capital	400	0	0	0	0
रिज़र्व एवं अधिशेष (पुनर्मूल्यन रिज़र्व को छोड़कर) Reserves & Surplus (excluding Revaluation Reserve)	10009	11071	12078	12998	13981
निवल संपत्ति Net Worth	10839	11536	12558	13478	14461
सकल एनपीए (%) Gross NPA (%)	3.33	3.67	4.40	6.66	7.47
निवल एनपीए (%) Net NPA (%)	2.26	2.26	2.50	4.20	4.39
पूंजी पर्याप्तता अनुपात Capital Adequacy Ratio					
- बेसल II - Basel II	13.08	13.10	13.24	13.67	-
- बेसल III - Basel III		12.64	12.86	13.20	13.64
प्रति शेयर अर्जन (₹) Earnings Per Share (₹)	35.80	26.07	21.62	14.81	29.27
प्रति शेयर बही मूल्य (₹) Book Value per Share (₹)	242.89	248.16	261.46	280.63	301.10
प्रति ईक्विटी शेयर लाभांश (₹) Dividend per Equity Share (₹)	6.60	4.70	4.20	1.50	6.00*
शाखाओं की संख्या (नंबर) No. of branches (Nos.)	2092	2253	2412	2565	2682
कर्मचारियों की संख्या (नंबर) No. of employees (Nos.)	18870	19429	20294	20140	20924
प्रति कर्मचारी कारोबार (₹ लाखों में) Business per employee (₹ in lacs)	1301	1453	1443	1531	1488

* प्रस्तावित Proposed

लेखा परीक्षक AUDITORS

जी बालु एसोसियेट्स
G BALU ASSOCIATES

पदमनाभन रमणी एण्ड रामानुजम
PADMANABHAN RAMANI & RAMANUJAM

प्रकाश चंद्र जैन एण्ड कं
PRAKASH CHANDRA JAIN & CO.

गांधी मिनोछा एण्ड कं
GANDHI MINOCHA & CO.

पीएएमएस एसोसियेट्स
PAMS ASSOCIATES

कॉर्पोरेट कार्यालय : 254-260, अव्वै षण्मुगम सालै
Corporate Office : 254-260, Avvai Shanumugam Salai
चेन्नै Chennai - 600 014

वार्षिक रिपोर्ट Annual Report 2016-17

विषयवस्तु CONTENTS

	पृष्ठ सं.		Page No.
अध्यक्ष का संदेश	1	Chairman's Message	3
प्रनि एवं मुकाअ का संदेश	5	MD & CEO's Message	9
निदेशकों की रिपोर्ट	14	Directors' Report	15
प्रबन्धन विचार विमर्श एवं विश्लेषण	46	Management Discussion and Analysis	47
कॉर्पोरेट अभिशासन पर रिपोर्ट	130	Report on Corporate Governance	131
कॉर्पोरेट अभिशासन पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट	168	Auditors' Certificate on Corporate Governance	169
वित्तीय विवरण – इंडियन बैंक		**Financial Statements – Indian Bank**	
● तुलन पत्र, लाभ एवं हानि लेखा और अनुसूचियाँ	172	● Balance Sheet, Profit and Loss Account and Schedules	172
● मुख्य लेखाकरण नीतियां	182	● Significant Accounting Policies	183
● लेखों पर टिप्पणियां	192	● Notes on Accounts	193
● लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	252	● Auditors' Report	253
समेकित वित्तीय विवरण		**Consolidated Financial Statements**	
● तुलन पत्र, लाभ एवं हानि लेखा और अनुसूचियाँ	256	● Balance Sheet, Profit and Loss Account and Schedules	256
● मुख्य लेखाकरण नीतियां	264	● Significant Accounting Policies	265
● लेखों पर टिप्पणियां	278	● Notes on Accounts	279
● लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	304	● Auditors' Report	305
अतिरिक्त प्रकटीकरण	306	Additional Disclosures	307

इंडियन बैंक
निवेशक सेवाएं कक्ष
संख्या. 254-260, अव्वै षण्मुगम सालै
रायपेट्टा
चेन्नै – 600 014
दूरभाष सं 044 28134076; Fax No.044 28134075
ई–मेल : investors@indianbank.co.in

Indian Bank
Investor Services Cell
No.254-260, Avvai Shanmugam Salai
Royapettah
Chennai - 600 014
Tel No. 044 28134076; Fax No. 044 28134075
E – Mail : investors@indianbank.co.in

शेयर अंतरण एजेंट
केमियो कॉर्पोरेट सर्विसेज़ लिमिटेड
यूनिटः : इंडियन बैंक
सुब्रमणियन बिल्डिंग, 1, क्लब हाउस रोड
चेन्नै – 600 002
दूरभाष सं. 044 28460718; फैक्स सं. 044 28460129
ई–मेल : investor@cameoindia.com

Share Transfer Agent
Cameo Corporate Services Limited
Unit : Indian Bank
Subramanian Building, 1, Club House Road
Chennai - 600 002
Tel No. 044 28460718; Fax No. 044 28460129
E – Mail : investor@cameoindia.com

अध्यक्ष का संदेश

श्री टी सी वेंकटसुब्रमणियन
गैर–कार्यपालक अध्यक्ष

प्रिय शेयरधारकों,

मुझे निदेशक मंडल की ओर से, आपके समक्ष वित्तीय वर्ष 2016–17 में हुए बैंक के निष्पादन की मुख्य बातों को पेश करने में हर्ष हो रहा है।

आपके बैंक द्वारा प्राप्त की गयी उपलब्धियों तथा ली गई पहलुओं के संबंध में विवरण इसके साथ संलग्न वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट में प्रस्तुत किया गया है।

अनूठे तथा विकसित परिस्थिति में, मैं अपने ग्राहकों के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ क्योंकि उन्होंने अपने विश्वास को हमारे प्रति बनाए रखे हैं। मुझे इसे रिपोर्ट करने में खुशी है कि बाजार मूल्य के संबंध में सएशिया में उत्तम निष्पादन करनेवालों में हमारा बैंक एक है जब बैंकिंग क्षेत्र में आर्थिक अस्थिरता जूझ रहा है। आपका बैंक अपने सह–पीढ़ियों के बीच लगातार बेहतर निष्पादन कर रहा है और अगुआ बनने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिया है।

> **''डिजिटल भारत, भारतीय आर्थिक विकास की पथ को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगा जिसके साथ सुधारयुक्त निवेशक विश्वास, कम खाद्यान्न कीमत तथा बेहतर नीति होगी।**

बैंकिंग क्षेत्र का निष्पादन :

वर्ष के दौरान भारतीय बैंकिंग क्षेत्र को आर्थिक मंदी तथा सार्वजनिक क्षेत्रक बैंक के तुलन–पत्रों में बढ़ती हुई एनपीए के कारण अहम परिस्थितियों को सामना करना पडा। इसके परिणामस्वरूप, आस्ति गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए महत्व दिया गया और कई बैंकों द्वारा वृद्धि की ओर सावधानीपूर्वक दृष्टिकोण लिया गया। आपके बैंक ने आस्ति संविभाग को संतुलित करने हेतु कॉर्पोरेट से रिटेल तथा मिड कॉर्पोरेट खंड का संमिश्रण मार्ग बनाने के लिए भरसक प्रयास लिया है। खुदरा व्यापार के लिए अधिक ध्यान दिया गया और कॉर्पोरेट ऋण के लिए चयनीत दृष्टिकोण अपनाया गया चूँकि इस ऋण के लिए आवश्यक जोखिम चाव को मेल खाया गया।

रणनीति के कदम में, बैंक ने अपने अनुभव के आधार पर मार्टगेज ऋण, एसएमई ऋण तथा अन्य खुदरा ऋण के तीन पृथक वर्टिकल्स का सृजन करके अपने को रिटेल तथा **मिड़–सेगमेंट पर ध्यान केन्द्रित करनेवाले मिड–साइज बैंक का रूप धारण करने का निर्णय लिया।** इस उद्देश्य की ओर, विशेषीकृत शाखाएँ खोली गयी तथा उन्हें रिटेल सेक्टर यथाः इन्ड–रिटेल, इन्ड–एमएसएमई, इन्ड–मिड कॉर्पोरेट में वृद्धि लाने हेतु तथा कम समयावधि में एंड टु एंड सोल्यूशन'' प्रदान करने हेतु ध्यान केन्द्रित किया गया।

सामान्य कारोबार के अलावा, बैंक ने हमेशा अपने ध्यान को राष्ट्रीय ध्येय की ओर रखा है। मुझे इसे घोषित करने में हर्ष हो रहा है कि बैंक ने प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अधीन हरेक वर्ग में अपने सभी राष्ट्रीय ध्येय को पार कर लिया है यथाः प्राथमिकता प्राप्त अग्रिम के अधीन 42.31 प्रतिशत (अनिवार्य 40 प्रतिशत), कृषि में 19.95 प्रतिशत (18 प्रतिशत), कमजोर वर्ग को अग्रिम 12.08 प्रतिशत (10 प्रतिशत) तथा एमएसएमई के अधीन माइक्रो उद्यम को ऋण 7.87 प्रतिशत (7 प्रतिशत) ।

आर्थिक परिदृश्य – वैश्विक

विकसित अर्थव्यवस्थाओं में सुधारयुक्त नीति परिदृश्य की पृष्ठभूमि में वैश्विक आर्थिक परिदृश्य 2016 से काफी हद तक सुधार हुआ है। आईएमएफ ने अपने विश्व आर्थिक परिदृश्य (डबल्यू ई ओ) में 2017 की वैश्विक वृद्धि में 3.5 प्रतिशत तक बढ़ोत्तरी को आकलन किया है और यह 2018 में 3.6 प्रतिशत तक बढ़ने की संभावना है। तथापि, संरक्षणवाद की बढ़ती हुई खतरा चिन्ता की बात है क्योंकि यह विकसित अर्थव्यवस्थाओं में व्यापार संघर्ष को उत्पन्न कर सकता है।

विकसित अर्थ व्यवस्थाओं में वृद्धि, युनाइटेड स्टेस में सुदृढ़ वसूली की पृष्ठभूमि में वहाँ के प्रस्तावित वित्त तेजीपन, नीति दिशानिर्देश, सुधारयुक्त नियोजन आँकडे और मुद्रास्फीति की परिदृश्य के कारण बढ़ने की संभावना है। युनाइटेड किंगडम में वृद्धि सुदृढ़ होगी (जून 2016 में ब्रिकसिट निर्णय के बाद सुधार हुआ है) तथा सुदृढ़ निर्यात निष्पादन के कारण जापान में आर्थिक क्रियाकलाप बढ़ा है। यूरोप और एशिया में विकसित अर्थव्यवस्थाओं के लिए सामान्य परिदृश्य सकारात्मक रहेगा चूँकि इनमें सब अर्थ व्यवस्थाएँ आर्थिक क्रियाकलाप में चक्रवृत्ति सुधार करनेवाली हैं।

वर्ष 2017 और 2018 में उभरनेवाली और विकासशील अर्थ व्यवस्थाएँ क्रमश 4.5 प्रतिशत तथा 4.8 प्रतिशत वृद्धि करने की प्रत्याशा है। जबकि विकासशील अर्थ व्यवस्थाओं के लिए सामान्य परिदृश्य सकारात्मक है, पर देश–वार के लिए परिदृश्य कुछ और है। चीन सुदृढ़ नीति सहयोग के कारण सकारात्मक वृद्धि दर्शानेवाली है जबकि भारत, नोटबंदी के बाद तेजीपन लाने की दिशा में है।

आर्थिक परिदृश्य – देशी

देशी अर्थ व्यवस्था की भविष्यवाणी सटीक नहीं रहेगा, अगर नोटबंदी के असर और उसके प्रभाव का समाधान नहीं किया जाता है। सरकार द्वारा लिये गये यह कदम एतिहासिक है क्योंकि बृहत रूप में आर्थिक सुधार का न केवल शुरुआत हुई है, पर यह भ्रष्टाचार की बढ़ती सामाजिक –आर्थिक बुराई को बंद करेगा।

केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय के द्वितीय अग्रिम प्राक्कलन द्वारा जारी नवीनतम सकल देशी उत्पाद (जीडीपी) के अनुसार, जीडीपी (स्थिर कीमतें) में वृद्धि, वर्ष 2015–16 के 7.9 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2016–17 के लिए 7.1 प्रतिशत होना चाहिए। जबकि योजित सकल मूल्य (जीवीए) मूल कीमत में वर्ष 2015–16 की तुलना में वर्ष 2016–17 में 6.7 प्रतिशत बढ़ने की प्रत्याशा है। तीसरी तिमाही के लिए जीडीपी वृद्धि प्रत्याशा से अधिक था, जब अर्थव्यवस्था में नोटबंदी हुई। जीडीपी पर नोटबंदी के सीमांत प्रभाव का दो कारण हो सकते हैं यथाः असंगठित क्षेत्र का असर पूर्ण रूप से नहीं लिया गया (इसमें बृहत रूप में असर पडा है क्योंकि यह प्रमुख रूप से नकद आधारित था) और खपत शॉक को सुलझने के लिए डिजिटल चैनल के जरिए लेनदेनों में तीव्र बढ़ोत्तरी हुई है।

सकल देशी उत्पाद (जीडीपी), वर्ष 2015–16 के लिए 7.9 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2016–17 में 7.1 प्रतिशत वृद्धि होने की प्रत्याशा है। वर्ष 2016–17 के लिए जीवीए की तुलना में जीडीपी में संबंधित उच्चतर वृद्धि, नोटबंदी अवधि के दौरान हुई मजबूत कर वसूली के कारण है जब पुराने नोटों के जमाखोरों को कर भुगतान करने के लिए अनुमत किया गया था।

चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए परिदृश्य, नोटबंदी के परिवर्ती प्रभाव के पश्चात प्रासंगिक है, जीएसटी का रोलआउट, 7वीं केन्द्रीय वेतन आयोग के असर और देशी आर्थिक विकास पर वैश्विक आर्थिक नीतियों के असर आदि पर आधारित है। ये सभी कारक आनेवाले वर्ष में आर्थिक विकास को आकार देने में साथ काम करेंगे।

बैंक के कारोबार एवं वित्तीय उपलब्धियां

इस परिदृश्य में मैं प्रमुख क्षेत्रों में, बैंक द्वारा किए गए निष्पादन की मुख्य बातों का अवलोकन करना चाहता हूँ।

31 मार्च 2017 को बैंक के कारोबार 1.20 प्रतिशत बढ़कर रुपये 3,14,654 करोड़ हो गया, जबकि जमाओं में वृद्धि रुपये 4223.44 करोड़ से बढ़ी है या 2.37 की वृद्धि से रुपये 1,82,509 करोड़ हो गया है एवं अग्रिम रु 1,32,145 करोड़ रहा।

वित्तीय वर्ष 2016–17 हेतु बैंक का परिचालनगत लाभ रुपये 4000.71 करोड़ रहा, जबकि निवल लाभ रुपये 1405.68 करोड़ है।

31 मार्च 2017 को बैंक की निवल मालियत रुपये 14,461.59 करोड़ तक बढ़ गई है ।

वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए प्रति शेयर आय तथा प्रति शेयर अंकित मूल्य क्रमशः रुपये 29.27 और रुपये 301.10 रहा । वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए इक्विटी पर प्रतिलाभ 9.97 प्रतिशत रहा ।

31 मार्च 2017 को बेसल III के अधीन बैंक की वित्तीय स्थिरता सीआरएआर (जोखिम भारित आस्ति की तुलना में पूंजी का अनुपात) के अनुसार 13.64 प्रतिशत पर मजबूत था । बैंक इस अनुपात के संबंध में लगातार शिखर स्थिति पर है तथा पर्याप्त रूप से पूंजी प्राप्त है ।

बैंकिंग क्षेत्र – वित्तीय वर्ष 2017–18 में चुनौतियां और अवसर

भारिबैंक द्वारा किए गए आस्ति गुणवत्ता की समीक्षा के बाद कई बैंकों ने अपनी तुलन पत्रों को ठीक करने के उपरांत तनाव की लंबी अवधि के बाद बैंकिंग क्षेत्र में संभावनाएं दिखाई देने लगी हैं। विमुद्रीकरण को, धन्यवाद, प्रचुर मात्रा में तरलता तथा मजबूत राजकोष आय के साथ बैंक समृद्ध हो गया है क्योंकि इन अतिरिक्त निधियों ने बॉन्ड प्रतिफल को कम करते हुए मुद्रा बाजार में अपना रास्ता खोज लिया है। बैंक निधियों की लागत में कटौती को कम करने में सक्षम नहीं थे, क्योंकि ऋण वृद्धि में मंदी, दर में कटौती के लिए आपसी जंग, उच्च अपचारिता का जोखिम और परिचालन लागत में वृद्धि के कारण लाभ को रद्द कर दिया गया था।

चुनौतियां जिसका सामना बैंकों को करना पडता है, उसमें विमुद्रीकरण के बाद जमाराशियों में वृद्धि के कारण कासा के उच्च संचयन, दोहरे तुलन पत्र की समस्याएं, अर्थात अति लीवरेज कॉर्पोरेट तथा बैंकों में अशोध्य ऋणों की बहुतायता के कारण नई जमाराशियों में मंदी, बैंकों के बीच दर की जंग, गहन आस्ति की गुणवत्ता संकट, बैंकों के नए सेट से बढ़ती प्रतिस्पर्धा तथा लेस कैश समाज की तरफ रुख करना शामिल है।

विकास की संभावनाएं हालांकि खुदरा, कृषि, एमएसएमई और बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में उपलब्ध हैं जिसमें, उधार ब्याज दर में कटौती, बजट में घोषणा की गई पहले एवं सुविधाएं, सीजीटीएमएसई कवर में 1 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपये तक की वृद्धि तथा किफायती आवास सहित, क्षमता निर्माण और बुनियादी ढांचे पर सरकार की खर्च में बढ़ोतरी आदि सहायक के रूप में है।

भविष्य की ओर

आनेवाले कई नीतिगत पहलुओं से, भारतीय अर्थव्यवस्था एक बड़े परिवर्तन की कगार पर है। दोनों, भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सकारात्मक कारोबारी भावनाओं को प्रोत्साहित करने, उपभोक्ताओं में विश्वास को बेहतर बनाने तथा मुद्रास्फीति नियंत्रण के लिए उठाए गए अनेक पहलों पर विचार करते हुए देश के आर्थिक विकास की बढ़ने की संभावना है। मूलभूत संरचनाओं पर लगाए जानेवाले धनराशि मे वृद्धि होने के कारण रुकी हुई परियोजनाएं फिर से शुरू हो रही हैं और उन्हे त्वरित रूप से कार्यान्वित किया जा रहा है तथा इन सुधारों से आर्थिक व्यवस्था में वृद्धि के आसार हैं। यह सब भारत मे बैंकिंग क्षेत्र के उच्चतर वृद्धि के सकारात्मक संकेतक हैं क्योंकि बढ़ते हुए व्यापारिक ऋणों की आवश्यकताओं की पूर्ति करना बैंकों का काम होगा ।

भारत सरकार द्वारा अधिक कार्य क्षमता एवं प्रभावोत्पादकता के लिए डिजिटल प्रणाली की ओर जाने के कारण. बैंक अपने ग्राहकों को बेहतर सेवाएँ प्रदान करने के लिए अपनी प्रौद्योगिकी का उन्नयन कर रही है ।प्रौद्योगिकी मूलभूत संरचना के क्षेत्र में हुई प्रगति, जिसके कारण मोबाइल बैंकिंग एवं इंटेरनेट बैंकिंग सेवाएँ प्रचलित हुई हैं, बैंकों द्वारा दिए जा रहे डिजिटल सुविधाओं को सहायता प्रदान करेंगी ।

आभारोक्तियां

मैं अपने मूल्यवान ग्राहको से प्राप्त अनविरत समर्थन तथा मार्गदर्शन को आभार व्यक्त करना चाहता हूं जिसके बिना उत्कृष्टता की खोज संभव नहीं हो पाता। मैं अन्य हितधारकों से प्राप्त समर्थन को अभिज्ञात करना चाहता हूं और उन सबको अपने सतत सहयोग के लिए आभारी हूं । मैं, आप सब मूल्यवान शेयरधारकों को बैंक में निरन्तर विश्वास रखने के लिए फिर से एक बार निष्ठा से आभार व्यक्त करना चाहता हूं ।

मैं इस अवसर पर बैक के पूरे कार्यबल को उनके समर्पित तथा सराहनीय प्रयास को निष्ठापूर्ण सराहना देना चाहता हूं जिन्होने नोटबंदी के दौरान एकजुट होकर निष्ठा से आम जनता तथा ग्राहकों को सेवा प्रदान की । यह साबित करता है कि हरेक कठिन परिस्थिति को साहस ओर संकल्प के साथ सामना कर सकते हैं । उनके अनविरत असाधारण प्रयासों से, मुझे विश्वास है कि बैंक नये वित्तीय वर्ष में चुनौतियो से परे होकर उत्कृष्टता के शिखर पर आगे चलेगा ।

शुभकामनाओं के साथ

आपका

टी सी वेंकट सुब्रमणियन
गैर–कार्यपालक अध्यक्ष

Shri. T C Venkat Subramanian
Non-Executive Chairman

Chairman's Message

Dear Shareholders,

On behalf of the Board of Directors, it gives me great pleasure to place before you the highlights of your Bank's performance during the financial year 2016-17.

Details of the achievements and initiatives taken by your Bank are provided in the enclosed Annual Report for the year.

Given the unique and evolving circumstances, I am grateful to our customers who have continued to repose their trust in us. I am very happy to report that, your Bank has emerged as one of the best performing banks in Asia in terms of market value despite the economic uncertainty surrounding the banking sector. Your Bank has been continuously performing better than its peers in various parameters and has taken conscious decision to place itself as a leader.

> **Digital India will play a vital role in driving the Indian economy's growth trajectory aided by improved investor confidence, lower food prices and better policy reforms**

Performance of Banking Sector:

The Indian banking industry faced challenging times during the year due to the economic slowdown and rising NPAs in balance sheets of Public Sector Banks. As a result, preservation of asset quality took precedence and a cautious approach towards growth was adopted by most of the banks. Your Bank took earnest efforts to rebalance the asset portfolio from Corporate to a mix of Retail and Mid Corporate segment. More focus was given to increase Retail business and selective approach was adopted for Corporate credit, matching the risk appetite for such credit.

As a strategic move, based on its expertise, Bank decided to position itself as **'Mid Sized Bank with Focus on Retail and Mid-Segment'** by creating three separate Verticals for Mortgage Loan, SME Loan and Other Retail Loan. Towards this objective, Specialized branches were opened and dedicated for growth in Retail sector viz., Ind-Retail, Ind-MSME, Ind-Mid Corporate for focused attention to offer end to end solution with reduced turnaround time.

Apart from the normal business, Bank has always has had its sight on its national goals. I am happy to announce that the Bank has surpassed all its national goals set under Priority Sector lending for each category viz., Level of 42.31% (Mandatory 40%) under Priority Sector advances, 19.95% (18%) in Agriculture, 12.08%(10%) for Advances to weaker sections and 7.87% (7%) in lending to Micro Enterprises under MSME.

Economic Overview – Global

Global economic outlook has considerably improved since 2016 on the back of improved policy outlook in advanced economies. IMF in its World Economic Outlook (WEO) raised its projection for 2017 global growth to 3.5 percent and is expected to rise to 3.6 percent in 2018. However, the rising threat of protectionism is a concern as it may lead to trade wars particularly among the advanced economies.

Growth in advanced economies is projected to increase on the back of strong recovery in United States in terms of proposed fiscal stimulus, policy directions, improved employment data and inflation outlook. Growth is expected to remain solid in the United Kingdom (making a recovery post Brexit decision in June 2016) and increased economic activity in Japan on strong export performance. The general outlook for advanced economies in Europe and Asia is expected to be positive as most of them are expected to make a cyclical recovery in economic activity.

Emerging and developing economies is expected to grow further to 4.5 per cent and 4.8 per cent in 2017 and 2018. While general outlook for developing economies is positive, but country-wise the outlook remained mixed. China is expected to post a positive growth spurred by strong policy support while India is gaining its momentum back post demonetisation.

Economic Overview – Domestic

Domestic economy's forecast would not be apt, if the impact and effect of demonetisation is not addressed. This move by the Government was iconic as it had not only set the ball rolling on large scale economic reforms, it also aimed to put an end to rising socio-economic evil of corruption.

As per the latest Gross Domestic Product (GDP) released by the Central Statistics Office second advance estimates, the growth in GDP (constant prices) for 2016-17 is to be at 7.1% as against 7.9% in 2015-16. While Gross Value Added (GVA) at basic prices is estimated to grow at 6.7% in 2016-17 compared to 7.7% in 2015-16. The GDP growth for the third quarter was higher-than-expected considering the quarter was when the demonetisation took place in the economy. The marginal impact of demonetisation on GDP could be because of two reasons, viz. the impact of unorganised sector (which took the biggest impact as it was primarily cash centric sector) was not captured completely and sharp increase in transactions through digital channels to ease the consumption shock.

Gross Domestic Product (GDP) is estimated to grow at 7.1% in 2016-17 compared to 7.9% in 2015-16). The relatively higher growth in GDP compared to GVA in 2016-17 is attributed to the robust tax collections during the demonetisation period where hoarders of old currencies (₹500 and ₹1000) were allowed to pay tax.

The outlook for the current financial year 2017-18 is contingent upon the transient effect of demonetisation, rollout of GST, impact of 7th Central Pay Commission and effect of global economic policies on the domestic economic development. All these factors together will work simultaneously shaping the economic development in the forthcoming year.

Bank's Business and Financial Achievements

Against this backdrop, I would like to give an overview of the Bank's performance in important parameters.

- Bank's Business grew modestly by 1.20% to ₹3,14,654 crore as on 31st March 2017. While Deposits grew by ₹4223 crore or 2.37% to ₹1,82,509 crore, Advances stood at ₹1,32,145 crore.
- Operating profit of Bank for FY 2016-17 was at ₹4000.71 crore, while Net Profit stood at ₹1405.68 crore.
- Networth of Bank increased to ₹14,461.59 crore as on 31st March 2017.
- Earnings per share for FY 2016-17 and Book value per share were at ₹29.27 and ₹301.10 respectively. Return on Equity was at 9.97% for FY 2016-17.
- Bank's financial soundness as reflected by the CRAR (Capital to Risk weighted Assets Ratio) was strong at 13.64% under Basel III as on 31st March 2017. Bank is consistently at the top in respect of this ratio and is adequately capitalized.

Banking sector – Challenges and opportunities in 2017 - 18:

Green shoots are becoming visible after a long period of stress in the banking sector after most banks seen to have repaired their balance sheets post asset quality review exercise carried out by RBI. Thanks to demonetization, banks are flush with abundant liquidity and strong treasury income as these surplus funds found their way into the money market, lowering bond yields. Banks were not able to capitalize on the reduction in cost of funds as the advantage was nullified by muted credit growth, rate cut wars, risk of higher delinquencies and increased operational costs.

The challenges which the banks face include accretion in deposits post demonetization leading to higher accumulation of CASA, slowdown in fresh advances due to twin balance sheet problems i.e. over leveraged corporates and pile of bad loans in banks, rate wars amongst banks, deepened asset quality woes, increasing competition from new set of banks and migrating towards less cash society.

Pockets of growth however are available in Retail, Agriculture, MSME and Infrastructure sectors aided by lending rate cuts, initiatives and sops announced in the Budget, increase in CGTMSE cover from ₹1 crore to ₹2 crore and increased Government spending on capacity building and infrastructure creation, including affordable housing.

Road Ahead

With several policy initiatives on the anvil, the Indian economy is on the brink of a major transformation. The country's economic growth is likely get an impetus considering the number of initiatives taken by both the Government of India and Reserve Bank of India to stimulate positive business sentiments, improve consumer confidence and control inflation. With spending on infrastructure getting enhanced, stalled projects getting revived and put on the road for speedy implementation and continuation of reforms are expected to prop up growth in the Economy. All these are positive indicators towards prospects of robust growth for India's banking sector as the credit needs of the rapidly growing business have to be fuelled by the banks.

With Government of India's push towards digitalization for enhanced efficiency and effectiveness, banking sector is laying greater emphasis on providing improved services to their clients by upgrading their technology infrastructure. Advancements in technology which have brought the mobile and internet banking services to the fore would be assisting the banks in this digital journey.

Acknowledgements:

I would like to acknowledge the unstinted support and guidance from our valued customers without which our sustained quest for excellence would not have been possible. I would like to place on record the support of all other stakeholders and I am grateful to each one of them for their continued cooperation. I wish to sincerely thank you all, the valuable shareholders again for your continued confidence in your Bank.

I would also like to take this opportunity to express my sincere appreciation for the dedicated and commendable efforts of the entire work force of the Bank which rose in unison during the demonetisation period to serve the general public and customers with utmost sincerity. This proves that with grit and determination every difficult situation can be overcome. With their continued extraordinary efforts, I am confident that the Bank, undaunted by the challenges would march ahead in the new Financial Year towards its pinnacle of excellence.

With best wishes

Yours sincerely

T C VENKAT SUBRAMANIAN
NON-EXECUTIVE CHAIRMAN

श्री किशोर खरात
प्रबंध निदेशक एवं
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी का संदेश

प्रिय शेयरधारको,

हाल ही में इस 110 वर्षीय ऐतिहासिक बैंक जिसकी वित्तीय मजबूती पीढ़ियों से बैंकिंग संबंधों के साथ उत्कृष्ट रही है तथा जिस बैंक के पास प्रतिबद्ध ग्राहक आधार है, की बागडोर सम्हालकर आपके बीच रूबरू होने पर मुझे अपार आनंद का अनुभव हो रहा है।

आर्थिक मंदी तथा बैंकिंग क्षेत्र के चुनौती से भरे समय से गुजरने के बावजूद, वर्ष 2016–17 में हमारे द्वारा किए गए सुधारात्मक एवं लाभदायक निष्पादन के साथ अपने बैंक की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए मुझे प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है।

निदेशक की रिपोर्ट, प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण, कॉर्पोरेट अभिशासन पर रिपोर्ट, कॉर्पोरेट अभिशासन पर लेखापरीक्षकों के प्रमाण पत्र, वित्तीय विवरणों तथा समेकित वित्तीय विवरणों को समाहित करते हुए 31 मार्च, 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट पहले ही परिचालित किए जा चुके हैं और आपकी अनुमति के साथ मैं यह मानकर चलता हूँ कि आपने उन्हें पढ़ लिया है।

आर्थिक परिदृश्य

तेजी के साथ परस्पर सम्बद्ध बनाने वाले जगत में अन्य देशों में होने वाली आर्थिक घटनाएँ एक दूसरे को प्रभावित करती हैं।

अमेरिका के सबप्राइम संकट द्वारा पूरे विश्व को झटका दिये जाने के 7 वर्ष बाद, वैश्विक आर्थिक झटकों का आना–जाना बराबर बना हुआ है। पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते हुए 2016 विभिन्न घटनाओं का साक्षी बना। उनमें से चाइना संकट, जिसका परिणाम चाइनीज शेयर स्टॉक मार्केट में देखने को मिला तथा जिसका झटकेदार असर पूरे विश्व में हुआ, यूरोपियन संघ तथा यूएस स्टॉक को हिट करते हुए, पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन के साथ गैर ओपीईसी देशों, जैसे रूस, जिसने तेल की कीमतों को तेजी से बढ़ाने में मदद की थी, द्वारा कच्चे तेल के उत्पादन में कटौती, ईयू से ब्रिटेन का बहिर्गमन तथा यूएस डॉलर में मजबूती के परिणाम स्वरूप यूएस कोषागारों के साथ पूंजी का यूरोजोन से सुरक्षित बाजार तथा जापान की ओर जाना, प्रतिबंध मुक्त ईरान – ईरान और छह विश्व शक्तियों के बीच परमाणु समझौते ने ईरान के इस्लामी गणतंत्र पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया और अंततः अमेरिका में हुए चुनाव उल्लेखनीय हैं। इन घटनाओं ने उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में व्यापक प्रभाव के साथ वैश्विक आर्थिक विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यद्यपि, इन घटनाओं के बाद से कुछ स्पष्टता सामने आई है; कैलेंडर वर्ष संयुक्त राज्य अमेरिका से निकले नीति स्तर की अनिश्चितता के साथ समाप्त हुआ।

वर्ष के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था में कई आकस्मिक घटनाएं देखी गईं। उनमें से 2016 की ऐतिहासिक नोटबंदी की घोषणा, जीएसटी पैसिज आदि प्रमुख है। काले धन को खत्म करने, भ्रष्टाचार संबंधी अनैतिकता, काले धन, नकली मुद्रा और आतंक वित्तपोषण से लड़ने के लिए हमारे माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने 8 नवंबर को ₹ 500 और ₹ 1,000 के बैंक नोटों को परिचालन से वापस लेने के साहसी फैसले की घोषणा की। इस सुधार से अल्पकालिक असफलताओं की कीमत पर व्यापक रूप से दीर्घकालिक लाभ की उम्मीद है। माल और सेवा कर विधेयक को कानून में बदलने के लिए राज्यसभा द्वारा 4 अगस्त, 2016 को अनुमोदित महत्वपूर्ण 122 वें संवैधानिक संशोधन स्वतंत्रता के बाद भारतीय इतिहास में सबसे बड़ा कर सुधार था क्योंकि यह सभी अप्रत्यक्ष करों को एक समान कर प्रणाली में लेकर आया था।

बैंकिंग में परिवर्तन की ओर, अपनी तरह का यह पहला कदम था, दर–निर्धारण के फैसले में पारदर्शिता बढ़ाने और मुद्रास्फीति, विकास, रोज़गार, बैंकिंग स्थिरता और विनिमय दर स्थिरता जैसे कई कारकों पर विचार करने के लिए, सरकार ने दर निर्णय करने में एक 6 सदस्यीय समिति, मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) गठित की। इसी तरह, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में गड़बड़ी हुई बुरे ऋणों को साफ करने के लिए कठिन दृष्टिकोण अपनाया गया था ताकि अर्थव्यवस्था को समर्थन देने के लिए क्रेडिट की कमी का सामना न करना पड़े, पूरे भारतीय बैंकिंग पारिस्थितिक तंत्र पर इसका बड़ा असर हुआ।

आपके बैंक का निष्पादन:

प्रतिबद्धता के साथ उत्कृष्टता की ओर तथा ग्राहकों, शेयर धारकों तथा कर्मचारियों को महत्व देते हुए पूरी संस्था में सर्वोत्तम कार्य प्रणाली तथा संस्थागत मूल्यों का पालन करते हुए एक **'प्रतिस्पर्धी और मजबूत बैंक'** बनना संस्था का उद्देश्य था। संगठनात्मक नवीनीकरण, रिटेल, एमएसएमई और कृषि क्षेत्रों की ओर व्यापार रणनीति में परिवर्तन, जन–संबन्धों तथा सूचना प्रौद्योगिकी रूपांतरण के रूप में कुशल योजना व रणनीतिक निर्णय के माध्यम से कार्रवाई प्रारम्भ की गई एवं निवेशकों के विश्वास को बढ़ाने में उद्योग में बैंक को शीर्ष बैंकों में से एक के रूप में जगह मिली। बैंक ने वित्तीय मजबूती व सुदृढ़ता हेतु भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक पुरस्कार प्राप्त किया और राष्ट्रीयकृत बैंकों के बीच पूंजी पर्याप्तता में अपने आप को शीर्ष स्थान पर बरकरार रखा।

वित्तीय विशेषताएँ

- मार्च 2017 को समाप्त वर्ष में जमाओं में ₹ 4223 करोड़ (2.37%) की वृद्धि दर्ज करते हुए ₹ 1,82,509 करोड़ के साथ कारोबार 1.20 % बढ़कर ₹ 3,10,918 करोड हो गया तथा अग्रिम ₹ 1,32,145 करोड था ।

- वित्तीय वर्ष 2015–16 में बैंक का परिचालनगत लाभ ₹ 4000.71 करोड रहा जबकि निवल लाभ ₹ 1405.68 करोड था । (97.60 प्रतिशत से बढ़ा है)

- बैंक का सुदृढ़ पूंजीकरण आस्तियों/परिसंपत्तियों से संबंधित जोखिमों को दूर रखने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। मार्च 2017 के अंत में बेसेल III के तहत 13.64% सीआरएआर के साथ, इस अनुपात के संबंध में उद्योग में बैंक लगातार शिखर पर रहा। 2016 में भारत के उत्कृष्ट बैंकों की फाइनेंशियल एक्सप्रेस रैंकिंग के मानदंडों पर पूंजी पर्याप्तता तथा स्थायी पूंजी (%) के तहत सार्वजनिक बैंकों में बैंक प्रथम स्थान पर रहा।

- राष्ट्रीयकृत बैंकों के बीच आस्तियों पर प्रतिलाभ 0.67 % सर्वश्रेष्ठ रहा।

- कम लागत चालू खाता और बचत खाता (कासा देशी) अनुपात के साथ पर्याप्त संसाधन प्रोफाइल की तुलना में कुल जमाएँ 37.65 प्रतिशत, बैंक को 20.89 प्रतिशत (वर्ष–दर–वर्ष) की वृद्धि से यह रु.66,677 करोड़ लाने में मददगार बनाया।

- बचत बैंक जमाओं (देशी) में 23.39 प्रतिशत की वर्ष–दर–वर्ष वृद्धि से यह 57,262 करोड़ रुपये हो गई हैं।

- बैंक का बाजार पूंजीकरण 31.03.16 को रु. 4990 करोड़ रूपए से बढ़कर 31.03.2017 को रु.13,364 करोड़ हो गया। 31.03.2017 के प्रभाव से फ्यूचर्स और आप्शंस सेक्शन के तहत व्यापार के लिए बैंक के शेयरों को शामिल किया गया है।

- भारत सरकार द्वारा निर्धारित राष्ट्रिय लक्ष्यों को प्राप्त करना, बैंक के एजेंडा में सर्वोच्च था और निर्धारित मानदण्डों को हासिल किया गया अर्थात 2016–17 के लिए प्राथमिकता क्षेत्र के अग्रिमों जोकि रुपये 51,520 करोड़ पर समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) का 42.31 प्रतिशत था और कृषि ऋणद जोकि रुपये 24,292 करोड़ पर समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) का 19.95 प्रतिशत था।

- देशभर में बैंक की 73 विशेषीकृत शाखाएं हैं जो अनन्य रूप से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र की आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं। एमएसएमई संविभाग में रुपये 21,031 करोड़ से 13.46 प्रतिशत की बढोत्तरी हुई और यह रुपये 23,863 करोड रहा।

- 31 मार्च 2017 को सकल एनपीए की तुलना में सकल अग्रिम अनुपात तथा निवल एनपीए की तुलना में निवल अग्रिम अनुपात क्रमशः 7.47 प्रतिशत और 4.39 प्रतिशत रहे। कुल दबावग्रस्त बही 31.03.2016 को 11.46 प्रतिशत की तुलना में 31.03.2017 को घटकर 10.74 प्रतिशत हो गई।

- भारत भर में अपने शाखा नेटवर्क को बढाने के लिए, बैंकिंग सेवाओं से वंचित और कम बैंकिंग सेवाएं प्राप्त क्षेत्रों तक अपनी पहुँच को बढाने के लिए बैंक ने वर्तमान वर्ष में 117 शाखाएं और 574 एटीएम/बीएनए खोले हैं जिसमें 2679 पारंपरिक शाखाएं एवं 3358 एटीएम सहित कुल 6037 सुपुर्दगी चैनल रहे। इसमें नकदी रीसाइक्लिंग कार्यक्षमता से युक्त 542 बंच नोट एक्सेप्टर भी सम्मिलित हैं ।

- सिंगापुर, जाफना और श्रीलंका में बैंक की अंतर्राष्ट्रीय उपस्थिति है।

- एसएचजी को विशेषीकृत ऋणद के लिए बैंक की 40 अनन्य माइक्रोसेट शाखाएं हैं। वर्ष 2016–17 के दौरान, इन शाखाओं ने 28895 एसएचजी को कवर करते हुए 690.70 करोड़ रूपये राशि की ऋण प्रदान की हैं तथा मार्च 2017 के अंत तक 35,774 एसएचजी को कवर करते हुए कुल बकाया अग्रिमों की राशि 772.88 करोड रूपये रही।

इस उपलब्धि से और अधिक भरोसा मिलता है क्योंकि इस स्थिति को तब हासिल किया गया था जब सामान्य रूप से पूरे बैंकिंग उद्योग और विशेषकर सार्वजनिक क्षेत्रक बैंक बढ़ते एनपीए और धीमी अर्थव्यवस्था से बोझग्रस्त थे। प्रमुख मापदंडों जैसे, आरओए, आरओई, निवल लाभ और व्यवसाय के लिए परिचालन लाभ, लागत आय और परिचालन / निवल लाभ में बैंक की रैंकिंग में लगातार सुधार हुआ है और बैंक लगातार सभी सार्वजनिक क्षेत्रक बैंकों के बीच कम एनपीए बनाए रखा है।

उच्च मूल्य वर्ग के नोटों का विमुद्रीकरण :

नवंबर 8, 2016 को भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है क्योंकि इसी दिन भारत के माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने रु.500 और रु.1000 के उच्च मूल्य वर्ग के नोटों की विधिमान्य मुद्रा होने की मान्यता समाप्त कर और उन्हें **"विनिर्दिष्ट बैंक नोटों" (एसबीएन)** के रूप में घोषित करने की ऐतिहासिक घोषणा की।

पूरा इंडियन बैंक परिवार इस राष्ट्रीय हित का समर्थन करने के लिए एकजुट हो गया और भारत सरकार द्वारा सौंपी गई अत्यंत कठिन कार्य को सुचारू रूप से पूरा करने के लिए हर तरह से सहयोग दिया अर्थात समाज के हर जगह से विनिर्दिष्ट बैंक नोटों को निकालकर भारतीय रिज़र्व बैंक के खजाने को भरना। इसके अलावा, नकदी वितरित करने हेतु युद्ध स्तर पर एटीएम की पुनर्नवीनीकरण, मुद्रा तिजोरी में नकदी की उपलब्धता और भारतीय रिजर्व बैंक के स्थानीय कार्यालय से निकटम संपर्क के जरिए पूरे देश में शाखाओं के बीच इसके वितरण को लगातार सुनिश्चित किया गया।

बैंक ने कुछ पहलें को सक्रियता से लिया, जैसे कि कतार प्रबंधन, रंगीन टोकन प्रणाली की शुरूआत और पर्याप्त संख्या में चेक बुक उपलब्ध कराना और व्यापारियों को डिजिटल भुगतान की सुविधा के लिए स्कैन एंड पे ऐप की शुरुआत है।

सामाजिक उत्तरदायित्व

बैंक, भारत के नागरिकों की सेवा की प्रतिबद्धता के साथ समाज के लाभ के लिए विभिन्न पहल चला रहा है। मानवता की गर्वमयी सेवा, लोगों के दिल को छू जाने, सकारात्मक बदलाव लाने की दिशा में अग्रसर होने के नाते बैंक को हाल ही में कई प्रशस्तियाँ प्राप्त हुई है। वर्तमान वर्ष के दौरान कुछ ऐसी उल्लेखनीय पहल इस प्रकार हैं :

- शाखाओं /अंचलों द्वारा अखिल भारतीय रक्तदान / अंगदान एवं स्वस्थ्य एवं नेत्र चेकअप शिविरों का आयोजन।
- **स्वच्छ भारत अभियान** : कुलित्तलै नगरपालिका, तमिलनाडु में व्यक्तिगत शौचालय का निर्माण करने के लिए प्रयोजन प्रदान किया गया।
- **महिला सशक्तिकरण** : सेंट टेरेसा कॉलेज, एर्नाकुलम की छात्राओं के लिए क्लास रूम और शौचालयों का निर्माण प्रायोजित किया गया ।
- **समावेशी विकास** : भारत सरकार की घोषणा के अनुसार काकीनाड़ा निगम को स्मार्ट सिटी योजना के तहत समर्थन दिया गया है।

प्रोद्योगिकी का पूर्ण प्रयोगः

इस डिजिटल युग में जहां प्रौद्योगिकी बैंकिंग में बदलाव ला रही है, हमारे बैंक ने डिजिटल चैनलों के माध्यम से सेवाओं को वितरित करने पर ध्यान देने के साथ अपने बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण में निवेश करना जारी रखा है। कुछ ऐसी ग्राहक केंद्रित सेवाएं इस प्रकार हैं :

- **कस्टमाइज़्ड डिजाइन इमेज कार्ड**
- **डेबिट/क्रेडिट कार्ड के लिए ग्रीन पिन**
- **एटीएम के माध्यम से कार्ड से कार्ड (सी2सी) निधि अंतरण**
- **ई–मेल के माध्यम से रवाते का विवरण**
- **डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र का ऑनलाइन प्रस्तुतीकरण**
- **लॉकर आवेदन के लिए ऑनलाइन पंजीकरण**
- **इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से सेवाएँ** – 15 जी/एच अपलोड करना, चेक इमेज व्यू, डिजिटल हस्ताक्षर लागू करना, फॉर्म ए 2 की ऑनलाइन प्रस्तुतीकरण, ब्याज प्रमाणपत्र जनरेट करना और अटल पेंशन योजना का पंजीकरण।
- **मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से सेवाएँ** – लेनदेन सुविधा को लॉक / अनलॉक करने की सुविधा, स्थायी निर्देश देना, पिछले 50 लेनदेन को देखना, मियादी जमा खोलना /पूछ–ताछ करना /बंद करना, चेक बूक जारी / भुगतना रोकना और और विक्रेता और सेवा प्रदाता को भुगतान करने के लिए स्कैन एंड पे।
- **ऐप के माध्यम से सुविधाएं** – डिजिटल चलान (बैंक की लागत के अलावा ग्राहक के लिए समय / हाथ से लिखना में बचत, जेवर ऋण प्राप्त करने के लिए अपॉइंटमेंट निर्धारित करना, क्रेडिट कार्ड विवरण देखना, टीएनईबी बिल का भुगतान इत्यादि।

हरित पहल

- **गो ग्रीन ड्राइव** : आपका बैंक पर्यावरण की रक्षा करने के लिए कॉर्पोरेट सामाजिक उतरदायित्व एवं डिजिटल बैंकिंग सेवाओं के माध्यम से कई गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। वर्ष 2015 से अंचल कार्यालयों / शाखाओं के माध्यम से पूरे भारत में 3,800,000 से भी अधिक पौधा रोपण किया है।
- **हरित पहलः** बंगलोर के सिंगनायकनहल्ली झील क्षेत्र में चल रहे पौधा–रोपण कार्यक्रम में बैंक द्वारा सहयोग प्रदान किया गया।
- ऊर्जा खपत पर 4 से 5 प्रतिशत तक वार्षिक समग्र व्यय को कम करने की दिशा में बैंक भवनों में सोलर पावर प्लांट स्थापन नेटवर्क का विस्तार किया जा रहा है।
- सभी नई शाखाओं में एलईडी लाइटिंग प्रदान किया जा रहा है।

वित्तीय समावेश पहल

- वित्तीय समावेशन हेतु भारत सरकार के राष्ट्रीय मिशन 'प्रधान मंत्री जन–धन योजना (पीएमजेडवाई) के सहयोग प्रदान करने में आपका बैंक अग्रणी रहा है और इस योजना के शुरुआत से ही आपके बैंक ने सराहनीय प्रदर्शन किया है जो इस प्रकार हैः
  - 32.48 लाख बीएसबीडी खाते खोले गए तथा इन खातों में रु 467.80 करोड़ आने के साथ 32.06 लाख खाताधारकों को रुपे कार्ड जारी किए गए।
  - आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (एईपीएस) परस्पर कार्यक्षमता सुविधाओं को बैंक के एसएसए में लगाए गए सभी पीओएस मशीन में सक्षम बनाया गया हैं। सभी बैंक मित्र एईपीएस लेन–देन कर रहे हैं तथा 31.03.2017 तक सभी बैंक मित्रों द्वारा 154.15 लाख एईपीएस लेन–देन (दोनों, वित्तीय और गैर वित्तीय) निष्पादित किया गया है। किसी भी बैंक के ग्राहक जिनका आधार उनके खाते से जोड़ा (सिड) गया है, वे बैंक मित्र के साथ लेन–देन कर सकते हैं।

- ग्रामीण लोगों के करीब आने की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए, विभिन्न विकासात्मक गतिविधियों को शुरू करने के लिए बैंक ने "ग्रामीण विकास हेतु इंडियन बैंक न्यास" (आईबीटीआरडी) नाम से एक न्यास स्थापित किया है। अब तक कुल 2,41,948 व्यक्तियों को वित्तीय परामर्श दिए गए है।

पुरस्कार एवं प्रशस्तियां

आपके बैंक ने वित्त वर्ष 2016–17 के दौरान कई पुरस्कार जीते, इनमें से प्रमुख पुरस्कार इस प्रकार है:–

- बैंक ने माननीय वित्त मंत्री, श्री से अरुण जेटली के कर कमलों से शक्ति और सुदृढ़ता के लिए फायनेंशियल एक्सप्रेस से भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक पुरस्कार प्राप्त किया।
- बैंक को एसोचेम की 12 वीं वार्षिक व्यापार सम्मेलन–सह–सोशल बैंकिंग उत्कृष्टता पुरस्कार 2016 में माननीय वित्त राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा सर्वश्रेष्ठ सामाजिक बैंक पुरस्कार (बड़े बैंक श्रेणी के अंतर्गत) और सरकारी योजनाओं में उप–विजेता पुरस्कार (बड़े बैंक श्रेणी के अंतर्गत) प्राप्त हुए।
- नाबार्ड से एसएचजी लिंकेज कार्यक्रम हेतु राज्य स्तर से वर्ष 2015–16 के दौरान सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुए।
- बैंक ने निम्नलिखित श्रेणियों के अंतर्गत एनपीसीआई (भारत के राष्ट्रीय भुगतान निगम) से उत्कृष्ट निष्पादन के लिए 3 पुरस्कार प्राप्त किया:
  - ❖ ''रुपे" में – विजेता पुरस्कार
  - ❖ ''राष्ट्रीय आटोमेटेड क्लियरिंग हाउस (एनएएसीएच)'' – विजेता पुरस्कार
  - ❖ ''आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (एईपीएस)'' – उप–विजेता पुरस्कार
- टेक्नो प्रॉडक्ट्स के लिए छह स्कॉच टेक्नोलॉजी इनोवेशन अवार्ड:
  - मोबाइल ऐप में **'स्कैन एंड पे',**
  - संपत्ति का मैपिंग भौगोलिक समन्वयन से **'जियो –टैगिंग'** एवं उसे बैंक के कोर बैंकिंग समाधान के साथ टैगिंग करने हेतु
  - **डिजिटल चालान'** – फिजिकल चालान को हटाने की दृष्टि से भुगतान में लगनेवाले समय को कम करने के लिए विशेषताएँ ऐप में उपलब्ध है।
  - क्रेडिट / डेबिट कार्ड तथा नेट / मोबाइल बैंकिंग ग्राहकों हेतु **'ग्रीन पिन'**
  - ग्राहकों हेतु ऐप में **'ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड लेनदेन व्यू'**
  - ऐप के माध्यम से यूजर से फोटो के साथ **'ऑनलाइन ब्रांच / एटीएम रूम क्लीनलिनेस फीडबैक'**
- बेस 24 एटीएम स्विच का उपयोग कर खुदरा श्रेणी में नवान्मेष के लिए एसीआई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार
- बैंक ने सर्वश्रेष्ठ व्यापार अर्जन के लिए मास्टर कार्ड पुरस्कार – पीओएस और सर्वश्रेष्ठ नवोन्मेष– ई पर्स पुरस्कार।
- रुपे कार्ड जारी करने में बैंक का स्थान शीर्षतः दस बैंकों में रहा।

आगे भविष्य की ओर :

चालू वित्त वर्ष 2017–18 अर्थव्यवस्था के लिए एक परिवर्तनकारी वर्ष है। विमुद्रीकरण के बाद होनेवाले प्रभाव से, एक अन्य परिवर्तनकारी नीति अर्थात, माल एवं सेवा कर के कारण अर्थव्यवस्था में वापस उछाल आ रहा है। विमुद्रीकरण के बाद से नकदी गहन क्षेत्रों में जो अस्थायी रूप से बाधित हो गए थे, पहले ही पुनर्जीवित हो चुके हैं तथा यह केन्द्रीय बजट 'घरेलू' में घोषित कैपेक्स निर्णयों के साथ मिलकर वित्तीय वर्ष 2018 में अर्थव्यवस्था में वृद्धि को बढ़ावा देंगे। दूसरी ओर, चालू वित्त वर्ष में मुद्रास्फीति अभी भी एक मुद्दा बनी हुई है, जैसे कि अर्थव्यवस्था के अपसाइड जोखिम अधोगामी (गिरावट) जोखिमों से अधिक है। विकास के मुख्य क्षेत्रों में रियल एस्टेट क्षेत्र (जिसे बजट के तहत बुनियादी स्थिति का दर्जा प्राप्त है), बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे के कार्यक्रम अर्थात, हाइवे और इन क्षेत्रों से नजदीकी से जुड़े क्षेत्र है जिन्हें चालू वित्त वर्ष में पुनर्जीवित होने की संभावना है।

बैंक में मौजूद अच्छी परिपक्व घटकों की उपस्थिति, बैंक को "गुड बैंक" बनाने में अहम भूमिका निभाता है। उक्त के लिए बाजार स्वीकृति में परिलक्षित बैंक के उत्कृष्ट वित्तीय सूचक, उक्त के लिए परिसाक्ष्य है। चूंकि, बैंक अपने उपभोक्ताओं की बदलती जरूरतों को पूरा करने के लिए खुद को फिर से स्थापित करता है, बैंकिंग परिदृश्य में उपभोक्ता केंद्रित सेवाएं प्रदान करने के लिए स्वयं को अनुकूल बनाने पर ध्यान देना होगा तथा इस दिशा में, आगे बढ़ते हुए, उत्कृष्टता की खोज में बैंक का उद्देश्य निम्नलिखित प्रमुख मेट्रिक्स पर होना चाहिए

- **कारोबार मापदंड**
- **परिचालनगत क्षमता**
- **आस्ति गुणवता**
- **वैकल्पिक चैनल्स / डिजिटल बैंकिंग**
- **ग्राहक सेवाएँ / क्षेत्र स्तरीय रखरखाव (जिसमें शाखा आउट्लुक शामिल है)**

बैंक की सभी इन्डेवर में यह विजन आपके निरंतर सहयोग, विश्वास और उत्साह के बिना यथार्थता में तब्दील नहीं हो सकती।

शुभकामनाओं के साथ

आपका

किशोर खरात
प्रनि एवं मुकाअ

Shri. Kishor Kharat
Managing Director &
Chief Executive Officer

MD & CEO's Message

Dear Shareholders,

I am extremely happy to be amongst you today having recently taken over the leadership of this 110 year old historic bank whose strength has been an excellent committed client base with banking relationship spanning over a few generations.

I am pleased to present you the results of your Bank, reflecting an improved and profitable performance by us in 2016-17, despite the economic slowdown and the challenging time banking sector is going through.

The Annual Report for the Financial Year ending 31st March 2017, comprising the Directors' report, Management Discussion and Analysis, Report on Corporate Governance, Auditors' Certificate on Corporate Governance, Financial Statements and Consolidated Financial Statements have been circulated in advance and with your permission I consider them as read.

Economic overview

An increasingly interconnected world makes countries vulnerable to impacting their economy due to the events in other countries.

Seven years after the American subprime crisis shook the whole world, global economic shocks keep coming. 2016 witnessed several events that ended up impacting economies all over the world, for good and bad. Notable among them being **Chinese meltdown** which resulted in Chinese stock market rout and sent shock waves across the world, hitting the European Union and US stocks, **Cut in the production of crude oil** by the Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC) followed by non-OPEC countries such as Russia which helped push oil prices sharply higher, **Britain's intent to exit from EU** and resultant push of capital away from the euro-zone directed towards safe markets, including the US Treasuries, resulting in strengthening of US dollar - and to Japan. **Sanction free Iran** - The nuclear deal between Iran and six world powers removed the sanctions put on the Islamic Republic of Iran and finally the **US Election**. These events played a very critical role in global economic developments with spillover effect in Emerging Economies. While, some clarity has evolved since these events; the calendar year ended with policy-level uncertainty emanating from the United States of America.

The Indian Economy witnessed many dramatic happenings during the course of the Year. From the landmark Demonetization announcement to the eventful GST Bill passage, 2016, to name a few. In a bid to crack down on black money, fight the unholy matrimony of corruption, black money, counterfeit currency and terror financing, our Hon'ble Prime Minister Shri Narendra Modi on November 8 announced the bold decision to withdraw the legal tender of ₹500 and ₹1,000 bank notes. This reform is widely expected to bring long-term benefits at the cost of short-term setbacks. The crucial 122nd Constitutional amendment approved by the Rajya Sabha on August 4, 2016 to turn the Goods and Services Tax Bill into a law marked the biggest tax reform in Indian history since Independence as it brought all indirect taxes under one uniform tax system.

In the Banking front, in a move which was first of its kind, the Government set up a Monetary Policy Committee (MPC), a 6-member panel, to raise transparency in rate-setting decisions and consider multiple factors such as inflation, growth, employment, banking stability and exchange rate stability while making a rate decision.

Similarly, tough approach was adopted by Reserve Bank of India to clean up the bad loans that have plagued the Indian banking sector so that the economy does not face lack of credit to support growth had a major impact on the entire Indian Banking ecosystem.

Your Bank's performance:

The vision of the Bank was to be a ***'Competitive and Strong Bank'*** with commitment to excellence and focus on adding value to customers, share holders and employees with adherence to best practices and core institutional values shared throughout the organization. Action initiated by way of meticulous planning and strategic decisions in the form of Organisational restructuring, change in business strategy towards Retail, MSME and Agriculture sectors, Human Relations and Information Technology transformation and building investors confidence saw the Bank being rated as one of the top banks in the Industry. The Bank bagged **India's Best Bank Award** for strength and soundness and continued to maintain its **No. 1 status in Capital Adequacy** amongst Nationalised Banks.

Financial highlights

Against this backdrop, I would like to present a snapshot of the Bank's performance in key parameters:

- Business grew by 1.20% to ₹3,14,654 crore for the year ended March 2017 with growth in Deposits by ₹4223 crore (2.37%) to ₹1,82,509 crore and Advances stood at ₹1,32,145 crore
- Operating profit of the Bank was at ₹4000.71 crore (increased by 31.95%), while Net Profit stood at ₹1405.68 crore (increased by 97.60%).
- Bank's strong capitalization provides cushion against asset side risks. With CRAR at 13.64% (within which Tier-I at 12.20%) under Basel III as at end March 2017, the Bank is consistently at the top in the industry in respect of these ratio. Bank was ranked first among Public Sector Banks under Capital adequacy and Core Capital (%) parameters on Financial Express Ranking of India's Best Banks 2016.
- Return on Assets at 0.67% continues to be the best among Nationalised Banks.
- Adequate resource profile with proportion of low-cost current account and savings account (CASA Domestic) deposits to total deposits at 37.65%, enable the bank to record a growth of 20.89% (y-o-y) to touch ₹66,677 crore.
- Savings Bank Deposits (Domestic) recorded a (y-o-y) growth of 23.39% to reach ₹57,262 crore.
- Market Capitalisation of the Bank improved from ₹4990 crore as on 31.03.2016 to ₹13,364 crore as on 31.03.2017. Shares of the Bank have been included for trading under Futures & Options section w.e.f. 31.03.2017.
- Achieving National goals set by Government of India was on top of the Bank's agenda and the norms stipulated were duly met i.e. Priority Sector Advances at ₹51,520 crore was 42.31% of the quarterly Adjusted Net Bank Credit (ANBC) and Agriculture lending which was at ₹24,292 crore was 19.95% of the quarterly average Adjusted Net Bank Credit (ANBC) for 2016-17.
- Bank has 73 specialised branches across the country exclusively catering to the Micro Small & Medium Enterprises (MSME) sector; the MSME portfolio increased by 13.46% to ₹23,863 crore from ₹21,031 crore.
- Gross NPAs to Gross Advances ratio and Net NPAs to Net Advances ratio stood at 7.47% and 4.39% respectively as on 31st March 2017. The total stressed book reduced from 11.46% as on 31.03.2016 to 10.74% as on 31.03.2017.
- Towards enhancing its pan-India network and to extend its reach to the under-banked and unbanked areas, 117 branches and 574 ATMs/BNAs were opened in the current year to touch 6037 delivery points, including 2679 Brick & Mortar branches and 3358 ATMs. This included 542 Bunch Note Acceptors enabled with cash recycling functionality.
- Bank has international presence in Singapore and Colombo & Jaffna in Sri Lanka.
- For specialized lending to SHGs, Bank has exclusive 40 Microsate branches. These branches have extended credit to the tune of ₹690.70 crore covering 28,895 SHGs during FY 2016-17 and the total outstanding advances as at end March 2017 stood at ₹772.88 crore covering 35,774 SHGs.

The achievement gains all the more credence as this position was achieved when the entire banking industry in general and PSBs in particular were saddled with rising NPAs and slow economy. Bank's ranking in key parameters viz., RoA, RoE, Net profit and Operating profit to business, cost income and Operating/Net profit consistently improved and Bank was continuously maintaining the lowest NPA among the PSBs.

Demonetisation of high value denomination notes:

November 8, 2016 would be etched in history as Hon'ble Prime Minister of India Shri. Narendra Modi made an historical announcement demonetising high denomination notes of ₹500 and ₹1000 as Legal Tender and declaring them as **"Specified Bank notes (SBNs)".**

The entire Indian Bank family rose in unison to support this national cause and strained every sinew to ensure smooth completion of the herculean task which the Government of India had assigned i.e. drawing in the Specified Bank Notes into the coffers of the Reserve Bank of India from every nook and corner of the society. Besides, recalibration of ATMs on a war footing to dispense cash, availability of cash in the Currency Chest and its distribution amongst branches across the country was ensured consistently by close contact with the local office of RBI.

Bank took some of the initiatives proactively, such as introduction of Queue management, coloured token system and making available sufficient number of cheque books and introducing Scan and Pay app for facilitating digital payment to merchants.

Social Responsiveness

Your Bank has undertaken various initiatives for the benefit of the society with the commitment to serve the people of India. Proud of its humanitarian services, the Bank achieved many accolades in recent past to touch many lives and bring in positive change. Few such notable initiatives during the current year are as follows:

- Pan India Blood/Organ Donation and Health and Eye Check-up Camps through the Branches/ Zones.
- **Clean India Movement:** Sponsorship for construction of individual toilets in Kulithalai Municipality, Tamil Nadu.
- **Women Empowerment:** Sponsorship for construction of class rooms and toilets for girl students of St. Teresa College, Ernakulam.
- **Inclusive Growth:** Support to Kakinada Corporation under smart city scheme as announced by Government of India.

Leveraging Technology

In this digital era where technology is transforming banking, your Bank has continued to invest in modernising its infrastructure with focus on delivering services through digital channels. Few such customer centric services are:

- **Customized design image card.**
- **Green PIN for Debit/Credit cards.**
- **Card to Card (C2C) Fund Transfer through ATM.**
- **Statement of account through e-mail.**
- **Online submission of digital life certificate.**
- **Registration of request for lockers online.**
- **Services through internet banking -** Upload of 15G/H, cheque image view, affixing digital signature for transactions, online submission of Form A 2, generation of interest certificate and registration for Atal Pension Yojana,
- **Services through mobile banking -** Facility to lock/unlock transaction facility, create standing instructions, view last 50 transactions, open/enquire/close term deposits, cheque book issue/stop payment and Scan and Pay for making payment to vendor and service provider.
- **Facilities through apps -** Digital challan (saves time/manual writing for customers besides cost for the Bank), scheduling appointment for availing Jewel loan, credit card statement view, payment of TNEB bill etc.

Green Initiatives

- **Go Green Drive -** Your Bank as a care taker of the environment has been carrying out many activities through Corporate Social Responsibility and Digital Banking services. More than 3,80,000 saplings pan India have been planted through Zonal offices/Branches of the Bank since 2015.
- **Green Initiative:** Tree plantation at Singanayakanahalli Lake Area, Bengaluru was supported by the Bank.
- Expanding the Solar power plant installation network in Bank's Buildings, wherever technically feasible to reduce the annual overall expenditure on energy consumption by about 4 to 5 per cent.
- Providing LED lighting at all the new branches.

Financial Inclusion initiatives

- Your Bank has been a forerunner in supporting the Government of India's National Mission for Financial Inclusion Pradhan Mantri Jan-Dhan Yojana (PMJDY). Bank's performance as under has been exemplary since its launch viz.,
  - 32.48 lakh BSBD accounts have been opened and RuPay cards issued to 32.06 lakh account holder with inflow of ₹467.80 crore in these accounts.
  - Aadhaar Enabled Payment System (AEPS) inter-operability facilities are enabled in all POS machines deployed in SSAs of the Bank. All Bank Mitrs are carrying out AEPS transactions and as on 31.03.2017, 154.15 lakh AEPS transactions (both financial and non-financial) have been performed by the Bank Mitrs. Customer of any Bank whose Aadhaar has seeded in his Bank account can transact with the Bank Mitr.

- As a step towards getting closer to the rural people, Bank has set up a Trust by name **"Indian Bank Trust for Rural Development" (IBTRD)** for undertaking various developmental activities. A total of 2,41,948 individuals have been provided financial counseling so far.

Awards and Accolades

Your Bank was bestowed with a number of coveted awards in FY 2016-17, notable among them being:

- India's **Best Bank Award** from Financial Express for Strength & Soundness at the hands of Hon'ble Finance Minister, Shri. Arun Jaitley.
- **Best Social Bank Award** (under Large Bank Category) and Runner-up Award (under Large Bank Category) in Government Schemes at ASSOCHAM 12th Annual Business Summit Cum Social Banking Excellence Awards 2016.
- **First prize for SHG linkage programme,** State Level Awards from NABARD for Best Performance in 2015-16.
- **3 NPCI (National Payments Corporation of India) Awards** under following categories in recognition of excellent performance in:
  - "RuPay", Winner.
  - "National Automated Clearing House (NACH)", Winner.
  - "Aadhar Enabled Payment Systems (AEPS)", Runner-up.
- **Six SKOCH Technology Innovation Awards** for Techno Products:
  - **'Scan and Pay'** in Mobile app.
  - **'Geo-tagging'** Mapping geographical co-ordinates of property and tagging it with the Bank's Core Banking Solution.
  - **'Digital challan'** – Feature available in app to minimize turnaround time by dispensing with physical challan.
  - **'Green PIN'** for Credit/Debit cards and Net/mobile banking customers.
  - **'Online credit card transaction view'** in app for customers
  - **'Online branch/ATM room cleanliness feedback'** with photo from user through app
- **ACI International Award** for Innovation in Retail Category using Base24 ATM switch
- **Master Card Award** for Best Acquirer Business - POS and Best Innovation - e Purse
- Bank has come within Top 10 Banks issuing Rupay Card

The path ahead:

The current financial Year 2017-18 is a transformative year for the economy. The economy is bouncing back from the post demonetisation effect; with yet another transformational policy i.e. Goods & Services Tax (GST). Cash intensive sectors which temporarily got hindered post demonetisation have already revived and this coupled with Capex decisions announced in the Union Budget, will see growth in domestic economy reaccelerate in FY 2018. On the other hand, inflation still remains an issue in the current fiscal as, the upside risks to the economy outweighs the downside risks. Core areas of development would surround real estate sector (which has been granted infrastructure status under the Budget), large scale infrastructure programmes i.e. Highways and sectors closely associated with these sectors are expected to revive in the current fiscal.

The Bank has in it the presence of well matured ingredients to perceive it as a **"Good Bank".** The excellent financial indicators of the Bank as reflected in market acceptance is a testimony for the same. As the Bank re-positions itself to cater to the changing needs of its consumers, the focus would be on attuning itself to provide consumer centric services across the Banking landscape and in this direction, going ahead, the objective of the Bank would be on the following key metrics in its quest for excellence

- **Business Parameters**
- **Operational Efficiency**
- **Asset Quality**
- **Alternate Channels / Digital banking**
- **Customer Service / Field level upkeep [including branch outlook]**

This vision would not turn into a reality without your continuous patronage, trust and encouragement in all of the Bank's endeavors.

With best wishes

Yours sincerely

KISHOR KHARAT

MD & CEO

इस पृष्ठ को जानबूझकर रिक्त रखा गया है।

This page is intentionally left blank

निदेशकों की रिपोर्ट 2016–17

सेवा में

सदस्यों को....

आपके निदेशकों को आपके बैंक के 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लेखा परीक्षित लेखों का विवरण और नकदी प्रवाह विवरण के साथ बैंक की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने में अत्यधिक हर्ष हो रहा है।

वित्तीय मुख्य बातें

वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान आपके बैंक के निष्पादन की मुख्य बातें निम्नानुसार हैं :

- बैंक का वैश्विक कारोबार वर्ष के दौरान 1.20 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए ₹ 3,14,654 करोड़ तक पहुंचा।
- कुल जमाओं में ₹ 4223 करोड़ यानि 2.37 प्रतिशत की वृद्धि से ये वित्तीय वर्ष 2016–17 में ₹ 1,82,509 करोड़ हो गईं।
- 31.03.2017 तक सकल अग्रिम ₹1,32,145 करोड़ रहा। समग्र ऋण जमा अनुपात 72.40 प्रतिशत रहा।
- दिनांक 31.03.2017 तक प्राथमिकता क्षेत्र के अग्रिम ₹ 54,976 रहा। वर्ष 2016–17 हेतु समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) के तिमाही औसत के प्रतिशतता के रूप में प्राथमिकता क्षेत्र, 40.00 प्रतिशत के अनिवार्य लक्ष्य के मुक़ाबले 42.31 प्रतिशत रहा।
- कृषि ऋण ₹ 24,820 करोड़ रहा तथा समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) के तिमाही औसत के प्रतिशतता के रूप में 18.00 प्रतिशत के अनिवार्य लक्ष्य के मुक़ाबले 19.95 प्रतिशत रहा।
- भारत सरकार द्वारा की गई प्राथमिकताओं के अनुसार 31 मार्च 2017 को अजा/अजजा को प्रदत्त बैंक अग्रिम ₹ 2244.86 करोड़ हो गए जोकि कुल प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिमों का 4.08 प्रतिशत रहे।
- वित्तीय वर्ष 2016–17 में निवल ब्याज मार्जिन 2.59 प्रतिशत रहा।
- परिचालनगत लाभ ₹ 4000.71 करोड़ तक बढ़ा जबकि वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए यह लाभ ₹ 3032.09 करोड़ था।
- वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए ₹ 711.38 करोड़ की तुलना में वित्तीय वर्ष 2016–17 का निवल लाभ ₹ 1405.68 करोड़ रहा।
- वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए 0.36 प्रतिशत की तुलना में वित्तीय वर्ष 2016–17 का औसत आस्तियों पर प्रतिलाभ 0.67 प्रतिशत था।
- 31, मार्च 2016 के 13.20 प्रतिशत की तुलना में 31, मार्च 2017 को पूंजी पर्याप्तता अनुपात (बेसल।।।) 13.64 प्रतिशत रहा।
- वित्तीय वर्ष 2015–16 में 5.46 प्रतिशत की तुलना में वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए नेटवर्थ पर प्रतिलाभ 9.97 प्रतिशत रहा।
- 31, मार्च 2016 को 6.66 प्रतिशत की तुलना में 31, मार्च 2017 को सकल एनपीए 7.47 रहा जबकि 31, मार्च 2016 के 4.20 प्रतिशत की तुलना में 31, मार्च 2017 को निवल एनपीए 4.39 प्रतिशत पर रहा।
- वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान एनपीए में कुल वसूली ₹ 846 करोड़ रही जबकि पिछले वर्ष के दौरान यह ₹ 901 करोड़ थी।
- दिनांक 31.03.2017 के दौरान प्रति शेयर अर्जन ₹ 29.27 रहा और प्रति शेयर बही मूल्य ₹ 301.10 रहा।
- भारत में बैंक का कुल देशी शाखा नेटवर्क 31.03.2016 को 2562 से 31.03.2017 को 2679 तक बढ़ गया। इसके अलावा बैंक की 3 ओवरसीज़ शाखाएं हैं, जो बैंक के कुल शाखा नेटवर्क को 2682 तक पहुंचाया है।
- एटीएमों की कुल संख्या 31.03.2016 को 2531 से 31.03.2017 को 2816 तक बढ़ गई। इनमें 716 ऑफसाइट एटीएम शामिल हैं और शेयर किए गए एटीएम नेटवर्क में ग्राहक, 2.10 लाख से अधिक एटीएम का प्रयोग कर सकते हैं।
- वर्ष के दौरान, बैंक ने 289 पुनर्चक्रण सुविधायुक्त कैश डिपासिट मशीन/ बंच नोट असेप्टर्स को लगाया है जिसमें मशीन नकदी प्राप्त कर सकता है तथा ग्राहकों को नकद उपलब्ध कर सकता है। बैंक ने वर्ष के दौरान विभिन्न स्थानों पर 122 ई–लाऊंज की स्थापना की है, जो बीएनए युक्त स्वचालित किओस्क है और जिसमें 24 x 7 सुरक्षित पास बुक प्रिंटिंग तथा चेक जमा आदि किया जा सकता है, ये मशीनें, हर दिन यहाँ तक कि छुट्टियों में भी काम करती हैं।

आय एवं व्यय

- वर्ष 2016–17 के दौरान बैंक की कुल आय 1.25 प्रतिशत बढ़कर ₹ 18,251.12 करोड़ हो गई, जिसमें ब्याज आय ₹ 16,039.75 करोड़ रही और अन्य आय ₹ 2211.37 करोड़।
- वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक का कुल व्यय ₹ 14.250.41 करोड़ रहा, जोकि ₹ 742.70 करोड़ (4.95 प्रतिशत) की कमी दर्शाता है।
- वित्तीय वर्ष 2015–16 में ₹ 3,195.51 करोड़ की तुलना मे वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए कुल परिचालनागत व्यय ₹ 3,356.73 करोड़ रहा।

2016–17 के लिए महत्वपूर्ण अनुपात निम्नानुसार हैं:–

(प्रतिशत में)

मापदंड	2016-17	2015-16
अग्रिमों पर प्रतिलाभ	9.17	9.63
जमाओं की लागत	6.03	6.76
आस्तियों पर प्रतिलाभ	0.67	0.36
लागत–आय अनुपात	45.62	51.31
प्रति कर्मचारी कारोबार (₹लाखों में)	1487.73	1531.19
प्रति कर्मचारी लाभ (₹लाखों में)	6.72	3.53

लाभांश

- निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए 60 प्रतिशत के लाभांश की अनुशंसा की है। बैंक द्वारा वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए अदा किया जानेवाला लाभांश, कर की कटौती के अध्यधीन होगा। वित्तीय वर्ष 2016–17 के लाभांश के कारण कुल बहिर्प्रवाह लाभांश कर के अतिरिक्त ₹ 288.17 करोड़ रुपये है। पे–आउट अनुपात 20.50 प्रतिशत बनता है।

DIRECTORS' REPORT 2016-17

To

The Members,

Your Directors have immense pleasure in presenting the Banks Annual Report along with the Audited Statement of Accounts and the Cash Flow statement for the year ended 31st March 2017.

FINANCIAL HIGHLIGHTS

The major highlights of your Bank's performance during FY 2016-17 are as follows:

- Global Business of the Bank reached ₹3,14,654 crore during the year, registering a growth of 1.20 %.
- Total Deposits grew by ₹4223 crore (2.37%) for the financial year 2016-17 to ₹1,82,509 crore.
- Gross Advances stood at ₹1,32,145 crore as on 31.03.2017. Overall Credit-Deposit ratio was at 72.40 %.
- Priority Sector Advances was at ₹54,976 crore as on 31.03.2017. Priority sector as a percentage to quarterly average Adjusted Net Bank Credit (ANBC) for 2016-17 stood at 42.31% as against the mandatory target of 40.00%.
- Agriculture Credit was at ₹24,820 crore and the percentage to quarterly average ANBC stood at 19.95% as against the mandatory target of 18.00%.
- In accordance with the priorities accorded by the Government of India, the Banks Advances to SC/STs reached ₹2244.86 crore as of March 31, 2017, constituting 4.08% of total Priority Sector Advances.
- Net Interest Margin was at 2.59% for FY 2016-17.
- Operating Profit increased to ₹4000.71 crore as against ₹3032.09 crore for FY 2015-16.
- Net Profit for FY 2016-17 was at ₹1405.68 crore as compared to ₹711.38 crore for 2015-16.
- Return on Average Assets was at 0.67% for FY 2016-17 as against 0.36% for FY 2015-16.
- Capital Adequacy Ratio (Basel III) was at 13.64% as at March 31, 2017 as compared to 13.20% as at March 31, 2016.
- Return on Net worth for FY 2016-17 was at 9.97%, as compared to 5.46% in FY 2015-16.
- Gross NPA was at 7.47% as on March 31, 2017 as against 6.66% as on March 31, 2016 while Net NPA was at 4.39 % as on March 31, 2017 as against 4.20% as on March 31, 2016.
- Total recovery of NPAs during FY 2016-17 amounted to ₹ 846 crore as against ₹901 crore in the previous year.
- Earnings per share were at ₹29.27 and Book value was at ₹301.10 as on 31.03.2017.
- Total domestic branch network of the Bank in India increased to 2679 as on 31.03.2017 from 2562 as on 31.03.2016. Besides, the Bank has 3 overseas branches, taking the total branch network to 2682.
- Total number of ATMs increased to 2816 as on 31.03.2017 from 2531 as on 31.03.2016, which includes 716 offsite ATMs and customers can access more than 2.1 lakh ATMs in the (NFS) shared network.
- During the year, Bank deployed 289 Cash Deposit Machines/Bunch Note Acceptors with recycling functionality, wherein the machines can receive and dispense cash to the customers. Bank installed 122 e-lounges at various locations, which are unmanned kiosks with BNAs, secured pass book printers and cheque deposit machines with 24 x 7 operations on all days including holidays.

INCOME AND EXPENDITURE

- During the year 2016-17 total income of the Bank increased by 1.25% to ₹18,251.12 crore, with Interest Income at ₹16,039.75 crore and other Income at ₹2211.37 crore.
- The Bank s total expenditure decreased by ₹742.70 crore (-4.95%) to ₹14,250.41 crore during FY 2016-17.
- Total operating expenses was at ₹3,356.73 crore for FY 2016-17 as compared to ₹3,195.51 crore in FY 2015-16.

IMPORTANT RATIOS FOR THE PERIOD OF 2016-17 ARE AS UNDER:

(in %)

Parameters	2016-17	2015-16
Yield on Advances	9.17	9.63
Cost of Deposits	6.03	6.76
Return on Assets	0.67	0.36
Cost Income ratio	45.62	51.31
Business per employee (₹ in lakh)	1487.73	1531.19
Profit per employee (₹ in lakh)	6.72	3.53

DIVIDEND

- The Board of Directors have recommended a dividend of 60% for FY 2016-17. The dividend shall be subject to tax on dividend to be paid by the Bank. The total outflow on account of dividend for FY 2016-17 is ₹288.17 crore, excluding dividend tax. The payout ratio works out to 20.50%.

निवल मालियत एवं सीआरएआर

- बैंक की निवल मालियत 31.03.2016 को ₹ 13,478.35 करोड़ से बढ़कर 31.03.2017 को ₹ 14,461.59 करोड़ हो गई, इसमें 7.29 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।

- बेसल ।।। के मानदंडों के अनुसार, मार्च 2016 को 13.20 प्रतिशत की तुलना में मार्च 2017 को पूँजी की तुलना में जोखिम समायोजित आस्तियों का अनुपात (सीआरएआर) 13.64 प्रतिशत है जबकि इसकी आवश्यकता 10.25 प्रतिशत है। सीईटी का अनुपात मार्च 2016 को 11.68 प्रतिशत की तुलना में मार्च 2017 को 11.82 प्रतिशत रहा जबकि इसकी न्यूनतम आवश्यकता 6.75 प्रतिशत है। टियर। पूँजी का सीआरएआर मार्च 2016 को 12.08 की तुलना में मार्च 2017 का 12.20 प्रतिशत रहा जबकि इसकी न्यूनतम आवश्यकता 8.25 प्रतिशत है।

(प्रतिशत में)

बेसल ।।।	निम्न तारीख को	
	मार्च 2017	मार्च 2016
सीईटी – ।	11.82	11.68
टियर । – पूँजी	12.20	12.08
टियर ।। – पूँजी	1.44	1.12
कुल	13.64	13.20

भर्ती / प्रशिक्षण

सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार, सीधी भर्ती और आंतरिक पदोन्नति की प्रक्रिया के दौरान, अजा /अजजा कर्मचारियों को भर्ती पूर्व और पदोन्नति पूर्व प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

वर्ष के दौरान बोर्ड में परिवर्तन :

- श्री पद्मनाभन विट्ठल दास को 25 अप्रैल, 2016 के प्रभाव से बैंक के बोर्ड में अंश कालिक गैर–सरकारी निदेशक के रूप में तीन वर्ष की अवधि के लिए भारत सरकार द्वारा नामित किया गया।
- श्री पी वेंकट कृष्ण राव, मई 28, 2016 तक कार्यकारी कर्मचारी निदेशक रहे।
- श्री विजय कुमार गोयल को 26 जुलाई, 2016 से बैंक का लेखा परीक्षक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।
- श्री आर सुब्रमणियकुमार 29 सितंबर 2016 तक कार्यपालक निदेशक रहे।
- श्री बी पी विजयेन्द्र, जो भारतीय रिजर्व बैंक के नामिती निदेशक की सेवा से 31 अक्तूबर 2016 को कार्यमुक्त हुए, उनके स्थान पर श्री जे के दाश को 16 नवंबर, 2016 के प्रभाव से बोड में भारिबैंक नामिति के रूप में नियुक्त किया गया।
- समीक्षा अवधि के दौरान, श्री एम के भट्टाचार्य ने कार्यपालक निदेशक के रूप में 16 फरवरी, 2017 को पद ग्रहण किया।
- श्री दीपक डी सामंत, 10.03.2017 तक अधिकारी कर्मचारी निदेशक रहे।

निदेशकों की जिम्मेदारी का कथन

निदेशक संपुष्ट करते हैं कि मार्च 31, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक लेखा तैयार करते समय :

- महत्वपूर्ण विचलन, यदि हों, के संबंध में उचित स्पष्टीकरण सहित प्रयोज्य लेखा मानकों का पालन किया गया है।
- भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशानुसार गठित लेखांकन नीतियों को लगातार लागू किया गया।
- वित्तीय वर्ष के अंत तक बैंक के कार्यकलाप व स्थिति पर सही एवं न्यायोचित दृष्टि तथा 31 मार्च, 2017 तक बैंक के लाभ का सही चित्र देने के लिए उचित एवं विवेकपूर्ण निर्णय एवं आकलन किए गए।
- भारत में बैंकों को अधिशासित करनेवाले प्रयोज्य कानूनों के प्रावधानों के अनुरूप पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्डों को बनाए रखने के लिए उचित और पर्याप्त सावधानी बरती गई। और
- लेखों को लाभकारी कारोबार वाली संस्था के आधार पर तैयार किया गया है।

आभारोक्ति

बोर्ड, भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक और भारतीय प्रतिभूति व विनिमय बोर्ड का उनके मूल्यवान मार्गदर्शन और सहायता के लिए आभार व्यक्त करता है। बोर्ड वित्तीय संस्थानों और संपर्की बैंकों को भी उनके सहयोग व समर्थन के लिए धन्यवाद देता है। बोर्ड अपने ग्राहकों व शेयरधारकों से मिले अनवरत समर्थन के प्रति आभार व्यक्त करता है।

बोर्ड, श्री आर सुब्रमणिय कुमार, श्री बी पी विजयेन्द्र, श्री पी वेंकट कृष्ण राव और श्री दीपक डी सामंत द्वारा दिये गये मूल्यवान योगदान के लिए अपनी सराहना व्यक्त करता है, ये इस वर्ष के दौरान सदस्य नहीं रहे।

बोर्ड, श्री महेश कुमार जैन, प्रनि एवं मुकाअ, जिन्होंने 03.04.2017 को कार्यालय छोडा, द्वारा दिये गये मूल्यवान योगदान के लिए अपनी सराहना व्यक्त करता है।

बैंक के समग्र निष्पादन के लिए स्टाफ सदस्यों द्वारा प्रदत्त निष्ठावान सेवाएं तथा योगदान के प्रति बैंक अपनी सराहना व्यक्त करता है।

निदेशक मंडल के लिए व उनकी ओर से

किशोर खरात
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

NETWORTH AND CRAR

- Networth of the Bank improved to ₹14,461.59 crore as on 31.03.2017 from ₹13,478.35 crore as on 31.03.2016, registering a growth of 7.29%.
- As per Basel III norms, the Capital to Risk weighted Assets Ratio (CRAR) was at 13.64% as on March 2017, compared to 13.20% as of March 2016, against the requirement of 10.25%. The CET- I ratio was 11.82% as of March 2017 as compared to 11.68% as of March 2016 and against the minimum requirement of 6.75%. The CRAR of Tier I capital was 12.20% as of March 2017 as against 12.08% as of March 2016 and as against the minimum requirement of 8.25%.

(in %)

BASEL III	As on	
	March 2017	March 2016
CET- I	11.82	11.68
Tier- I Capital	12.20	12.08
Tier-II Capital	1.44	1.12
Total	13.64	13.20

RECRUITMENT /TRAINING

As per Government guidelines, pre-recruitment and pre-promotion trainings were offered to SC/ST employees during the process of direct recruitment and internal promotions.

CHANGES IN THE BOARD DURING THE YEAR

- Shri Padmanaban Vittal Dass was nominated as a Part Time Non-Official Director on the Board of the Bank by Government of India for a period of three years with effect from April 25, 2016.
- Shri P Venkata Krishna Rao was Workmen Employee Director upto May 28, 2016.
- Shri Vijay Kumar Goel was appointed as Chartered Accountant Director of the Bank from July 26, 2016.
- Shri. R Subramania Kumar was Executive Director upto September 29, 2016.
- Shri J K Dash was appointed as RBI nominee to the Board on November 16, 2016 in place of Shri B P Vijayendra who ceased to be RBI Nominee Director from October 31, 2016.
- During the period under review, Shri. M K Bhattacharya assumed charge as Executive Director on February 16, 2017.
- Shri Deepak D Samant was Officer Employee Director upto March 10, 2017.

DIRECTORS RESPONSIBILITY STATEMENT

The Directors confirm that in the preparation of the annual accounts for the year ended March 31, 2017:

- The applicable accounting standards have been followed along with proper explanation relating to material departures, if any;
- The accounting policies framed in accordance with the guidelines of the Reserve Bank of India, were consistently applied;
- Reasonable and prudent judgment and estimates were made so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Bank at the end of the financial year and of the profit of the Bank for the year ended March 31, 2017.
- Proper and sufficient care were taken for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of applicable laws governing banks in India; and
- The accounts have been prepared on a going concern basis.

ACKNOWLEDGEMENT

The Board expresses its deep sense of gratitude to the Government of India, Reserve Bank of India and Securities & Exchange Board of India for the valuable guidance and support received from them. The Board also thanks the financial institutions and correspondent banks for their co-operation and support. The Board acknowledges the unstinted support of its customers and shareholders.

The Board places on record its appreciation for the valuable contribution made by Shri R Subramania Kumar, Shri B P Vijayendra, Shri P Venkata Krishna Rao and Shri Deepak D Samant who ceased to be members during the year.

The Board also places on record its appreciation for the valuable contribution made by Shri Mahesh Kumar Jain, MD & CEO who demitted office on April 03, 2017.

The Board places on record its appreciation for the dedicated services and contribution made by members of staff for the overall performance of the Bank.

For and on behalf of Board of Directors

KISHOR KHARAT
Managing Director & CEO

वित्तीय वर्ष 2016–2017 के लिए पुरस्कार एवं प्रशस्तियां

- बैंक ने माननीय वित्त मंत्री, श्री से अरुण जेटली के कर कमलों से शक्ति और सुदृढ़ता के लिए फायनेंशियल एक्सप्रेस से भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक पुरस्कार प्राप्त किया।

- बैंक को एसोचेम की 12 वीं वार्षिक व्यापार सम्मेलन–सह–सोशल बैंकिंग उत्कृष्टता पुरस्कार 2016 में माननीय वित्त राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा सर्वश्रेष्ठ सामाजिक बैंक पुरस्कार (बड़े बैंक श्रेणी के अंतर्गत) और सरकारी योजनाओं में उप–विजेता पुरस्कार (बड़े बैंक श्रेणी के अंतर्गत) प्राप्त हुए।

- बैंक ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम के चैंबर, नई दिल्ली द्वारा 2 एमएसएमई बैंकिंग उत्कृष्टता 2016 अवार्ड जीतेः

  - ❖ सर्वश्रेष्ठ एमएसएमई बैंक पुरस्कार (मध्य आकार की श्रेणी)
  - ❖ वित्तीय समावेशी बैंक पुरस्कार (मध्य आकार की श्रेणी)

- नाबार्ड से एसएचजी लिंकेज कार्यक्रम हेतु राज्य स्तर से वर्ष 2015–16 के दौरान सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए प्रथम पुरस्कार प्रदान किया।

- बैंक ने निम्नलिखित श्रेणियों के अंतर्गत एनपीसीआई (भारत के राष्ट्रीय भुगतान निगम) से 3 पुरस्कार प्राप्त किया

  - ❖ ''रुपे" में उत्कृष्ट निष्पादन के लिए – विजेता पुरस्कार
  - ❖ ''राष्ट्रीय आटोमेटेड क्लियरिंग हाउस (एनएएसीएच)'' में उत्कृष्ट निष्पादन के लिए – विजेता पुरस्कार
  - ❖ ''आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (एईपीएस)'' में उत्कृष्ट निष्पादन के लिए – उप–विजेता पुरस्कार

- बैंक को पीएफआरडीए द्वारा सम्मानित किया गया तथा एलडरली–एनपीएस अभियान हेतु अंतरराष्ट्रीय दिवस पर सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों के बीच "तृतीय स्थान" प्राप्त हुआ।

- बैंक को एपीवाई नामांकन हेतु सर्वश्रेष्ठ निष्पादन पुरस्कार प्राप्त हुआ।

- बैंक ने टेक्नो प्रॉडक्ट्स के लिए छह स्कॉच टेक्नोलॉजी इन्नोवेशन अवार्ड प्राप्त किएः

  - ❖ मोबाइल ऐप में 'स्कैन एंड पे',
  - ❖ संपत्ति का मैपिंग भौगोलिक समन्वयन से 'जिओ –टैगिंग' एवं उसे बैंक के कोर बैंकिंग समाधान के साथ टैगिंग करने हेतु
  - ❖ डिजिटल चालान' – फिजिकल चालान को हटाने की दृष्टि से भुगतान में लगनेवाले समय को कम करने के लिए विशेषताएँ ऐप में उपलब्ध है।
  - ❖ क्रेडिट / डेबिट कार्ड तथा नेट / मोबाइल बैंकिंग ग्राहकों हेतु 'ग्रीन पिन'
  - ❖ ग्राहकों हेतु ऐप में 'ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड लेनदेन व्यू'
  - ❖ ऐप के माध्यम से यूजर से फोटो के साथ 'ऑनलाइन ब्रांच / एटीएम रूम क्लीनलिनेस फीडबैक'

- बेस 24 एटीएम स्विच का उपयोग कर खुदरा श्रेणी में नवान्मेष के लिए एसीआई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार

- बैंक ने सर्वश्रेष्ठ व्यापार अर्जन के लिए मास्टर कार्ड पुरस्कार – पीओएस और सर्वश्रेष्ठ नवोन्मेष– ई पर्स पुरस्कार प्राप्त किया।

- रुपे कार्ड जारी करने में बैंक का स्थान शीर्ष दस बैंकों में रहा।

AWARDS AND ACCOLADES FOR FINANCIAL YEAR 2016-17

- Bank won India s Best Bank Award from Financial Express for Strength & Soundness from Honble Finance Minister, Shri. Arun Jaitley.
- Bank won Best Social Bank Award (under Large Bank Category) and Runner-up Award (under Large Bank Category) in Government Schemes at ASSOCHAM 12th Annual Business Summit-cum-Social Banking Excellence Awards 2016 from Shri Arjun Ram Meghwal, Honble Minister of State for Finance.
- Bank won 2 MSME Banking Excellence Awards 2016 instituted by Chamber of Indian Micro, Small, Medium Enterprises, New Delhi:
  - Best MSME Bank Award (Mid - sized category)
  - Financially Inclusive Bank Award (Mid-sized category)
- NABARD awarded first prize for SHG linkage programme, State Level Awards for Best Performance in 2015-16.
- Bank bagged 3 NPCI (National Payments Corporation of India) Awards under following categories:
  - "In recognition of excellent performance in RuPay" - Winner.
  - "In recognition of excellent performance in National Automated Clearing House (NACH)" - Winner.
  - "In recognition of excellent performance in Aadhar Enabled Payment Systems (AEPS)" - Runner-up.
- Bank was honored by PFRDA by awarding "Third Rank" among Public Sector Banks on International Day for Elderly - NPS campaign.
- Bank won Best Performing Award for APY enrolment.
- Bank bagged six SKOCH Technology Innovation Awards for Techno Products:
  - Scan and Pay in Mobile app.
  - Geo -tagging Mapping geographical co -ordinates of property and tagging it with the Banks Core Banking Solution.
  - Digital challan Feature available in app to minimize turnaround time by dispensing with physical challan.
  - Green Pin for Credit/Debit cards and Net/mobile banking customers.
  - Online credit card transaction view in app for customers
  - Online branch/ATM room cleanliness feedback with photo from user through app
- ACI International award for Innovation in Retail Category using Base24 ATM switch
- Bank bagged Master Card award for Best Acquirer Business PoS and Best Innovation- e Purse
- Bank has come within Top 10 Banks issuing Rupay Card

विमुद्रीकरण के दौरान बैंक द्वारा उठाये गये कदम

उच्च मूल्य के वर्ग नोटों का विमुद्रीकरण – एक राष्ट्रीय उद्देश्य को सहयोग देना

''प्रारंभ में परिवर्तन बहुत कठिन है, बीच में अस्तव्यस्त और अन्त में शानदार है''

रात में सृजित इतिहास

- नवंबर 8, 2016 को भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है क्योंकि इसी दिन भारत ने भ्रष्टाचार, काला धन, जाली मुद्रा और आतंकवाद के वित्तीयन के घोर शत्रुओं की मिलीभगत से लडने के लिए धैर्य और धीरज के साथ दृढ कदम उठाए, जोकि उच्च मूल्यवर्ग के नोटों को विधिमान्य मुद्रा के स्थान से विमुद्रीकृत करने के माध्यम से हुआ। इसी दिन भारत के माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदीजी ने घोषणा की कि ₹ 500 और ₹ 1000 के उच्च मूल्यवर्ग के नोटों के विधिमान्य मुद्रा का स्वरूप हटा दिया गया है तथा उन्हें **''विनिर्दिष्ट बैंक नोट (एसबीएन)''** के रूप में घोषित किया गया।

कार्य योजना तैयार करना :

- नवंबर 8, 2016 को माननीय प्रधान मंत्री द्वारा विमुद्रीकरण की घोषणा करते ही हमारे उच्च प्रबंधन ने प्रनि एवं मुकाअ तथा कार्यपालक निदेशक के नेतृत्व में कॉर्पोरेट कार्यालय में एक केन्द्रीय मानीटरिंग टीम का गठन किया जिसमें उच्च कार्यपालक रहे तथा उनको निकट निगरानी तथा अनुवर्तन के लिए 4–5 अंचल आबंटित किए गए थे। भारत सरकार द्वारा हमें सुपुर्द किये गये इस अत्यंत कठिन कार्य, यथा, समाज के प्रत्येक कोने से विनिर्दिष्ट बैंक नोटों को प्राप्त करना और उन्हें भारतीय रिजर्व बैंक के खजानों में पहुँचाना, का पर्यवेक्षण करने और उसकी पूर्ति सुनिश्चित करने के लिए महा प्रबंधक (पी एण्ड डी / सीसीडी) को नोडल अधिकारी के रूप में नामित किया गया।
- केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्यों का समन्वयन कर निष्पादित करने के लिए केन्द्रीय मानीटरिंग टीम ने उसे अत्यन्त प्राथमिकता प्रदान करते हुए एक कार्य योजना बनाई, जिसमें ग्राहकों के विचार और अपेक्षाओं, भीड प्रबंधन, सुरक्षा की व्यवस्थाएं, सरकार एवं भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों को अनुपालन, सीबीएस सिस्टम और एटीएम में नियंत्रण स्थापित करना, एटीएम मशीनों का रीकैलिब्रेशन, क्षेत्र स्तरीय कार्यकर्ताओं को अनुदेश देना, केवाईसी / एएमएल दिशानिर्देशों के आधार पर लेनदेनों को मानीटर करना, नकदी प्रबंधन / नकदी की आवाजाही (एसबीएन और जारी करने योग्य मुद्रा, दोनों) और एसबीएन के विनिमय के संचालन में अंतर्निहित नियंत्रण प्रक्रिया के साथ साफ्टवेयर सिस्टम स्थापित करना, रिपोर्टिंग की अपेक्षाएं आदि में की प्रत्याशा करना तथा चुनौतियों का सामना करना शामिल हैं।
- प्रनि एवं मुकाअ ने सभी स्टाफ सदस्यों से अनुरोध किया कि वे इस योजना के कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार के महान उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए अत्यधिक निष्ठा एवं प्रतिबद्धता के साथ काम करें और जहाँ भी आवश्यक हो, कार्यसमय के बाद भी बैंकिंग सेवाएं प्रदान करें और सुनिश्चित करें कि ग्राहक से कोई शिकायतें नहीं होती हैं।

भविष्य की तैयारी में :

- आनेवाले दिनों की तैयारी में स्विच के स्तर पर सभी एटीएम तथा बीएनए के परिचालनों को कट आफ टाइम, अर्थात 10.11.2016 को रात के 11.30 बजे निलंबित किया गया। एटीएम तथा बीएनए बैंक स्टाफ किए गए एसबीएन सीएपीइएक्स तथा ओपीइएक्स में (स्पेसीफाइड बैंक नोटों) को पूरी तरह से निकाला गया। स्पेसीफाइड नोटों को अंतिम तारीख, अर्थात 30 दिसम्बर 2016 तक स्वीकार करने हेतु सभी बीएनए को कॉनफिगर करने के लिए द्रुत गति से सभी इन्तजाम किए गए। शाखा के सभी कर्मचारियों ने दिन–रात काम करके एटीएम एवं अन्य नोट डिस्पेन्स करनेवाली मशीनों के प्राप्य एवं भुगतान राशि का उचित मेल–मिलाप किया।सुरक्षा विभाग के अधिकारियों ने नकद को लाने–ले जाने के दौरान उत्पन्न होनेवाले जोखिम का आँकलन किया तथा बैंक की संपत्ति एवं वैयक्तिक आस्तियों को सुरक्षा प्रदान की। सरकार के दिशा–निर्देशों के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया का पालन किया।
- केन्द्रीय मॉनिटरिंग दल ने दैनिक तौर पर इस बारे में बैठकें आयोजित की ताकि इस संबंध में अद्यतन जानकारी प्राप्त की जा सके, इस दौरान रणनीतियाँ तैयार की गई तथा फील्ड स्तर पर आवश्यक सूचनाओं का आदान–प्रदान किया गया और उनका हौसला बढाया गया जबकि सारा देश एक ऐतिहासिक घटना का हिस्सा बन रहा था। प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा इन परिस्थितियों की प्रत्येक 2 घंटे दौरान सुबह से देर रात तक पुनरीक्षा की गई जिसके अधीन निम्नलिखित पहलुओं पर ध्यान दिया गया:–
  - ❖ शाखाओं में नकद की उपलब्धता एवं नकद की आवश्यकता
  - ❖ सीएपीइक्स / ओपीइएक्स एटीएम का कैलीबरेशन तथा नए नोटों की उपलब्धता
  - ❖ विभिन्न राज्यों, केन्द्रों, क्षेत्रों में की गई कुल जमाराशियों, निकासियों तथा नोटों की अदला–बदली से संबंधित विवरण

MEASURES TAKEN BY THE BANK DURING DEMONETISATION

Demonetisation of high value Rupee Notes Supporting a National cause.

'Change is hard at first, messy in the middle and gorgeous at the end'

History is made at night

- November 8, 2016 would be etched in history as India took a significant leap of faith and courage to fight the unholy matrimony of corruption, black money, counterfeit currency and terror financing by demonetising high denomination notes as legal tender. Historical announcement on this day was made by Honourable Prime Minister of India Shri Narendra Modi on withdrawal of legal tender character of high denomination bank notes of ₹500 and ₹1000 - declaring them as "Specified Bank Notes" (SBNs)

Preparing the Action plan:

- Within minutes of declaration of Demonetization by the Prime Minister on 8th November 2016, the Top Management under the leadership of MD&CEO and Executive Director formed a Central Monitoring Team at Corporate Office comprising the Top Executives who were allotted 4 - 5 Zones for close monitoring and follow-up. General Manager (P&D/CCD) was nominated as the Nodal Officer for overseeing the situation and ensuring smooth completion of the herculean task which the Government of India had assigned i.e. drawing in the Specified Bank Notes into the coffers of the Reserve Bank of India from every nook and corner of the society.
- The Central Monitoring Team chalked out the plan of action to co-ordinate and execute the objectives set by the Central Government with utmost priority which included anticipating and meeting challenges in customers sentiments and expectations, crowd management, security arrangements, adherence to Government / RBI guidelines, building controls in CBS systems and ATMs, recalibration of ATMs, disseminating instructions to the field level functionaries, monitoring of transactions based on KYC/AML guidelines, cash management/movement of cash (Both SBN and Issuable Currencies) and putting in place necessary software system with inbuilt controls for handling exchange of SBNs, reporting requirements etc.
- MD & CEO made an appeal to all staff members to work with utmost commitment and sincerity in implementation of the scheme and wherever needed, provide banking services beyond the working hours and ensure that there is no customer complaint, looking into the larger objective of the Government of India.

In readiness for the days ahead:

- Operations at all ATMs and BNAs were suspended at Switch level at cut off time i.e. 11.30 pm till cut off time of 10.11.2016. The SBNs stocked in ATMs/BNAs, in both CAPEX and OPEX were drained out. Immediate arrangements were made to configure all the BNAs to accept Specified Bank Notes till the timeline prescribed i.e. upto December 30, 2016. The entire staff at branches burned their midnight oil to set right their Book of records and ensure proper tallying of cash from ATMs and other cash dispensers, pending receipts and payment transactions. Officials of the Security Department assessed the Pros and Cons of securing the Cash, protecting the Bank's assets including Personnel and Property. Standard Operating Procedure towards was drafted and finalized for ensuring successful implementation of Government Guidelines.
- The Central Monitoring Team met on a daily basis thereafter for sharing updates, evolving strategies, disseminating information to the field level functionaries and keeping their morale high as the historic event unfolded across the country. The situation was personally reviewed by MD & CEO on a two hourly basis from morning till late in the evening, covering the following aspects:
  - Position of cash at the branches vis-a-vis requirement.
  - Calibration of CAPEX/OPEX ATMs and availability of new notes.
  - Total number of deposit, withdrawal and exchange transactions carried out with amount in different Centres, Regions, States etc.

❖ करेन्सी चेस्ट में नकद की उपलब्धता तथा शाखाओं के बीच नकदी का विवरण

❖ उन ग्रामीण / अर्धशहरी केन्द्रों में उपलब्ध नकद राशि का विवरण जहाँ डिजिटेल चैनेल अभी तक ठीक से उपयोग में नहीं लाए जा रहे हैं।

केन्द्रीय मॉनिटरिंग कक्ष ने नोटबंदी से संबंधित सभी मामलों के संबंध में अंचल कार्यालयों, शाखाओं एवं करेन्सी चेस्टों के साथ लगातार संपर्क बनाए रखते हुए दैनिक तौर पर नोटबंदी के कार्यान्वयन के प्रगति का जायजा लिया ।

10 नवंबर 2016: बडे मूल्यवर्ग की नोटबंदी के बाद बैंकिंग लेन–देन का पहला दिन – चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना करना

- **सभी शाखाएँ ग्राहकों से विनिर्दिष्ट बैंक नोट स्वीकार करने के लिए तैयार थी! शाखाओं में भारी मात्रा में आनेवाले विभिन्न वर्ग के ग्राहकों/जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए निम्नलिखित इन्तजाम किए गए थे –**

- शाखाओं में ग्राहकेतर लोगों के एसबीएन बदलने के लिए अलग से काउंटर खोले गए थे।

- ग्राहकों को मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए "क्या मैं आपकी सहायता करूँ ?" काउंटर लगाए गए।

- भीड को नियंत्रित करने, असामाजिक तत्वों को शाखाओं में प्रवेश करने से रोकने के लिए तथा बैंक की आस्तियों एवं कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राज्य पुलीस की सेवाएँ प्राप्त की गई।

- गर्भधारी महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों एवं दिव्यांग लोगों को बैठने की व्यवस्था की गई एवं सभी ग्राहकों को पीने के लिए पानी आदि की व्यवस्था की गई।

- लंबीकतार में खडे लोगों को धूप से बचाने के लिए शामियाने लगाए गए।

- पुराने नोट बदलने/जमा करने के लिए शाखा में कतार बनाए रखने के लिए ग्राहकों हेतु क्यू मेनेजमेन्ट का इन्तजाम किया गया ।

- दिनांक 10.11.16 से रंगीन पेपर टोकनों का उपयोग कर यह सुनिश्चित किया गया कि ग्राहकों को कतार में खडा रहकर अपना समय बर्बाद न करना पडे तथा उन्हें सही काउंटरों के जरिए सेवाएँ प्रदान की जा सके।

- कार्पोरेट कार्यालय में डेडिकेटेट टेलीफोन नंबर एवं विशेष दल गठित किए गए जो शाखाओं से सिस्टम से संबंधित संदेहों का जवाब एवं ग्राहकों की समस्याओं का समाधान किया जिसके कारण शाखाओं में लेन–देन बिना किसी समस्या के पूर्ण किया जा सके।

- सीसीटीवी का उपयोग करके 8 नवंबर से 31 दिसंबर 2016 तक शाखाओं एवं करेन्सी चेस्ट के सीसीटीवी के दृश्यों को संरक्षित किया गया।

- सभी शाखाओं के कर्मचारियों ने ग्राहकों एवं शाखा में आनेवाले जन–साधारण को बिना रुकावट के सेवाएँ प्रदान की। बैंक के पूर्व कर्मचारियों एवं बैंक के पूर्व अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा पूर्व कार्यपालकगण तहे दिल से जनसाधारण/ग्राहकों को विभिन्न चालान भरने एवं इस योजना के बारे में समझाने में अपनी भूमिका अदा की और भीड को नियंत्रित करने में अपना योगदान दिया। अंचल कार्यालयों एवं कॉर्पोरेट कार्यालय द्वारा सभी सहायताएँ प्रदान की गई तथा विशेष टीम दलों को विभिन्न संवेदनशील शाखाओं में प्रतिनियुक्त किया गया ताकि वे वहाँ ग्राहकों की विशेष आवश्यकताओं को समझ सके एवं वहाँ आवश्यक कार्रवाई कर सकें।

- ❖ The position of availability of cash in the Currency Chest and its distribution amongst branches.
- ❖ Availability of cash in the Rural/Semi urban centres where use of digital channels were yet to pick up.

The Central Monitoring Cell closely coordinated with the Zones, Branches, Currency Chests on all matters relating to demonetization and studied the daily progress on implementation of demonetization.

10th November 2016 - First banking transaction day after demonetization of high denomination notes Rising up to the challenge.

- All branches were in readiness for receipt of SBNs from Customers. Besides, the following arrangements were made at each branch to meet the heavy turnover of general public/customers from all segments
- Separate counter for exchange of SBNs from non customers was setup.
- "May I help you" counter was put up to guide the customers.
- The State Police were deployed in branches to regulate the crowd, avoid entry of anti social elements and ensure safety of the staff and the Banks assets
- Seating arrangements were made for the differently-abled, pregnant women and senior citizen customers and drinking water facilities were provided to all customers.
- Shamianas were erected for accommodating serpentine queues which spilled out of the branch premises.

- Queue management system was put in place to ensure disciplined lining up of customers for exchanging/depositing cash.
- Coloured paper token system was initiated by the Bank from 10.11.2016 itself to ensure that customers do not waste their time by standing in the queue and were guided to the exact counter without wastage of time.
- Dedicated telephone numbers and special team was set up at Corporate Office to attend to the clarifications received from branches on system related issues and queries of the customers which helped in successful completion of transactions at branches.
- Serviceability of CCTVs in Branches and Currency chests was ensured for preservation of CCTV footages from 8th November to 31st December 2016 in Branches and Currency Chests.
- Staff in the branches untiringly rendered service to customers as well as walk-in public for all their requirements. Ex-Staff members of the Bank including Ex-CMD and Ex-Executives whole heartedly contributed their might by rendering assistance to the public/ customers in filling up challans, educating them about the scheme, convincing them as well as managing the surging crowd. Handholding support was ably provided by Zonal Office/Corporate Office and special teams were deputed to specific branches identified as sensitive locations to manage the situation/specific customer requirements.

बदले गए/जमा किए गए विनिर्दिष्ट बैंक नोट

- दिनांक 10/11/2016 को एक ही दिन बैंक को 248901 पांच सौ रुपए के नोट एवं 74046 हजार रुपए के नोट प्राप्त हुए, जहाँ तक कुल लेन–देन का संबंध है, 7.89 लाख लेन–देन हुए जिनके तहत ₹ 2466.71 करोड की राशि थी। इसी प्रकार रु.1.91 लाख नकद भुगतान किए गए जिसके दौरान रु.63 करोड की राशि का भुगतान किया गया। ₹ 1.83 लाख नकदी को बदलाया गया जिसकी राशि 64.41 करोड़ थी। 11.11.2016 को 9.14 लाख बार नकद जमा किए गए जिसके दौरान ₹ 2389.05 करोड़ जमा हुए। जहाँ तक भुगतान का संबंध है, 4.79 लाख लेन–देन हुए और इस दौरान ₹ 140.85 करोड रुपए भुगतान किए गए। नोटों की बदली के लिए 2.17 लाख लेन–देन किए गए जिसमें ₹ 77.33 करोड रुपए के विनिमय किए गए। 31.12.2016 को बैंक के पास ₹ 25197.80 करोड़ रुपए के एसबीएन उपलब्ध थे।

- किसी एक व्यक्ति द्वारा एसबीएन को बार–बार बदलने से रोकने के लिए एक उपाय के रूप में बाएँ हाथ की तर्जनी में इंडेलिबल स्याही लगाई गई।

- प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने सभी कर्मचारियों से आग्रह किया कि वे भारत सरकार के इस पहलू को पूर्ण सहयोग प्रदान करें और अवसर के अनुरूप अपने आप को ढालें। उन्होने इस संबंध में किए जा रहे उत्कृष्ट कार्य को 30 दिसम्बर 2016 तक जारी रखकर देश के नागरिकों के प्रयासों को कम कर, उनके जीवन को आरामदायक बनाने का आह्वहन किया।

प्रौद्योगिकी का सफलतम एकीकरण

- नोटबंदी के लागू होने के पहले दिन से ही एटीएम के कैलिबरेशन का कार्य शुरु किया गया। ऐसा करने पर एटीएम का त्वरित उपयोग किया जा सका क्योंकि शुरुआती तौर पर प्रतिदिन 100 से 200 एटीएम का केलिबरेशन किया गया। 90 प्रतिशत से अधिक एटीएम का कैलीबरेशन नवंबर महीने के अंत तक किया गया। बैंक द्वारा सीधे संचालित एटीएम का कैलिबरेशन दिसम्बर महीने के प्रथम सप्ताह तथा आउटसोर्स किए गए एटीएम का दिसम्बर महीने के अंत तक किया गया। नई दिल्ली मेन (कनॉटप्लेस) शाखा के एटीएम का कैलिबरेशन सर्वप्रथम किया गया जो उस व्यस्त क्षेत्र में कैलिबरेटेड पहला एटीएम था। यह एटीएम एकमात्र एटीएम था जो 24 घंटे पूरे सप्ताह काम किया और कुछ–कुछ दिनों में इसमें 2500 हिट हुए जोकि एटीएम के इतिहास में एक नया रिकार्ड है। शाखा के स्टाफ सदस्यों ने हर दिन तीन बार से अधिक इस एटीएम को लोड किया ताकि यह लगातार काम करता रहे।

- भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय–समय पर विनिर्दिष्ट बैंक नोट (एसबीएन) को बदलने से संबंधित समय सीमा तथा विशिष्ट सीमा से संबंधित दिए गए निर्देशों का कड़ाई से पालन किया गया, इसी तरह शाखाओं/एटीएम से रुपए निकालने से संबंधित रोक/राहत तथा निकासी में की गई बढोत्तरी इत्यादि को आवश्यकतानुसार बनाए रखा गया जबतक इन निर्देशों को वापस नहीं लिया गया।

भारत सरकार एवं भारतीय रिज़र्व बैंक से समर्थन

- इस योजना के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन के लिए वित्तीय सेवाएँ विभाग में एक कंट्रोलरूम की स्थापना की गई जो दो शिफ्टों में (सुबह 9 बजे से 2 बजे तक एवं शाम को 2 बजे से 8 बजे रात तक कार्यरत रहा। कंट्रोलरूम का सीधा पर्यवेक्षण निदेशक (वित्तीय संस्थाएँ) वित्तीय सेवाएँ विभाग द्वारा किया गया तथा समय–समय पर प्राप्त समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक संदेश भेजे गए।

- राज्य के मुख्य सचिवगण/ वित्त सचिवगण/गृह सचिवगण/डीजीपी इत्यादि से समन्वय बनाए रखने के लिए संयुक्त सचिवों की एक समिति गठित की गई। सभी बैंकों को सलाह दी गई कि जब भी उन्हें सहायता की आवश्यकता हो तब वे राज्य के संबंधित संयुक्त सचिव से समन्वय स्थापित करें। बैंकों को यह छूट दी गई थी कि वे नियम–कानून को बनाए रखने के लिए तथा करेंसी को एक जगह से दूसरे जगह लाने–ले जाने के लिए तथा समर्थन एवं समन्वयन के लिए समिति के सदस्यों से संपर्क करें।

- वित्तीय सेवाएँ विभाग वित्त मंत्रालय एवं भारतीय रिज़र्व बैंक के अधिकारीगण ने बैंकों के साथ निरन्तर संपर्क बनाए रखते हुए दैनिक तौर पर प्रगति का जायजा लिया। इसमें कैश प्रबंधन, बैंकों द्वारा सामना की जा रही समस्याओं, एटीएम का कैलीबरेशन, डिजिटल बैंकिंग के लिए किए जा रहे प्रयास, असंगठित वर्गों के लाभ के लिए, चाय बागानों में कार्यरत मजदूर, ग्रीन चैनल के जरिए संवितरण, यूजर फ्रेन्डली 'एप' का विकास आदि पर लगातार वीडियो कान्फरेन्स आयोजित किए गए। इन कान्फ्रेंसों के दौरान बैंक द्वारा किए गए विभिन्न प्रयासों की जानकारी प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा वित्तीय सेवाएं विभाग/भारतीय रिज़र्व बैंक/भारत सरकार को दी गई।

Details of Specified Bank Notes exchanged/deposited:

- On 10.11.2016 alone, the Bank received 248901 notes of 500 denomination and 74046 notes of 1000 denomination. In transaction terms, number of cash deposits was to the extent of 7.89 lakh involving an amount of ₹2466.71 crores. Similarly, 1.91 lakh cash payments were carried out and an amount of ₹63 crores was paid. Cash exchange was to the tune of 1.83 lakh transactions amounting to ₹64.41 crores. On 11.11.2016, there were 9.14 lakh cash deposits involving an amount of ₹2389.05 crores. In respect of payments, 4.79 lakh transactions were carried and cash to the extent of ₹140.85 crores was paid. 2.17 cash exchange transactions were handled amounting to ₹77.33 crores. As of 31.12.2016, SBNs amounting to ₹25197.80 crore were with the Bank.
- Indelible ink mark was applied on the right index finger of the customer to restrict multiple exchange of SBNs.
- MD&CEO urged each and every one of the employees of the bank for steadfastly rising upto the occasion in supporting this Government initiative and exhorted them to continue in the same vein till 30th December 2016 and help for the cause of our Nation and ease the lives of our fellow countrymen.

Successful Technology Integration

- The exercise of recalibration of ATMs was taken up from Day 1 of the commencement of the Demonetization exercise. This helped make the ATMs operations faster because of quicker recalibration @ 100 to 200 ATMs per day in the initial stages. More than 90% of ATMs were recalibrated by November end. Recalibration of Bank owned ATMs was completed by first week of December and outsourced ATMs by December end. ATM @ New Delhi Main (Connaught Place) was the first ATM to get recalibrated in that busy area. This was the ONLY Bank ATM which worked in that area 24 x 7 and had more than 2500 hits on some days which was a record level in the history of ATMs. The branch team loaded cash more than three times in a day to keep it operational continuously.
- The specific limits and timeline in respect of exchange of Specified Bank Notes (SBNs) as communicated by RBI from time to time was strictly adhered to. Similarly, restrictions/relaxations and enhancements in withdrawal from Branches/ATMs were suitably built in till such time they were discontinued.

Support from Government of India and Reserve Bank of India:

- Control room was set up at Department of Financial Services (DFS) which was working in two shifts (From 9.00 a.m. to 2.00 p.m. and from 2.00 p.m. to 8.00 p.m.) for successful implementation of the scheme. The control room functioned under the direct supervision of Director (FI), DFS and all inward communications and appropriate response were formulated in respect of issues as and when they were reported.
- Committee of Joint Secretaries was constituted for co-ordination with Chief Secretaries/Finance Secretaries/ Home Secretaries/DGPs of the States. All the Banks were advised to co-ordinate with the concerned Joint Secretary handling the charge of the State wherever assistance was required. Banks were provided freedom to approach the members of the Committee in case need for their intervention was felt for getting support and co-operation of State Government in maintaining law and order and also making necessary security arrangements for movement of currency from one place to another.
- Officials of the Department of Financial Services, Ministry of Finance and RBI were in constant touch with Banks and closely monitored the daily progress. Frequent video conferences dwelt upon cash position, cash management, problems faced by the Bank, calibration of ATMs, efforts towards Digital Banking, initiatives taken for the benefit of unorganized sectors, tea estate workers, disbursement through green channels, developing of user-friendly apps etc. During such conferences, MD&CEO apprised the officials of DFS/ RBI/GoI regarding the various efforts taken by our Bank.

दूसरों की तुलना में हमारे बैंक द्वारा पहले किए गए पहल

- नकदी की अदला–बदली /नकदी जमा के दौरान बेहतर भीड–प्रबंधन के जरिए ग्राहकों द्वारा कतार में अनुशासन बनाए रखना।

- विभिन्न रंगीन टोकनों के जरिए ग्राहकों को विभिनन काउंटरों से सेवाएँ प्रदान कर कतार में लंबे समय तक खडे रहने से बचाना। जिन्हें उस दिन सेवाएँ प्रदान नहीं किया जा सका, उन्हें अगले दिन सेवा प्राप्त करने में प्राथमिकता दी गई।

- आवश्यक संख्या में चेकबुक प्रिंट किए गए और उन्हें पहले तारीख से ही आवश्यक मात्रा में उपलब्ध कराया गया नोटबंदी के दौरान ग्राहकों को लगभग दो गुना चेकबुक जारी किए गए तथा सभी ग्राहकों को, जिन्होंने चेकबुक जारी करने का आवेदन दिया था, उन्हें वैयक्तिक चेकबुक जारी किए गए।

बाद के दिन

- नोट बंदी के बाद ग्राहको को लंबी कतारों में घंटे भर खडे होकर स्पेसीफाइड बैंक नोटों को बदलते हुए देखा गया बैंकों की छुट्टियों के दिनों में, अर्थात 12 नवंबर शनिवार एवं 13 नवंबर रविवार को भी खुला रखा गया। शाखाओं के टीम ने अविराम सेवाएँ प्रदान की तथा जहाँ भी आवश्यकता समझा गया, अतिरिक्त काउंटर अधिक समय के लिए खुले रखे गए।

- जब देश भर में एक नया इतिहास रचा जा रहा था, महाप्रबंधकगण, विभागाध्यक्षगण तथा अंचल प्रबंधकगण ने दैनिक तौर पर बैठकें आयोजित की जिनके दौरान अद्यतन जानकारी आपस में शेयर की गई। इन बैठकों के दौरान रणनीतियाँ तैयार की गई तथा फील्ड स्तर के कर्मचारियों के हौसले बढ़ाने के लिए आवश्यक सूचनाओं का आदान–प्रदान किया गया। विभिन्न माध्यमों के जरिए, जैसे कि एसएमएस, वीडियो कान्फ्रेंस, ईमेल बैंक के पोर्टल में पोस्ट कर, अंचल कार्यालयों को मार्गदर्शन दिया गया। यहाँ तक कि अनौपचारिक माध्यम, जैसे कि ''वाटसएप्प'' का उपयोग पूरे बैंक के नेटवर्क को सूचनाएँ प्रदान करने के लिए उपयोग में लाया गया। सूचनाओं का प्रवाह तुरन्त, नियमित तथा संगत था, जिसकी वजह से शाखाओं को पल–पल भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक तथा अन्य प्राधिकारियों के निदेश प्राप्त होते गए। इसका उद्देश्य शाखाओं एवं अंचल कार्यालयों में मिनिट दर मिनिट उत्पन्न होनेवाली परेशानियों तथा कठिनाइयो को सुलझाना और उनका निवारण करना था। जहाँ कहीं भी आवश्यकता महसूस की गई, भारतीय रिज़र्व बैंक व अन्य संबंधित अधिकारियों से संपर्क कर आवश्यक कदम उठाए गए एवं युद्ध स्तर पर निर्णय लिए गए।

आम आदमी के कष्टों के शमन के लिए उपाय

- 10 नवंबर 2016 एवं 30 दिसम्बर 2016 के बीच अन्य बैंकों के एटीएम से किए गए निकासियों पर किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं लगाया गया।

- 01.11.2016 एवं 31.12.2016 के बीच कृषकों द्वारा देय फसल ऋणों पर नियतावधि ऋण चुकौती किए जाने पर 3 प्रतिशत प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई।

- रबी फसल उगाने के मौसम के दौरान बिना किसी अवरोध के कृषि करना सुनिश्चित करने के लिए नाबार्ड को उनके रु.23000 करोड रुपए के नकद ऋण लिमिट का उपयोग करने को कहा गया तथा इस राशि को जिला कॉपरेटीव बैंकों (डीसीबी) एवं प्रायमरी एग्रीकलचरल सोसाइटियों के माध्यम से किसानों को वितरित करने की सलाह दी गई।

- किसानों को संवितरित करने के लिए बैंकों को सलाह दी गई कि वे डीसीसीबी तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) को आवयक मात्रा में नकद प्रदान करें।

- अर्हता प्राप्त एमएसएमई कर्जदारों को अतिरिक्त कार्यशील पूँजी दी गई ताकि वे नकद के लेन–देन में होने वाले किसी भी संभावित (यदि कोई हों तो) असंतुलन से बच सकें। क्षेत्र स्तर के (फील्ड लेबल) के कार्यकर्ताओं ने संगठित एवं असंगठित एमएसएमई सेक्टर को ई.बैंकिंग समर्थन दिया।

- विभिन्न सेक्टरों के कर्मियों के खाता खोलने एवं मजदूरी का भुगतान कर उनके द्वारा अनुभव किए जा रहे मुश्किलों को दूर करने के उद्देश्य से विशेष शिविर आयोजित किए गए।

नकद की आवश्यकताओं का प्रबंधन

- करेन्सी चेस्ट ने नोटबंदी के दौरान एक प्रमुख भूमिका निभाई। इन्होंने दिन–रात काम करते हुए शाखाओं से एसबीएन प्राप्त करके उन्हें नए नोट दिए। समुचित समन्वय एवं समय पर नए नोटों का वितरण अत्यन्त महत्वपूर्ण साबित हुआ। करेन्सी चेस्टों में रखे गए सभी मूल्यवर्ग के जारी करने योग्य

Initiatives of the Bank well ahead of others

- Queue arrangements for better crowd management at the branches for ensuring disciplined lining up of customers for exchanging/depositing cash.
- Issue of paper tokens in different colours to customers for separate counters, indicating an appropriate time for their turn so that they need not have to wait in the queue for long and those who could not be accommodated were given priority on the next day.
- Printing sufficient number of cheque books and making the same available for use at branches from day one onwards. During the demonetization period, issue of cheque books to customers almost doubled and all the customers who had indented cheque books were provided personalised cheque books.

Days that followed

- Days that followed witnessed customers standing in long queues for extended hours and exchanging SBNs. Branches were kept open for public transactions on Saturday, 12th November and Sunday, 13th November, 2016, being holidays. Teams at Branches continuously played a very active role and additional counters were kept open for extended hours, wherever necessary.

- General Managers, the Department Heads and Zonal Managers met on a daily basis for sharing updates, evolving strategies, disseminating information to the field level functionaries and kept their morale high as the historic event unfolded across the country. Zones were guided frequently through various modes of communication i.e. Video conference, SMS, email, posting on the Bank's information portal etc. Even informal sources viz., Whatsapp was put to good use for driving information across the entire Bank network. The information flow was instant, regular and streamlined as Branches were abreast of all the directions from Government of India, RBI and other authorities on a minute to minute basis. The focus was on evolving mitigation steps and untying knots as Branches and Zones were surmounted by the problems and difficulties, every single minute. Steps and decisions were taken on a war footing basis, including representation to RBI and other authorities concerned, wherever warranted, without delay.

Measures to mitigate the hardship of the common man:

- Waiver of charges on withdrawals in ATMs of other banks between November 10 and December 30, 2016.
- Additional grace period of 60 days for prompt repayment incentive of 3% was provided to farmers whose crop loan dues fell due between 01.11.2016 and 31.12.2016, if such farmers repaid the same within 60 days from the said period.
- To ensure unhindered farming operations during the Rabi crop season, NABARD was advised to utilize its Cash Credit limits upto about ₹23000 crore and disburse the required crop loans to the farmers through District Central Cooperative Banks (DCCBs) and Primary Agriculture Credit Societies (PACS).
- Banks were advised to ensure adequate supply of cash to the DCCBs and Regional Rural Banks (RRBs) to facilitate disbursement to the farmers.
- Additional working capital was provided to all eligible MSME borrowers to overcome the difficulties arising on account of cash flow mismatches, if any. The field level functionaries extended e-banking support to organized and unorganized MSME sector.
- Special campaigns were conducted for opening accounts for the workers in the sectors and for payment of wages to obviate the difficulties faced by them.

Managing the cash requirements:

- Currency chests played a vital part during demonetization, working round the clock to collect SBNs from their branches and supply fresh currency to them. Proper co-ordination and timely supply of fresh currencies gained utmost importance. All issuable cash held at currency chests in all denominations were moved to nearby branches to meet customer cash payments. With zero

नोटों को निकटतम शाखाओं को ग्राहक की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भेजे गए। करेन्सी चेस्टों में शून्य बकाया या नगण्य रकम की मात्रा के होने से ग्राहकों की बढ़ती नकदी की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अंचलों ने भारतीय रिज़र्व बैंक से नकदी प्राप्त करने के आवश्यक कदम उठाए। जब नकदी की कमी पाई गई, तब प्रबंध निदेशक मुख्य कार्यपालक अधिकारी एवं कार्यपालक निदेशक स्वयं संयुक्त सचिव से बात कर भारतीय रिज़र्व बैंक के स्थानीय इश्यू कार्यालय के जरिए नकदी प्राप्त करने की व्यवस्था की।

- करेन्सी चेस्ट के एसबीएन को अतिरिक्त कर्मचारियों की सहायता से छाँटा गया, और यह कार्य दिन में दो शिफ्टों में परिचालित किया गया। जहाँ तक उन करेन्सी चेस्टों का संबंध है, जो पूरी तरह से भरे पडे थे, उन्हें खाली कराने के सभी इन्तजाम किए गए और जिन जगहों पर करेन्सी चेस्ट नहीं थे और लिन्क करेन्सी चेस्ट बैंकों द्वारा नकदी स्वीकार नहीं किया जा सका, वहाँ पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नामित करेन्सी चेस्टों को एसबीएन रेमिट करने का वैकल्पिक इन्तजाम किया गया।

- अंचल कार्यालयों में कार्यरत ''वाररूम'' द्वारा शाखाओं में नकद की आवश्कताओं का ऑकलन किया गया। बैंक ने विश्लेषकों की मदद से एसबीएन जमा करने/बदलने के स्वरूप का पहचान किया। प्रत्येक शाखा से केन्द्रीय स्तर पर, ऑचलिक स्तर पर, राज्य स्तर पर किए गए औसतन निकाली/जमा का विश्लेषण किया गया। एक ट्रान्जॉक्शन के दौरान किए गए निकासी/जमा तथा प्रत्येक शाखा में की गई निकाली/जमा का औसत का आकलन उपलब्ध नकदी के साथ किया गया ताकि अंचल तथा राज्य भर में नकदी की जमा/निकासी की प्रवृत्ति पहचानी जा सके।

- इस प्रकार पाई गई सूचनाओं को एक ग्राफिकल चार्ट/बार चार्ट के रूप में बनाया गया ताकि इसका रुख एवं प्रवृत्ति पहचाना जा सके। दैनिक तौर पर विभिन्न मानदंडों पर किए गए निर्धारणों के आधार पर मानिटरिंग एवं नकदी लाने –ले जाने/नकदी के पुनःपूर्ति के लिए आवश्यक रणनीति बनाई गई तथा विभिन्न पहलुओं पर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

- विश्लेषणों से मालूम हुआ कि ग्रामीण तथा अर्धशहरी शाखाओं में नकदी की कमी महसूस की जा रही है। तथानुसार करेन्सी चेस्टों से इन शाखाओं के लिए नकदी का विपथन किया गया। दैनिक तौर पर, आँचलिक स्तर पर 500 या अधिक नकद लेन–देन, जिसमें एटीएम एवं बीएनए शामिल नहीं थे, का जायजा लिया गया जिससे औसतन लेन–देन की संख्या, मीडियन लेन–देन तथा जमाओं से संबंधित लेन–देन की तुलना में निकासी से संबंधित लेन–देन के प्रतिशत का अनुमान लगाया जा सके।

- उपलब्ध सभी मार्गों से नकद की उपलब्धता तथा आवश्यकता से संबंधित डाटा उपलब्ध कराया गया। केन्द्रीय मॉनिटरिंग टीम तथा अंचल प्रबंधकों तथा कॉर्पोरेट कार्यालय के कार्यपालकों/अंचल कार्यालय के दिन भर भारतीय रिज़र्व बैंक के इश्यू कार्यालय में कैम्प करने के कारण बैंक को दैनिक तौर पर अपने हिस्से की करेंसी प्राप्त हुई। इस प्रकार प्राप्त राशि आवश्यक केन्द्रों को भेजी गई ताकि देशभर की शाखाओं/एटीएम में ग्राहकों के लिए नकदी उपलब्ध हो।

अप्राप्य लोगों तक पहुँचना – बिजिनेस करेस्पान्डेन्ट (बी. सी.)/ ग्रीन–चैनल/मोबाइल वैन

- नोटबंदी के समय बीसी की अधिकाधिक सेवाएँ ली गई। बैंक ने 2975 एसएसए को आवंटित किया, जिनमें से 2517 एसएसए बीसी के माध्यम से और 458 एसएसए को शाखाओं के माध्यम से कवर किया। सभी बीसी स्थानों / एसएसए पर आधार समर्थित इंटर–ऑपरेबल माइक्रो एटीएम उपलब्ध कराए गए हैं।

- बीसी के ओवरड्राफ्ट लिमिट को 1 लाख रुपए तक बढ़ाने के आवश्यक प्रावधान किए गए थे, तदनुसार बढ़ाए गए 1 लाख रुपए के लिमिट का प्रभावी उपयोग बीसी ने रोकड की बडी मात्रा में आवश्यकता को देखते हुए किया गया।

- चाय के बागानों में काम करने वाले लोगों के लिए व्यवसाय प्रतिनिधि की सहायता लेकर अतिरिक्त विनिमय काउंटर लगाए गए।

- एयरपोर्ट, बस टर्मिनल व अन्य पब्लिक यातायात स्टेशनों पर व्यवसाय प्रतिनिधि की सेवाएँ प्रदान की गई। नकदी का वितरण माइक्रो एटीएमों (ग्रीन चैनल) के जरिए किया गया।

ग्रीन चैनल के माध्यम से प्रदान की गई सेवा

- ग्राहकों को आधार समर्थित भुगतान प्रणाली या रूपे कार्ड मोड से भुगतान किया गया ।

- 10 सेवानिवृत्त एवं 16 नियमित कर्मचारी स्वेच्छा से बीसी के रूप में काम करने को तैयार हुए तथा उन्हें विभिन्न शाखाओं में काम पर लगाया गया। इसके अतिरिक्त 24 बीसी को शहरी स्थानों पर तथा 30 बीसी को ग्रामीण जगहों पर नकद प्रदान करने के लिए लगाया गया।

balance or very meagre balance in currency chests, Zones indented for receiving cash from RBI to meet the ever increasing demands by the customers. Managing Director & Chief Executive Officer and Executive Director personally intervened when there was cash shortage and took up with the Joint Secretary for assistance in making cash available through the local issue office of RBI.

- SBNs were sorted and arranged with the help of the additional manpower deployed by currency chests which were made operational for two shifts per day. In respect of overburdened Currency chests, decongesting measures were taken up and in places, where there was no currency chest and the linked Currency Chest Banks could not accept cash, alternate arrangements were made to remit the SBNs in the RBI designated currency chests.
- War rooms at Zones assessed the cash requirement of the branches. Bank used analytics to identify the pattern in the amount of SBNs exchanged / deposited. Population group wise, Centrewise, Zonewise, Statewise, Average withdrawal/deposit transactions per branch, Average withdrawal/deposit amount per transaction and Average withdrawal/deposit amount per branch was computed vis a vis cash position to understand the trend of cash deposits/withdrawals across branches in various population group, Zone and State.
- The findings were plotted in a graphical/bar chart to identify trends/patterns. Based on the assessment of various parameters carried out on a daily basis, area specific strategies were drawn for monitoring and making necessary arrangements for movement of cash/ replenishing cash and for taking other major decisions regarding various aspects.
- The analysis revealed that branches in Rural and Semi urban areas were facing cash shortages. Accordingly cash was diverted from Currency chest to such needy branches. On a daily basis, Zone wise top branches having 500 and more cash transactions excluding cash transactions at BNA & ATM were taken up to understand the average number of transactions, median transaction and the percentage of withdrawal transactions to deposit transactions.
- Data regarding Cash availability and requirement was sourced from all available avenues. Meticulous planning by the Central monitoring team and camping of Zonal Managers and Executives from Corporate Office/Zonal Office throughout the day at the local issue office of RBI enabled the Bank to get its share of currency on a daily basis. The amount of cash received was thereafter moved to needy centres for ensuring availability of cash *Pan* India at the counters to cater to maximum number of customers at branches/ATMs.

Reaching the unreached Services rendered by Business Correspondents (BCs)/Green Channels/Mobile vans:

- During the demonetization period, services of BCs were put to optimum use. Bank has been allocated 2975 SSAs. Of these, 2517 SSAs were covered through BCs and 458 SSAs through branches. All BC locations/SSAs were provided with Aadhaar enabled inter-operable Micro ATMs.
- Necessary provision was made for enhancing the overdraft limit of BCs upto maximum of ₹1 lakh. Accordingly, the enhanced limit of ₹1 lakh was effectively utilized by BCs to meet heavy demand for cash.
- Additional exchange counters for people working in Tea Gardens were set up by engaging Banking Correspondents (BCs).
- Services of BCs were extended to various public arrival points like Airport terminals, Bus terminals etc. Cash disbursement was made through micro ATMs (Green Channel).

Services rendered through Green Channel

- Payments were made to customers through Aadhaar enabled payment system or RuPay card mode.
- Ten retired employees and sixteen regular employees volunteered to act as BCs and were deployed in various branches. Additionally, 24 BCs in urban locations and 30 BCs in Rural locations were engaged for dispensing cash.

- अस्पतालों, स्कूलों के सामने पार्क किए गए मोबाइल वैन ने एसबीएन के विनिमय को सुगम किया। मोबाइल वैन ने दूर दराज के लोगों, बैंकिंग रहित क्षेत्रों में विनिमय/नकद जमा करने/निकालने में अपनी भूमिका अदा की।

- चुन हुए केन्द्रों के स्कूलों, कॉलेजों, शादी के हॉल इत्यादि में विशेष कैम्प लगाए गए। कैम्प के अधिकारियों को रिमोट कनेक्टिविटी सहित लैपटॉप प्रदान किए गए। वरिष्ठ नागरिकों को एसबीएन बदलने के लिए विशेष शिविर लगाए गए।

- ग्रामपंचायत कार्यालयों के निकट, पुलीस थाने, सैनिक छावनियों, सरकारी विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के इकाइयों, पेट्रोलपंप तथा अन्य सुरक्षित जगहों पर माइक्रो एटीएम लगाए गए।

- नकदी डिस्पेन्स करनेवाले पाइंटों की संख्या बढ़ाई गई। निकासी की लिमिट के भीतर डेबिट कार्डों के जरिए पीओएस मशीनों से व्यापारियों को नकद निकालने की सुविधा प्रदान की गई। दिए गए समय के भीतर नकदी की लेन–देन करने हेतु बैंक मित्रा को अधिक राशि प्रदान की गई।

संगठित एवं अंसगठित क्षेत्र के लोगो के लिए खाता खोलने का कैम्प

- देश भर में संगठित एवं असंगठित क्षेत्र की लाभाप्रदता के लिए, विशेषकर चाय/कॉफी बागानवाले क्षेत्र, डेयरीफार्म एवं जहाँ शक्कर से जुडी सहकारी संस्थाएँ कार्यरत है, इन जगहों पर, खाता खोलने के लिए विशेष कैम्प आयोजित किए गए। 31.12.2016 तक 6866 इस प्रकार के कैम्प देश भर में आयोजित किए गए, जिनमें 1,43,528 आवेदन प्राप्त किए गए और इनमें से 1,14,525 खाता खोले गए एवं ग्राहकों को रूपे कार्ड जारी किए गए।

- Mobile vans parked in public places like hospitals, schools facilitated exchange of SBNs. Besides the vans catered to the requirement of people in remote, unbanked areas for providing exchange/deposit/withdrawal facility.
- Special camps were organized in schools, colleges and marriage halls at select centres. Officials at the camps were also given laptops with remote connectivity. Exclusive camps were conducted for exchange of SBNs for Senior Citizens.
- Micro ATMs were deployed near Village Panchayat Offices, Police stations, Police/Military outposts, Government Departments, Offices of Public Sector units, Petrol pumps and other secure locations.
- Cash dispensing points were increased. Facility in POS machines for merchants to dispense cash against debit cards, within the withdrawal limits was provided. Bank Mitrs were equipped with more currency for carrying out cash transactions within specified time.

Camps for account opening for organized and unorganized sectors

- For the benefit of the organized and unorganized sectors, special camps for opening of accounts, across the country, particularly in Tea / Coffee plantation areas and places where dairy farms, sugar cooperatives etc are located were conducted. Upto 31.12.2016, 6,866 camps across the country were conducted where 1,43,528 applications were received and out of which 1,41,525 accounts were opened and RuPay card issued to customers.

नियंत्रण तंत्र, निरीक्षण एवं लेखा परीक्षा

- गैर कानूनी तौर पर स्टाफ सदस्यों द्वारा नकदी के गैरकानूनी वितरण को रोकने के लिए आंतरिक निगरानी तथा नियंत्रण तंत्रों को मजबूत किया गया तथा इस संबंध पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित किया गया । लेखा परीक्षकों/आन्तरिक लेखा परीक्षकों को विशिष्ट शाखाओं में नोटबंदी से संबंधित कार्यकलापों की जाँच करने के आदेश दिए गए। इसी तरह आन्तरिक लेखा परीक्षकों ने चुनी हुई शाखाओं में आकस्मिक चयन के आधार पर निम्न लिखित मदों की भी लेखा परीक्षा की गई–

  - ❖ सीमा क्षेत्र पर स्थित शाखाओं में
  - ❖ नकद जमा कर सक्रिय किए गए निक्रिय खाते जिनमें फिर लेन–देन किए गए
  - ❖ नो फ्रिल खातों में अनुमत राशि से अधिक जमा किया जाना।
  - ❖ नकदी को बदलने के लिए कई दिन एक ही केवाईससी प्रलेखों का उपयोग।
  - ❖ एमएफआई द्वारा एसबीएन जमा करने के लिए स्वयं सहायता समूह के खातों का उपयोग।
  - ❖ 50000 रुपए से कम की राशि के डिमाँड ड्राफ्टों का अधिक मात्रा में जारी किया जाना एवं उन्हें बाद में रद्द करके खातों में डाला जाना।
  - ❖ विविध खातों का उपयोग बडी संख्या में राशि जमा करने के लिए उपयोग में लाना तथा बाद में इसे रिवर्स कर भुगतान करना एवं
  - ❖ शाखा के सांठ–गांठ से ग्राहकों द्वारा करेन्सी चेस्टों में सीधे नकदी जमा करना।
  - ❖ स्टाफ सदस्यों के खाते में एक लाख से अधिक रुपए जमा किए गए एसबीएन से संबंधित जाँच पडताल की गई तथा एक लाख रुपए से अधिक राशी से संबंधित लेन–देन को जाँचा गया और यह देखा गया कि क्या ये लेन–देन नियमानुसार थे या नहीं ? 7 कर्मचारियों के खाते में अनियमितताएँ देखी गई एवं मामले के अन्वेषण के लिए कदम उठाए गए ताकि जहाँ कहीं भी आवश्यक हो, संबंधित कर्मचारियों पर अनुशासनिक कार्रवाई की जा सके।
  - ❖ प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, कार्यपालक निदेश एवं कॉर्पोरेट कार्यालय एवं अंचल कार्यालय के टीम ने शाखाओं का अज्ञात रूप से दौरा किया ताकि आकस्मिक सत्यापन एवं जांच किया जा सके। इस प्रकार किए गए सख्त उपायों से शाखाओं में किसी भी प्रकार के अनियमित कार्रवाई धोखाधडी / या भष्टाचार से संबंधित शिकायतों से बचा जा सका।

प्रधान मंत्री जन धन योजना खातों पर प्रभाव

- नोटबंदी के लागू होने से पहले, अर्थात् 30.10.2016 से पहले पीएमजेडीवाई के अधीन 30,66,188 खाते थे जिलमें रु.335.33 करोड़ की जमाएं थी और जिसका औसतन बकाया प्रति खाता 1100/– रुपए थे। पीएमजेडी खातों में रु.588.24 करोड़ की वृद्धि हुई (निवल वृद्धि रुपए 252.91 करोड़ थी) जिसका औसत बकाया प्रति खाता रु.1820 था।

उच्च मूल्यवर्ग नकद जमाओं पर निगरानी

- उन शाखाओं में जहां उच्च मूल्यवर्ग के एसबीएन जमा किए गए थे, वहां इनको जमा करनेवाले जमाकर्ता के वास्तविकता की जांच करने की सलाह दी गई थी तथा इस संबंध में भारतम सरकार / भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दिए गए कार्यविधि एवं मार्गनिर्देशों के पालन नियमानुसार की गई पुष्टि प्राप्त की गई थी।
- असामान्य स्वरूप की जमाएं, जो संबंधित खाता के जोखिम प्रोफाइल के अनुरूप नहीं है, तथा पिछले लेन–देनों की तुलना में अधिक मात्रा में है, संवेदनशील खातों जैसे बीएसबीडीए / छोटे खातों, वेतन से संबंधित खातों स्टाफ खातों, निष्क्रिय खातों इत्यादि पर कई निगरानी रखी गई और उन स्टाफ खातों की जाँच की गई जिनमें 1 लाख रुपए से अधिक राशि जमा की गई थी।
- नकदी के संवितरण के स्वरूप की जांच की गई थी और यह देखा गया था कि क्या कोई व्यक्ति या विशेष ग्राहक के साथ पक्षपात किया गया था या नहीं?

Control Mechanisms, Inspection and Audit

- Internal surveillance and control mechanisms were tightened to check illegal dispensing of currencies by staff members and absolute transparency was maintained. Concurrent Auditors/Internal Auditors were assigned the responsibility of verifying the demonetization exercise, at specific branches. Similarly Internal auditors audited randomly selected branches based on
  - Location near border areas
  - Dormant account reactivated with cash deposits and transactions thereof
  - Cash deposits in No Frill accounts exceeding permitted level.
  - Use of same KYC document for exchange of cash on multiple occasions for several days;
  - Use of SHG accounts by MFIs for deposit of SBNs
  - Issue of demand drafts in bulk for amount less than ₹50000 and subsequent cancellation of the same for credit into accounts.
  - Use of Sundry deposit account for depositing bulk amount and then reversing the same for payment and
  - Customer remitting cash directly to the currency chest facilitated by branch.
  - Scrutiny of deposit of SBNs in the accounts of staff members was taken up and transactions of ₹1.00 lakh and above were examined for its veracity and adherence to prescribed guidelines. Irregularities were observed in the accounts of seven staff members and the same has been taken up for further investigation and to initiate necessary disciplinary action wherever deemed necessary.
  - MD & CEO and Executive Director and teams from Corporate Office and Zonal Offices made incognito visits to branches to make random verification and checks. The stringent measures ensured that there were no irregular acts or complaints of fraudulent/corrupt practices at any of the branches.

Impact in Pradhan Mantri Jan - Dhan Yojana accounts

- As on 30.10.2016 i.e. before demonetization, there were 30,66,188 accounts under PMJDY with a total deposit of ₹335.33 crore with an average balance of about ₹1100/- per account. Deposit in the PMJDY accounts increased to ₹588.24 crore (Net increase: ₹252.91 crore) as on 31.12.2016 with an average balance of about ₹1820/- per account.

Surveillance of High Value Cash Deposits

- Branches where high value deposit of SBNs was noticed were advised to verify the bonafides of the depositor and confirm adherence to laid down procedures/guidelines specified by Government of India/RBI/Bank.
- Unusual pattern of deposits not commensurate with the risk profile of the account and the history of previous transaction volume, sensitive accounts viz., BSBDA/Small accounts, Salary accounts, Staff accounts, In - operative/dormant accounts were placed on watch list and staff accounts with more than ₹1.00 lakh deposit were scrutinized.
- The disbursement pattern of new currency notes was checked to ascertain whether any particular customer or set of customers were favoured. In Rural and Semi Urban

ग्रामीण एवं अर्धशहरी शाखाओं में कृषकों के खाताओं से साधारण से अधिक जमाओं एवं निकासियों पर निगरानी रखी गई थी।

- मुद्रा तिजोरी से शाखाओं में गैर–एसबीएन के प्रेषण और मुद्रा तिजोरी से भारतीय रिज़र्व बैंक को एसबीएन का प्रेषण का कठोर जांच किया गया था।
- सभी बडी संख्या के विप्रेषणों में पार्टी का लेखापरीक्षा किए गए खातों में उपलब्ध राशि एवं विप्रेषित राशि का तालमेल भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशानुसार किया गया। उच्च मूल्यवर्ग के लेन–देन से संबंधित सभी दिशानिर्देशों का कडाई से पालन किया गया।
- बडी मात्रा में एनईएफटी / आरटीजीएस के ज़रिए अंतरित जमाओं के लेन–देन को फ्लैग किया गया। भरने के लिए करेंसी चेस्ट से प्राप्त नोटों एवं शाखा से एटीएम में भरने के लिए दिए गए नोटों का मिलान किया गया।
- एटीएम में भरने के लिए एजेंसियों को दिए गए नकद का मेल–मिलाप किया गया तथा विसंगतियों की मानिटरिंग की गई। बीसी द्वारा वितरित किए गए रकम एवं उनके द्वारा एसबीएन के बदले विनियम के रूप में प्रदत्त राशि का उनके पास उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर मिलान किया गया।

ग्राहकों में विश्वास पैदा करना

- नोट बंदी के दौरान ग्राहकों का पूरा ध्यान रखने के लिए अतिरिक्त प्रयास किए गए तथा उनकी संतुष्टि के लिए सभी प्रयास किए गए। प्रनि एवं मुकाअ एवं कार्यपालक निदेशक शिकायतों की स्थिति का वैयक्तिक तौर पर अनुवर्तन किया।
- नोट बंदी के दौरान बैंक को प्रति माह 1000 शिकायत से हटकर 300 प्रतिशत अधिक शिकायतें प्राप्त हुए। इनमें एटीएम के काम न करने, पुराने नोट स्वकार नहीं करने भारिबैंक के दिशानुसार भुगतान नहीं करने नेटवर्क से संबंधित मामले तथा ग्राहक सेवा से संबंधित मुद्दे थे। शिकायतों में नकद उपलब्ध नहीं होना तथा ग्राहक के वास्तविक आवश्यकता से कम भुगतान भी रहे। सभी शिकायत जो विभिन्न माध्यमों जैसे कि एसपीजीआरएएस, ई–मेल, टेलीफोन इत्यादि के ज़रिए प्राप्त हुए सभी शिकायतों पर सब्र के साथ कार्रवाई की गई एवं प्रत्येक शिकायतकर्ता से उनको हुई असुविधा के लिए क्षमा मांगी गई तथा उनके शिकायतों के समाधान के लिए उचित कार्रवाई करने का वचन भी दिया गया और ग्राहकों में विश्वास पैदा किया गया।
- 09.11.2016 से 31.12.2016 की अवधि के दौरान, कुल 6936 शिकायतें मिलीं, जिसमे से 2279 शिकायतों का निपटान 24 घंटों के भीतर किया गया तथा बाकी बचे 4657 शिकायतों का निपटान 5–7 दिनों के भीतर किया गया।
- जहां भी विशिष्ट बैंक नोटों के आदान–प्रदान में कोई अनियमितता जनता द्वारा व्यक्त की गई, सुधारात्मक कार्रवाई हेतु शिकायतों की वास्तविकता की जांच करने के लिए ऐसी शिकायतों पर तुरंत ध्यान दिया गया।

24 X 7 एटीएम निगरानी टीम

- एटीएम स्विच सेवा प्रदाता से सक्रिय समर्थन के साथ आईटी विभाग की समर्पित टीम ने आरबीआई / डीएफएस द्वारा निर्धारित नियंत्रण स्थापित करने के लिए, कार्य कर रहे / कार्य नहीं कर रहे एटीएम मशीनों की रिपोर्ट और उसके कारणों के बारे में डेटा उत्पन्न करना, शाखा / अंचल /एटीएम वेंडर और अन्य सेवा प्रदाता के साथ एसएमएस / फोन कॉल / मेल आदि के माध्यम से अनुवर्तन, यह सुनिश्चित करने हेतु करना कि अधिकतम एटीएम कार्य कर रहे हैं, के लिए चौबीसों घंटे काम किया। जब कभी भी कोई एटीएम कार्य नहीं करता है तो व्हाट्सएप समूह के माध्यम से शाखा प्रबंधक, सहायक शाखा प्रबन्धक, एटीएम अधिकारी, उप महाप्रबंधक और अंचल प्रबन्धक को ऑटो जनेरेटेड अलर्ट संदेश के रूप में सूचनाएं साझा की गईं ।

प्रदत्त सेवाओं के लिए प्रशंसा के शब्दः

- बैंक द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के लिए प्रशंसा और वाहवाही देश के सभी हिस्सों से मिली, जिसे पत्रकार राजदीप सरदेसाई के इस ट्वीट में ठीक से अभिव्यक्त किया जा सकता है।
- "सीपी में इंडियन बैंक की शाखा में उत्कृष्ट कामः यह ऐसी शाखा हैं जहां मैं जिससे भी मिला, किसी के पास कोई शिकायत नहीं थी। #ग्राउंड जीरो"
- यह और अन्य सभी गुणगान, बैंक द्वारा ग्राहकों को उत्कृष्ट सेवा देने का सबूत देते हैं।

श्री एम.के. स्टालिन, विधायक और तमिलनाडु के विपक्ष के नेता ने विमुद्रीकरण के दौरान बैंक द्वारा किए गए उपायों को समझने के लिए बैंक की पेरम्बुर शाखा का दौरा किया। श्री एम.के. स्टालिन ने कर्मचारियों को इस अवसर पर अपनी निष्ठापूर्ण सराहना व्यक्त की तथा विमुद्रीकरण योजना के सुचारू क्रियान्वयन हेतु अतिरिक्त प्रयास किए जाने के लिए सच्चे दिल से सराहना की।

branches, heavier than usual deposits and withdrawals from farmers accounts were tracked.

- Rigorous verification of remittances of non-SBNs from currency chests to branches and remittances of SBN from currency chests back to RBI were carried out.

- For all high value remittances, the available cash position in the audited books of accounts of the party were verified, as per RBI guidelines. All other guidelines regarding high value transactions were strictly adhered to.

- Transfer transactions through NEFT/RTGS following large cash deposits were flagged. Reconciliation of cash was done in respect of currency notes received at currency chest and remitted to branch for replenishing ATMs.

- Reconciliation of cash handed over to the ATM replenishing agencies for loading at ATMs and any anomaly thereof was monitored. Cash dispensed by BCs were reconciled with the records available with the BC for having exchanged SBNs and allowed withdrawal from POS.

Building customer confidence

- Additional efforts were undertaken to take care of customers and ensure their satisfaction throughout the demonetization period. MD & CEO and ED personally followed up the status regarding complaints.

- Number of complaints received by the Bank increased by over 300% from the normal level of 1000 per month during t
he demonetization period. The complaints pertained to non functioning of ATMs, non acceptance of old notes, non receipt of payment as stipulated by RBI, network issues and customer service issues. The Complaints were also in respect of non availability of cash and payment of lesser amount as against actual requirement of the customers. All the complaints received through various modes namely SPGRS, emails, telephone etc were attended to patiently and individual replies were sent to complainants apologizing for the inconvenience caused and assuring them of the actions taken for resolving the issues and instilling confidence in them.

- During the period 09.11.2016 to 31.12.2016, a total of 6936 complaints were received out of which 2279 complaints were attended within 24 hours and the remaining 4657 complaints were attended within 5 - 7 days.

- Wherever any irregularity in exchange of SBNs was expressed by the public, such complaints were immediately taken up to verify the genuineness of the complaints for taking corrective action.

24 x 7 ATM Monitoring Team

- Dedicated team from IT Department with active support from ATM Switch Service provider worked round the clock to build controls as specified by RBI/DFS, generate data regarding Functional/Non Functional ATMs report and reasons thereof, follow up with Branch/Zone/ATM Vendor and other service provider through SMS/Phone calls/Mails etc. to ensure that maximum ATMs are functional. Auto generated alert messages were pushed to Branch Manager, Assistant Branch Manager, ATM Officer, Deputy Zonal Manager and Zonal Manager as and when any ATM became Non Functional and information was shared through Whatsapp Group.

Words of appreciation for services rendered:

- Appreciation and accolades for the services rendered by the Bank poured in from all parts of the country which can be aptly summed up in this tweet of journalist Rajdeep Sardesai.
- "Excellent work at Indian Bank branch in CP: only one where no one I met has any complaint. #GroundZero"
- This and all other encomiums stand proof of the excellent service to customers by the Bank.

Shri M K Stalin, MLA and Opposition Leader of Tamil Nadu visited Perambur branch of the Bank to understand the measures taken by the Bank during demonetisation. Shri M K Stalin extended his sincere appreciation to the staff for rising up to the occasion and going extra mile for smooth implementation of Demonetisation Scheme.

*Hats off 2 Indian Bank Rajouri Garden providing us 24*7 ATM facility. Indian Bank has won my heart by providing excellent services 2 the ppl*

– Jatin Makol

Liked the way Indian Bank in Pimple Saudagar is handling the crowd. It is easy for both staff and customers

– Ankit Kumar

My heartfelt thanks to Indian Bank for your efforts and made more ATM as functional in this situation

– Suresh Kumar

ATM hopping happened in the evening! Many shut, some with queues of about 20 people! Excellent service at Indian Bank, LB Road

– SP Suresh

Thank you, deposited amount through machine @selalyur branch within 5 minutes. Thank you for your arrangement

– S Sowmiyanarayanan

Just now deposited money in cash machine-Chamrajpet, Bangalore. Deposit made easy. Thanks to Indian Bank

– Mary Asha

I applaud the members of your staff for their pleasant approach and efficient as well as quick service

– Sakunthala

Indian Bank, Ahmedabad displayed superb behaviour, approach and customer service

– Shyam Sharma

Great appreciation. Your branch Marol Mumbai worked until 11.30 PM, served customers very patiently. Excellent service. Staff deserve kudos

- Ram

डिजिटल ड्राइव – विविध साधनों के माध्यम से नकदी रहित अभियानः

सरकारी निर्देशों के अनुरूप, रुपे प्रीपेड कार्ड – आईबी कैश कार्ड 01.12.2016 को शुरू किया गया तथा 31.12.2016 तक, 1461 कार्ड जारी किए गए।

कॉर्पोरेट कार्यालय में प्रीपेड कार्ड लॉन्च समारोह एवं पश्चिम बंगाल में वीआईपी ग्राहक को कार्ड जारी करते हुए

इसी प्रकार, विमुद्रीकरण की घोषणा से पहले पीओएस की संख्या 2154 के आसपास थी जो 31.12.2016 को बढ़कर 3673 हो गई। दिनांक 08.11.2016 को पीओएस में प्रति दिन का लेन–देन 3848 से बढ़कर 31.12.2016 को 34620 हो गया। मार्च 2017 तक व्यापारियों के लिए पीओएस मशीन हेतु किराया तथा दिसंबर 2016 तक एमडीआर शुल्क माफ कर दी गई

पीओएस डिवाइस विज्ञापन अभियान तथा विपणन / मर्चेन्ट साइट

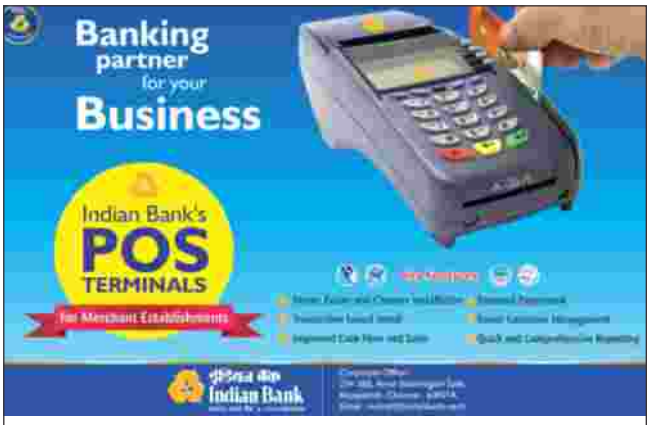

*Hats off 2 Indian Bank Rajouri Garden providing us 24*7 ATM facility. Indian Bank has won my heart by providing excellent services 2 the ppl*

– Jatin Makol

Liked the way Indian Bank in Pimple Saudagar is handling the crowd. It is easy for both staff and customers

– Ankit Kumar

My heartfelt thanks to Indian Bank for your efforts and made more ATM as functional in this situation

– Suresh Kumar

ATM hopping happened in the evening! Many shut, some with queues of about 20 people! Excellent service at Indian Bank, LB Road

– SP Suresh

Thank you, deposited amount through machine @selalyur branch within 5 minutes. Thank you for your arrangement

– S Sowmiyanarayanan

Just now deposited money in cash machine-Chamrajpet, Bangalore. Deposit made easy. Thanks to Indian Bank

– Mary Asha

I applaud the members of your staff for their pleasant approach and efficient as well as quick service

– Sakunthala

Indian Bank, Ahmedabad displayed superb behaviour, approach and customer service

– Shyam Sharma

Great appreciation. Your branch Marol Mumbai worked until 11.30 PM, served customers very patiently. Excellent service. Staff deserve kudos

- Ram

Digital Drive - Cashless Campaign through various modes:

In line with Government directions, RuPay Prepaid card - IB CASH CARD was launched on 01.12.2016 and till 31.12.2016, 1461 cards were issued.

Prepaid Card Launch Function at Corporate Office & Issuing Card to VIP Customer in West Bengal

Similarly, the number of POS deployed which was around 2154 before announcement of demonetization, increased to 3673 as on 31.12.2016. Transactions in POS increased from 3848 on 08.11.2016 to 34620 per day on 31.12.2016. Rent for POS machine was waived for the merchants up to March 2017 and MDR charges up to December 2016.

POS Device Advertisement Campaign and Marketing @ Merchant Site

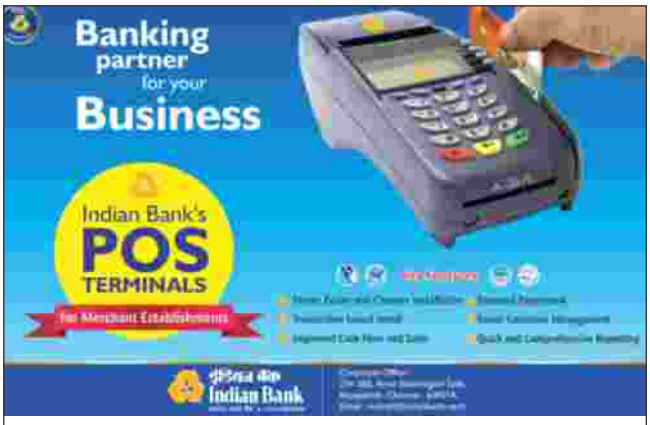

मई 2016 में मोबाइल एप उपयोगकर्ताओं के लिए बैंक द्वारा विकसित स्कैन एवं पे कार्यात्मकता का प्रयोग शाखाओं द्वारा मर्चेंट अधिग्रहण के लिए किया गया। गहन अभियान आयोजित किया गया तथा एक हफ्ते के अभियान में 2000 से अधिक व्यापारियों का अधिग्रहण किया गया।

नकदी लेनदेन में हुई कमी को देखते हुए, डेबिट कार्ड के उपयोग में वृद्धि पाई गई। नए डेबिट कार्ड हेतु 2.5 लाख अनुरोधों का मासिक औसत से अनुरोधों की संख्या दो महीने से भी कम समय में 12.35 लाख तक बढ़ गई। इसी प्रकार, क्रेडिट कार्ड के उपयोग में वृद्धि पाई गई। नए क्रेडिट कार्ड के लिए 650 आवेदनों के मासिक औसत से यह संख्या दो महीने से भी कम समय में 2500 आवेदन तक पहुँच

पीओएस	8/11/2016		31/12/2016	
डिवाइस स्थापित किए गए	2154		3673	
	सं.	राशि करोड में	सं.	राशि करोड में
प्रति दिन लेन–देन	3848	0.75	30325	5.07

(संख्याओं में)

स्कैन एवं पे	8/11/2016	31/12/2016
	1839	12945

जारी किए गए डेबिट कार्ड	8/11/2016	31/12/2016
	1.44 करोड	1.56 करोड

जारी किए गए क्रेडिट कार्ड	8/11/2016	31/12/2016
	76056	78374

लेन–देन	08/11/2016 संख्या	राशि करोड़ में	31/12/2016 संख्या	राशि करोड़ में
डेबिट/क्रेडिट कार्डों का उपयोग करते हुए पीओएस ई–कॉम	69022	7.83	332734	47.14

(संख्याओं में)

पंजीकरण	8/11/2016	31/12/2016
नेट बैंकिंग	12.55 लाख	13.14 लाख

लेन–देन	8/11/2016 संख्या	राशि करोड में	31/12/2016 संख्या	राशि करोड में
नेट बैंकिंग	66219	145.13	114849	176.58

(संख्याओं में)

पंजीकरण	8/11/2016	31/12/2016
इंडपे	5.60 लाख	7.38 लाख

लेन–देन	8/11/2016 संख्या	राशि करोड में	31/12/2016 संख्या	राशि करोड में
इंडपे	69224	54.73	166312	69.01

पंजीकरण	8/11/2016	31/12/2016
मोबाइल बैंकिंग	0	1849

लेन–देन	8/11/2016 संख्या	राशि करोड में	31/12/2016 संख्या	राशि करोड में
मोबाइल बैंकिंग	0	0.00	2044	0.47

बूढ़ी महिला गाँव में रोड के किनारे सब्जियाँ बेचकर डिजिटल भुगतान लेती हुई

Scan & Pay functionality developed by the Bank for Mobile APP users in May 2016 was used by Branches for Merchant Acquisition. Intensive campaign was carried out and more than 2000 merchants were acquired in a weeks campaign.

With cash transactions facing a reduction, there was an increase in usage of Debit Cards. From a monthly average of ₹2.5 lakh requests for new Debit cards, number of requests mounted to ₹12.35 lakh in less than two months. Similarly, there was an increased usage of Credit Cards. From a monthly average of 650 applications for fresh credit cards, the numbers swelled to 2500 applications in less than two months.

POS	8/11/2016		31/12/2016	
Devices Installed	2154		3673	
	No.	Amt in crore	No.	Amt in crore
Transactions Per Day	3848	0.75	30325	5.07

(in Nos)

Scan & Pay	8/11/2016	31/12/2016
	1839	12945

Debit card issued	8/11/2016	31/12/2016
	1.44 crores	1.56 crores

Credit card issued	8/11/2016	31/12/2016
	76056	78374

Transactions	08/11/2016 Number	Amount in crores	31/12/2016 Number	Amount in crores
POS / e-Com using Debit / Credit Cards	69022	7.83	332734	47.14

(in Nos)

Registrations	8/11/2016	31/12/2016
Net Banking	12.55 lakhs	13.14 lakhs

Transactions	8/11/2016 Number	Amt in crores	31/12/2016 Number	Amt in crores
Net Banking	66219	145.13	114849	176.58

(in Nos)

Registrations	8/11/2016	31/12/2016
IndPay	5.60 lakhs	7.38 lakhs

Transactions	8/11/2016 Number	Amt in crores	31/12/2016 Number	Amt in crores
IndPay	69224	54.73	166312	69.01

Registrations	8/11/2016	31/12/2016
Mobile Banking	0	1849

Transactions	8/11/2016 Number	Amt in crores	31/12/2016 Number	Amt in crores
Mobile Banking	0	0.00	2044	0.47

Old Lady selling vegetables at roadside in a village adopt Digital Payment

सूचना प्रसार के प्रयासः

श्री एम नागराजन, महाप्रबंधक तथा विमुद्रीकरण हेतु नोडल अधिकारी ने विमुद्रीकरण पर बैंक द्वारा की जाने वाली कार्यपद्धति एवं प्रक्रियाओं के बारे में मीडिया को सूचित किया।

श्री एस कृष्णन, महाप्रबंधक (एचआरएमडी /आरएमडी) ने बैंक के पूरे कार्यबल द्वारा विमुद्रीकरण के सुचारू रूप से कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के प्रयासों पर प्रकाश डाला तथा विमुद्रीकरण की प्रक्रिया हेतु मानव संसाधन नियोजन और तैनाती प्रक्रिया की जानकारी साझा किया।

श्री आर मनीमारण, महाप्रबंधक, आरबीडी ने विभिन्न ग्रामीण और दूरदराज स्थानों में नकदी संवितरण में बैंक द्वारा की गई पहलों का विवरण साझा किया।

बैंक के संचार और वितरण चौनल ने ग्राहकों के लिए वैकल्पिक भुगतान चौनल अपनाने में सहायता करने के अलावा सूचना के प्रसार को सुनिश्चित किया। कुछ ऐसी पहलें इस प्रकार हैं:

- आरबीआई के अधिसूचनाओं के बारे में जानकारी को समय–समय पर आधिकारिक ट्विटर चैनल @MyIndianBank पर साझा किया गया।
- बैंक की डिजिटल उत्पाद एवं सेवाएँ, जैसे– इंडपे मोबाइल एप, नेट बैंकिंग, स्कैन अन्ड पे, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ई–पर्स, यूएसएसडी बैंकिंग, आईबी पीओएस आदि को 60 से अधिक इमेज एवं जीआईएफ ट्वीट्स के माध्यम से हिन्दी तथा अँग्रेजी में प्रचार किया गया।
- कार्यात्मक एटीएम और शाखा सेवा के बारे में ग्राहकों, स्टाफ तथा प्रमुख हस्तियों द्वारा 80 से अधिक प्रशंसापत्र पुनः ट्वीट किए गए।
- एटीएम, मोबाइल बैंकिंग, नेट बैंकिंग इत्यादि के संबंध में हुई तकनीकी और परिचालन संबंधी मुद्दों के बारे में ग्राहक के प्रश्नों का उत्तर दिया गया।
- गैर–कार्यात्मक एटीएम के बारे में प्रतिक्रिया एकत्रित की गई और संबंधित विभागों के साथ साझा किया गया।
- प्रख्यात प्रकाशनों जैसे द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया, बिजनेस स्टैंडर्ड, इत्यादि द्वारा जारी आलेखों की जानकारी को अधिक से अधिक ग्राहकों और जनता के साथ साझा किया गया।
- ग्राहकों के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए 1800 425 00 000 नंबर पर काम कर रहे बैंक के कॉल सेंटर को विमुद्रीकरण संबंधी जानकारी के साथ लगातार अद्यतन किया गया।
- विनिर्दिष्ट बैंक नोटों की वैध मुद्रा विशेषता की वापसी के बारे में जनता को शिक्षित करने के लिए सूचना सामग्री वितरित की गई थी। प्र.नि. एवं मु.का.अ. ने विमुद्रीकरण के कारणों, विनिर्दिष्ट बैंक नोटों को बदलने जमा करने के माध्यम के बारे में आम जनता को शिक्षित करने के लिए दिनांक 11.11.2016 को कॉर्पोरेट कार्यालय में मीडिया को संबोधित किया।
- बैंक ने नकदी संवितरण तथा नकदी रहित लेन–देन के फायदे के बारे में बताने के लिए किए गए उपायों को बैंककारी जनता में प्रेस बैठक के माध्यम से पहुंचाने का काम किया। विभिन्न समाचार चौनल्स जैसे, सीएनबीसी टीवी 18, इंडिया सीएनबीसी टीवी 18, इंडिया टुडे, आज तक, सीएनबीसी अवाज, टाइम्स नाउ, एनडीटीवी, एबीपी न्यूज, सहारा समय, थांथी टीवी, सन टीवी, पॉलिमर टीवी, पुथिया थलाइमूरै टीवी, न्यूज 7, न्यूज 18 आदि सहित कई चौनलों ने बैंक की ग्राहक हितैषी विमुद्रीकरण के अनुकूल कार्यान्वयन के बारे में व्यापक कवरेज दिया।
- बैंक के प्रौद्योगिकी उत्पादों जैसे इंड–पे ऐप में स्कैन एंड पे सुविधा और अन्य डिजिटल उत्पादों के बारे में विशेष कहानियों को टीवी चौनलों द्वारा राष्ट्रव्यापी प्रचार किया गया।
- पूरे देश में राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र सहित प्रिंट मीडिया जैसे द हिंदू, हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, दैनिक भास्कर, डेली तंदी, दीनमलार, द हिंदू – तमिल, दीनामनी आदि ने भी बैंक की गतिविधियों को कवर किया।
- प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से मीडिया को नियमित आधार पर पर्याप्त जानकारी दी गई और शीर्ष प्रबंधन के साथ बातचीत हुई जिसमें विमुद्रीकरण के बारे में आम जनता को निर्देश देने तथा उनके डर को दूर करने के लिए

Information dissemination efforts:

Shri M Nagarajan, General Manager and Nodal Officer for Demonetization informed the media on the procedures and processes followed by the Bank for demonetization.

Shri S Krishnan, General Manager (HRMD/RMD) highlighted the efforts put in by the entire workforce of the Bank for ensuring smooth implementation of demonetization and also shared details about the HR planning and deployment exercises for the process of demonetization.

Shri R Manimaran, General Manager, RBD shared the details of the initiatives taken by the Bank in disbursing cash in various rural and remote place

Bank's Communication and delivery channels ensured information dissemination to customers besides assisting them in adopting alternate payment channels. Few such initiatives are as follows:

- Information about RBI notifications, from time to time shared in the Official Twitter Channel, @ MyIndianBank
- Digital products and services of the Bank viz., IndPay Mobile App, Net Banking, Scan and Pay, Debit Card, Credit Card, e-purse, USSD Banking, IB POS, etc promoted through over 60 image and GIF tweets in English and Hindi
- Over 80 Testimonials from Customers, Staff and Prominent Personalities regarding functional ATMs and Branch Service were retweeted.
- Customer queries regarding technical and operational issues encountered in respect of ATMs, Mobile Banking, Net Banking, etc were addressed.
- Feedback regarding non - functional ATMs were gathered and shared with the department/s concerned
- Articles released by reputed publications like The Hindu, The Times of India, Business Standard, etc were shared for the information of customers and public at large.
- Banks Call Centre, functioning on 1800 425 00 000, was consistently updated with demonetization related information for answering customer queries.
- Information materials were distributed for educating the public regarding withdrawal of legal tender character of the Specified Bank Notes. MD & CEO addressed the media at Corporate Office on 11.11.2016 to educate the general public about the reasons for demonetization, the mode available for exchange/deposit of SBNs.
- Through Press Meets, information on the measures taken by the Bank for disbursement of cash and advantages of cashless transactions were spread amongst the banking public. Several channels including CNBC TV 18, India Today, Aaj Tak, CNBC Awaz, Times Now, NDTV, ABP News, Sahara samay, Thanthi TV, Sun TV, Polymer TV, Puthiya Thalaimurai TV, News 7, News 18 etc. gave extensive coverage about Banks customer friendly implementation of demonetization.
- Special stories about the Banks technology products like "Scan & Pay" feature in Ind-Pay app and other digital products were highlighted by the TV channels nationwide.
- Print media across the country including National dailies like The Hindu, Hindustan Times, Times of India, Dainik Bhaskar, Daily Thanthi, Dinamalar, The Hindu Tamil, Dinamani etc also covered the activities of Bank.
- Media was provided with adequate information on a regular basis through press releases and interactions with Top management which included a Press conference

दिनांक 11.11.2016 को कॉर्पोरेट कार्यालय में आयोजित की गई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस शामिल थी तथा महाप्रबंधकों / कार्यपालकों द्वारा शाखाओं और अंचल कार्यालयों के निरीक्षण के दौरान 10 से अधिक प्रेस मीटिंग आयोजित की गई। अंचल प्रबंधकों ने भी संबंधित अंचलों में मीडिया को संबोधित किया और उनसे बातचीत की।

- नवंबर, 2016 के दौरान, 25 एसएमएस अभियानों को विमुद्रीकरण योजना के संबंध में किया गया। ग्राहकों के लिए एसएमएस ब्लास्ट्स ने योजना के मानदंडों, तकनीकी उत्पादों जैसे, इंडपे ऐप, स्कैन एंड पे, ई–पर्स, पीओएस, डेबिट / क्रेडिट कार्ड, विमुद्रीकरण योजना के तहत अनुदेशों, एटीएम /बीएनए परिचालन, नकदी विनिमय, नकदी दराज परिचालन, तकनीक उत्पादों को लोकप्रिय बनाना आदि की मुख्य विशेषताएं पर प्रकाश डाला। लोगों में जागरूकता पैदा करने और फिजिकल कैश का कम से कम उपयोग करने हेतु प्रोत्साहित करने तथा उनकी बैंकिंग आवश्यकताओं के लिए वैकल्पिक लेनदेन चौनलों को अपनाने के लिए सभी उपाय अपनाएं गए।

- पीओएस उपयोग के प्रमुख बिंदुओं पर प्रकाश डालते हुए 2 डी ग्राफिक्स के रूप में 15 सेकंड की एक प्रस्तुति विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के माध्यम से साझा की गई।

- तकनीकी उत्पादों और आम जनता के लिए बैंक की सेवाओं पर प्रकाश डालते हुए प्रिंट मीडिया में विज्ञापन जारी किए गए।

- स्कैन एंड पे तथा पीओएस की विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए पैम्फलेट डिजाइन किए गए तथा इसे आम जनता में वितरित किया गया। कर्मचारियों ने द्वार–दर–द्वार प्रचार के लिए इसका इस्तेमाल किया। नेट बैंकिंग / मोबाइल बैंकिंग / यूएसएसडी बैंकिंग / स्कैन एंड पे / पीओएस / ई–पर्स जैसे उत्पादों के लिए नए क्रिएटिव डिजाइन किए गए और अंचल तथा शाखाओं द्वारा उपयोग के लिए साझा किए गए।

एसबीएन जमाओं के माध्यम से एनपीए की वसूली:

- एनपीए खाताधारकों के बचत बैंक खाते / चालू खाते में विप्रेषण में महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई। जहां तक कानूनी तौर पर अनुज्ञेय था, वहां बैंक अपने एनपीए खातों की ऋण की दिशा में इस तरह के खातों से राशि वसूल कर पाए। इस तरह से ₹12.84 करोड़ की राशि वसूली गई।

नकली नोटों की पहचान करना तथा रिपोर्ट करना

- मुद्रा नोटों की स्वीकृति के दौरान आवश्यक सावधानी बरती गई थी। दिसंबर, 2016 की तिमाही के दौरान बैंक के पास कुल नकली नोटों के 866 नग थे।

मानव संसाधन – सबसे बड़ी आस्ति

- डिमांडिंग स्थिति का सामना करने के लिए संपूर्ण बैंक ओवरटाइम काम करता है। कर्मचारियों ने कारोबार समय से अधिक कार्य कर बैंक के प्रति अपनी वफादारी और समर्पण दर्ज किया।

- सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने भीड़ प्रबंधन तथा तकनीक उत्पादों को लोकप्रिय बनाने के लिए अपनी सेवाएं स्वेच्छा से दी। विशेष टीमों का गठन किया गया और वे पास के बाजारों और अन्य क्षेत्रों में उत्साह से तकनीकी उत्पादों का विपणन किया और उन्होंने ग्राहकों के बीच भुगतान के लिए डिजिटल मोड अपनाने के लिए भी अपील की और जागरूकता पैदा की। दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को इंडपे ऐप में 'स्कैन एंड पे' सुविधा का डेमो और बैंक की अन्य तकनीकी बैंकिंग सुविधाएं और सेवाएं दी गईं।

- कर्मचारियों ने उत्साह के साथ सभी गतिविधियों में भाग लिया और एक–दूसरे से अधिक जानने के अवसर का उपयोग किया। यहां तक कि छुट्टियों, 26 और 27 नवंबर 2016 को भी एसएलबीसी द्वारा पहचाने गए क्षेत्रों में जाकर बैंकों द्वारा खातों को खोलने के विशेष अभियान के दौरान उन्होंने लोगों के साथ सक्रिय रूप से बातचीत की।

विमुद्रीकरण के बाद कारोबार के विकास पर पड़नेवाले प्रभाव

- दिनांक 09.11.2016 से 30.12.2016 की अवधि के लिए बैंक की कुल जमाराशि 5.56 प्रतिशत की वृद्धि के साथ ₹9277 करोड़ की बढ़ोत्तरी हुई।

- बैंक की बचत और चालू जमा दोनों में वृद्धि देखी गई। चालू जमाओं में 40.15 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी जबकि बचत जमाओं में 23.37 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई।

- दिनांक 08.11.2016 को क्रेडिट ₹120894 करोड़ से ₹2236 करोड़ की गिरावट की साथ ₹118658 करोड़ हुई। इस अवधि के दौरान, कृषि में ₹676 करोड़ की गिरावट, एमएसएमई में ₹590 करोड़ तथा व्यक्तिक खंड के ऋण उत्पादों में ₹98 करोड़ की गिरावट आई जबकि कॉर्पोरेट ऋण / अन्य वाणिज्यिक में ₹872 करोड़ की गिरावट आई।

organised at Corporate Office on 11.11.2016 to brief and allay the fears of the general public about demonetization and more than 10 press meets were conducted during visit to the Branches and Zonal offices by the General Managers / Executives. Zonal Managers also addressed and interacted with the media in the respective Zones.

- During November 2016, 25 SMS campaigns were carried out in connection with demonetization scheme. SMS blasts to customers highlighted the scheme norms, salient features of tech products such as IndPay App, Scan & Pay, e-Purse, PoS, Debit/Credit Cards, instructions under Demonetization scheme, ATM/BNA operations, cash exchange, cash drawer operations, popularizing tech products etc. All measures were taken to create awareness and encourage people to move away from physical cash and adopt alternate transaction channels for their banking requirements.
- A 15 second presentation in the form of 2D graphics to highlight the salient points of POS usage was shared through various social media platforms.
- Advertisements were released in print media, highlighting the tech products and Banks services to the general public.
- Pamphlets were designed and distributed to the general public highlighting the features of Scan & Pay and POS. The employees used the same for door to door canvassing. Fresh creatives for products like Net Banking / Mobile banking / USSD Banking / Scan & Pay / POS / E-Purse were designed and shared for consumption by Zones and branches.

NPA Recovery through SBN Deposits:

- Remittances in Savings Bank/Current accounts of NPA account holders witnessed a significant growth. Bank was able to recover amount from such accounts towards credit of their NPA accounts wherever legally permissible. An amount of ₹12.84 crore was recovered in this manner.

Detecting and reporting of counterfeit notes

- Necessary precautions were followed during acceptance of currency notes. Bank had a total of 866 pieces of Counterfeit Notes during the quarter December 2016.

Human Resources - The greatest asset

- The entire Bank worked overtime to cope up with the demanding situation. Employees recorded their loyalty and dedication to the Bank by working for extended business hours.
- Retired staff volunteered their services for crowd management and for popularizing tech products. Special teams were formed and they enthusiastically marketed tech products in the nearby markets and other areas and also appealed and created awareness among the customers to adopt digital mode of payments. Shops and Business establishments were given demo of the Scan and Pay feature in IndPay app and other tech banking facilities and services of the Bank.
- The employees participated in all the activities with zeal and made use of the opportunity to learn more from each other. They actively interacted with the people during the special campaigns that were launched by the Bank for opening of accounts, spanning into areas identified by SLBCs even on holidays i.e. 26th and 27th November 2016.

Impact on Business Growth post demonetization

- Total Deposits of the Bank for the period from 09.11.2016 to 30.12.2016 grew by ₹9277 crore with a growth of 5.56 per cent.
- Both Savings and Current deposits of the Bank witnessed a growth. Current deposits grew by 40.15 per cent while Savings Bank deposits grew by 23.37 per cent.
- Credit declined by ₹2236 crore to ₹118658 crore from ₹120894 crore as on 08.11.2016. During this period, Agriculture declined by ₹676 crore, MSME by ₹590 crore and Personal segment loan products by ₹98 crore while Corporate Credit /Other Commercials by ₹872 crore.

- एनपीए खाते में नकदी वसूली ₹91.21 करोड़ हुई।

30.12.2016 के बाद,,,,,

- बैंक शाखाओं में मुद्रा का विनिमय दिनांक 25.11.2016 के प्रभाव से बंद कर दिया गया था।
- मूल्यवर्ग–वार रिपोर्ट (₹1000, ₹500) के एसबीएन तथा अन्य जारी किए जाने योग्य मुद्रा) की जांच मूल्यवर्ग के नकदी शेष का समापन, तिथि–वार के साथ की गई तथा सभी शाखाओं के साथ मिलान किया गया।
- मुद्रा तिजोरियों में विनिर्दिष्ट बैंक नोटों की भौतिक जांच की गई । दिनांक 31.12.2016 को, सभी विनिर्दिष्ट बैंक नोट, मुद्रा तिजोरियों तथा नोडल बैंकों, जहां कहीं भी शाखाएँ हमारी मुद्रा तिजोरियों द्वारा कवर नहीं किए गए है, में विप्रेषित किए गए।
- दिनांक 8.11.2016 को, बैंक के पास कुल ₹5791.24 करोड़ के विनिर्दिष्ट बैंक नोट उपलब्ध थे। दिनांक 31.12.2016 को, बैंक के पास कुल ₹5197.80 करोड़ के विनिर्दिष्ट बैंक नोट उपलब्ध थे।
- सभी शाखाओं द्वारा संचित विनिर्दिष्ट बैंक नोटों को रिजर्व बैंक के जारीकर्ता कार्यालय या मुद्रा तिजोरी में दिनांक 31 दिसंबर 2016 को ही जमा कर दिए गए।
- विनिर्दिष्ट बैंक नोट, 31 दिसंबर, 2016 की कारोबार समाप्ति पर बैंकों के नकदी शेष का हिस्सा बन गए थे।

- विमुद्रीकरण अवधि के दौरान जमा तथा विनिमय किए गए कुल विनिर्दिष्ट बैंक नोट

कुल जमा किए गए विनिर्दिष्ट बैंक नोट		25197.80 करोड़	
कुल विनिमय किए गए विनिर्दिष्ट बैंक नोट		456.39 करोड़	
नगों की कुल संख्या (500 मूल्यवर्ग)	**राशि (₹करोड़ में)**	**नगों की कुल संख्या (1000 मूल्यवर्ग)**	**राशि (₹ करोड़ में)**
282539642	14126.98	120659241	12065.92

इंडियन बैंक ने सफलता की एक और कहानी लिख डाली है : विमुद्रीकरण का सुचारु तथा सफल कार्यान्वयन।

- Cash recovery was effected in NPA accounts to the tune of ₹91.21 crore

After 30.12.2016 …

- Exchange of currency at bank branches was discontinued with effect from 25.11.2016.
- Denomination wise (SBN ₹1000, SBN ₹500 and other issuable currency) report was verified with closing cash balance of denominations, date wise and reconciled for all branches.
- Physical Verification of SBNs at currency chests were carried out. As on 31.12.2016, all SBNs were remitted at Currency chests by all branches and to the nodal banks wherever the branches were not covered by our currency chests.
- As of 8.11.2016, SBNs amounting to ₹5791.24 crore were available with the Bank. As of 31.12.2016, SBNs amounting to ₹25197.80 crore were with the Bank.
- All Branches deposited the accumulated SBNs in issue Office of the Reserve Bank or a Currency Chest on December 31, 2016 itself.
- SBNs ceased to form part of Banks cash balances from the close of business as on December 31, 2016.

- Total SBNs deposited and exchanged during the demonetization period

Total SBNs Deposited		25197.80 crore	
Total SBNs Exchanged		456.39 crore	
Total No of pieces (500 denomination)	Amount (₹in crore)	Total No of pieces (1000 denomination)	Amount (₹ in crore)
282539642	14126.98	120659241	12065.92

Indian Bank has etched another story of Success - Smooth and Successful implementation of Demonetisation.

प्रबंधन विचार विमर्श एवं विश्लेषण

वैश्विक अर्थव्यवस्था

- आईएमएफ ने अपने विश्व आर्थिक आउटलुक में, अप्रैल 2017 में वैश्विक विकास 2016 में 3.1 प्रतिशत से बढ़कर 2017 में 3.5 प्रतिशत और 2018 में 3.6 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया।

- विकसित अर्थव्यवस्थाएं, पिकअप मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में उच्च अनुमानित वृद्धि से संचालित होती है, जहां गतिविधि 2016 में सूची समायोजन और कमजोर निवेश द्वारा आयोजित की गई थी।

- यू.एस. की अर्थव्यवस्था, क्रमशः 2.3 और 2.5 प्रतिशत की वृद्धि की पूर्वानुमान के साथ वर्ष 2017 और 2018 में तेजी से विस्तार करने का अनुमान है। मजबूत सन्निकट संभावना, 2016 की दूसरी छमाही से गति, माल संचय में चक्रीय वसूली द्वारा संचालित, ठोस खपत वृद्धि तथा एक कमजोर राजकोषीय नीति रुख की धारणा को दर्शाता है।

- यूरो क्षेत्र की रिकवरी, वर्ष 2016 की ही तरह 2017–18 में भी मोटे तौर पर समान गति से आगे बढ़ने की उम्मीद है। यूरो क्षेत्र में वृद्धि वर्ष 2017 में 1.7 प्रतिशत और वर्ष 2018 में 1.6 प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद है। पूरे यूरो क्षेत्र के लिए मध्यावधि संभावना मंद रहता है, जैसा कि अनुमानित संभाव्य वृद्धि, कमजोर उत्पादकता, प्रतिकूल जनसांख्यिकी, और कुछ देशों में, उच्च स्तर के गैर–निष्पादित ऋण के साथ सार्वजनिक और निजी कर्ज की अधिकता, अनिर्णीत परंपरागत समस्याओं की वजह से किया जाता है।

- उभरते हुए तथा विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की वर्ष 2017 और वर्ष 2018 में वृद्धि 4.5 प्रतिशत और 4.8 प्रतिशत तक बढ़ने की संभावना है। जबकि विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए सामान्य दृष्टिकोण सकारात्मक है, फिर भी देश–वार दृष्टिकोण मिश्रित बने रहे। संभावना है कि चीन मजबूत नीति समर्थन द्वारा प्रेरणा से सकारात्मक वृद्धि दर्ज करेगा जबकि भारत विमुद्रीकरण के बाद अपनी गति को वापस प्राप्त कर रहा है।

- उभरते बाजारों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में गतिविधियों को स्पष्ट रूप से उठाए जाने का अनुमान है क्योंकि पण्य के निर्यातकों में होनेवाली परिस्थितियों में धीरे–धीरे सुधार की उम्मीद है, जो कि पण्य कीमतों में आंशिक वसूली का समर्थन करता है, जबकि विकास चीन और अन्य कई पण्य आयातकों में मजबूत रहने का अनुमान है

- उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में गतिविधियों को स्पष्ट रूप से उठाए जाने का अनुमान है क्योंकि पण्य निर्यातकों की स्थिति में व्यापक आर्थिक तनाव का धीरे–धीरे सुधार होने की संभावना है, जो पण्य की कीमतों में आंशिक वसूली द्वारा समर्थित है, जबकि चीन और कई अन्य पण्य आयातकों में विकास का मजबूत रहने का अनुमान है।

- वर्ष 2017 में चीन में विकास 6.6 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जो 6.28 प्रतिशत के साथ वर्ष 2018 में धीमा रहने का अनुमान है। वर्ष 2017 के पूर्वानुमान में सन्निकट वृद्धि का ऊर्ध्वगामी संशोधन, 2016 में अपेक्षित गति से अधिक मजबूती को दर्शाता है तथा विकास लक्ष्य को हासिल करने के लिए सार्वजनिक निवेश पर निर्भरता और मजबूत ऋण वृद्धि के रूप में निरंतर नीति समर्थन की प्रत्याशा को दर्शाता है। हालांकि, मध्यावधि संभावना, सन्निकट भविष्य नीति को आसान बनाने और क्रेडिट–वित्तपोषित निवेश पर निर्भरता से जुड़ी हुई संसाधनों का गलत आबंटन और बढ़ती हुई अनुरक्षा में बढ़ोत्तरी के साथ घिरा होना लगातार जारी है।

- संयुक्त राज्य अमेरिका में अर्थव्यवस्था वर्ष 2016 की दूसरी छमाही में व्यापक रोजगार सृजन, प्रयोज्य आय में ठोस विकास, और व्यापक उपभोक्ता खर्च के साथ गति हासिल की। अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार के करीब है, लेकिन मुख्य व्यक्तिगत खपत व्यय मुद्रास्फीति, फेडरल रिजर्व के 2 प्रतिशत लक्ष्य की ओर यह सुझाव देते हुए कि मौद्रिक नीति क्रमिक तौर से, डेटा–निर्भर गति को कसना जारी रख सकती है, धीरे–धीरे बढ़ रही है।

- यूरो क्षेत्र में, अभी भी लक्ष्य के नीचे मुद्रास्फीति की उम्मीदों के साथ और कई अर्थव्यवस्था अभी भी क्षमता से काफी नीचे चल रही है, यूरोपीय सेंट्रल बैंक को अपने वर्तमान सार्थक रुख को बनाए रखना चाहिए। यदि मूल मुद्रास्फीति पिक अप करने में विफल रहता है, तो अतिरिक्त राहत की आवश्यकता हो सकती है। महत्वपूर्ण तौर पर, मौद्रिक नीति अधिक प्रभावी होगी, यदि तुलन पत्र का शोधन करने, वित्तीय क्षेत्र को मजबूत करने, उपलब्ध वित्तीय स्थान का उपयोग करने, और संरचनात्मक सुधारों में तेजी लाने के उपाय द्वारा समर्थन मिले।

- उभरते हुए बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाएं : उभरते हुए बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्था, हाल के वर्षों में जटिल बाह्य वातावरण से गुजरे हैं जिसका, उन्नत अर्थव्यवस्थाओं द्वारा आम तौर पर सुस्त मांग, वर्ष 2016 की पहली तिमाही के बाद से पण्य कीमतों में तेज सुधार एवं उसके बाद रिकवरी (यद्यपि पिछले चरम स्तर से ठीक नीचे के स्तर), तथा बाजार की अस्थिरता में आवर्ती स्पाइक्स के साथ अपेक्षाकृत अनुकूल वित्तीय परिस्थितियों का दौर आदि के द्वारा चरित्र–चित्रण किया गया।

- वर्ष 2017 के आखिर में नेतृत्व परिवर्तन के चलते विकास में स्थिर वृद्धि बनाए रखने की उम्मीद में नीतिगत समर्थन के साथ हाल के महीनों में चीन के लिए निकट भविष्य की संभावनाएं मजबूत हुई है। पुनर्संतुलन की जटिल प्रक्रिया कई मोर्चों पर आगे बढ़ रही है, जिसमें उद्योग से दूर करते हुए सेवाओं की तरफ गतिविधि को ले जाना तथा निर्यात और निवेश से मांग को खपत की तरफ प्रवृत्त नहीं करना शामिल है। प्रगति, एक महत्वपूर्ण आयाम के साथ पिछड़ रही है, हालांकि गतिविधि यौगिकों का समर्थन करने के लिए क्रेडिट पर निरंतर भारी निर्भरता, कॉरपोरेट और स्थानीय सरकारी ऋण के तेजी से बढ़ने से हाल के वर्षों में काफी जोखिम उठाए गए हैं तथा तेजी से अपारदर्शी वित्तीय प्रणाली के माध्यम से वित्त पोषित किए गए है। असुरक्षितताओं की संचितता का जारी रहने के साथ, मैक्रो पॉलिसी मिक्स को धीमी और अधिक धारणीय संवृद्धि परिणामों को स्वीकार कर अपने स्रोतों पर समस्याओं को शामिल करने, मौद्रिक जीडीपी के करीब क्रेडिट वृद्धि की गति को कम करने, नीतिगत दरों में वृद्धिय तथा सामाजिक सहायता, स्वास्थ्य व्यय, बेरोजगारी लाभ एवं निधियों का पुनर्रचना हेतु बजट आबंटन में वृद्धि करते समय सार्वजनिक क्षेत्र के निवेश के ऑफ–बजट में कटौती करने पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। इन उपायों के साथ मिलकर, संरचनात्मक सुधार की प्राथमिकताएँ को कार्यकुशलता में सुधार के लिए निम्न को शामिल

MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

Global Economy

- IMF in its World Economic Outlook, April 2017 projected Global growth to rise from 3.1 percent in 2016 to 3.5 percent in 2017 and 3.6 percent in 2018.
- Advanced economies, the pickup is primarily driven by higher projected growth in the United States, where activity was held back in 2016 by inventory adjustment and weak investment.
- U.S. economy is projected to expand at a faster pace in 2017 and 2018, with growth forecast at 2.3 and 2.5 percent, respectively. The stronger nearterm outlook reflects the momentum from the second half of 2016, driven by a cyclical recovery in inventory accumulation, solid consumption growth, and the assumption of a looser fiscal policy stance.
- Euro area recovery is expected to proceed at a broadly similar pace in 2017–18 as in 2016. Growth in the euro area is expected to grow by 1.7 percent in 2017 and 1.6 percent in 2018. The medium-term outlook for the euro area as a whole remains dim, as projected potential growth is held back by weak productivity, adverse demographics, and, in some countries, unresolved legacy problems of public and private debt overhang, with a high level of nonperforming loans.
- Emerging and developing economies is expected to grow further to 4.5 per cent and 4.8 per cent in 2017 and 2018. While general outlook for developing economies is positive, but country-wise the outlook remained mixed. China is expected to post a positive growth spurred by strong policy support while India is gaining its momentum back post demonetisation.
- Activities in Emerging market and developing economies is projected to pick up markedly because conditions in commodity exporters experiencing macroeconomic strains are gradually expected to improve, supported by the partial recovery in commodity prices, while growth is projected to remain strong in China and many other commodity importers.
- Growth in China is projected at 6.6 percent in 2017, slowing to 6.2 percent in 2018. The upward revision to near-term growth in 2017 forecast reflects the stronger-than-expected momentum in 2016 and the anticipation of continued policy support in the form of strong credit growth and reliance on public investment to achieve growth targets. The medium-term outlook, however, continues to be clouded by increasing resource misallocation and growing vulnerabilities associated with the reliance on nearterm policy easing and credit-financed investment
- In the United States, the economy regained momentum in the second half of 2016, with strong job creation, solid growth in disposable income, and robust consumer spending. The economy is close to full employment, but core personal consumption expenditure inflation is only slowly inching up toward the Federal Reserve's 2 percent target, suggesting that monetary policy can continue to tighten at a gradual, data-dependent pace.
- In the euro area, with inflation expectations still below target and several economies still operating significantly below capacity, the European Central Bank should maintain its current accommodative stance. Additional easing may be needed if core inflation fails to pick up. Critically, monetary policy will be more effective if supported by measures to clean up balance sheets, strengthen the financial sector, use fiscal space where available, and accelerate structural reforms.
- Emerging Market and Developing Economies: Emerging market and developing economies have operated in a complicated external environment in recent years, characterized by generally sluggish demand from advanced economies, a sharp correction in commodity prices followed by a recovery since the first quarter of 2016 (albeit to levels well below previous peaks), and spells of relatively benign financial conditions interspersed with recurrent spikes in market volatility.
- The near-term outlook for China has strengthened in recent months, with policy support expected to maintain steady growth in the run-up to the leadership transition in late 2017. The complex process of rebalancing is advancing on multiple fronts, rotating activity away from industry to services and reorienting demand from exports and investment to consumption. Progress lags along one critical dimension, however: the continued heavy reliance on credit to support activity compounds the considerable risks that have accrued in recent years from the rapid buildup of corporate and local government debt, funded through an increasingly opaque financial system. With vulnerabilities continuing to accumulate, the macro policy mix needs to focus on containing the problems at their source by accepting slower and more sustainable growth outcomes; reducing the pace of credit growth closer to that of nominal GDP; raising policy rates; and cutting off-budget public sector investment while increasing on-budget allocations for social assistance, health expenditure, unemployment benefits, and restructuring funds. Together with these measures, structural reform priorities to improve efficiency include deregulating sectors dominated by state-owned enterprises to facilitate entry; decisively restructuring those that are unprofitable

करता है:– प्रवेश की सुविधा के लिए राज्य के स्वामित्व वाली उद्यमों का प्रभुत्व वाली नियंत्रण–मुक्त क्षेत्रय अलाभकारी तथा बैंक बफरों को निर्णयात्मक ढंग से पुनर्रचित करना, जरूरत पड़ने पर, एक बार जब हानियों को उचित ढंग से लेखाबद्ध कर लिया गया है और नौकरी चाहनेवालों के साथ श्रम बाजार की रिक्तियों के अधिक कुशल मिलान की सुविधा के लिए घरेलू निवास सुधार में तेजी लाना आदि। आभासी उत्पादों में नियंत्रण करके और पर्यवेक्षी ढांचा को मजबूत करके घरेलू पूंजी बाजार में वित्तीय जोखिम युक्त पर तीव्र ध्यान देने की भी आवश्यकता है।

भारतीय अर्थव्यवस्था

- विमुद्रीकरण से पहले भारतीय अर्थव्यवस्था का स्थान अन्य अर्थव्यवस्थाओं के बीच उज्ज्वल था, हालांकि, चूंकि वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए विमुद्रीकरण आर्थिक विकास कमजोर रहने का अनुमान है।

- केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा 28 फरवरी, 2017 को जारी किए गए दूसरे उन्नत प्राक्कलन के अनुसार, वित्त वर्ष 2016 में 7.9 प्रतिशत से घटकर वित्त वर्ष 2017 में 7.1 प्रतिशत के साथ साल–दर–साल जीडीपी की वृद्धि दर के आधार पर मंदी का पूर्वानुमान है तथा जीवीए के संबंध में, वृद्धि 7.8 प्रतिशत से घटकर 6.7 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

- वर्ष 2015–16 में 0.8 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2016–17 में कृषि क्षेत्र में वृद्धि 4.4 प्रतिशत होने का अनुमान है। सब–वनः विकास के लगातार दो वर्षों के बाद कृषि का साल–दर–साल आधार पर बृहत रूप में विस्तार हुआ। खाद्यान्न उत्पादन 272 मिलियन टन का उच्चतम स्तर तक पहुंच गया है, जिसमें चावल, गेहूं और दालों का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है। गेहूं के रिकॉर्ड उत्पादन से खरीद परिचालन को बढ़ावा देना चाहिए और यह दालों की कीमत को स्थिर रखेगा–दालों का घरेलू मूल्य पहले ही न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से नीचे गिर चुका है।

- औद्योगिक क्षेत्र, पिछले वर्ष 8.2 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2016–17 के दौरान 5.8 प्रतिशत कमजोर होने का अनुमान है। औद्योगिक क्षेत्र में खनन एवं उत्खनन क्षेत्र की पिछली अवधि में 12.3 प्रतिशत से 1.3 प्रतिशत की गिरावट का अनुमान है। विनिर्माण क्षेत्र में 10.6 प्रतिशत से 7.7 प्रतिशत की गिरावट आने की संभावना है। इस दौरान, विद्युत क्षेत्र और विनिर्माण क्षेत्र में वृद्धि पिछले वर्ष के दौरान 5.1 प्रतिशत और 2.8 प्रतिशत की तुलना में पूरे वर्ष के लिए 6.6 प्रतिशत और 3.1 प्रतिशत तक होने का अनुमान है।

- औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) में शामिल आठ प्रमुख उद्योग में लगभग 38 प्रतिशत भारित मदों में शामिल है । फरवरी, 2017 में आठ प्रमुख उद्योगों का संयुक्त सूचकांक 180.1 था, जो फरवरी, 2016 के सूचकांक की तुलना में 1.0 प्रतिशत अधिक था। अप्रैल से फरवरी, 2016–17 के दौरान इसका संचयी विकास 4.4 प्रतिशत था।

- निक्की इंडिया विनिर्माण क्रय प्रबंधक सूचकांक टीएम (पीएमआईटीएम) – एक समिश्रित सूचक है जिसे विनिर्माण अर्थव्यवस्था के निष्पादन का सिंगल–फिगर स्नैपशॉट प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया था, ने यह सूचित किया है कि क्षेत्र में परिचालन की स्थिति में काफी हद तक सुधार हुआ है। मार्च में विनिर्माण क्षेत्र में लगातार तीसरे महीने सुधार हुआ, और अक्टूबर 2016 के बाद से काफी सुधार हुआ क्योंकि न्यू ऑर्डर का विस्तार मजबूत गति से हो रहा हैं, जिसके चलते उत्पादन और इनपुट क्रय में तेज वृद्धि हुई। सूचकांक 52.5 के साथ मार्च में 5 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया, जो फरवरी में यह 50.7 था।

- वित्त वर्ष 2015–16 में सेवा क्षेत्र 9.8 प्रतिशत से घटकर वित्त वर्ष 2016–17 में सेवा क्षेत्र 7.9 प्रतिशत रहने की संभावना है। जिनमें से लोक प्रशासन, रक्षा और अन्य सेवाएं एकमात्र सेवा क्षेत्र है जो सकारात्मक वृद्धि दर्शाते हुए पिछले वर्ष 2015–16 में 6.9 प्रतिशत से बढ़कर वित्त वर्ष 2016–17 में 11.2 प्रतिशत रहने का अनुमान है। जबकि, वित्तीय वर्ष हेतु व्यापार, होटल, परिवहन, संचार सेवाएं और वित्तीय, रीयल एस्टेट और पेशेवर सेवाएँ क्रमशः 7.3 प्रतिशत एवं 6. 5 प्रतिशत कम रहने का अनुमान लगाया गया है जो पिछले वर्ष यह क्रमशः 10. 7 प्रतिशत एवं 10.8 प्रतिशत था।

- निक्की इंडिया सर्विसेज बिजनेस एक्टिविटी इंडेक्स ने क्षेत्र में उत्पादन की निरंतर वृद्धि पर प्रकाश डालते हुए मार्च महीने में दूसरी बार सूक्ष्म 50.0 स्तर से ऊपर पोस्ट किया। सूचकांक फरवरी में 50.3 से बढ़कर 51.5 हो गया।

- उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) द्वारा मापी जानेवाली मुद्रास्फीति की दर, मार्च 2017 में 3.8 प्रतिशत रहा जो अपेक्षा के अनुरूप था। जबकि सब्जियों के अंतर्गत मुद्रास्फीति नकारात्मक रही, समग्र खाद्य मुद्रास्फीति की दर फरवरी 2017 में 2.39 प्रतिशत से बढ़कर 2.54 प्रतिशत हो गई। हालांकि, मार्च 2017 में ईंधन की मुद्रास्फीति बढ़कर 5.56 प्रतिशत हो गई, जो पिछले महीने 3.90 प्रतिशत थी

- डबल्यू पी आई (थोक मूल्य सूचकांक) मुद्रास्फीति साल–दर–साल (वाई ओ वाई) की दृष्टि से फरवरी 2017 में 5.51 प्रतिशत से घटकर मार्च 2017 में 5.29 प्रतिशत रहा, मुद्रास्फीति की दर में गिरावट मुख्य रूप से उच्च आधार के सांख्यिकीय प्रभाव और सभी स्तरों पर कीमतों में गिरावट के कारण हुई थी।

- अप्रैल–मार्च 2016–17 के दौरान भारत के माल उत्पादों का निर्यात 4.71 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि दर्ज करते हुए पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 262290.11 मिलियन अमरीकी डॉलर के मुकाबले 274645.10 मिलियन अमरीकी डॉलर रहा। अप्रैल–मार्च 2016–17 की अवधि के दौरान आयात 0.17 प्रतिशत की नकारात्मक वृद्धि दर्ज करते हुए पिछले वर्ष इसी अवधि की तुलना में 381006.64 मिलियन अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 380367.65 मिलियन अमेरिकी डॉलर रहा। वर्ष अप्रैल 2016– मार्च 2017 के दौरान तेल आयात का मूल्य 86457.87 मिलियन यूएस डॉलर रहा जोकि पिछले वर्ष में उसी अवधि के दौरान किये गये तेल आयात के मूल्य 82944.45 मिलियन यूएस डॉलर से बढ़कर 4.24 प्रतिशत रहा। वर्ष अप्रैल 2015– मार्च 2016 के दौरान 118716.53 मिलियन यूएस डॉलर के मुकाबले वर्ष अप्रैल 2016– मार्च 2017 के दौरान व्यापार घाटा 105722.55 मिलियन यूएस डॉलर रहा।

- वर्ष 2016–17 की तीसरी तिमाही में भारत की चालू खाता घाटा (सीएडी) 7.9 बिलियन यूएस डॉलर (जीडीपी का 1.4 फीसदी) रहा जो वर्ष 2015–16 की तीसरी तिमाही में 7.1 बिलियन यूएस डॉलर (जीडीपी का 1.4 फीसदी) तथा पिछली तिमाही में 3.4 बिलियन यूएस डॉलर (जीडीपी का 0.6 प्रतिशत) से अधिक था। वर्ष–दर–वर्ष (वाई–ओ–वाई) के आधार पर थोड़ी कम व्यापार घाटा होने के बावजूद, निवल अदृश्य प्राप्तियाँ में गिरावट के कारण सीएडी में मुख्य रूप से बढ़ोत्तरी हुई। संचयी आधार पर वर्ष 2015–16 की उसी अवधि में व्यापार घाटे के गिरावट के कारण जीडीपी का सीएडी 1.4 प्रतिशत से कम होकर अप्रैल–दिसम्बर में 0.7 प्रतिशत रहा।

and replenishing bank buffers, as needed, once the losses are appropriately accounted for; and accelerating household residency reforms to facilitate more efficient matching of labor market vacancies with job seekers. An intensified focus is also needed on containing financial risks in domestic capital markets by reining in shadow products and strengthening the supervisory framework.

Indian Economy

- Indian economy before demonetisation was a bright spot among other economies; however, since demonetisation economic growth is expected to be weaker for FY 2016-17.
- 2nd Advanced Estimate released by the CSO on February 28, 2017, forecast slowdown in Y-o-Y growth of GDP to 7.1% in FY 2017 from 7.9% in FY2016, and in respect of GVA, growth is expected to reduce to 6.7% from 7.8%.
- Agriculture sector is estimated to grow to 4.4% for 2016-17 from 0.8% for 2015-16. Agriculture expanded robustly year-on-year after two consecutive years of sub-one percentage growth. Foodgrains production has touched an all-time high of 272 million tonnes, with record production of rice, wheat and pulses. The record production of wheat should boost procurement operations and this will keep the price of pulses under check – the domestic price of pulses has already fallen below the minimum support price (MSP).
- Industries sector is estimated to weaken for 2016-17 to 5.8% from 8.2% in the previous year. Within the industrial sector Mining & Quarrying sector is estimated to decline to 1.3% from 12.3% in the previous period. Manufacturing sector is expected to weaken to 7.7% from 10.6%. Meanwhile, Electricity sector and Construction are projected to growth to 6.6% and 3.1% for the full year as compared to 5.1% and 2.8% in the previous year.
- Eight Core Industries comprise nearly 38% of the weight of items included in the Index of Industrial Production (IIP). The combined index of eight core Industries stands at 180.1 in February, 2017, which was 1.0 % higher compared to the index of February, 2016. Its cumulative growth during April to February, 2016-17 was 4.4 %.
- Nikkei India Manufacturing Purchasing Managers' Index TM (PMITM) – a Composite indicator designed to provide a single-figure snapshot of the performance of the manufacturing economy - indicated that operating conditions in the sector improved to a greater extent. The manufacturing sector improved for the third straight month in March, and to the greatest extent since October 2016 as new orders expanded at a stronger pace, thereby leading to quicker increases in production and input purchasing. The index rose to a five-month high of 52.5 in March, from 50.7 in February.
- Services sector is also expected to lower for FY 2016-17 at 7.9% from 9.8% in FY 2015-16. Of which, 'Public administration, defence and other services' is the only service sector that is estimated to post positive growth for FY 2016-17 at 11.2% from the previous 6.9% in 2015-16. While, 'Trade, hotels, transport, communication services' and 'Financial, real estate & professional services' are estimated to decline for the financial year to 7.3% and 6.5% respectively from 10.7% and 10.8% respectively in the previous year.
- Nikkei India Services Business Activity Index posted above the critical 50.0 level for the second-month running in March, highlighting ongoing growth of output in the sector. The index rose from 50.3 in February to 51.5.
- Inflation as measured by Consumer Price Index (CPI) turned up as expected in March 2017 to 3.8%. While inflation under Vegetable continued to be negative, overall Food Inflation rose to 2.54% from 2.39% in February 2017. However, inflation under Fuel increased to 5.56% in March 2017 from 3.90% in the previous month.
- WPI inflation decreased to 5.29% for March 2017 from 5.51% in February 2017 in year-on-year (YoY) terms, the fall in inflation rate was mainly on account of statistical effect of higher base and across-the-board decline in prices.
- India's merchandise exports for the period April-March 2016-17 was US$ 274645.10 million as against US$ 262290.11 million registering a positive growth of 4.71 per cent over the same period last year. Imports for the period April-March 2016-17 was US$ 380367.65 million as against US$ 381006.64 million registering a negative growth of 0.17 per cent over the same period last year. Oil imports during April-March, 2016-17 were valued at US$ 86457.87 million which was 4.24 per cent higher than the oil imports of US$ 82944.45 million in the corresponding period last year. The trade deficit for April-March, 2016-17 was estimated at US$ 105722.55 million as against US$ 118716.53 million during April-March, 2015-16.
- India's current account deficit (CAD) at US$ 7.9 billion (1.4 per cent of GDP) in Q3 of 2016-17 was higher than US$ 7.1 billion (1.4 per cent of GDP) in Q3 of 2015-16 and US$ 3.4 billion (0.6 per cent of GDP) in the preceding quarter. Despite a slightly lower trade deficit on a year-on-year (Y-o-Y) basis, the CAD widened primarily on account of a decline in net invisibles receipts. On a cumulative basis, the CAD narrowed to 0.7 per cent of GDP in April-December 2016 from 1.4 per cent in the corresponding period of 2015-16 on the back of the contraction in the trade deficit.

मौद्रिक विकास

- 8 नवंबर 2016 को एक आमूल–चूल उपाय अधिनियमित किया गया जब कुछ विशिष्ट उद्देश्यों को छोड़कर कानूनी निविदा को समाप्त करते हुए, तत्काल प्रभाव से दो सबसे बड़े रु 500 और रु 1000 मूल्यवर्गों के नोटों की वैध मुद्रा विशेषता की वापसी का निर्णय लिया गया था। इन नोटों को 30 दिसंबर 2016 तक बैंकों में जमा किया जाना था, जबकि नकद निकासी पर प्रतिबंध लगाए गए थे। दूसरे शब्दों में, घरेलू पैसा और बैंक जमाओं की परिवर्तनीयता पर प्रतिबंध लगाए गए थे।

- भारिबैंक ने वित्त वर्ष 2016–17 के लिए अपनी अंतिम द्विमासिक नीति में तटस्थता को उदार बनाने के लिए मौद्रिक नीति की रुख को बदला तथा इसके प्रमुख नीतिगत दरों को अपरिवर्तित भी छोड़ दिया। मौद्रिक नीति समिति, हेडलाइन मुद्रास्फीति या सीपीआई को 4 प्रतिशत के लक्ष्य के करीब लाने के लिए प्रतिबद्ध रही। इसके रुख को बदलने का यह निर्णय, मुद्रास्फीति पर विमुद्रीकरण के पड़नेवाले बुरे प्रभाव की निगरानी करना था।

- विमुद्रीकरण के बाद बचत तथा चालू खातों में बड़ी मात्रा में राशि जमा हुई है। यह बैंकों को एमसीएलआर (ऋण दर के सीमांत लागत) के तहत ब्याज दरों में कटौती करने की अनुमति देता है। सभी बैंकों की जमा दरों में तेजी से गिरावट आई और ऋण दरों की दर बहुत कम हो गई।

- मार्च 2017 की समाप्ति पर, 7.59 प्रतिशत 2026 10–वर्षीय बेंचमार्क जी–सेक आय, 6.85 प्रतिशत पर बंद हुआ।

- मांग मुद्रा की दरें रेपो दर से कम 5.85 प्रतिशत पर बंद हुईं।

- वित्तीय वर्ष 2016–17 हेतु व्यापक मुद्रा आपूर्ति (एम 3) की वृद्धि में वित्तीय वर्ष 2015–16 में 10.2 प्रतिशत के मुकाबले 7.7 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई।

- 2008 के बाद से पहली बार, निवल विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफपीआई) ने नकारात्मक वृद्धि दर्ज की है (इसका अर्थ यह है कि भारतीय बाजारों से रुपये 23079 करोड़ का बहिर्प्रवाह हुआ)। एफपीआई बहिर्वाह केवल भारतीय बाजारों से जुड़ी घटना नहीं थी, क्योंकि विकसित अर्थव्यवस्थाओं में उच्च रिटर्न की वजह से एफपीआई सबसे उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं से बाहर निकल गई।

- वित्तीय वर्ष में भारत सरकार तथा वर्ष 2016–17 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) द्वारा लिये गये कुछ प्रमुख उपाय एवं दिशानिर्देशः

- एमसीएलआर निधियों का सीमांत लागत आधारित ऋण दर (एमसीएलआर) 1 अप्रैल 2016 से लागू हुई। एमसीएलआर चार घटकों पर बनाया गया है। निधियों का सीमांत लागत, नकदी आरक्षित अनुपात (सीआरआर) के कारण नकारात्मकता का जारी रहना, परिचालन लागत और टेनर एमसीएलआर बारीकी से वास्तविक जमा दरों से जुड़ा हुआ है।

- **पीएसएलसी दिशानिर्देशः** भारिबैंक ने प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण प्रमाण पत्र (पीएसएलसी) पर दिशा–निर्देशों का विमोचन किया, जिससे बैंक अपने प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण देने की आवश्यकताओं को प्रबंधित करने के लिए इस तरह के क्रेडिट को खरीद और बेच सकते हैं। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण प्रदान करने में विशेषज्ञता के बिना बैंकों के लिए यह सकारात्मक क्रेडिट है क्योंकि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋणद के लक्ष्य को पूरा करने के लिए अपने स्वयं के संसाधनों को अन्यत्र परिवर्तित करने के बजाय, उन्हें अपनी ताकत पर ध्यान केंद्रित करने और ऐसे ऋण प्रदान करने में विशेषज्ञता के साथ बैंकों से क्रेडिट की खरीदारी की अनुमति मिलती है।

- **'दबावग्रस्त आस्तियों के धारणीय संरचना हेतु योजना (एस4ए)** ने बड़े दबावग्रस्त खातों के समाधान के लिए एक वैकल्पिक ढांचे को जारी किया। बैंक, ऋण की वह राशि निर्धारित कर सकता है जो यह सोचता है कि एक फर्म अपने मौजूदा नकदी प्रवाह के साथ सेवा कर सकता है। ऋण का यह अनुपात कंपनी के ऋण या वित्त पोषित देयताओं के आधे से कम नहीं होना चाहिए। जब एक बार ऋण के धारणीय स्तर निर्धारित हो जाता है, तब बैंक शेष ऋण को इक्विटी या अर्ध–इक्विटी लिखतों में परिवर्तित कर सकते हैं। अगर वे इस माध्यम का अनुवर्तन करना चाहते हैं तो बैंकों को भी उच्च प्रावधानों को नियत करना होगा।

- **फिन टेक और डिजिटल बैंकिंग पर कार्य दलः** भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत में वित्तीय प्रौद्योगिकी और डिजिटल बैंकिंग से संबंधित विनियामक मुद्दों के पूरे पहलुओं का अध्ययन करने के लिए एक अंतर–नियामक कार्य दल (डब्ल्यूजी) का गठन किया है। यह विनियामक ढांचा की समीक्षा करेगा तथा उचित रूप से पुनः स्थापित करेगा, और तेजी से विकसित हो रहे फिनटेक परिदृश्य की गतिशीलता पर प्रतिक्रिया देगा।

- **भारत में भुगतान और निपटान प्रणालीः विजन–2018:** विजन –2018 का लक्ष्य 'लेस–कैश' इंडिया के लिए सर्वश्रेष्ठ भुगतान और निपटान प्रणाली का निर्माण करना है। विजन–2018 का व्यापक, रूप 5 'सी' के इर्द–गिर्द घूमता हैं अर्थात, कवरेज, सुविधा, आत्मविश्वास, अभिसरण तथा लागत। इनको प्राप्त करने के लिए, विजन–2018 चार रणनीतिगत पहलों पर ध्यान केंद्रित करेगी, जैसे, उत्तरदायी विनियमन, मजबूत बुनियादी ढांचा, प्रभावी पर्यवेक्षण और ग्राहक केंद्रितता। विजन–2018 के तहत रणनीतिक पहल से कागज आधारित लिखतों को काफी कम करने की उम्मीद है तथा मोबाइल बैंकिंग और इलेक्ट्रॉनिक भुगतान के अन्य तरीकों में त्वरित वृद्धि की संभावना है।

- **भारिबैंक ने तरलता कवरेज मानदंडों को आसान कियाः** 8 प्रतिशत के मुकाबले तरलता कवरेज अनुपात के लिए तरलता का लाभ (एफएएलएलसीआर) उठाने की सुविधा के तहत उनकी जमाओं का 9 प्रतिशत तक सरकारी प्रतिभूतियाँ को उच्च गुणवत्ता वाली तरल आस्तियां (एचक्यूएलए) के रूप में गणना किया जाएगा। एलसीआर का उद्देश्य बैंकों के तरलता जोखिम प्रोफाइल की अल्पावधि लचीलेपन को बढ़ावा देना है। यह इसे सुनिश्चित करते हुए कि बैंकों के पास भार–रहित एचक्यूएलए के पर्याप्त स्टॉक है जो 30 कैलेंडर दिन तरलता दबावग्रस्त परिदृश्य के लिए अपनी तरलता की जरूरतों को पूरा करने के लिए निजी बाजारों में आसानी से तथा तुरंत नकदी में परिवर्तित हो सकते हैं।

- भारिबैंक ने बैंकों के अपने तुलन पत्रों का शोधन करने की अंतिम तिथि मार्च 2017 को बरकरार रखा है।

- **स्टार्ट–अप विदेशी वेंचर कैपिटल निवेशकों में विदेशी निवेश (एफवीसीआई):** भारतीय स्टार्टअप भारिबैंक की पूर्व अनुमति के बिना परिचालन शुरू कर सकते हैं। सेबी द्वारा पंजीकृत एफवीसीआई को भी

MONETARY DEVELOPMENTS

- A radical measure was enacted on November 8, 2016 when two largest denomination notes, ₹500 and ₹1000 were "demonetised" with immediate effect, ceasing to be legal tender except for a few specified purposes. These notes were to be deposited in the banks by December 30, 2016 while restrictions were placed on cash withdrawals. In other words, restrictions were placed on the convertibility of domestic money and bank deposits.
- RBI in its last bi-monthly policy for FY 2016-17 changed its monetary policy stance from accommodative to neutral and also left its key policy rates unchanged. The Monetary Policy Committee remained committed to bringing headline inflation or CPI closer to the target of 4%. This decision to changes its stance was to observe the transitionary effect of demonetisation on inflation and the output gap.
- Post-demonetisation a huge amount of money has come into current and savings accounts. This has allowed banks to cut rates under MCLR (Marginal Cost of Lending Rate). Deposit rates of all Banks declined rapidly and allowed lending rates to be much lower.
- The 7.59% 2026 10-year benchmark G-Sec yield closed at 6.85% as at end-March 2017.
- Call money rates closed lower than the repo rate at 5.85%.
- Broad money (M3) growth for FY 2016-17 declined to 7.7% (on account of demonetisation) as compared to 10.2% in FY 2015-16.
- For the first time since 2008, Net Foreign Portfolio Investments (FPI) have turned negative (implying that there was an outflow from the Indian markets to the tune of ₹23079 crore). The FPI outflow was not a phenomenon associated with Indian markets alone as FPIs pulled out of most EMEs in a big way due to higher returns in advanced economies.
- Some of the key measures and guidelines taken by Government of India in Financial Year and Reserve Bank of India (RBI) 2016-17:
- MCLR Marginal Cost of Funds Based Lending Rates (MCLR) came into effect from 1st April 2016. MCLR is built on four components. Marginal cost of funds, Negative carry on account of cash reserve ratio (CRR), Operating costs and Tenor premium. MCLR is closely linked to the actual deposit rates.
- **PSLC Guidelines:** RBI released guidelines for priority sector lending certificates (PSLC), whereby banks can buy and sell such credits to manage their priority sector lending requirements. This is credit positive for banks without expertise in making priority sector loans because it allows them to focus on their strengths and purchase credits from banks with expertise in making such loans, instead of diverting their own resources towards meeting priority sector lending targets
- **Scheme for Sustainable Structuring of Stressed Assets' (S4A)** released an optional framework for the resolution of large stressed accounts. Bank can determine the amount of debt that it thinks a firm can service with its current cash flows. This proportion of debt must not be less than half the loans or funded liabilities of the company. Once the sustainable level of debt has been determined, banks can convert the rest of the debt into equity or quasi-equity instruments. Banks will also need to set aside higher provisions if they choose to follow this route.
- **Working Group on Fin Tech and Digital Banking:** RBI constituted an inter-regulatory Working Group (WG) to study the entire gamut of regulatory issues relating to Financial Technology and Digital Banking in India. It will review and appropriately reorient the regulatory framework, and respond to the dynamics of the rapidly evolving Fintech scenario.
- **Payment and Settlement Systems in India: Vision-2018:** The Vision-2018 aims at building best of class payment and settlement systems for a 'less-cash' India. The broad contours of Vision-2018 revolve around 5 Cs i.e, coverage, convenience, confidence, convergence and cost. To achieve these, Vision- 2018 will focus on four strategic initiatives, such as, responsive regulation, robust infrastructure, effective supervision and customer centricity. The strategic initiatives under Vision-2018 are expected to reduce paper-based instruments significantly and lead to accelerated growth in mobile banking and other modes of electronic payments.
- **RBI Eases Liquidity Coverage Norms:** Government securities up to 9 per cent of their deposits under the Facility to Avail Liquidity for Liquidity Coverage Ratio (FALLCR) will be reckoned as High Quality Liquid Assets (HQLA) as against 8 per cent. The objective of the LCR is to promote short-term resilience of the liquidity risk profile of banks. It does this by ensuring that banks have adequate stock of unencumbered HQLA that can be converted easily and immediately into cash in private markets to meet their liquidity needs for a 30 calendar day liquidity stress scenario.
- RBI retained its deadline of March 2017 to clean up balance sheets of Banks.
- **Foreign Investment in Start-Ups Foreign Venture Capital Investors (FVCIs):** Indian start-ups can start operations without prior permission of RBI. SEBI-registered FVCIs have also been permitted to invest in

भारिबैंक की पूर्व अनुमति के बिना जैव प्रौद्योगिकी, नैनो प्रौद्योगिकी और डेयरी जैसे क्षेत्रों में सूचीबद्ध न किए गए फर्मों में निवेश करने की अनुमति है।

- **वाणिज्यिक पेपर जारी करने पर संशोधित नियमः** भारतीय रिजर्व बैंक ने वाणिज्यिक पत्रों (सीपी) के लिए संशोधित दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिसमें अनिवार्य किया गया है कि जारीकर्ता को ऐसे निधियों का उद्दिष्ट उपयोग के बारे में खुलासा कर देना चाहिए और यह कि निवेशकों को बिक्री से 60 दिन के पहले अपनी प्रतिभूतियों को वापस नहीं खरीद सकता है। जारीकर्ता को क्रेडिट एजेंसी से कम से कम दो रेटिंग प्राप्त करने चाहिए, तथा सीपी को कम रेटिंग प्रदान करना होगा जो सिर्फ एक रेटिंग की आवश्यकता से ऊपर की आवश्यकता होनी चाहिए।

- **एनआरआई को एक्सचेंज–ट्रेडेड मुद्रा डेरिवेटिव में निवेश करने हेतुः** भारिबैंक ने अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) को एक्सचेंज ट्रेडेड मुद्रा डेरिवेटिव (ईटीसीडी) में निवेश करने की अनुमति दी है। एनआरआई को भारत में अपनी निवेश की प्रतिरक्षा हेतु अतिरिक्त हेजिंग उत्पादों को सक्षम करने की दृष्टि से, भारिबैंक ने एनआरआई को भारत में अपने निवेश से उत्पन्न होने वाले मुद्रा जोखिम की प्रतिरक्षा हेतु एक्सचेंज ट्रेडेड मुद्रा डेरिवेटिव मार्केट तक पहुंचने की अनुमति देने का निर्णय लिया है। वर्तमान में एनआरआई को अधिकृत डीलर (एडी) बैंकों के साथ काउंटर पर (ओटीसी) लेनदेन के जरिए अपने रुपये की मुद्रा जोखिम की प्रतिरक्षा करने की करने की अनुमति है।

आनेवाला वर्ष

- विमुद्रीकरण का प्रभाव और अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले इसके प्रभाव को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसका प्रभाव सिर्फ क्षणिक होगा न की स्थायी होगा। इस महत्वपूर्ण स्पीलओवर प्रभाव के कारण अर्थव्यवस्था में अस्थायी तौर पर गिरावट की संभावना हो सकती है, चूंकि नीतिगत सुधारों की संख्या बहुत अधिक है जिससे उम्मीद है कि अगले दो सालों में अर्थव्यवस्था में सुधार होगा और इसके विकास में वृद्धि होगी।

- जैसा कि वैश्विक कारकों का विकास हो रहा हैं और इसके प्रभाव अभी भी अनिश्चित हैं, देशी अर्थव्यवस्था हेतु विकास की नींव में आगे और मजबूती आने की उम्मीद है क्योंकि कई ऐसे घरेलू कारक है जो विकास को एक अनुकूल दिशा में ले सकते है। पुनर्मुद्रीकरण की तीव्र गति को देखते हुए, स्वनिर्णयगत गतिविधियों पर खपत व्यय में काफी वृद्धि हुई है, प्रणाली में अतिरिक्त तरलता के कारण सभी बैंक ने खपत और निवेश को और अधिक सहायता के लिए बैंक ऋण दर को कम कर दिया है।

- राजकोषीय मोर्चे पर, केंद्रीय बजट में, पूंजीगत व्यय को प्रोत्साहित करने, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने और सामाजिक और भौतिक बुनियादी ढांचे का निर्माण करने के लिए विभिन्न योजनाओं और नीतियों की घोषणा की गई है। साथ ही, जीएसटी के रोल–आउट के साथ महत्वपूर्ण और संरचनात्मक सुधार, दिवालियापन और दिवालियापन संहिता, और विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड का उन्मूलन, निवेशकों के आत्मविश्वास को बढ़ावा देगा।

विस्तृत कारोबार समीक्षाः

- पिछले वर्ष के ₹3,10,918 करोड़ से बैंक का वैश्विक कारोबार मार्च 31, 2017 को ₹3,14,654 करोड़ के स्तर तक पहुँचा जो ₹3736 करोड़ या 1.20 प्रतिशत की बढ़त दर्शाता है।

- बैंक के देशी कारोबार में ₹3835 करोड़ की वृद्धि से यह मार्च 31, 2016 को ₹2,99,738 करोड़ से बढ़कर ₹3,03,573 करोड़ हो गया जो 1.28 प्रतिशत की बढ़त दर्शाता है।

संसाधन संग्रहणः

- बैंक की वैश्विक जमाराशियाँ 31 मार्च, 2017 को ₹1,82,509 करोड़ हो गईं, जबकि पिछले वर्ष यह ₹1,78,286 करोड़ थीं तथा इनमें 2.37 प्रतिशत या ₹4223 करोड़ की वृद्धि हुई है। पिछले वर्ष में ₹1,72,652 करोड़ से बैंक की देशी जमाराशियों में ₹4432 करोड़ की वृद्धि से ये ₹1,77,084 करोड़ हो गईं जोकि 2.57 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है।

- 31 मार्च 2017 को कासा जमाराशियाँ पिछले वर्ष के ₹55,153 करोड़ से बढ़कर ₹66,677 करोड़ हो गईं जोकि 20.89 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है।

ऋण विनियोजनः

- 31 मार्च 2016 को ₹1,32,632 के मुक़ाबले बैंक का सकल अग्रिम ₹1,32,145 रहा। पिछले वर्ष ₹1,27,087 करोड़ के मुक़ाबले 31 मार्च 2017 को ₹598 करोड़ की गिरावट के साथ घरेलू ऋण ₹1,26,489 करोड़ रहा।

- देशी खाद्येतर ऋण पिछले वर्ष के ₹1,25,072 करोड़ के मुकाबले ₹26 करोड बढ़कर 31 मार्च 2017 को ₹1,25,098 करोड़ हो गया है।

- वैश्विक ऋण जमा (सीडी) अनुपात 31 मार्च 2017 को 72.40 प्रतिशत पर था।

शाखा तंत्र और विस्तारः

- बैंक ने वर्ष के दौरान अपने वितरण नेटवर्क में 117 शाखाएं जोडते हुए 2679 शाखाओं तक इसका विस्तार किया तथा इसमें 705 ग्रामीण, 732 अर्धशहरी, 594 शहरी और 648 महानगरीय शाखाएं हैं। बैंक ने वर्ष 2016–17 में देश के 21 राज्यों में 117 शाखाएं खोलीं है। मिजोरम एवं मणिपुर राज्य में शाखाएँ खोलने के साथ ही बैंक ने पूरे भारत में शाखाओं की उपस्थिति सुनिश्चित की है।

- भारिबैंक द्वारा पहचाने गए कम बैंकिंग सुविधा प्राप्त 356 जिलों में बैंक की 360 शाखाएं हैं। अल्पसंख्यकों की संख्या जिन जिलों में अधिक है, उनमें बैंक की 424 शाखाएं भी हैं तथा बैंक–रहित केन्द्रों में बैंक की 209 शाखाएं हैं।

- सिंगापुर, कोलंबो और जाफना में बैंक की 3 विदेशी शाखाएं कार्यरत हैं।

खण्डवार निष्पादन

- 31.03.2017 को **प्राथमिकता क्षेत्र के** अग्रिम ₹51,521 करोड़ रहे। समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) के तिमाही औसत के प्रतिशत के रूप में प्राथमिकता क्षेत्र, वर्ष 2016–17 के लिए 40.00 प्रतिशत के अनिवार्य लक्ष्य के मुकाबले 42.31 प्रतिशत रहा।

- कृषि अग्रिम ₹24,293 करोड़ रहा तथा एएनबीसी के तिमाही औसत के प्रतिशत के रूप में 18.00 प्रतिशत के अनिवार्य लक्ष्य के मुकाबले 19.95 प्रतिशत रहा।

- दिनांक 31.03.2017 को लघु /सीमांत कृषकों को बैंक का ऋणद ₹10,738.48 करोड़ रहा तथा वर्ष 2016–17 हेतु तिमाही औसत आधार पर समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) का 8.82 प्रतिशत था।

unlisted firms in sectors like biotechnology, nanotechnology and dairy without prior permission of the RBI.

- **Revised rules on commercial paper issuance:** RBI issued revised guidelines for commercial papers (CP), including mandating that the issuer must disclose the end-use of such funds and that it cannot buy back its securities before 60 days from the sale to investors. The issuer must receive at least two ratings from a credit agency, and would have to assign the lower rating to the CP, up from a requirement of needing only one rating.
- **NRIs to invest in exchange-traded currency derivatives:** RBI allowed Non-Resident Indians (NRIs) to invest in exchange-traded currency derivatives (ETCD). With a view to enable additional hedging products for NRIs to hedge their investments in India, RBI has decided to allow them access to the exchange-traded currency derivatives market to hedge the currency risk arising out of their investments in India. Currently NRIs are permitted to hedge their rupee currency risk through over-the-counter (OTC) transactions with authorised dealer (AD) banks.

Year ahead

- The impact of demonetisation and its impact on the economy cannot be ignored but the effect it will have will only be transient and not permanent. The considerable spillover effects are expected to only weigh down on the economy temporarily as there are number of policy reforms that are expected to revive the economy and further its growth in the next couple of years.
- As the global factors are evolving and its impact are still uncertain, foundations of growth for domestic economy is expected to strengthen further as several domestic factors are expected to drive the growth in a favorable direction. Given the rapid pace of remonetisation, consumption spending on discretionary activities has increased considerably, all the banks on account of excess liquidity in the system has reduced the bank lending rate to further aid consumption and investment.
- On a fiscal front, in the Union Budget, various schemes and policies have been announced to stimulate capital expenditure, revive rural economy and build social and physical infrastructure. Additionally, key and structural reforms along the line of roll-out of GST, Insolvency and Bankruptcy Code, and the abolition of the Foreign Investment Promotion Board will boost investor confidence.

DETAILED BUSINESS OVERVIEW

- Global Business of the Bank has touched a level of ₹3,14,654 crore as on March 31, 2017 from ₹3,10,918 crore in the previous year, registering an increase of ₹3736 crore or 1.20 %.
- Domestic Business has increased by ₹3835 crore to ₹3,03,573 crore from ₹2,99,738 crore as on March 31, 2016, registering a growth of 1.28%.

RESOURCE MOBILISATION

- Global Deposits of the Bank reached a level of ₹1,82,509 crore as on March 31, 2017 from ₹1,78,286 crore in the previous year, with an increase of ₹4223 crore or 2.37%. Domestic Deposits of the Bank has increased by ₹4432 crore to ₹1,77,084 crore from ₹1,72,652 crore in the previous year, registering a growth of 2.57%.
- Domestic CASA Deposits has reached the level of ₹66,677 crore as on March 31, 2017 from ₹55,153 crore in the previous year, recording a growth of 20.89 %.

CREDIT DEPLOYMENT

- Gross Advances of the Bank stood at ₹1,32,145 crore as against ₹1,32,632 crore as on March 31, 2016. Domestic Credit has declined by ₹598 crore to ₹1,26,489 crore as on March 31, 2017 as against ₹1,27,087 crore last year.
- Domestic Non food credit has increased by ₹26 crore to ₹1,25,098 crore as on March 31, 2017 as against ₹1,25,072 crore in the previous year.
- Global Credit-Deposit Ratio as on March 31, 2017 stood at 72.40%.

BRANCH NETWORK AND EXPANSION

- Bank has expanded its distribution network by 117 branches during the year to 2679 branches, comprising of 705 Rural, 732 Semi urban, 594 Urban and 648 Metropolitan branches. The Bank has opened 117 branches across 21 states during 2016-17. By opening branches in the States of Mizoram and Manipur, pan- India presence of the Bank has been ensured.
- In the 356 underbanked districts identified by Reserve Bank of India, the Bank has 360 branches. The Bank also has 424 branches in Minority concentrated Districts and 209 branches in the unbanked centres
- Bank has 3 foreign branches in Singapore, Colombo and Jaffna.

SEGMENT - WISE PERFORMANCE

- Quarterly Average Priority Sector Advances was at ₹51,521 crore as on 31.03.2017. Priority sector as a percentage to quarterly average Adjusted Net Bank Credit (ANBC) for 2016-17 stood at 42.31% as against the mandatory target of 40.00%.
- Quarterly Average Agriculture Credit was at ₹24,293 crore and the percentage to quarterly average ANBC stood at 19.95% as against the mandatory target of 18.00%.
- Quarterly Average Lending to SF/MF stood at ₹10,738.48 crore as on 31.03.2017 and constituted 8.82% of Adjusted Net Bank Credit (ANBC) on quarterly average basis for the year 2016-17.

- दिनांक 31.03.2017 को कमजोर वर्गों को बैंक का ऋणद ₹14,713.36 करोड़ रहा तथा वर्ष 2016–17 हेतु तिमाही औसत आधार पर समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) का 12.08 प्रतिशत था।

- दिनांक 31.03.2017 को एमएसई–माइक्रो को बैंक का ऋणद ₹9587.25 करोड़ रहा तथा वर्ष 2016–17 हेतु तिमाही औसत आधार पर समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) का 7.87 प्रतिशत था।

कृषि वितरण:

- विशेष कृषि ऋण योजना (एसएसीपी) के अंतर्गत बैंक ने वार्षिक लक्ष्य ₹17,500 करोड़ के मुक़ाबले वर्ष 2016–17 के दौरान ₹21,675.35 करोड़ के कृषि ऋण वितरित किये हैं।

- 17.70 लाख लघु / सीमांत किसानों हेतु ₹11,422 करोड़ के संवितरण के साथ कृषि क्षेत्र के विकास में बैंक अग्रणी भूमिका निभाता है।

गहन कृषि ऋण अभियान:

- कृषि हेतु ऋण प्रवाह बढ़ाने तथा कृषकों के साथ बैंक के संबंध को सुदृढ़ बनाने के दोहरे उद्देश्य से समय से पर्याप्त ऋण प्रदान कर रबी और खरीफ मौसमों के प्रतिवर्ष दौरान सभी शाखाओं द्वारा गहन कृषि ऋण अभियान चलाए जाते हैं।

- अभियान के दौरान, गांवों में किसानों से आवेदन जुटाया जाता है तथा इन्हें उसी जगह पर, शाखा का दौरा किए बिना ही यथासमय ऋण मंजूर किया जाता है।

- शाखाओं ने दिनांक 01.07.2016 से दिनांक 30.09.2016 तक "गहन कृषि ऋण खरीफ अभियान" मनाया। अभियान अवधि के दौरान शाखाओं ने कुल ₹6270 करोड़ संवितरित किए।

- शाखाओं ने दिनांक 30.11.2016 से दिनांक 31.01.2017 तक "गहन कृषि ऋण रबी अभियान" मनाया। 31.01.2017 को समाप्त अभियान अवधि के दौरान शाखाओं ने कुल ₹3773 करोड़ संवितरित किए।

छोटे एवं सीमान्त किसानों हेतु गहन कृषि ऋण अभियान:

श्री एम.नागरजन, महाप्रबन्धक (पी एवं डी / सीसीडी) द्वारा 07.03.2017 को ट्रैक्टर ऋण और अन्य वर्टिकल उत्पाद ऋण का संवितरण

रामापुरम शाखा–काँचीपुरम अंचल में उत्पादन करनेवाले किसानों, कंपनी, खाद्य प्रसंस्करण और स्वयं सहायता समूहों के लिए ऋण संवितरण

कृषि यंत्रीकरण दिवस - धर्मपुरी अंचल

22.02.2017 को मदुरै में – सुगुना फूड्स – पौल्ट्री – टाई अप – बैठक

- Quarterly Average Lending to Weaker Sections stood at ₹14,713.36 crore as on 31.03.2017 and constituted 12.08% of Adjusted Net Bank Credit (ANBC) on quarterly average basis for the year 2016-17.
- Quarterly Average Lending to MSE-Micro stood at ₹9587.25 crore as on 31.03.2017 and constituted 7.87% of Adjusted Net Bank Credit (ANBC) on quarterly average basis for the year 2016-17.

Agricultural Disbursement:

- Under Special Agricultural Credit Plan (SACP), Bank disbursed farm loans to the tune of ₹21,675.35 crore during the FY 2016-17 as against an annual target of ₹17,500 crore.
- Bank leads the farm sector growth with a disbursement of ₹11,422 crore to 17.70 lakh small/marginal farmers.

Intensive Farm Credit Campaigns:

- With the dual objective of enhancing credit flow to agriculture and strengthening relationship with the farmers, the Bank is observing "Intensive Farm Credit Campaigns", every year during Kharif and Rabi seasons to extend timely and adequate credit to farmers.
- During the campaigns, at the villages, applications are mobilized from the farmers and loans are sanctioned on the spot obviating the need for branch visit.
- Branches observed "Intensive Farm Credit Kharif Campaign" from 01.07.2016 to 30.09.2016. During the campaign period, a sum of ₹6270 crore was disbursed.
- Branches observed "Intensive Farm Credit Rabi Campaign" from 30.11.2016 to 31.01.2017. During the campaign period ended 31.01.2017, branches had disbursed a sum of ₹3773 crore.

Intensive Farm Credit Campaign for Small and Marginal Farmers

Disbursement of Tractor Loans and other vertical product loans by Shri M.Nagarajan, GM (P&D/CCD) on 07.03.2017

Disbursement of Loans to Farmers Producers' Company, Food Processing and Self Help Groups at Ramapuram Branch - Kancheepuram Zone

Farm Mechanisation Day - Dharmapuri Zone

Suguna Foods - Poultry - tie Up - meet at Madurai – 22.02.2017

खंडवार निष्पादन

ज़ेवर ऋण:

- मार्च 2016 में 1949 के मुकाबले ज़ेवर ऋण 2113 शाखाओं में लागू किया गया है। ₹1,008.49 करोड़ की वृद्धि के साथ मार्च 2016 के स्तर के ₹17,642.48 करोड़ के मुकाबले ज़ेवर ऋण में बकाया राशि ₹ 18,671.34 करोड़ है। 25 अंचलों में फैली 235 शाखाओं में एक्सप्रेस काउंटर स्थापित किए गए हैं।

स्वयं सहायता समूहों को ऋण प्रवाह:

- स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) अधिमान्यतः समान सामाजिक–आर्थिक पृष्ठभूमि के गरीब लोगों का एक लघु स्वैच्छिक संस्था है। ये लोग स्वावलंबन और पारस्परिक सहायता के माध्यम से अपने आम समस्याओं को सुलझाने के उद्देश्य हेतु एकजुट होते हैं। एसएचजी अवधारणा, बैठकों के संचालन, किफायती बचत और ऋण देने के फैसले पर सहभागिता निर्णय लेने के लिएअवसर प्रदान करता है।

एसएचजी बैंक लिंकेज कार्यक्रम के लिए नाबार्ड द्वारा बैंक को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया

- **2015–16 में "सर्वश्रेष्ठ निष्पादन" के लिए तमिलनाडु स्टेट लेवल पुरस्कार**

- मार्च, 2016 के समाप्ति पर ₹514.89 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी के साथ मार्च, 2016 में ₹2763.88 करोड़ के स्तर के मुकाबले 1.44 लाख एसएचजी को कवर करते हुए एसएचजी का बकाया ऋण ₹3278.77 करोड़ रहा। चालू वित्तीय वर्ष में, 1.16 लाख एसएचजी को ₹2614.96 करोड़ संवितरित किए।

माइक्रोसेट शाखाएँ:

- गरीब वर्ग को समुचित वित्तीय जरूरतों हेतु, झोपड़ियों, मलिन बस्तियों और किराए के घरों में रहने वाले शहरी गरीब और महानगरीय शहरों और शहरीकेंद्रों के गली में रहने वाले लोगों के लिए स्वयं सहायता समूह की अवधारणाका लाभ उपलब्ध कराने हेतु विशेषीकृत संगठन "सर्व सेवा केंद्र" द्वारा सेवाप्रदान करने के लिए माइक्रोसेट शाखाएं स्थापित की गई थीं।

- बैंक ने स्वयं सहायता समूह को विशेष रूप से सेवा के लिए 40 माइक्रोसेट शाखाएँ स्थापित की हैं। चालू वित्तीय वर्ष में, 28,895 एसएचजी को माइक्रोसेट शाखाओं के माध्यम से ₹690.70 करोड़ की राशि का ऋण प्रदान किया गया। 35,774 एसएचजी को कवर करते हुए इन माइक्रोसेट शाखाओं का कुल बकाया अग्रिम मार्च, 2016 में ₹694.98 करोड़ के स्तर के मुकाबले ₹77.90 करोड़ की बढ़ोतरी के साथ ₹772.88 करोड़ रहा।

माइक्रोसेट शाखा हैदराबाद द्वारा एसएचजी माह जनवरी 2017 के दौरान एसएचजी संवितरण

- जिन किसानों के पास उचित भूमि अभिलेख नहीं हैं / जिनके पास जमीन नहीं है, उन वर्गों को ऋण सहायता प्रदान करने के लिए, बैंक संयुक्त देयता समूहों के माध्यम से वित्तपोषण को प्रोत्साहित कर रहा है और 1297 जेएलजी को कवर करते हुए 31.03.2017 को बकाया ऋण ₹21.65 करोड़ रहा।

शैक्षिक ऋण योजना:

- शैक्षिक ऋण के तहत एक्सपोजर ₹3501.31 करोड़ (31.03.2016 को) से बढ़कर ₹3642.96 करोड़ (31.03.2017 को) हो गया।

SEGMENT - WISE PERFORMANCE

JEWEL LOAN:

- Jewel loan has been implemented in 2113 branches as against 1949 in March 2016. The outstanding balance in jewel loan is ₹18,671.34 crore as against the March 2016 level of ₹17,642.48 crore with an increase of ₹1,008.49 crore. Express counters have been established in 235 branches spread over 25 Zones.

Credit flow to Self Help Groups:

- Self-Help Group (SHG) is a small voluntary association of poor people, preferably from the same socio-economic background. They come together for the purpose of solving their common problems through self-help and mutual help. SHG concept offers opportunity for participative decision making on conduct of meetings, thrift and credit decisions.

Bank was awarded first prize by NABARD for SHG Bank Linkage programme

- **Tamilnadu State level award for "Best performance" in 2015-16**

- Outstanding credit to SHGs stood at ₹3278.77 crore covering 1.44 lakh SHGs, as against the March 2016 level of ₹2763.88 crore, with an increase of ₹514.89 crore over March 2016. During the current financial year, an amount of ₹2614.96 crore was disbursed to 1.16 lakh SHGs.

Microsate Branches:

- To make available the benefit of SHG concept to scores of urban poor living in huts, slums and tenements and near the gullies in Metropolitan cities and Urban centers, specialized outfits that can serve as a "one stop shop", called Microsate Branches were established, for the entire financial needs of the poorer section.

- Bank established 40 Microsate Branches to exclusively serve the SHGs. During the current financial year, credit amounting to ₹690.70 crore was extended to 28,895 SHGs through the Microsate branches. The total outstanding advances of these Microsate Branches stood at ₹772.88 crore covering 35,774 SHGs as against the March 2016 level of ₹694.98 crore, i.e. an increase of ₹77.90 crore.

SHG disbursement by Microsate Branch Hyderabad during SHG month January 2017

- With a view to render credit support to those category of farmers who do not possess proper land records/not having own lands, Bank has been encouraging financing through Joint Liability Groups and the outstanding credit stood at ₹21.65 crore covering 1297 JLG as on 31.03.2017.

Education loan scheme:

- Exposure under Educational loan increased from ₹3501.31 crore (as on 31.03.2016) to ₹3642.96 crore (as on 31.03.2017).

- मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के दौरान, बैंक ने 21,659 छात्रों को शैक्षिक ऋण के रूप में 472.67 करोड़ की राशि वितरित की।

- बैंक मैसर्स एनएसडीएल ई–गवर्नेंस द्वारा विकसित "विद्या लक्ष्मी पोर्टल" से जुड़ा हुआ है, जो छात्रों के लिए बैंक की शैक्षिक ऋण योजनाओं और समान शैक्षिक ऋण आवेदन पत्र के बारे में जानकारी प्रदान करते हुए एक एकल खिड़की प्रदान करता है।

- वर्ष 2016–17 के दौरान **आईबी शैक्षिक ऋण प्राइम और आईबी शैक्षिक ऋण प्राइम–एनआईटी** को बेहतरीन नियमों और शर्तों पर प्रमुख संस्थानों के मेधावी छात्रों के लिए व्यापक रूप से प्रचारित किया गया था। विदेशों में अध्ययन के लिए भी शैक्षिक ऋण को व्यापक रूप से प्रचारित किया गया था। आगामी वित्तीय वर्ष के दौरान भी गतिशीलता जारी रहेगी।

शैक्षिक ऋण प्रक्रिया को सरल और आसान बनाते हुए, बैंक ने अपने परिसर से बाहर कदम रखते हुए विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में शैक्षिक ऋण शिविरों का आयोजन किया।

कौशल विकास के लिए क्रेडिट गारंटी योजना:

- इस योजना के तहत 17.10.2015 से 58 पात्र शैक्षिक ऋण खातों की पहचान की गई थी तथा 31.03.2017 को समाप्त वर्ष में ₹ 4041.00 की गारंटी शुल्क का भुगतान किया गया था।

शिक्षा ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम (सीजीएफएसईएल)

बैंक ने 16 सितंबर, 2015 से शैक्षिक ऋण की क्रेडिट गारंटी हेतु राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी के साथ एक समझौता किया।

अब तक उपलब्ध कराई गई कवर गारंटी का विवरण नीचे दिया गया है::

(राशि ₹ में)

तिमाही	खातों की संख्या	उपलब्ध गारंटी कवर (करोड़ में)	भुगतान की गई गारंटी शुल्क (लाख में)
योजना की शुरुआत 16.09.2016 to 31.03.2016	2277	11.41	8.75
01.04.2016 to 30.06.2016	917	5.91	3.41
01.07.2016 to 30.09.2016	1366	9.55	3.66
30.09.2016 to 31.12.2016	1145	6.60	1.26
कुल	**5705**	**33.47**	**17.08**

शैक्षिक ऋण हेतु ब्याज सब्सिडी योजना:

- **आईबीए शैक्षिक ऋण के लिए 'सीएसआईएस' के तहत ब्याज सब्सिडी प्रदान करने की केंद्रीय योजना:** भारत में व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रमों का अध्ययन करने वाले आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा जिनकी सालाना कुल अभिभावक/पारिवारिक आय ₹4.50 लाख प्रति वर्ष से अधिक नहीं है, से जुड़े छात्रों द्वारा लिए गए शैक्षिक ऋण (आईबीए योजना) की अधिस्थगन अवधि के दौरान लगाए गए ब्याज पर उन्हें सब्सिडी के रूप में प्रदान किया जाता है। यह योजना 01.04.2009 के बाद संवितरित किए गए शैक्षिक ऋण पर लागू है।

- **अल्पसंख्यक समुदाय के उधारकर्ताओं को शैक्षिक ऋण हेतु पढ़ो परदेश योजना :** अल्पसंख्यक समुदाय के शैक्षिक ऋण उधारकर्ताओं जो विदेश में अपनी मास्टर्स / एम.फिल / पीएचडी अध्ययन करते हैं तथा जिनकी वार्षिक अभिभावक/पारिवारिक आय ₹6.00 लाख से कम है, को अधिस्थगन अवधि के दौरान लगाया गया ब्याज सब्सिडी के रूप में दिया जाता है। यह योजना 01.04.2013 के बाद मंजूर तथा और संवितरित किए गए ऋणों पर लागू है।

- **ब्याज सब्सिडी प्रदान करने के लिए (एसीसीआईएसओएसबीसीईसी) डॉ. अम्बेडकर केंद्रीय योजना:** सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने विदेश में अध्ययन के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग (ईबीसी) के विद्यार्थियों हेतु ब्याज सब्सिडी के लिए डॉ. अंबेडकर केंद्रीय योजना अर्थात ब्याज सब्सिडी योजना का शुभारंभ किया है। यह योजना 01.04.2014 के बाद मंजूर तथा संवितरित किए गए ऋणों के लिए लागू है।

योजनाओं की शुरुआत से दावा की गई राशि तथा मार्च 2017 तक प्राप्त राशि के ब्यौरे इस प्रकार है:

(राशि ₹ करोड़ों में)

योजना	दावाकृत	निपटाऐ गए खात	प्राप्त किया जाने वाला शेष
सीईएसआईईएस	738.96	613.60	125.36
पढ़ो प्रदेश	0.83	0.47	0.36
एसीएसआईएसओबीसीईबीसी	0.69	0.44	0.25

- During the year ended March 2017, Bank disbursed a sum of ₹472.67 crore as educational loans to 21,659 students.
- Bank is connected to "Vidya Lakshmi Portal" developed by M/s. NSDL e-Governance which provides a single window, featuring information about Educational Loan Schemes of Banks and Common Educational Loan Application Form for Students.
- **IB Educational Loan Prime and IB Educational Loan Prime - NIT** for the meritorious students of premier institutions at finer terms and conditions were widely canvassed during the year 2016-17. Educational Loan for studies abroad was also canvassed widely. The dynamism will be continued during the upcoming financial year also.

Bank stepped out of its premises and organized educational loan camps at Universities and colleges, making the process simple and easy.

Credit Guarantee Scheme for Skill Development:

- 58 eligible Educational loan accounts were identified under the scheme since 17.10.2015 and guarantee fee of ₹4041 was paid for the year ended 31.03.2017.

Credit Guarantee Fund Scheme for Education Loans (CGFSEL)

Bank entered into an agreement with National Credit Guarantee Trustee Company for credit guarantee of Educational loans from September 16, 2015.

The details of guarantee cover extended so far is as below:

(Amount in ₹)

Quarter	No. of accounts	Guarantee cover (in crore)	Guarantee available fee paid (in lakh)
Inception of the scheme 16.09.2016 to 31.03.2016	2277	11.41	8.75
01.04.2016 to 30.06.2016	917	5.91	3.41
01.07.2016 to 30.09.2016	1366	9.55	3.66
30.09.2016 to 31.12.2016	1145	6.60	1.26
Total	**5705**	**33.47**	**17.08**

Interest Subsidy schemes for Educational Loans

- Central Scheme to provide Interest Subsidy under 'CSIS' for IBA Educational Loan: Interest charged during the moratorium period of Educational loans (IBA Scheme) availed by students hailing from Economically weaker section who pursue professional and technical courses in India and whose annual gross parental/ family income does not exceed ₹4.50 lakh per annum, is provided as subsidy. The scheme is applicable to Educational loans disbursed after 01.04.2009.
- Padho Pardesh Scheme to Educational Loan Borrowers of minority community: Interest charged during the moratorium period is provided as subsidy for the educational loan borrowers of minority community who pursue their Masters /M.Phil./ Ph.D studies abroad and whose annual parental/family income is less than ₹6.00 lakh. The scheme is applicable to the loans sanctioned and disbursed after 01.04.2013.
- Dr Ambedkar Central Scheme to provide Interest Subsidy (ACSISOBCEBC): Ministry of Social Justice and Empowerment has introduced an interest subsidy scheme namely Dr Ambedkar Central Scheme for Interest subsidy for students of Other Backward community (OBC) and Economically Backward category (EBC) for studies abroad. The scheme is applicable for the loans sanctioned and disbursed after 01.04.2014.

Details of amount claimed since inception of the schemes and amount received upto March 2017 are as follows:

(Amount ₹ in crores)

SCHEME	CLAIMED	SETTLED	BALANCE TO BE RECEIVED
CSIS	738.96	613.60	125.36
PADHO PARDESH	0.83	0.47	0.36
ACSISOBCEBC	0.69	0.44	0.25

कमजोर वर्ग को अग्रिम:

कमजोर वर्गों जिसमें छोटे और सीमांत किसान, कारीगर, गांव तथा कुटीर उद्योग, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति, स्वयं–सहायता समूह आदि शामिल हैं, हेतु निर्धारित अनिवार्य अग्रिम के लक्ष्य को बैंक निरंतर पार कर रहा है।

- मार्च 2017 के अंत तक कमजोर वर्गों को बकाया ऋण ₹14,787.36 करोड़ था तथा कमजोर वर्ग के तहत औसत बकाया ऋण 10 % के निर्धारित मानक के विरूद्ध एएनबीसी के 12.08 % था।
- 31.03.2017 को अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों को बकाया – ₹ 2244.86 करोड़ रूपये था जो बैंक के प्राथमिकता क्षेत्र के अग्रिमों का 4.08 % था।

आंध्र प्रदेश राज्य की कोटकोटा शाखा में एससी / एसटी और अल्पसंख्यक क्रेडिट अभियान का आयोजन

- अल्पसंख्यक समुदायों को ऋण देने के लिए विशेष अभियान आयोजित किए गए। मार्च 2017 को समाप्त हुए महीने में अल्पसंख्यकों को अग्रिम ₹ 7921.49 करोड़ अर्थात कुल प्राथमिकता क्षेत्र को निर्धारित 15% अग्रिम के मुकाबले 15.02% रहा।

मुद्रा योजना:

- मुद्रा योजना के अंतर्गत आवंटित ₹2000 करोड़ के लक्ष्य के मुकाबले, बैंक ने 115% की उपलब्धि दर्ज करते हुए ₹2173.71 करोड़ को पार कर लिया।
- मुद्रा योजना के अंतर्गत, बैंक ने विभिन्न एमएसएमई क्षेत्रों जैसे बुनाई, परिवहन, खुदरा व्यापार, लघु व्यवसाय, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन, मुर्गीपालन, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन, कृषि क्लिनिक और कृषि व्यवसाय केंद्र, खाद्य व कृषि प्रसंस्करण एवं सभी विनिर्माण तथा सेवाओं की गतिविधियों के लिए ₹ 10.00 लाख की सीमा तक ऋण प्रदान किया।

मुद्रा के तहत वित्तपोषण हेतु आयोजित विशेष अभियान:

- वित्त मंत्रालय, डीएफएस, भारत सरकार के निदेशानुसार बैंक ने 15 सितंबर से 31 अक्टूबर 2016 तक मुद्रा ऋण के लिए एक विशेष अभियान का आयोजन किया था।

- दिनांक 13.12.2016 व 17.12.2016 के दौरान विभिन्न राज्यों में रोड शो का आयोजन विशेष रूप से मुद्रा योजना के लिए आवेदनों को एकत्रित करने हेत किया गया।

आदर्श ग्राम विकास योजना (एमवीडीपी):

- अपनाए जाने वाले गांवों के समग्र विकास को हासिल करने के उद्देश्य से,आदर्श ग्राम के अवधारणा की निरंतरता हेतु सोचा जाना तथा सभी स्टेकधारकों द्वारा समन्वित दृष्टिकोण एवं यह सुनिश्चित करना कि विभिन्न योजनाओं का लाभ गांवों के लिए लाया जाता है। तदनुसार, आदर्श ग्राम योजना बनाया गया तथा 13 जिलों एवं पुदुच्चेरी संघ राज्य में फैले 21 गांवों में जहां बैंक को अग्रणी बैंक की जिम्मेदारी है, स्वतंत्रता दिवस के दिन ही 15.08. 2015 को इसे शुरू किया गया।
- योजना के अनुसार, तीन साल के लिए क्रेडिट और गैर–क्रेडिट गतिविधियों को शामिल करते हुए आदर्श ग्राम विकास योजना (एमवीडीपी) तैयार की गई है तथा इसे लागू किया जा रहा है। इस तीन वर्षीय योजना अवधि के दौरान ₹213.98 करोड़ तक की राशि 26164 लाभार्थियों की सहायता हेतु परिकल्पित की गई। वर्ष 2015–16 के दौरान, 4662 लाभार्थियों को लाभ पहुंचाते हुए ₹42.78 करोड़ की राशि संवितरित की गई एवं वर्ष 2016-17 के दौरान, 6673 लाभार्थियों को लाभ पहुंचाते हुए ₹70.50 करोड़ की राशि संवितरित की गई है।
- एमवीडीपी में गैर – ऋण गतिविधियां, जैसे परामर्श सेवाएँ जिसमें कृषि, पशुपालन आदि जैसे विकास विभाग तथा अन्य सीएसआर पहलें जैसे स्वास्थ्य, स्वच्छता, शिक्षा, वृक्षारोपण कार्यक्रम शामिल है।

Weaker Section Advances:

Bank has been continuously surpassing the mandatory advance target set for the weaker sections which includes Small and Marginal Farmers, Artisans, Village and Cottage Industries, Scheduled Castes and Scheduled Tribes, Self Help Groups, etc.

- Credit outstanding to Weaker Sections stood at ₹14,787.17 crore as at the end of March 2017. The average credit outstanding under weaker section worked out to 12.08% of ANBC against the stipulated norm of 10%.
- Outstanding credit to SC/ST beneficiaries stood at ₹2244.86 crore as on 31.03.2017, which worked out to 4.08% of Priority Sector advances of the Bank.

Observance of SC/ST and Minority Credit Campaign in Kothakota Branch, Andhra Pradesh State

- Special campaigns were conducted for extending credit to Minority Communities. Advances to Minorities stood at ₹7921.49 crore for the month ended March 2017 i.e. 15.02% of the total Priority Sector Advances as against the stipulated norm of 15%.

MUDRA Scheme:

- As against the target of ₹2000 crore allocated under MUDRA Scheme, Bank achieved ₹2173.71 crore, registering an achievement of 115%.
- Under Mudra Scheme, Bank extended loans upto a limit of ₹10.00 lakh to various MSME sectors viz., Weaving, Transport, Retail Trade, Small Business, Pisciculture, Beekeeping, Poultry, Livestock, Rearing, Dairy, Fishery, Agri Clinics and Agri Business Centers, Food & Agro Processing and all manufacturing and services activities

Special Campaigns organized for financing under MUDRA:

- Bank conducted a Special Drive for MUDRA loan from 15th September to 31st October 2016 as per the directions of Ministry of Finance, DFS, GoI.

- Road shows were organized in various states during the dates between 13.12.2016 and 17.12.2016 for mobilisation of applications exclusively for MUDRA Scheme.

Model Village Development Plan (MVDP):

- With a view to achieve overall development of the villages to be adopted, Model Village concept was thought of to bring in sustained and co-ordinated approach by all the stake holders and ensure that the benefits of various schemes are brought to the villages. Accordingly, Model Village Scheme was formulated and launched on 15.08.2015 coinciding with the Independence Day in 21 villages spread over 13 districts and UT of Puducherry, where the Bank has Lead Bank responsibility.
- As per the scheme, a Model Village Development Plan (MVDP) involving credit and non credit activities for three years has been prepared and is being implemented. It is envisaged to assist 26164 beneficiaries to the tune of ₹213.98 crore during this three year plan period. During the year 2015-16, an amount of ₹42.78 crore has been disbursed benefitting 4662 beneficiaries and during the year 2016-17, an amount of ₹70.50 crore has been disbursed benefitting 6673 beneficiaries.
- MVDP involves non-credit activities like counseling services involving development departments such as Agriculture, Animal Husbandry etc. and other CSR initiatives such as health, sanitation, education and tree planting programs.

- सेलम अंचल के तंबल आदर्श ग्राम ने एक ऋण संवितरण शिविर का आयोजन किया जिसमें लाभार्थियों को बैक यार्ड पोल्ट्री पर परामर्श दिया गया और कुछ लाभार्थी इस योजना के तहत उपकरण प्राप्त कर रहे हैं।

क्षमता निर्माण पहलः

- बैंक ने 12 केन्द्रों, चित्तूर, कडलूर, धर्मपूरी, कांचीपुरम, कृष्णगिरि, नामक्कल, पुदुच्चेरी, सेलम, तिरुवण्णामलै, तिरुवल्लूर, वेल्लूर और विलुपुरम में "इंडियन बैंक स्व–रोजगार प्रशिक्षण संस्थान" (इंड सेटी) नामक "रुडसेटी मॉडल प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए हैं। 40284 व्यक्तियों को लाभ पहुंचाते हुए इंड सेटी द्वारा मार्च 2017 तक कुल 1418 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं।

श्री एन ए जिन्हा, मुख्य महाप्रबन्धक, नाबार्ड, चेन्नै ने इंडसेटी पुदुच्चेरी का दौरा किया तथा वेब डिजाइनिंग प्रोग्राम के प्रतिभागियों से बातचीत की।

श्री देवराज, अंचल प्रबंधक, पुदुच्चेरी की उपस्थिति में श्री एस के गौतम, आई पी एस, पुलिस महानिदेशक ने इंडसेटी पुदुच्चेरी का दौरा किया तथा 09.08.2016 को ड्रेस डिजाइनिंग कार्यक्रम का उद्घाटन किया।

- उपर्युक्त क्षमता निर्माण की दिशा में बैंक की विशेष पहल के अलावा, ग्रामीण प्रशिक्षण केंद्र में बैंक कारैक्कुडी, तमिलनाडु (नाबार्ड और आईओबी के साथ संयुक्त रूप से) और आंध्र प्रदेश बैंकर्स ग्रामीण एवं उद्धमवृत्ति विकास संस्थान – एपीबीआईआरडी, हैदराबाद (आंध्र प्रदेश सरकार, नाबार्ड और पांच अन्य बैंकों के साथ संयुक्त रूप से) में पहले से ही भाग ले रहा है। ये दोनों संस्थान ग्रामवासियों पर ध्यान केन्द्रित करते हुए व्यापक कुशलता उन्मुख प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करते हैं। आरटीसी, कारैक्कुडी द्वारा (11386 सदस्यों को लाभ पहुंचाते हुए मार्च 2017 तक) कुल 412 प्रशिक्षण कार्यक्रम और एपीबीआईआरडी, हैदराबाद द्वारा (10429 सदस्यों को लाभ पहुंचाते हुए) कुल 394 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं।

डॉ ए पी जे अब्दुल कलाम कौशल विकास प्रशिक्षण संस्थानः

- स्वर्ण भारत ट्रस्ट जो विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश में एक सेवा उन्मुख गैर–सरकारी संस्था (एनजीओ) है तथा कोनेरू लक्ष्मैया विश्वविद्यालय (केएलयू) जो एक स्वायत्त विश्वविद्यालय है, के साथ मिलकर बैंक ने लोगों के प्रशिक्षण एवं विकास के लिए तथा गुणवत्ता प्रशिक्षण प्रदान करके कुशल श्रम शक्ति की स्थिति में सुधार लाने के लिए डॉ. ए पी जे अब्दुल कलाम कौशल विकास प्रशिक्षण संस्थान के नाम से अतकुर गांव, जिला– कृष्णा, आंध्र प्रदेश में "कौशल विकास प्रशिक्षण संस्थानष की स्थापना की है।

- सामूहिक सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत संस्थान की स्थापना हेतु निर्माण और निर्धारित लागत के लिए संस्थान को 69.00 लाख मंजूर किया गया था। इसके अलावा, वार्षिक आवर्ती व्यय को केएल विश्वविद्यालय (केएलयू) के साथ साझा किया जाएगा।

- संस्था ने मार्च 2017 तक 6 कार्यक्रम संचालित किए तथा 152 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया।

- Thumbal Model Village in Salem Zone organized a loan disbursement camp wherein the beneficiaries were counseled on back yard Poultry and some of the beneficiaries are receiving the equipments under the scheme.

Capacity Building Initiatives:

- Bank established RUDSETI Model Training institutes named as "Indian Bank Self Employment Training Institute (INDSETI) in twelve centers viz., Chittoor, Cuddalore, Dharmapuri, Kancheepuram, Krishnagiri, Namakkal, Puducherry, Salem, Thiruvannamalai, Tiruvallur, Vellore and Villupuram. A total of 1418 training programmes have been conducted by the INDSETIs upto March 2017 benefitting 40284 individuals so far.

Shri S.N.A. Jinnah, Chief General Manager / NABARD, Chennai visited INDSETI Puducherry on 15.12.2016, and interacted with the participants of Web designing programme.

In the presence of Sri. Devaraj, Zonal Manager, Puducherry, Sri S K Goutham IPS, Director General of Police visited INDSETI Puducherry and inaugurated Dress Designing program on 09.08.2016.

- Apart from the above exclusive initiatives towards capacity building, the Bank is already participating in Rural Training Centre, Karaikudi, Tamil Nadu (jointly with NABARD & IOB) and Andhra Pradesh Bankers' Institute of Rural & Entrepreneurship Development - APBIRED, Hyderabad (jointly with Government of AP, NABARD & five other Banks). These two training institutes offer wide range of skill oriented training programmes with a focus on rural population. A total of 412 training programmes have so far been conducted by RTC, Karaikudi (benefitting 11386 members - up to March 2017) and 394 programmes by APBIRED, Hyderabad (benefitting 10429 members).

Dr.APJ Abdul Kalam Skill Development Training Institute:

- Bank along with Swarna Bharat Trust, a service oriented Non-Governmental Organization (NGO) in Vijayawada, Andhra Pradesh and Koneru Lakshmaiah University (KLU), an autonomous University established a "Skill Development Training Institute" by the name Dr.APJ Abdul Kalam Skill Development Training Institute at Atkur Village, Krishna District, Andhra Pradesh for training and developing people and improving the skilled man power position by imparting quality training.

- An amount of ₹69.00 lakh was sanctioned towards construction and fixed costs for establishment of the Institute under Corporate Social Responsibility (CSR). Besides, the annual recurring expenditure will be shared with KL University (KLU).

- The Institute has conducted 6 programmes and trained 152 candidates up to March 2017.

वित्तीय समावेशन:

प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई):

- यह योजना नई दिल्ली में 28.08.2014 को माननीय प्रधान मंत्री द्वारा शुरू की गई थी। बहिष्कृत वर्गों को वित्तीय सेवाओं की उपलब्धता तथा समय पर एवं पर्याप्त ऋण सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस), भारत सरकार ने प्रधान मंत्री जन–धन योजना पर दिशानिर्देशों को सूचित किया है।

एसएलबीसी द्वारा उप–सेवा क्षेत्र (एसएसए) का आवंटन तथा पीएमजेडीवाई के तहत बैंक द्वारा कवरेज:

- मार्च 2016 तक, विभिन्न एसएलबीसी ने पीएमजेडीवाई के तहत बैंक में 2975 एसएसए तथा 2023 शहरी वार्ड आवंटित किए हैं। सभी 2975 एसएसए को बैंक द्वारा बैंकिंग सेवाएँ उपलब्ध कराई जाती हैं। इनमें से 2517 एसएसए को बैंक मित्र (बिजनेस कॉन्ट्रैक्टर) के माध्यम से बैंकिंग सेवाएँ उपलब्ध कराई जाती हैं तथा 458 एसएसए वास्तविक शाखाओं के माध्यम से पहले से ही काम कर रहे हैं।

पीएमजेडीवाई के तहत बीएसबीडी खाते खोलने में वृद्धि :

- डीएफएस की सलाहानुसार शाखाएँ दिनांक 16.08.2014 से पीएमजेडीवाई के तहत बेसिक बचत बैंक खाते खोलती आ रही हैं। दिनांक 31 मार्च 2017 तक बैंक ने 32.06 लाख बीएसबीडी खाते खोले। पीएमजेडीवाई के तहत 32.06 लाख बीएसबीडी खाता धारकों को रुपे कार्ड जारी किए गए हैं। इन खातों में जुटाई गई जमा राशि ₹467.80 करोड़ है।

ओवेरड्राफ्टों की मंजूरी:

- बैंक ने 2,51,402 पात्र खाता धारकों को ₹59.86 करोड़ तक के ओवेरड्राफ्ट प्रदान किए थे। जिसमें से 85,234 बीएसबीडीए खाता धारकों ने ₹15.63 करोड़ राशि की लिमिट का लाभ उठाया है। छह महीने के संतोषजनक परिचालन / क्रेडिट हिस्ट्री के बाद ही हर बीएसबीडीए खाता धारक को ओवरड्राफ्ट की सुविधा उपलब्ध कराने पर विचार किया जाएगा। बैंक ने ओवरड्राफ्ट सुविधा को स्वचालित बनाया गया है और इसे पात्र पीएमजेडीवाई खाता धारकों के लिए अपने बैंक के एटीएम के माध्यम से उपलब्ध कराया गया है।

पीएमजेडीवाई के तहत बैंक के प्रदर्शन की मुख्य विशेषताएं:

- शुरुआत अर्थात 16.08.2014 से (31.03.2017 तक) 32.48 लाख बेसिक बचत बैंक जमा खाते खोले गए।
- 32.06 लाख बीएसबीडी खाता धारकों को रुपे कार्ड जारी किए गए (31.03.2017 तक)।
- बैंक को आवंटित किए गए सभी एसएसए को या तो वास्तविक शाखाया बैंक मित्र द्वारा कवर किया जाता है तथा सभी बैंक मित्रों को माइक्रो एटीएम उपकरण उपलब्ध कराया गया है।
- आईबीए मानक (1.5.1) का पालन करते हुए सभी बैंक मित्रों को इंटरऑपरेटेड माइक्रो एटीएम उपकरण प्रदान किए जाते हैं।
- सभी बैंक मित्रों को उनके अपने स्थान पर माइक्रो इंश्योरेंस और अटल पेंशन योजना के तहत आवेदन के नामांकन के लिए सक्षम बनाया जाता हैं।
- मार्च 2017 के महीने में प्रति बैंक मित्र द्वारा किए गए लेनदेन की औसत संख्या 911 थी और बैंक मित्र द्वारा किए गए लेनदेन की संख्या के मामले में बैंक सभी बैंकों के मध्य पहले स्थान पर रहा।
- आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (एईपीएस) परस्पर कार्यक्षमता सुविधाओं को बैंक के एसएसए में लगाए गए सभी पीओएस मशीन में सक्षम बनाया गया हैं। सभी बैंक मित्र एईपीएस लेन–देन कर रहे हैं तथा 31.03.2017 तक, बैंक मित्रों द्वारा 154.15 लाख एईपीएस लेन–देन (दोनों वित्तीय और गैर वित्तीय) किए गए हैं। किसी भी बैंक के ग्राहक, जिनकी आधार संबंधी जानकारी उनके बैंक खाते से जुड़ी हुई है वे बैंक के बैंक मित्र के साथ लेनदेन कर सकते हैं।
- आधार सीडिंग के संबंध में, पीएमजेडीवाई खातों में बैंक 77.36ः के स्तर पर तथा 31.03.2017 को सक्रिय बैंक खातों में 66.36ः के तक पहुंच गया था।

जन सुरक्षा योजना के तहत निष्पादनः

- माननीय प्रधानमंत्री ने समाज के वंचित वर्गों के लिए तीन सामाजिक सुरक्षा योजनाएं जैसे, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई)– एक जीवन बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) – एक दुर्घटना बीमा योजना, अटल पेंशन योजना (एपीवाई) – पेंशन योजना का शुभारंभ मई, 2015 में किया। 31.03.2017 तक योजनाओं के तहत बैंक का निष्पादन नीचे प्रस्तुत हैः

योजना का नाम	कवर किए गए ग्राहकों की संख्या
एपीवाई	1,43,834
पीएमजेजेबीवाई	7,93,184
पीएमएसबीवाई	18,14,707

- पीएमजेजेबीवाई के तहत ₹33.32 करोड़ की राशि के 1666 दावों का बीमाधारक के नामितियों को निपटान किया गया तथा पीएमएसबीवाई के तहत ₹6.87 करोड़ के 349 दावों का निपटान बीमाधारक के नामितियों को किया गया है।

रुपे बीमा दावों के तहत निष्पादन

- 15.08.2014 और 26.01.2015 के बीच के खाते खोलने वाले ग्राहकों के लिए ₹1 लाख के जीवन बीमा कवर और रु। ₹30,000/- के दुर्घटना बीमा कवर के साथ निर्मित रुपे डेबिट कार्ड पीएएमजेडीवाई खाताधारकों को जारी किए जा रहे हैं।
- रुपे दुर्घटना बीमा दावा के तहत, बीमाकर्ता के नामितियों को ₹53 लाख के 53 दावों का निपटान किया गया था। इसी प्रकार रुपे लाइफ इंश्योरेंस के तहत, बीमाकर्ता के नामितियों को ₹23 लाख के 78 दावों का निपटान किया गया था।

FINANCIAL INCLUSION

PRADHAN MANTRI JAN-DHAN YOJANA (PMJDY):

- The scheme was launched by Hon'ble Prime Minister on 28.08.2014 in New Delhi. Department of Financial Services (DFS), Government of India has communicated the guidelines on Pradhan Mantri Jan-Dhan Yojana for ensuring access to financial services and timely and adequate credit to the excluded sections.

Allotment of Sub Service Areas (SSAs) by SLBCs and coverage by the Bank under PMJDY:

- As of March 2016, various SLBCs have allotted 2975 SSAs and 2023 Urban wards to the Bank under PMJDY. All the 2975 SSAs are provided with banking services by the Bank. Of these, 2517 SSAs are provided with banking services through Bank Mitrs (Business correspondents) and 458 SSAs through Brick and Mortar branches already functioning in the SSAs.

Progress in opening of BSBD Accounts under PMJDY:

- Branches have been opening Basic Saving Bank Deposit Accounts (BSBDA) under PMJDY from 16.08.2014 as advised by DFS. As on 31.03.2017, Bank has opened 32.48 lakh BSBD Accounts. RuPay cards have been issued to 32.06 lakh BSBD account holders under PMJDY. The deposit mobilized in these accounts is ₹467.80 crore.

Sanction of Overdrafts:

- Under PMJDY, Bank has offered overdraft to 2,51,402 eligible account holders to the tune of ₹59.86 crore. Of which 85,234 BSBD account holders have availed the limit amounting to ₹15.63 crore. Facility of an overdraft to every BSBD account holder would be considered after satisfactory operation / credit history of six months. Bank has automated the overdraft facility and made the same available through ATMs of the Bank to the eligible PMJDY account holders.

Highlights of Bank's performance under PMJDY:

- 32.48 lakh Basic Savings Bank Deposit Accounts opened (as on 31.03.2017) since inception i.e. on 16.08.2014.
- RuPay Cards issued to 32.06 lakh BSBD Account holders (as on 31.03.2017).
- All the SSAs allotted to the Bank are covered with either brick or mortar branch or with Bank Mitr.
- All the Bank Mitrs are provided with inter operable Micro ATM devices complying with IBA standard (1.5.1)
- All Bank Mitrs are enabled for enrollment of application under Micro Insurance and Atal Pension Yojana at their points.
- Average number of transaction done per Bank Mitr for the month of March 2017 was 911 and the Bank stood first among all Banks in terms of number of transactions done by Bank Mitrs.
- Aadhaar Enabled Payment System (AEPS) inter-operability facilities are enabled in all POS machines deployed in SSAs of the Bank. All Bank Mitrs are doing AEPS transactions and as on 31.03.2017, 154.15 lakh AEPS transactions (both financial and non-financial) have been done by the Bank Mitrs. Customer of any Bank whose Aadhaar details are seeded in his Bank account can transact with the Bank's Bank Mitr.
- In respect of Aadhaar seeding, Bank reached a level of 77.36% in PMJDY accounts and 66.36% in Operative Saving banks accounts as on 31.03.2017.

Performance under Jan Suraksha Yojana:

- Hon'ble Prime Minister had launched three Social Security Schemes viz., Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana (PMJJBY) – a Life insurance scheme, Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana (PMSBY) – an Accidental insurance scheme and Atal Pension Yojana (APY) – Pension scheme in May 2015 for the under privileged sections of the society. The performance of the Bank under the Schemes as on 31.03.2017 is furnished hereunder.

Name of the Scheme	No. of customers covered
APY	1,43,834
PMJJBY	7,93,184
PMSBY	18,14,707

- Under PMJJBY, 1666 claims were settled to the nominees of the insured amounting to ₹33.32 crore and similarly under PMSBY, 349 claims to the tune of ₹6.87 crore have been settled to the nominees of the insured/insured.

Performance under RuPay Insurance claims

- PMJDY account holders are being issued with RuPay debit cards having in built accidental insurance cover of ₹1 lakh and life cover of ₹30,000/- for the customers who opened accounts between 15.08.2014 and 26.01.2015.
- Under RuPay Accidental insurance claim, 53 claims to the nominees of the insured to the tune of ₹53 lakh were settled. Similarly under RuPay life insurance, 78 claims to the nominees of the insured to the tune of ₹23 lakh were settled.

तमिलनाडु में सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत पेंशन का भुगतान:

- जुलाई 2012 के बाद से सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) आधारित स्मार्ट कार्ड सक्षम व्यापार संपर्की (बीसी) मॉडल का उपयोग करते हुए बैंक खातों के माध्यम से तमिलनाडु राज्य में, सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत, वित्तीय समावेश के तहत कवर गांवों में, वृद्धावस्था पेंशन का भुगतान लाभार्थियों को किया जा रहा है। तमिलनाडु में बैंक मित्र के माध्यम से प्रति माह 3.12 लाख लाभार्थियों को पेंशन संवितरित की जाती है।

वित्तीय साक्षरता गतिविधियां:

- ग्रामीण लोगों के करीब आने की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए, विभिन्न विकासात्मक गतिविधियां शुरू करने के लिए बैंक ने "ग्रामीण विकास हेतु इंडियन बैंक न्यास" (आईबीटीआरडी) के नाम से एक न्यास स्थापित किया है।

- इस न्यास के अधीन, बैंक ने चित्तूर और मचिलिपट्नम (आंध्र प्रदेश), कडलूर, धर्मपूरी, कांचीपुरम, कृष्णगिरि, नामक्कल, सेलम, तिरुवण्णामलै, तिरुवल्लूर, विलुपुरम और वेल्लूर (तमिलनाडु), केरल में कोल्लम एवं पुदुच्चेरी में वित्तीय साक्षरता और ऋण परामर्श (एफएलसीसी) केंद्र स्थापित किए हैं।

- झुग्गी बस्तियों में शहरी गरीब व्यक्तियों के हितार्थ तीन महानगरों चेन्नै, दिल्ली तथा मुम्बई में वित्तीय समावेश के सहयोग हेतु शहरी वित्तीय साक्षरता केंद्र स्थापित किये गये हैं।

- केरल में चडयमंगलम तथा पारस्साला में ब्लॉक स्तर के वित्तीय साक्षरता केंद्र (एफएलसी) स्थापित किए गए।

- अब तक कुल 2,41,948 व्यक्तियों को वित्तीय परामर्श दिया गया है।

लघु एवं मध्यम उद्यमों (एसएमई) को ऋण का प्रवाह:

- 31.03.2017 को सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम को बैंक का एक्सपोजर 13.46 प्रतिशत बढ़कर ₹ 23,863.74 करोड़ हो गया है।

- बैंक एमएसएमई ग्राहकों की सभी प्रकार की ऋण आवश्यकताओं (फंड बेस्ड एंड नॉन फंड बेस्ड) को पूरा करने के लिए उत्पादों को ऑफर करता है। बैंक द्वारा दी जाने वाली ऋण सुविधाएं निम्न द्वारा उपलब्ध कराई जाती हैं:
  - ऑन लाइन आवेदन और ट्रैकिंग सुविधा
  - ग्राहक के अनुकूल ऋण उत्पाद
  - सरलीकृत आवेदन फार्म और प्रलेखीकरण
  - त्वरित प्रसंस्करण
  - प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारण
  - निजीकृत ग्राहक सेवा

- एएमएसएमई क्षेत्र के कुछ महत्वपूर्ण हिस्सों जैसे काबिल डॉक्टर, ठेकेदारों,व्यापारियों आदि की विशिष्ट व्यापार आवश्यकताओं के अनुरूप कई आवश्यकता–आधारित ऋण उत्पाद तैयार किए गए हैं।

- विशिष्ट ऋण उत्पादों को बाजार में उतारते हुए, गतिविधियों तथा बाज़ार विशिष्ट मानदंडों / दिशानिर्देशों के साथ बैंक एमएसएमई और मिड कॉरपोरेट के तहत क्लस्टर के विकास पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।

- बैंक ने भीलवाड़ा, ईचलकरंजी,सूरत,नामक्कल, पानीपत एवं गुड़गाँव क्षेत्र में वस्त्र क्लस्टर, मोरवी क्षेत्र में सेरमिक क्लस्टर, नामक्कल एवं तिरुच्चेगोडु क्षेत्रों में रिग क्लस्टर, एमईपीजेड, चेन्नै में निर्यात क्लस्टर, लुधियाना में होजरी क्लस्टर, अहमदाबाद में सॉमिल क्लस्टर, होसुर में ऑटो पार्ट्स, जालंधर और लुधियाना में साइकिल पार्ट्स, ऑटो पार्ट्स, मशीन टूल्स, तथा फास्नर निर्माण इकाइयां, राजकोट में सिंचाई पंप निर्माण इकाइयां, वापी में पैकेजिंग इकाइयां, वडोदरा, पुणे एवं नासिक क्षेत्र में फार्मास्युटिकल क्लस्टर, फरीदाबाद और गुड़गांव क्षेत्र में इंजीनियरिंग क्लस्टर, कांचीपुरम में एसआईपीकोट क्लस्टर, बैंगलोर क्षेत्र में ट्रेडर्स और टिम्बर प्रोसेसिंग / ट्रेडिंग क्लस्टर आदि के लिए क्लस्टर–विशेष योजनाएं अनुमोदित की गई हैं।

Payment of pension under Social Security Scheme in Tamil Nadu:

- In the State of Tamil Nadu, under Social Security Scheme, Old Age pension is being paid to beneficiaries, in the villages covered under Financial Inclusion; through Bank accounts using Information and Communication Technology (ICT) based Smart Card enabled Business Correspondent (BC) Model, since July 2012. As on date, pension is disbursed to 3.12 lakh beneficiaries every month through Bank Mitrs in Tamil Nadu.

Financial Literacy activities:

- As a step towards getting closer to the rural people, Bank has set up a Trust by name "Indian Bank Trust for Rural Development" (IBTRD) for undertaking various developmental activities.

- Under the trust, the Bank has established Financial Literacy and Credit Counseling (FLCC) centres at Chittoor and Machilipatnam (Andhra Pradesh) Cuddalore, Dharmapuri, Kancheepuram, Krishnagiri, Namakkal, Salem, Thiruvannamalai, Thiruvallur, Villupuram and Vellore (Tamil Nadu), Kollam (Kerala) and Puducherry.
- Urban Financial Literacy Centres were established in Chennai, Delhi and Mumbai for the benefit of poor masses in slum areas to assist financial inclusion in 3 Metros.
- Block level Financial Literacy Centres (FLCs) were established at Chadayamangalam and Parassala blocks in Kerala.
- A total of 2,41,948 individuals have been provided financial counseling so far.

CREDIT FLOW TO SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES (SME)

- Bank's exposure to Micro Small & Medium Enterprises grew by 13.46% to ₹23,863.74 crore as on 31.03.2017.
- Bank offers products to meet all sorts of credit requirements (Fund Based and Non Fund Based) of MSME Customers. Credit Facilities offered by the Bank are facilitated by the following:
  - On line application and tracking facility
  - Customer-friendly loan products.
  - Simplified application form and documentation
  - Quick processing
  - Competitive pricing
  - Personalised customer service
- Several tailor made loan products have been devised to suit the specific business needs of certain vital parts of MSME Sector such as qualified doctors, contractors, traders etc.
- Bank is concentrating on development of clusters under MSME & Mid Corporate by rolling out specific loan products offering activity and market specific norms / guidelines.
- Cluster specific schemes have been approved for Textile cluster in Bhilwara, Ichalkaranji, Surat, Salem, Namakkal, Panipat and Gurgaon Regions, Ceramic cluster in Morvi Region, Rig cluster in Namakkal and Tiruchengode Regions, Export cluster in MEPZ Chennai, Hosiery cluster at Ludhiana, Saw mill cluster at Ahmedabad, Auto components cluster at Hosur, Cycle part, auto parts, machine tools and fasteners manufacturing units cluster at Jalandhar & Ludhiana, Irrigation pump manufacturing units at Rajkot, Packaging units at Vapi and Pharmaceutical cluster at Vadodara, Pune and Nasik regions, Engineering cluster at Faridabad and Gurgaon Regions, SIPCOT cluster at Kancheepuram, Traders and Timber processing / trading cluster at Bangalore regions etc.

- एमएसएमई ऋण (50 लाख रुपये से अधिक की रकम) के लिए अलग–अलग वर्टिकल बनाए गए हैं तथा मिड कॉरपोरेट ऋणों ने बारी–बारी समय को कम करने, ग्राहक के लिए टच प्वाइंट को कम करने, संपत्ति की गुणवत्ता में सुधार लाने एवं विपणन रणनीतियों को आक्रामक तरीके से आगे बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। बाजार में उपलब्ध संभावनाओं पर विशेष ध्यान देने तथा टैप करने के लिए विभिन्न केंद्रों पर 41 इंड एमएसएमई तथा मिड कॉरपोरेट शाखाएं परिचालित हैं।

एमएसएमई और मिड कॉरपोरेट वर्टिकल का निष्पादन इस प्रकार है।

(₹ करोड़ों में)

	31.03.2016	31.03.2017	वृद्धि %
एमएसएमई (>₹50.00 lacs)	10865	13179	21.30
मिड कॉरपोरेट	4999	6355	27.13

इंड रिटेल वर्टिकल:

शाखाओं / अंचलों को व्यापारिक खंडों जैसे आवास ऋण एवं बंधक ऋण जैसे वर्तमान क्षेत्रों के प्रतिस्पर्धा स्तर से निपटने के लिए सही ऑपरेटिंग आर्किटेक्चर को विकसित और कार्यान्वित करने की दिशा में, समर्पित **इंड रिटेल वर्टिकल** तैयार किया गया था।गृह ऋण पोर्टफोलियो पर अतिरिक्त जोर देने के लिए, वर्ष के दौरान विशेष रिटेल शाखाएँ खोली गई थीं।ये शाखाएं 'हब एंड स्पोक' व्यवसाय मॉडल के तहत काम करती हैं।

बैंक ने वित्तीय वर्ष 16–17 के दौरान निम्नलिखित नई पहल कीं:

1. नया उत्पाद – होम लोन एडवांटेज – वर्ष के दौरान ओवर ड्राफ्ट और टर्म लोन सुविधा का संयोजन
2. गृह ऋणों के डेटा अखंडता, स्थिरता और एकरूपता सुनिश्चित करते हुए ऋण प्रक्रिया को सुचारू बनाने के उद्देश्य से इन–हाउस होम लोन ऑटोमेशन सॉफ़्टवेयर को वर्ष के दौरान पेश किया गया था।
3. खुदरा ऋण उत्पादों के विपणन के लिए प्रौद्योगिकी से जुड़े हुए संचार चैनलों, सोशल मीडिया आदि का अधिकतम उपयोग।
4. अखिल भारतीय स्तर पर पांच अवसरों पर गृह ऋण मेगा अभियान आयोजित किया गया था तथा अभियान अवधि के दौरान 6741 ग्राहकों को ₹ 1303.74 करोड़ तक की राशि मंजूर की गई थी।
5. गृह ऋण आवेदनों की एसएमएस / एटीएम आदि के माध्यम से ऑनलाइन सोर्सिंग हेतु लीड मैनेजमेंट सॉफ़्टवेयर, इन–हाउस एप्लीकेशन पेश की गई थी।
6. गृह ऋण लेने के इच्छुक ग्राहक होम लोन एलिजीबिलिटी केलकुलेटर का उपयोग करके अपनी अर्हता, योजना विवरण आदि की जांच कर सकते हैं एवं ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
7. इन हाउस ऐप के माध्यम से ग्राहकों को उनके आवेदन की मंजूरी तक आवेदनों की स्थिति को ट्रैक करने की सुविधा प्रदान की गई है।

इंड रिटेल वर्टिकल का निष्पादन

बकाया शेष:

(₹ करोड़ों में)

	वास्तविक बकाया शेष		वर्ष दर वर्ष वृद्धि % मार्च 2016	वास्तविक बकाया शेष	वर्ष दर वर्ष वृद्धि % मार्च 2017
	31/03/2015	31/03/2016		31/03/2017	
आवास ऋण	8718.40	9515.98	9.15%	11289.69	18.64%
बंधक ऋण	662.25	944.32	42.59%	1535.17	62.57%
कुल	9380.65	10460.30	11.51%	12824.86	22.61%

संवितरण:

(₹ करोड़ों में)

	वास्तविक संवितरण		2014-2015 में बढ़ोत्तरी का %	वास्तविक संवितरण	2015-2016 में बढ़ोत्तरी का %
आवास ऋण	2199.07	2341.74	6.49%	3385.77	44.58%
बंधक ऋण	244.38	433.61	77.43%	881.12	103.21%
कुल	2443.45	2775.35	13.58%	4266.53	52.73%

ऋण निगरानी कक्ष

- बैंक के ऋण जोखिम प्रक्रिया के एक अंग के रूप में विभिन्न स्तरों पर ऋण समीक्षा प्रबंधन (एलआरएम) तथा कॉर्पोरेट कार्यालय व अंचल कार्यालय में विभिन्न समितियों द्वारा उधारकर्ताओं के स्वीकृत खातों का पुनरीक्षण सहित विभिन्न स्तरों पर ऋण लेखा परीक्षा की जाती है।
- वर्ष 2016–17 के दौरान, मानक बकाया गैर–खाद्य ऋणों के लगभग 64 प्रतिशत को एलआरएम तथा ऋण लेखा परीक्षा के अधीन रखा गया जबकि एलआरएम नीति के अनुसार न्यूनतम कवरेज 50 प्रतिशत है।
- विशेष उल्लेख खातों (एसएमए) के नियमन हेतु उसे प्रतिदिन सक्रिय रूप से मॉनिटर एवं फॉलो अप किया जाता है। कॉर्पोरेट कार्यालय के कार्यात्मक ऋण विभागों के विभाग प्रमुखों से मिलकर बनी मानक आस्ति जाँच समिति प्रत्येक माहिने समस्त एसएमए खातों का पुनरीक्षण करती है।
- एसएमए–2 स्तर तक के बिगड़ती परिसंपत्ति गुणवत्ता वाले ऐसे बड़े उधार खातें जिसकी सूचना सीआरआईएल के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक को दी जाती है, उनपर बारीकी से निगरानी रखी गई एवं विपदाग्रस्त आस्तियों को पुनर्जीवित करने हेतु दिए गए दिशानिर्देशों के अंतर्गत उपयुक्त उपचारात्मक कार्रवाई की गई।

- Separate vertical has been formed for MSME (Loans more than ₹50.00 lakhs) and Mid Corporate loans aiming at minimizing the turn around time, reducing the touch points for the customer, improving the quality of assets and stepping up the marketing strategies aggressively. 41 IND MSME and Mid Corporate branches are operationalised at various centers to give specific focus and tap the potential available in the market.

Performance of MSME and Mid Corporate verticals are as follows:

(₹ in crores)

	31.03.2016	31.03.2017	Growth %
MSME (>₹50.00 lacs)	10865	13179	21.30
Mid Corporate	4999	6355	27.13

IND RETAIL VERTICAL:

Towards developing and implementing a right operating architecture to enable the Branches/Zones to deal with the current level of competition in business segments like Home Loans and Mortgage loans, dedicated IND RETAIL VERTICAL was formed to deal with specified business segments. To give additional thrust to Home loan portfolio, specialized retail branches were opened during the year. These branches work under the 'HUB & SPOKE" business model.

Bank had taken the following new initiatives in FY 16 – 17:

1. New product – Home Loan Advantage – a combination of Overdraft & Term loan facility launched during the year
2. In-House Home Loan automation software was introduced during the year aimed at streamlining the lending process thereby ensuring data integrity, consistency and uniformity in processing of Home loans.
3. Maximum utilization of technology aided communication channels, Social Media etc for marketing retail loan products.
4. Home loan Mega campaign was conducted on Pan India Basis on five occasions and loans to an extent of ₹1303.74 crore were sanctioned to 6741 customers during the campaign period.
5. Lead management software, an in-house application was introduced for sourcing Home Loan applications online, through SMS/ATM etc.
6. Home Loan customers can check their eligibility, scheme details, etc. using the 'HOME LOAN ELIGIBILITY CALCULATOR" and apply online.
7. Customers have been provided the facility to track the status of their applications till sanction, through in house app.

Performance of Ind Retail Vertical

Balance Outstanding:

(₹ in Crores)

	Actual Balance Out-standing		YOY growth% March 2016	Actual Balance Out-standing	YOY growth% March 2017
	31/03/2015	31/03/2016		31/03/2017	
Home Loan	8718.40	9515.98	9.15%	11289.69	18.64%
Mortgage Loan	662.25	944.32	42.59%	1535.17	62.57%
Total	9380.65	10460.30	11.51%	12824.86	22.61%

Disbursement:

(₹ in Crores)

	Actual Disbursement		% of Increase over 2014-2015	Actual Disburse-ment	% of Increase over 2015-2016
Home Loan	2199.07	2341.74	6.49%	3385.77	44.58%
Mortgage Loan	244.38	433.61	77.43%	881.12	103.21%
Total	2443.45	2775.35	13.58%	4266.89	53.74%

CREDIT MONITORING CELL

- As part of Bank's Credit Risk Management process, review of accounts under Loan Review Mechanism (LRM) and Credit Audit have been carried out at various levels including review of borrowal accounts sanctioned by various Committees at Corporate Office and Zonal Offices.
- During the year 2016-17, 64 percent of standard non-food credits outstanding have been brought under LRM and Credit Audit as against minimum coverage requirement of 50 percent as per LRM policy.
- Special Mention Accounts (SMA) were monitored on a daily basis and followed up effectively for regularization. The Standard Asset Monitoring Committee comprising of department heads of functional credit departments at Corporate Office reviewed all SMA accounts every month.
- Large borrowal accounts with deteriorating asset quality upto SMA-2 level and reported to RBI under CRILC were closely monitored and appropriate remedial action taken as per guidelines contained in the Framework for Revitalizing Distressed Assets.

- संयुक्त ऋणदाता फोरम (जेएलएफ) के गठन, सुधारात्मक कार्य योजना (सीएपी) के कार्यान्वयन तथा बड़ी राशि के ऋणों की सूचनाओं की सेंट्रल रिपोजीटरी (सीआरआईएलसी) के तहत भारतीय रिजर्व बैंक को रिपोर्टिंग के संबंध में संकटग्रस्त परिसंपत्तियों के पुनरुद्धार की नीति के कार्यान्वयन की स्थिति का वसूली की निगरानी पर गठित समिति समय–समय पर समीक्षा करती है।

- धोखाधड़ी की शीघ्र पहचान तथा रिपोर्टिंग हेतु एक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए प्रारंभिक चेतावनी संकेतों की मॉनिटरिंग और ऋण धोखाधड़ी से निपटने हेतु खातों की रेड फ्लेगिंग हेतु एक नीति (पॉलिसी) तैयार की गई है तथा इसे बोर्ड द्वारा अनुमोदित गया।

आस्ति गुणवत्ता प्रबंधन

- बैंक ने जून 2011 से एनपीए (गैर निष्पादक आस्ति) की सिस्टम द्वारा पहचान प्रणाली के सफलतापूर्वक अनुवर्तन के साथ आस्ति गुणवत्ता पर निरंतर ध्यान केन्द्रित करते हुए प्रभावी तरीके से कई विवेकी ऋण निगरानी टूलों का इस्तेमाल किया है। फरवरी 2016 से गैर निष्पादक आस्तियों की मासिक फ्लेगिंग की शुरुआत की गई थी।

- ए एनपीए खातों की वसूली/कोटी उन्नयन के लिए समय पर कार्रवाई की जाती है और विशेष उल्लेख खातों (एसएमए) का पता लगाकर उन्हें मॉनिटर करने के जरिए दबावग्रस्त खातों का नियमित अनुवर्तन किया जाता है ताकि गिरावट को न्यूनतम स्तर पर बनाए रखा जा सके।

- बैंक ने नए एनपीए की वसूली और नए एनपीए को कम करने में अच्छा निष्पादन दर्ज किया है। विभिन्न वसूली व्यवस्थाओं जैसे लोक अदालत, एकबारगी निपटान (ओटीएस) के जरिए बातचीत द्वारा समझौते तथा डीआरटी/सरफेसी अधिनियम आदि के जरिए वसूली के कदमों से नए एनपीए में घटौती संभव हुई है। अंचलों/शाखाओं को स्वैछिक चूककर्ता/असहयोगी उधारकर्ता की पहचान कर उनपर व्यक्तिगत गारंटी लागू करना, समापन याचिका दायर करना, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) से पहले दिवालिएपन और दिवालियापन संहिता (आईबीसी) के तहत याचिका दाखिल करने, बंधक शेयरों के हस्तांतरण आदि समस्त वसूली मापदण्डों को सक्रियतापूर्वक अपनाने की सलाह दी गई।

- वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान पूरे भारत में पाँच मेगा ई–नीलामी आयोजित की गई, जहाँ बैंक के पास बंधक रखी गई 612 सम्पत्तियों को विक्रय हेतु लाया गया एवं ₹ 102.72 करोड़ रुपये की वसूली की गई।

- बैंक ने सक्रिय रूप से वर्ष के दौरान विभिन्न तिथियों पर आयोजित नौ राष्ट्रीय लोक अदालत में भाग लिया। इसमें ₹2869.61 करोड़ रुपये से संबद्ध कुल 2,34,709 मामले शामिल थे एवं इनमें से 31061 खातों के ₹255.92 करोड़ रुपये के मामलों का निपटान किया गया एवं इसी क्रम में ₹53.02 करोड़ रुपये की स्पॉट वसूली की गई।

- 31.03.2017 को समाप्त वर्ष के दौरान घर–घर जाकर अभियान को शामिल करते हुए आवधिक रूप से शाखाओं द्वारा पूरे भारत मे क्लस्टर आधार पर व्यापक वसूली शिविर आयोजित किए गए।

- 31.03.2017 को समाप्त वर्ष के दौरान की गई कुल वसूली राशि ₹ 845.89 करोड़ है।

- वर्ष के दौरान बट्टे खातों में एवं अशोध्य ऋणों की वसूली के अंतर्गत ₹ 193.45 करोड़ रुपये की वसूली की गई।

- बदलते आर्थिक परिदृश्य के अनुरूप, बैंक की वसूली पॉलिसी को बेहतर बनाया गया है तथा वसूली निष्पादन में सुधार हेतु अग्रसर अधिकारियों को संवेदीकृत किया गया है। इसके अलावा,अंचलों के वसूली विभाग से अधिकारियों की यात्रा के दौरान, नए एनपीए / संदेहास्पद खातों में सुधार और उन्नयन के माध्यम से प्रावधान में कमी के महत्व पर ज़ोर दिया गया।

बैंकएश्युरेंस एवं म्यूचुअल फंड व्यापार

- बैंक ने युनाइटेड इंडिया इन्श्युरेंस कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के साथ गैर–जीवन बीमा/सामान्य/स्वास्थ्य बीमा एवं भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के साथ जीवन बीमा व्यापार के लिए कॉर्पोरेट एजेंसी समझौता (सीएए) किया है।

- म्यूचुअल फण्ड वितरण के लिए बैंक द्वारा यूटीआई आस्ति प्रबन्धन कंपनी लिमिटेड, रिलायन्स कैपिटल आस्ति प्रबन्धन लिमिटेड और एसबीआई म्यूचुअल फण्ड के साथ गठजोड की व्यवस्था की गई हैं।

- निम्नलिखित कंपनियों के साथ समझौता होने पर बैंक अपने ग्राहकों के लिए वैकल्पिक आधार पर विभिन्न समूह बीमा उत्पाद प्रदान करता है :

- भारतीय जीवन बीमा निगम के माध्यम सेजीवन बीमा कवर करनेवाली प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई – भारत सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजना)

- भारतीय जीवन बीमा निगम के माध्यम से दुर्घटना में मृत्यु और विकलांगता को कवर करनेवाली प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई – भारत सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजना)

- भारतीय जीवन बीमा निगम के माध्यम सेकिसी भी कारणवश मृत्यु को कवर करनेवाली आईबीजीवन कल्याण और जीवन वरिष्ठ;

- यूआईआईसी के माध्यम से दुर्घटना से होनेवाली मृत्यु को कवर करनेवाली आईबी छत्र

- यूआईआईसी के माध्यम से हमारे खाता धारकों के लिए ग्रुप मेडीक्लेम इन्श्युरेंस देनेवाली आरोग्य रक्षा

- यूआईआईसी के माध्यम से हवाई जहाज के अलावा अन्य माध्यमों से देशीय यात्रा के लिए ग्रूप यात्रा बीमा योजना को कवर करनेवाली आईबी यात्रा सुरक्षा;

- भारतीय जीवन बीमा निगम के माध्यम से गृह ऋण उधारकर्ताओं को कवर करनेवाली आईबी गृह जीवन;

- कोटक लाइफ के माध्यम से गृह ऋण उधारकर्ताओं को कवर करने हेतु आईबी होम सुरक्षा;

- भारतीय जीवन बीमा निगम के माध्यम से शैक्षिक ऋण छात्र उधारकर्ताओं को कवर करनेवाली आईबी जीवन विद्या

- पीएनबी मेटलाइफ के माध्यम से शैक्षिक ऋण छात्र उधारकर्ताओं को कवर करनेवाली आईबी विद्यार्थी सुरक्षा

- Committee on monitoring of recovery periodically reviewed and oversaw the status of implementation of the Revitalizing Distressed Assets policy with regard to formation of Joint Lenders' Forum (JLF), implementation of Corrective Action Plan (CAP) and reporting to RBI under Central Repository of Information on Large Credits (CRILC).
- In order to have a mechanism for early detection and reporting of frauds, a policy for Monitoring early warning signals and Red flagging of Accounts in dealing with loan frauds has been formulated and approved by Board.

ASSET QUALITY MANAGEMENT

- Bank deployed prudent credit monitoring tools, with continuous and consistent focus on quality of assets, following a system-driven identification of NPA accounts (Non Performing Assets) successfully since June 2011 Monthly flagging of NPAs was introduced from February 2016.
- Timely actions for recovery/upgradation of fresh NPA accounts are taken and stressed accounts are regularly followed up to minimize the slippages by identifying and monitoring Special Mention Accounts (SMA).
- Bank recorded good performance in recovery and reduction of fresh NPA. Different recovery mechanisms like Lok Adalats, Negotiated settlements through One Time Settlement (OTS) and recovery measures through DRT / SARFAESI Act have resulted in improved recovery performance. Zones/Branches have been advised to aggressively implement all recovery measures including classification of the accounts as willful defaulter/non-cooperative borrower, invocation of personal guarantee, filing of winding up petition, filing of Petition under Insolvency and Bankruptcy Code (IBC) before National Company Law Tribunal (NCLT), transfer of pledge of shares, etc
- **Five** Mega e-auctions were conducted all over India during FY 2016-17 where in **612** Properties mortgaged to the Bank were brought for sale and recovery of **₹102.72** crore effected.
- Bank actively participated in **Nine** National Lok Adalats held on various dates during the year. A total number of **2,34,709** cases were referred involving **₹2869.61** crore and cases were settled in 31061 accounts for **₹255.92** crore. Spot recovery to the tune of **₹53.02** crore was made.
- In the intensive recovery camps involving door to door campaign held periodically during the year ended 31.03.2017 by all the Branches across the country on cluster basis.
- Total cash recovery during the year ended 31.03.2017 was ₹845.89 crore.
- A recovery of ₹193.45 crore was made under recovery of Bad Debts and Written off Accounts during the year.
- In line with the changing economic scenario, Recovery Policy of the Bank has been fine tuned and frontline officials have been sensitised for improving recovery performance. Besides, during the visit of officials from Recovery Department to Zones, the importance of reduction in provision by way of increasing recovery and upgradation in Fresh NPAs/Doubtful accounts was emphasized.

BANCASSURANCE AND MUTUAL FUND BUSINESS

- Bank has Corporate Agency Arrangement (CAA) with United India Insurance Co. Ltd. (UIIC) for Non-life/General/Health Insurance business and with LIC of India (LIC) for Life Insurance business
- For Mutual Fund distribution, Bank has tie-up arrangements with UTI Asset Management Co. Ltd, Reliance Capital Asset Management Ltd. and SBI Funds Management Pvt. Ltd.
- Bank offers various group insurance products on optional basis to its customers through tie-up arrangements with the companies as mentioned below:
- Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana (PMJJBY - Social Security Scheme of Government of India) through LIC of India for life cover
- Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana (PMSBY - Social Security Scheme of Government of India) through UIIC for accidental death & disability cover
- IB Jeevan Kalyan & Jeevan Varishta through LIC of India covering death due to any reasons
- IB Chhatra through UIIC covering death due to accidents
- Arogya Raksha through UIIC extending Group Mediclaim Insurance for Account Holders
- IB Yatra Suraksha through UIIC extending Group Travel Insurance for domestic travel other than by Air
- IB Griha Jeevan through LIC of India covering Home Loan borrowers
- IB Home Suraksha through Kotak Life covering Home Loan borrowers
- IB Jeevan Vidya through LIC of India covering Educational Loan student borrowers
- IB Vidyarthi Suraksha through PNB Met Life covering Educational Loan student borrowers

जोखिम प्रबंधन :

बैंक का जोखिम प्रबंधन तंत्र विभिन्न जोखिमों की स्पष्ट समझ, अनुशासित जोखिम मूल्यांकन एवं माप प्रक्रियाओं तथा सतत जाँच पर आधारित है। संपूर्ण उद्यम में प्रभावोत्पादक जोखिम प्रबंधन के लिए एक स्वतंत्र जोखिम प्रबंधन विभाग कार्यरत है एवं यह पूरे बैंक की पहचान, मूल्यांकन, मॉनिटरिंग तथा जोखिम निवेश की रिपोर्टिंग के लिए जिम्मेदार है। निम्नलिखित तीन शीर्ष स्तरीय समितियों के जरिए बैंक की सभी जोखिमों का प्रबंधन किया जाता है :

- ऋण जोखिम प्रबंध समिति (सीआरएमसी)
- आस्ति एवं देयता प्रबंध समिति (आलको)
- परिचालनगत जोखिम प्रबंध समिति (ओआरएमसी)

ये समितियां बोर्ड और बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति द्वारा अनुमोदित नीतियों और समग्र दिशानिर्देशों के अंतर्गत काम करती हैं।

जोखिमों के प्रबन्धन के लिए बैंक ने विभिन्न नीतियाँ निर्धारित की हैं। उद्यम–स्तर जोखिम का विश्लेषण करने तथा सभी जोखिमों को एकीकृत करने की दृष्टि से, एक एकीकृत जोखिम प्रबन्धन नीति बनायी गयी है। महत्वपूर्ण जोखिम नीतियों में ऋण जोखिम प्रबंधन नीति, बाजार जोखिम प्रबंधन नीति, परिचालनगत जोखिम प्रबंधन नीति, आंतरिक पूंजी पर्याप्तता आकलन प्रक्रिया (आईसीएएपी) नीति, तनाव परीक्षण नीति, संपार्न्विक प्रबन्धन नीति और प्रकटीकरण नीति, प्रतिष्ठा जोखिम प्रबंधन नीति तथा सामरिक जोखिम प्रबंधन नीति शामिल हैं।

जोखिम प्रबन्धन समिति (आरएमसी)/बोर्ड द्वारा सभी नीतियां वार्षिक आधार पर पुनरीक्षित की जाती हैं। जोखिम प्रबंधन संकल्पनाओं की जानकारी देने और क्षेत्र स्तर के कार्यकर्ताओं को इनके प्रति जागरूक बनाने के उद्देश्य से सभी संबंधित नीतियां शाखाओं के बीच परिचालित की गई हैं तथा इसके अलावा बैंक के प्रशिक्षण कॉलेजों में इसका प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

ऋण जोखिम:

प्रारंभिक चरण पर ही जोखिमों को पहचानकर उनका विश्लेषण करने, विवेकपूर्ण सीमाएं निर्धारित कर उन्हें अनुरक्षित करने तथा बदलते जोखिम माहौल का सामना करने के लिए अन्य सुधारात्मक कदम उठाने के लिए जोखिम प्रबंधन प्रणाली स्थापित की गई है।

सीमा निर्धारण :

- ऋण जोखिम एवं सकेंद्रण जोखिम के परिमाण को सीमाबद्ध करने के लिए निम्नलिखित एक्सपोज़रों के लिए सीमा का निर्माारण किया गया : एकल एवं सामूहिक ऋणी, संवेदनशील क्षेत्र एक्सपोजर, अरक्षित एक्सपोजर, अंतरबैंक एक्सपोजर, देशवार एक्सपोजर, आंतरिक रेटिंगवार एक्सपोजर, भौगोलिक एक्सपोजर एवं मियादी ऋण एक्सपोजर।
- इन एक्सपोजर सीमाओं को नियमित आधार पर मॉनिटर किया जाता है और उन्हें बोर्ड की समिति के विविध उच्च अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत किया गया ।

रेटिंग मॉडल:

- समस्त ऋण प्रस्ताव एक सख्त जोखिम रेटिंग/ ऋण अनुमोदन एवं निर्णय लेने में सहायता करने हेतु स्कोरिंग प्रक्रिया के साथ ही संविभाग प्रबंधन, मूल्य निर्धारण एवं जोखिम आधारित पूंजी माप में जोखिम प्रबंधन क्षमताओं में वृद्धि करने के उद्देश्य से बनाए गए हैं।
- सॉफ्टवेयर संचालित रेटिंग तंत्र रेटिंग को निश्चित कर प्रवेश स्तर की स्कोरिंग प्रणाली के अतिरिक्त ऋण की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए लाया गया है। रेटिंग मॉडल के आउटपुट का उपयोग निर्णय लेने अर्थात मंजूरी, मूल्य निर्धारण और क्रेडिट पोर्टफोलियो के मॉनिटरिंग में किया जाता है। रेटिंग मॉडल की क्षमता के परीक्षण हेतु इसे एक बाहरी संस्था से विधिमान्य किया गया है।
- खातों की रेटिंग का प्रवासन वार्षिक आधार पर किया जाता है। इसके अलावा बैंक के पोर्टफोलियो पर आधारित उद्योग का भारित औसत रेटिंग त्रैमासिक आधार पर किया जाता है। अग्रिमों की रेटिंग के अनुसार वितरण का विश्लेषण तिमाही आधार पर किया जाता है।
- बड़े मूल्य के खातों की आवधिक समीक्षा / लेखापरीक्षा के लिए तथा बैंक के ऋण प्रशासन में गुणात्मक सुधार करने हेतु ऋण समीक्षा व्यवस्था एवं ऋण लेखा परीक्षा व्यवस्था है। इसके अलावा, स्टैंडर्ड एसेट्स मॉनिटरिंग कमेटी विशेष तौर पर विशेष लेखा खातों की समीक्षा करता है ताकि गैर–निष्पादित संपत्तियों के लिए मानक परिसंपत्तियों की गिरावट को रोकने के लिए समय पर कार्रवाई शुरू की जा सके। मानीटरिंग व्यवस्था के एक हिस्से के रूप में, निवेश श्रेणियों से डाउनग्रेड किए गए खातों की पहचान की जाती है और तिमाही आधार पर सूक्ष्म निगरानी की जाती है।

स्कोरिंग मॉडल:

- बैंक ने प्रवेश स्तर पर स्कोरिंग मॉडल विकसित किया है। व्यक्तिगत ऋण उत्पादों के तहत आनेवाले समस्त नई मंजूरियाँ प्रवेश स्तर की स्कोरिंग के अधीन आते हैं।

आस्ति देयता प्रबंधन:

आस्ति देयता प्रबंधन बैंक को जोखिम एक्सपोजर, जोकि चलनिधि जोखिम और ब्याज दर जोखिम से बैंक के तुलन पत्र पर उभर सकते हैं, को मापने व जाँचने हेतु सहायता करता है। यह बैंक को आस्ति देयता प्रबंधन हेतु उपयुक्त रणनीतियां उपलब्ध करने में मदद करता है।

आस्ति देयता प्रबंधन संरचना में निम्नलिखित मुख्य घटक हैं :

- चलनिधि जोखिम प्रबंधन
- ब्याज दर जोखिम प्रबंधन
- दबाव परीक्षण व परिदृश्य विश्लेषण
- आकस्मिकता निधि योजना

RISK MANAGEMENT:

Bank's risk management framework is based on a clear understanding of various risks, disciplined risk assessment and measurement procedures and continuous monitoring. An independent Risk Management Department is functioning for effective Enterprise-Wide Risk Management and is responsible identification for assessment, monitoring and reporting of risk exposures across the bank. All the risks the Bank is exposed to, are managed through following three committees viz,

- Credit Risk Management Committee (CRMC)
- Asset and Liabilities Management Committee (ALCO)
- Operational Risk Management Committee (ORMC).

These committees work within the overall guidelines and policies approved by the Board and Risk Management Committee of the Board.

Bank has put in place various policies to manage the risks. To analyze the enterprise-wide risk and with the objective of integrating all the risks of the Bank, an Integrated Risk Management policy has also been put in place. The important risk policies comprise of Credit Risk Management Policy, Market Risk Management Policy, Operational Risk Management Policy, Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) Policy, Stress Testing Policy, Collateral Management Policy and Disclosure Policy, Reputational Risk Management Policy and Strategic Risk Management Policy.

All the policies are reviewed at a minimum on an annual basis by Risk Management Committee (RMC)/ Board. In order to disseminate the risk management concepts and also to sensitize the field level functionaries, the relevant policies were circulated to the branches, in addition to imparting training at the Bank's training colleges.

Credit Risk:

Risk Management Systems are in place to identify and analyze the risks at the early stage and manage them by setting and monitoring prudential limits besides taking other corrective measures to face the changing risk environment.

Limit Framework:

- In order to limit the magnitude of credit risk and concentration risk, a limit framework has been laid down for following type of exposures: single and group borrower exposure, sensitive sector exposure, unsecured exposure, interbank exposure, country-wise exposure, internal rating wise exposure, geographical exposure, industry-wise exposure and term loan exposure
- These exposure limits are monitored on regular basis and placed to various apex level committees of the Board.

Rating Model:

- All credit proposals are subject to a rigorous credit risk rating/scoring process to support credit approvals and decision making as well as to enhance risk management capabilities for portfolio management, pricing and risk based capital measurement.
- Software driven rating mechanism is in place to assign the rating to ensure credit quality besides an entry level scoring system. The output of the rating model is used in decision making i.e. sanction, pricing and monitoring of credit portfolio. In order to test the robustness of the rating model, the rating model has been validated by an external agency.
- Migration of rating of accounts is done on an annual basis. Also weighted average rating of industry based on Bank's portfolio is done on quarterly basis. Analysis of rating wise distribution of advances is done on quarterly basis.
- Loan review mechanism and Credit audit system are in place for the periodical review/audit of large value accounts and to bring about qualitative improvements in credit administration of the Bank. In addition, Standard Assets Monitoring Committee reviews the Special Mention Accounts periodically to initiate timely action to prevent slippage of standard assets to non performing assets. As a part of monitoring mechanism, accounts which are downgraded from investment category are identified and monitored closely on quarterly basis.

Scoring model:

- Bank has developed entry level scoring model. All the fresh sanctions coming under personal loan products are subjected to entry level scoring

Asset Liability Management:

Asset liability Management allows the Bank to measure and monitor risk exposures which may arise from both liquidity risk and interest rate risk on its balance sheet. This allows the Bank to provide suitable strategies for asset liability management.

The asset liability management framework consists of the following key components:

- Liquidity risk management
- Interest rate risk management
- Stress Testing and scenario analysis
- Contingency funding plan

बैंक ने निम्नांकित सूचीबद्ध दो प्राथमिक उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए एएमएल पॉलिसी निर्धारित की :

अल्पावधि उद्देश्य

- बैंक के शुद्ध ब्याज मार्जिन (एनआईएम) में सुधार हेतु
- पर्याप्त चलनिधि प्रदान करने हेतु
- पुनर्मूल्यांकन जोखिम प्रबंधन हेतु

दीर्घावधि उद्देश्य

- शेयरधारकों के धन की वृद्धि हेतु

आस्ति देयता का प्रबंधन करना आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ) का कार्य है। यह बोर्ड और बोर्ड की उप–समिति के मार्गदर्शन व पर्यवेक्षण में कार्य करती है। ब्याज दर परिदृश्य, जमाओं व अग्रिमों दोनों के लिए उत्पाद मूल्य निर्धारण, वृद्धिशील आस्तियों व देयताओं की परिपक्वता प्रोफाइल, बैंक फंड की मांग, बैंक के नकदी प्रवाहों, लाभ योजना व समग्र तुलन पत्र प्रबंधन हेतु यह नियमित अंतरालों पर बैठक करती हैं।

चलनिधि जोखिम को मापने व जाँचने की दो पद्धतियाँ हैं – प्रवाह पद्धति व स्टॉक पद्धति। प्रवाह पद्धति में नकदी प्रवाह की बेमेल स्थितियों की व्यापक खोज की जाती है एवं इसे दैनिक आधार पर संरचनात्मक चलनिधि विवरण को तैयार कर पूरा किया जाता है। विभिन्न टाइम बकेट में बेमेल स्थितियों की जांच हेतु उचित सहन स्तर विवेकपूर्ण सीमाएं निर्धारित की जाती हैं। स्टॉक पद्धति के अंतर्गत विविध तुलन पत्र अनुपातों को उचित सीमाओं के साथ निर्धारित किया जाता है। निर्धारित सीमाओं में अनुपातों का अनुपालन यह सुनिश्चित करता है कि बैंक ने अपनी चलनिधि का प्रबंधन उचित विविधीकरण के द्वारा किया है एवं इसे धारणीय सीमाओं के अंतर्गत रखा है। बैंक अपनी अल्पकालिक चलनिधि की बेमेल स्थितियों को भी आंकता है एवं उसे ही अल्पकालिक गतिशील चलनिधि की रिपोर्ट में बताया जाता है जोकि विभिन्न आस्ति व देयताएँ बनाने वाली इकाइयों के नकदी प्रवाह योजनाओं एवं 1–90 दिनों की अवधि में बैंक के आस्ति व देयताओं के नकदी प्रवाह स्वरूप में मौसमी विविधताओं को दर्शाती हैं।

ब्याज दर जोखिम की मुद्रा वार माप व जांच हेतु पारंपरिक अंतराल पद्धति एवं कालिक अंतराल पद्धति दोनों का अनुसरण किया जाता है। ब्याज दर में उतार–चढ़ाव के परिणामस्वरूप एनआईएम पर पड़ने वाले अल्पकालिक प्रभाव को आय वक्र जोखिम, आधार जोखिम व सन्निहित विकल्प जोखिम को ध्यान में रखते हुए जोखिम पर उपार्जन पद्धति के द्वारा हल किया जाता है। ब्याज दर उतार–चढ़ाव के परिणामस्वरूप ईक्विटी के बाजार मूल्य पर पड़ने वाले दीर्घकालिक प्रभाव को भी कालिक अंतराल पद्धति के द्वारा हल किया जाता है। मासिक ब्याज दर की संवेदनशीलता विवरण की समीक्षा आल्को / बोर्ड द्वारा की जाती है।

बैंक ने एएमएल एफ़टीपी सॉफ्टवेयर निर्मित किया है एवं इसे कार्यान्वित करने की प्रक्रिया चल रही है।

- चलनिधि जोखिम व ब्याज दर जोखिम के दबाव निरीक्षण का संचालन नियमित अंतरालों पर भारतीय रिजर्व बैंक एवं आंतरिक तनाव परिदृश्यों के परिभाषानुरूप किया जाता है, इसके परिणाम का प्रयोग चलनिधि तनाव परीक्षण द्वारा विभिन्न चलनिधि व ब्याज दर परिदृश्यों के अंतर्गत आकस्मिकता निधि योजनाओं को तैयार करने के लिए किया जाता है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए नवीनतम दिशा निर्देशों के अनुसार बैंक चलनिधि कवरेज अनुपात की संगणना कर रहा है एवं अल्पावधि चलनिधि के प्रबंधन हेतु इसका इस्तेमाल एक जोखिम मापक उपकरण के रूप में कर रहा है। अल्को द्वारा मासिक आधार पर चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) के विवरण की समीक्षा की जाती है।

बाजार जोखिम प्रबंधन:

बाजार परिवर्ती में होने वाले परिवर्तनों के परिणामस्वरूप संभावित नुकसान, बाजार जोखिम है। अंतर्राष्ट्रीय निपटान बैंक (बीआईएस) हेतु बैंक ने बाज़ार जोखिम की परिभाषा इस रूप में दी है कि बाजार जोखिम 'ऑन' अथवा 'ऑफ' तुलन पत्र के स्थिति का मूल्य इक्विटी एवं बाजार के ब्याज दर, मुद्रा विनिमय दर तथा कमोडिटी की कीमतों में उतार–चढ़ाव से प्रतिकूल रूप में प्रभावित होगी। इस प्रकार, बाजार जोखिम ब्याज दरों या प्रतिभूतियों, विदेशी मुद्रा और शेयर की कीमतों के बाजार के स्तर में परिवर्तन, साथ ही उन परिवर्तनों की अस्थिरता के कारण बैंक की आय और पूंजी के लिए खतरा है। बाजार जोखिम प्रबंधन का लक्ष्य है, बाजार जोखिम एक्सपोजर से संबन्धित वैश्लेषिकी संचालित आदानों, पोर्टफोलियो निष्पादन की तुलना में जोखिम एक्सपोजर और तुलनात्मक मापदण्डों को उपलब्ध कराकर जोखिम समायोजित प्रतिलाभ दर को अधिकतम बढ़ाने में व्यापार इकाइयों की सहायता करना। निम्नलिखित जोखिमों का प्रबंधन बाजार जोखिम के अंतर्गत किया जाता है :

- ब्याज दर जोखिम
- विनिमय दर जोखिम
- ईक्विटी कीमत जोखिम

कमोडिटी कीमत में परिवर्तन व अस्थिरता के कारण भी बाजार जोखिम उभर सकते हैं। यद्यपि, कमोडिटी संबंधी बाजार में बैंक को कोई एक्सपोजर नहीं है।

बाजार जोखिम प्रबंधन (एमआरएम) के अंतर्गत बैंक की रूपरेखा निम्नानुसार है :

क) जोखिम की पहचान : इस पॉलिसी ने जोखिम की पहचान और प्रत्येक व्यावसायिक कार्यों की पहचान करके बाजार में जोखिम के विभिन्न आयामों पर स्पष्टता प्रदान करने के क्रम में बाजार जोखिम की पहचान, मूल्यांकन और उसके प्रबन्धन हेतु रूपरेखा तैयार के लिए ध्यान केंद्रित किया है।

ख) जोखिम माप एवं सीमाएँ : बैंक की मान्यता है कि बाज़ार जोखिम के समस्त पक्षों को केवल एक जोखिम सांख्यिकीय द्वारा दर्शाया नहीं जा सकता है। अतः विभिन्न सांख्यिकीय और गैर सांख्यिकीय जोखिम उपायों का प्रयोग बाजार जोखिम के जोखिम माप की स्थिरता को बढ़ाने के लिए किया जाता है क्योंकि इन जोखिम उपायों को एक साथ लेने से किसी एक उपाय की तुलना में यह बाजार जोखिम की एक अधिक व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करता है। बाजार जोखिम का प्रबंधन विभिन्न मेट्रिक्स यथा मूल्य में जोखिम (वीएआर), आय में जोखिम, पीवी01 सीमाएँ, नेट ओवरनाइट ओपन पोजिसन लिमिट (एनओओपी), इंडिविजुवल गैप लिमिट (आईजीएल) एवं एग्रिगेट गैप लिमिट (एजीएल), मुद्रावार तथा सूक्ष्म विश्लेषण द्वारा भी किया जाता है। बैंक द्वारा जोखिम के अधिकतम किन्तु संभाव्य प्रतिकूल आघातों को मॉनिटर करने हेतु नियमित आधार पर तनाव परीक्षण का भी आयोजन किया जाता है।

Bank has set in place ALM policy in view of two primary objectives as listed below:

Short Term Objective:

- To optimize the Net Interest Margin (NIM) of the Bank
- To provide adequate liquidity
- To manage re-pricing risk

Long Term Objective:

- To maximize the shareholders' wealth

Asset Liability Management is the function of Asset Liability Management Committee (ALCO). It operates under the guidance and supervision of the Board and/or Sub-Committee of Board. It meets at regular intervals to review the interest rate scenario, product pricing for both deposits and advances, maturity profile of the incremental assets and liabilities, demand for Bank funds, cash flows of the Bank, profit planning and overall Balance Sheet Management.

Liquidity risk is measured and monitored through two approaches - Flow approach and Stock approach. Flow approach involves comprehensive tracking of cash flow mismatches and is done through preparation of Structural liquidity statement on a daily basis. Appropriate tolerance levels/prudential limits have been stipulated for mismatches in different time buckets. Under Stock Approach various balance sheet ratios are prescribed with appropriate limits. The compliance of ratios to the prescribed limits ensures that the Bank has managed its liquidity through appropriate diversification and kept it within the sustainable limit. Bank also assesses its short-term liquidity mismatches and reports the same in the short term dynamic liquidity report which represents the cash flow plans of various asset and liability generating units and seasonal variation of cash flow patterns of assets and liabilities of the Bank over a period of 1-90 days.

For measurement and monitoring of Interest rate risk, currency wise, both traditional gap approach and duration gap approaches are followed. The short-term impact of interest rate movements on Net Interest Margin (NIM) is worked out through “Earnings at Risk” approach taking into consideration Yield curve risk, Basis risk and Embedded Options Risk The long-term impact of interest rate movements on Market Value of Equity is also worked out through Duration Gap approach. The monthly interest rate sensitivity statement is reviewed by ALCO / Board.

Bank has procured ALM FTP software and is in the process of implementing the same.

- Stress testing of liquidity risk and interest rate risk is conducted on regular intervals as per RBI defined and internally defined stress scenarios. The results of the same from internal Liquidity stress testing are used to draw contingency funding plan under different liquidity stress scenarios

.In addition to the above, Bank is computing Liquidity coverage ratio as per latest guidelines issued by RBI and is using it as a risk measurement tool to manage short term liquidity. On a monthly basis Liquidity Coverage Ratio (LCR) statement is reviewed by ALCO.

Market Risk Management:

Market risk is the possibility of loss caused by changes in the market variables. The Bank for International Settlements (BIS) defines market risk as “the risk due to which the value of 'on' or 'off' balance sheet positions will be adversely affected by movements in equity and interest rate markets, currency exchange rates and commodity prices”. Thus, Market Risk is the risk to the Bank's earnings and capital due to changes in the market level of interest rates or prices of securities, foreign exchange and equities, as well as the volatilities of those changes. The objective of market risk management is to assist the business units in maximizing the risk adjusted rate of return by providing analytics driven inputs regarding market risk exposures, portfolio performance vis-à-vis risk exposures and comparable benchmarks. Following risks are managed under Market Risk.

- Interest Rate Risk
- Exchange Rate Risk
- Equity Price Risk

The market risk may also arise from changes in commodity prices and volatility. However, Bank does not have any exposure to commodity related markets.

Market Risk Management (MRM) Framework of the Bank is as follows:

a) **Risk Identification:** The Policy is focused on setting a framework for identifying, assessing and managing market risk in order to provide clarity on various dimensions of risk identification and recognition to each of the business functions.

b) **Risk Measurement and Limits:** Bank recognizes that no single risk statistics can reflect all aspects of market risk. Therefore various statistical and non-statistical risk measures are used to enhance the stability of risk measurement of market risk because, taken together, these risk measures provide a more comprehensive view of market risk exposure than any single measure. Market risk is managed with various metrics viz. Value at Risk (VaR), Earnings at Risk, Modified duration, PV01 Limits, Net Overnight Open Position Limits (NOOPL), Individual Gap Limit (IGL) and Aggregate Gap Limit (AGL) currency wise and also through sensitivity analysis. Stress testing is also conducted on a regular basis to monitor the vulnerability of the Bank to extreme but plausible unfavorable shocks.

ग) जोखिम मॉनिटरिंग : बैंक अपने जोखिम को विभिन्न व्यापार खातों के लिए आंतरिक और नियामक जोखिम सीमा, जो आर्थिक परिदृश्य, व्यापार रणनीति, प्रबंधन का अनुभव एवं बैंक की जोखिम लेने की क्षमता के आधार पर स्थापित है, का उपयोग कर मॉनिटर एवं नियंत्रित करता है। दर स्कैन द्वारा लेन–देन का निष्पादन एवं मौजूदा बाजार दरों का पुनर्मूल्यांकन सुनिश्चित किया जाता है।

घ) जोखिम रिपोर्टिंग : ट्रेजरी परिचालन की निगरानी मिड कार्यालय द्वारा किया जाता है एवं एक दैनिक रिपोर्ट जोखिम प्रबंधन विभाग के प्रमुख को प्रस्तुत किया जाता है। बाज़ार जोखिम के कारण पूंजीगत प्रभार का परिकलन कर उसकी रिपोर्ट मासिक रूप से अल्को को एवं तिमाहीवार रूप से बोर्ड को दी जाती है। तनाव परीक्षण नीति के अंतर्गत निर्धारित निम्नलिखित मान्यताओं के अनुरूप बाजार जोखिम के आकलन के लिए तनाव परीक्षण किया जाता है एवं तिमाही आधार पर अल्को को रिपोर्ट किया जाता है।

बाजार जोखिम प्रबंधन को बाजार जोखिम प्रबंधन नीति, एकीकृत ट्रेजरी प्रबन्धन नीति , तनाव परीक्षण नीकित एवं व्युत्पन्न नीति आदि के जरिए बोर्ड द्वारा व्यापक रूप से अनुमोदित नीति से नियंत्रित किया जाता है जो विभिन्न गतिविधियों में फैले ऐसे जोखिम को एक अंतर्निहित बाजार जोखिम को लेकर आगे बढ़ते हैं, उसे बैंक की निर्धारित जोखिम क्षमता के भीतर नीयत करना सुनिश्चित करते हैं। सभी नितियों को उद्‌योग के उत्तम प्रथाओं और भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों से बेंचमार्क किया जाता है । बैंक की जोखिम रिपोर्टिं प्रणाली में विभिन्न प्रबन्धन समितियों को प्रकटीकरण और रिपोटिंग करना शामिल है ।

परिचालन जोखिम

वर्तमान में परिचालन जोखिम उद्योग प्रतिभागियों, विनियामकों एवं अन्य स्टेकधारकों के बीच गहन रुचि का विषय बन गया है। प्रभावी संचालन, जोखिम पर पकड़ और परिचालन जोखिम के एक्सपोजर के मूल्यांकन व मात्रा निर्धारण को सुनिश्चित करने हेतु बैंक में परिचालन जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क (ओआरएमएफ) व परिचालन जोखिम प्रबंधन प्रणाली (ओआरएमएस) विद्यमान है। दैनिक प्रबंधन प्रक्रियाओं में गुणात्मक व मात्रात्मक उपायों के प्रयोग व आंतरिक नियंत्रण प्रणाली स्थापन के द्वारा तथा विविध जोखिम न्यूनीकरण रणनीति को अंगीकार कर परिचालन जोखिम का सुप्रबंधन किया जाता है। विविध उत्पादों/प्रक्रियाओं में जोखिम बोध का आलोचनात्मक विश्लेषण एवं सुधारात्मक कदम, यदि आवश्यक हों तो, उठाए जाते हैं।

बैंक ने एक परिष्कृत वेब आधारित परिचालनात्मक जोखिम प्रबंधन प्रणाली अपने परिचालन जोखिम को रोकने, नापने, मॉनिटर करने एवं प्रबंध करने हेतु कार्यान्वित किया है। पिछले 6 वर्षों के लिए बैंक द्वारा आंतरिक नुकसान डेटाबेस बनाया गया है।

वर्ष के दौरान ऋण में उछाल द्वारा परिचालन जोखिम की जांच और सांख्यिकीय तकनीक द्वारा परिचालन हानि की आवृत्ति व तीव्रता का विश्लेषण किया गया।

बैंक ने जोखिम नियंत्रण और स्व मूल्यांकन (आरसीएस) तथा मुख्य जोखिम सूचकांक (के आर आई) के लिए वांछित फ्रेमवर्क तैयार किया है। जोखिम एवं नियंत्रण स्वमूल्यांकन को मुख्य परिचालनात्मक जोखिमों का पता लगाने और आंतरिक नियंत्रण की प्रभावात्मकता की तीव्रता का मूल्यांकन करने हेतु प्रयोग किया जाता है। बैंक आरसीएसए तथा के आरआई को सुदृढ़ करने के लिए परिचालनात्मक जोखिम का प्रबन्धन हेतुं कवरेज क्षेत्र की समीक्षा और सुधार के जरिए कदम उठा रहा है।

दबाव निरीक्षण फ्रेमवर्क

व्यापक दबाव निरीक्षण फ्रेमवर्क को शुरू किया गया है। बैंक त्रैमासिक आधार पर दबाव निरीक्षण का संचालन करता है जोकि भा.रि.बै. द्वारा निर्धारित परिदृश्यों और साथ ही बैंक के विशेष परिदृश्यों पर आधारित होता है। दबाव निरीक्षण परिणाम विविध शीर्ष स्तरीय समितियों के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है ।

आंतरिक पूंजी पर्याप्तता निर्धारण (आईसीएएपी) फ्रेमवर्क

बेसेल फ्रेमवर्क के स्तम्भ II यानि आईसीएएपी, के तहत बैंक ऐसे जोखिमों की पहचान, माप व प्रबंध करता है जोकि स्तम्भ I के अधिकार क्षेत्र में न तो पूरी तरह से आते हैं और न ही आधे एवं यदि आवश्यक हो तो, ऐसे जोखिमों हेतु पूंजी के अतिरिक्त प्रावाधान तैयार करता है।

बैंक की आंतरिक पूंजी पर्याप्तता का मूल्यांकन त्रैमासिक आधार पर किया जाता था और इसे विविध शीर्ष स्तरीय समितियों के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

बैंक द्वारा अपनायी गई जोखिम प्रबंधन पद्धति

वर्तमान में बैंक ने ऋण जोखिम हेतु मानक पद्धति, बाजार जोखिम हेतु मानक आवधिक पद्धति एवं परिचालन जोखिम हेतु मूल सांकेतिक पद्धति अपनाई है। ऋण जोखिम पूंजीगत प्रभार की सटीक गणना हेतु एक सॉफ्टवेयर रखा गया है।

बेसल फ्रेमवर्क के अंतर्गत उन्नत पद्धति की ओर जाने हेतु निर्धारित की गई रूपरेखा के अनुसार बैंक आगे बढ़ रहा है।

बेसल III पूंजी विनियमन

बैंक का सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूँजी स्तर काफी अच्छा है और बैंक आवश्यकतानुसार सभी प्रकार की पूँजी बढाने की पर्याप्त क्षमता भी रखता है। बैंक ने 01 अप्रैल, 2013 से प्रस्तवित बेसल III पूँजी विनियमन को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों को अपनाया है। सम्पूर्ण बेसल III की ओर निर्बाध पारगमन सुनिश्चित करने हेतु मार्च 31, 2019 तक पूर्ण कार्यान्वयन के लिए उचित पारगमन प्रबंध की तैयारी कर ली गई है।

बेसल III पूंजी नियमों को पूंजी पर्याप्तता अनुपात (सीएआर) के घटकों पर प्रकटीकरणों के वर्धित सेट की आवश्यकता भी है जिन्हें त्रैमासिक आधार पर बैंक के वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाता है। बैंक लीवरेज अनुपात एवं चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) भी दिखा रहा है।

शुरू की गई प्रमुख पहले

- बैंक ने पूंजी आवश्यकता का मूल्यांकन करते समय बेसल III के दिशानिर्देशों का पूर्ण कार्यान्वयन होने तक पूंजी आवश्यकताओं का आकलन किया है।
- बैंक द्वारा पूंजी अनुकूलन के विभिन्न क्षेत्रों की पहचान की गई एवं पूंजी अनुकूलन हेतु आवश्यक कदम उठाए।
- बैंक ने निधियों के अन्यत्र अन्तरण करने संबंधी धोखाधडियों का पता लगाने के लिए धोखाधडी विश्लेषण औजार का प्रयोग करता है। धोखाधडी घटनाओं के कारण का पता लगाने तथा आगे घटना होने से रोकने के लिए नियंत्रण उपाय लेने हेतु सांख्यिकीय तकनीक का प्रयोग कर मूल कारण विश्लेषण किया जाता है।

c) Risk Monitoring: Bank monitors and controls its risk, using various internal and regulatory risk limits for trading book which are set based on economic scenario, business strategy, management experience and Bank's risk appetite. Rate scan is carried out to ensure that transactions are executed and revalued at prevailing market rates.

d) Risk Reporting: Monitoring of Treasury operations are done by Mid Office and a daily report is put up to Head of the Risk Management Department. Capital charge on account of Market Risk is computed and reported to ALCO on a monthly basis and to the Board on a quarterly basis. Stress testing is done for assessing market risk by following assumptions prescribed in Stress Test Policy and reported to ALCO on Quarterly basis.

Market risk management is governed by comprehensive Board approved Market Risk Management Policy, Integrated Treasury Management Policy, Stress testing and Derivative Policy to ensure that the risks spread across different activities and carrying an underlying market risk are within the stipulated risk appetite of the bank. All the policies are benchmarked with industry-best practices and RBI regulations. The risk reporting mechanism in the Bank comprises disclosures and reporting to the various management committees.

Operational Risk:

Operational risk is now the focus of intense interest among industry participants, regulators and other stake holders. The Bank has put in place Operational Risk Management Frame work (ORMF) and Operational Risk Management Systems (ORMS) to ensure effective governance, risk capture and assessment and quantification of operational risk exposure. Operational risk is well managed by using appropriate qualitative and quantitative methods and established internal control systems in day to day management processes and adopting various risk mitigating strategies. The risk perceptions in various products/processes are critically analysed and corrective actions if required, are initiated.

Bank has implemented a sophisticated web-based Operational Risk Management System to capture, measure, monitor and manage its operational risk exposure. Bank has built up internal loss data base for the last 6 years.

During the year, monitoring of operational risk through credit spurt and analysis of frequency and severity of operational loss through statistical technique have been done.

Bank has put in place frameworks for Risk and Control Self Assessment (RCSA) and Key Risk Indicators (KRIs). Risk and control self-assessment is used to identify key operational risks and assess the degree of effectiveness of the internal controls. Bank has been taking steps to strengthen the RCSA and KRI by reviewing and improving the coverage area for management of Operational risk

Stress Testing framework:

A comprehensive stress testing framework is put in place. Bank conducts stress test on quarterly basis based on scenarios prescribed by RBI as well as bank specific scenarios. The stress test results are placed to various apex level committees.

Internal Capital Adequacy Assessment (ICAAP) framework:

Under Pillar II of Basel framework, i.e., ICAAP, the Bank identifies measures and manages the risks that are either not fully captured or not at all captured under Pillar I and if necessary, makes an additional allocation of capital for such risks.

Internal capital adequacy of the Bank was assessed on quarterly basis and placed to the various apex level committees.

Risk Management Approaches adopted by the Bank:

The Bank has presently adopted Standardised Approach for Credit Risk, Standardised Duration Approach for Market Risk and Basic Indicator Approach for Operational Risk. Software is in place for accurate computation of credit risk capital charge.

The Bank has been progressing as per the roadmap laid down for moving over to the advanced approaches under BASEL framework.

Basel III Capital Regulations:

The Bank has fairly high level of Common Equity Tier 1 Capital and also has sufficient headroom available for raising all forms of capital in case of need. The Bank has adopted RBI guidelines on the Basel III capital regulations with effect from April 1, 2013. To ensure smooth transition to full Basel III, appropriate transitional arrangements have been made for full implementation as on March 31, 2019.

The Basel III capital rules also require an enhanced set of disclosures on the components of Capital Adequacy Ratio (CAR) which are published on quarterly basis on Bank's website. Bank is also disclosing leverage ratio and Liquidity Coverage Ratio (LCR).

Major initiatives undertaken:

- Bank has worked out capital requirements till full implementation of Basel III guidelines while assessing the Capital requirement.
- Bank has identified various areas of capital optimization and has taken necessary steps to optimize the capital
- Bank uses analytical tool to detect diversion of funds in working capital facilities. Root cause analysis using statistical techniques is done to identify the causes of fraud events and to take control measures to prevent future occurrence.

- उन्नत दृष्टिकोण की ओर अग्रसर होने के क्रम में क्रेडिट जोखिम मॉडल विकसित किया गया है। पीडी मॉडलिंग फ्रेमवर्क (चूक की संभावना) का विकास जिस आधार पर किया गया है, उसी आधार पर आईआरबी द्वारा परिभाषित दिशानिर्देशों के अनुसार पीडी का मूल्यांकन परिसंपत्ति वर्ग के लिए किया गया। खुदरा पूलिंग फ्रेमवर्क तथा एलजीडी (चूक से हुई हानि) एवं ईएडी (जोखिम में चूक) फ्रेमवर्क का विकास रीटेल पूल बनाने एवं एलजीडी तथा ईएडी का मूल्यांकन करने के लिए विकसित किया जा रहा है।

- बैंक द्वारा ऋण जोखिम मॉडल के विधिमान्यकरण का फ्रेमवर्क प्रस्तुत कर दिया गया है जिसमें विभिन्न गुणात्मक और मात्रात्मक परीक्षण शामिल है, जिसका प्रयोग इसके नियामक अनुपालन के साथ–साथ समर्थ एवं प्रभावी जोखिम मॉडल प्रबंधन को परिभाषित करने के लिए किया जाता है। इस फ्रेमवर्क का उपयोग आंतरिक रेटिंग मॉडलों के मात्रात्मक एवं गुणात्मक सत्यापन का संचालन करने हेतु किया गया एवं रेटिंग मॉडलों के विभेदकारी शक्ति में सुधार हेतु मॉडल में उसके अनुसार परिवर्तन किया गया।

- प्रशिक्षण प्रक्रिया के माध्यम से स्टाफ को हर स्तर का प्रशिक्षण देकर जोखिम सुधार को सन्निहित किया जा रहा है।

- बैंक एएलएम साफ्टवेयर को कार्यान्वित करने के उच्च चरण में है।

- व्यापार इकाइयों से होनेवाली विभिन्न प्रकार की जोखिम को दूर करने हेतु सहयोग देने और स्वतंत्र रूप से निर्वाह करने के लिए जोखिम प्रबन्धन विभाग से समन्वय करने हेतु नोडल अधिकारी के रूप में प्रत्येक अंचल में अंचल जोखिम अधिकारियों को नामोद्दिष्ट किया गया है।

- उद्योगवार एक्सपोज़र सीमाओं को निर्धारित करने के लिए जोखिम आधारित परिमाणात्मक कार्यप्रणाली को विकसित किया गया है।

मानव संसाधन प्रबंधन (मा.सं.प्र.)

श्रमशक्ति स्थिति

31-03-2017 को बैंक की श्रमशक्ति स्थिति निम्नानुसार थी :

संवर्ग	कुल	ओबीसी	अजा	अजजा	पुरुष	महिला
अधिकारी	10184	2737	2187	829	7528	2656
लिपिक	9308	2923	1931	389	5492	3816
सब स्टाफ	1369	406	454	61	1218	151
कुल*	**20861**	**6066**	**4572**	**1279**	**14238**	**6623**

(* - घरेलू के अतिरिक्त पीटीएस)

भर्ती अभियान

- उत्तराधिकार योजना के अंग के रूप में सेवानिवृत्त, शाखा विस्तार एवं व्यापार में विस्तार की वजह से रिक्त पदों को भरने के लिए बैंक द्वारा उभरते व्यापार की जरूरतों के अनुरूप विभिन्न श्रेणियों से लोगों की नियुक्ति की गई है।

- वर्ष के दौरान बैंक ने 1023 परिवीक्षाधीन अधिकारियों और 42 विशेषज्ञ अधिकारियों को बैंक के विभिन्न कार्यक्षेत्रों में भर्ती की है ।

- वर्ष के दौरान 1022 लिपिकों और 52 आमर्ड गार्डों की भर्ती की है ।

अजा / अजजा / ओबीसी / पीडब्ल्यूडी कर्मचारियों के लिए कल्याण उपायः

भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार सीधी भर्ती में अनुसूचित जाति (अजा), अनुसूचित जनजाति (अजजा), अन्य पिछडे वर्गों (ओबीसी) और शारीरिक रूप से विकलांग (पीडब्ल्यूडी) उम्मीदवारों को आरक्षण प्रदान किए जाते हैं। सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार अनुसूचित जाति (अजा)/अनुसूचित जनजाति (अजजा)/शारीरिक रूप से विकलांग (पीडब्ल्यूडी) को पदोन्नतियों में आरक्षण दिए जाते हैं।

कॉका/मासंप्र में अ.जा/अ ज.जा के कल्याण कक्ष/ आरक्षण कक्ष, अ.जा/अ.ज.जा कर्मचारियों से प्राप्त शिकायतों/अभ्यावदनों (अगर कुछ हों तो) उसके तुरन्त निपटान को सुनिश्चित करता है। अ.जा/अ.ज.जा वर्ग के कर्मचारियों के हित का देखभाल करने के लिए एक महाप्रबन्धक, मुख्य समन्वय अधिकारी (सीएलओ) के रूप में कार्यरत हैं तथा दूसरे महाप्रबन्धक को अ.पि.व कर्मचारियों के हितार्थ सीएलओ के रूप में निम्नांकित किया गया है ।

कौशल का उन्नयन

बैंक के प्रशिक्षण मूलभूत संरचना में विकास एवं उत्कर्ष हेतु इंडियन बैंक प्रबन्धन अकादमी (इमेज) का नवोंमेषी प्रशिक्षण महाविद्यालय शामिल है तथा देश भर में स्थित नौ स्टाफ प्रशिक्षण केन्द्र स्टाफ और अधिकारियों को अपने कौशल का उन्नयन करने हेतु सहायक सिद्ध है।

वर्ष के दौरान, आंतरिक प्रशिक्षण प्रणाली के जरिए 5487 अधिकारियों, 1844 लिपिकों एवं 166 सब–स्टाफ स्टाफ सदस्यों को प्रशिक्षित किया गया । इसके अलावा, 1446 अधिकारीगण और कार्यपालकों ने बाह्य संस्थानों में विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लिया ।

औद्योगिक संबंधः

बैंक के उच्च प्रबन्धन, कर्मचारी संघ, अधिकारी संघ के नेताओं के साथ विचारविमर्श करता है तथा उनकी प्रतिक्रिया, व्यापार में वांछित वृद्धि और सौहर्दपूर्ण औद्योगिक संबंध बनाए रखने में सकारात्मक रहा है।

बोर्ड द्वारा निम्नलिखित नीतियों/योजनाओं की समीक्षा/सूत्रबद्ध की गई और अनुमोदन किया गया।

- स्टाफ सदस्यों को ओवर ड्राफ्ट सुविधा की योजना

- अधिकारी कर्मचारियों को बट्टे आधार पर आवासीय व्यवस्था का प्रावधान – भाड़े सीमाओं में बढ़ोत्तरी

- अधिकारियों के निवास पर फर्निचर का प्रावधान

- भर्ती नीति

- बाह्य (विदेशी/देशी) प्रशिक्षण हेतु कामिकों के चयन के लिए नीति

- In order to migrate to advanced approach, Credit Risk Models developed. PD (Probability of Default) Modeling framework has been developed on the basis of which PD has been estimated for Corporate Asset Class defined as per IRB guidelines. Retail Pooling Framework, LGD (Loss Given Default) and EAD (Exposure at Default) framework is being developed to create retail pools as well as estimate LGD and EAD.
- Credit risk Model validation framework has been introduced in the bank which covers various qualitative and quantitative tests that should be undertaken with a view to ensure regulatory compliance as well as to define sound and efficient credit risk model management. This framework has been used to conduct quantitative and qualitative validation of Internal rating models and changes carried out in the models accordingly for improving the discriminatory power of rating models
- Risk culture is being embedded through training of staff at all levels through training process.
- Bank is in advanced stages of implementing ALM software
- Zonal risk officers have been designated in each zone to act as a Nodal officer for coordinating with Risk Management Department to support and independently manage various types of risk emanating from business units.
- Risk based Quantitative Methodology for fixing industry wise exposure limits has been developed.

HUMAN RESOURCES MANAGEMENT (HRM)

MANPOWER POSITION

The position of manpower as on 31.03.2017 is as follows:

CATEGORY	TOTAL	OBC	SC	ST	MALE	FEMALE
OFFICERS	10184	2737	2187	829	7528	2656
CLERKS	9308	2923	1931	389	5492	3816
SUB STAFF	1369	406	454	61	1218	151
TOTAL*	**20861**	**6066**	**4572**	**1279**	**14238**	**6623**

(* Domestic excluding sweepers)

RECRUITMENT DRIVE

- As part of succession planning, to fill up vacancies caused on account of superannuation, branch expansion and business growth, the Bank has undertaken recruitment of manpower in various categories in line with emerging business needs.
- During the year, Bank recruited 1023 Probationary Officers and 42 Specialist Officers in different functional areas.
- 1022 clerks and 52 Armed Guards were recruited during the year.

WELFARE MEASURES FOR SC/ST/OBC/PWD EMPLOYEES

As per Government of India's guidelines, reservations are provided to Scheduled Castes (SCs), Scheduled Tribes (STs), Other Backward Classes (OBCs) and Persons with Disability (PWD) candidates in Direct Recruitment. Reservations for SC/STs in Promotions are provided as per Government guidelines.

The SC/ST Welfare Cell/Reservation Cell at CO/HRM ensures prompt disposal of grievances / representations (if any) from SC/ST employees. A General Manager is functioning as Chief Liaison Officer (CLO) to look after the interest of employees belonging to SC/ST category and another GM is nominated as CLO for OBC employees.

UPGRADATION OF SKILLS

Bank's training infrastructure constituting of the State-of-the art Training College at "Indian Bank Management Academy for Growth and Excellence" (IMAGE) and nine Staff Training Centers across the country enable the Staff and Officers to upgrade their skills.

During the year, 5487 Officers, 1844 Clerks and 166 Sub-staff members were trained through the internal training system. Also, 1446 officers and Executives attended various training programmes at external institutions.

INDUSTRIAL RELATIONS

The Top Management of the Bank interacts with the leaders of Employees' Unions, Officers' Associations and their response is positive resulting in desired growth in business and cordial Industrial Relations.

The following policies/schemes were reviewed/ formulated and approved by the Board

- Scheme for grant of overdraft to Staff Members
- Provision of Residential Accommodation to Officer Employees on Lease basis – Enhancement in Rental Ceilings
- Provision of furniture at the residence of Officers
- Recruitment Policy
- Policy for selection of personnel for external (Foreign/Inland) Training

- केन्द्रीय कल्याण समिति द्वारा वर्तमान कल्याण योजनाओं की समीक्षा
- सहानुभूतिपूर्ण नियुक्ति पर नीति तथा दिवंगत स्टाफ के आश्रित परिवार सदस्यों की नियुक्ति के स्थान पर अनुदान राशि का भुगतान किया जाना

सैप (एसएपी)

सैप एचआर साफ्टवेयर का उपयोग एचआर संबधी गतिविधियों के लिए कर रहा है। केन्द्रीकृत बयोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली उपलब्ध है। पूर्ण कार्यदल को प्रौद्योगिकी उन्नयन उपलब्ध करने के उपाय के रूप में तथा एचआर संबंधित मामलों को कागज रहित प्रासेस के जरिए निष्पादित करने के उद्देश्य हेतु इंट्रानेट के जरिए मानव संसाधन प्रबन्धन के लिए संयोगशील वेबसाइट होस्ट किया गया है। कार्य पर रहनेवाले तथा सेवानिवृत्त स्टाफ के संबंधित एचआर मामलों को शीघ्र निपटान करने हेतु कई उपायों को प्रारंभ किया गया है।

स्टाफ कल्याण उपाय

बैंक की केन्द्रीय कल्याण समिति कर्मचारियों के लिए उपलब्ध कल्याण योजनाओं की समीक्षा निरंतर करती रहती है और उसकी सिफारिशों के आधार पर उनमें सुधार किए जाते हैं। वर्तमान में, बैंक स्टाफ कल्याण बजट के लिए 20 करोड रुपये अंशदान प्रदान कर रहा है।

ग्राहक सेवा

बैंक ग्राहकों की सेवा हेतु उनके शिकायत निवारण को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का प्रयास करता है। एक प्रौद्योगिक हितैषी बैंक होने के नाते, बैंक व्यक्तिगत सेवा के साथ प्रौद्योगिकी को जोड़ती है। शिकायतों को प्रतिक्रिया के रूप में लिया जाता है तथा उसे निरन्तर सुधार और ग्राहक सेवा में उन्नयन होने हेतु विश्लेषण किया जाता है, जिससे ग्राहक की अपेक्षाओं के अनुरूप उसे संतुष्टि प्राप्त हो सके।

शिकायत निवारण की विधियां

मानकीकृत लोक शिकायत निवारण प्रणाली (SPGRS) के अतिरिक्त बैंक ने ग्राहकों के शिकायत के निवारण हेतु त्वरित पहुँच के लिए निम्नलिखित विभिन्न शिकायत निवारण प्रणाली की शुरुआत की है

- समस्त शाखाओं में शिकायत रजिस्टर रखा जाता है।
- सभी शाखाओं के बैंकिंग हॉल में शिकायत सह सुझाव बॉक्स रखा गया है।
- टोल फ्री नंबर 180042500000 के साथ 24x7 एकीकृत कॉल सेंटर उपलब्ध किया गया है।
- ग्राहक अपनी शिकायत निम्नलिखित ई–मेल के जरिए भेज सकते हैं –
  ibhocustomerservice@indianbank.co.in;
  customercomplaints@indianbank.co.in;
  nodalofficer@indianbank.co.in;
  customerfirst.cmd@indianbank.co.in.
- ग्राहक को किसी भी मोबाइल से ''शिकायत'' संदेश किसी भी मोबाइल से 56677 को एसएमएस के जरिए भेजने के लिए सुविधा प्रदान की गई है। एसएमएस प्राप्त होने पर, शिकायत को बैंक द्वारा लिया जाएगा और शिकायतकर्ता को वापस बुलाया जाएगा।

मुख्य ग्राहक सेवा अधिकारी की नियुक्ति (आंतरिक लोकपाल)

- बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशानुसार दिनांक 17 02 2016 के प्रभाव से आंतरिक लोकपाल की नियुक्ति की है । आंतरिक लोकपाल की नियुक्ति, आंतरिक शिकायत निवारणतंत्र को सुदृढ बनाने के उद्देश्य से की गई है ।
- सभी शिकायत जहॉ समाधान नगण्य है या आंशिक है, उसे योजना के अनुसार आवश्यक कार्रवाई हेतु बैंक के आंतरिक लोकपाल तक आंतरिक रूप से पेश किया जाएगा ।
- आंतरिक लोकपाल, बैंक में आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र में ग्राहक विश्वास को सुदृढ़ करने हेतु सहायता प्रदान करेगी तथा यह सुनिश्चित करेगा कि आंतरिक तंत्र के जरिए शिकायतों का निपटान किया जाता है।

मानकीकृतजन शिकायत निवारण व्यवस्था

भारत सकरार के दिशानिर्देशानुसार, बैंक ने 18.02.2013 के प्रभाव से मानकीकृत जन शिकायत निवारण प्रणाली का प्रवर्तन किया है तथा निम्नलिखित विशेष अंशों के साथ इनहाउस साफ्टवेयर विकसित किया है।

- ग्राहक बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध एसपीजीआरएस के माध्यम से ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
- शिकायत में उन दस्तावेजों को संलग्न किया जा सकता हैं जिन्हें वह शिकायत के साथ बैंक को उपलब्ध कराना चाहता/चाहती है।
- दर्ज की गई शिकायत हेतु तुरंत ही सिस्टम द्वारा निर्मित पावती शिकायतकर्ताओं के मोबाइल नं. /ई मेल आई डी पर भेजी जाती है।
- एसपीजीआरएस में शिकायतकर्ता द्वारा दर्ज की गई शिकायत की स्थिति को शिकायत संख्या जोकि शिकायत दर्ज करते समय उपलब्ध कराई गई थी, के माध्यम से जाना जा सकता है।
- शिकायत का समाधान हो जाने पर प्रतिउत्तर/शिकायत का समाधान ई–मेल आई डी/मोबाइल नं. पर भेजा जाता है।
- ग्राहकों द्वारा शाखा के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराए जाने पर संबन्धित शाखा प्रबन्धकों को शिकायतों पर तुरंत ध्यान देने हेतु समर्थ बनाने के लिए एसएमएस भेजे जा रहे हैं।
- अंचल कार्यालयों में नियुक्त अधिकारियों को लंबित शिकायतों की संख्या तथा बढ़ती हुई शिकायतों की सूचना देते हुए उनके तुरंत निवारण हेतु शाखाओं से जांच करने के लिए दैनिक आधार पर एसएमएस भेजे जाते हैं।
- विभिन्न प्रणालियों के माध्यम से प्राप्त की गई शिकायतों को एसपीजीआरएस में समेकित किया जाता है।
- स्कैन प्रतियां/दस्तावेज जवाब अथवा शिकायत के समाधान के साथ शिकायतकर्ता को भेजी जा सकती हैं।

- Review of existing welfare schemes by the Central Welfare Committee
- Policy on Compassionate Appointment and Payment of Ex-gratia in lieu of Compassionate Appointment to dependant family members of deceased staff.

SAP

SAP HR software is being put to use for HR related activities. Focus is now on centralizing all HR activities. Centralised Biometric attendance system is in place. As a measure of extending technological advancement to the entire workforce and aiming to achieve paperless processing of HR related issues, a cohesive website for Human Resources Management through Intranet has been hosted. A slew of measures have been initiated to facilitate quicker disposal of HR matters-relating to both serving and retired staff.

STAFF WELFARE MEASURES

The Central Welfare Committee of the Bank constantly reviews the welfare schemes available to the employees and improvements are being made based on their recommendations. At present, Bank is contributing ₹20 crores towards staff welfare budget annually.

CUSTOMER SERVICE

Bank gives top priority to grievance redressal in its effort to serve the customers in a better way. Being a tech friendly bank, the Bank combines technology with personalised service. The grievances are taken as a feedback and the same are analysed to continuously improve and upgrade the customer service as per the customer expectations leading to customer delight.

Modes of Grievance Redressal:

The Bank has put in place various grievance redressal modes as mentioned below to provide quick access to customers for redressing their grievances, besides the Online Standardised Public Grievance Redress System (SPGRS):

- Complaint register maintained at all the branches.
- Complaint cum suggestion box made available in the banking hall of all the branches.
- Integrated Call centre available 24 x 7 with Toll free number 180042500000.
- Customers can lodge complaint through e-mail marked to any of the mail ids viz., indmail@indianbank.co.in; ibhocustomerservice@indianbank.co.in; customercomplaints@indianbank.co.in; nodalofficer@indianbank.co.in; customerfirst.cmd@indianbank.co.in.
- Facility provided to the customer to send the message 'complaint' through SMS to 56677 from any mobile. On receipt of the SMS, the complaint would be taken up for redressal by the Bank by calling the complainant back.

Appointment of Internal Ombudsman

- Bank has appointed an Internal Ombudsman with effect from 17.02.2016 as per the directions of Reserve Bank of India. Appointment of Internal Ombudsman aims at strengthening the Internal Grievance Redressal Mechanism.
- All complaints where the resolution is either negative or partial shall be internally escalated to the Internal Ombudsman of the Bank for necessary action as per the Scheme.
- Internal Ombudsman shall help strengthen customer confidence in the Internal Grievance Redressal Mechanism in the Bank and to ensure that grievances are settled through the internal mechanism.

Standardised Public Grievance Redress System

As per the directions of Government of India, Bank has launched the Standardised Public Grievance Redress System w.e.f 18.02.2013 and an in-house software has been developed with the following unique features:

- Customer can register the complaint online through the SPGRS site provided in the website of the Bank.
- The complainant can attach scanned copies of documents which he/she wants to provide to the Bank along with the complaint.
- The complainant gets instant acknowledgement with a system generated complaint reference number to their mobile.
- The complainant may get the status of the complaint lodged by him in SPGRS by giving the complaint reference number provided to him on registering the complaint.
- On resolution of the complaint reply/resolution for the same is sent to the email id of the customer.
- SMS is sent to the Branch Manager concerned on lodging of complaint by customer against their Branch for enabling expeditious attention to the complaint.
- SMS to the designated officers at Zonal Offices are sent on a daily basis informing the number of pending complaints and escalated complaints for follow up with the Branches for immediate redressal.
- Complaints received through various modes are integrated with SPGRS.
- Scanned copies/documents can be sent to the complainant along with the reply.

- ग्राहक सेवा शिकायत निवारण के अलावा सूचना के प्रसार, पारदर्शिता, ग्राहक केन्द्रित आदि क्षेत्रों में भी सेवाएँ उपलब्ध कराता है तथा ग्राहक प्रतिक्रिया व बैंक के प्रयास नियमित रूप से सेवाओं को अद्यतित करते हैं एवं उन्नत ग्राहक सेवा की ओर अभिमुख हैं।

- बैंक भारतीय बैंकिंग संहिता और मानक बोर्ड (बीसीएसबीआई) का सदस्य है जिसने ग्राहक/एमएसई सेवा संबंधी प्रतिबद्धता कूटों को अक्षरशः कार्यान्वयन करने के लिए अपनाया है।

ग्राहक दिवस

- बैंक ने अपने स्थापना दिवस समारोह के एक भाग के रूप में 23.08.2016 को सभी शाखाओं में एकरूपता से ग्राहक दिवस मनाया। ग्राहकों की एक बढ़ी संख्या ने ग्राहक दिवस/ग्राहक बैठक में भाग लिया। कई ग्राहकों ने शाखाओं में ग्राहक सेवा के सुधार हेतु मूल्यवान सुझाव दिए तथा व्यवहार्य सुझावों को कार्यान्वित किया गया।

(23.08.2016 को सिंगापुर में आयोजित ग्राहक बैठक)

नियामक बैठकें/नोट्स

- ग्राहक सेवा से संबन्धित नियामक/अनिवार्य बैठकों का समय–सारणी के अनुसार आयोजन किया गया।

- कैलेंडर समीक्षा के अनुसार बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति की समीक्षाओं को बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

नियामक प्राधिकारियों की टिप्पणियाँ

- वार्षिक कूट समीक्षा में जोखिम आधारित पर्यवेक्षण तथा बीसीएसबीआई में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कोई भी प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की गई।बैंकिंग लोकपाल ने वर्ष के दौरान परिचालनात्मक मामलों में कुछ गौण निदेशों के अतिरिक्त बैंक के विरुद्ध कोई अधिनिर्णय पारित नहीं कियाहै।

सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005

- सूचना अधिकार अधिनियम के तहत बैंक द्वारा प्राप्त आवेदनों/प्रथम अपीलों/द्वितीय अपीलों पर ग्राहक सेवा कक्ष में एक स्वतंत्र डेस्क कार्य करता है। सूचना अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन पर संसदीय समिति द्वारा दी गई सलाह के अनुसार बैंक ने शुरू से ही एकल खिडकी दृष्टिकोण अपनाया है। आरटीआई आवेदन दायर करने के लिए ऑन–लाइन सुविधा भी उपलब्ध है (सार्वजनिक क्षेत्रक बैंकों में इस सुविधा का प्रवर्तन करनेवाला प्रथम बैंक इंडियन बैंक रहा।)

- बैंक ने वर्ष 2016–17 की अवधि के दौरान सूचना अधिकार अधिनियम के तहत 2658 आवेदन, 322 प्रथम अपील और 49 द्वितीय अपील प्राप्त किए। सभी सूचना अधिकार आवदेनों/अपीलों को निर्धारित अवधि के भीतर निपटाया गया है।

विदेशी मुद्रा कारोबारः

- वर्ष के दौरान बैंक ने ₹30,346.06 करोड के फोरेक्स व्यापार का संचालन किया है। इसमें निर्यात और अन्य आंतरिक विप्रेषण ₹10863.59 करोड़ के थे तथा आयात और अन्य बाहरी विप्रेषण ₹19,440.47 करोड़ के थे।

- वर्ष के दौरान बैंक का कुल अंतर बैंक फोरेक्स बाजार टर्नओवर ₹288658 करोड रुप्ए रहा।

- बैंक की 93 शाखाओं को विदेशी मुद्रा कारोबार का संचालन करने के लिए प्राधिकृत हैं तथा इनमें से 89 शाखाओं करे स्विफ्ट कनेक्टिविटी की सुविधा प्रदान की गई है। बैंक को 71 देशों में 223 बैंकों के साथ संपर्की व्यवस्थाएँ उपलब्ध है।

- एफसीएनआर/एनआरई जमाएँ: विदेशी मुद्रा अनिवासी (एफसीएनआर) खातों का संचालन करने के लिए 492 शाखाएँ प्राधिकृत हैं। अनिवासी भारतीय एनआरआई जमाओं में पिछले वर्ष के ₹ 8744 करोड से 9,139.01 करोड तक की वृद्धि के साथ 4.51 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है।

विप्रेषण

- सिंगापुर से बैंक की उद्यम विप्रेषण योजना के तहत सिंगापुर में निधि की प्राप्ति के बाद मिनटों में विदेशी प्रेषणों के बराबर रुपए भारत में ग्राहक के खातों में क्रेडिट किए जाते हैं और क्रेडिट की सूचना देते हुए सिंगापुर में प्रेषणकर्ता को एक एसएमएस संदेश अग्रेषित किया जाता है। यह सुविधा सप्ताह के सभी दिन उपलब्ध है।

- स्विफ्ट आधारित सामान्य धन अंतरण के अलावा बैंक द्वारा एनआरआई को दी जानेवाली अन्य प्रेषण सुविधाओं में ''एक्स्प्रेस मनी'', ''मनीग्राम'' तथा ''वेस्टर्न युनियन मनी ट्रान्सफर'' सुविधाएं हैं।

- Customer service extends beyond grievance redressal to areas such as Information Dissemination, Transparency, Customer Centricity and Customer Feedback and the Bank endeavors to continuously upgrade the services and orient towards improved customer services.
- Bank is a member of the Banking Codes and Standards Board of India (BCSBI) having adopted the Code of Commitment to Customers/MSE for implementation in letter and spirit.

Customers' Day:

- Bank celebrated Customers' Day uniformly at all the Branches across the Globe on 23.08.2016 as part of its Founding Day celebrations. Large number of Customers participated in the Customers' Day celebrations/Customer meets. Many customers offered valuable suggestions for improvement of customer Service in the Branches and feasible suggestions have been implemented.

(Customer Meet at Singapore held on 23.08.2016)

Regulatory Meetings/Notes:

- Regulatory/Mandatory Meetings relating to Customer Service were held as per the schedule.
- Reviews to the Customer Service Committee of the Board/Board were placed to Board as per calendar of Reviews.

Regulatory Authorities Observations:

- No adverse remarks were made by RBI in the AFI and BCSBI in the Annual Code Review. No awards have been passed by the Banking Ombudsman (BO) against the Bank during the year excepting a few minor directions issued in respect of operational issues.

RIGHT TO INFORMATION (RTI) Act 2005

- A separate desk attached to Customer Service Cell at Corporate Office is handling the applications, first appeals/second appeals received by the Bank under the RTI Act. Since its inception, Bank has been adopting a single window approach as suggested by the Parliamentary Committee on implementation of RTI Act. Online facility for filing of RTI application is also made available (Indian Bank being the first among the PSB to introduce this facility).
- Bank received 2658 applications, 322 first appeals and 49 second appeals under the RTI Act during FY 2016-17. All RTI applications/appeals were disposed off within the stipulated time.

FOREX BUSINESS

- Turnover in Foreign Exchange business of the Bank amounted to ₹30,304.06 crore during the year. Of this, export and other inward remittances amounted to ₹10,863.59 crore, while imports and other outward remittances amounted to ₹19,440.47 crore.
- During the year, the total turnover in the interbank forex market amounted to ₹2,88,658 crore.
- 93 branches of the Bank are authorised to handle forex business and of these, 89 branches have been provided with SWIFT connectivity. The Bank has Correspondent Arrangements with 223 banks in 71 countries.
- FCNR/NRE Deposits: 492 branches are authorised to handle Foreign Currency Non-Resident (FCNR) Accounts. Non Resident Indian (NRI) Deposits recorded a growth of 4.51 per cent at ₹9,139.01 crore as compared to ₹8,744 crore in the previous year.

REMITTANCES

- Enterprise Remittances Scheme from Singapore offers instant credit to customer accounts in India with rupee equivalent of the foreign remittances within minutes of receipt at Singapore Branch and an SMS message is forwarded to the remitter at Singapore informing the credit. The facility is available on all days of the week.
- Other remittance facilities offered by the Bank for NRIs include "Xpress Money", "Money Gram", "Western Union Money Transfer", besides normal SWIFT based Money Transfer across the globe.

- 8 एक्सचेंज गृह, यथा मेसर्स यूएई एक्सचेंज सेंटर एलएलसी – अबुधाबी, यूएई एक्सचेंज सेंटर डब्ल्युएलएल – कुवैत, ओमन यूएई एक्सचेंज सेंटर एंड कं. एलएलसी – ओमन, अल जमन एक्सचेंज डब्ल्युएलएल – कतर, जीसीसी एक्सचेंज – दुबई, बेलहासा ग्लोबल एक्सचेंज – दुबई, अल दार फार एक्सचेंज – कतर, अल घुरैर एक्सचेंज एलएलपी – दुबई के साथ इलेक्ट्रानिक निधि अंतरण व्यवस्था प्रवर्तित की गई है। मेसर्स अल रजही बैंक, साउदी अरेबिया के साथ प्रेषण व्यवस्था पहले से ही प्रवर्तित की जा चुकी है और यह सफलतापूर्वक चल रही है।

अंतर्राष्ट्रीय परिचालन

- विदेश में बैंक की तीन शाखाएं सिंगापुर, कोलंबो एवं जाफना में स्थित है। 31 मार्च 2017 को विदेशी शाखाओं की कुल जमा एवं अग्रिम राशि (सकल) क्रमशः ₹5425.26 करोड और ₹ 5655.72 करोड थी।

- वर्ष 1941 में स्थापित की गई सिंगापुर शाखा ने अद्यतन प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए विविध बैंकिंग सेवाएं प्रदान करके पहचान बनाई है और अपनी साख बढाकर ग्राहक विश्वास प्राप्त किया है। शाखा अब अपना कारोबार दो लेखा इकाइयों में कर रही है– सिंगापुर डॉलर कारोबार के लिए डोमेस्टिक बैंकिंग यूनिट (डीबीयू) और सिंगापुर डॉलर के अलावा अन्य मुद्राओं में कारोबार हेतु ऐशियन करेन्सी यूनिट (एसीयू)।

- कोलंबो शाखा, जो वर्ष 1932 में स्थापित की गई, व्यापार वित्त प्रदान करने में सक्रिय रूप से भागीदार है। विदेशी मुद्रा बैंकिंग इकाई (एफसीबीयू) कोलंबो, ऑफशोर बैंकिंग परिचालन में लगी है।

- जाफना शाखा, जो वर्ष 2011 में स्थापित की गई, जाफना क्षेत्र के आर्थिक विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

सिंगापुर शाखा में मिसिस सॉफ्टवेयर का अद्यतनीकरण

- सिंगापुर शाखा 2008 व 2010 में अद्यतन किए गए अन्य सॉफ्टवेयर के अतिरिक्त मैसिस कोर बैंकिंग पैकेज एंड इक्वेशन का उपयोग कर रही है। अद्यतन किया हुआ नया सिस्टम राजकोष परिचालनों (फ्रंट ऑफिस) के कंप्यूटरीकरण, कोर बैंकिंग के साथ बैक ऑफिस एवं मिड ऑफिस का एकीकरण, वेब आधारित क्लाइंट एप्लिकेशन का स्वचालन आदि अतिरिक्त सुविधाओं को शामिल करते हुए एकीकृत करेगा।

- इस सॉफ्टवेयर को सिंगापुर के मुद्रा प्राधिकारी (एमएएस), भारतीय रिजर्व बैंक तथा कॉर्पोरेट कार्यालय की रिपोर्टिंग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तैयार किया गया है। पिछले वर्षों के महत्वपूर्ण डेटा को भविष्य में आवश्यकतानुसार पुनः प्राप्त किया जा सकता है।

- यह सॉफ्टवेयर चरणबद्ध तरीके से कार्यान्वयन की प्रक्रिया में है । वर्तमान में एनपीए माड़यूल यूएटी के अधीन है तथा इसे वित्तीय वर्ष 2017 18 के प्रथम तिमाही में कार्यान्वित किया जाएगा ।

प्रौद्योगिकी पहल

सूचना एवं संप्रेषण प्रौद्योगिकी

- बैंक ने व्यापार के लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु प्रौद्योगिकी में नवीनता व प्रगति एवं उन्नतियों का अनुकूलतम उपयोग करते हुए ग्राहकों की आवश्यकता के अनुरूप विस्तृत विविधतावाले टेक सेवी उत्पाद उपलब्ध कराए हैं। बैंक ने टैग–लाइन का ''आपका अपना बैंक'' के रूप में नया नामकरण किया है। बैंक की आईटी रणनीति को बैंक के कारोबारी लक्ष्यों के साथ समन्वित किया गया है। बैंक के आईटी प्रस्तावों का लक्ष्य निर्बाध, सुविधाजनक और सुरक्षित लेनदेन सुविधाएं प्रदान कर ग्राहक सेवा को और बेहतर बनाना और ग्राहकों की अपेक्षाओं की पूर्ति करना है।

कोर बैंकिंग समाधान

- तकनीक, व्यापार को संबल देने वाले महत्वपूर्ण तत्व के रूप में उभर कर आई है जिसने नई हदों तक पहुंच बनाई और बैंकिंग कार्यकलापों के सभी पहलुओं को समेट लिया है।

- भारत में सभी 2679 शाखाएं एवं 28 विस्तार काउंटरों पर सीबीएस है। सिंगापुर कोलंबो व जाफना की तीन ओवरसीज शाखाएं सीबीएस नेटवर्क से जुड़ गई हैं। सीबीएस का कार्यान्वयन सभी प्रशासनिक कार्यालयों में भी कर दिया गया है।

- वित्तीय समावेशन के अंतर्गत पहुंच बढ़ाने को 46 बैंकिंग सेवा केन्द्र (बीएससी) देश के विभिन्न भागों में परिचालित हैं।

- निर्बाधित कनेक्टिविटी को सुनिश्चित करने हेतु बहुमुखी दृष्टिकोण की अपनाया गया है जैसाकि आईएर्सडीएन बैंकअप के साथ लीस्डलाइन, वीसैट्स, जीपीआरएस इत्यादि। सभी शाखाओं में दाहेरी कनेक्टिविटी विकल्प उपलब्ध है ताकि निर्बाधित ग्राहक सेवा को सुनिश्चित कर सकें।

- एमपीएलएस नेटवर्क से पहले से जुडे अंचल कार्यालयों के अलावा शाखाओं को एमपीएलएस नेटवर्क से सीधे जुड़ने के लिए बैंक के वाइड एरिया नेटवर्क में पुनर्निर्माण कार्य किया गया है।

- बैंक द्वारा प्रायोजित तीनों क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (पल्लवन ग्राम बैंक, पुदुवै भारतियार ग्राम बैंक और सप्तगिरि ग्रामीण बैंक) में 100 प्रतिशत सीबीएस कार्यान्वयन हासिल किया गया है।

टीएम / बीएनए / कियोस्क

- 3319 एटीएम (711 ऑफसाइट एटीएम और 5 मोबाइल एटीएम को शामिल कर) परिचालन में हैं।

- नकदी रीसाइक्लिंग कार्य में समर्थ 542 नकदी जमा मशीनें (बीएनए) लगवायी गयी हैं जिनमें ग्राहकों से नकदी प्राप्त भी की जा सकती है और उनको नकदी भी दी जा सकती है।

- Electronic Funds Transfer arrangements have been launched with 8 Exchange Houses viz., M/s. UAE Exchange Centre LLC–Abu Dhabi, UAE Exchange Centre WLL– Kuwait, Oman UAE Exchange Centre & Co LLC – Oman, Al Zaman Exchange WLL – Qatar, GCC Exchange – Dubai, Belhasa Global Exchange – Dubai, Al Dar For Exchange – Qatar, Al Ghurair Exchange LLP– Dubai. Remittance arrangement with M/s Al Rajhi Bank, Saudi Arabia has already been launched and running successfully.

INTERNATIONAL OPERATIONS

- The Bank has three foreign branches located at Singapore, Colombo and Jaffna. Total Deposits and Advances (gross) of the foreign branches as on March 31 2017 was ₹5,425.26 crore and ₹5,655.72 crore respectively.
- Singapore branch established in 1941 has carved a niche by offering a variety of banking services using the latest technology and enjoys enormous goodwill and customer loyalty. The branch is presently maintaining its business in two accounting units - Domestic Banking Unit (DBU) for Singapore Dollar business and Asian Currency Unit (ACU) for business in currencies other than Singapore Dollar.
- Colombo branch established in the year 1932 has active market presence extending trade finance. The Foreign Currency Banking Unit (FCBU), Colombo is engaged in offshore banking operations.
- Jaffna branch established in 2011 plays a crucial role in the economic development of Jaffna Region.

Upgradation of software at Singapore branch:

- Singapore branch is using the Misys Core banking Package and Equation besides other software which was upgraded in 2008 and 2010. Branch has gone for upgradation and the new upgraded system integrates additional facilities including computerization of treasury operations (Front Office), integration of back office and mid office through treasury package OPICS with core banking and Web based client application.
- This software is devised to cater to the day to day operations of the branch, reporting requirements of Monetary Authority of Singapore (MAS), RBI and Corporate Office. The historical data kept in back up for previous years can be restored as and when required.
- This software is implemented in phased manner in FY 2016-17 except NPA module. NPA module is currently under UAT and it will be implemented in first quarter of FY 2017-18.

TECHNOLOGY INITIATIVES

Information & Communication Technology

- Bank has exploited the innovations and advancements in Technology for achieving the business objectives and offers a wide variety of Tech savvy products in tune with the customer needs. The tagline of the Bank has been re-christened as "Your Own Bank". The IT strategy of the bank has been aligned with the business goals of the Bank and the IT initiatives aim to provide hassle free, convenient and safe transaction facilities to further enhance the Customer Service and meet customer's expectations.

Core Banking Solution

- Technology has now positioned itself as a critical business enabler, pervading new frontiers and encompassing all aspects of Banking activities.
- All the 2679 branches and 28 Extension counters in India are on CBS platform. Overseas branches at Singapore, Colombo & Jaffna are connected to CBS network. CBS has been implemented at all the Administrative offices.
- 46 Banking Service Centers (BSC) are operational in various parts of the country to increase outreach under Financial Inclusion
- Versatile approach has been adopted for ensuring uninterrupted connectivity like leased line with ISDN Backup, VSATs, GPRS etc. All the branches are having dual connectivity options to ensure uninterrupted customer service
- Bank's Wide Area Network has been revamped to connect Branches directly to MPLS network in addition to Zonal Offices which are already on MPLS.
- 100% CBS implementation achieved in all the 3 RRBs (Pallavan Grama Bank, Pudhuvai Bharathiar Grama Bank and Saptagiri Grameena Bank) sponsored by the Bank.

ATMs/ BNAs/ Kiosks:

- 3319 ATMs (including 711 offsite ATMs and 5 mobile ATMs) are in operation.
- 542 Cash Deposit Machines (BNA's) enabled with Cash recycling functionality have been deployed, where the

- पाँच स्थानों पर चलित (मोबाइल) एटीएम क्रियात्मक हैं।
- प्रयोजित आरआरबीयों द्वारा उपयोग किये जानेवाले बैंक के एटीएमों तथा उनके ग्राहकों को एटीएम कार्ड जारी करना सुविधाजनक बनाया गया।
- एटीएम कार्ड तथा पिन मेलर जारी होते ही उन्हें शाखाओं से प्राप्त करने हेतु ग्राहकों को उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नं पर निःशुल्क एसएमएस मोबाइल एलर्ट मैसेज भेजे जाते हैं।
- पासबुक प्रिंटिंग कियोस्क ने ग्राहकों को शाखा में लंबी पंक्ति में प्रतीक्षा किए बिना ही उनकी सुविधानुसार बैंक के कार्यालयीन समय के बाद भी अपनी पासबुक प्रिंट करने में समर्थ बना दिया है।
- ग्राहकों द्वारा चालान भरे बिना ही किसी भी समय बाधा रहित चेक जमा करने के लिए चेक स्वीकारकर्ता कियोस्क लगाए गए हैं, जिसे शाखा स्टाफ के हस्तक्षेप के बिना अपने–आप ही ही स्कैन कर दिया जाएगा।
- बीएनए ग्राहकों, विशेषतः देर रात को अपना व्यापार बंद करने वाले ग्राहकों को किसी भी समय अपने रुपये सुरक्षित रूप से जमा करने में सहायता करता है।
- मार्च 2017 के लिए शाखा से वैकल्पिक डेलीवरी चैनलों से लेनदेनों के माइग्रेसन का प्रतिशत

मार्च 2017 के लिए वैकल्पिक डेलीवरी चैनल में	शाखा लेनदेनों से माइग्रेसन का प्रतिशत
एटीएमों में नकद आहरण	42.98
बीएनए में नकद रसीद	40.46
कियास्क में पास बुक प्रिंटिंग	40.95

नेट बैंकिंग सुविधा के ज़रिए दी गई विभिन्न सेवाएँ निम्नानुसार हैं :

1. डेबिट कार्ड तथा क्रेडिट कार्डों के लिए ग्रीन पिन

शाखाओं में डेबिट कार्ड या री–पिन हेतु आवेदन करते समय पेपर पिन या ग्रीन पिन को चुन्ने का विकल्प उपलब्ध है। ग्रीन पिन का विकल्प करने के बाद, एक बारगी पासवर्ड (ओटीपी) निकाला जाएगा और यह पंजीकृत मोबाइल संख्या को भेज दिया जाएगा। इसके बाद ग्राहक बैंक के किसी भी एटीएम में जाकर, ओटीपी का वैद्यता कर सकता है और आगे भवि य के लेनदेनों के लिए अपना पिन सेट कर सकता है।

यह सुविधा क्रेडिट कार्ड को भी दी गई है। ग्राहक किसी भी एटीएम में जा सकता है और अपने जन्म–तिथि वैद्यता के साथ पास–कोड निकाल सकता है, जो उनके पंजीकृत मोबाइल संख्या को भेजा जाएगा।

2. एटीएम के ज़रिए कार्ड से कार्ड (सी2सी) निधि अंतरण

एक हरित पहल, यह समय की बचत करता है। कार्डधारकों से स्थूल रूप से चालान भरने से समय की बचत कर सकते हैं। यह बैंक के लिए लागत की बचत करता है (स्थूल रूप से चालान भरने की आवश्यकता नही है) तथा यह वैकल्पिक चैनल लेनदेन है। इस प्रयोजनार्थ एटीएम में एक अतिरिक्त मेनु होगा जिसे कार्डधारकों से 24 x 7 घंटे एक्सेस किया जा सकता है।

एटीएम के ज़रिए कार्ड से कार्ड (सी2सी) निधि अंतरण

एक हरति पहल, यह समय की बचत करता है। कार्डधारकों से स्थूल रूप से चालान भरने से समय की बचत कर सकते हैं। यह बैंक के लिए लागत की बचत करता है (स्थूल रूप से चालान भरने की आवश्यकता नही है) तथा यह वैकल्पिक चैनल लेनदेन है। इस प्रयोजनार्थ एटीएम में एक अतिरिक्त मेनु होगा जिसे कार्डधारकों से 24 x 7 घंटे एक्सेस किया जा सकता है।

नई कार्ड उत्पाद

ए. कस्टमाइजड डिजाइन इमेज कार्ड

ग्राहकों को वेब पोर्टल में दी गई छवि की सूची से अपने से चुनी हुई छवि या अपनी छवि को अपलोड करके उसे डेबिट कार्ड के मुख पृष्ठ पर बैक ग्राउण्ड छवि के रूप में मुद्रित करने हेतु विकल्प दिया जाता है।

Various services offered additionally through ATM are as follows:

बी. रूपे प्लेटिनम कार्ड :

यह डेबिट कार्ड की एक सुविधा जिसमें विभिन्न अंश और हित हैं जैसेकि देशी हवाई अड्डों में लांज की एक्सेस, वैयक्तिक दुघटना बीमा कवर, अद्वितीय कैसीयत सेवा, कैश–बैक, ईंधन अधिभार में अधित्याग इत्यादि सभी ग्राहकों को प्लेटिनम के डेबिट कार्ड दिया जाता है सिवाए चयनीत खाते जैसा कि बीएसबीडीए इत्यादि।

सी. ड्यूअल इंटरफेस एनएफसी (टैप एण्ड पे) डेबिट कार्ड (साफ्ट लांच)

ये ड्युअल इंटरफेस कार्डस हैं जिसमें एक ही कार्ड में एनएफयी चिप, ईएमवी चिप तथा मैग्नटिक स्ट्राप उपलब्ध हैं। कार्ड में होनेवाली एनएफसी चिप रु. 2000/– तक प्रति अवसर पर कॉन्टेक्टलेस टर्मिनलों में प्रयोग किया जा सकता है जिससे उसे टैप एण्ड पे डेबिड कार्ड बना सकते हैं। तथापि ये कार्ड्स रु.2000/– से अधिक लेनदेन के लिए प्रति अवसर पर पिन वैद्यता के साथ ईएमवी का प्रयोग कर उपयोग कर सकते हैं।

डी. आईबीए कैश कार्ड (प्रि–पेड)

प्रि–पेड कार्ड इस विषय (मुद्दे) पर कार्य करते हैं कि अब भुगतान करें और अपनी सुविधानुसार प्रयोग करें, यह मोबाइल प्रि–पेड कार्ड के समान है। ग्राहकगण कार्ड की खरीदी कर सकते हैं, उसे वांछित राशि से लोड कर सकते हैं और कार्ड प्रयोग के लिए तैयार है।

इंटरनेट बैंकिंग

बैंक ने नेट बैंकिंग के माध्यम से, ग्राहकों की सुविधानुसार स्वयं सेवा वितरण चैनल शुरूकिए हैं, जो इंटरनेट के माध्यम से निधि अंतरण, कर और उपयोगिता बिल भुगतान मेंबैंकिंग की सुविधाएं प्रदान करते हैं। नेट बैंकिंग सुविधा, व्यक्तियों और कॉर्पोरेटग्राहकों दोनों के लिए 24 x 7पहुंच के साथ प्रदान की जाती हैं।

नेट बैंकिंग सुविधा के ज़रिए दी गई विभिन्न सेवाएँ निम्नानुसार हैं :

- ऑनलाइन के जरिए फार्म 15 जी/एचः ग्राहक को नेटबैंकिंग के जरिए 15 जी/एच फार्म को अपलोड करने की सुविधा उपलब्ध है।
- नेट बैंकिंग के जरिए वी–कलेक्टः सीबीएस में उपलब्ध वर्चुअल अकाउन्ट भुगतान, नेट बैंकिंग को भी विस्तार किया गया है। ग्राहक को हिताधिकारी सृजन के दौरान वर्चूअल खाते की संख्या को प्रविष्ट करना है। यह हिताधिकारी, निधि अंतरण में वर्चूअल भुगतान विकल्प में उपलब्ध होगा।
- नेट बैंकिंग में चेक इमेज पूछताछः नेट बैंकिंग में समाशोधित चेक के इमेज को चेक पूछताछ मेनु के जरिए देखने के लिए सुविधा।
- ऑनलाइन अटल पेंशन योजना (एपीवाई) : भारत सरकार के निदेशानुसार, उसके अनुपालन में नेट बैंकिंग ग्राहकों के लिए और एक सुविधा। नेट बैंकिंग

machines can receive and dispense cash to the customers.

- Mobile ATM is functional at 5 places.
- ATMs of Bank used by sponsored RRBs and issuance of ATM cards to their customers has been facilitated - RuPay Debit Cards issued to customers of all 3 RRBs.
- Free SMS mobile alert message sent to customers on issue of ATM card and pin-mailers to their registered mobile number for collection from branches.
- Passbook printing kiosks have enabled the customers to print their Passbook without waiting for a long time in the branch counter, at their convenient time even after the business hours of the Bank.
- Cheque acceptor kiosks installed for hassle free deposit of the cheques at any time by the customers without filling the challans, which will be scanned automatically avoiding multiple touch points.
- BNAs helped customers especially Traders who close their business late night to safely deposit their money.
- Percentage of migration of transaction from branch to alternate delivery channels for March 2017 are given as below:

At alternate delivery channel for March 2017	% of migration from branch transactions
Cash Withdrawals @ ATMs	42.98
Cash receipts @ BNAs	40.46
Passbook Printing @ Kiosks	40.95

1. Green PIN for debit cards and Credit Cards

Facility to choose Paper PIN or Green PIN while applying for a debit card or Re-PIN at branches. Upon choosing Green PIN, a One Time Password (OTP) will be generated and sent to their registered mobile number. Customer can then visit any ATM of the Bank with card, validate the OTP and then set their own PIN for future transactions.

The facility is extended to Credit Cards also. Customer can approach any Indian Bank ATM and generate pass-code by using date of birth authentication, which will be sent to their Registered Mobile Number. Using the pass-code received, own PIN can be set for their Credit Card.

2. Card to Card (C2C) Fund Transfer through ATM

A Green initiative, it saves time/manual writing of Challan by Card Holders. It also saves cost for the Bank (Physical challan is dispensed with) and it is an alternate channel transaction. ATM will have additional menu for this purpose which can be accessed 24 x 7 by Card Holders.

New card products:

a. Customized design image card

Option provided to customers to choose an image of their own from the list of images provided in a web portal or to upload their own images in the website for printing the same as background image on the front side of debit cards.

Various services offered additionally through ATM are as follows:

b. RuPay Platinum card

A debit card flavour which offers various features and benefits like Lounge access at Domestic Airports, Personal accident insurance cover, Unique concierge services, Cash back, fuel surcharge waiver etc. All customers, except select accounts viz., BSBDA etc. are provided with Platinum variant debit card.

c. Dual-interface NFC (Tap-and-pay) Debit cards (Soft Launch)

These are dual interface cards having NFC Chip, EMV Chip and Magnetic Stripe on a Single Card. The NFC chip in the card can be used in contactless terminals up to ₹2,000/- per occasion, thereby making it a tap and pay Debit Card. However, these cards can also be used for amount above ₹2,000/- per occasion, using the EMV Chip interface with PIN authentication.

d. IB Cash Card (Pre Paid Card)

Pre Paid Card work on theme of pay now and use at your convenience, very similar to Pre Paid mobile phone cards. Customers can buy a card, load it with the desired amount and the card is ready to be used.

Internet Banking:

Bank has introduced self service delivery channels through Net Banking, which facilitates, banking through internet, funds transfer, tax and utility bills payments, at customers' convenience. Net banking facility is provided for both individuals and corporate customers with 24*7 accessibility.

Various new services offered through Net Banking facility are as follows:

- Form 15G/H through Online – Provision for customer to enable upload of 15G/H form through their net banking.
- V-collect through Net banking: Virtual Account payment available in CBS has been extended to Net banking. The customer has to enter the virtual account during beneficiary creation. That beneficiary will be available in virtual payment option in fund transfer.
- Cheque image enquiry in Net banking: Facility to view image of cleared cheque in Net banking through Cheque enquiry menu.
- Online Atal Pension Yojana (APY): Another facility for the Net Banking Customers in compliance with the directions

में एपीवाई के लिए उपलब्ध मेनु में, ग्राहकों को इन–हाउस अप्लिकेशन पर सीआईएफ सं. के साथ पुनःनिर्देशित करेगा। ग्राहक संबंधी विवरण स्वतः निकालेगा और अंशदान विवरण ग्राहक द्वारा भरा जाना है। भुगतान नेट बैंकिंग के जरिए किया जाएगा और एपीवाई रसीद ग्राहकों को उपलब्ध किया जाएगा।

- नेट बैंकिंग के लिए डिजीटल हस्ताक्षरः यह एक सुरक्षा उपाय है, यह ग्राहकों को धोखाधडी करनेवालों से बचा सकता है क्योंकि सामान्यतः डिजिटल हस्ताक्षर में सुलझाना मुश्किल है। नेट बैंकिंग में डिजिटल हस्ताक्षर को पंजीकृत करने के लिए एक विशेष मेनु उपलब्ध है। यूज़र प्रमाणपत्र के विवरणों को प्रिंट कर सकता है तथा शाखा को प्रस्तुत कर सकता है जिसे शाखा अधिकृत करेगा। वित्तीय लेनदेन करते समय, डिजिटल हस्ताक्षर को अधिप्रमाणन के लिए प्रयोग किया जाना है तथा प्रणाली डिजिटल हस्ताक्षर के बिना लेनदेन को अनुमत नहीं करेगा।

- अंतर्राष्ट्रीय प्रेषण हेतु फार्म ए2 का आनलाइन प्रस्तुतिकरणः इंटरनेट बैंकिंग, किसी भी समय में देशी प्रेषण करने के लिए सुविधा प्रदान करता है। इसे अब अंतर्राष्ट्रीय प्रेषणों के लिए भी विस्तार किया गया है। ग्राहक अपने नेट बैंकिंग खाते के जरिए फार्म ए2 को प्रस्तुत कर सकते हैं तथा शाखा, उपलब्ध किये गये आँकडे के आधार पर और उसे अपलोड किये गये फार्म ए 2 में हस्ताक्षर का अधिप्रमाणन करने के बाद अंतर्राष्ट्रीय विप्रेषण के लिए प्रबन्ध कर सकते हैं।

- आन–लाइन प्रमाणपत्रः ब्याज प्रमाणपत्र को अपने खातों के लिए नेट बैंकिंग या बैंक की वेबसाइट से डाउनलोड करने की सुविधा उपलब्ध है। खाता/सीआईएफ संख्या तथा ओटीपी (बैंक द्वारा उपलब्ध) को प्रविष्ट किया जाना है तथा फाइल को पीडीएफ के रूप में डाउनलोड किया जाता है (यह पासवर्ड से सुरक्षित है तथा यह ग्राहक द्वारा पंजीकृत मोबाइल संख्या से खोला जा सकता है)। आयकर विभाग –टैन संख्या के साथ आँकडा उपलब्ध करते समय प्रणाली होम शाखा को चयन करने के बजाए शाखा को चयन करने का विकल्प उपलब्ध है।

मोबाइल बैंकिंग

- **'इंडपे'**

आँड्राइड, विंडोस एवं आईओएस प्लेटफॉर्म पर प्रवर्तित मोबाइल बैंकिंग अप्लिकेशन निम्नलिखित बैंकिंग सुविधाएँ उपलब्ध करता है।

- सीआईएफ संख्या से जुड़े हुए खातों में शेष की पूछतांछ।
- बैंक के अंदर ही एक खाते से दूसरे खाते में निधि अंतरण।
- भारतीय रिजर्व बैंक की एनईएफटी योजना का प्रयोग करते हुए अन्य बैंकों के खातों में निधि अंतरण।
- आईएमपीएस के माध्यम से अन्य बैंकों के खातों में निधि अंतरण।
- मूल्यवर्धित सेवाएँ जैसे एमपिन व एमटीपिन परिवर्तन, मोबाइल टॉप अप, डीटीएच रिचार्ज, बिल भुगतान सेवाएँ, स्कैन एंड पे इत्यादि।
- इंडपे के जरिए लेनदेन लॉक/ अनलॉकः इंडपे में उपलब्ध मेनु का प्रयोग करते हुए नेट बैंकिंग एवं मोबाइल में लेनदेन को लॉक/अनलॉक कर सकते हैं। अनलॉकिंग करने के लिए पंजीकृत मोबाइल को ओटीपी भेज दिया जाएगा। ओटीपी की प्रविष्टि करने पर, लेनदेन सुविधा को अनलॉक किया जाएगा।
- इंडपे के जरिए स्थायी अनुदेशः स्थायी अनुदेश का सृजन करने हेतु प्रावधान, इंडपे को भी विस्तार किया गया है।
- एम–पासबुकः इंडपे ऐ पके जरिए ग्राहकों को अपने खाते में पूर्ण विवरण के साथ नवीनतम 50 लेनदेनों को देखने की सुविधा
- इंड–पे के जरिए ई–टीडीएः इंड–पे के जरिए मियादी जमा को खोलने/की पूछताछ/बन्द करने की सुविधा
- मूल्य वर्धित सेवाएँः चेक बुक/चेक स्टाप अनुरोधः मोबाइल बैंकिंग ग्राहकों को एमटी पिन वैद्यता के साथ जारी किये गये चेक को रोक सकते हैं और सीबीएस में चेक स्टॉक को अंकित किया जाएगा।
- स्कैन एण्ड पे ऐपः मोबाइल ऐप में विक्रेता तथा सेवा प्रदाता को भुगतान करने की कार्यप्रणाली। विक्रेता को आईएफएससी कोड हेतु क्यूआर कोड तथा खाता संख्या को सृजित करना चाहिए तथा परिसर के विभिन्न स्थलों पर मुद्रित क्यूआर कोड की प्रतियों को प्रमुख स्थान पर प्रदर्शित करना चाहिए। इंडपे मेनु स्कैन एण्ड पे का प्रयोगकर क्यूआर कोड को स्कैन करने पर विक्रेता के खाता विवरण स्वतः पापुलेट होगा। प्रयोगकर्ता को बिल संदर्भ सं (वैकल्पिक), राशि तथा एमटीपिन की प्रविष्टि करना चाहिए और उस ''पे'' को क्लिक करना चाहिए। अगर यह हमारे बैंक के खाता हो तो, बिना किसी प्रकार का राशि का अंतरण तुरन्त हो जाएगा। अन्य बैंक खाता धारकों आईएमपीएस के जरिए प्रयोज्य प्रभार के साथ राशि तुरन्त जमा की जाएगी।

ग्राहक जिन्हें सक्रिय इंटरनेट बैंकिंग सुविधा या डेबिट कार्ड का प्रमाणन हों तो वे ''इंडपे'' मोबाइल बैंकिंग सुविधा के लिए ऑनलाइन पंजीकृत कर सकते हैं।

इंडियन बैंक यूपीआई

एकीकृत भुगतान इंटरफेस किसी अतिरिक्त जानकारी की प्रविष्टि किये बिना एक शीघ्र तथा सुलभ माध्यम से वर्चूअल पेमंट अडरेस (वीपीए) का प्रयोग कर धन को प्रषित करने व प्राप्त करने को सुविधा प्रदान करता है।

अन्य नई पहलः

1. आईबी स्टाफ एपः

यह एप स्टाफ सदस्यों को अपने ज्ञान को बढ़ाने और बैंक को अपने योगदान देने के लिए सहायक सिद्ध है।

ए. लीड जेनरेशनः स्टाफ सदस्यों को अपने मोबाइल से आसान से लीड सृजित करने के लिए एक सुविधा। यह सुविधाजनक है क्योंकि लीड्स का सृजन करने के लिए सिस्टम में लाग–इन करने की आवश्यकता नहीं क्योंकि अपने मोबाइल से उपलब्ध करा सकते हैं।

बी. स्टाफ पोर्टलः ई–मेल, इंट्रानेट तथा वेबसाइटों को एक्सेस कर सकते हैं। जब कभी प्रमुख सूचना/अधिसूचना अपलोड किये जाते हैं, उसे घर से व्यू कर सकते हैं।

of Government of India. Menu available in Net Banking for APY will redirect customers to an in-house application with CIF Number. Customer related information will be auto populated and subscription details are to be filled by customer. Payment will be done through Net Banking and APY receipt will be provided to the customers.

- Digital Signature for Net Banking: A security measure, it saves customers from fraudsters as Digital signatures are normally not compromised. Special menu available in Net Banking for Registration of Digital Signature. User can print the certificate details and submit to branch which shall authorize the same. While carrying out financial transaction, Digital signature is to be used for authentication and system will not permit transaction without Digital signature.
- Online Submission of Form A2 for International Remittance: Internet Banking provides facility for domestic remittances at any time. The same is now extended for International remittances also. Customers can submit signed Form A2 through their Net Banking account and Branch will arrange for international remittance based on the data provided and after validating the signature in the uploaded Form A2.
- Online Interest Certificate: Facility for customers to download interest certificate for their accounts through net banking or through Bank's website. Account/CIF number and OTP (provided by bank) is to be entered and the file downloaded as PDF (which is password protected and can be opened only with registered mobile number of the customer). Option has been provided to select branch instead of system choosing Home Branch while providing data to Income Tax Department with TAN number.

Mobile Banking:

- **'IndPay'**

Mobile Banking application launched on Android, Windows & iOS platforms provides following banking facilities:

- Balance Enquiry of accounts linked under CIF Number
- Fund transfer within the Bank from one account to another
- Fund transfer to accounts of other banks using NEFT scheme of RBI.
- Fund transfer to accounts in other banks through IMPS
- Value added services like change MPIN & MTPIN, Mobile top up, DTH recharge, Bill pay services, etc.,
- Transaction Lock/Unlock through IndPay: Facility to lock/unlock transaction facility in Net banking and Mobile Banking using menu available in IndPay. For unlocking, OTP will be sent to the registered mobile. On entering the OTP, the transaction facility will be unlocked.
- Standing Instruction through IndPay: Provision to create standing instructions extended to IndPay also.
- M-Passbook: Facility for Customers to view latest 10 transactions in their accounts with full details through Indpay App.
- E-TDA through Indpay: Opening /enquiry/closing of Term Deposit (e-TDA) facility through Indpay.
- Value Added Services – Cheque Book / Cheque Stop Request: Facility for mobile banking customers to make request for Cheque book with MTPIN validation. Request will be processed and personalized cheque book will be issued to customers. Customers can stop cheque issued by them with MTPIN validation and the Cheque stop will be marked in CBS.
- Scan & Pay: New functionality in Mobile app to make payment to vendor and service provider. Vendor has to create QR code for IFSC code and account number and display the printed copies of QR code prominently at multiple locations in their premises. On scanning the QR code using the IndPay menu, Scan & Pay, vendor account details will be populated automatically. The user has to enter bill reference (optional), amount and MTPIN and click pay. If it is Bank's account the amount will be transacted immediately without any charges. For other bank account holders it will be credited immediately through IMPS transaction with applicable charges.

The customers having active Internet Banking or Debit Card credentials can register online for 'IndPay' Mobile Banking facility.

Indian Bank UPI

Unified Payment Interface is a quick and easy way to send and receive money using Virtual Payment address (VPA) without entering additional Bank information. It enables all Bank account holders to send and receive money through their smart phones.

Other new initiatives:

1. IB Staff app

An app to help Staff members to improve their knowledge and make them to contribute to Bank.

a. Lead Generation: Provision for staff members to create leads from their mobile very easily. It is helpful as there is no need for logging into the system to create leads which can be provided from their mobile.

b. Staff Portal: Staff can access Helpdesk, email, intranet and other websites from their home at ease. Whenever important information/notification are uploaded, the same can be viewed from home.

सी. इंड नॉलेजः इंड नालेज उत्पाद– यह उत्पाद स्टाफ सदस्यों के बीच में सौहार्दपूर्ण प्रतिक्रिया उत्पन्न करने के लिए सहायक सिद्ध है चूँकि अपने विचारों को आसानी से अदान–प्रदान कर सकते हैं और शंका समाधान पोर्टल के जरिए सामान्य समस्याओं का हल निकाल सकते हैं।

डी. आईबी स्टाफ एम में जीयो टैगः अधिकारियों को गुगल मैप इंटरफेस का प्रयोग कर ऋणकर्ताओं की सँपत्तियों के स्थान को तुल्य रूप से अद्यतन करने और जीयो टैग करने के लिए एक सुविधा। ग्राहक की पहचान को सत्यापन करने के लिए ग्राहक की सीआईएफ संख्या को प्रविष्टि करना है। पुष्टि होने पर, स्थान का जीयो–टैग लिया जा सकता है।

2. आईबी कस्टमर एप

ग्राहक के हितार्थ निम्नलिखित सुविधाओं के साथ प्रवर्तित किया गयाः

ए. प्रए. प्रतिक्रियाः ग्राहक उन्मुख सेवाओं के संबंध में प्रतिक्रिया एवं अभ्युक्तियाँ उपलब्ध करता है जिसे आवश्यक कार्रवाई हेतु ग्राहक सेवा कक्ष द्वारा लिया जाएगा।

बी. पेंशन पर्चीः पेंशन विवरण को पेंशनर की पंजीकृत मोबाइल संख्या को भेजे जानेवाले ओटीपी के अधिप्रमाणन के साथ देखा जा सकता है।

सी. ऋण अनुरोधः गृह/वाहन/मार्टगेज/एमएसएमई ऋण को आवेदन करने के लिए सुविधा। संदर्भ संख्या को जनरेट किया जाएगा और बैंक के विपणन कार्यपालक, ग्राहक से संपर्क करेगा ताकि लीड को व्यापार में परिवर्तित कर सकता है।

डी. शाखा/एटीएम स्वच्छताः शाखा/एटीएम का छायाचित्र लिया जा सकता है और उसे स्टैटिक ई–मेल आईड (cleanlines@indianbank.co.in) को टिप्पणियों के साथ भेजा जा सकता है। ग्राहक सेवा कक्ष आवश्यक कार्रवाई करेगा।

ई. आईबी कस्टमर मोबाइल एप में सेक्यूर ओटीपीः आईबी कस्टमर एप में सेक्यूर ओटीपी कार्यप्रणाली को जोडा गया है जिसमें ओटीपी के साथ एक बारगी पंजीकरण और पंजीकृत मोबाइल अधिप्रमाणन की आवश्यकता है। यह सीधे नेट बैंकिंग अप्लिकेशन के साथ संपर्क करेगा और एकल हाथ में ओटीपी को सुरक्षित रूप में प्राप्त करेगा। यह ग्राहक अनुभव को बढ़ाएगा और शिकायतों को कम करेगा।

एफ. डिजिटल चालानः एक और हरित पहल, इससे ग्राहक को समय/स्थूल रूप से लेखन का बचाव होता है, इसके अलावा बैंक को लागत में बचाव है (स्थूल रूप से चालान का प्रयोग नहीं किया जाता है)। आगे, रोकडिया को विवरण की प्रविष्टि करने की आवश्यकता नहीं है। आईबी कस्टमर एप में उपलब्ध डिजिटल चालान मेनु के जरिए, ग्राहक, कहीं भी, चौबीसों घंटे (24X7) खाता सं (ऋण/बचत बैंक/चालू खाता) तथा जमा की जानेवाली राशि के मूल्यवर्ग को प्रविष्टि कर चालान का सृजन कर सकता है कोर बैंकिंग प्रणाली में जानकारी रखी जाएगी और संदर्भ संख्या को जनरेट करके ग्राहक का उपलब्ध करेगा। ग्राहक, इसके बाद शाखा से संपर्क करेगा और नकद का भुगतान करते समय रोकडिया को संदर्भ संख्या उपलब्ध करेगा। संदर्भ संख्या की प्रविष्टि करने पर, रोकडिया को जानकारी मिलेगा और नकद की वसूली करेगा। प्राधिकृत करने पर, ग्राहक को राशि से प्राप्ति के संबंध में एसएमएस भेजा जाएगा।

जी. आईबी कस्टमर एप के जरिए क्रेडिट कार्ड विवरण व्यू करनाः क्रेडिट कार्ड ग्राहकों को आईबी कस्टमर एप के जरिए एकबारगी पंजीकरण करके आवश्यक प्रमाण को दर्ज करना चाहिए। इसके बाद, पिछले महीने के विवरण और चालू अवधि के लेनदेन विवरण को देख सकते हैं।

एच. आईबी कस्टमर एप में जेवर ऋण के लिए अनुरोधः ग्राहकगण, जेवर ऋण उपलब्ध करने के लिए आईबी कस्टमर एप/आईबी वेबसाइट के जरिए छुट्टियों को छोडकर अपनी सुविधानुसार समय–सारणी और ऋण पाने की तारीख का चयन कर सकते हैं। ऋण पाने की तारीख, अगले कार्य दिवस से प्रारंभ होकर आगे तीन दिन तक होगा तथा यह शाखा द्वारा दिये गये समय सारणी के लिए वैद्य होगा। सुरक्षा हेतु ओटीपी की वैद्यता की जाती है।

आई. मोबाइल चैनल के ज़रिए डिजिटल भुगतान करने से ग्राहकों को अधिक सुविधा होती है, इसलिए ग्राहकों को आईबी कस्टमर एप के ज़रिए अपनी बिजली बिल भुगतान करने हेतु एक सुविधा उपलब्ध की गई है। ग्राहक अपने एसवीसी संख्या की पंजीकरण करके, बिल की पूछताछ कर सकते हैं और इस सुविधा का प्रयोग कर बिल का भुगतान कर सकते हैं।

3. ई–मेल के जरिए खाता विवरणीः (Registration @ Website / Branch)

बैंक की वेबसाइट से खाता विवरणी पाने के लिए अनुरोध पंजीकृत किये ग्राहकों को, पासवर्ड से सुरक्षित पीडीएफ खाता विवरणी स्वतः जेनरेट किया जाएगा और उन्हें अपने पंजीकृत ई–मेल आईडी को निर्धारित अंतराल(दैनिक/साप्ताहिक/मासिक) में भेज दिया जाएगा।

4. डिजिटल जीवन प्रमाणपत्रः

यह एक हरित पहल है और भारत सरकार के निदेशों के अधीन इसका अनुपालन किया जा रहा है जहाँ पेंशनभोगी बैंक की किसी शाखाओं में डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र प्रस्तुत कर सकते हैं।

5. ऑन–लाइन लॉकर सुविधाः

बैंक की वेबसाइट में लिंक उपलब्ध है जहाँ ग्राहकगण राज्यवार शाखा का चयन कर सकते हैं और उस शाखा में लॉकर की उपलब्धता का पता कर सकते हैं। इसके बाद, वे अपने अनुरोध के लिए पंजीकरण कर सकते हैं, जिसके लिए उन्हें संदर्भ संख्या दी जाएगी और यह उनके मोबाइल/ई–मेल आईडी को भेज दी जाएगी। वे अपनी संदर्भ संख्या के साथ आवश्यक दस्तावेजों को लेकर शाखा में संपर्क कर सकते हैं।

प्रशिक्षणः

स्टाफ को कम्प्यूटर संबंधी प्रशिक्षण लगातार दिया जा रहा है ताकि वे प्रौद्योगिकी प्लैटफार्म को संचालन करने में सशक्त बना सकते हैं। चालू वर्ष के दौरान 3518 अधिकारियों और 3585 अवार्ड स्टाफ को प्रशिक्षण दिया गया है।

c. Ind Knowledge: IND Knowledge product - Very helpful for healthy interaction between staff members as they can discuss their views and ideas easily and come up with solutions for common problems through Shanka Samadhan portal

d. Geotag in IB Staff App: Provision for officers to precisely update and geo tag location (latitude, longitude and address) of properties of borrowers using Google map interface. CIF number of the customer is to be entered to verify the customer's identity. On confirmation, geo tagging of the location can be taken up.

2. IB Customer App

Launched for benefit of the customers with the following facilities.

a. Feed back: Provide feedback and remarks about customer centric services which would be taken up by Customer Service Cell for necessary action.

b. Pension slip: Pension details can be viewed with the authentication of OTP sent to the registered mobile number of the Pensioner.

c. Loan request: Facility to make application for Home/Vehicle/Mortgage/MSME Loan. Reference Number will be generated and Bank's marketing executive will contact the customer to convert the lead into business.

d. Branch/ATM cleanliness: Photograph of the branch/ATM can be taken and sent to static mail ID (cleanliness@indianbank.co.in) with comments. Customer Service Cell will organize necessary action.

e. Secure OTP in IB Customer mobile app: Secure OTP functionality added in IB Customer APP which requires one time registration with OTP & Registered Mobile authentication. It will communicate directly to the Net Banking application and obtain the OTP in a secured manner in a single hop. It will enhance customer experience and reduce complaints.

f. Digital challan: Yet another green initiative, it saves time/manual writing for customers besides cost for the Bank (Physical challan is not used). Further, Cashier need not enter details again. Through the Digital challan menu available in IB Customer app, customer can create a challan, from anywhere, 24 x 7 by entering account number (Loan/Savings Bank/Current Account) and denomination of amount to be deposited. Information will be stored in Core Banking System and reference number would be generated and provided to customer. The customer can thereafter approach the branch and provide the reference number to the cashier while remitting cash. By entering the reference number, cashier would be able to fetch the information and collect the cash. Upon authorization, SMS will be sent to Customer for having remitted the amount.

g. Credit card statement view through IB Customer app: Credit card customers have to carry out an one time registration and enter the required credentials through IB Customer App. Thereafter, they can view the last month statement and current period transaction details.

h. Jewel Loan request in IB Customer app: Customers can take appointment for availing jewel loan through IB Customer app/IB website by choosing time slot and date of appointment as per their convenience except on holidays. Date of appointment will be three days starting from the next working day and the same would be valid only for branch/time-slot preferred. OTP validation is done for security.

i. TNEB bill payments in IB Customer mobile app: As digital payment through mobile channel presents customers with greater convenience, facility has been provided to customers for effecting their electricity bill payment through IB Customer App. Customer can register their SVC Number, perform bill enquiry and make payment using this facility.

3. Statement of account through e-mail (Registration @ Website / Branch)

For customers who had registered their request for statement of account through Bank's website, password protected PDF statement of account are auto generated and sent to their registered e-mail ID at a specified frequency (daily/weekly/monthly).

4. Digital Life Certificate

It is a Green Initiative and in compliance with Government of India directions wherein Pensioners can submit Digital Life Certificate at any of branches of the Bank branches.

5. Online Locker Facility

Link is available in the Bank's website wherein customers can select branch, state wise and check availability of locker at that branch. Thereafter, they can register their request for which a reference number will be generated and sent to his/her mobile and email id. With the reference number they have to approach the branch with required documents for allotment of lockers.

Training:

Computer related training is imparted to staff on an ongoing basis to empower them to handle the Technology platform. During the current year 3518 officers and 3585 award staff have been trained.

प्रबंधन सूचना प्रणाली

100 प्रतिशत कोर बैंकिंग समाधान द्वारा स्वचालन का पूरा फायदा उठाने के लिए एमआईएस विभाग विभिन्न अभिकरणों एवं विभागों को विभिन्न रिपोर्ट / डेटा प्रदान करता रहा है। इस प्रणाली को और सुविधाजनक बनाने के लिए बनी बनाई रिपोर्टों के सृजन के लिए एक नया एमआईएस पोर्टल विकसित किया गया है।

सूचना प्रणाली सुरक्षा

- बैंक की सूचना प्रणाली व सुरक्षा प्रक्रियाएं आईएसओ 27001:2013 मानक से प्रमाणित किया गया है तथा दुनिया भर में प्रमाणित कुछ बैंकों में से हमारा बैंक एक है। यह प्रमाणीकरण बैंक की विश्वसनीयता, सूचना सुरक्षा प्रणाली की मजबूती हेतु प्रशंसा पत्र को सम्मिलित करता है तथा ग्राहकों को आश्वास्त करता है कि बैंक की सूचना सुरक्षा उच्च किस्म की है। मानक सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली (आईआसएमएस) के निष्पादन को मापने व मूल्यांकन पर भी ज़ोर डालता है। प्रमाणित सुरक्षा मानक के पास कूट–लेखन, सुरक्षित विकास, सुरक्षा परीक्षण, आपूर्तिकर्ता संबंध इत्यादि में अतिरिक्त नियंत्रण है। प्रमाणित सुरक्षा मानक के पास कूट–लेखन, सुरक्षित विकास, सुरक्षा परीक्षण, आपूर्तिकर्ता संबंध इत्यादि में अतिरिक्त नियंत्रण है। सूचना सुरक्षा पॉलीसियां आईएसओ 27001–2013 के अनुसार तैयार की गईं तथा हमारे बैंक की सूचना प्रणाली को सुरक्षित बनाने के लिए लागू किया गया।

- आईएसओ 27001 प्रमाणन के लिए निगरानी लेखा परीक्षा दिनांक 14 फरवरी से 17 फरवरी 2017 तक सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। इसमें प्रमाणित सुरक्षा वातावरण की जाँच की जाती है।

बैंकों में साइबर सुरक्षा फ्रेमवर्क पर भारतीय रिज़र्व बैंक का दिशानिर्देश

- बैंक ने बैंकों में साइबर सुरक्षा फ्रेमवर्क पर भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र दिनांकित 2 जून 2016 के संबंध में बोर्ड द्वारा विधिवत रणनीति को अपनाया है, इसमें व्यापार के सूक्ष्म स्तर तथा जोखिम के सहनीय स्तर को साइबर खतरे का सामना करने हेतु उचित दृष्टिकोण बनाया है। इस नीति को बनाने के पहले आंतरिक रूप से गैप विश्लेषण को आयोजित किया गया जिसमें व्यापार उद्देश्यों को बढ़ावा देने हेतु बैंक की सूचना सुरक्षा रणनीति की वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन तथा लक्ष्यांकित मेचुरिटी स्तर को प्राप्त करने के लिए आवश्यकताओं का विश्लेषण किया जा सके। नीति का मुख्य उद्देश्य यह है कि साइबर जोखिमों को सामना करने के लिए वर्तमान सुरक्षा उपायों में सुधार लाकर बैंक के लचीलापन को बढ़ाना है और निरन्तर आधार पर पर्याप्त रूप से साइबर सुरक्षा को मुकाबले करने के लिए तैयार रहने को सुनिश्चित करना है, इस दिशा में बैंक को साइबर खतरे को सामाना करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करना है क्योंकि व्यापार के सूक्ष्म स्तर और जोखिम के सहनीय स्तर के संदर्भ में स्टाफ, विक्रेताओं, ठेकेदारों और अन्य पण्यधारकों को चेतना पैदा करने और उन्हें सूचना आस्तियों को संरक्षित करने की जिम्मेदारी निभाना है, जिसे उन्हें सौंपा गया है। एक साइबर आपात प्रबन्धन योजना (सीसीएमपी) का सूत्रपात किया गया है और मुख्य रूप से साइबर घटनाओं को प्रोसेस करने के लिए बनाया गया है।

ग्राहक सूचना को सुरक्षित रखने के लिए नई सूचना सुरक्षा समाधान

- सुरक्षा परिचालन केन्द्र (एसओसी), अब सेक्यूरिटी इन्सीडेंट एण्ड ईवन्ट मैनेजमेंट (एसआईईएम) समाधान से सन्नद्ध किया गया है ताकि सुरक्षा उपकरणों एवं सर्वरों से सेक्यूरिटी लॉग को निकाला जा सके और कोई विसंगति हो तो उसका विश्लेषण किया जाए। इसमें जोडे गये उपकरण जो एओसी में कार्यान्वित किये जा रहे हैं प्रिविलेज आइडेंटी मैनेजमेन्ट (पीआईएम) समाधान के हैं, जो विशेष व्यक्तियों के क्रियाकलापों को ट्रैक करने के लिए प्रयोग किये जाते हैं। डैटाबेस एक्टिविटी मॉनिटरिंग (डीएएम) समाधान, डैटा बेस में होनेवाली क्रियाकलापों को मॉनिटर करने और प्रणाली में कमजोरियों को स्कैन करने के लिए कमजोरी मूल्यांकन समाधान (वीएस)का प्रयोग किया जाता है।

आपदा रिकवरी(डीआर) ड्रिल का स्वचालन :

- सूक्ष्म आईटी अप्लीकेशन के आपदा रिकवरी प्रासेस को सनोवी, डीआर स्वचालन समाधान के जरिए स्वचालित किया गया है । फरवरी 2017 के दौरान हाल ही में डीआर ड्रिल का आयोजन किया गया, इसमें सूक्ष्म आईटी अप्लीकेशन के "स्वीचिंग बैक" के कार्यप्रणाली के जरिए प्रयोग किया गया।

परिसर :

- ऊर्जा बचत के उपाय के रूप में, बैंक के परिसर में सोलर पावर और एलईडी लाइटों का प्रयोग किया गया।

- हरित पहल के अंश के रूप में विक्रेताओं, पूर्तिकर्ताओं इत्यादि को सभी भुगतान इलेक्ट्रानिक चैनलों के ज़रिए किये जाते हैं, जैसे सीधे जमा / एनईएफटी / आरटीजीएस (केवल अपवादिक स्थितियों में चैक के ज़रिए भुगतान किया जाता है)।

- भारत में बैंक की 148 संपत्तियाँ हैं और सिंगापुर में 2 संपत्तियाँ है।

- परिसर, व्यय, क्रय, संविदा, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, वातानुकूलन, आटोमोबाइल, टेलीफोन, सेलफोन के लिए एकसमान नीति है और उसे सभी शाखाओं / अंचलों में अपनाया गया है।

हरित पहल :

ए. सौर ऊर्जा :

बैंक ने निम्नलिखित हरित पहलुओं को लिया है ।

- ऊर्जा के वैकल्पित स्रोत को अपनाते हुए बैंक ने सार्वजनिक क्षेत्रक बैंक के रूप में अन्य सत्ता के साथ हरित भारत के निर्माण में सहयोग हेतु आगे है। कार्पोरेट कार्यालय में सौर ऊर्जा का प्रयोग किया जा रहा है, जोकि पहले से ही ग्रीन बिल्डिंग (गोल्ड रेटिंग) स्टेटस में है।

- बैंक के अपने निजी मकानों में सौर्य ऊर्जा प्लांट संस्थापन नेटवर्क को बढ़ाते हुए जहां कहीं तकनीक रुप से व्यवहार्य हो, वहाँ सम्पूर्ण वार्षिक व्यय में ऊर्जा खपत में 4–5 प्रतिशत तक कम करने की अपेक्षा है।

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

To derive full benefit of automation through 100 percent CBS, the MIS department has been providing various reports/data for furnishing to different agencies and departments. To facilitate the same, a new MIS portal has been developed with facility to generate tailor made reports.

INFORMATION SYSTEMS SECURITY

- Bank's Information System & Security processes have been certified with ISO 27001:2013 standard and the Bank is among the very few Banks that are certified worldwide. Bank's IS Security Cell and IT Departments are certified for ISO 27001 Standard. The certification adds credibility, a testimonial for the reliability of the Bank's information security system and reassures the clients that the Bank's information security is of high quality. The Standard also lays emphasis on measuring and evaluating the performance of Information Security Management System (ISMS). Also, the certified security standard has additional controls in cryptography, secured development, security testing, supplier relationship etc. Information Systems Security Policies as per ISO 27001 - 2013 Standards were formulated and put in place to secure the Information Systems of our Bank.
- Surveillance audit for ISO 27001 certification has been successfully conducted from 14th to 17th of February 2017 to check whether the certified security environments are followed.

RBI Guidelines on Cyber Security Framework in Banks

- Bank has put in place a Cyber Security Policy in terms of RBI circular dated 2nd June 2016 on Cyber Security Framework in Banks elucidating the strategy containing an appropriate approach to combat cyber threats given the level of complexity of business and acceptable levels of risk, duly approved by the Board. Prior to developing the Policy, a Gap analysis was conducted internally to assess the present position of bank's information security strategy to support business objectives and analyze the requirements for reaching the targeted maturity level. The main objectives of the policy are to enhance the resilience of the bank by improving the current defenses in addressing cyber risks and ensure adequate cyber security preparedness on a continuous basis, provide guidance and direction to the bank in combating cyber threats, given the level of complexity of business and acceptable level of risks and to enable the staff, vendors, contractors and other stakeholders to gain awareness and fulfill their responsibilities to protect the information assets with which they are entrusted. A Cyber Crisis Management Plan (CCMP) has also been formulated and put in place mainly focusing on incident handling process of cyber incidents.

New Information Security solutions to protect customer information

- Security Operation Centre (SOC) has now been equipped with Security Incident and Event Management (SIEM) solution for pulling out the security logs from the security devices and servers and analyzing for any anomaly. Also devices added and being implemented in the SOC are Privilege Identity Management (PIM) solution to track the activities of the privileged users, Database Activity Monitoring (DAM) solution for monitoring the activities happening at the database and Vulnerability Assessment Solution (VAS) to scan the systems for vulnerabilities.

Automation of Disaster Recovery (DR) Drill

- The Disaster Recovery process of critical IT applications has been automated through Sanovi, an automation solution for DR. The latest DR Drill during February 2017 has been conducted using the automated DR process for switching over and Switching back of critical IT applications.

PREMISES

- As part of the green initiative, all payments to vendors, suppliers etc. are made through electronic channels, viz., direct credit/NEFT/RTGS (only under exceptional circumstances, payment by way of cheque is made).
- As an energy saving measure, Solar Power and LED lights were introduced at Bank's own premises.
- Bank owns 148 properties in India and 2 properties in Singapore.
- Uniform policies for Premises, Expenditure, Purchases, Contracts, Printing and Stationery, Air-conditioning, Automobiles, Telephone/Cell phone have been put in place and the same are adopted at all branches/Zones.

Green Initiatives:

A. Solar Power:

Bank has switched over to the following green initiatives:

- Harnessing of solar power to Corporate Office, which is already under Green Building (Gold Rating) status. By adopting alternative source of energy, as a Public Sector Bank, the Bank has joined hands with other entity to form Green India.
- Expanding the Solar power plant installation network in Bank's own Buildings, wherever technically feasible, to reduce the annual overall expenditure on energy consumption by about 4 to 5 per cent.

बी. अन्य हरित पहल

- एलईडी लैम्प का प्रयोग करते हुए लाइटिंग प्रणाली में नई प्रद्योगिकी उत्पादों को अपनाया गया है।
- नई शाखाओं को एलईडी लाइटिंग से ऊर्जागर किया गया है।
- विद्यमान शाखाओं में लाइटिंग चरण–बद्ध तरीके से परिवर्तन किए जा रहे हैं। वर्तमान में 472 शाखाओं / कार्यालयों में एलईडी लाइटिंग उपलब्ध की गई है।
- शाखाओं और कार्यालयों के लिए ऊर्जा लेखा परीक्षा का आयोजन किया जाता है।
- शाखाओं और कार्यालयों में एयर–कंडीशनर्स के ऑटो–कट–ऑफ के लिए टैमर्स का प्रावधान किया गया है, हार्मोनिक फिल्टर्स के संस्थापन तथा स्टार रेट किए गए इलेक्ट्रिकल उपकरणों के प्रयोग से काफी हद तक बिजली की खपत में कमी आई है।

आंतरिक नियंत्रण

- वर्ष के दौरान 2009 शाखाओं में जोखिम आधारित लेखापरीक्षा (आरबीआईए) की गई है। सूचना प्रणाली लेखा परीक्षा द्वारा 2004 शाखाओं और 1537 एटीएम को कवर किया गया।
- संगामी/आंतरिक लेखापरीक्षा के अधीन 347 शाखाओं को कवर करते हुए, 31.03.2017 तक कुल देशी जमाओं के 47.83 प्रतिशत और देशी अग्रिमों के 63.77 प्रतिशत को कवर किया गया। कुल मिलाकर, संगामी लेखा परीक्षा के अंतर्गत 54.40 प्रतिशत देशी व्यापार को कवर किया गया।
- जोखिम आधारित संगामी लेखा परीक्षा 01.04.2013 से जारी है।
- आरबीआईए व संगामी लेखापरीक्षा के अतिरिक्त, आय रिसन को पहचानने के लिए ₹10 करोड़ और उससे अधिक के व्यापार एक्सपोजरवाली 2174 शाखाओं को कवर करनेवाली राजस्व लेखापरीक्षा की गई।
- समीक्षा वर्ष के दौरान 38 अंचलों की प्रबंधन लेखापरीक्षा की गई और अनुपालन हेतु कार्रवाई आरम्भ की गई।
- समीक्षा की अवधि में सूचना एवं संसूचना प्रौद्योगिकी (आईसीटी) में आधारभूत संरचना की सूचना प्रणाली (आईएस) – सीबीएस अप्लिकेशन सूट, डेटासेंटर व सीबीएस परियोजना कार्यालय की लेखापरीक्षा भी बाहरी फर्म द्वारा की गई। ग्राहकों के सम्मुख अनुप्रयोगों के नियंत्रण प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए स्विफ्ट परिचालन की सुरक्षा लेखापरीक्षा और एटीएम स्विच की विशेष लेखापरीक्षा भी बाह्य लेखापरीक्षकों द्वारा की गई।
- संगामी लेखा परीक्षा प्रणाली की दक्षता को बढाने और संगामी लेखापरीक्षा रिपोर्ट की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष चेन्नै, दिल्ली और मुंबई में संगामी लेखापरीक्षकों के साथ बैठकें आयोजित की थी।
- दैनिक आधार पर सुधारात्मक कार्रवाई हेतु शाखाओं को सुग्राही बनाने के लिए बैंक के कॉर्पोरेट कार्यालय एवं अंचल कार्यालयों में द्विस्तरीय रूप से ऑफसाइट निगरानी कार्यक्रम चलाए गए।
- निरीक्षकों को आधुनिकतम गतिविधियों से अवगत कराने और उनके रिपोर्टिंग कौशल को निखारने हेतु अलग कार्यक्रम आयोजित किए गए।
- सुव्यवस्थित संशोधनों के लिए धोखाधड़ी, समाविष्ट पहचान, वर्गीकरण, रिपोर्टिंग, जांच, मानीटरिंग तथा अनुवर्ती कार्रवाई, संवरण, धोखाधड़ी की रोकथाम के लिए निगरानी, नकली डेटा का एकत्रीकरण तथा डेटा विश्लेषण से संबन्धित सभी गतिविधियों को समन्वित करने की प्रमुख ज़िम्मेदारी के साथ निरीक्षण विभाग के अंतर्गत धोखाधड़ी विरोधी कक्ष कार्यरत है।

अनुपालन

बैंक की अनुपालन नीति बोर्ड द्वारा विधिवत अनुमोदित की गई है। भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक में उप महाप्रबंधक के नेतृत्व में एक स्वतंत्र अनुपालन विभाग स्थापित किया गया है। यह विभाग बैंक के कार्यों को अधिशासित करनेवाले विभिन्न सांविधिक एवं विनियामक दिशानिर्देशों के अनुपालन की निगरानी करता है, यथा :

(a) विधानों जैसे बैंकिंग विनियमन अधिनियम, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम, धन–शोधन निवारण अधिनियम आदि।

(b) भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, बीमा विनियामक एवं विकास एजेंसी आदि द्वारा जारी विनियामक दिशानिर्देश।

(c) भारतीय बैंक संघ, भारतीय विदेशी मुद्रा डीलर संघ, फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट डीलर्स एसोसिएशन आदि जैसी उद्योग संघों द्वारा निर्धारित स्वैच्छिक मानक एवं कोड और,

(d) परिपत्रों, मैनुअलों के जरिए जारी बैंक की आंतरिक नीतियां, आचरण कोड, दिशानिर्देश आदि।

इंड एएस कार्यान्वयन की स्थिति :

- इंड एएस के सुचारु कार्यान्वयन के लिए बैंक ने सलाहकार के रूप में मैसर्स डेलॉइट हास्किंस एंड सेल एलएलपी नियुक्त किया है। बैंक ईसीएल / ईआईआर कम्प्यूटेशंस इत्यादि के लिए इंड एएस के कार्यान्वयन की प्रक्रिया में है।
- भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, दिनांक 11.02.2016 के पत्र डीबीआर. बीपी. बीसी .76 / 21.07.001 / 2015–16 के जरिए, बैंक 1 अप्रैल, 2018 से शुरू होने वाले लेखा अवधि के लिए स्टेंडअलोन और समेकित वित्तीय विवरण के लिए 31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाली पूर्ववर्ती अवधि के तुलनात्मक आंकड़े के साथ इंड एएस का अनुपालन करेगा। आगे, भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंको को 30.09.2016 को समाप्त होने वाले अर्ध वर्ष के लिए 01.04.2016 की ट्रंजीशन तिथि के साथ इंड एएस के अनुसार वित्तीय विवरण प्रोफार्मा तैयार कर उसे भारतीय रिजर्व बैंक को सौपने की सलाह दी थी।

- **सतर्कता**

बैंक के सतर्कता प्रशासन हेतु सतर्कता विभाग उतरदायी है। सतर्कता प्रशासन पर, विभाग केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीबीसी) द्वारा निदेशित किया जाता है तथा सीवीसी के साथ परामर्श करने के लिए संपर्क के एकल स्थान की भूमिका निभाता है।

B. Other Green Initiatives:

- Adopting new technological products in the illumination systems by using LED lamps in the interior lighting systems.
- New branches illuminated with LED lighting only.
- Lighting in existing branches being replaced in a phased manner. Presently 472 Branches/Offices are provided with LED lighting.
- Conduct of Energy Audits periodically for branches and offices.
- Provision of timers for auto-cut-off of Air-conditioners installed at branches and offices, installation of harmonic filters and usage of Star Rated electrical appliances have considerably reduced the consumption of electricity.

INTERNAL CONTROLS

- During the year, Risk Based Internal Audit (RBIA) was carried out in 2009 branches. Information system Audit covered 2004 branches and 1537 ATMs during the year.
- 347 branches were covered under concurrent audit, covering 47.83 per cent of total domestic deposits and 63.77 per cent of domestic advances as on 31.03.2017. Overall, 54.40 per cent of domestic business were covered under Concurrent Audit.
- Risk Based Concurrent Audit is in vogue from 01.04.2013.
- Revenue Audit covering 2174 branches with business exposure of ₹10 crore and above was carried out to identify leakage of income if any, in addition to RBIA and Concurrent Audit.
- Management Audit of 38 Zonal Offices was conducted during the year under review and follow up action initiated for compliance.
- Information Systems (IS) Audit of Information & Communication Technology (ICT) infrastructure - CBS application suite, data centre and CBS project office was carried out by an external audit firm during the period of review. Security audit of SWIFT operations and special audit of ATM switch were also conducted by external auditors, in order to ensure control effectiveness of customer facing applications.
- Chairman of Audit Committee of the Board had meetings with Concurrent Auditors at Chennai, Delhi and Mumbai to tone up the efficiency of concurrent audit system and for improving the quality of concurrent audit reports.
- Offsite monitoring activities were carried out in the Bank on a two tier setup at Corporate Office and Zonal Offices to sensitize the Branches for corrective action on a daily basis.
- Separate programme for inspectors was conducted during the year to make them familiar with the latest developments and to develop their reporting skills.
- The Anti Fraud Cell functions under Inspection Department with the predominant responsibility of co-ordinating all activities related to fraud, comprising identification, classification, reporting, investigation, monitoring and follow-up, closure, surveillance for fraud prevention, pooling of fraud data and analysis of the data for systemic improvements.

COMPLIANCE:

Bank's Compliance Policy has been duly approved by the Board. In accordance with the Reserve Bank of India guidelines, an independent Compliance Department headed by a Deputy General Manager has been set up in the Bank. The Department monitors adherence to various statutory and regulatory guidelines governing the Bank's functioning viz:

(a) Legislations such as Banking Regulation Act, Reserve Bank of India Act, Foreign Exchange Management Act, Prevention of Money Laundering Act etc.

(b) Regulatory guidelines issued by Reserve Bank of India, Securities and Exchange Board of India, Insurance Regulatory and Development Agency etc.

(c) Voluntary standards and codes prescribed by industry associations such as Indian Banks' Association, Foreign Exchange Dealers' Association of India, Fixed Income Money Market Dealers Association etc and

(d) Bank's internal policies, codes of conduct, guidelines etc. issued by way of Circulars, Manuals etc.

STATUS OF IND AS IMPLEMENTATION:

- Bank has appointed M/s Deloitte Haskins & Sells LLP as consultant for smooth implementation of Ind AS and is in the process of implementation.
- As per the directions of RBI vide their letter DBR.BP.BC.No.76/21.07.001/2015-16 dated 11.02.2016, Banks shall comply with Ind AS for standalone and consolidated financial statements for accounting periods beginning from April 1, 2018 onwards, with comparative figures for the preceding period ending March 31, 2018. Further, RBI had also advised the Banks to prepare Proforma Financial Statements as per Ind AS for the half year ended 30.09.2016 with transition date as 01.04.2016 and the same was prepared and submitted to RBI.
- **VIGILANCE**

Vigilance Department is responsible for vigilance administration of the Bank. The department is guided by Central Vigilance Commission (CVC) guidelines on Vigilance administration and is the single point of contact for consultations with CVC.

विभाग के मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) हैं जिन्हें इस पद हेतु केंद्रीय सतर्कता आयोग की सिफारिशों पर भारत सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। धोखाधड़ी और सतर्कता से संबंधित मामलों के संबंध में आरबीआई/सीबीआई/सीवीसी/सरकार के साथ संबंध स्थापित करने के लिए सीवीओ नोडल अधिकारी है।

अनुशासनात्मक कार्रवाई के मामले में सहायक महाप्रबंधक और इससे ऊपर के सभी अधिकारी सीवीसी के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। सभी अवार्ड – स्टाफ कर्मचारियों तथा सहायक महाप्रबंधकों के पद से नीचे के अधिकारियों को शामिल कर सतर्कता अनुशासनात्मक कार्रवाई के संबंध में तथा सजा की प्रकृति के रूप में सीवीओ सलाह प्रस्तुत करता है।

सहायक महाप्रबंधकों और उससे ऊपर के अधिकारियों के संबंध में सीवीसी द्वारा प्रस्तुत सलाह तथा अनुपालन हेतु बैंक द्वारा उक्त पर विधिवत विचार किए जाने को सीवीओ सुनिश्चित करता है।

विभाग, बैंक में धोखाधड़ी निवारण के हिस्से को बढ़ाने पर ध्यान केन्द्रित करते हुए सक्रिय ढंग से कार्य कर रहा है और केन्द्रीय सतर्कता आयोग के समय–मानदंडों तथा दिशानिर्देशों के अनुरूप सभी सतर्कता मामलों का निपटान करता है।

बैंक के विभिन्न अंचल कार्यालयों में कार्यरत सतर्कता अधिकारियों द्वारा शिकायतों और धोखाधड़ी की जांच की जाती है और धोखाधड़ी का विश्लेषण कॉर्पोरेट कार्यालय में निरीक्षण विभाग के अंतर्गत धोखाधड़ी विरोधी कक्ष द्वारा किया जाता है।

प्रशिक्षण कार्यकर्मों का आयोजन : पारण अधिकारियों/जांच अधिकारियों, सतर्कता अधिकारियों, अनुशासनिक प्राधिकारियों के लिए वर्ष के दौरान तीन विशेष इन–हाउस प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह

31 31 अक्टूबर 2016 से 05 नवम्बर 2016 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया। सभी ग्रामीण और अर्ध–शहरी शाखा ने भ्रष्टाचार के दुष्प्रभाव और भ्रष्टाचार से निपटने के तरीके पर जनता को संवेदनशील बनाने के लिए "जागरूकता ग्राम सभाओं" का आयोजन किया। जनता के लिए उपलब्ध शिकायत निवारण विकल्पों को समझाया गया और नागरिकों और व्यावसायिक संस्थाओं के लिए आयोग द्वारा प्रस्तुत सत्यनिष्ठा शपथ ली गई। सीमित इंटरनेट पहुंच वाले केंद्रों में, ग्राम सभा की बैठक के प्रतिभागियों के साथ सत्यनिष्ठा शपथ को पूर्ण किया गया।

केंद्रीय सतर्कता आयोग की सलाह के अनुसार, 8 केन्द्रों चेन्नै, कोयमबत्तूर, गुंटूर, मदुरै, पुदुच्चेरी, सेलम, तिरुचिरापल्ली तथा तिरुनेलवेली में काफी सारे कार्यक्रम आयोजित किए गए। आवंटित केन्द्रों पर चुनिन्दा महाविद्यालयों व विद्यालयों में (कक्षा नवीं व इससे ऊपर के विद्यार्थियों के लिए) वाद–विवाद, पेनल विचार–विमर्श तथा वक्तृत्व तथा निबंध प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। भ्रष्टाचार व इसके दुष्प्रभाव से संबन्धित विभिन्न विषय, नैतिकता व मूल्यों, ईमानदारी व सत्यनिष्ठा की महत्वता, आचारनीति, शासन में पारदर्शिता व भ्रष्टाचार के विरुद्ध युवा कैसे लड़ सकते हैं तथा और भी इसी से संबंधित मुद्दे इन कार्यक्रमों के विषय थे।सप्ताह के दौरान चेन्नै, कोयम्बटूर, तिरुनेलवेली और लुधियाना में बैंक द्वारा वॉकथॉन / साइकिल रैलियां आयोजित की गईं।

चेन्नै में, बैंक ने श्री नागेश्वर राव, आईपीएस, संयुक्त निदेशक सीबीआई, चेन्नै और डॉ. ईराई अंबू, आईएएस, प्रमुख सचिव और आयुक्त, तमिलनाडु सरकार के द्वारा **"सत्यनिष्ठा और भ्रष्टाचार उन्मूलन को बढ़ावा देने में सार्वजनिक भागीदारी" विषय पर** एक अतिथि व्याख्यान का आयोजन किया।

सुरक्षा

- निरंतर बदलते हुए तकनीकी नवाचारों के अनुकूल तेजी से प्रगति और परिष्करण के चलते सुरक्षा एक विशाल और जटिल क्षेत्र है। हमारे बैंक का सुरक्षा प्रबंधन मुख्य रूप से आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा उपकरणों के मिश्रण के साथ जनशक्ति उन्मुख है। मशीनों और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पर निर्भरता बढ़ रहा है और मानवीय तत्व पर निर्भरता कम बरकरार है, जो आवश्यकता के समय में विफल हो जाती है ।

- बैंकिंग उद्योग के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं क्योंकि अपराधी अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए लगातार नए और परिष्कृत / उन्नत तकनीकों को अपनाते हैं उदाहरण के लिए, गैस कटर / न्युमेटिक ड्रिल / डेलाइट सशस्त्र डकैती / ट्रेन सेंधमरी आदि। आधुनिक दिनों के परिदृश्य में निष्क्रिय सिस्टम की आवश्यकता के बजाय सक्रिय सुरक्षा समाधान पर निर्भरता को दोहराया जाना ज़रूरी है।

- उद्योग से जुड़े निहित खतरे के कारण, मोबाइल शाखाओं और एटीएम सहित सभी शाखाएं डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर आधारित सीसीटीवी सिस्टम के साथ उच्च गुणवत्ता के संकल्प वाले इन्फ्रा रेड कैमरे, फायर अलार्म और बर्गलर अलार्म सिस्टम्स के साथ ऑटो डायलर के साथ स्थापित की जाती हैं, अनिवार्य बुनियादी न्यूनतम सुरक्षा उपाय

- उद्योग से जुड़े निहित खतरे के कारण, मोबाइल शाखाओं और एटीएम सहित सभी शाखाएं अनिवार्य बुनियादी न्यूनतम सुरक्षा उपाय के रूप में उच्च गुणवत्ता वाले रेजुलेशन इन्फ्रा रेड कैमरे के साथ डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर आधारित सीसीटीवी सिस्टम, ऑटो डायलर के साथ फायर अलार्म और बर्गलर अलार्म सिस्टम्स स्थापित की जाती हैं। स्वचालित (मॉड्यूलर) अग्नि शामक को शाखा के सभी सर्वर रूम में स्थापित किया गया है ताकि आग के खतरों को कम किया जा सके। आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक की स्वामित्व वाली सभी ऊंची इमारतों में वर्ष में एक बार और सभी मुद्रा तिजोरी में दो साल में एक बार आग और माक निकासी अभ्यास आयोजित किए जाते हैं।

The Department is headed by Chief Vigilance Officer (CVO) who is appointed to the post by Government of India on the recommendations of Central Vigilance Commission. CVO is the Nodal Officer to liaise with RBI/CBI/CVC/Government in respect of frauds and vigilance-related matters.

All officers of the rank of Assistant General Manager and above come within the jurisdiction of CVC in the matter of disciplinary proceedings. CVO tenders advice as to the nature of disciplinary proceedings and punishment in respect of vigilance disciplinary proceedings involving Officers below the rank of Assistant General Managers and all award-staff employees.

CVO ensures that advices tendered by CVC in respect of officers of the rank of Assistant General Managers and above are duly considered for compliance by the Bank.

The Department is functioning in a proactive manner, focused on increasing the fraud-deterrence quotient within the Bank and disposing of all vigilance disciplinary cases in line with the Central Vigilance Commission's time norms and guidelines. Investigations of complaints and frauds are undertaken through Vigilance Officers located in the various Zonal offices of the bank. Analysis of frauds is undertaken at Corporate Office by Anti-Fraud Cell functioning under Inspection Dept.

Training programmes conducted: Three exclusive in-house training programs were held for the Presenting Officers/Inquiring Authorities, Vigilance Officers and Disciplinary Authorities during the year.

Vigilance Awareness Week

Vigilance Awareness Week was observed from 31st October 2016 to 05th November 2016. Every rural and semi-urban branch organized “Awareness Gram Sabhas” to sensitize the masses on the ill-effects of corruption and how to combat corruption. Grievance redressal options available to the public were explained and Integrity Pledge introduced by the Commission for citizens and business entities was administered. In centres with limited internet access, the Integrity pledge was administered en masse to the participants of the Gram Sabha meet.

As per the advice of the Central Vigilance Commission, outreach activities were organised in 8 centres namely Chennai, Coimbatore, Guntur, Madurai, Puduchery, Salem, Tiruchirapalli, and Tirunelveli. Debates, panel discussions, elocution and essay competitions were organised in select colleges and schools (for students of class IX & above) in the allotted centres. Various topics relating to corruption and its ill effects, importance of morals and values, honesty and integrity, ethics, transparency in governance. and how youth can participate in the fight against corruption and such related issues were topics for these outreach activities. Walkathons/Cycle rallies were conducted by the Bank at Chennai, Coimbatore and Tirunelveli & Ludhiana during the week

.At Chennai, the Bank organized a guest lecture by Sri Nageswara Rao, IPS, Joint Director of CBI, Chennai and Dr. Irai Anbu, IAS, Principal Secretary & Commissioner, Government of Tamil Nadu on the theme - Topic of “Public participation in promoting Integrity and eradicating Corruption”

SECURITY

- Security is a vast and complex field undergoing rapid advancement and sophistication adapting to the constantly changing technological innovations. Security Management of our Bank is mainly manpower oriented with a mix of modern electronic security gadgets. Reliance on machines and electronic gadgets is increasing and less reliance is being placed on human element, which is prone to fail in times of need.
- Of late, crimes against Banking Industry are on the increase as criminals are constantly adopting newer and sophisticated/advanced techniques e.g., gas cutters/pneumatic drills/daylight armed dacoity/Train heists etc to achieve their objectives. It is needless to reiterate that dependency on active security solutions rather than passive systems are required in the modern day scenario.
- Owing to the inherent threat associated with the Industry, all Branches including mobile branches and ATMs are installed with Digital Video Recorder based CCTV systems with high quality resolution Infra Red cameras, Fire Alarms and Burglar Alarm Systems with Auto Dialers as a mandatory basic minimum security measure. Automatic (Modular) Fire Extinguishers are installed in all Server rooms of Branches to avert/mitigate fire hazards. Fire and Mock evacuation drills are conducted once a year in all high rise buildings owned by the Bank and once in two years in all Currency chests as per RBI guidelines.
- GPS Based tracking devices have been installed in all Cash Vans. 24 x 7 Electronic Surveillance (e-Surveillance) has been introduced in approximately 850 Bank owned ATMs. Phase I of the project covering 450 ATMs is LIVE and under e-surveillance at Central Monitoring Stations. Phase II of the project covering (approximately) 400 ATMs is currently under implementation.

- सभी नकद वैन में जीपीएस आधारित ट्रैकिंग डिवाइस स्थापित किए गए हैं।लगभग 850 बैंक के एटीएम में 24 x 7 इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस (ई–सर्विलांस) शुरू की गई है। 450 एटीएम को कवर करने वाली परियोजना का पहला चरण सेंट्रल मॉनिटरिंग स्टेशनों पर लाइव और ई–निगरानी के तहत है। 400 एटीएम को कवर करने वाली (लगभग) परियोजना के चरण द्वितीय वर्तमान में कार्यान्वित हो रहे हैं।

- अनावश्यक घटनाओं के कारण सुरक्षा उपकरणों के अतिरिक्ता और अप्रचलन पर काबू पाने के लिए समय–समय पर कॉर्पोरेट ऑफिस में मुख्य सुरक्षा अधिकारी के नेतृत्व में विभाग द्वारा मौजूदा सुरक्षा प्रणालियों और प्रक्रियाओं की समीक्षा की जाती है। बाजार में उपलब्ध नवीनतम तकनीकी सुरक्षा प्रणालियों, उपकरणों और तंत्रों का व्यापक अध्ययन किया जाता है, निष्पादन का मूल्यांकन के बाद संभाव्यता के अनुसार बैंक की शाखाओं में सिस्टम का उन्नयन / प्रतिस्थापित / शुरुआत किया जाता है। इसके अतिरिक्त आईबीए और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समयदृसमय पर सुरक्षा व्यवस्था के बारे में सिफारिशें और दिशानिर्देश को भी बैंकों / एटीएम / मुद्रा तिजोरियों में कार्यान्वित किया जाता है।

- सुरक्षा प्रबंधन परिचालन जोखिम प्रबंधन का एक हिस्सा है। समय की मांग में गतिशीलता और नए पर्यावरण को स्वीकार करने की क्षमता है। शवित्तीय जोखिमश के विपरीत, बैंक की आस्तियों के लिए फिजिकल जोखिम आसानी से पहचाने जाने योग्य होते हैं और प्रभावी सुरक्षा प्रणालियों के द्वारा इसे रोका जा सकता है। शाखाओं और कार्यालयों के जोखिम मूल्यांकन कमजोरी और खतरे की धारणा पर आधारित हैं। जहां भी लागू हो, समय–समय पर कमजोरी पुनर्मूल्यांकन और सुरक्षा उपायों को बढ़ाने के लिए दिशा–निर्देशों के अनुसार हर 3 सालों में व्यापक मूल्यांकन और जोखिम मूल्यांकन किया जाता है।

- संबंधित अंचलों में सुरक्षा अधिकारी द्वारा क्षेत्र स्तर पर विभाग का समर्थन किया जाता है जो शाखाओं / एटीएम / मुद्रा तिजोरियों पर बैंक की दिशा–निर्देश / अनुदेश / नीति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हैं। प्रतिकूल घटनाओं की रोकथाम के उद्देश्य से निरीक्षण के दौरान पाई गईं विसंगतियों/कमियों को दूर कर शाखा/एटीएम पहलुओं को मजबूत बनाया जाता है।

- विमुद्रीकरण अवधि के दौरान, बैंक के सुरक्षा अधिकारी भारतीय रिजर्व बैंक से मुद्रा तिजोरी और मुद्रा तिजोरी से लेकर शाखाओं तक नकदी पुनःपूर्ति के दौरान कठिन कार्य जैसे भारी नकदी प्रवाह / बहिर्वाह के साथ नकद वैन की पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई । उनके प्रयासों से यह सुनिश्चित हुआ कि बैंक में इस अवधि के दौरान कोई भी प्रमुख अप्रिय घटनाएं नहीं हुई, जिससे बैंक नकारात्मक प्रचार रोकने में सफल रहा।

- अंचल सुरक्षा अधिकारी वर्ष में एक बार में सभी शाखाओं / एटीएम के सुरक्षा निरीक्षण और तिमाही आधार पर मुद्रा तिजोरी का निरीक्षण करते हैं। सभी शाखाओं / प्रशासनिक कार्यालयों की विद्युत लेखापरीक्षा वर्ष में एक बार आयोजित की जाती है और रिपोर्ट में टिप्पणियों को संबंधित अंचल कार्यालयों की सहमति के साथ शाखा स्तर पर सुधारा जाता है।

- प्रत्येक वर्ष सुरक्षा अधिकारियों हेतु एक वार्षिक प्रशिक्षण आयोजित किया जाता है। अधिकारियों को नवीनतम तकनीकी प्रगति और सर्वोत्तम अभ्यास को शाखाओं में कार्यान्वित करने के संबंध में अद्यतन किया जाता है। प्रत्येक वर्ष, सशस्त्र गार्डों के लिए लाइव फायरिंग प्रेक्टिस आयोजित की जाती है।

- राज्य स्तरीय एवं जिला स्तरीय सुरक्षा समिति एवं स्थायी सुरक्षा समिति बैठकों के दौरान मुख्य रूप से चर्चा किए गए सुरक्षा पहलुओं को संबन्धित अंचल कार्यालयों को दिए जाते हैं और इसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाता है।

- बैंक की संपत्ति की सुरक्षा के लिए नकद विप्रेषण के दौरान संपत्ति सुरक्षा मानकों की अनुपालना की गई व प्रक्रियात्मक सुरक्षा चौकसी को अपनाया गया।

- सिद्धांत है "नुकसान को रोकना लाभ अर्जित करना है" का खंडन नहीं किया जा सकता है। सावधानी और रोकथाम के आधार पर विभाग की स्थापना की गई है – बैंक के सुरक्षा अधिकारियों के लिए बैंक के हितों की रक्षा करना उनकी सबसे महत्वपूर्ण कार्य है।

राजभाषा का कार्यान्वयन

- बैंक राजभाषा अधिनियम, 1963 तथा राजभाषा नियम, 1976 के आधार पर भारत सरकार के राजभाषा नीति का सक्रियतापूर्वक कार्यान्वयन कर रहा है। राजभाषा का कार्यान्वयन गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी किए जाने वाले वार्षिक कार्यक्रम तथा समय–समय पर वित मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए जाने वाले दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है।

- विपणन के लिए और एपीवाई, पीएमजेडीवाई आदि सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के संबंध में जन सामान्य के बीच प्रचार करने के लिए बैंक से एसएमएस संदेश, हिन्दी एवं स्थानीय भाषाओं में भेजे जाते हैं। बैंक के सभी कम्प्यूटरों में हिन्दी में वर्ड प्रोससिंग तथा यूनिकोड के प्रयोग से हिन्दी में काम करने की सुविधा उपलब्ध है

- कार्यशालाओं के माध्यम से स्टाफ सदस्यों को हिन्दी का प्रशिक्षण दिलाने पर बैंक द्वारा विशेष जोर दिया जाना जारी रहा। विभिन्न अंचल कार्यालयों में भी हिन्दी कार्यशालाएं आयोजित की गई। इस अवधि के दौरान कुल मिलाकर देश भर में हमारे बैंक ने 80 कार्यशालाएँ आयोजित कीं।

- स्टाफ सदस्यों को पदोन्नति परीक्षाओं में हिंदी को माध्यम के रूप चुनने का विकल्प दिया गया है।

- संदर्भ साहित्य जैसे शब्दावली, नोटिंग डेस्क कैलेंडर आदि कॉका रू राजभाषा कक्ष द्वारा तैयार किया गया और कॉर्पोरेट कार्यालय और अंचल में कार्यपालक अधिकारियों को वितरित किया गया।

- राजभाषा कक्ष ने सफल रूप से बैंक का दौरा करनेवाले विभिन्न संसदीय समितियों का समन्वयन किया है। राजभाषा की संसदीय समिति ने भी बैंक का निरीक्षण किया है और राजभाषा के प्रयोग को आगे बढ़ाने के प्रयासों की सराहना की।

- To overcome redundancy and obsolescence of security gadgets leading to untoward incidents, review of the existing security systems and procedures are periodically undertaken by the Department headed by Chief Security Officer at Corporate Office. The latest technical security systems, devices and mechanisms available in the market are comprehensively studied, assessed for performance and systems upgraded / replaced / introduced in the Branches of the Bank as per feasibility. Additionally, recommendations and guidelines on security arrangements in Banks / ATMs / Currency Chests as and when prescribed by IBA and RBI are also implemented.

- Security Management is a part of Operational Risk Management. The need of the hour is dynamism and capacity for adaptation to a new environment. Unlike 'Financial Risks', physical risks to Bank's assets are easily identifiable and preventable by effective security systems.Risk Assessment of the branches and offices are based on vulnerability and threat perception. Comprehensive evaluation and risk assessment is carried out every 3 years as per guidelines to periodically reassess the vulnerability and enhance security measures, wherever applicable.

- The Department is supported at the field level by Security Officers at respective Zones who are essential in ensuring the guidelines/ instructions / policy of the Bank are established at the Branches / ATMs / Currency Chests. Deficiencies/shortcomings observed during the inspection are followed for rectification to strengthen the security aspects of the Branch / ATM with the objective of preventing untoward incidents.

- During the Demonetization period, Security officers of the Bank were pivotal in ensuring safety of cash during replenishment from Reserve Bank of India to Currency Chests and from Currency Chests to Branches despite undertaking arduous tasks such as providing adequate safety of Cash Vans with heavy cash inflow/outflow. Their efforts ensured that Bank was successful in ensuring that no major untoward incidents took place during this period, thereby preventing negative publicity for the Bank.

- Zonal Security Officers conduct Security inspection of all Branches / ATMs once a year and Currency Chests are inspected on a quarterly basis. Electrical Audit of all Branches / Administrative Offices are conducted once a year and observations in the report are rectified at the Branch level with the concurrence of the respective Zonal offices.

- Annual Training of Security officers is carried out once a year. The Officers are updated with latest technological advancement and best practices for implementing the same in Branches. LIVE firing practice is conducted for armed guards, every year.

- Security aspects highlighted during the State Level, District Level Security Committee and Standing Security Committee Meetings are disseminated to respective Zones and compliance ensured.

- Asset Protection Measures have been adhered to and procedural safe guards followed during cash remittance for safety of Bank's assets.

- The principle that “loss prevented is profit earned” cannot be contradicted. Precaution and Prevention - being the crux around which the Department is established, for Security Officers of the Bank – protecting the interests of the Bank is their foremost concern.

IMPLEMENTATION OF OFFICIAL LANGUAGE

- Bank is actively implementing Official Language Policy of Government of India, based on the Official Languages Act, 1963 and the Official Languages Rules, 1976. Official Language is implemented as per the Annual Programme issued by the Ministry of Home Affairs, Government of India and the guidelines issued from time to time by the Ministry of Finance and Reserve Bank of India.

- SMS messages for disseminating information to customers for marketing and on the various governments sponsored schemes like APY, PMJDY etc are being sent in Hindi along with vernacular languages. All the computers of the Bank have the facility of word processing in Hindi and to work in Hindi by using Unicode.

- Special emphasis is continuously being laid by the Bank to train the staff members in Hindi through workshops. Hindi workshops have also been organized by the various Zonal Offices. Bank had organized 80 workshops in the country during this period.

- The staff members have been given an option to choose Hindi as the medium of writing promotion examinations.

- Help literature such as Banking Glossaries, Noting desk calendars etc have been prepared by CO: Official Language Cell and distributed to Executives at Corporate Office and Zones.

- Visits of various Parliamentary Committees to the Bank have been successfully coordinated by Official Language Cell. The Parliamentary Committee on Official Language has also inspected the Bank and lauded the efforts taken to further the cause of Official Language.

- बैंक के विभिन्न अंचलों ने राजभाषा के कार्यान्वयन में उनके योगदान के लिए नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों से पुरस्कार एवं शील्ड प्राप्त किया है।

- कॉर्पोरेट कार्यालयः राजभाषा कक्ष, चेन्नै बैंक नराकास का संयोजक है और वह समुनदेशित कर्तव्यों का कुशलतापूर्वक निर्वहन कर रहा है।

- बैंक के अंचल कार्यालय अहमदाबाद, भोपाल, चेन्नै(उत्तर), चेन्नै (दक्षिण), धर्मपुरी, हुबली, कोलकाता, लखनऊ, लुधियाना, गुवाहाटी और पुदुच्चेरी ने हिंदी में ई–पत्रिकाएं प्रकाशित की हैं।

- हिन्दी में होम पेज के साथ–साथ हिन्दी वेबसाइट उपलब्ध है। बैंक के इंट्रानेट, जिसके माध्यम से संपूर्ण इंडियन बैंक की टीम तक नीतियां, उत्पाद और विभिन्न प्रगतियों की सूचना पहुंचायी जाती है, में पृथम हिन्दी खंड उपलब्ध कराया गया है।

बैंक के अन्य पहलें

अटल पेंशन योजना (एपीवाई):

वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान बैंक ने 41,315 एपीवाई ग्राहक जोडे।

राष्ट्रिकस्वर्णबॉण्ड :

बैंक ने इस वित्तीय वर्ष के दौरान 4 श्रृंखलाओं (किश्तों) के जरिए रुपए 87.43 करोड़ संग्रहित किए हैं।

(₹ लाख में)

2016-17	जारी अवधि	राशि
श्रृंखला - I	18.07.2016 to 22.07.2016	4203.79
श्रृंखला -II	01.09.2016 to 09.09.2016	1216.53
श्रृंखला -III	24.10.2016 to 02.11.2016	1183.12
श्रृंखला -IV	27.02.2017 to 03.03.2017	2139.08
कुल		8742.52

अन्य :

- बैंक भविष्य निधि अंशदान को वसूल करने के लिए प्राधिकृत है, इस तरह के प्राधिकरण के साथ यह केवल एकमात्र दक्षिण आधारित बैंक है।

- वर्ष के दौरान विभिन्न जगहों पर 5 फटे पुराने नोटों के विनिमय मेले आयोजित किए गए। इस दौरान 6.07 लाख़ रुपए तथा 8.48 लाख रुपए के सिक्कों का विनिमय/वितरण किया गया।

- बैंक को वर्ष 2016–17 के दौरान गुजरात एवं छत्तीसगढ़ राज्य में सीएसीटी / वीएटी वसूल करने के लिए प्राधिकृत किया गया है तथा प्रत्यक्ष करों के वसूली के लिए प्राधिकृत शाखाओं की संख्या 462 से बढ़कर 488 हो गई है।

- वर्ष के दौरान 1509 सुकन्या समृद्धि खाते खोले गए, जिससे कुल खातों की संख्या 3961 हो गई। वित्तीय वर्ष के दौरान इन खातों में 954.33 लाख रुपए का समाहरण किया गया और अब तक की कुल राशि 1641 लाख रुपए की गई है।

- बैंक ने सभी पेंशन भुगतान शाखाओं में जीवन प्रमाण सॉफ्टवेयर की स्थापना के संबंध में भारत सरकार की निदेश को कार्यान्वित किया है और 40000 पेंशनभोगी (लगभग) से डिजिटल लाइफ प्रमाणपत्र प्राप्त किए गए।

विपणन

- **कारोबार विकास–कैम्पेन:**

वर्ष के दौरान निम्नलिखित अभियान आयोजित किए गए थे

- मेगा रिटेल डे कैम्पेन (25 मई, 2016) – बैंक के व्यापार मॉडल के साथ चलते हुए खुदरा कारोबार का कैनवास करने के लिए

- गृह ऋण, वाहन ऋण और बंधक ऋण के लिए एक लीड जनरेशन विज्ञापन कैम्पेन 27.08.2016 से 31.12.2016 तक www.google.com पर चलाया गया था।

- आईबी डेबिट कार्ड के लिए मेस्ट्रो और मास्टरकार्ड प्लेटफॉर्म (अक्टूबर, 2016) पर कैशबैक कैम्पेन

- **संचार चैनल :**

  - **आईवीआर कॉल सेंटर**

    बैंक का कॉल सेंटर ने मैसर्स टाटा बिजनेस सपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड के साथ आउटसोर्स मॉडल पर 01.02.2017 से 3 साल की अवधि के लिए अपना परिचालन शुरू किया है।

- **नई पहल**

  - **सोशल मीडिया उपस्थिति :**

    वर्तमान में बैंक दो चैनलों में मौजूद है, जैसे,

    - **ट्विटर :** आधिकारिक अकाउंट, @ Myindianbank 06.05.2016 को शुरू किया और ग्राहक की शिकायतों को संबोधित करने के अलावा, बैंक के उत्पादों, सेवाओं, घटनाओं, समाचार, टेस्टीमोनियल आदि को बढ़ावा देने के लिए बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया।

    - **यूट्यूब :** आधिकारिक चैनल, 20.08.2016 को इंडियन बैंक ऑफिकियल लॉन्च किया गया। वीडियो प्रसारण साइट का उपयोग बैंक के मिशन, चैनल, उत्पादों, सेवाओं आदि को प्रदर्शन करने के लिए किया जाता है। उपयोगकर्ताओं को शिक्षित करने के लिए ट्यूटोरियल पर समर्पित वीडियो भी पोस्ट किए जा रहे हैं।

- Various Zones of the Bank have received prizes and shields from the Town Official Language Implementation Committees of their area for contribution towards implementation of Official Language.
- Corporate Office: Official Language Cell is the Convenor of Chennai TOLIC and has been ably handling the assigned duties.
- Zonal Offices of the Bank at Ahmedabad, Bhopal, Chennai (North), Chennai (South), Dharmapuri, Hubli, Kolkata, Lucknow, Ludhiana, Guwahati and Puducherry have brought out E-magazines in Hindi.
- Bank's Home Page as well as Website are available in Hindi. Bank's intranet, through which all the policies, products and developments in the Bank reach the entire Bank is provided with a separate Hindi Section.

OTHER INITIATIVES BY THE BANK

Atal Pension Yojana (APY):

Bank sourced 41,315 APY subscribers during the Financial Year 2016-17.

Sovereign Gold Bonds:

Bank made a collection of ₹87.43 crores in the 4 Tranches during this Financial Year

(₹ in lakh)

2016-17	Issue Period	Amount
Series - I	18.07.2016 to 22.07.2016	4203.79
Series -II	01.09.2016 to 09.09.2016	1216.53
Series -III	24.10.2016 to 02.11.2016	1183.12
Series -IV	27.02.2017 to 03.03.2017	2139.08
Total		8742.52

Others:

- Bank is authorized to collect Employees Provident Fund contributions, being the only South based Bank accorded with such authorization.
- 5 Soiled Note Exchange Melas were conducted in various places during the Year and Notes to the tune of ₹6.07 lakhs and Coins to the tune of ₹8.48 lakhs were exchanged / distributed.
- Bank was authorized to collect CST/VAT for the State of Chhatisgarh during the Financial Year 2016-17. Number of branches authorized for collection of Direct Taxes increased from 462 to 488.
- 1509 Suganya Samridhi accounts were opened during the Financial Year, taking the total number of accounts to 3961. The amount collected during the Financial Year was ₹954.33 lakhs and the total amount collected so far has been ₹1641 lakhs.
- Bank implemented Government of India's direction in respect of installation of Jeevan Pramaan Software in all the pension paying branches and Digital Life Certificates were obtained from 40000 pensioners (approximately).

MARKETING

- **BUSINESS DEVELOPMENT - CAMPAIGNS:**

The following campaigns were conducted during the Year

- Mega Retail Day Campaign (25th May, 2016) – To canvass retail business to align with the business model of the Bank.
- A lead generation advertisement campaign for Home Loan, Vehicle Loan and Mortgage Loan was run on www.google.com from 27.08.2016 to 31.12.2016.
- Cashback Campaign for IB Debit Card on Maestro and Master Card Platforms (October, 2016).
- **COMMUNICATION CHANNELS:**
  - **IVR Call Centre**

    Bank's Call Centre, has started its operations from 01.02.2017 on an outsourced model with M/s Tata Business Support Services Ltd for a period of 3 years.
- **NEW INITIATIVES:**
  - **Social Media Presence:**

    Presently Bank is present across two channels viz.,

    - **Twitter:** Official account, @MyIndianBank was launched on 06.05.2016 and is used extensively for promoting Bank's products, services, events, news, testimonials, etc., besides addressing customer grievances.
    - **YouTube:** Official channel, IndianBankOfficial was launched on 20.08.2016. The video broadcasting site is used for showcasing Bank's mission, channels, products, services, etc. Dedicated videos on tutorials to education users are also being posted.

- **अतिरिक्त प्लेटफॉर्म की शुरुआत होने वाली है :**

  बैंक सोशल मीडिया में अपनी उपस्थिति बढ़ाने के लिए अतिरिक्त चैनल बढ़ा रहा है और फेसबुक,लिंक्डइन आदि पर जल्द ही आ रहा है।

- **विजीविलिटी उपाय :**

  - **प्रोमोशनल कोलेटर्स :**

    ग्राहकों और आम जनता को जानकारी के लिए बैंक के विभिन्न उत्पादों और सेवाओं के लिए क्रिएटिव सामग्री अंग्रेजी, हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं में बैनर, डैंगर्स, टैब टॉप, स्टैंडी, उत्पाद फ़ोल्डर और लीफ्टलेट्स के रूप में प्रदर्शित की गई।

  - **डॉक्टर मीट (2 जुलाई , 2016) :**

    एक बैठक, विशेष रूप से डॉक्टरों के लिए, 02.07.2016 को हुई जिसमें 150 से अधिक प्रतिष्ठित डॉक्टरों और मेडिकल चिकित्सकों ने भाग लिया । बैंक और उसके उत्पादों का अवलोकन, क्षेत्र के विशिष्ट उत्पादों पर ध्यान देने के साथ प्रदान किया गया था। सभा में व्यापारिक विचार–विमर्श के लिए एक आदर्श प्लेटफॉर्म प्रदान किया गया और एक स्वच्छ वातावरण को बढ़ावा देने के लिए बैठक के अंत में गणमान्य व्यक्तियों को पौधे प्रदान किए गए ।

  - एयरसेल चेन्नै ओपन टेनिस टूर्नामेंट जनवरी 2017 के महीने के दौरान आयोजित किया गया और टेनिस टेनिस टूर्नामेंट के लिए बैंक गोल्ड स्पॉन्सर था । इस प्रतियोगिता के दौरान ग्राहकों की पहुँच तक बैंक के उत्पादों और सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए स्टॉल लगाया गया।

  - **अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस (8 मार्च 2017) :**

    अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर समारोह के भाग के रूप में, महिला–केंद्रित प्रतियोगिता स्टाफ सदस्यों के साथ–साथ आम जनता के लिए (बैंक के आधिकारिक ट्विटर @MyIndianBank पेज पर) आयोजित की गई थी स्टाफ सदस्यों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और "She Walks In Beauty" विषय पर कविताओं को प्रस्तुत करके उनकी प्रतिभा को प्रदर्शित किया।

- **अन्य :**

  - **सोशल मीडिया लिस्निंग (सितम्बर से नवम्बर , 2016) :**

    तीन महीने की अवधि यानी सितंबर से नवंबर, 2016 तक के लिए सोशल मीडिया लिस्निंग कार्यकलाप की गई थी। रिपोर्टों का मूल्यांकन मूल्यवान / अंतर्दृष्टि के लिए किया गया और जो कार्यान्वयन के लिए लिया गया।

  - **विमुद्रीकरण के दौरान डिजिटल पुश :**

    नवंबर, 2016 के दौरान व्यापारियों, विक्रेताओं और व्यापार समुदाय के बीच स्कैन एंड पे सुविधा को लोकप्रिय बनाने के लिए कॉर्पोरेट कार्यालयों के विभागों में टास्कफोर्स का गठन किया था।

कॉर्पोरेट संप्रेषण विभाग :

बाहरी संप्रेषण

- वर्ष 2016–17 के दौरान बैंक ने विभिन्न गतिविधियों के जरिए अपने उत्पादों, उपलब्धियों एवं कल्याणकारी उपायों को सामान्य जनता तक पहुँचाने पर ध्यान केन्द्रित किया।

- बैंक ने न्यू टैक्नोलॉजी और अन्य उत्पादों के लॉच, मेला, वित्तीय परिणाम, और महत्वपूर्ण घटनाओं जैसे विमुद्रीकरण, सतर्कता जागरूकता सप्ताह सहित विभिन्न अवसरों पर कई प्रेस कॉन्फ्रेंस / मीटिंग और विशेष साक्षात्कार का आयोजन किया।

- विमुद्रीकरण, टेक उत्पात लॉन्च, ऋण मेला, वृक्षारोपण ड्राइव, स्वच्छ भारत पाखवाड़ा, अखिल भारतीय स्तर पर रक्त / अंग दान शिविर और 110 वें स्थापना दिवस समारोह आदि के दौरान सीएनबीसी टीवी 18 ग्रुप, द हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, बिज़नेस लाइन, द इकोनॉमिक टाइम्स, बिज़नेस स्टैंडर्ड, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, हिंदुस्तान टाइम्स, न्यू इंडियन एक्सप्रेस, डेली तंदी, दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका, लोकमत, दीना मणि, तंदी टीवी, पुदियतलैमुरई टीवी, न्यूज 7, न्यूज 18, सूर्या टीवी आदि द्वारा बैंक का विस्तृत कवरेज किया गया।

- विमुद्रीकरण के दौरान, बैंक ने बड़े पैमाने पर संचार मीडिया के माध्यम से जनता तक पहुंचने के लिए विशेष प्रयास किए। विमुद्रीकरण के बारे में सामान्य जनता को शिक्षित और डर को दूर करने के लिए बैंक ने कई कदम उठाए हैं। 11.11.2016 को, इंडियन बैंक के प्रनि और मुकाअ ने विमुद्रीकरण के कारण पर सामान्य जनता को शिक्षित करने के लिए प्रेस को संबोधित किया। महाप्रबन्धक / कार्यपालको ने भी शाखाओं और अंचल कार्यालयों के दौरे के दौरान मीडिया के साथ बातचीत की। बैंक ने बिजनेस लाइन में विमुद्रीकरण के दौरान बैंक की अथक सेवाओं को चित्रित करने वाला एक विज्ञापन भी जारी किया।

- नवंबर 2016 से बैंक के साथ 15 विज्ञापन एजेंसियों को 3 साल तक सूचीबद्ध किया गया है।

- बैंक की 110 वर्ष की देश की सेवा को मार्क करने के लिए एक नया निमानिक बनाया गया।

- **Additional Platforms in pipeline**

  Bank will be adding additional channels to extend its social media presence and will go live on Facebook, Linkedin, etc., shortly.

- **VISIBILITY MEASURES:**

  - **Promotional Collaterals:**

    Creative contents for various products and services of the Bank were displayed as banners, danglers, tab top, standee, product folder and leaftlets in English, Hindi and Regional languages for the information of customers and general public.

  - **Doctor's Meet (2nd July, 2016):**

    A Meet, exclusively for doctors, was held on 02.07.2016 wherein more than 150 reputed doctors and medical practitioners attended. Overview of the bank and its products, with focus on sector specific products was provided. The gathering provided an ideal platform for business deliberations and promoting a clean environment as the dignitaries were provided saplings at the end of the meeting.

  - Aircel Chennai Open Tennis tournament was conducted during the month of January 2017 and Bank was the Gold sponsor for the tennis tournament. The stall put up during the event promoted Bank's products and services to walk in customers.

  - **International Women's Day (8th March, 2017)**

    As part of the celebrations on the occasion of International women's day, women-centric contests were conducted for Staff Members as well as general public (on Bank's Official Twitter Page, @MyIndianBank). Staff members responded enthusiastically and displayed their talent by submission of poems under the theme "She Walks In Beauty".

- **OTHERS:**

  - **Social Media Listening (September to November, 2016):**

    Social media listening activities were undertaken for a period of three months i.e. from September to November, 2016. The reports were assessed for valuable insights and was taken up for implementation.

  - **Digital Push during Demonetization:**

    Taskforce was formed from Departments in Corporate Office and popularized Scan and Pay feature during November, 2016 among merchants, vendors and business community.

CORPORATE COMMUNICATION DEPARTMENT

External Communication

- During 2016-17, Bank focused on various activities to reach out the customers with the Bank's customer friendly products, achievements and welfare for the general public.

- Bank organised several press conferences/meets, special interviews on various occasions including launch of new technology products, melas, financial results and important events like demonetization, vigilance awareness week etc.

- Bank had been widely covered by CNBC TV 18 group, The Hindu, The Times of India, Business Line, The Economic Times, Business Standard, The Financial Express, Hindustan Times, The New Indian Express, Daily Thanthi, Dainik Bhaskar, Rajasthan Patrika, Lokmat, Dina Mani, Thanthi TV, Puthiyathalaimurai TV, News 7, News 18, Sun TV etc during demonetisation, launch of technology products, loan melas, plantation drive, Swachh Bharat Pakhwada, Pan-India Blood/Organ Donation Camps, 110th Foundation Day Celebrations etc.

- During demonetisation, Bank made special efforts to reach out the public through mass media. Bank took various steps to educate and allay the fears of general public about demonetization. On 11.11.2016, MD & CEO, Indian Bank addressed the media at Corporate Office to educate the general public on reasons for demonetization. General Managers/Executives also interacted with the media during their visits to the Branches and Zonal Offices. Bank also released an advertisement highlighting bank's technology products and services to the general public in Business Line.

- 15 Advertising Agencies have been empanelled with the bank from November 2016 for a period of three years.

- A new mnemonic was designed to mark our Bank's 110th year of service to the nation.

आंतरिक संप्रेषण :

- आंतरिक संप्रेषण को मजबूत करने के लिए हमारे बैंक का न्यूज़ लेटर – इंड इमेज़ का पुर्नोत्थान किया गया है और तिमाही आधार पर जारी किया जा रहा है। पत्रिका को अधिक सहभागी और इंटरैक्टिव बनाने के लिए न्यूज़लेटर कर्मचारियों को कविता, चित्रकारी, निबंध, बच्चों की उपलब्धि इत्यादि में योगदान देने के लिए प्रोत्साहित करता है।

- बैंक की विभिन्न घटनाओं की जानकारी जैसे जन्मदिन समारोह, टेक उत्पाद का लॉच, सीएसआर पहल आदि हेडडेस्क और इंडकुटुंब, कर्मचारियों के लिए क्लोज़ फेसबुक ग्रूप के माध्यम से कर्मचारियों को सूचना का नियमित प्रसार किया जाता है। विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिनों जैसे विश्व जल दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस, सविधान दिवस इत्यादि के बारे में कर्मचारियों को सूचित करने के लिए बैनर का प्रदर्शन भी किया जाता है।

- **कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व**

- बैंक की कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) बैंकिंग क्षेत्र से आगे बढकर नैतिक मूल्यों के सम्मान, पर्यावरण एवं समुदायों तथा जन सम्मान की दिशा में भी अग्रसर हुई।

- भारत के नागरिकों की सेवा के लिए एक सशक्त कॉर्पोरेट होने के नाते, बैंक समाज के लिए विभिन्न पहल चला रहा है। मानवता की गर्वमयी सेवा, लोगों के दिल को छू जाने, सकारात्मक बदलाव लाने की दिशा में अग्रसर होने के नाते बैंक को हाल ही में कई प्रशस्तियाँ प्राप्त हुई है।

- एक जिम्मेदार कॉर्पोरेट की हैसियत से बैंक ने जरूरतमंदों तथा अधिकारहीन जनता तक विभिन्न योजनाओं के जरिए पहुँचने की कोशिश की है :-

  - **स्वच्छ भारत अभियान** : कुलित्तलै नगरपालिका, तमिलनाडु में किसानों और दिहाड़ी मजदूरों के लाभ के लिए व्यक्तिगत शौचालय का निर्माण करने हेतु प्रयोजन प्रदान किया गया।

  - **महिला सशक्तिकरण** : सेंट टेरेसा कॉलेज, एर्नाकुलम की छात्राओं के लिए क्लास रूम और शौचालयों का निर्माण करने के लिए बैंक ने प्रायोजित किया। महाविद्यालय के अधिकांश पदाधिकारी पिछड़े वर्ग के मछुआरों समुदाय से जुड़े हुए हैं।

  - **समावेशी विकास** : बैंक ने आंध्रा प्रदेश में काकीनाड़ा निगम को अपने हरियाली की रक्षा करने के लिए 185 मीटर के लिए लोहे की बाड लगाने में समर्थन दिया है।

  - **हरित पहल** : सिंगनयाकनहल्ली झील क्षेत्र, येलंका न्यू टाउन, बेंगलुरु, कर्नाटका में बैंक द्वारा वृक्षारोपण ड्राइव किया गया ।

बैंक द्वारा ली गई सीएसआर पहल:

श्री महेश कुमार जैन, प्र.नि और मुकाअ ने लड़कियों के लिए किशोर सुधार गृह, केल्लीस, चेन्नै में लाइब्रेरी की स्थापना हेतु पुस्तकों और कंप्यूटरों का वितरण किया।

बैंक द्वारा विश्व विकलांगता दिवस पर मरीना बीच में विशेष बच्चों की रैली आयोजित की गई।

- शाखाओं /अंचलों द्वारा अखिल भारतीय रक्तदान / अंगदान एवं स्वस्थ्य एवं नेत्र चेकअप शिविरों का आयोजन:

पच्चैयप्पास कॉलेज में रक्त दान शिविर का आयोजन

Internal Communication:

- To strengthen the internal communication, our Bank's newsletter – IndImage has been revamped and is being released on a quarterly basis. The newsletter encourages employees to contribute poems, drawings, essays, achievements of employees' children etc in order to make the magazine more participatory and interactive.

- Information on various events of the Bank like birthday celebrations, launch of tech products, CSR initiatives, etc were regularly disseminated to employees through Helpdesk and Ind Kutumb, closed Facebook group for employees. Banners were also displayed to make employees aware about various National and International Days like World Water Day, World Environment Day, Constitution Day etc.

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY:

- Corporate Social Responsibility (CSR) initiatives of the Bank extend beyond banking and lead it to honour ethical values and respect people, communities and the natural environment.

- As a strong corporate, the Bank is taking up various initiatives for the benefit of the society with the commitment to serve the people of India. Proud of its humanitarian services, the Bank has achieved many accolades in recent past to touch many lives and bring in positive change.

- Bank as a responsible Corporate Citizen worked to reach out to the needy and marginalised population through various contributions:-

  - Clean India Movement: Provided sponsorship to construct individual toilets for the benefit of farmers and daily wage workers in Kulithalai Municipality, Tamil Nadu.

  - Women Empowerment: Bank extended sponsorship to construct class rooms and toilets for girl students of St. Teresa College, Ernakulam, Kerala. Most of the incumbents of the college are socially backward belonging to fishermen community.

  - Inclusive Growth: Bank supported Kakinada Corporation in Andhra Pradesh to erect iron fencing for 185 metres to protect its green cover.

  - Green Initiative: Tree plantation drive was carried out by the Bank at Singanayakanahalli Lake Area in Yelahanka New Town, Bengaluru, Karnataka.

CSR Highlights:

Shri. Mahesh Kumar Jain, MD&CEO, distributing Books & computers to set up the library in Juvenile home for Girls at Kellys, Chennai.

Special children rally was conducted by the Bank on World disability day at Marina Beach, Chennai

- Pan-India Blood / Organ Donation and Health & Eye Check-up Camps through the Branches/ Zones

Blood Donation camp organised at Pachayappas College

सास्ता कॉलेज में रक्त दान शिविर
का आयोजन किया गया

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर निःशुल्क बोन मिनरल डेंसिटी
जांच शिविर

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर निःशुल्क नेत्र जांच
शिविर का आयोजन

- **स्वच्छ भारत पखवाड़ा :** मननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 2014 में शरू किए गए स्वच्छ भारत अभियान को निष्ठा के साथ बढ़ाते हुए टीम इंडियन बैंक ने टीम इंडियन बैंक ने अपने सभी कार्यालयों और शाखाओं में स्वच्छ भारत पखवाड़ा मनाया।

श्री महेश कुमार जैन प्रनि एवं मुकाअ, ने कॉर्पोरेट कार्यालय में स्वच्छ भारत पखवाड़े के भाग के रूप में स्टाफ़ सदस्यों को स्वच्छता की शपथ दिलाई। स्टाफ सदस्यों ने कार्यालय परिसर, पार्किंग स्थल को साफ करने और पुरानी फाइलों आदि से बाहर निकालने में सक्रिय रूप भाग लिया।

- ब्स्वच्छ विद्यालय अभियान : पूरे भारत में बलिका विद्यालयों में 108 शौचालयों का निर्माण प्रगति पर है।।
- सुश्री आर.दिव्या, एक बेघर / मातृहीन लड़की और इंडियन बैंक की गोद ली हुई बेटी अभी बैंक की देख–रेख में नर्सिंग कोर्स पढ़ रही है।

गो ग्रीन ड्राइव – पारिस्थितिक असंतुलन को कम करने के उद्देश्य से, पूरे भारत वर्ष में बैंक ने 2016–17 में अपनी अंचल कार्यालयों / शाखाओं के माध्यम से 3,00,000 से अधिक पौधे लगाए हैं।

Blood Donation camp organised at Sastha Engineering College

Free Bone Mineral Density check up Camp on International Women's day at Hyderabad

Free Eye check up camp held on International Women's day

- Swachh Bharat Pakhwada: Continuing the crusade of Swachh Bharat Mission launched by the Hon'ble Prime Minister in 2014, Team Indian Bank observed Swachh Bharat Pakhwada at all its offices and branches.

Shri. Mahesh Kumar Jain, MD & CEO administered swachhta pledge to staff members as part of Swachh Bharat Fortnight at Corporate Office. Staff members actively involved in cleaning the office premise, parking lot and weeding out of old files etc.

- Swachh Vidyalaya Abhiyan: Construction of 108 Toilets in Girls Schools across the country is in progress.
- Ms.R.Divya, a homeless/motherless girl and an adopted daughter of Indian Bank is now pursuing Nursing course with the support of the Bank.

Go Green Drive: With an objective to reduce the ecological imbalance, the Bank planted more than 3,00,000 saplings pan-India through its Zonal offices / Branches in 2016-17.

एक नज़र : पौधा रोपण अभियान

- दिव्यांग समुदाय लोगों की खेल प्रतिभा को प्रोत्साहित के लिए जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, चेन्नै में बधिर के XXI राष्ट्रीय खेलों के आयोजन करने हेतु बैंक ने वित्तीय सहायता प्रदान की ।

A GLANCE: SAPLING PLANTATION DRIVE

- To encourage the differently-abled community to exhibit their sporting talents, Bank extended financial support to organise XXI National Games of the Deaf at Jawaharlal Nehru Stadium, Chennai.

व्यवसाय उत्तरदायित्व रिपोर्ट – 2016–17

खण्ड ए: कंपनी का सामान्य परिचय

1. कंपनी की कॉर्पोरेट पहचान संख्या (सीआईएन)	लागू नहीं
2. कंपनी का नाम	इंडियन बैंक
3. पंजीकृत पता	66, राजाजी सालै, चेन्नै - 600 001
4. वेबसाइट	www.indianbank.in
5. ई–मेल	indmail@indianbank.co.in
6. रिपोर्ट का वित्तीय वर्ष	2016-17
7. कंपनी के व्यावसायिक क्षेत्र (औद्योगिक गतिविधि कोड–वार)	बैंकिंग एवं वित्तीय सेवाएं
8. 3 मुख्य उत्पाद/सेवाएँ जो निर्माता देता है (तुलन पत्र के अनुसार)	जमा उत्पाद, ऋण उत्पाद एवं प्रेषण आदि
9. स्थानों की कुल संख्या जहां कंपनी द्वारा व्यापार गतिविधियां की जाती है।	
स्थानों की कुल संख्या	
I. राष्ट्रीय	31.03.2017 को 2679 शाखाएँ
II. अंतर्राष्ट्रीय	3 (सिंगापुर, कोलंबों एवं जाफना)
10. कंपनी द्वारा जिन बाज़ारों में सेवा प्रदान की जाती है – स्थानीय/राज्य/राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय	**29 राज्यों एवं 6 संघ राज्य क्षेत्रों में बैंक की शाखाएं है और सिंगापुर एवं श्रीलंका में बैंक की अंतराष्ट्रीय उपस्थिति है।**

खंड बी: कंपनी के वित्तीय ब्यौरे

1) प्रदत्त पूंजी (भारतीय रुपये)	₹ 480.29 **करोड़**
2) कुल कारोबार (भारतीय रुपये)/राजस्व	₹ 3,14,653.98 **करोड़** (कुल कारोबार)
3) कर चुकौती के बाद कुल लाभ (भारतीय रुपये)	₹ 1405.68 **करोड़**
4) कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) पर कर चुकाने के बाद लाभ के प्रतिशत के रूप में कुल व्यय	**सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए सीएसआर पर व्यय अनिवार्य नहीं है। तथापि बैंक ने ₹ 264.96 लाख व्यय किया है:**

(₹लाखों में)

5) गतिविधियों की सूची जिसमें उक्त (4) पर व्यय हुआ है।

क्रमसं	सीएसआर गतिविधियाँ	विवरण	राशि
1.	समावेशी प्रगति	भारतीय कैंसर सोसाइटी को सहायता	5.00
2.	समावेशी प्रगति	मैसर्स वीएलबी ट्रस्ट, कोयम्बटूर को एम्बुलेंस	3.78
3.	समावेशी प्रगति	यूनिवर्सल हायर एजुकेशन ट्रस्ट (यूएचईटी) को सहायता	5.00
4.	हरित पहलें और पर्यावरण स्थिरता	स्वच्छता अभियान के लिए असम के डिब्रूगढ़ जिले का समर्थन	3.00
5.	हरित पहलें और पर्यावरण स्थिरता	स्वच्छ पुडुच्चेरी पहल के तहत पांच शौचालयों का निर्माण	10.37
6.	लिंग समानता एवं महिला सशक्तीकरण	सेंट टेरेसस कॉलेज, एर्नाकुलम की छात्राओं के लिए क्लास रूम और शौचालयों के निर्माण के लिए सहायता	3.00
7.	लिंग समानता एवं महिला सशक्तीकरण	108 योजना के तहत सरकारी गर्ल्स उच्च विद्यालय में शौचालयों का निर्माण (23 स्कूल)	91.13
8	वित्तीय साक्षरता	डिजिटल बैंकिंग पर जनता को शिक्षित करना	54.10
9	समावेशी प्रगति	अखिल भारतीय समर्थन	89.58
		कुल	264.96

Business Responsibility Report – 2016-17

Section A : General Information about the Company

1. Corporate Identity Number: (CIN) of the Company	Not Applicable
2. Name of the Company	Indian Bank
3. Registered Address	66, Rajaji Salai, Chennai 600 001
4. Website	www.indianbank.in
5. Email	indmail@indianbank.co.in
6. Financial Year Reported	2016-17
7. Sectors that the Company is engaged in (industrial activity code-wise)	Banking & Financial Services
8. List of 3 key products/services that the manufacturers provides (as in Balance Sheet)	Deposit Products, Loan Products and Remittances etc.
9. Total number of locations where: business activity takes is undertaken by the Company **No of Locations**	
I. National	2679 as on 31.03.2017
II. International	3 (Singapore, Colombo, Jaffna)
10. Markets served by the Company-Local/State/National/International	Bank has branches in 29 States and 6 Union Territories and International presence in Singapore and Sri Lanka.

Section B: Financial Details of the Company

1) Paid up Capital (INR)	₹ 480.29 crore
2) Total Turn Over (INR)/Revenue	₹ 3,14,653.98 crore (Total Business)
3) Total profit After Tax(INR)	₹ 1405.68 crore
4) Total Spending on Corporate Social Responsibility (CSR) as percentage of Profit after Tax (%)	CSR spending is not mandatory for PSBs. However, Bank has spent ₹264.96 lakhs

(₹in Lakhs)

5) List of the activities in which expenditure on 4 above has been incurred

Sl. No.	CSR activity	Particulars	Amount
1.	Inclusive Growth	Support to Indian Cancer Society	5.00
2.	Inclusive Growth	Ambulance to M/s.VLB Trust, Coimbatore	3.78
3.	Inclusive Growth	Support to Universal Higher Education Trust (UHET)	5.00
4.	Green Initiatives and Environment Sustainability	Support Dibrugarh district in Assam for cleanliness drive	3.00
5.	Green Initiatives and Environment Sustainability	Construction of five toilets under Clean Puducherry initiative	10.37
6.	Gender Equality and Women Empowerment	Support for construction of class rooms and toilets for girl students for St.Teresas College, Ernakulam	3.00
7.	Gender Equality and Women Empowerment	Construction of toilets in Government Girls Higher School under 108 scheme (23 schools)	91.13
8	Financial Literacy	Educating public on digital banking	54.10
9	Inclusive Growth	Pan-India Support	89.58
		TOTAL	264.96

खंड सी : अन्य विवरण

1. क्या कंपनी की कोई अनुषंगी कंपनी/कंपनियां है ?	हाँ ए. इंडबैंक मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज लिमिटेड। बी. इंडबैंक हाउसिंग लिमिटेड।
2. क्या अनुषंगियां: मूल कंपनी की बीआर पहल को कार्यान्वित करती है, यदि हाँ, तो ऐसी अनुषंगियों की संख्या प्रस्तुत करें।	• इंडबैंक मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज लिमिटेड का पिछले तीन वर्षों का लाभ, बड़े पैमाने पर किसी सामाजिक दायित्व को अपनाने के लिए पर्याप्त नहीं था। • इंडबैंक हाउसिंग लिमिटेड अब कोई कार्यकलाप नहीं कर रहा है।
3. क्या कोई अन्य संस्था/संस्थाएं जिनके साथ कंपनी व्यापार करती है, (जैसे प्रदायक, वितरक आदि) कंपनी की बीआर पहलों में भागीदारी निभाती हैं ? यदि हाँ, तो यह दर्शाएँ कि ऐसी संस्थाओं का प्रतिशत कितना है (30 प्रतिशत से कम, 30 से 60 प्रतिशत, 60 प्रतिशत से अधिक)	नहीं

खंड डी: बीआर जानकारी

1. बीआर के प्रति उत्तरदायी निदेशक / निदेशकों के विवरण।

I. बीआर नीति/नीतियों के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी निदेशक/निदेशकों के विवरण।

डीआईएन संख्या	
नाम	**श्री ए एस राजीव**
पदनाम	कार्यपालक निदेशक

II. बीआर प्रमुख का विवरण निम्न प्रकार है

क्रम सं	विवरण	ब्यौरा
1	डीआईएन सं (अगर लागू हो तो)	लागू नहीं
2	नाम	**श्री एम नागराजन**
3	पदनाम	महाप्रबंधक
4	टेलीफोन संख्या	044 28134568
5	ईमेल आईडी	nagarajan.m@indianbank.co.in

C: Other Details

1. Does the Company have any Subsidiary Company/ Companies	Yes a. Indbank Merchant Banking Services Ltd. b. Indbank Housing Ltd
2. Do the subsidiaries implement : BR initiatives of the parent company If YES, then indicate the number of such subsidiaries.	• Net profit of Indbank Merchant Banking Services Ltd. for the last 3 years was not sufficient to carry out any social responsibility in large scale. • Indbank Housing Ltd is not doing any activity now.
3. Do any other entity/ entities (e.g., suppliers, distributors etc.) that the Company does business with, participate in the BR initiatives of the Company? If yes, then indicate the percentage of such entity/entities? (Less than 30%, 30% -60%, more than 60%)	No

Section D: BR Information

1. Details of Director/ Directors responsible to BR

I. Details of the Director/ Directors responsible for implementation of the BR policy/policies

DIN Number	
Name	Shri A.S. Rajeev
Designation	Executive Director

II. **Details of the BR head – as below**

S. No	Particulars	Details
1	DIN No (if applicable)	NA
2	Name	Shri M Nagarajan
3	Designation	General Manager
4	Telephone No.	044 28134568
5	e-mail-id	nagarajan.m@indianbank.co.in

2. सिद्धांत–वार (एनवीजी के अनुसार) बीआर नीति /नीतियाँ (हाँ/नहीं में जवाब दें)

क्रम सं	प्रश्न	कारोबारी आचार	उत्पाद जिम्मेदारी	कर्मचारियों का कल्याण	स्टेक धारक की वचनबद्धता	मानव अधिकार	पर्यावरण	जन नीति	समावेशी विकास	ग्राहक संबंध
1	क्या आपके पास इनके लिए नीति / नीतियां हैं	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
2	क्या यह नीति/नीतियाँ संबन्धित स्टेकधारकों से परामर्श के बाद बनाई गई हैं?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
3	क्या यह नीति किसी भी राष्ट्रीय / अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुरूप है ? यदि हाँ ,तो (50 शब्दों में बताएं)	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
4	क्या नीति बोर्ड द्वारा अनुमोदित है? यदि हाँ, तो क्या वह सक्षम प्रनि / स्वामी / मुकाअ / बोर्ड निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित है।	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
5	कंपनी की नीति के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए क्या बोर्ड/निदेशक/अधिकारी की एक निर्दिष्ट समिति है?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
6	नीति को ऑनलाइन देखे जाने के लिए लिंक दें	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
7	क्या नीति के बारे में औपचारिक रूप से सभी प्रासंगिक आंतरिक और बाहरी स्टेक धारकों को सूचित किया गया है?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
8	क्या कंपनी की नीति / नीतियों को लागू करने के लिए आंतरिक संरचना है?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
9	क्या कंपनी को शिकायत निवारण तंत्र से जुड़े हितधारक नीति / नीतियों से संबंधित शिकायतों की जानकारी है?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
10	क्या आंतरिक या बाहरी एजेंसियों द्वारा कंपनी की इस नीति की कार्यप्रणाली की स्वतंत्र लेखा परीक्षा/ मूल्यांकन किया गया है?	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं

*समाज को हितकारी सरकार के नियम एवं दिशानिर्देश नीति की प्रत्याशा ।

2. Principle-wise (as per NVGs) BR Policy / Policies: (Reply in Y / N)

Sl No.	Questions	Business Ethics	Product Responsibility	Well being of Employees	Stakeholder Engagement	Human Rights	Environment	Public Policy	Inclusive growth	Customer relations
1	Do you have a policy/policies for	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
2	Has the policy being formulated in consultation with the relevant stakeholders?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
3	Does the policy confirm to any national / international standards? If yes, specify? *(50 words)	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
4	Has the policy been approved by the Board? If yes, has it been signed by MD / Owner / CEO / appropriate Board Director	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
5	Does the company have a specified committee of the Board / Director / Official to oversee the implementation of the policy?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
6	Indicate the link for the policy to be viewed online?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
7	Has the policy been formally communicated to all relevant internal and external stakeholders?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
8	Does the company have in-house structure to implement the policy / policies?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
9	Does the company have grievance redressal mechanism related address stakeholders' grievances related to the policy / policies?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
10	Has the company carried out independent audit / evaluation of the working of this policy by internal or external agencies?	N	N	N	N	N	N	N	N	N

*Contemplating the Policy of Government rules and guidelines beneficial to the Society.

2ए. यदि क्र.सं. 1 से किसी भी सिद्धांत के आगे जवाब 'नहीं' है, तो ऐसा क्यों है कृपया समझाएं (2 विकल्पों पर टिक लगाएँ)

क्रम सं	प्रश्न	पृ1	पृ2	पृ3	पृ4	पृ5	पृ6	पृ7	पृ8	पृ9
1	कंपनी ने सिद्धांतों को नहीं समझा है।									
2	कंपनी ऐसी स्थितियों में निर्दिष्ट सिद्धांतों पर नीतियां तैयार करने और लागू करने की स्थिति में नहीं है ।									
3	कंपनी के पास कार्य के लिए वित्तीय या मानव शक्ति संसाधन उपलब्ध नहीं हैं ।						लागू नहीं			
4	इसे अगले 6 महीनों के भीतर किए जाने की योजना बनाई गई है।									
5	इसे अगले 1 साल के भीतर किए जाने की योजना बनाई गई है ।									
6	कोई अन्य कारण (कृपया बताएं)									

3. बीआर से संबन्धित अभिशासन

▪ उस बारंबारता को दर्शाएं जिसके साथ निदेशक मण्डल, मण्डल की समिति या सीईओ, कंपनी के बीआर निष्पादन का मूल्यांकन करते हैं।	▪ चूँकि कारोबार का दायित्व सम्पूर्ण बैंकिंग को शामिल करता है, अतः विभाग की संबन्धित नीतियां पृथक रूप से तैयार/नवीकृत की जाती है और बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त किया जाता है।
▪ क्या कंपनी एक बीआर या एक धारणीयता रिपोर्ट प्रकाशित करती है ? इस रिपोर्ट को देखने के लिए कौनसी हायपरलिंक है ? कितनी बारंबारता से इसे प्रकाशित किया गया है।	▪ यथासमय वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी ।

खंड ई : सिद्धांत–वार निष्पादन

सिद्धांत 1: कारोबार को आचार नीति, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के साथ अपना व्यवहार एवं संचालन करना चाहिए।

1. क्या आचार नीति, रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार से संबन्धित नीति केवल कंपनी को कवर करती है? क्या यह समूह/ संयुक्त उद्यम/ संपूर्तिकर्ता/ ठेकेदारों/ एनजीओ/ अन्य को भी कवर करती है?	● ग्राहकों को बैंक के साथ किए जाने वाले अपने लेनदेनों में संतोषजनक सेवा की प्राप्ति को सुनिश्चित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने फरवरी 2006 में भारतीय बैंकिंग संहिता और मानक बोर्ड को एक स्वतंत्र स्वायिक पर्यवेक्षक के रुप में स्थापना की। ● बीसीएसबीआई ने ''ग्राहकों के प्रति बैंक प्रतिबद्धता संहिता – जनवरी 2014'' में तथा ''सूक्ष्म और लघु उद्यमों के प्रति प्रतिबद्धता संहिता–अगस्त 2015'' में प्रकाशित किया है, जो बैंकों के लिए ग्राहक सेवा में अनुकरण हेतु बैंकिंग कार्य–प्रणाली और बेंचमार्क के न्यूनतम मानकों को निर्दिष्ट करता है। ● बैंक बीसीएसबीआई का सदस्य है और इसलिए इसने उपर्युक्त संहिताओं को अपने ग्राहकों के साथ लेनदेन करने में न्यायोचित व्यवहार कोड के रूप में स्वेच्छा से अपनाया है। ● बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति के समक्ष ग्राहकों के प्रति प्रतिबद्धता संहिता को अभिग्रहीत करने हेतु रखा गया है। ● संहिता की पूर्ण प्रति www.indianbank.in पर उपलब्ध है।

2a. If the answer to S. No. 1 against any principle is 'No', please explain why: (Tick up to 2 options)

Sl No.	Questions	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9
1	The company has not understood the Principles									
2	The company is not at a stage where it finds itself in a position to formulate and implement the policies on specified principles									
3	The company does not have financial or manpower resources available for the task						**NA**			
4	It is planned to be done within next 6 months									
5	It is planned to be done within next 1 year									
6	Any other reason (Please specify)									

3. Governance related to BR

▪ Indicate the frequency with which the Board of Directors, Committee of the Board or CEO to assess the BR performance of the company	▪ As the Business Responsibility encompasses a whole spectrum of Banking, Department relevant Policies are framed/ renewed individually and approval of Board obtained.
▪ Does the company publish a BR or a Sustainability Report? What is the hyperlink for viewing this report? How frequently it is published?	▪ **Would be made available in due course on website.**

Section E: Principle-wise-performance

Principle 1: Business should conduct and govern themselves with Ethics, Transparency and Accountability

1. Does the policy relating to ethics, bribery and corruption cover only the company? Does it extend to the group/ Joint Venture/ Suppliers/ Contractors/ NGOs/ Others?	• In February 2006, Reserve Bank of India set up the Banking Codes and Standards Board of India (BCSBI) as an independent autonomous watchdog to ensure that customers get fair treatment in their dealings with Banks. • The BCSBI has published the "Code of Banks' Commitments to Customers- January 2014" and "Code of Commitment to Micro and Small Enterprises August 2015" which set out minimum standards of banking practice and benchmarks in customer service for banks to follow. • Bank is a member of BCSBI and has therefore, voluntarily adopted the above Codes as its Fair Practice Code in dealing with its customers. • Code of commitment to customers has been placed to the Customer Service Committee of the Board for adoption. • Complete copy of the Code is available at www.indianbank.in

	• "इंडियन बैंक का सिटिजन्स चार्टर" बैंक की शाखाओ में ग्राहकों हेतु उपलब्ध विभिन्न सुविधाओं / सेवाओं पर महत्त्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता हैं । • सिटिजन्स चार्टर के साथ संहिता, बैंक में ग्राहकों के साथ किए जाने वाले लेन–देनों में उत्तरदायित्व, जिम्मेदारी और पारदर्शिता के उच्च मानकों को सुनिश्चित करेगा।
2. पिछले वित्तीय वर्ष में स्टेक होल्डरों से कितनी शिकायतें प्राप्त की गईं और कितने प्रतिशत शिकायतों का प्रबंधन द्वारा संतोषजनक समाधान किया गया? यदि ऐसा हुआ है तो लगभग 50 शब्दों में उनका विवरण उपलब्ध कराएं।	• कॉका : ग्राहक सेवा केंद्र, ग्राहक शिकायत निवारण से संबद्ध मामले की देख–रेख करता है। • बैंक ने मानकीकृत लोक शिकायत निवारण प्रणाली (एसपीजीआरएस) की शुरुआत की है। सभी माध्यमों से प्राप्त शिकायतों एवं 24 घंटे से अधिक समय तक लंबित अनसुलझे मामलें एसपीजीआरएस के पास आ जाते हैं। ग्राहक भी एसपीजीआरएस द्वारा ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं। • ग्राहक शिकायत निवारण एवं सेवाओं में कमी के लिए ग्राहकों को दिए जानेवाले मुआवजे पर बने नीति के अनुसार, बैंक ने ग्राहकों की शिकायतों को दूर करने के लिए 21 दिनों की अधिकतम समय सीमा रखी है। • हालांकि, अधिकांश शिकायतों को 5–7 दिनों के औसत समय के भीतर ही निपटा लिया जाता है।
वर्ष के प्रारम्भ में लंबित शिकायतों की संख्या	68
वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	21356
वर्ष के दौरान निपटायी गई शिकायतों की संख्या	21325
वर्ष के दौरान लंबित शिकायतों की संख्या	99
निपटायी गई शिकायतों का प्रतिशत	99.53

सिद्धांत–2 : कारोबार को ऐसी वस्तुएँ और सेवाएँ प्रदान करनी चाहिए जो सुरक्षित हों और अपने पूर्ण जीवन–काल तक धारणीयता बनाए रखने में योगदान दें।

1. अपने तीन उत्पाद या सेवाओं को सूचीबद्ध करें जिसकी रूपरेखा ने सामाजिक या पर्यावरण संबंधी व्यवसाय, जोखिम/ और/या सुअवसर शामिल किया हों ।	बैंक निम्नलिखित वित्तीय सेवाओं को प्रस्तुत करता है जो सामाजिक कारोबारों और सुअवसरों को सम्मलित करती है। • स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) • वित्तीय साक्षरता केंद्र (एफएलसी) • इंडियन बैंक स्व रोजगार प्रशिक्षण संस्थान (इंडसेटी) वर्ष 2016–17 के दौरान, बैंक ने पवन / सौर / बायोमास सहित अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए रु.285.22 करोड़ की मंजूरी दी है, जो हरित पर्यावरण को सशक्त बनाने में सहयोग कर सकता हैं।

	• "Citizens' Charter of Indian Bank" provides key information on various facilities/services provided to customers in the branches of the Bank • The Code together with the Citizens' Charter will ensure high standards of accountability, responsibility and transparency in the Bank's dealings with customers.
2. How many stakeholder complaints have been received in the past financial year and what percentage was satisfactorily resolved by the management? If so, provide details thereof, in about 50 words or so.	• CO: Customer Service Cell deals with Customer Grievance Redressal. • Bank has introduced Standardised Public Grievance Redressal System (SPGRS). All the complaints received through all modes and pending unresolved for more than 24 hours are entered in SPGRS. Customers also can lodge online complaints through SPGRS. • As per the Policy on Customer Grievances Redressal and compensation to customers for deficiency in services, Bank has adopted a maximum timeframe of 21 days for redressing customer grievances. • However most of the grievances are redressed within an average time of 5-7 days.
No. of complaints pending at the beginning of the year	68
No. of complaints received during the year	21356
No. of complaints redressed during the year	21325
No. of complaints pending during the year	99
% age of complaints resolved	99.53

Principle 2 : Business should provide goods and services that are safe and contribute to sustainability throughout their life cycle

1. List up to 3 of your products or services whose design has incorporated social or environmental concerns, risks and/ or opportunities.	Indian Bank offers the following financial services which has incorporated social concerns and opportunities ◆ Self Help Groups (SHGs) ◆ Financial Literacy Centres (FLCs) ◆ Indian Bank Self Employment Training Institutes (INDSETIs) During 2016-17, Our Credit division has sanctioned ₹ 285.22 crore towards Renewable energy projects including Wind / Solar / Biomass which can strengthen the Green Environment.

2. प्रत्येक ऐसे उत्पाद के संबंध में प्रति इकाई (वैकल्पिक) संसाधन (ऊर्जा, जल, कच्चा माल) के प्रयोग के संबंध में ब्यौरे दें। i) क्या पिछले वर्ष के प्रारम्भ से अंत तक मूल्य श्रृंखला के दरमियान स्रोत / उत्पाद / वितरण में कटौती प्राप्त की गई है? ii) क्या पिछले वर्ष से उपभोक्ताओं द्वारा उपभोग में (ऊर्जा, जल) कटौती हुई है?	 **लागू नहीं** **लागू नहीं**
3. क्या कंपनी धारणीय सोर्सिंग (परिवहन को मिलाकर) के लिए कोई प्रक्रिया विधि अपना रही है? i) यदि हाँ, तो आपके इनपुट स्रोत का क्या प्रतिशत धारणीय रूप से प्राप्त किया गया था? लगभग 50 शब्दों में इसका ब्यौरा प्रस्तुत करें।	**लागू नहीं** **लागू नहीं** सभी वित्तीय उत्पाद हैं और पूरे परिचालन क्षेत्र को इन्हें सिखाने का लक्ष्य रहा हैं।
4. क्या कंपनी ने अपने कार्य स्थल के आसपास के समाज सहित सूक्ष्म एवं लघु उत्पादकों से वस्तुएँ और सेवाएँ प्राप्त करने के लिए कोई कदम उठाया है? यदि हाँ, तो स्थानीय और लघु विक्रेताओं की क्षमता और योग्यता को उन्नत करने के लिए कौन से कदम उठाए गए हैं?	हाँ ▪ परिवहन कीमत और समय अंतराल को कम करने के उद्देश्य से वस्तुएं नजदीकी विक्रेताओं से अधिमान्य रूप से प्राप्त की जाती हैं।
5. . क्या कंपनी के पास उत्पादों और बेकार वस्तुओं का पुनर्चक्रण करने की व्यवस्था है? यदि हाँ, तो उत्पादों और बेकार वस्तुओं के पुनर्चक्रण का प्रतिशत क्या है? (पृथक रूप से, जैसे 5% से कम, 5% से 10% आदि)। लगभग 50 शब्दों में इसका ब्यौरा प्रस्तुत करें।	हाँ, कार्पोरेट कार्यालय रायपेट्टा में <5 : से कम ● गन्दे पानी के शुद्धिकरण हेतु संयत्र 25,000 लीटर प्रतिदिन के आउटपुट के साथ कार्पोरेट कार्यालय रायपेट्टा में उपलब्ध कराई गई है।

सिद्धांत–3 : कारोबार सभी कर्मचारियों की सुख समृद्धि का बढावा करें।

1. कृपया कर्मचारियों की कुल संख्या दें	21215
2. कृपया अस्थायी संविदात्मक / अनौपचारिक आधार पर काम पर लगाये गए कर्मचारियों की पूर्ण संख्या दें :	शून्य
3. कृपया स्थायी महिला कर्मचारियों की संख्या दर्शाएं	6822
4. कृपया स्थायी विकलांगता वाले स्थायी कर्मचारियों की संख्या दर्शाएँ:	386
5. क्या आपका कोई कर्मचारी संघ है जो प्रबंधन द्वारा मान्यता प्राप्त है ?	हाँ
6. आपके कमचारियों में से इस मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन के सदस्यों का क्या प्रतिशत है?	अधिकारी : – 81.4% अवार्ड स्टाफ: – 71.34%

2. For each such product, provide in respect of resource use (energy, water, raw material etc.) per unit of product (optional): i) Reduction during sourcing/ production/ distribution achieved since the previous year throughout the value chain? ii) Reduction during usage by consumers (energy, water) has been achieved since previous year?	NA NA
3. Does the company have proceedings in place for sustainable sourcing (including transportation) i) If yes, What percentage of your inputs was sourced sustainability? Also provide details thereof in about 50 words or so	NA NA All are financial products aiming to reach the entire operational area.
4. Has the company taken any steps to procure goods and services from local & small producers, including communities surrounding their place of work? If yes, what steps have been taken to improve their capacity and capability of local and small vendors?	Yes ▪ Preferably, the materials are sourced from nearby vendors to reduce transportation cost and time lag.
5. Does the company have a mechanism to recycle products and waste? If yes what is the percentage of recycling of products and waste (separately as <5%, 5%-10%). Also, provide details thereof, in about 50 words or so.	Yes, at Corporate Office, Royapettah <5% ● Sewage Treatment Plant is provided at Corporate Office, Royapettah with an output of 25,000 litres/Day.

Principle 3 : Business should promote the well-being of all employees.

1. Please indicate the Total number of employees	21215
2. Please indicate the Total number of employees hired on temporary/ contractual/ casual basis	Nil
3. Please indicate the number of permanent women employees	6822
4. Please indicate the permanent number of employees with permanent disabilities	386
5. Do you have an employee association that is recognized by the management	Yes
6. What is the percentage of your employees is members of this recognized employees association	Officers – 81.4% Award Staff – 71.34%

7. कृपया पिछले वित्तीय वर्ष में और वित्तीय वर्ष के अंत में लंबित बाल मज़दूरी, बंधुआ मज़दूरी, अनिच्छा मज़दूरी, यौन उत्पीडन से संबंधित शिकायतों की संख्या दर्शाएँ।	

क्रम सं.	वर्ग	वित्तीय वर्ष के दौरान की गई शिकायतों की संख्या	वित्तीय वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या
1.	बाल मज़दूर/ बंधुआ मज़दूर//अनिच्छा मज़दूर	शून्य	शून्य
2.	यौन उत्पीडन	शून्य	शून्य
3.	पक्षपाती रोजगार	शून्य	शून्य

8. अधोलिखित आपके कर्मचारियों को पिछले वर्ष में दी गई सुरक्षा और कुशलता उन्नयन प्रशिक्षण का प्रतिशत क्या है ?	अधिकारी 53.87% लिपिक 18.41% अधीनस्थ कर्मचारी 9.13%

सिद्धांत 4 : कारोबारों को सभी स्टेकधारकों, खासकर वंचित, पिछड़े हुए, मामूली स्टेकधारकों के हितों का सम्मान और रक्षा करनी चाहिए।

1. क्या कंपनी ने अपने आंतरिक एवं बाह्य स्टेकधारकों का वर्गीकरण किया है ? हाँ / नहीं	• शेयरधारकों को विविध वर्गों में वर्गीकृत किया गया है अर्थातः सरकारी, विदेशी संस्थागत निवेशक/ विदेशी संविभाग निवेशक, वित्तीय संस्थाएं, बीमा कंपनियां, म्यूचुअल फंड्स, बैंक और वैयक्तिक इत्यादि। • ग्राहकों को बड़े कार्पोरेट, मध्यम कार्पोरेट, छोटे एवं मध्यम उद्यम एवं खुदरा ग्राहकों के रूप में विभाजित किया गया है। • मासंप्र विभाग, बैंक कर्मचारियों के हित में कार्य करता है।
2. उपरोक्त में से, क्या कंपनी ने वंचित, पिछड़े हुए और मामूली स्टेकधारकों की पहचान की है?	हाँ • इंडियन बैंक ने वंचित, पिछड़े और मामूली स्टेकधारकों की पहचान की है, जिनमें छोटे और सीमान्त किसान, किरायेदार व पट्टेदार किसान, भूमिरहित मजदूर एवं ग्रामीण महिलाओं को शामिल किया गया है। उनको किसान क्रेडिट कार्ड, एग्री जेवर ऋण, स्वयं सहायता समूह, संयुक्त देयता समूह, किसान पुनरुद्धारण योजना, प्रधानमंत्री जन–धन योजना (पीएमजेडीवाई) आदि विशेष ऋण सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।
3. क्या कंपनी द्वारा वंचित, पिछड़े हुए और मामूली स्टेकधारकों के हित में विशेष पहल की गई है? यदि ऐसा है तो उसका विवरण 50 शब्दों में दें।	• इंडियन बैंक ने 19 वित्तीय साक्षरता केन्द्रों (एफएलसी) के माध्यम से 232127 व्यक्तियों को वित्तीय परामर्श प्रदान किया है। • इंडियन बैंक ने "इंडियन बैंक स्व–रोजगार प्रशिक्षण संस्थान" (इंडसेटी) के नाम पर 12 केन्द्रो में आरसेटी की स्थापना की है और शुरुआत से मार्च 2017 तक 1418 बैचों में 40284 व्यक्तियों को स्व–रोजगार प्रशिक्षण प्रदान किया है।

सिद्धांत 5 : कारोबारों को मानव अधिकार का सम्मान और बढावा देना चाहिए।

1. क्या मानव अधिकार पर कंपनी की नीति सिर्फ कंपनी को कवर करती है या समूह/ संयुक्त उपक्रम/आपूर्तिकर्ता/संविदाकार/ एनजीओ / अन्य तक भी विस्तारित है ?	हाँ • बैंक के पास कोई अलग मानव अधिकार नीति नहीं हैं। तथापि ये पहलू बैंक की मानव संसाधन नीति और व्यवहार के तहत कवर किए गए हैं।
2. पिछले वित्तीय वर्ष में कितने स्टेकधारक शिकायतें प्राप्त हुई हैं और प्रबंधन द्वारा कितने प्रतिशत का संतोषजनक हल किया गया था?	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या-35 निपटायी गयी शिकायतों का प्रतिशत 100%

<table>
<tr><td>7. Please indicate the Number of complaints relating to child labor, forced labor, involuntary labor, sexual harassment in the last financial year and pending, as on the end of the financial year</td><td>
<table>
<tr><th>Sr. No.</th><th>Category</th><th>No. of complaints filed during the financial year</th><th>No. of complaints pending as on end of the financial year</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>Child labour/ foced labour/ involuntary labour</td><td>NIL</td><td>NIL</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Sexual Harassment</td><td>NIL</td><td>NIL</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>Discriminatory Employment</td><td>NIL</td><td>NIL</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8. What percentage of your under mentioned employees were given safety & skill up-gradation training in the last year?</td><td>Officers 53.87%
Clerks 18.41%
Substaff 9.13%</td></tr>
</table>

Principle 4 : Business should respect the interests of and be responsive towards all stakeholders, especially those who are disadvantaged, vulnerable and marginalized.

1. Has the company mapped its internal and external stakeholders? Yes/ No	• Shareholders are classified into different categories viz., Government, Foreign Institutional Investors/Foreign Portfolio Investors, Financial Institutions, Insurance Companies, Mutual Funds, Banks, individuals, etc., • Customers are segmented into large corporate, Mid-corporate, Small and Medium Enterprises and Retail customers • Human Resource Department looks after the interest of the Bank employees
2. Out of the above, has the company identified the disadvantaged, vulnerable & marginalized stakeholders	Yes • Bank has identified the disadvantaged, vulnerable and marginalized stake holders which include Small and Marginal Farmers, Tenant and Leased Farmers, landless labourers and Rural Women. They are provided with special credit facilities like Kisan Credit Card, Agri, Jewel Loan, Self Help Groups, Joint Liability Group, Ryot Punarudharan Yojana, Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY), etc.
3. Are there any special initiative taken by the company to engage with the disadvantaged, vulnerable and marginalized stakeholders. If so, provide details thereof, in about 50 words or so.	• Bank has provided Financial counseling to 232127 individuals through 19 FLCs. • Indian Bank has established 12 RSETIs in the name of Indian Bank Self employment Training Institute and imparted self employment trainings to 40284 individuals in 1418 batches up to March 2017, cumulatively since inception.

Principle 5 : Businesses should respect and promote human rights

1. Does the policy of the company on human rights cover only the company or extend to the Group/Joint Ventures/suppliers/ Contractors/NGOs/Others?	Yes • Bank does not have a separate Human Rights Policy. However, these aspects are covered under Human Resources Policies and Practices of the Bank.
2. How many stakeholder complaints have been received in the past financial year and what percent was satisfactorily resolved by the management?	No. of Complaints Received during the year-35 Percentage of complaints resolved 100%

सिद्धांत 6 : कारोबार को पर्यावरण का सम्मान, सुरक्षा और पुनः स्थापित करने की कोशिश करनी चाहिए

1. क्या सिद्धांत 6 सिर्फ कंपनी को कवर करती है या समूह / संयुक्त उपक्रम / आपूर्तिकर्ता / संविदाकार / एनजीओ / अन्य तक भी विस्तारित है।	हाँ
2. क्या कंपनी के पास वैश्विक पर्यावरण मुद्दों जैसे मौसम परिवर्तन, वैश्विक ताप इत्यादि के विषय में नीतियां / पहल हैं? हाँ / नहीं। यदि हाँ तो वेबपेज के लिए हायपरलिंक दें।	हाँ • बैंक ने हरियाली और ग्लोबल वार्मिंग को ध्यान में रखकर पूरे भारत में 3 लाख पौधे रोपण किया है। • बगीचे / ग्रीन स्पोट्स प्रमुख क्षेत्रों पर बनाए जाते हैं।
3. क्या कंपनी संभाव्य पर्यावरणीय जोखिम की पहचान और आकलन करती है ? हाँ / नहीं	हाँ
4. क्या कंपनी के पास कोई स्वच्छ विकास प्रणाली से संबंधित परियोजना है? यदि हाँ तो इसका ब्यौरा लगभग 50 शब्दों में दें। यदि हाँ तो क्या कोई पर्यावरणीय अनुपालन दर्ज किया गया है?	अपने व्यवसाय के स्वरूप के कारण बैंक के पास कोई स्वच्छ विकास प्रणाली नहीं है।
5. क्या कंपनी ने स्वच्छ तकनीकी, उर्जा दक्षता, नवीकरणीय उर्जा इत्यादि पर कोई अन्य कदम उठाया है, हाँ / नहीं, यदि हाँ, तो कृपया वेबपेज के लिए हायपरलिंक दें।	हाँ 1. कार्पोरेट कार्यालय बिल्डिंग में वर्षा जल का संचयन किया जाता है। 2. बैंक के परिसर में ऊर्जा बचाने के लिए ऊर्जा–दक्ष (स्टार रेटेड इलेक्ट्रिकल) उपकरण लगाए किए गए हैं। 3. संसाधन और ऊर्जा के अपव्यय को कम करने हेतु कदम उठाए गए हैं। 4. बैंक में ऊर्जा–दक्ष एलईडी लाइट का उपयोग किया जाता है। 5. प्लास्टिक के उत्पादों के बजाय पर्यावरण के अनुकूल टयवेक सामग्री का उपयोग किया जाता है। 6. गन्दे पानी के शुद्धिकरण हेतु संयत्र 25,000 लिटर प्रतिदिन के आउटपुट के साथ कार्पोरेट कार्यालय रायपेट्टा में उपलब्ध कराई गई है। 7. नेट बैंकिंग के माध्यम से भुगतान / लेनदेन को प्रभावी किया गया है। (चेक बुक, चालान, प्राप्तियां इत्यादि के उपयोग में महत्वपूर्ण कटौतियाँ हुई हैं) 8. विक्रेताओं, सेवा प्रदाताओं आदि को सभी प्रकार के भुगतान चेक के द्वारा न करके इलेक्ट्रानिक माध्यम से किया जाता है।
6. वित्तीय वर्ष हेतु सीपीसीबी / एसपीसीबी द्वारा अनुमत की गई सीमा के अंतर्गत कंपनी ने जितना भी उत्सर्जन / कचरा उत्पादित किया हैं, क्या उनकी रिपोर्ट की जा रही है?	लागू नहीं
7. वित्तीय वर्ष के अंत में सीपीसीबी / एसपीसीबी से प्राप्त (जैसे संतुष्टि होने तक हल नहीं की गई) कारण बताओ / विधिक नोटिसें जो लंबित हैं, की संख्या कितनी है?	शून्य

सिद्धांत 7 : ऐसे कारोबार, जो जनता और नियामक नीति को प्रभावित करने में लगे हुए हैं, उसे जिम्मेदार तरीके से करें।

1. क्या आपकी कंपनी किसी ट्रेड और चैंबर या संघ का सदस्य है? यदि हाँ, तो उनमें से प्रमुख के नाम बताए जिनके साथ आपका व्यापार होता है।	हाँ आईबीए, एनआईबीएम, आईआईबीएफ, आईबीपीएस
2. क्या आपने जनहित की प्रगति या सुधार हेतु उपरोक्त संघों द्वारा तीव्र रूप से कार्य कराया है? हाँ / नहीं : यदि हाँ तो व्यापक क्षेत्र का विवरण दें। (ड्रॉप बाक्सः शासन और प्रशासन, आर्थिक सुधार, समावेशी विकास नीति, ऊर्जा सुरक्षा, पानी, खाद्य सुरक्षा संधारणीय व्यवसाय सिद्धांत अन्य)	बैंक ने समय–समय पर बैंकिंग उद्योग के सतत विकास हेतु नीति निर्माताओं और नीति निर्धारण संघों की नीतियों का समर्थन किया है।

Principle 6 : Business should respect, protect and make efforts to restore the environment.

1. Does the policy related to Principle 6 cover only the company or extends to the Group/ Joint Ventures/ Suppliers/ Contractors/ NGOs/ others.	Yes
2. Does the Company have strategies/ initiatives to address global environmental issues such as climate change, global warming, etc? Y/N. if yes, please give hyperlink for webpage etc	Yes • Bank has planted 3 lakh saplings Pan India to address the issue of greenery & global warming • Gardens/ green spots are maintained at prime locations.
3. Does the company identify and assess potential environmental risks? Y/N	Yes
4. Does the company have any project related to Clean Development Mechanism? If so, provide details thereof, in about 50words or so. Also, if Yes, whether any environmental compliance is filed?	Given the nature of business, Bank does not have a Clean Development Mechanism.
5. Has the company undertaken any other initiative on clean technology, energy efficiency, renewable energy, etc. Y/N. If yes, please give hyperlink for web page etc	Yes 1. Rain Water harvesting in Corporate Office building 2. Energy efficient (Star rated electrical) equipment installed to save energy at all our premises 3. Steps taken to reduce wastages of resources and energy. 4. Energy Efficient LED light fixtures are used in the Bank. 5. Eco friendly Tyvek material is used instead of plastic products. 6. Sewerage Treatment Plant is provided at Corporate Office, Royapettah, with an output of 25,000 litres/day. 7. Payments / Transactions are effected through Net Banking (considerable reduction in use of cheque books, challans, receipts, etc.) 8. All payments to vendors, service providers etc. are made through electronic remittances and not through cheques.
6. Are the Emissions/Waste generated by the company within the permissible limits given by CPCB/SPCB for the financial year being reported?	NA
7. Number of show cause/legal notices received from CPCB/SPCB which are pending (i.e. not resolved to satisfaction) as on end of Financial Year	NIL

Principle 7 : Businesses, when engaged in influencing public and regulatory policy, should do so in a responsible manner

1. Is your company a member of any trade and chamber or association? If Yes, Name only those major ones that your business deals with:	YES • IBA, NIBM, IIBF, IBPS
2. Have you advocated /lobbied through above associations for the advancement or improvement of public good? Yes/No; if yes specify the broad areas (drop box: Governance and Administration. Economic Reforms, Inclusive Development Policies, Energy security, Water, Food Security, Sustainable Business Principles, Others).	The Bank from time to time has advocated the policies to policymakers and policy-making associations, for sustainable development of banking industry.

सिद्धांत 8 : कारोबारों को समावेशी विकास और न्यायोचित विकास का समर्थन करना चाहिए

1. क्या कंपनी ने सिद्धांत 8 से संबंधित नीति के अनुसरण में कार्यक्रम / पहल / परियोजनाएं निर्दिष्ट की है?	इंडियन बैंक ने चित्तूर, मछलिपट्नम (आंध्र प्रदेश), कडलूर, धर्मपुरी, कांचीपुरम, कृष्णगिरि, नामक्कल, सेलम, तिरुवण्णामलै, तिरुवल्लूर, वेलूर और विल्लुपुरम (तमिलनाडु), कोल्लम चडयमंगलम तथा पारस्साला (केरल में) और पुदुच्चेरी (पुदुच्चेरी संघ शासित क्षेत्र में) में वित्तीय साक्षरता केन्द्रों के माध्यम से क्षमता वर्धक पहल की है। चेन्नै, दिल्ली और मुंबई में बैंक की वित्तीय समावेशन पहलों की दिशा में प्रवासी श्रमिकों तथा झोंपडपट्टियों के निवासियों के हित के लिए शहरी वित्तीय साक्षरता केन्द्र स्थापित किए गए हैं। अब तक इन 19 एफएलसी के माध्यम से कुल मिलाकर 232127 व्यक्तियों को वित्तीय परामर्श दिए गए हैं।
2. यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा दीजिए	बैंक ने ''इंडियन बैंक स्व–रोजगार प्रशिक्षण संस्थान'' (आईएनडीएसईटीआई) के नाम पर 12 केन्द्रों में आरएसईटीआई की स्थापना की है जैसे चित्तूर, कडलूर, धर्मपुरी, कांचीपुरम, कृष्णगिरि, नामक्कल, पुदुच्चेरी, सेलम, तिरुवण्णामलै, तिरुवल्लूर, वेलूर और विल्लुपुरम। इन इंडसेटियों द्वारा 1418 बैचों में 40284 अभ्यर्थियों को स्वनियोजन प्रशिक्षण दिया गया। बैंक देशभर में समाज की बैंकिंग सुविधाओं से वंचित वर्गों के लिए बुनियादी बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के दृष्टिकोण के साथ वित्तीय समावेशन योजना को कार्यान्वित कर रहा है। अब तक बैंक ने विभिन्न सुपुर्दगी चैनलों के माध्यम से पूरे भारत में 2975 एसएसए में बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार किया है। वित्तीय समावेशन के तहत गांवों में 32.48 लाख ग्राहकों को कवर किया गया तथा खाता धारकों के लिए ओवरड्राफ्ट सुविधाओं को रु. 15.63 करोड़ की सीमा तक बढ़ाया गया।
2. क्या इन–हाउस टीम/स्वयं के संस्थान /बाह्य एनजीओ सरकारी संरचनाओं/ अन्य संगठनों द्वारा कार्यक्रम/परियोजनाएं ली गई हैं ?	बैंक ने गरीब एवं दलित लोगों को प्रशिक्षण देने के लिए 'ग्रामीण विकास हेतु इंडियन बैंक ट्रस्ट' (आईबीटीआरडी) के नाम से एक ट्रस्ट स्थापित किया एवं इनके द्वारा विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।
3. क्या आपने अपनी पहल के प्रभाव का कोई निर्धारण किया है ?	इंडसेटियों के असर तथा प्रभावशीलता को मानिटर करने हेतु आरसेटियों के लिए मानिटरिंग सेल द्वारा वार्षिक ग्रेडिंग के आधार पर मानिटर किया जाता है ताकि उचित प्रतिक्रिया मिलें और आगे इंडसेटियों को सुदृढ़ बनाने के किए कदम उठाये जा सके। वर्ष 2015–16 के दौरान, सभी 12 इंडसेटियों की ग्रेडिंग की गई है तथा दस संस्थानों ने एए ग्रेड, एक ने एबी ग्रेड और एक ने बी.बी ग्रेड प्राप्त किया है। 2016–17 के लिए अभी ग्रेडिंग की जानी बाकी है।
4. आपकी कंपनी का समुदाय विकास परियोजना में प्रत्यक्ष रूप से क्या योगदान है। आईएनआर में राशि और चलाई जा रही परियोजना के विवरण दें।	वर्ष 2016–17 के दौरान ट्रस्ट (आईबीटीआरडी) ने इंडसेटियों और एफएलसी के माध्यम से क्षमता निर्माण गतिविधियों के जरिए समुदाय विकास के लिए कुल 3.37 करोड़ रुपये की राशि खर्च की है। उक्त के अतिरिक्त, बैंक ने विभिन्न सीएसआर कार्यक्रमों के साथ–साथ कन्या सरकारी उच्च विद्यालय में शौचालयों का निर्माण, 3 लाख से अधिक पौधों का रोपण, डिजिटल बैंकिंग के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करना, स्वच्छता अभियान आदि जैसे गतिविधियों में भी रु.2.65 करोड़ खर्च किए हैं।
5. क्या आपने यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाएं हैं कि समुदायों द्वारा आपके प्रयासों को सफलतापूर्वक अपनाया गया है? अगर ऐसा है तो कृपया 50 शब्दों में बताएं।	प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को स्व–रोजगार गतिविधियाँ अपनाने की सुविधा प्रदान करने के लिए इंडसेटियों द्वारा व्यवस्थित फॉलो–अप एवं काउन्सलिंग सेवाएं चलाई जा रही हैं। अभ्यर्थियों को अपने पैरों पर खड़े होने के लिए पड़ोसी बैंक की शाखाओं के साथ प्रशिक्षुओं के ऋण सहबद्धता हेतु विशिष्ट प्रयास किए जाते हैं।

Principle 8 : Businesses should support inclusive growth and equitable development

1. Does the company have specified programmes/initiatives/projects in pursuit of the policy related to Principle 8	Indian Bank has taken up capacity building initiatives through Financial Literacy Centres at Chittoor, Machilipatnam, (Andhra Pradesh), Cuddalore, Dharmapuri, Kancheepuram, Krishnagiri, Namakkal, Salem, Tiruvannamalai, Tiruvallur, Vellore and Villupuram (Tamil Nadu), Kollam, Chadayamangalam and Parassala (Kerala), Puducherry (UT of Puducherry). Urban Financial Literacy Centres have been established in Chennai, Delhi and Mumbai for the benefit of migratory workers and slum dwellers as part of Bank's initiatives in financial inclusion. A total of 232127 individuals were provided financial counseling through these 19 FLCs.
2. If yes details thereof	Indian Bank has established RSETIs in the name of Indian Bank Self Employment Training Institutes (INDSETIs) in twelve centres viz. Chittoor, Cuddalore, Dharmapuri, Kancheepuram, Krishnagiri, Namakkal, Puducherry, Salem, Tiruvannamalai, Tiruvallur, Vellore and Villupuram. A total of 40284 candidates were given self employment training in 1418 Batches through these INDSETIs. Indian Bank is implementing Financial Inclusion Plan with a vision to provide basic banking facilities to the unbanked segments of the society across the country. Indian Bank has so far extended banking facilities to 2975 SSAs pan India through various delivery channels. Basic Savings Bank Deposit Accounts/PMJDY accounts have been opened for 32.48 lakh customers in the villages covered under financial inclusion and Overdraft facilities to the extent of ₹15.63 crore have also been extended to the account holders.
2. Are the programmes/projects undertaken through in-house team/own foundation/external NGO/government structures/any other organization?	Bank has set up a Trust by name "Indian Bank Trust for Rural Development" (IBTRD) for imparting training to the poor and downtrodden people and conducts various training programmes.
3. Have you done any impact assessment of your initiative?	Impact and effectiveness of INDSETIs is monitored based on the annual grading exercise undertaken by the monitoring cell for RSETIs for getting proper feedback and initiate steps for further strengthening of INDSETIs. During the year 2015-16, all our Twelve INDSETIs have been graded and ten of the institutes have obtained AA grades, one AB grade and one BB grade. The grading for 2016-17 is yet to be done.
4. What is your companys direct contribution to community development projects- Amount in INR and the details of the projects undertaken	During the year 2016-17, the Trust (IBTRD) has spent a total amount of ₹3.37 crore towards Community Development activities through INDSETIs and FLCs by way of capacity building initiatives. In addition to the above, the Bank has also spent ₹2.65 Crore towards various CSR programmes including construction of toilets in Govt girls high schools, plantation of more than 3 lakh saplings, creating awareness among public on digital banking, cleanliness drive etc
5. Have you taken steps to ensure that this community development initiative is successfully adopted by the community? Please explain in 50 words, or so.	Systematic follow-up and counseling services are being undertaken by our INDSETIs to facilitate the trained candidates to adopt self employment activities. Specific efforts are also made for credit linkage of the trainees with neighbouring bank branches to enable the candidates to stand on their own legs.

सिद्धांत 9 : व्यापारिक संगठनों द्वारा अपने ग्राहकों एवं उपभोक्ताओं को उत्तरदायी तरीके से मूल्यवर्धन के साथ सेवाएं प्रदान की जानी चाहिए।

1. वित्तीय वर्ष के अंत में लंबित शिकायतें / ग्राहक मामले का प्रतिशत कितना है?	0.47 प्रतिशत या 99 शिकायते, जिसे तत्पश्चात कम किया गया।
2. क्या कंपनी के द्वारा स्थानीय कानून के तहत उत्पाद के लेबल पर उत्पाद की जानकारी लिखी होती हैं? हाँ / नहीं / लागू नहीं / टिप्पणी (अतिरिक्त जानकारी)	लागू नहीं
3. गत पांच वर्षों में एवं वित्तीय वर्ष के अंत में, अनुचित व्यापार पद्धतियों के प्रयोग, गैर जिम्मेदार विज्ञापनों और / या गैर प्रतिस्पर्धी व्यवहार के लिए, क्या किसी स्टेक धारक ने कंपनी के विरुद्ध कोई वाद दायर किया है? यदि हाँ, तो उसके विवरण दें।	किसी भी शेयरधारक ने वर्ष के दौरान बैंक के खिलाफ कोई भी मुकदमा दायर नहीं किया है।
4. क्या आपकी कंपनी द्वारा ग्राहक सर्वेक्षण / ग्राहक संतुष्टि रुझान कार्यक्रम चलाए जाते हैं ?	हाँ

अनुषंगियाँ

- बैंक की दो अनुषंगियाँ हैं। इनके नाम इंड बैंक मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज़ लि. और इंड बैंक हाउसिंग लिमिटेड है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

- बैंक ने तीन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक प्रायोजित किए हैं, नामतः सप्तगिरि ग्रामीण बैंक – मुख्यालय चित्तूर, पल्लवन ग्राम बैंक – मुख्यालय सेलम (तमिलनाडू) और पुदुवै भारतियार ग्राम बैंक – मुख्यालय पुदुच्चेरी (केंद्र शासित प्रदेश पुदुच्चेरी)
- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का शाखा नेटवर्क जोकि मार्च 2016 में 454 था, मार्च 2017 को 44 शाखाओं की वृद्धि के साथ 498 हो गया ।
- तीनों क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का कुल कारोबार मार्च 2016 को 13356.09 करोड़ रुपया था जबकि मार्च 2017 के अंत में 15940.07 करोड़ रुपया हो गया।
- सप्तगिरि ग्रामीण बैंक की 202 शाखाएँ हैं और कुल कारोबार रु 8392.12 करोड़ है (जमा राशियाँ रु4473.15 करोड़ और अग्रिम रु 3918.97 करोड़)
- पल्लवन ग्राम बैंक की कुल 256 शाखाएँ हैं और कुल कारोबार रु 6537.31 करोड़ (जमा राशियाँ रु3929.73 करोड़ और अग्रिम रु 3207.58 करोड़)
- पुदुवै भारतियार ग्राम बैंक की 40 शाखाएँ हैं और कुल कारोबार रु 1010.64 करोड़ है (जमा राशियाँ रु 547.40 करोड़ और अग्रिम रु 463.24 करोड़)
- तीनों क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक लाभार्जक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं।

खेल के क्षेत्र में प्राप्त उपलब्धियां :

- **खेल के क्षेत्र में भी पीछे रहे, बिना बैंक के कर्मचारियों ने खेल के मैदान में अपने कोशिशों के बल पर संगठन के लिए ख्याति अर्जित की। ऐसी कुछ उपलब्धियां निम्नलिखित रूप में देखी जा सकती हैं :**
- जून 2016 में चेन्नै में आयोजित तमिलनाडु सीनियर स्टेट एथलेटिक चैम्पियनशिप में 8 एथलीटों भाग लिया एवं पदक जीते।
- जुलाई 2016 में हैदराबाद में आयोजित वरिष्ठ अंतर राज्य एथलेटिक चैम्पियनशिप में तमिलनाडु स्टेट टीम का प्रतिनिधित्व करने के लिए 3 एथलीटों का चयन किया गया।
- जुलाई 2016 को चेन्नै एथलेटिक्स लीग में 2 एथलीटों ने पदक जीता एवं सुश्री ए पी श्रीजा को भारतीय जूनियर टीम के लिए चुना गया।
- बैंक ने विभिन्न आयोजित खेलों में हिस्सा लिया एवं इसमें विजेता / उप विजेता चुने गए, जिसका विवरण निम्नवत है :

खेल कार्यक्रम	स्थिति
25 से 30 जून 2016 तक तमिलनाडु स्टेट लेवल बास्केटबॉल टूर्नामेंट	विजेता
21 से 25 सितंबर 2016 तक तमिलनाडु स्टेट लेवल बास्केटबॉल टूर्नामेंट	उप विजेता
17 से 22 अक्टूबर, 2016 तक तीसरा ऑल इंडिया इन्वेटेशनल बास्केटबॉल टूर्नामेंट	उप विजेता
10 से 12 जून 2016 तके ऑल इंडिया हॉकी टूर्नामेंट	उप विजेता
10 से 12 जुलाई 2016 तक राज्य स्तर हॉकी टूर्नामेंट	विजेता
इंडियन बैंक हॉकी ट्राफी मार्च 2017	विजेता
25 से 29 मई 2016 तक तमिलनाडु स्टेट लेवल 'टेक्समो कप' वॉलीबॉल टूर्नामेंट	विजेता
12 से 18 सितंबर 2016 तक तमिलनाडु स्टेट लेवल वॉलीबॉल टूर्नामेंट	उप विजेता

श्री सैयद सबीर पाशा पूर्व अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल खिलाड़ी और हमारे बैंक की फुटबॉल टीम के कोच को इंडियन फुटबॉल टीम में कोच के रूप में नामित किया गया है एवं चीन तथा इराक में आयोजित एशियाई फुटबॉल चैम्पियनशिप में उन्होंने हिस्सा लिया है। इसके अलावा, वें वर्ष 2016 को इंडियन सॉकर लीग में चेन्नैयन एफसी के कोच भी थे।

Principle 9: Businesses should engage with and provide value to their customers and consumers in a responsible manner

1. What percentage of customer complaints/consumer cases are pending as on the end of financial year	0.47% or 99 complaints which was reduced subsequently
2. Does the company display product information on the product label, over and above what is mandated as per local laws? Yes/No./ N.A/ Remarks (additional information)	NA
3. Is there any case filed by any stakeholder against the company regarding unfair trade practices, irresponsible advertising and/or anti-competitive behavior during the last five years and pending as on end of financial year. If so, provide details thereof, in about words or so	No shareholder has filed any suit against the bank during the year.
4. Did your company carry out any consumer survey/consumer satisfaction trends?	Yes

SUBSIDIARIES

- The Bank has two subsidiaries viz., Ind Bank Merchant Banking Services Ltd., and Ind Bank Housing Ltd.

REGIONAL RURAL BANKS

- Bank has three sponsored Regional Rural Banks viz, Saptagiri Grameena Bank headquartered at Chittoor (Andhra Pradesh), Pallavan Grama Bank, headquartered at Salem (Tamil Nadu) and Puduvai Bharathiar Grama Bank headquartered at Puducherry (Union Territory of Puducherry).
- The branch network of the three RRBs increased by 44 branches during the year from 454 as of March 2016 to 498 branches as of March 2017.
- The total business of the three RRBs was ₹15,940.07 crore as of March 2017 as compared to ₹13,356.09 crore as of March 2016.
- Saptagiri Grameena Bank has 202 branches with a total business of ₹8,392.12 crore. (Deposits: ₹4473.15 crore and advances ₹3918.97 crore)
- Pallavan Grama Bank has 256 branches with a total business of ₹6,537.31 crore (Deposits: ₹3,929.73 crore and advances ₹3207.58 crore.
- Puduvai Bharathiar Grama Bank has 40 branches with a total business of ₹1010.64 crore (Deposits: ₹547.40 crore and advances: ₹463.24 crore)
- All the three RRBs are profit making RRBs.

ACHIEVEMENT IN THE SPORTING FRONTIER:

- Not to be left behind, the employees of the Bank brought laurels to the organization with their efforts in the sporting arena. Few such feats are as follows:
- 8 Athletes participated in the Tamilnadu Senior State Athletic Championship held at Chennai during June 2016 and won medals.
- 3 Athletes were selected to represent the Tamilnadu State team in the Senior Inter State Athletic Championship held at Hyderabad in July 2016.
- 2 Athletes won medals at the Chennai Athletics League at Chennai July 2016 and Ms. A P Srija was selected for the Indian Junior team.
- Bank participated in various sporting events and was adjudged winners/runners as detailed hereunder:

Sporting Event	Position
Tamilnadu State Level Basketball Tournament from 25th to 30th June 2016	Winners
Tamilnadu State Level Basketball Tournament from 21st to 25th September 2016	Runners
3rd All India Invitational Basketball tournament from 17th to 22nd October 2016	Runners
All India Hockey Tournament from 10th to 12th June 2016	Runners
State Level Hockey Tournament from 10th to 12th July 2016	Winners
Indian bank Hockey trophy March 2017.	Winners
Tamilnadu State Level "Texmo Cup" Volley Ball Tournament from 25th to 29th May 2016	Winners
Tamilnadu State Level Volley ball Tournament from 12th to 18th September 2016	Runners

Shri Syed Sabir Pasha Former International Football player and Coach of our Bank's Football Team has been nominated as the coach under Indian Football Team and took part in the Asian Football Championship held at China & Iraq. Also he was coach of the Chennaiyan FC in the Indian Soccer League for the year 2016.

कार्पोरेट अभिशासन 2016–17 पर रिपोर्ट

कॉर्पोरेट अभिशासन पर बैंक का दृष्टिकोण

कार्पोरेट अभिशासन अपने आप में एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके जरिए उपक्रमों को नियंत्रित एवं मार्गदर्शित किया जाता है ताकि नैतिक ढंग से उनकी धन–सृजन की क्षमता को बढाया जा सके। यह प्रबंधन, उसके बोर्ड, शेयरधारक और अन्य स्टेकधारकों के बीच उत्प्रेरक की भूमिका निभाता है ताकि संगठन के निर्धारित उद्देश्य हासिल किए जा सके और साथ ही निष्पादन पर निगरानी रखने के अलावा शेयरधारकों के धन को धारणीय तरीके से अधिकाधिक बनाने के अंतिम लक्ष्य के साथ उस क्षेत्र के कानूनों का अनुपालन करते हुए अपने दैनंदिन के कारोबार को अत्यंत सक्षम, पारदर्शी एवं नैतिक रूप से संचालित किया जा सके। यह ऐसी एक प्रक्रिया का प्रवर्तन है जिससे मूल्य, सिद्धान्त, नीतियां और प्रक्रियाएँ अत्यधिक प्रभावकारी ढंग से सिस्टम में अंतर्निहित एवं प्रकट कराए जाते हैं।

श्रेष्ठता हासिल करने के लिए बैंक, कार्पोरेट अभिशासन के सर्वोच्च स्तर तक पहुंचने के लिए प्रयासरत है और अपने उत्तरदायित्व, जो सभी स्टेकधारकों के लिए मूल्य को आपसी संवाद, आदर, स्पष्ट लक्ष्य और निर्णयात्मक नेतृत्व के जरिए बढाने के लिए प्रयत्न करते समय नैतिक व्यवहार के प्रति प्रतिबद्धता पर आधारित है, हासिल करने के लिए प्रयासरत है। बैंक स्वयं को सभी स्टेकधारकों का न्यासी मानता है और सुदृढ़ कॉर्पोरेट रणनीतियों, सक्रिय कारोबार योजनाओं एवं नीतिपरक एवं विधिक जिम्मेदारियों की पूर्ति के लिए नीतियों एवं कार्यप्रणालियों के माध्यम से प्राप्त की गई उनके धन के सृजन एवं रक्षण के प्रति अपने उत्तरदायित्व को अभिस्वीकार करता है। अभिशासन मानकों के अनुपालन के लिए उच्चस्तरीय प्रकटीकरण नीति के साथ बैंक के कॉर्पोरेट अभिशासन सिद्धांत लाभकर संवृद्धि हेतु सुदृढ़ रूप से कटिबद्ध हैं।

2. निदेशक मंडल की संरचना

निदेशक मंडल में तीन पूर्णकालिक निदेशक और सात गैर कार्यपालक स्वतंत्र निदेशक हैं।

मार्च 31, 2017 को निदेशक मंडल के विवरण निम्नवत् हैं:

क्रमांक	निदेशक का नाम	पदनाम	निदेशक पद का स्वरूप	नियुक्ति की तारीख
1.	श्री टी सी वेंकट सुब्रमणियन	अंश कालिक गैर–सरकारी निदेशक एवं गैर–कार्यपालक अध्यक्ष	गैर–कार्यपालक	14-08-2015
2.	श्री महेश कुमार जैन	प्रनि एवं मु का अ	कार्यपालक	02-11-2015
3.	श्री ए एस राजीव	कार्यपालक निदेशक	कार्यपालक	22-01-2016
4.	श्री एम के भट्टाचार्य	कार्यपालक निदेशक	कार्यपालक	16-02-2017
5.	सुश्री मुदिता मिश्रा	सरकारी नामिती	गैर–कार्यपालक	07-01-2016
6.	श्री जे के दाश	भा रि बैंक के नामिती	गैर–कार्यपालक	16-11-2016
7.	श्री विजय कुमार गोयल	लेखा परीक्षक निदेशक	गैर–कार्यपालक	26-07-2016
8.	श्री पद्मनाभन विट्ठल दास	अंश कालिक गैर–सरकारी निदेशक	गैर–कार्यपालक	25-04-2016
9.	श्री विनोद कुमार नागर	शेयरधारक निदेशक	गैर–कार्यपालक	01-07-2014
10.	श्री श्रीराम रामचन्द्रन	शेयरधारक निदेशक	गैर–कार्यपालक	01-07-2014

शेयरधारक निदेशकों को छोडकर सभी निदेशक भारत सरकार द्वारा नियुक्त / नामित किये गए हैं। 29.09.2016 तक श्री आर सुब्रमणिय कुमार बैंक के कार्यपालक निदेशक रहे। 31.10.2016 तक श्री बी पी विजयेन्द्र बैंक में भारिबैंक के नामिती निदेशक रहे। 28.05.2016 तक श्री पी वेंकट कृष्ण राव बैंक के कामगार कर्मचारी निदेशक रहे। 10.03.2017 तक श्री दीपक डी सामंत बैंक के अधिकारी कर्मचारी निदेशक रहे।

REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE 2016-17

Bank's Philosophy on Corporate Governance

Corporate Governance is by itself a process by which the entities are controlled and guided to enhance their wealth generating capacity in an ethical manner. It acts as a catalyst between Management, Board, shareholders and other stakeholders to achieve the set goals of the organization while abiding the law of the land in conducting its day to day business in a most efficient, transparent and ethical way with an ultimate objective of maximizing shareholders' wealth on a sustainable basis besides monitoring the performance. It is the evolution of a system by which the values, principles, policies and procedures are ingrained and manifested in the system in the most effective way.

In the pursuit of excellence, the Bank endeavors highest standard of Corporate Governance and committed to its responsibilities which is based on total commitment to ethical practices in the conduct of business while striving hard to enhance all stakeholders' value by mutual dialogue, respect, clear goals and decisive leadership. The Bank considers itself as a trustee of all the stakeholders and acknowledges its responsibility towards them by creating and safeguarding their wealth, attained through sound corporate strategies, proactive business plans, policies and procedures to satisfy the ethical and legal responsibilities. Bank's corporate governance principles are firmly rooted for generating profitable growth with high level of disclosure policies adhering to the governance standards.

2. Composition of Board of Directors

The Board of Directors comprises of three whole time Directors and seven Non Executive/Independent Directors.

Particulars of Board of Directors as on March 31, 2017 are as under:

No.	Name of Director	Designation	Nature of Directorship	Date of Appointment
1.	Shri T C Venkat Subramanian	Part-Time Non-Official Director & Non-Executive Chairman	Non-Executive	14.08.2015
2.	Shri Mahesh Kumar Jain	MD & CEO	Executive	02.11.2015
3.	Shri A S Rajeev	Executive Director	Executive	22.01.2016
4.	Shri M K Bhattacharya	Executive Director	Executive	16.02.2017
5.	Ms. Mudita Mishra	Government Nominee	Non-Executive	07.01.2016
6.	Shri J K Dash	RBI Nominee	Non-Executive	16.11.2016
7.	Shri Vijay Kumar Goel	Chartered Accountant Director	Non-Executive	26.07.2016
8.	Shri Padmanaban Vittal Dass	Part-Time Non-Official Director	Non-Executive	25.04.2016
9.	Shri Vinod Kumar Nagar	Shareholder Director	Non-Executive	01.07.2014
10.	Shri Sriram Ramachandran	Shareholder Director	Non-Executive	01.07.2014

All the directors have been appointed/nominated by the Govt. of India (GOI) except Shareholder Directors. Shri R Subramania Kumar was Executive Director up to 29.09.2016. Shri B P Vijayendra was RBI Nominee Director up to 31.10.2016. Shri P Venkata Krishna Rao was Workmen Employee Director up to 28.05.2016. Shri Deepak D Samant was Officer Employee Director up to 10.03.2017.

निदेशकों का प्रोफाइल :

श्री टी सी वेंकट सुब्रमणियन : आयु 67 वर्ष को दिनांक 14 अगस्त 2015 को बैंक के गैर–कार्यपालक अध्यक्ष एवं गैर–कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। उनकी बीए स्नातक उपाधि है तथा ये भारतीय बैंकर संस्थान के प्रमाणित एसोसियेट हैं। उन्हें बैंकिंग क्षेत्र में तीन दशकों से अधिक अवधि का अनुभव है तथा वे भारतीय निर्यात आयात बैंक से अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। वर्ष 1982 में एक्सिम बैंक आफ इंडिया में कार्यग्रहण करने के पहले इन्होंने बैंक ऑफ इंडिया तथा आईडीबीआई में कार्य किया था। सलाहकार के रूप में, इन्होंने एक्जिम बैंक ऑफ टर्की (टर्क एक्सिम बैंक) की स्थापना में सहायता प्रदान की। वर्तमान में ये मेसर्स एसटीसीआई फाइनॉन्स लि., मेसर्स एलआईसी – नोमुरा एमएफ ट्रस्टी कं.प्रा. लि., इन्वस्टेक कैपिटल सर्विसेस (इंडिया) प्रा लि., फाउंडेशन फॉर आर्गनाइसेशन रीसेर्च और एडुकेशन (ट्रस्ट), दिल्ली (एफओआरई स्कूल ऑफ मैनेजमेंट) के बोर्डों में स्वतंत्र/गैर–कार्यपालक निदेशक हैं। ये बैंक के ईक्विटी शेयर धारक नहीं हैं।

श्री महेश कुमार जैन, उम्र 55 वर्ष, ने 02 नवम्बर 2015 को इंडियन बैंक में कार्यपालक निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। इसके पहले, उनके पास 10.06.2015 से 01.11.2015 तक प्रबंधक निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार था। वे 27 सितंबर 2013 से बैंक के कार्यपालक निदेशक थे। उनकी एम.कॉम, एमबीए, सीएआईआईबी, सीएफए एवं एफआरएम की शैक्षिक उपाधियाँ हैं। इंडियन बैंक में कार्यभार ग्रहण करने से पहले वे सिंडिकेट बैंक में महाप्रबंधक थे और उन्होंने बंगलूर और मुबई सहित, देश के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य किया है। उन्होंने मुंबई क्षेत्र के प्रमुख का कार्यभार संभालने के अलावा ऋण, परिचालन, निवेश, जोखिम प्रबंधन जैसे विभागों सहित कई महत्वपूर्ण संविभाग संभाले। सिंडिकेट बैंक में कार्यभार ग्रहण करने के पहले पंजाब नेशनल बैंक में अपने सेवाकाल के दौरान उन्होंने सिंडिकेट बैंक में एकीकृत जोखिम प्रबंधन प्रणालियों को स्थापित किया तथा ऋण रेटिंग मॉडल को विकसित किया। ये बैंक के ईक्विटी शेयर धारक नहीं हैं। (आईडीबीआई बैंक लिमिटेड में इन्हें प्रनि एवं मुकाअ के रूप में नियुक्त करते हुए भारत सरकार के दिनांक मार्च 18, 2017 के पत्र के प्राप्त होने पर श्री महेश कुमार जैन ने अप्रैल 03, 2017 को इंडियन बैंक में प्रनि एवं मुकाअ के पद को त्याग दिया ताकि वे आईडीबीआई बैंक लिमिटेड में प्रनि एवं मुकाआ के पदभार को ग्रहण कर सकें।)

श्री किशोर खरात, उम्र 58 वर्ष ने अप्रैल 04, 2017 को इंडियन बैंक के प्रनि एवं मुकाअ का पदभार ग्रहण किया। इससे पहले अगस्त 14, 2015 से वे आईडीबीआई बैंक लिमिटेड में प्रनि एवं मुकाअ थे। अगस्त 2015 में आईडीबीआई बैंक लिमिटेड में प्रनि एवं मुकाअ के रूप में पदोन्नत होने के पहले ये मार्च 10, 2015 से यूनियन बैंक आफ इंडिया के कार्यपालक निदेशक रहे। ये वाणिज्य एवं विधि में स्नातक उपाधि प्राप्त हैं तथा भारतीय बैंकर्स संघ के प्रमाणित एसोसियेट हैं। इनको बिसिनस एडमिनिस्ट्रेशन में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त है। इन्होंने बैंक आफ बडौदा में अपना बैंकिंग करियर आरंभ किया, जहां इनका सफल सेवाकाल 37 वर्षों से अधिक रहा। बैंक आफ बडौदा में सेवारत रहते समय ट्रिनिडाड एण्ड टोबैगो, वेस्ट इंडीज़ में बैंक के विदेशी अनुषंगी की स्थापना का श्रेय इनको प्राप्त है तथा तीन साल से अधिक की अवधि के लिए ये उस अनुषंगी के प्रधान रहे। बैंक आफ बडौदा में अपने सेवाकाल के दौरान इनको बैंकिंग में प्रचुर अनुभव और ऋण, अंतर्राष्ट्रीय कारोबार, सूचना प्रौद्योगिकी और सामान्य प्रशासन जैसी विभिन्न महत्वपूर्ण पहलुओं में भारत में और विदेश में प्रगाढ अनुभव प्राप्त हुआ। वर्तमान में ये भारतीय बैंक संघ की जोखिम प्रबंधन और बेसल कार्यान्वयन की स्थायी समिति के वैकल्पिक अध्यक्ष हैं। ये सीआईआई की राष्ट्रीय बैंकिंग समिति के भी सदस्य हैं। ये बैंक के ईक्विटी शेयर धारक नहीं हैं।

श्री ए एस राजीव, उम्र 52 वर्ष, ने दिनांक 22 जनवरी 2016 को इंडियन बैंक में कार्यपालक निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। इंडियन बैंक में कार्यभार ग्रहण करने के पहले वे विजया बैंक के महाप्रबंधक और सीएफओ के पद पर थे। ये भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के एक स्थायी सदस्य हैं और उनके पास आईसीएआई से सूचना प्रणाली लेखा परीक्षा में डिप्लोमा, व्यवसाय प्रशासन में स्नातकोत्तर डिग्री और सीएआईआईबी की उपाधियाँ हैं। उन्होंने बैंक के वित्त, लेखा और कराधान, आयोजना एवं विकास, अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग/राजकोष, सतकर्ता और ऋण मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण का कार्य संभाला। ये विजया बैंक के चेन्नै और बंगलूर (उत्तर) क्षेत्रों के प्रधान रहे। विजया बैंक में कार्यभार ग्रहण करने के पहले उन्होंने इंडियन बैंक और सिंडिकेट बैंक में काम किया था। उन्होंने भारत / विदेशों में स्थित प्रतिष्ठित संस्थानों / संगठनों में विभिन्न सेमिनारों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लिया है। ये बैंक के ईक्विटी शेयरधारक नहीं है।

श्री एम के भट्टाचार्य, आयु 56 को फरवरी 16, 2017 को इंडियन बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। उनको वाणिज्य में स्नातकोत्तर उपाधि तथा सीएआईआईबी उपाधि प्राप्त है। ये इन्स्टिट्यट ऑफ कॉस्ट एण्ड वर्क्स एकाउंटण्ट्स (एआईसीडबल्यूए) के एसोसियेट सदस्य हैं। इन्होंने 1985 में स्टेट बैंक ग्रूप में परिवीक्षाधीन अधिकारी के रूप में चयन के बाद स्टेट बैंक आफ मैसूर में तैनात हुए तथा सहायक महा प्रबंधक के स्तर तक विभिन्न पदों पर काम किया। 2010 में उप महा प्रबंधक क रूप में पदोन्नति पर ये स्टेट बैंक आफ हैदराबाद में गए। 2013 में महा प्रबंधक के रूप में पदोन्नत होने पर स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर में तैनात हुए तथा यहां कई कार्यभार संभालने के बाद 2016 में इनको मुख्य महा प्रबंधक के रूप में पदोन्नत किया गया। स्टेट बैंक ग्रूप में कार्यरत रहते समय ये विभिन्न वेतनमानों में शाखा प्रधान रहे तथा इनको भारत भर में शाखा प्रबंधक के रूप में (22 वर्ष), क्षेत्र प्रमुख के रूप में (1 वर्ष) और माड्यूल प्रधान के रूप में (3 वर्ष) का प्रचुर अनुभव प्राप्त है। एसबीटी मे कार्यरत रहते समय इन्होंने बैंक के मुख्य जोखिम अधिकारी की भूमिका भी निभायी और महा प्रबंधक – व्यापार रणनीति, खुदरा बैंकिंग, एनआरआई बैंकिंग, बैंक के विदेश स्थित कार्यालयों का नियंत्रण आदि अन्य कार्यभार भी संभाला। ये बैंक के ईक्विटी शेयरधारक नहीं है।

सुश्री मुदिता मिश्रा, आयु 45 वर्ष को दिनांक जनवरी 07, 2016 के प्रभाव से इंडियन बैंक के सरकार नामिती निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। इनकी बी. ई (इलेक्ट्रॉनिक्स) तथा एमबीए (वित्त) में उपाधि हैं। इन्होंने अपने व्यावसायिक कैरियर को सितंबर 02, 2001 से देश के प्रमुख प्रतिबद्ध संगठन – भारतीय आयुध निर्माण सेवाएँ (ग्रूप ए) से शुरू की। वर्तमान में, ये भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएँ विभाग में निदेशक के रूप में अगस्त 2015 से पाँच वर्ष की अवधि के लिए कार्यरत हैं। ये दिनांक 23, दिसंबर 2015 से ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के बोर्ड में भी निदेशक हैं। ये बैंक के ईक्विटी शेयरधारक नहीं हैं।

श्री जे के दाश, आयु 51 वर्ष, को भारत सरकार द्वारा नवंबर 16, 2016 के प्रभाव से भारतीय रिजर्व बैंक के नामिती निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। ये अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर उपाधि के धारक हैं। वर्तमान में ये भारतीय रिजर्व बैंक, अहमदाबाद में क्षेत्रीय निदेशक हैं। विनियामक संस्था में कुछ दशकों की सेवा के बाद ये देश के केन्द्रीय बैंक में इस पद पर पदोन्नत हुए हैं। ये बैंक के ईक्विटी शेयरधारक नहीं है।

श्री विजय कुमार गोयल, आयु 52 वर्ष, को जुलाई 26, 2016 के प्रभाव से इंडियन बैंक के सनदी लेखाकार निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। ये बी.काम (हानर्स) और एफसीए उपाधियों के धारक हैं। ये प्रेक्टिस में लगे हुए सनदी लेखाकार हैं। ये पीएचडी चेंबर आफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्री तथा एफआईसीसीआई के सदस्य हैं। इन्होंने आधारभूत संरचना तथा उद्यमीवृत्ति विकास समिति की स्थापना की है। सौर ऊर्जा पर नीति के विकास के मुद्दे सरकार के साथ उठाए जाते हैं और साथ ही सौर ऊर्जा क्षेत्र के संबंध में सामरिक सलाह भी दी जाती है। इन्होंने कई व्यावसायिक कार्यक्रमों में भाग लिया है, यथा, 1. आईआईएम, कोलकाता से एमबीए प्रदान करनेवाला विशेष प्रबंधन कार्यक्रम, 2. आईएसबी, हैदराबाद का वेंचुअर कैपिटल डेवलपमेंट कार्यक्रम, 3. आईआईएम, अहमदाबाद से मूलभूत संरचना विकास एवं वित्तीयन और 4. आईआईएम, अहमदाबाद से पीपी और मूलभूत संरचना पर कार्यक्रम। इनको लेखा परीक्षा, समुचित सावधानी, कॉर्पोरेट पुनःसंरचना, परियोजना वित्तीयन, कार्यकारी पूंजी वित्त और प्रबंधन परामर्श में निपुणता प्राप्त है। ये नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में यूएस आधारित बडे निजी ईक्विटी निवेशकों के लिए सलाहकार हैं और इन्होंने भारतीय स्टेट बैंक, बैंक आफ बडौदा आदि बडे बैंकों की सांविधिक लेखा परीक्षा की है। ये बैंक के ईक्विटी शेयरधारक नहीं है।

श्री पद्मनाभन विट्ठल दास, आयु 67 वर्ष को दिनांक 25 अप्रैल 2016 के प्रभाव से भारत सरकार द्वारा तीन वर्ष की अवधि के लिए बैंक के बोर्ड में अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशक के रूप में नामित किया गया। श्री पद्मनाभन विट्ठल दास, जोकि एक अर्थशास्त्र के स्नातक हैं, 22 जुलाई, 1974 से 31 मई, 2010 तक भारत सरकार की सेवाओं में रहे तथा विशेष सचिव के रूप में सेवानिवृत्त हुए। वर्ष 1986 में इन्होंने गुजरात विश्वविद्यालय, अहमदाबाद से विधि उपाधि प्राप्त की। भारत सरकार के साथ इनके 35 वर्ष के सेवाकाल में, श्री पद्मनाभन विट्ठल दास ने देश के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों यथा, नई दिल्ली, अहमदाबाद, भोपाल तथा मुंबई में कार्य किये हैं। केन्द्र सरकार की सेवा से सेवानिवृत्त होने के बाद, इनको केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमाशुल्क बोर्ड में सदस्य (कार्मिक एवं सतर्कता) के रूप में नामित किया गया है। ये बैंक के ईक्विटी शेयरधारक नहीं है।

Profile of Directors:

Shri T C Venkat Subramanian, aged 67 years, was appointed as Non-Executive Chairman & Non-Official Director of the Bank from August 14, 2015. He holds B.E. degree and is a Certified Associate of Indian Institute of Bankers. He has an experience of more than three decades in the financial sector and retired as Chairman and Managing Director of Export Import Bank of India. Before joining EXIM Bank of India in 1982, he worked in Bank of India and IDBI. As a consultant he helped setting up EXIM Bank of Turkey (Turk Exim Bank). Currently he is an independent / Non-Executive Director on the Boards of M/s STCI Finance Limited, M/s LIC-Nomura MF Trustee Company Private Limited, Investec Capital Services (India) Private Limited and Foundation for Organization Research & Education (Trust), Delhi (FORE School of Management). He does not hold any Equity Shares of the Bank.

Shri Mahesh Kumar Jain, aged 55 years, assumed charge as MD & CEO of Indian Bank on November 02, 2015. Prior to this, he was holding additional charge of MD & CEO from June 10, 2015 to November 01, 2015. He was Executive Director of the Bank from September 27, 2013. He holds M.Com, MBA, CAIIB, CFA and FRM to his academic credit. Prior to joining Indian Bank, he was the General Manager of Syndicate Bank and has worked in several parts of the country, including Bangalore and Mumbai, handling important portfolios that include Credit, Operations, Investments, Risk Management etc. besides serving as Regional Head of Mumbai. Prior to joining Syndicate Bank, during his service in Punjab National Bank, he put in place Risk Management Architecture and developed Credit Rating Models for the Bank. He does not hold any Equity Shares of the Bank. (Consequent to Government of India letter dated March 18, 2017 appointing him as MD & CEO of IDBI Bank Limited, Shri Mahesh Kumar Jain demitted his office as MD & CEO of Indian Bank on April 03, 2017 to take charge as MD & CEO of IDBI Bank Limited.)

Shri Kishor Kharat, aged 58 years, assumed charge as MD & CEO of Indian Bank on April 04, 2017. Prior to this he was MD & CEO of IDBI Bank Limited since August 14, 2015. He was the Executive Director in Union Bank of India from March 10, 2015 till his elevation as MD & CEO of IDBI Bank Limited in August 2015. He is a Graduate in Commerce and Law and is a Certified Associate of the Indian Institute of Bankers. He also holds a Degree of Master of Business Administration. He started his professional banking career with Bank of Baroda where he had a long, successful stint of over 37 years. While in Bank of Baroda, he was credited with the establishment of a Foreign Subsidiary of the Bank in Trinidad & Tobago, West Indies and he headed the Subsidiary for more than three years. During his service in Bank of Baroda, he had wide banking experience and exposure in various crucial aspects which include Credit, International Business, Information Technology and General Administration, both within India and abroad. Presently, he is the Alternate Chairman of IBA Standing Committee on Risk Management and Basel Implementation. He is also a Member of the CII National Committee on Banking. He does not hold any Equity Shares of the Bank.

Shri A S Rajeev, aged 52 years, assumed charge as Executive Director of the Bank on January 22, 2016. Prior to joining Indian Bank he was General Manager & CFO of Vijaya Bank. He is a Fellow Member of the Institute of Chartered Accountants of India and holds Diploma in Information System Audit from ICAI, Masters Degree in Business Administration and CAIIB. He has handled Finance, Accounts & Taxation, Planning & Development, International Banking / Treasury, Vigilance and Credit Monitoring & Supervision of the Bank. He also headed Chennai & Bangalore North Regions of Vijaya Bank. Before joining Vijaya Bank, he has worked with Indian Bank and Syndicate Bank. He has attended various seminars and training programmes at well reputed Institutions / organizations in India / Abroad. He does not hold any Equity Shares of the Bank.

Shri M K Bhattacharya, aged 56 years, was appointed as the Executive Director of Indian Bank on February 16, 2017. He holds M.Com and CAIIB. He is an Associate Member of Institute of Cost & Works Accountant (AICWA). He joined State Bank Group as Probationary Officer in 1985 and was posted to State Bank of Mysore and had a stint there at various levels up to Assistant General Manager. He was promoted to DGM Cadre in 2010 and moved to State Bank of Hyderabad. On promotion to GM Cadre in 2013, he moved to State Bank of Travancore (SBT) and held various assignments and got promoted to Chief General Manager in 2016. During his stay at State Bank group he headed the branches at various scales and is having wide experience as Branch Head (22 years), Regional Head (1 year) and Module Head (3 years) spanning across India. While serving in SBT, he had also played role as Chief Risk Officer of the Bank and engaged in other assignments viz., General Manager-Business Strategy, Retail Banking, NRI Banking, Controlling foreign offices of the Bank. He does not hold any Equity Shares of the Bank.

Ms. Mudita Mishra, aged 45 years, was appointed as the Government Nominee Director of Indian Bank w.e.f. January 07, 2016. She holds B.E (Electronics) and MBA (Finance). She has commenced her professional career on September 02, 2001 from an organization of great commitment to the Nation-Indian Ordnance Factories Services (Group A). She is presently the Director, Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India, New Delhi from August 2015 for a five year term. She is also a Director in the Board of Oriental Insurance Company Limited with effect from December 23, 2015. She does not hold any Equity Shares of the Bank.

Shri J K Dash, aged 51 years, was appointed as the RBI Nominee Director of Indian Bank by the Government of India from November 16, 2016. He holds Master's degree in Economics. He is presently the Regional Director of Reserve Bank of India, Ahmedabad. He has risen to the present position with the Central Bank of the country after a few decades of service with the Regulator. He does not hold any Equity Shares of the Bank.

Shri Vijay Kumar Goel, aged 52 years, was appointed as Chartered Accountant Director of Indian Bank from July 26, 2016. He holds B.Com (Hons), and FCA. He is a practicing Chartered Accountant. He is a member of PHD Chamber of Commerce & Industry and FICCI. He has founded a Society for Development of Infrastructure and Entrepreneurship. Policy development issue on Solar Power are being taken up with Government besides extending strategic advice on the Solar Power Sector. He has undergone professional programmes like (i) Special Management Programme leading to MBA from IIM, Kolkata, (ii) Venture Capital Development Programme of ISB, Hyderabad, (iii) Infrastructure Development & Financing from IIM, Ahmedabad, and (iv) Programme on PP & Infrastructure at IIM, Ahmedabad. He has expertise in Audit, Due Diligence, Corporate Restructuring, Project Financing, Working Capital Finance and Management Consultancy. He is an Advisor to a large US-based Private Equity Investors in Renewable Energy Sector and has conducted Statutory Audit of large banks like SBI, Bank of Baroda etc. He does not hold any Equity Shares of the Bank.

Shri Padmanaban Vittal Dass, aged 67 years, was nominated as a Part Time Non-Official Director on the Board of the Bank by Government of India for a period of three years with effect from April 25, 2016. Shri Padmanaban Vittal Dass, an Economics Graduate, was in the services of Government of India between July 22, 1974 and May 31, 2010 and retired as Special Secretary. In 1986, he became a Law Graduate from the Gujarat University, Ahmedabad. During his official career spanning over 35 years with Government of India, Shri Padmanaban Vittal Dass has served at different geographical locations in the country like New Delhi, Ahmedabad, Bhopal and Mumbai. After superannuation from Central Government service, he was nominated as a Member (Personnel & Vigilance) in the Central Board of Excise & Customs. He does not hold any Equity Shares of the Bank.

श्री विनोद कुमार नागर, 65 वर्ष, को बैंक के शेयरधारक–निदेशक के रूप में जुलाई 01, 2014 से 3 वर्षों की अवधि के लिए निर्वाचित किया गया। ये सिंडिकेट बैंक के सेवानिवृत्त कार्यपालक निदेशक हैं। ये बी.टेक्स्ट, विपणन एवं बिक्री प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमाधारक और एमबीए हैं। ये 25 वर्ष से अधिक अवधि का अनुभव प्राप्त करियर बैंकर हैं। सिंडिकेट बैंक में कार्यभार ग्रहण करने के पहले इन्होंने पंजाब नेशनल बैंक, नई दिल्ली में मुख्य महा प्रबंधक के रूप में काम किया। कई वर्षों के लिए इन्होंने क्षेत्रीय प्रबंधक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के अध्यक्ष और अंचल प्रबंधक के रूप में अग्रणी पदों पर काम किया। ये पंजाब नेशनल बैंक में ऋण समिति, निवेश समिति, मानव संसाधन प्रबंधन समिति, सीबीएस कार्यान्वयन के लिए स्टीयरिंग समिति और उच्चतम स्तरीय समझौता समिति जैसी सभी मुख्य समितियों के सदस्य रहे और इनके पर्यवेक्षण में विभिन्न राज्यों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का समेकन हुआ। ये आईबीए में वित्तीय समावेशन उप–समिति, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कार्य पर थोरट समिति, पंजाब राज्य के लिए एसएमई पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सशक्त समिति, गैर–नागर मंत्रालयों / विभागों में संशोधित प्रक्रिया की क्षमता की पुनरीक्षा के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति, सिविल मंत्रालयों / विभागों आदि से मान्यता प्राप्त बैंकों द्वारा किये जानेवाले सरकारी लेनदेन की समीक्षा हेतु वित्त मंत्रालय द्वारा सृजित स्थायी समिति आदि प्रमुख समितियों के सदस्य थे। इनके पास बैंक के 107 शेयर हैं।

श्री श्रीराम रामचन्द्रन, 37 वर्ष, को जुलाई 01, 2014 से 3 वर्षों के लिए बैंक के शेयरधारक निदेशक के रूप में निर्वाचित किया गया। ये सनदी लेखाकार के व्यवसाय में लगे हुए हैं। ये भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान, एफसीसीए (यूके), सीआईएमए (यूके) के फ़ेलो सदस्य हैं और सूचना प्रणाली लेखा परीक्षा में डिप्लोमा धारक हैं। इनको जोखिम परामर्श सलाह, लेखा परीक्षा, कर परामर्श, ईआरपी के कार्यान्वयन में कार्यात्मक परामर्श एवं वित्तीय परामर्श (जब वे डेलोइट, इन्फोसिस टेक्नॉलजीस आदि में थे) आदि में 15 वर्षों का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में ये मेसर्स श्रीराम रामचन्द्रन एसोसियेट्स, सनदी लेखाकार, चेन्नै में साझेदार हैं, जिनका भारत में 2 कार्यालय हैं और विभिन्न व्यापारिक क्षेत्रों में देशी और अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों को लेखा परीक्षा, कर, परामर्श और वित्तीय प्रबंधन सेवाएं प्रदान करते हैं। इनके पास बैंक के 500 ईक्विटी शेयर हैं।

बोर्ड की बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति के विवरण :

क्रम सं.	निदेशक का नाम	अवधि	उनकी कार्यावधि के दौरान आयोजित बैठकें	उपस्थित बैठकें	पिछली वार्षिक आम बैठक में उपस्थिति
1.	श्री टी सी वेंकट सुब्रमणियन	01.04.2016 - 31.03.2017	11	11	उपस्थित
2.	श्री महेश कुमार जैन	01.04.2016 - 31.03.2017	11	11	उपस्थित
3.	श्री आर सुब्रमणिय कुमार	01.04.2016 - 29.09.2016**	5	4	अनुपस्थित
4.	श्री ए एस राजीव	01.04.2016 - 31.03.2017	11	11	उपस्थित
5.	श्री एम के भट्टाचार्य	18.02.2017 - 31.03.2017	1	1	18.2.17 को बैंक में पद ग्रहण किया
6.	सुश्री मुदिता मिश्रा	01.04.2016 - 31.03.2017	11	5	अनुपस्थित
7.	श्री बी पी विजयेन्द्र	01.04.2016 - 31.10.2016**	6	6	अनुपस्थित
8.	श्री जे के दाश	16.11.2016 - 31.03.2017	4	4	16.11.16 को बैंक में पद ग्रहण किया
9.	श्री पी वेंकट कृष्ण राव	01.04.2016 - 28.05.2016**	2	2	28.5.16 को कार्यकाल की समाप्ति
10.	श्री दीपक डी सामंत	01.04.2016 - 10.03.2017**	10	9	उपस्थित
11.	श्री विजय कुमार गोयल	26.07.2016 - 31.03.2017	8	8	26.7.16 को बैंक में पद ग्रहण किया
12.	श्री पद्मनाभन विट्ठल दास	25.04.2016 - 31.03.2017	10	10	उपस्थित
13.	श्री विनोद कुमार नागर	01.04.2016 - 31.03.2017	11	10	उपस्थित
14.	श्री श्रीराम रामचन्द्रन	01.04.2016 - 31.03.2017	11	11	उपस्थित

** कार्यकाल की समाप्ति

बैंक के निदेशकों के बीच कोई पारस्परिक संबंध नहीं है।

स्वतंत्र निदेशकों को दिये गये परिचयात्मक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का ब्यौरा बैंक की वेबसाइट www.indianbank.in में दिया गया है।

बोर्ड की बैठकें : राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1970 के अंतर्गत किए गए न्यूनतम छः (6) बैठकों की सांविधिक प्रावधान की तुलना में वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान बैंक की सोलह (11) बोर्ड बैठकें आयोजित की गई थीं जिनके विवरण निम्नानुसार हैं :

22.04.2016	11.05.2016	28.06.2016	02.08.2016	02.09.2016	
18.10.2016	09.11.2016	16.12.2016	16.12.2016*	25.01.2017	18.03.2017

* ग्राहक सेवा पर अनन्य बोर्ड बैठक

Shri Vinod Kumar Nagar, aged 65 years, was elected as a Shareholder Director of Indian Bank for a period of 3 years from July 01, 2014. He is a retired Executive Director of Syndicate Bank. He is a B. TEXT, Post Graduate Diploma holder in Marketing and Sales Management and also MBA. He was a career banker with more than 25 years banking experience. Prior to joining Syndicate Bank, he worked in Punjab National Bank as Chief General Manager, New Delhi. He had worked continuously in No.1 position as Regional Manager, RRB Chairman and as Zonal Manager for several years. He was the member of all important committees of the Punjab National Bank such as Credit Committee, Investment Committee, Human Resources Management Committee and Steering Committee for CBS implementation and Apex level compromise committee and consolidation of RRBs in various states took place under his supervision. He was also a member of various important committees such as Sub-Committee on Financial Inclusion in IBA, Thorat Committee on RRBs functioning, RBI empowered Committee on SME for Punjab State, Apex Committee formed by Ministry of Finance to review the efficacy of revised procedure in Non-Civil Ministries/Departments, Standing Committee formed by Ministry of Finance to review the handling of Government Transactions by banks accredited to Civil Ministries/Departments etc. He holds 107 Equity Shares of the Bank.

Shri Sriram Ramachandran aged 37 years, was elected as Shareholder Director of Indian Bank for a period of 3 years from July 01, 2014. He is a practicing Chartered Accountant. He is a Fellow Member of the Institute of Chartered Accountants of India, FCCA (UK), CIMA (UK) and also a Diploma holder in Information System Audit. He has around 16 years experience comprising of Risk advisory consulting, auditing, tax advisory, Functional consulting for ERP implementation and financial advisory while in service with Deloitte, Infosys Technologies etc. Currently, he is a Partner in M/s Sriram Ramachandran Associates, Chartered Accountants, Chennai, which has two offices across India providing auditing, taxation, consultancy and financial management services to domestic and international clients across various business sectors. He holds 500 Equity Shares of the Bank.

Details of Attendance of the Directors at the Board Meetings

Sl. No.	Name of Director	Period	Meetings held during the period of their tenure	Meetings Attended	Attendance at last Annual General Meeting
1.	Shri T C Venkat Subramanian	01.04.2016 – 31.03.2017	11	11	Attended
2.	Shri Mahesh Kumar Jain	01.04.2016 – 31.03.2017	11	11	Attended
3.	Shri R Subramania Kumar	01.04.2016 – 29.09.2016**	5	4	Not Attended
4.	Shri A S Rajeev	01.04.2016 – 31.03.2017	11	11	Attended
5.	Shri M K Bhattacharya	18.02.2017 – 31.03.2017	1	1	Joined the Bank on 18.02.2017
6.	Ms. Mudita Mishra	01.04.2016 - 31.03.2017	11	5	Not Attended
7.	Shri B P Vijayendra	01.04.2016 – 31.10.2016**	6	6	Not Attended
8.	Shri J K Dash	16.11.2016 – 31.03.2017	4	4	Joined the Bank on 16.11.2016
9.	Shri P Venkata Krishna Rao	01.04.2016 – 28.05.2016**	2	2	Cessation of tenure on 28.05.2016
10.	Shri Deepak D Samant	01.04.2016 – 10.03.2017**	10	9	Attended
11.	Shri Vijay Kumar Goel	26.07.2016 – 31.03.2017	8	8	Joined the Bank on 26.07.2016
12.	Shri Padmanaban Vittal Dass	25.04.2016 – 31.03.2017	10	10	Attended
13.	Shri Vinod Kumar Nagar	01.04.2016 - 31.03.2017	11	10	Attended
14.	Shri Sriram Ramachandran	01.04.2016 - 31.03.2017	11	11	Attended

**Cessation of tenure

There is no inter se relationship between the directors of the Bank.

The details of familiarization programmes imparted to independent directors are disclosed in Bank's website, www.indianbank.in.

Board Meetings: During the Financial Year 2016-17, eleven (11) Board Meetings were held vis-à-vis the statutory stipulation of minimum of six (6) meetings in a year under the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, as detailed below:

22.04.2016	11.05.2016	28.06.2016	02.08.2016	02.09.2016	
18.10.2016	09.11.2016	16.12.2016	16.12.2016*	25.01.2017	18.03.2017

*Sequestered Board Meeting on Customer Service.

31 मार्च, 2017 तक अन्य बोर्ड या सूचीबद्ध कंपनियों की बोर्ड समितियां (इंडियन बैंक के अलावा) जिसमें बैंक के निदेशक सदस्य / अध्यक्ष रहे।

सं.	निदेशक का नाम	इंडियन बैंक के अलावा अन्य सूचीबद्ध कंपनियों में निदेशक पदधारिता की सं.	इंडियन बैंक को छोड़कर लेखा परीक्षा/स्टेकधारक समिति(यों) में सदस्यता
1.	श्री विनोद कुमार नागर	एक (मेसर्स रिको ऑटो इंडस्ट्रीज़ लि.)	दो (लेखा समिति एवं स्टेकधारक संपर्क समिति में सदस्य)

3. बोर्ड की समितियाँ

बोर्ड ने निम्नलिखित समितियाँ गठित की हैं, जो महत्वपूर्ण कार्यात्मक क्षेत्रों में निद्रिष्ट एवं केन्द्रित नियंत्रण प्रदान करती हैं और बैंक के क्रियाकलापों का पर्यवेक्षण करती हैं।

क्र सं.	समिति का नाम
ए.	प्रबंधन समिति
बी.	लेखा परीक्षा समिति
सी.	जोखिम प्रबंधन समिति
डी.	आईटी रणनीति समिति (भूतपूर्व प्रौद्योगिकी समिति)
ई.	ग्राहक सेवा समिति
एफ.	निदेशकों की समिति (सतर्कता)
जी.	बडे मूल्य की धोखाधडियों को मॉनीटर करने की विशेष समिति
एच.	शेयर अंतरण समिति
आई.	स्टेकधारक संपर्क समिति
जे.	नामांकन समिति
के.	पारिश्रमिक समिति
एल.	एच आर समिति
एम.	वसूली को मानीटर करने के लिए समिति
एन.	अनुशासनिक मामलों के लिए बोर्ड स्तरीय अपीलीय समिति
ओ.	इरादतन चूककर्ताओं हेतु समीक्षा समिति
पी.	गैर–सहयोगी उधारकर्ताओं हेतु समीक्षा समिति
क्यू	ऋण अनुमोदन समिति

ए) प्रबंधन समिति :

प्रबंधन समिति का गठन सितंबर 08, 1990 को किया गया ओर यह भारतीय रिज़र्व बैंक के परामर्श से और केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन के साथ बोर्ड द्वारा इसे प्रदान किए गए अधिकारों का प्रयोग करती है। प्रबंधन समिति निम्नलिखित विषयों पर बोर्ड में निहित सभी अधिकारों का प्रयोग कर सकती है :

- ऋण प्रस्तावों की मंजूरी (निधिप्रदत्त और गैर निधिप्रदत्त)
- ऋण समझौता / बट्टे खाते में डालने के प्रस्ताव ;
- पूंजी और राजस्व व्यय के प्रस्तावों हेतु अनुमोदन ;
- परिसरों के अधिग्रहण और किराये पर लेने हेतु मानदंडों से विचलन सहित परिसरों के अधिग्रहरण और किराये पर लेने से संबंधित प्रस्ताव ;
- मुकदमा / अपील आदि दायर करना और उनके बचाव की प्रक्रिया आदि ;
- सरकारी और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों, शेयरों और हामीदारी सहित कंपनियों के डिबेंचरों में निवेश
- दान ; और
- बोर्ड द्वारा प्रबंधन समिति को संदर्भित किए गए कोई अन्य मामले।

Number of other Boards or Board Committees of listed entities (other than Indian Bank) in which the directors of the Bank are member / Chairperson as on March 31, 2017:

No.	Name of the Director	No. of Directorship in listed entities other than Indian Bank	No. of membership in Audit / Stakeholder Committee(s), excluding Indian Bank
1.	Shri. Vinod Kumar Nagar	One (M/s Rico Auto Industries Limited)	Two (Member in Audit Committee and Stakeholders Relationship Committee)

3. Committees of the Board

The Board has constituted the following committees which provide specific and focused governance in important functional areas and to oversee the affairs of the Bank:

Sl. No.	Name of the Committee
a.	Management Committee
b.	Audit Committee
c.	Risk Management Committee
d.	IT Strategy Committee (erstwhile Technology Committee)
e.	Customer Service Committee
f.	Committee of Directors (Vigilance)
g.	Special Committee (Monitoring of Large Value Frauds)
h.	Share Transfer Committee
i.	Stakeholders Relationship Committee
j.	Nomination Committee
k.	Remuneration Committee
l.	H R Committee
m.	Committee for Monitoring of Recovery
n.	Board Level Appellate Committee for Disciplinary Cases
o.	Review Committee for Wilful Defaulters
p.	Review Committee for Non Co-operative Borrowers
q.	Credit Approval Committee

a) Management Committee:

The Management Committee was constituted on September 8, 1990 and exercises such powers of the Board, as may be delegated to it by the Board with the approval of the Central Government after consultation with Reserve Bank of India. The Management Committee may exercise all the powers vested in the Board in respect of:

- Sanctioning of credit proposals (funded and non-funded);
- Loans compromise/write-off proposals;
- Proposals for approval of capital and revenue expenditure;
- Proposals relating to acquisition and hiring of premises including deviation from norms for acquisition and hiring of premises;
- Filing of suits/appeals, defending them etc.;
- Investments in Government and other approved securities, shares and debentures of companies including underwriting;
- Donations ; and
- Any other matter referred to the Management Committee by the Board.

प्रबंधन समिति में निदेशकों की उपस्थिति के विवरण :

क्रम सं.	निदेशक का नाम	अवधि	उनकी कार्यावधि के दौरान आयोजित बैठकें	उपस्थित बैठकें
1.	श्री महेश कुमार जैन – अध्यक्ष	01.04.2016 - 31.03.2017	9	9
2.	श्री आर सुब्रमणिय कुमार	01.04.2016 - 29.09.2016**	4	4
3.	श्री ए एस राजीव	01.04.2016 - 31.03.2017	9	8
4.	श्री एम के भट्टाचार्य	18.02.2017 - 31.03.2017	1	1
5.	श्री बी पी विजयेन्द्र	01.04.2016 - 31.10.2016**	4	4
6.	श्री जे के दाश	16.11.2016 - 31.03.2017	4	4
7.	श्री पी वेंकट कृष्ण राव	01.04.2016 - 28.05.2016**	-	-
8.	श्री दीपक डी सामंत	28.12.2016 - 10.03.2017**	2	2
9.	श्री विनोद कुमार नागर	01.04.2016 - 24.07.2016 02.02.2017 - 31.03.2017	1 2	1 2
10.	श्री पद्मनाभन विट्ठल दास	28.06.2016 - 27.12.2016 18.03.2017 - 31.03.2017	5 -	5 -
11.	श्री श्रीराम रामचन्द्रन	02.08.2016 - 01.02.2017	6	6

** कार्यकाल की समाप्ति।

बी) लेखापरीक्षा समिति

लेखा परीक्षा समिति 13 अक्तूबर 1995 को गठित की गयी और इसके कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित शामिल हैं :

- बैंक के समग्र लेखा – परीक्षा कार्य, जोकि संस्थान तथा उसके परिचालन पर प्रभाव डालता है, को मार्गदर्शन प्रदान करना एवं उसका पर्यवेक्षण करना, जिससे बैंक की आंतरिक लेखा परीक्षा और निरीक्षण को व्यवस्थित, परिचालित करना एवं गुणवत्ता नियंत्रण करना अभिप्रेत है तथा बैंक की सांविधिक / बाहरी लेखा परीक्षा एवं भारतीय रिज़र्व बैंक के निरीक्षणों का अनुवर्तन करना।
- अंतर–शाखा समायोजन खाते, अंतर बैंक खातों में बहुत दिनों से लंबित समाधान न की गई प्रविष्टियाँ और नास्ट्रो खातों, विभिन्न शाखाओं में बहियों के संतुलन में शेष काम, धोखाधडियाँ एवं अनुरक्षण पर विशिष्ट ध्यान देते हुए बैंक के आंतरिक निरीक्षण / लेखापरीक्षा कार्य की पुनरीक्षा करना।
- बैंकों में नियुक्त अनुपालन अधिकारियों से प्राप्त तिमाही रिपोर्टों की समीक्षा और
- लांग फार्म लेखा परीक्षा रिपोर्टों में उठाए गए सभी मामलों पर अनुवर्ती कार्रवाई करना और वार्षिक/अर्ध वार्षिक वित्तीय लेखा और रिपोर्ट को अंतिम रूप देने से पूर्व बाहरी लेखा परीक्षकों के साथ संपर्क करना।

दिनांक 23 नवंबर, 2006 को निदेशक मंडल के संकल्प की शर्तों के अनुसार, निम्नलिखित को शामिल करने के लिए लेखा परीक्षा समिति के कार्यक्षेत्र को बढ़ाया गया :

- लेखा, लेखा–नीतियों, प्रकटीकरण की नियमित पुनरीक्षा ;
- प्रबंधन द्वारा लिए गए निर्णयों को लागू करने पर आधारित मुख्य लेखा प्रविष्टियों की पुनरीक्षा और लेखा परीक्षा से प्राप्त महत्वपूर्ण समायोजन की पुनरीक्षा;
- ड्राफ़्ट लेखा परीक्षा रिपोर्ट की शर्तें ;
- लेखा परीक्षकों की टिप्पणियों को शामिल करते हुए स्वतंत्र लेखा परीक्षा के विस्तार का निर्धारण एवं पुनरीक्षण करना तथा बोर्ड को प्रस्तुत करने के पहले तिमाही, छमाही एवं वार्षिक वित्तीय विवरणों का पुनरीक्षण करना
- किसी भी प्रकार के चिंताजनक क्षेत्र का पता लगाने के लिए लेखा परीक्षकों के साथ लेखा परीक्षा के बाद चर्चा;
- आंतरिक लेखा परीक्षा का स्वरूप और समय अंतराल स्थापित करना, आंतरिक लेखा परीक्षकों के निष्कर्ष की पुनरीक्षा और आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता सुनिश्चित करना;
- बैंक के लेखा मानकों और लेखा नीतियों का अनुपालन
- वित्तीय विवरणियों पर लागू सीमा तक शेयर बाज़ार की अपेक्षाओं का अनुपालन;
- संबंधित पार्टियों के लेनदेन का पर्यवेक्षण, यथा, प्रवर्तकों अथवा प्रबंधन, उनकी अनुषंगियों अथवा संबंधियों इत्यादि के साथ भौतिक रूप के लेनदेन, जिनसे व्यापक रूप में बैंक के हितों के साथ संभावित संघर्ष हो सकता है; और
- ऐसे अन्य मामले जो कि समय–समय पर किसी भी सांविधिक, संविदात्मक अथवा अन्य विनियामक आवश्यकताओं हेतु अपेक्षित हों।

Details of Attendance of the Directors at the Management Committee Meetings

Name of Director	Period	Meetings held during the period of their tenure	Meetings Attended
1. **Shri Mahesh Kumar Jain - Chairman**	01.04.2016 – 31.03.2017	9	9
2. Shri R Subramania Kumar	01.04.2016 – 29.09.2016**	4	4
3. Shri A S Rajeev	01.04.2016 – 31.03.2017	9	8
4. Shri M K Bhattacharya	18.02.2017 – 31.03.2017	1	1
5. Shri B P Vijayendra	01.04.2016 – 31.10.2016**	4	4
6. Shri J K Dash	16.11.2016 – 31.03.2017	4	4
7. Shri P Venkata Krishna Rao	01.04.2016 – 28.05.2016**	-	-
8. Shri Deepak D Samant	28.12.2016 – 10.03.2017**	2	2
9. Shri Vinod Kumar Nagar	01.04.2016 – 24.07.2016 02.02.2017 – 31.03.2017	1 2	1 2
10.Shri Padmanaban Vittal Dass	28.06.2016 – 27.12.2016 18.03.2017 – 31.03.2017	5 -	5 -
11.Shri Sriram Ramachandran	02.08.2016 – 01.02.2017	6	6

** cessation of tenure.

b) Audit Committee:

The Audit Committee was constituted on October 13, 1995 and its terms of reference include the following:

- Provide direction as also oversee the total audit function of the Bank which impact the organization, operationalisation and quality control of internal audit and inspection in the Bank and follow-up on the statutory/external audit of the Bank and inspections of the Reserve Bank of India.
- Review the internal inspection/audit function in the Bank, with specific focus on the follow-up on inter-branch adjustment accounts, unreconciled long outstanding entries in Inter-Bank accounts and nostro accounts, arrears in balancing of books at various branches, frauds and house-keeping.
- Review quarterly reports from the Compliance officers appointed in the Bank and
- Follow-up on all the issues raised in the Long Form Audit Report and interact with the external auditors before the finalization of the annual/semi-annual financial accounts and reports.

In terms of the resolution of the Board of Directors dated November 23, 2006, the scope of reference of the Audit Committee was enhanced to include the following:

- Regular review of accounts, accounting policies, disclosures;
- Review of the major accounting entries based on exercise of judgment by management and review of significant adjustments arising out of audit;
- Qualifications in the draft audit report;
- Establishing and reviewing the scope of the independent audit including the observations of the auditors and review of the quarterly, half-yearly and annual financial statements before submission to the Board;
- Post audit discussions with the auditors to ascertain any area of concern;
- Establishing the scope and frequency of internal audit, reviewing the findings of the internal auditors and ensuring the adequacy of internal control systems;
- Compliance with Accounting Standards and Accounting Policies of the Bank;
- Compliance with stock exchange requirements concerning financial statements, to the extent applicable;
- Oversee related party transactions i.e., transactions of the Bank of material nature, with promoters or management, their subsidiaries or relatives etc., that may have potential conflict with the interests of the Bank at large; and
- Such other matters as may from time to time be required by any statutory, contractual or other regulatory requirements.

लेखा परीक्षा समिति में निदेशकों की उपस्थिति के विवरण

क्रम सं.	निदेशक का नाम	अवधि	उनकी कार्यावधि के दौरान आयोजित बैठकें	उपस्थित बैठकें
1.	**श्री विजय कुमार गोयल – अध्यक्ष**	02.08.2016 31.03.2017	7	7
2.	श्री श्रीराम रामचन्द्रन – अध्यक्ष	01.04.2016 02.08.2016	2	2
		02.02.2017 31.03.2017	1	1
3.	श्री आर सुब्रमणिय कुमार	01.04.2016 29.09.2016**	2	2
4.	श्री ए एस राजीव	01.04.2016 31.03.2017	9	9
5.	श्री एम के भट्टाचार्य (आमंत्री)	18.02.2017 31.03.2017	1	1
6.	सुश्री मुदिता मिश्रा	01.04.2016 31.03.2017	9	2
7.	श्री बी पी विजयेन्द्र	01.04.2016 31.10.2016**	3	3
8.	श्री जे के दाश	16.11.2016 31.03.2017	5	5
9.	श्री विनोद कुमार नागर	02.08.2016 01.02.2017	6	4

** कार्यकाल की समाप्ति। 02.08.2016 तक श्री श्रीराम रामचन्द्रन समिति के अध्यक्ष रहे।

सी) जोखिम प्रबंधन समिति :

जोखिम प्रबंधन समिति का गठन 18 जनवरी, 2003 को किया गया था। समिति के कार्यों में निम्नलिखित शामिल हैं :

- एकीकृत जोखिम प्रबंधन, जिसमें ऋण जोखिम सहित बैंक के विभिन्न एक्सपोज़र से संबंधित जोखिम शामिल हैं, के लिए नीति और रणनीति तैयार करना
- बैंक की ऋण जोखिम प्रबंधन समिति (सीआरएमसी), आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एएलएमसी) और परिचालन जोखिम प्रबंधन समिति (ओआरएमसी) और अन्य जोखिम समितियों के बीच समन्वय स्थापित करना।
- समिति के दायित्वों में निम्नलिखित सम्मिलित हैं :
  - बाज़ार जोखिम मापने, उसके प्रबंधन और रिपोर्टिंग हेतु नीतियां और दिशानिर्देश निर्धारित करना
  - यह सुनिश्चित करना कि बाजार जोखिम प्रक्रियाएँ (जनता, प्रणालियों, परिचालनों, सीमाओं और नियंत्रणों सहित) बैंक की नीति की संतुष्टि करती हैं।
  - ट्रिगर अथवा व्यापार और प्रोद्भवन पोर्टफोलियो हेतु हानि रोकने सहित बाज़ार जोखिम सीमाओं की पुनरीक्षा और अनुमोदन।
  - अर्ह और सक्षम स्टाफ की नियुक्ति, अर्ह और सक्षम स्टाफ और स्वतंत्र बाज़ार जोखिम प्रबंधक/कों आदि की तैनाती सुनिश्चित करना।

जोखिम प्रबंधन समिति में निदेशकों की उपस्थिति के विवरण :

क्रम सं.	निदेशक का नाम	अवधि	उनकी कार्यावधि के दौरान आयोजित बैठके	उपस्थित बैठकें
1.	**श्री टी सी वेंकट सुब्रमणियन – अध्यक्ष**	01.04.2016 31.03.2017	5	5
2.	श्री महेश कुमार जैन	01.04.2016 31.03.2017	5	5
3.	श्री आर सुब्रमणिय कुमार	01.04.2016 29.09.2016**	2	1
4.	श्री ए एस राजीव	01.04.2016 31.03.2017	5	4
5.	श्री एम के भट्टाचार्य	18.02.2017 31.03.2017	1	1
6.	दीपक डी सामंत	01.04.2016 10.03.2017**	4	4
7.	श्री विजय कुमार गोयल	02.08.2016 31.03.2017	4	4
8.	श्री श्रीराम रामचन्द्रन	01.04.2016 02.08.2016	1	1
9.	श्री राजेश महाजन (विशेष आमंत्री)	01.04.2016 31.03.2017	5	4

** कार्यकाल की समाप्ति।

Details of Attendance of the Directors at the Audit Committee Meetings

Sl. No.	Name of Director	Period	Meetings held during the period of their tenure	Meetings Attended
1.	**Shri Vijay Kumar Goel - Chairman**	02.08.2016 – 31.03.2017	7	7
2.	Shri Sriram Ramachandran	01.04.2016 – 02.08.2016 02.02.2017 – 31.03.2017	2 1	2 1
3.	Shri R Subramania Kumar	01.04.2016 – 29.09.2016**	2	2
4.	Shri A S Rajeev	01.04.2016 – 31.03.2017	9	9
5.	Shri M K Bhattacharya (Invitee)	18.02.2017 – 31.03.2017	1	1
6.	Ms. Mudita Mishra	01.04.2016 – 31.03.2017	9	2
7.	Shri B P Vijayendra	01.04.2016 – 31.10.2016**	3	3
8.	Shri J K Dash	16.11.2016 – 31.03.2017	5	5
9.	Shri Vinod Kumar Nagar	02.08.2016 – 01.02.2017	6	4

** cessation of tenure

Shri Sriram Ramachandran was the Chairman of the Committee upto 02.08.2016.

c) Risk Management Committee:

Risk Management Committee was constituted on January 18, 2003. The functions of the Risk Management Committee include the following:

- To devise the policy and strategy for integrated risk management containing various risk exposures of the Bank including the Credit Risk.
- To co-ordinate between the Credit Risk Management Committee (CRMC), the Asset Liability Management Committee (ALMC) and Operational Risk Management Committee (ORMC) and other risk committees of the Bank.
- The responsibility of the Committee include:
  - Setting policies and guidelines for market risk measurement, management and reporting.
  - Ensuring that market risk management processes (including people, systems, operations, limits and controls) satisfy Bank's policy.
  - Reviewing and approving market risk limits, including triggers or stop-losses for traded and accrual portfolios.
  - Appointment of qualified and competent staff, ensuring posting of qualified and competent staff and of independent market risk manager/s etc.

Details of Attendance of the Directors at the Risk Management Committee Meetings

Sl. No.	Name of Director	Period	Meetings held during the period of their tenure	Meetings Attended
1.	**Shri T C Venkat Subramanian - Chairman**	01.04.2016 – 31.03.2017	5	5
2.	Shri Mahesh Kumar Jain	01.04.2016 – 31.03.2017	5	5
3.	Shri R Subramania Kumar	01.04.2016 – 29.09.2016**	2	1
4.	Shri A S Rajeev	01.04.2016 – 31.03.2017	5	4
5.	Shri M K Bhattacharya	18.02.2017 – 31.03.2017	1	1
6.	Shri Deepak D Samant	01.04.2016 – 10.03.2017**	4	4
7.	Shri Vijay Kumar Goel	02.08.2016 – 31.03.2017	4	4
8.	Shri Sriram Ramachandran	01.04.2016 – 02.08.2016	1	1
9.	Shri Rajesh Mahajan (Special Invitee)	01.04.2016 – 31.03.2017	5	4

**Cessation of tenure

डी) आईटी रणनीति समिति :

- आईटी रणनीति समिति (भारिबैंक की सूचना – डीबीएस.सीओ.आईटीसी.बीसी.सं.6 / 31.02.008 / 2010–11 दिनांक 29.04.2011 के जरिए दिए गए निदेशों / दिशानिर्देशों के अनुसार बोर्ड की प्रौद्योगिकी समिति को आईटी रणनीति समिति का नया नाम दिया गया है) का गठन मार्च 11, 2002 को किया गया।

- प्रौद्योगिकी समिति का गठन बैंक की प्रौद्योगिकी उन्नयन आवश्यकताओं पर विचार करने और स्पष्ट परिभाषित माइलस्टोन के साथ रणनीतिक योजना की अनुशंसा करने के लिए किया गया है।

आईटी रणनीति समिति में निदेशकों की उपस्थिति के विवरण :

क्रम सं.	निदेशक का नाम (सर्वश्री)	अवधि	उनकी कार्यावधि के दौरान आयोजित बैठकें	उपस्थित बैठकें
1.	**श्री टी सी वेंकट सुब्रमणियन – अध्यक्ष**	01.04.2016 31.03.2017	4	4
2.	श्री महेश कुमार जैन	01.04.2016 31.03.2017	4	4
3.	श्री आर सुब्रमणिय कुमार	01.04.2016 29.09.2016**	3	2
4.	श्री ए एस राजीव	01.04.2016 31.03.2017	4	4
5.	श्री पी वेंकट कृष्ण राव	01.04.2016 28.05.2016**	1	1
6.	श्री दीपक डी सामंत	01.04.2016 10.03.2017**	4	4
7.	श्री विजय कुमार गोयल	18.03.2017 31.03.2017	-	-
8.	श्री श्रीराम रामचन्द्रन	01.04.2016 31.03.2017	4	4
9.	श्री रामनाथ चिंतागुटा (विशेष आमंत्री)	29.06.2016 31.03.2017	3	3

** कार्यकाल की समाप्ति।

ई) ग्राहक सेवा समिति

ग्राहक सेवा समिति अगस्त 24, 2004 को गठित की गई थी। ग्राहक सेवा समिति के कार्य में निम्नलिखित भी शामिल हैं।

- आम व्यक्तियों के हितों की रक्षा करने के लिए प्रक्रियाविधियों व पद्धतियों के सरलीकरण पर ध्यान देने हेतु ;
- ग्राहकों को सेवा प्रदान करने हेतु पद्धतियों की पुनरीक्षा और
- भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित उन विनियमों और प्रक्रियाओं की पुनरीक्षा जोकि बैंक की ग्राहक सेवा का अतिक्रमण कर रही हैं।

ग्राहक सेवा समिति में निदेशकों की उपस्थिति के विवरण :

क्रम सं.	निदेशक का नाम	अवधि	उनकी कार्यावधि के दौरान आयोजित बैठके	उपस्थित बैठकें
1.	**श्री महेश कुमार जैन – अध्यक्ष**	01.04.2016 31.03.2017	4	4
2.	श्री आर सुब्रमणिय कुमार	01.04.2016 29.09.2016**	1	1
3.	श्री ए एस राजीव	01.04.2016 31.03.2017	4	2
4.	श्री एम के भट्टाचार्य	18.02.2017 31.03.2017	1	1
5.	सुश्री मुदिता मिश्रा	01.04.2016 31.03.2017	4	1
6.	श्री दीपक डी सामंत	01.04.2016 10.03.2017**	3	3
7.	श्री पद्मनाभन विट्ठल दास	28.06.2016 31.03.2017	3	3
8.	श्री विनोद कुमार नागर	01.04.2016 31.03.2017	4	4
9.	श्री विजय कुमार गोयल	18.03.2017 31.03.2017	-	-

** कार्यकाल की समाप्ति।

एफ) निदेशकों की समिति (सतर्कता)

सतर्कता समिति जनवरी 12, 1991 को गठित की गई है। लंबित अनुशासनिक मामलों और विभागीय जांच की पुनरीक्षा करने के लिए सतर्कता समिति की बैठक तिमाही में एक बार की जाती है। सतर्कता समिति की टिप्पणी, सतर्कता मामलों के अर्धवार्षिक पुनरीक्षण हेतु निदेशक मंडल को प्रस्तुत की जाती है।

d) IT Strategy Committee:

- IT Strategy Committee (The Technology Committee of the Board has been renamed as IT Strategy Committee as per the directions / guidelines of RBI vide communication DBS.CO.ITC.BC.No.6/31.02.008/2010-11 dated April 29, 2011) was constituted on March 11, 2002.
- The Technology Committee has been set up to look into the technological upgradation requirements of the Bank and recommend a strategic plan with clearly defined milestones.

Details of Attendance of the Directors at the IT Strategy Committee Meetings

Sl. No.	Name of Director	Period	Meetings held during the period of their tenure	Meetings Attended
1.	**Shri T C Venkat Subramanian - Chairman**	01.04.2016 – 31.03.2017	4	4
2.	Shri Mahesh Kumar Jain	01.04.2016 – 31.03.2017	4	4
3.	Shri R Subramania Kumar	01.04.2016 – 29.09.2016**	3	2
4.	Shri A S Rajeev	01.04.2016 – 31.03.2017	4	4
5.	Shri P Venkata Krishna Rao	01.04.2016 – 28.05.2016**	1	1
6.	Shri Deepak D Samant	01.04.2016 – 10.03.2017**	4	4
7.	Shri Vijay Kumar Goel	18.03.2017 – 31.03.2017	-	-
8.	Shri Sriram Ramachandran	01.04.2016 – 31.03.2017	4	4
9.	Shri Ramnath Chintagunta – Special Invitee	29.06.2016 – 31.03.2017	3	3

** Cessation of tenure

e) Customer Service Committee:

The Customer Service Committee was constituted on August 24, 2004. The functions of the Customer Service Committee include the following:

- To look into the simplification of procedures and practices with a view to safeguarding the interest of common persons;
- To review the systems in place for providing service to the customers ; and
- To review the regulations and procedures prescribed by Reserve Bank of India that impinge on customer service of banks.

Details of Attendance of the Directors at the Customer Service Committee Meetings

Sl. No.	Name of Director	Period	Meetings held during the period of their tenure	Meetings Attended
1.	**Shri Mahesh Kumar Jain - Chairman**	01.04.2016– 31.03.2017	4	4
2.	Shri R Subramania Kumar	01.04.2016 – 29.09.2016**	1	1
3.	Shri A S Rajeev	01.04.2016 – 31.03.2017	4	2
4.	Shri M K Bhattacharya	18.02.2017 – 31.03.2017	1	1
5.	Ms. Mudita Mishra	01.04.2016 – 31.03.2017	4	1
6.	Shri Deepak D Samant	01.04.2016 - 10.03.2017**	3	3
7.	Shri Padmanaban Vittal Dass	28.06.2016 – 31.03.2017	3	3
8.	Shri Vinod Kumar Nagar	01.04.2016 – 31.03.2017	4	4
9.	Shri Vijay Kumar Goel	18.03.2017 – 31.03.2017	-	-

** cessation of tenure

f) Committee of Directors (Vigilance):

The Vigilance Committee was constituted on January 12, 1991. The Vigilance Committee meets once in a quarter to review any outstanding disciplinary cases and departmental enquiries. The observation of the Vigilance Committee is put up to the Board in the half yearly review of vigilance matters.

सतर्कता समिति में निदेशकों की उपस्थिति के विवरण :

क्रम सं.	निदेशक का नाम	अवधि	उनकी कार्यावधि के दौरान आयोजित बैठकें	उपस्थित बैठकें
1.	श्री महेश कुमार जैन – अध्यक्ष	01.04.2016 – 31.03.2017	2	2
2.	श्री आर सुब्रमणिय कुमार	01.04.2016 – 29.09.2016**	-	-
3.	श्री ए एस राजीव	01.04.2016 – 31.03.2017	2	2
4.	सुश्री मुदिता मिश्रा	01.04.2016 – 31.03.2017	2	-
5.	श्री बी पी विजयेन्द्र	01.04.2016 – 31.10.2016**	-	-
6.	श्री जे के दाश	16.11.2016 – 31.03.2017	2	2
7.	श्री पद्मनाभन विट्ठल दास	18.03.2017 - 31.03.2017	-	-

** कार्यकाल की समाप्ति।

जी) विशेष समिति (बडे मूल्य की धोखाधडियों को मानीटर करने हेतु) :

₹1 करोड़ और उससे अधिक की धोखाधडियों को मानीटर करने हेतु इस समिति का गठन 31 जनवरी 2004 को किया गया था।

बडे मूल्य की धोखाधडियों को मानीटर करने हेतु विशेष समिति में निदेशकों की उपस्थिति के विवरण :

क्रम सं.	निदेशक का नाम	अवधि	उनकी कार्यावधि के दौरान बैठकें आयोजित	उपस्थित बैठकें
1.	**श्री टी सी वेंकट सुब्रमणियन – अध्यक्ष**	01.04.2016 31.03.2017	5	5
2.	श्री महेश कुमार जैन	01.04.2016 31.03.2017	5	5
3.	श्री आर सुब्रमणिय कुमार	01.04.2016 29.09.2016**	1	-
4.	श्री ए एस राजीव	01.04.2016 31.03.2017	5	4
5.	श्री एम के भट्टाचार्य	18.02.2017 31.03.2017	1	1
6.	सुश्री मुदिता मिश्रा	01.04.2016 31.03.2017	5	2
7.	श्री विजय कुमार गोयल	19.10.2016 31.03.2017	4	4
8.	श्री पद्मनाभन विट्ठल दास	19.10.2016 31.03.2017	4	4
9.	श्री विनोद कुमार नागर	01.04.2016 02.08.2016	1	1
10.	श्री श्रीराम रामचन्द्रन	01.04.2016 02.08.2016	1	1

** कार्यकाल की समाप्ति।

एच) शेयर अंतरण समिति :

इंडियन बैंक (शेयर और बैठक) विनियमन, 1999 के विनियम 2ए के अनुसार, 13 मार्च 2007 को बैंक की शेयर अंतरण समिति गठित की गई।

शेयर अंतरण समिति में निदेशकों की उपस्थिति के विवरण

क्रम सं.	निदेशक का नाम	अवधि	उनकी कार्यावधि के दौरान आयोजित बैठकें	उपस्थित बैठकें
1.	**श्री ए एस राजीव – अध्यक्ष**	01.04.2016 31.03.2017	2	2
2.	श्री आर सुब्रमणिय कुमार	01.04.2016 29.09.2016 **	2	2
3.	श्री विनोद कुमार नागर	01.04.2016 31.03.2017	2	2
4.	श्री श्रीराम रामचन्द्रन	01.04.2016 31.03.2017	2	2

** कार्यकाल की समाप्ति।

29.09.2016 तक श्री आर सुब्रमणिय कुमार समिति के अध्यक्ष रहे।

Details of Attendance of the Directors at the Vigilance Committee Meetings

Sl. No.	Name of Director	Period	Meetings held during the period of their tenure	Meetings Attended
1.	**Shri Mahesh Kumar Jain – Chairman**	01.04.2016 – 31.03.2017	2	2
2.	Shri R Subramania Kumar	01.04.2016 – 29.09.2016**	-	-
3.	Shri A S Rajeev	01.04.2016 – 31.03.2017	2	2
4.	Ms. Mudita Mishra	01.04.2016 – 31.03.2017	2	-
5.	Shri B P Vijayendra	01.04.2016 – 31.10.2016**	-	-
6.	Shri J K Dash	16.11.2016 – 31.03.2017	2	2
7.	Shri Padmaban Vittal Dass	18.03.2017 - 31.03.2017	-	-

** cessation of tenure

g) Special Committee (Monitoring of Large Value Frauds):

The Committee was constituted on January 31, 2004 for monitoring frauds of ₹1 crore and above.

Details of Attendance of the Directors at the Special Committee (Monitoring of Large Value Frauds) Meetings

Sl. No.	Name of Director	Period	Meetings held during the period of their tenure	Meetings Attended
1.	**Shri T C Venkat Subramanian - Chairman**	01.04.2016 – 31.03.2017	5	5
2.	Shri Mahesh Kumar Jain	01.04.2016 – 31.03.2017	5	5
3.	Shri R Subramania Kumar	01.04.2016 – 29.09.2016**	1	-
4.	Shri A S Rajeev	01.04.2016 – 31.03.2017	5	4
5.	Shri M K Bhattacharya	18.02.2017 – 31.03.2017	1	1
6.	Ms. Mudita Mishra	01.04.2016 – 31.03.2017	5	2
7.	Shri Vijay Kumar Goel	19.10.2016 – 31.03.2017	4	4
8.	Shri Padmanaban Vittal Dass	19.10.2016 – 31.03.2017	4	4
9.	Shri Vinod Kumar Nagar	01.04.2016 – 02.08.2016	1	1
10.	Shri Sriram Ramachandran	01.04.2016 – 02.08.2016	1	1

** cessation of tenure

h) Share Transfer Committee:

Pursuant to Regulation No.2A of Indian Bank (Shares and Meetings) Regulations, 1999, the Share Transfer Committee of the Bank was constituted on March 13, 2007.

Details of Attendance of the Directors at the Share Transfer Committee Meetings

Sl. No.	Name of Director	Period	Meetings held during the period of their tenure	Meetings Attended
1.	**Shri A S Rajeev - Chairman**	01.04.2016 – 31.03.2017	2	2
2.	Shri R Subramania Kumar	01.04.2016 – 29.09.2016**	2	2
3.	Shri Vinod Kumar Nagar	01.04.2016 – 31.03.2017	2	2
4.	Shri Sriram Ramachandran	01.04.2016 – 31.03.2017	2	2

** cessation of tenure

Shri R Subramania Kumar was the Chairman of the Committee upto 29.09.2016.

आई) स्टेकधारक संपर्क समिति :

शेयरधारकों तथा निवेशकों की शिकायतों के निवारण का कार्य संभालने हेतु 23 नवंबर, 2006 के प्रभाव से यह समिति गठित की गई और इस समिति का कार्य सिर्फ शेयरों के अंतरण, लाभांश, वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त नहीं होने और किसी प्रकार की शिकायतों तक सीमित नहीं है, बल्कि बैंक के विरुद्ध किसी शेयर धारक या निवेशक की शिकायतों के निवारण का कार्य भी शामिल है।

स्टेकधारक संपर्क समिति बैठकोंमें निदेशकों की उपस्थिति के विवरण

क्रम सं.	निदेशक का नाम	अवधि	उनकी कार्यावधि के दौरान आयोजित बैठकें	उपस्थित बैठकें
1.	**श्री विनोद कुमार नागर – अध्यक्ष**	01.04.2016 31.03.2017	3	3
2.	श्री आर सुब्रमणिय कुमार	01.04.2016 29.09.2016**	1	1
3.	श्री ए एस राजीव	01.04.2016 31.03.2017	3	3
4.	श्री श्रीराम रामचन्द्रन	01.04.2016 31.03.2017	3	3

** कार्यकाल की समाप्ति।

जे) नामांकन समिति :

भारतीय रिज़र्व बैंक, डीबीओडी के पत्र बीसी.सं.47 / 29.39.001 / 2007–08 दि.01 नवंबर, 2007 में दिए गए दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक ने, बैंक के शेयरधारक–निदेशक के रूप में निर्वाचन के लिए अपने नामांकन दायर करनेवालों का ''पात्र एवं उचित'' स्टेटस का निर्धारण करने के प्रयोजनार्थ उचित सावधानी का कार्य निभाने हेतु दिसंबर 01, 2007 को नामांकन समिति गठित की थी। निम्नलिखित निदेशकों के साथ इसे मार्च 18, 2017 को पुनः गठित किया गया था।

1. **श्री टी सी वेंकट सुब्रमणियन – अध्यक्ष**
2. **सुश्री मुदिता मिश्रा – सदस्य**
3. **श्री पद्मनाभन विट्ठल दास – सदस्य**

वर्ष 2016–17 के दौरान समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं की गई।

के) पारिश्रमिक समिति :

29 मार्च, 2007 को पारिश्रमिक समिति गठित की गयी थी। निम्नलिखित समिति के सदस्य हैं :

1. **श्री टी सी वेंकट सुब्रमणियन – अध्यक्ष**
2. **सुश्री मुदिता मिश्रा – सदस्य**
3. **श्री जे के दाश – सदस्य**
4. **श्री विनोद कुमार नागर – सदस्य**

समय समय पर भारत सरकार द्वारा इस संबंध में बनाए गए नियमानुसार प्रबंध निदेशक एवं मु.का.अ और कार्यपालक निदेशकों को पारिश्रमिक एवं यात्रा और ठहरने हेतु व्यय की प्रतिपूर्ति का भुगतान किया जाता है।

गैर–कार्यपालक स्वतंत्र निदेशकों को भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार बोर्ड / समिति की बैठकों में शामिल होने के लिए रुपए 20,000 / – एवं रुपए 10,000 / – प्रति बोर्ड बैठक एवं समिति बैठक के भुगतान के अलावा और किसी प्रकार का पारिश्रमिक अदा नहीं किया जाता। राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 / 1980 के खंड 17 की शर्तों के अनुसार समय समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक के परामर्श से केन्द्रीय सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों के अनुसार गैर–कार्यपालकों को यात्रा एवं ठहरने हेतु भत्ते सहित पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है।

यह समिति पूर्ण कालिक निदेशकों को निष्पादन से संबंधित प्रोत्साहन के भुगतान के प्रयोजनार्थ भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदंडों के सेट के आधार पर पुनरीक्षाधीन वर्ष के दौरान बैंक / पूर्णकालिक निदेशकों के निष्पादन को मूल्यांकित करती है।

वर्ष 2016–17 के दौरान समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं की गई।

एल) एचआर समिति :

भारत सरकार के दिनांक मार्च 21, 2012 की सूचना के निदेशों के अनुसार जून 29, 2012 को बोर्ड की एचआर समिति का गठन निम्नलिखित सदस्यों के साथ किया गया जो प्रत्येक तिमाही के दौरान एचआर से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे और निर्णय करेंगे।

i) Stakeholders Relationship Committee:

The Committee was constituted with effect from November 23, 2006 to carry out such functions that are required for the redressal of Shareholders and investors complaints, including but not limited to transfer of shares, non-receipt of dividends, Annual Report and any other grievance that a shareholder or investor of the Bank may have against the Bank.

Details of Attendance of the Directors at the Stakeholders Relationship Committee Meetings

Sl. No.	Name of Director	Period	Meetings held during the period of their tenure	Meetings Attended
1	**Shri Vinod Kumar Nagar - Chairman**	01.04.2016 – 31.03.2017	3	3
2	Shri R Subramania Kumar	01.04.2016 – 29.09.2016**	1	1
3	Shri A S Rajeev	01.04.2016 – 31.03.2017	3	3
4	Shri Sriram Ramachandran	01.04.2016 – 31.03.2017	3	3

**Cessation of the tenure

j) Nomination Committee:

The Nomination Committee was constituted on 01.12.2007 by the Bank as per the guidelines of Reserve Bank of India contained in BOD.Lr.BC.No.47/29.39.001/2007-08 dated November 01, 2007 for the purpose of carrying out due diligence to determine the "fit and proper" status of the persons who file their nominations for election as Shareholder Director of the Bank. It was last reconstituted on March 18, 2017 with the following Directors:

1. **Shri T C Venkat Subramanian - Chairman**
2. Ms. Mudita Mishra - Member
3. Shri Padmanaban Vittal Dass - Member

There was no meeting of the Committee held during the year 2016-17.

k) Remuneration Committee :

The Remuneration Committee was constituted on March 29, 2007. The following are the members of the committee;

1. **Shri T C Venkat Subramanian - Chairman**
2. Ms Mudita Mishra - Member
3. Shri J K Dash - Member
4. Shri Vinod Kumar Nagar - Member

The Managing Director & CEO and Executive Directors are being paid remuneration and reimbursement of their travelling and halting expenses as per the rules framed by Government of India in this regard from time to time.

The non-executive Independent Directors are not being paid any other remuneration, except Sitting Fees for attending the meetings of the Board/Committee as per the guidelines of Government of India at ₹ 20,000/- and ₹ 10,000/- per Board Meeting and Committee Meeting, respectively. The remuneration including travelling and halting expenses to Non-Executive Directors is being paid as decided by the Central Government in consultation with RBI from time to time in terms of Clause 17 of Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 / 1980.

The Committee evaluates the performance of the Bank / Whole-time Directors for the year under review based on a set of parameters as fixed by Government of India for the purpose of payment of performance-linked incentives to Whole-time Directors.

There was no meeting of the Committee held during the year 2016-17.

l) HR Committee :

As per the direction of Government of India communication dated March 21, 2012, the HR Committee of the Board was constituted on June 29, 2012 to discuss and decide upon critical issues in HR every quarter.

एचआर समिति में निदेशकों की उपस्थिति के विवरण

क्रम सं.	निदेशक का नाम	अवधि	उनकी कार्यावधि के दौरान आयोजित बैठकें	उपस्थित बैठकें
1.	**श्री टी सी वेंकट सुब्रमणियन – अध्यक्ष**	01.04.2016 31.03.2017	4	4
2.	श्री महेश कुमार जैन	01.04.2016 31.03.2017	4	4
3.	श्री आर सुब्रमणिय कुमार	01.04.2016 29.09.2016**	1	-
4.	श्री ए एस राजीव	01.04.2016 31.03.2017	4	3
5.	सुश्री मुदिता मिश्रा	01.04.2016 31.03.2017	4	2
6.	श्री विनोद कुमार नागर	01.04.2016 31.03.2017	4	4
7.	श्री पद्मनाभन विट्ठल दास	28.06.2016 31.03.2017	3	3
8.	श्री दुव्वुरी दुर्गा प्रसाद (विशेष आमंत्री)	01.04.2016 31.03.2017	4	4

** कार्यकाल की समाप्ति।

एम) वसूली पर निगरानी समिति

भारत सरकार के दिनांक नवंबर 21, 2012 के पत्र एफ सं 7/112/2012–बीओए में दिए गए दिशानिद्रेशों के अनुसार दिसंबर 18, 2012 को वसूली को मानीटर करने के लिए वसूली पर निगरानी समिति गठित की गई तथा इसका उद्देश्य है मासिक आधार पर बैंक में की गई वसूली की प्रगति को मानीटर करना एवं विभिन्न समितियों, जैसे समझौता परामर्शदात्री समिति, आस्तियों की बिक्री समिति और बैंक के अन्य क्षेत्र स्तर के कार्यकर्ताओं के कार्य की पुनरीक्षा करना। निम्नलिखित निदेशकों के साथ इस समिति का गठन किया गया है :

वसूली को मानीटर करनेवाली समिति में निदेशकों की उपस्थिति के विवरण :

क्रम सं.	निदेशक का नाम	अवधि	उनकी कार्यावधि के दौरान आयोजित बैठकें	उपस्थित बैठकें
1.	**श्री महेश कुमार जैन – अध्यक्ष**	01.04.2016 31.03.2017	8	8
2.	श्री आर सुब्रमणिय कुमार	01.04.2016 29.09.2016**	3	3
3.	श्री ए एस राजीव	01.04.2016 31.03.2017	8	6
4.	श्री एम के भट्टाचार्य	18.02.2017 31.03.2017	1	1
5.	सुश्री मुदिता मिश्रा	01.04.2016 31.03.2017	8	4
6.	श्री विनोद कुमार नागर	01.04.2016 02.08.2016	2	2
7.	श्री विजय कुमार गोयल	02.08.2016 31.03.2017	6	6

** कार्यकाल की समाप्ति।

एन) अनुशासनिक मामलों के लिए बोर्ड स्तरीय अपीलीय समिति :

अनुशासनिक मामलों में बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मु.का.अ के निर्णयों के खिलाफ की जाने वाली अपीलों के लिए उनसे एक स्तर ऊपर की बोर्ड स्तरीय अपीलीय समिति का गठन 15 दिसंबर 2014 को किया गया है । इसमें निम्नलिखित निदेशक शामिल हैं :

1. सुश्री मुदिता मिश्रा - अध्यक्षा
2. श्री विनोद कुमार नागर - सदस्य
3. श्री श्रीराम रामचन्द्रन - सदस्य

2016–17 के दौरान समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं की गई।

Details of Attendance of the Directors at the HR Committee Meetings

Sl. No.	Name of Director	Period	Meetings held during the period of their tenure	Meetings Attended
1.	**Shri T C Venkat Subramanaian - Chairman**	01.04.2016 – 31.03.2017	4	4
2.	Shri Mahesh Kumar Jain	01.04.2016– 31.03.2017	4	4
3.	Shri R Subramania Kumar	01.04.2016– 29.09.2016**	1	-
4.	Shri A S Rajeev	01.04.2016 – 31.03.2017	4	3
5.	Ms. Mudita Mishra	01.04.2016 – 31.03.2017	4	2
6.	Shri Vinod Kumar Nagar	01.04.2016 – 31.03.2017	4	4
7.	Shri Padmanaban Vittal Dass	28.06.2016 – 31.03.2017	3	3
8.	Shri Duvvuri Durga Prasad (Special Invitee)	01.04.2016 – 31.03.2017	4	4

** cessation of tenure

m) Committee for Monitoring of Recovery :

The Committee for Monitoring of Recovery was constituted on December 18, 2012 as per the guidelines of Government of India contained in F.No.7/112/2012-BOA dated November 21, 2012 for the purpose of monitoring the progress made by the Bank in recovery and to review the functioning of various Committees such as Settlement Advisory Committee, Sale of Assets Committee and other field level functionaries in the Bank.

Details of Attendance of the Directors at the Committee for Monitoring of Recovery Meetings

Sl. No.	Name of Director	Period	Meetings held during the period of their tenure	Meetings Attended
1.	**Shri Mahesh Kumar Jain - Chairman**	01.04.2016 – 31.03.2017	8	8
2.	Shri R Subramania Kumar	01.04.2016 – 29.09.2016**	3	3
3.	Shri A S Rajeev	01.04.2016 – 31.03.2017	8	6
4.	Shri M K Bhattacharya	18.02.2017 – 31.03.2017	1	1
5.	Ms. Mudita Mishra	01.04.2016 – 31.03.2017	8	4
6.	Shri Vinod Kumar Nagar	01.04.2016 – 02.08.2016	2	2
7.	Shri Vijay Kumar Goel	02.08.2016 – 31.03.2017	6	6

** cessation of tenure

n) Board Level Appellate Committee for Disciplinary Cases :

The Board Level Appellate Committee for Disciplinary Cases was constituted on December 15, 2014, one level above the authority of Managing Director & CEO of the Bank whose decision is appealed against. It is constituted with the following Directors:

1. Ms. Mudita Mishra - Chairperson
2. Shri Vinod Kumar Nagar - Member
3. Shri Sriram Ramachandran - Member

There was no meeting of the Committee held during 2016-17.

ओ) इरादतन चूककर्ताओं के लिए समीक्षा समिति

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इरादतन चूककर्ताओं के संबंध में दिनांक 01 जुलाई 2014 को प्राप्त दिशानिर्देशों के अनुसार दिनांक 23 जनवरी 2015 को इरादतन चूककर्ताओं की समीक्षा के लिए समिति गठित की गई। यह समिति, उधारकर्ताओं को इरादतन चूककर्ता के रूप में पहचानने वाली स्क्रीनिंग समिति के आदेशों की पुनरीक्षा करेगी।

इरादतन चूककर्ताओं हेतु आयोजित बैठकों में समीक्षा समिति के निदेशकों की उपस्थिति का विवरण :

क्रम सं.	निदेशक का नाम	अवधि	उनकी कार्यावधि के दौरान आयोजित बैठकें	उपस्थित बैठकें
1.	**श्री महेश कुमार जैन – अध्यक्ष**	01.04.2016 31.03.2017	4	4
2.	श्री विनोद कुमार नागर	01.04.2016 02.08.2016	2	2
3.	श्री श्रीराम रामचन्द्रन	01.04.2016 31.03.2017	4	4
4.	श्री पद्मनाभन विट्ठल दास	02.08.2016 31.03.2017	2	2

पी) सहयोग नहीं देनेवाले उधारकर्ताओं की समीक्षा हेतु समिति

जनवरी 23, 2015 को सहयोग नहीं देनेवाले उधारकर्ताओं की समीक्षा हेतु समिति का गठन, ऐसे उधारकर्ताओं के संबंध में स्क्रीनिंग संमिति के आदेशों की पुनरीक्षा / पुष्टिकरण के लिए किया गया, जिसमें भारिबैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार उधारकर्ताओं को असहयोगी उधारकर्ता के रूप में वर्गीकृत किया गया था।

सहयोग नहीं देनेवाले उधारकर्ताओं के लिए आयोजित बैठकों में समीक्षा समिति के निदेशकों की उपस्थिति का विवरण :

क्रम सं.	निदेशक का नाम	अवधि	उनकी कार्यावधि के दौरान आयोजित बैठकें	उपस्थित बैठकें
1.	**श्री महेश कुमार जैन – अध्यक्ष**	01.04.2016 31.03.2017	1	1
2.	श्री विनोद कुमार नागर	01.04.2016 31.03.2017	1	1
3.	श्री श्रीराम रामचन्द्रन	01.04.2016 31.03.2017	1	1

क्यू) ऋण अनुमोदन समिति

भारत सरकार की अधिसूचना एसओ 2736 (ई) दिनांक दिसंबर 05, 2011 के अनुसार ऋण अनुमोदन समिति अप्रैल 04, 2012 को गठित की गई तथा यह बोर्ड की प्रबंधन समिति के अधीन मंजूरी निकाय होगी। समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे :

1. प्रबंध निदेशक एवं मु.का.अधि
2. कार्यपालक निदेशकगण
3. ऋण के प्रभारी महा प्रबन्धक
4. ट्रेशरी के प्रभारी महा प्रबन्धक और
5. जोखिम प्रबन्धन के प्रभारी महा प्रबन्धक

ये सदस्य ऋण प्रस्ताव / समझौता प्रस्ताव /बट्टे खाते लिखने के प्रस्ताव आदि पर भारत सरकार द्वारा निर्धारित ढांचे के अनुरूप उनको प्रत्यायोजित अधिकारों का प्रयोग करेंगे। वर्ष 2016–17 के दौरान ऋण अनुमोदन समिति की 19 बैठकें आयोजित की गईं।

o) Review Committee for Wilful Defaulters :

The Review Committee for Wilful Defaulters was constituted on January 23, 2015 as per RBI guidelines dated July 1, 2014. The committee will review the orders of the Screening Committee identifying borrowers as wilful defaulters.

Details of Attendance of the Directors at the Review Committee for Wilful Defaulters Meetings

Sl. No.	Name of Director	Period	Meetings held during the period of their tenure	Meetings Attended
1.	**Shri Mahesh Kumar Jain – Chairman**	01.04.2016 – 31.03.2017	4	4
2.	Shri Vinod Kumar Nagar	01.04.2016 – 02.08.2016	2	2
3.	Shri Sriram Ramachandran	01.04.2016 – 31.03.2017	4	4
4.	Shri Padmanaban Vittal Dass	02.08.2016 – 31.03.2017	2	2

p) Review Committee for Non Co-operative Borrowers :

The Review Committee for Non-Cooperative Borrowers was constituted on January 23, 2015, to review / confirm the orders of the Screening Committee for Non-cooperative Borrowers classifying the borrower as Non-Cooperative Borrower as per RBI guidelines.

Details of Attendance of the Directors at the Review Committee for Non Co-operative Borrowers Meetings

Sl. No.	Name of Director	Period	Meetings held during the period of their tenure	Meetings Attended
1.	**Shri Mahesh Kumar Jain - Chairman**	01.04.2016 – 31.03.2017	1	1
2.	Shri Vinod Kumar Nagar	01.04.2016 – 31.03.2017	1	1
3.	Shri Sriram Ramachandran	01.04.2016 – 31.03.2017	1	1

q) Credit Approval Committee:

The Credit Approval Committee was constituted on April 04, 2012 as per the Government of India Notification S.O.2736(E) dated December 05, 2011 to be a sanctioning body below Management Committee of the Board. The Committee consists of the following Members:

(1) Managing Director & Chief Executive Officer,

(2) Executive Directors,

(3) General Manager in charge of Credit,

(4) General Manager in charge of Treasury and

(5) General Manager in charge of Risk Management

to exercise such powers delegated to it by Board with regard to credit proposals / compromise proposals / write off proposals within the framework spelt out by Government of India. The Credit Approval Committee of the Board met 19 times during the year 2016-17.

4. सामान्य बैठकें

बैंक के शेयरधारकों की पिछली तीन वार्षिक आम बैठकों (एजीएम) के विवरण निम्न प्रकार हैं ;

वार्षिक आम बैठक	दिन एवं दिनांक	समय	ज्गह
आठवीं	शुक्रवार, जून 27, 2014	10.00 बजे पूर्वाह्न	इमेज, एमआरसी नगर राजा अण्णामलैपुरम चेन्नै – 600 028
नौवीं	शनिवार , जून 27, 2015	10.30 बजे पूर्वाह्न	इमेज, एमआरसी नगर राजा अण्णामलैपुरम चेन्नै – 600 028
दसवीं	बुधवार जून 29, 2016	10.30 बजे पूर्वाह्न	इमेज, एमआरसी नगर राजा अण्णामलैपुरम चेन्नै – 600 028

वार्षिक आम बैठकों के दौरान कोई भी विशेष संकल्प पास नहीं किया गया। बैंक के दो अंतिम असाधारण आम बैठकों में निम्नलिखित विशेष संकल्प पास किए गए :

ए) वर्ष 2013–14 के दौरान, असाधारण आम बैठक 10 फरवरी, 2014 को इमेज, एमआरसी नगर, राजा अण्णामलैपुरम, चेन्नै 600028 में 10.00 बजे पूर्वाह्न आयोजित की गई जिसमें भारत सरकार द्वारा धारित रुपये 400.00 करोड़ के चिर असंचयी शेयरों को रुपए 10/– अंकित मूल्यवाले ईक्विटी शेयरों को रुपये 114.03 (104.03 के प्रीमियम समेत) प्रतिशेयर के मूल्य पर 3,50,78,488 ईक्विटी शेयरों में अधिमानी आधार पर भारत सरकार के पक्ष में ही परिवर्तित करने हेतु विशेष संकल्प पारित किया गया।

बी) वर्ष 2014–15 के दौरान, असाधारण आम बैठक 23 मार्च, 2015 को इमेज, एमआरसी नगर, राजा अण्णामलैपुरम, चेन्नै 600028 में 10.00 बजे पूर्वाह्न आयोजित की गई, जिसमें भारत सरकार को रुपये 10/– अंकित मूल्यवाले 1,54,43,163 ईक्विटी शेयरों को रुपये 181.31 के जारीकरण मूल्य (प्रति शेयर 171.31 के प्रीमियम को शामिल करते हुए) पर, कुल 280 करोड़ के शेयरों को अधिमानी आधार पर भारत सरकार के पक्ष में आबंटित करने हेतु विशेष संकल्प पारित किया गया।

सी) डाक मतपत्र द्वारा न ही पिछले वर्ष/निकट भविष्य में कोई संकल्प पास किया गया/किया जाएगा।

5. प्रकटीकरण

बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय–समय पर अनुबद्ध ''संबंधित पार्टी लेन–देनों'' की आवश्यकताओं का अनुपालन करता रहा है। बैंकिंग कारोबार के सामान्य व्यवहार में आनेवाली मदों के अलावा बैंक ने अपने प्रवर्तकों / निदेशकों, प्रबंधन, उनकी अनुषंगियाँ, अथवा रिश्तेदारों आदि के साथ किसी भी प्रकार के भौतिक प्रमुख लेनदेनों में भाग नहीं लिया है जिससे बैंक के हितों के साथ संभाव्यतः टकराव हो। बैंक ने आरपीटी के महत्व पर एवं आरपीटीयों से निपटान हेतु एक नीति निर्मित की है, जिसे बैंक की वेबसाइट www.indianbank.in पर पोर्ट किया गया है।

बी) मेसर्स नेशनल स्टॉक एक्स्चेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) एवं मेसर्स बीएसई लिमिटेड (बीएसई) ने 01 अक्तूबर 2015 को बैंक के बोर्ड में महिला निदेशक को न नियुक्त किए जाने के कारण बैंक पर अलग–अलग रूप से 1,42,000/– का जुर्माना लगाया। यद्यपि बैंक निदेशकों के बोर्ड का गठन बैंकिंग कंपनी (अधिग्रहण एवं उपक्रमों का हस्तांतरण) नियम 1970 के प्रावधानों के अंतर्गत किया गया है, जिसके अनुसार बैंक में महिला निदेशक की नियुक्ति का प्रावधान लागू नहीं है। अतः बैंक ने दोनों स्टॉक एक्स्चेंज को लेवी वापस लेने को कहा। तथापि, भारत सरकार ने उसके बाद सुश्री मुदिता मिश्रा को बैंक के बोर्ड में सरकार के नामिती निदेशक के रूप में नामित किया। तदनुसार, बैंक ने पूंजी बाजार से संबंधित मामलों की समस्त आवश्यकताओं का अनुपालन किया तथा पिछले तीन वर्षों में बैंक पर कैपिटल स्टॉक एक्स्चेंज अथवा सेबी अथवा किसी अन्य सांविधिक प्राधिकरण द्वारा कोई जुर्माना नहीं लगाया गया व कोई कटु आलोचना नहीं की गई।

सी. बैंक ने 'भौतिक अनुषंगी के निर्धारण हेतु नीति' बनाई है एवं उसे बैंक की वेबसाइट www.indianbank.in प्रकट किया गया है। बैंक में दो सूचीबद्ध अनुषंगी कंपनियाँ हैं अर्थात मेसर्स इंडबैंक मर्चेन्ट बैंकिंग सर्विसेस लिमिटेड एवं मेसर्स इंडबैंक हाउसिंग लिमिटेड और दोनों ''भौतिक अनुषंगी कंपनियाँ'' नहीं हैं।

डी. प्रबंध निदेशक एवं मु.का.अ और कार्यपालक निदेशकों को इस संबंध में भारत सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार उनके यात्रा एवं विराम भत्ते के व्यय की प्रतिपूर्ति और पारिश्रमिक अदा किया जाता है और उनको प्रदत्त पारिश्रमिक के विवरण, बैंक के लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों की अनुसूची 18 में प्रकट किए गए हैं। एसोसिएशन/संघ के साथ किए गए द्विपक्षीय समझौते के अनुसार अधिकारी–कर्मचारी निदेशक और कामगार कर्मचारी निदेशक को पारिश्रमिक और उनके द्वारा की गई यात्रा के लिए यात्रा एवं विराम भत्ते अदा किये जाते हैं। गैर कार्यपालकों / अंशकालिक, गैर–अधिकारी निदेशकों को भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार बोर्ड/समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए बैठक शुल्क रु. 20,000/– एवं रु. 10,000/– प्रति बोर्ड की बैठक एवं समिति बैठक, के अलावा कोई अन्य पारिश्रमिक अदा नहीं किया जाता और केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्णीत रूप से समय समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक के परामर्श के साथ राष्ट्रीयत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970/1980 के खण्ड 17 के अनुसार यात्रा एवं विराम व्यय सहित, उनको पारिश्रमिक अदा किया जाता है।

ई) वर्ष 2016–17 के दौरान किसी प्रकार की पण्य मूल्य जोखिम एवं पण्य प्रतिरक्षा गतिविधियां नहीं हुईं।

एफ) बैंक के बोर्ड, बोर्ड की लेखा समिति एवं बोर्ड की अन्य समितियों का गठन एवं निदेशकों को मानदेय, बोर्ड/समिति प्रक्रियाओं/संबद्ध पार्टी संव्यवहार आदि बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949, राष्ट्रीयत बैंक (प्रबंध एवं विभिन्न प्रावधान) अधिनियम 1970, इंडियन बैंक (शेयर तथा बैठकें) अधिनियम 1999, द्वारा नियंत्रित किये जाते हैं, जिन्हें भारतीय रिजर्व बैंक एवं भारत सरकार द्वारा समय समय संशोधित किया जाता है एवं आवश्यक दिशानिर्देश दिए जाते हैं तथा इस क्रम में सेबी (एलओडीआर) विनियमन 2015 के 15 से 27 तक के विनियमों के प्रावधान संगत/लागू नहीं हैं।

4. General Body Meetings

The details of the last three Annual General Meetings (AGM) of shareholders of the Bank are as follows:

Annual General Meeting	Day & Date	Time	Venue
Eighth	Friday June 27, 2014	10.00 a.m.	IMAGE, MRC Nagar Raja Annamalaipuram, Chennai - 600 028
Ninth	Saturday June 27, 2015	10.30 a.m.	IMAGE, MRC Nagar Raja Annamalaipuram, Chennai - 600 028
Tenth	Wednesday June 29, 2016	10.30 a.m.	IMAGE, MRC Nagar Raja Annamalaipuram, Chennai - 600 028

While no special resolutions were passed at the Annual General Meetings, the following special resolutions were passed at the last two Extra Ordinary General Meetings of the Bank:

a) During the year 2013-14, an Extra-ordinary General Meeting was held on February 10, 2014 at IMAGE, MRC Nagar, Raja Annamalaipuram, Chennai-600028 at 10.00 a.m. wherein a resolution approving conversion of the entire Perpetual Non-Cumulative Preference Shares amounting to ₹ 400.00 crore held by Government of India into 3,50,78,488 equity shares of face value of ₹10/- each at an Issue Price of ₹ 114.03 (including premium of ₹ 104.03) per share to the Government of India, on preferential basis was passed as special resolution.

b) During the year 2014-15, an Extra-ordinary General Meeting was held on March 23, 2015 at IMAGE, MRC Nagar, Raja Annamalaipuram, Chennai - 600028 at 10.00 a.m. wherein a resolution approving preferential allotment of 1,54,43,163 equity shares of face value of ₹10/- each at an Issue Price of ₹ 181.31 (including premium of ₹ 171.31) per share amounting to ₹ 280.00 crore to Government of India on preferential basis was passed as special resolution.

c) No special resolution was / will be passed in the last year / in the recent future through postal ballot.

5. Disclosures

a. The Bank is complying with the requirements on related party transactions (RPT) as stipulated by Reserve Bank of India from time to time. Other than those in the normal course of banking business, the Bank has not entered into any materially significant transactions with its Promoters / Directors, Management, their subsidiaries, or relatives etc. that may have potential conflict with the interests of the Bank at large. Bank has formulated a policy on materiality of RPT and on dealing with RPTs, which is ported in Bank's website www.indianbank.in.

b. M/s National Stock Exchange of India Limited (NSE) and M/s BSE Limited have levied a fine of ₹1,42,000/- each on the Bank for non-appointment of woman director on the Board of the Bank as on October 01, 2015. However, as the constitution of the Board of Directors of the Bank is as per the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the appointment of woman director is not applicable to the Bank. Hence, the Bank had taken up with both the stock exchanges for withdrawal of the levy. However, Government of India has since nominated Ms Mudita Mishra as Government Nominee Director in the Board of the Bank. Accordingly, the Bank has complied with all requirements regarding capital market related matters and has not been imposed any penalty or stricture by the stock exchanges or SEBI or any other statutory authority during the last three years.

c. Bank has formulated a Policy for determining material subsidiary and the same is disclosed in Banks website, viz., www.indianbank.in. The Bank is having two listed subsidiary companies viz., M/s Indbank Merchant Banking Services Limited and M/s Ind Bank Housing Limited and both are not material subsidiary companies.

d. The Managing Director & CEO and Executive Directors are being paid remuneration and reimbursement of their travelling and halting expenses as per the rules framed by Government of India in this regard and the details of remuneration paid to them are disclosed under Schedule 18 to the Audited Financial Statements of the Bank. The Officer Employee Director and Workmen Employee Directors are being paid remuneration and reimbursement of their travelling and halting expenses as per the terms of Bipartite Settlement with the Association / Union. The Non-Executive / Part-time Non-Official Directors / Shareholder Directors are not being paid any other remuneration, except Sitting Fees for attending the meetings of the Board / Committee as per the guidelines of Government of India at ₹ 20,000/- and ₹10,000/- per Board Meeting and Committee Meeting, respectively and the remuneration including travelling and halting expenses to them is being paid as decided by the Central Government in consultation with RBI from time to time in terms of Clause 17 of Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisons) Scheme, 1970 / 1980.

e) There was no commodity price risks and commodity hedging activities during the year 2016-17.

f) The constitution of the Banks Board, Audit Committee and other committees of the Board and remuneration to the Directors, Board / Committee procedures / Related Party Transactions etc are governed under the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, Banking Regulations Act, 1949, Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, Indian Bank (Shares and Meetings) Regulations, 1999, as amended and guidelines issued by Reserve Bank of India and Government of India from time to time and to that extent some of the provisions of the Regulations 15 to 27 of SEBI (LODR) Regulations, 2015 are not compatible / applicable.

जी) कॉर्पोरेट अभिशासन के अंश के रूप में और अधिक मात्रा में पारदर्शिता हासिल करने के उद्देश्य से बैंक द्वारा ''विसिल ब्लायर नीति'' बनाकर निर्धारित की गयी है तथा इसकी शर्तों के अनुसार स्टाफ सदस्यों के लिए एक ऐसी प्रणाली निर्धारित की गई है जिसके अंतर्गत वे प्रबंधन को अनैतिक व्यवहार, वास्तविक या संदेहास्पद धोखाधडी या बैंक की आचार संहिता या नीतिपरक नीति के संबंध में अपनी चिंता को रिपोर्ट कर सकें तथा इस संबंध में लेखा परीक्षा समिति तक किसी को पहुंच प्राप्त करने से मना नहीं किया गया है।

एच) सेबी (एलओडीआर) विनियमनों के अनुपालन में बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक तथा भारत सरकार द्वारा इस संबंध में जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप ''लाभांश वितरण नीति'' बनायी है जोकि बैंक की वेबसाइट www.indianbank.in में पोर्ट की गई है।

आई) अनिवार्य एवं विवेकाधीन आवश्यकताएं :

बैंक ने भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीबद्ध दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम 2015 तथा स्टॉक एक्सचेंजों के साथ किए गए लिस्टिंग एग्रीमेंटों के अनुसार सभी प्रयोज्य आवश्यकताओं का पालन किया है। विवेकाधीन आवश्यकताओं के कार्यान्वयन की सीमा नीचे प्रस्तुत है।

आवश्यकता	अनुपालन
ए. बोर्ड : गैर कार्यपालक अध्यक्ष को अधिकार होना चाहिए कि वें सूचीबद्ध कंपनियों के खर्चे पर अध्यक्ष का कार्यालय बनाए रखें और उन्हें अपने कार्यभार के निर्वहन में किए गए व्ययों की प्रतिपूर्ति भी की जानी चाहिए।	बैंक की अध्यक्षता एक गैर कार्यपालक अध्यक्ष द्वारा की जाती है जो भारत सरकार द्वारा नियुक्त हैं और उनके द्वारा वहन किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है।
बी. शेयरधारक के अधिकार : पिछले छः महीने में प्राप्त वित्तीय उपलब्धियों की छमाही घोषणा सहित महत्वपूर्ण घटनाओं का संक्षिप्त विवरण शेयरधारकों के घर–घर तक भेजा जाए।	बैंक इस आवश्यकता का अनुपालन सुनिश्चित करता है।
सी. लेखा परीक्षा रिपोर्ट पर आशोधित अभिमतः सूचीबद्ध इकाई अशोधित लेखा परीक्षा अभिमत के साथ वित्तीय विवरण की व्यवस्था की दिशा में आगे बढ़ सकता है।	बैंक के वित्तीय विवरण की लेखा परीक्षा रिपोर्ट अनर्ह है।
डी. अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी के लिए अलग–अलग पद : सूचीबद्ध इकाई अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी के पद पर अलग–अलग व्यक्तियों को नियुक्त करें।	बैंक के गैर–कार्यपालक अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी अलग–अलग हैं।
ई. आंतरिक लेखा परीक्षक की रिपोर्टिंग : आंतरिक लेखा परीक्षक सीधे लेखा परीक्षा समिति को रिपोर्ट करें।	बैंक द्वारा संगामी लेखा परीक्षकों/शाखाओं के निरीक्षकों की रिपोर्ट को समेकित करके आवधिक रूप से लेखा परीक्षा समिति को प्रस्तुत किया जाता है।

6. संचार के माध्यम

बैंक से संबंधित जानकारी प्रमुखतः वार्षिक रिपोर्ट द्वारा जारी की जाएगी जिसमें निदेशक की रिपोर्ट, लेखापरीक्षक की रिपोर्ट, नकदी प्रवाह विवरण, समेकित लेखा परीक्षित लेखे आदि शामिल हैं। शेयरधारकों को समाचार पत्रों में प्रकाशन, स्टॉक एक्सचेंजों को सूचना (एनएसई एवं बीएसई) प्रेस विज्ञाप्तियां, जहाँ भी संभव हो – ईमेल, जोकि बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे, के द्वारा त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक निष्पादनों की जानकारी दी जाएगी। बैंक ब्याज दरों में संशोधन, नए उत्पादों के प्रवर्तन, नई शाखाओं का खोला जाना जैसे विभिन्न परिचालन मामलों पर प्रेस विज्ञप्तियाँ जारी करता है जोकि बैंक की वेबसाइट (www.indianbank.in) पर भी उपलब्ध हैं।

बैंक ने अन्य समाचार पत्रों के अतिरिक्त अपने तिमाही/छमाही/वार्षिक वित्तीय परिणामों को एक राष्ट्रीय (अंग्रेजी) और एक स्थानीय (तमिल) समाचार पत्र में नीचे दिए गए विवरण के अनुसार लिस्टिंग करार के क्लाज 41 में अनुबद्ध शर्तों के अनुसार प्रकाशित किया है। वर्ष 2016–17 के दौरान किए गए ऐसे प्रकाशनों का विवरण निम्नानुसार है।

..... को समाप्त तिमाही/छमाही/वर्ष	समाचार पत्र	प्रकाशन की तिथि
31.03.2016	बिजनस लाइन डेयली तंती बिज़नस स्टैन्डर्ड (हिन्दी)	12.05.2016 12.05.2016 13.05.2016
30.06.2016	बिजनस लाइन दिनमलर बिज़नस स्टैन्डर्ड (हिन्दी)	03.08.2016 03.08.2016 04.08.2016
30.09.2016	बिजनस लाइन दिनमणि बिज़नस स्टैन्डर्ड (अंग्रेजी – हिन्दी)	10.11.2016 10.11.2016 10.11.2016
31.12.2016	बिजनस लाइन डेयली तंती बिज़नस स्टैन्डर्ड (अंग्रेजी – हिन्दी)	26.01.2017 26.01.2017 26.01.2017

बैंक ने वर्ष के दौरान विभिन्न मूल्य से संबंधित संवेदनशील जानकारी की सूचना स्टॉक एक्स्चेंज (एनएसई और बीएसई) को दी है।

g) As a part of Corporate Governance and towards achieving greater transparency, Whistle Blower Policy has been formulated and put in place by the Bank and in terms of which a mechanism has been established for staff members to report to the management concerns about unethical behavior, actual or suspected fraud or violation of the Bank's code of conduct or ethics policy and no personnel has been denied access to the Audit Committee in this regard.

h) As compliance to SEBI (LODR) Regulations, Bank has formulated a Dividend Distribution Policy in line with the guidelines issued by Reserve Bank of India and Government of India in this regard, which is ported in Bank's website www.indianbank.in.

h) Mandatory and Discretionary requirements:

The Bank has complied with all the applicable mandatory requirements as provided in Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and the Listing Agreement entered into with the Stock Exchanges. The extent of implementation of discretionary requirements is furnished as under:

Requirement	Compliance
A. Board: A non-executive Chairperson may be entitled to maintain a chairperson's office at the listed entity's expense and also allowed reimbursement of expenses incurred in performance of his duties.	The Board is chaired by a Non-Executive Chairman appointed by the Government of India and the reimbursement of expenses incurred by him is in terms of Government of India guidelines.
B. Shareholder rights: A half-yearly declaration of financial performance including summary of the significant events in last six-months, may be sent to each household of shareholders.	The Bank ensures compliance of the requirement.
C. Modified Opinion(s) in audit report: The listed entity may move towards a regime of financial statements with unmodified audit opinion.	The audit report on the financial statements of the Bank is unqualified.
D. Separate posts of Chairperson and Chief Executive Officer: The listed entity may appoint separate persons to the post of chairperson and managing director or chief executive officer.	The Bank is having separate Non-Executive Chairman and Managing Director & CEO.
E. Reporting of internal auditor: The internal auditor may report directly to the audit committee	The concurrent auditors / inspectors of branches reports are consolidated and placed before the audit committee by the Bank periodically.

6. Means of Communication

Information relating to Bank will be mainly issued through the Annual Report which includes the Directors Report, Auditors Report, Cash Flow Statements, Consolidated Audited Accounts etc. The shareholders will also be intimated on the quarterly, half yearly and annual performance through individual communication, publication in newspapers, intimation to Stock Exchanges (NSE & BSE), press release, presentation, email wherever possible, which is also available on the website of the Bank. The Bank issues press release on various operational matters such as revision in interest rates, launching of new products, opening of new branches etc. which are also available on the website of the Bank (www.indianbank.in).

The Bank has published its quarterly / half-yearly / annual financial results in one national (English) and one vernacular (Tamil) newspaper as detailed below as per the terms stipulated in Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, in addition to other newspapers. The details of such publications made during the year 2016-17 are as under:

Quarter / Half-year / Year ended	Newspaper	Date of publication
31.03.2016	Business Line Daily Thanthi Business Standard-Hindi	12.05.2016 12.05.2016 13.05.2016
30.06.2016	Business Line Dinamalar Business Standard (Hindi)	03.08.2016 03.08.2016 04.08.2016
30.09.2016	Business Line Dhinamani Business Standard (English&Hindi)	10.11.2016 10.11.2016 10.11.2016
31.12.2016	Business Line Daily Thanthi Business Standard (English&Hindi)	26.01.2017 26.01.2017 26.01.2017

The Bank has also notified the Stock Exchanges (NSE and BSE) various price sensitive information during the year.

7. सामान्य शेयरधारकों की जानकारी

इंडियन बैंक के लेखों पर विचार करने व लाभांश की घोषणा के लिए बोर्ड की बैठक	12 जून 2017, सुबह 10.30 बजे
वार्षिक सामान्य बैठक का दिनांक, समय और सीन	12 जून 2017, पूर्वाह्न 10.30 इमेज ऑडिटोरियम, एमआरसी नगर, राजा अण्णामलैपुरम चेन्नै 600 028
वित्तीय वर्ष	2016–17
बही समापन तारीख	06 जून 2017 से 12 जून 2017 तक (दोनों दिनों को शामिल करते हुए)
2016–17 के लिए लाभांश	रु. 6.00 (रु 10/– अंकित मूल्यवाले प्रत्येक ईक्विटी शेयर के लिए 60 प्रतिशत)
प्राक्सी फ़ार्म प्राप्त करने की अंतिम तारीख	07 जून 2017
लाभांशों के भुगतान की तारीख	आगामी वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख से 30 दिनों के अंदर

ए. स्टॉक एक्सचेंजों में लिस्टिंग

बैंक के ईक्विटी शेयर 01 मार्च, 2007 के प्रभाव से भारतीय नेशनल स्टॉक एक्स्चेंज लिमिटेड (मेसर्स भारतीय नेशनल स्टॉक एक्स्चेंज लिमिटेड, एक्सचेंज प्लाज़ा, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, सी–1, ब्लॉक "जी", बांद्रा (पूर्वी मुंबई) व बीएसई लिमिटेड (मेसर्स बीएसई लिमिटेड, पी जे टवर्स, दलाल स्ट्रीट, फोर्ट, मुंबई – 400001) के पास सूचीबद्ध है। एक्सचेंज के स्क्रिप कोड निम्नानुसार हैं।

क्रमांक	स्टॉक एक्सचेंज	स्टॉक	स्क्रिप कोड
1.	एन एस ई	ईक्विटी	INDIANB
2.	बी एस ई	ईक्विटी	INDIANB / 532814

बैंक ने वर्ष 2016–17 के लिए स्टॉक एक्सचेंजों को लिस्टिंग शुल्क का भुगतान किया है।

बी. अनुपालन अधिकारी

श्री वी ए प्रशांत, महाप्रबन्धक जून 27, 2016 तक अनुपालन अधिकारी के पद पर रहे। श्री पी ए कृष्णन, उप महाप्रबंधक को अनुपालन अधिकारी के रूप में जून 28, 2016 से सेबी तथा अन्य सांविधिक प्राधिकारियों के विभिन्न प्रावधानों का अनुपालन करने हेतु पदनामित किया गया है। श्री ए गणेस रत्नम, कंपनी सचिव को स्टॉक एक्सचेंजों के साथ लिए गए एसईबीआई (एलओडीआर) विनियमन और लिस्टिंग एग्रीमेंटों के विभिन्न प्रावधानों के अनुपालनार्थ अनुपालन अधिकारी के रूप में पदनामित किया गया है।

सी. शेयर हस्तांतरण और निवेशकों की शिकायतों का निवारण :

बैंक ने शेयरों के अंतरण/प्रेषण के लिए शेयरधारकों के अनुरोधों को रिकॉर्ड करने, निवेशकों की शिकायतों का निवारण करने तथा शेयरों के जारीकरण से संबंधित अन्य कार्यकलापों को संभालने के लिए मेसर्स केमियो कार्पोरेट सर्विसेज़ लि., चेन्नै को शेयर हस्तांतरण एजेंट के रूप में नियुक्त किया है। निवेशकों की सुविधा के लिए, उनकी शिकायतें चेन्नै स्थित बैंक के कॉर्पोरेट कार्यालय में भी स्वीकार की जाती हैं।

निवेशक, अपने अनुरोध / शिकायतों को या तो शेयर हस्तांतरण एजेंट के पास या बैंक के पास निम्नलिखित पते पर दे सकते हैं :

केमियो कॉर्पोरेट सर्विसेज़ लि. यूनिट : इंडियन बैंक सुब्रमणियन बिल्डिंग 1, क्लब हाउस रोड चेन्नै 600 002 टेलीफोन : (91 44) 28460718 फैक्स : (91 44) 28460129 ई–मेल : investor@cameoindia.com	कंपनी सचिव इंडियन बैंक, कॉर्पोरेट कार्यालय इन्वेस्टर सर्विसेज़ सेल 254–260, अव्वै षण्मुगम सालै रायपेट्टा, चेन्नै 600 014 टेलीफोन : (91 44) 28134076 फैक्स : (91 44) 28134075 ई–मेल : investors@indianbank.co.in

प्राप्त, निवारण की गई एवं लंबित शिकायतों की संख्या :
2016–17 के दौरान प्राप्त एवं निवारण की गई तथा 31.03.2017 को लंबित शिकायतों की संख्या निम्नवत् है :

01.04.2016 को लंबित	01.04.16 से 31.03.2017 तक प्राप्त	निवारण किए गए	31.03.17 को लंबित
0	35	35	0

7. General Shareholder Information

Board Meeting for considering accounts of Indian bank and declaration of dividend	April 25, 2017
Date, Time and venue of AGM	June 12, 2017, 10.30 a.m IMAGE Auditorium, MRC Nagar. Raja Annamalaipuram, Chennai - 600 028.
Financial Year	2016-17
Book closure dates	June 06, 2017 to June 12, 2017 (Both dates inclusive)
Dividend for 2016-17	₹ 6.00 (60% on equity share of face value of ₹10 each)
Last date of receipt of proxy forms	June 07, 2017
Date of payment of Dividend	Within 30 days from the date of the ensuing Annual General Meeting

a. Listing on Stock Exchanges –

The Equity Shares of the Bank are listed with the National Stock Exchange of India Limited (M/s National Stock Exchange of India Limited, Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex, C-1, Block "G", Bandra (East), Mumbai 400 051) and the BSE Limited (M/s BSE Limited, P J. Towers, Dalal Street, Fort, Mumbai 400 001) with effect from March 01, 2007. The Scrip codes of the respective Stock Exchange are as under:

No.	Stock Exchange	Stock	Scrip Code
1.	N S E	Equity	INDIANB
2.	B S E	Equity	INDIANB / 532814

The Bank has paid the listing fees for the year 2016-17 to the stock exchanges.

b. Compliance Officer(s):

Shri V A Prasanth, General Manager was the Compliance Officer till June 27, 2016. Shri P A Krishnan, Deputy General Manager has been designated as Compliance Officer from June 28, 2016 for complying with various provisions of SEBI and other statutory authorities. Shri. A. Ganesa Rathnam, Company Secretary has been designated as the Compliance Officer for complying with various provisions of SEBI (LODR) Regulations and Listing Agreement entered into with the Stock Exchanges.

c. Share Transfer & Redressal of Investors' Grievances:

The Bank has appointed M/s Cameo Corporate Services Limited, Chennai, as the Share Transfer Agent for recording of shareholders requests for transfer / transmission of shares, resolution of investors grievances amongst other activities connected with the issue of shares. For the convenience of investors, grievances / complaints from them are also accepted at the Bank's Corporate Office in Chennai.

The investors may lodge their requests / complaints either with the Share Transfer Agent or with the Bank at the following addresses:

Cameo Corporate Services Limited Unit: Indian Bank Subramanian Building 1, Club House Road Chennai – 600 002. Tel: (91 44) 28460718 Fax: (91 44) 28460129 Email:investor@cameoindia.com	Company Secretary Indian Bank, Corporate Office Investor Services Cell 254-260, Avvai Shanmugam Salai Royapettah, Chennai - 600 014. Telephone : (91 44) 28134076 Fax : (91 44) 28134075 Email: investors@indianbank.co.in

Number of Complaints received, resolved and pending:

The details of complaints received and resolved during 2016-17 and pending as on 31.03.2017 are as follows:

Pending as on 01.04.2016	Received from 01.04.2016 to 31.03.2017	Resolved	Pending as on 31.03.2017
0	35	35	0

डी. 31.03.2017 को शेयरधारिता पैटर्न :

31.03.2017 को 1 प्रतिशत तथा उससे अधिक शेयर धारण करनेवाले शेयरधारकों की सूची :

सं.	शेयर धारकों का नाम	धारित शेयरों की संख्या	कुल धारिता के तहत प्रतिशत
1.	भारत सरकार	394341651	82.10
2.	भारतीय जीवन बीमा निगम	15071796	3.14
3.	एचएसबीसी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फण्ड्स, खाता एचएसबीसी	9224723	1.92
4.	एचडीएफ़सी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड – खाता एचडीएफ़सी मिड–कैप आपरच्युनिटीस फण्ड	8903100	1.85

31.03.2017 तक कुल विदेशी धारिता:

सं.	शेयर धारकों का संवर्ग	धारित शेयरों की संख्या	कुल धारिता के तहत प्रतिशत
1.	विदेशी संस्थागत निवेशक	6463075	1.35
2.	विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक	27065370	5.64
3.	एनआरआई	400325	0.08
	कुल	**33928770**	**7.07**

31.03.2017 तक शेयरधारिता का वितरण:

संवर्गवार :

सं.	संवर्ग	धारित शेयरों की संख्या	राशि (रु.)	शेयरधारिता का प्रतिशत
1.	भारत सरकार	394341651	3943416510	82.10
2.	बैंक एवं वित्तीय संस्थाएँ (केन्द्रीय/राज्य संस्थाएँ)	15748607	157486070	3.28
3.	म्यूचुअल फ़ण्ड और यूटीआई	23673971	236739710	4.93
4.	कार्पोरेट निकाय	1577493	15774930	0.33
5.	एफआईआई / एफ़पीआई	33528445	335284450	6.99
6.	निवासी होल्डिंग्स इत्यादि	11421484	114214840	2.37
	कुल	**480291651**	**4802916510**	**100.00**

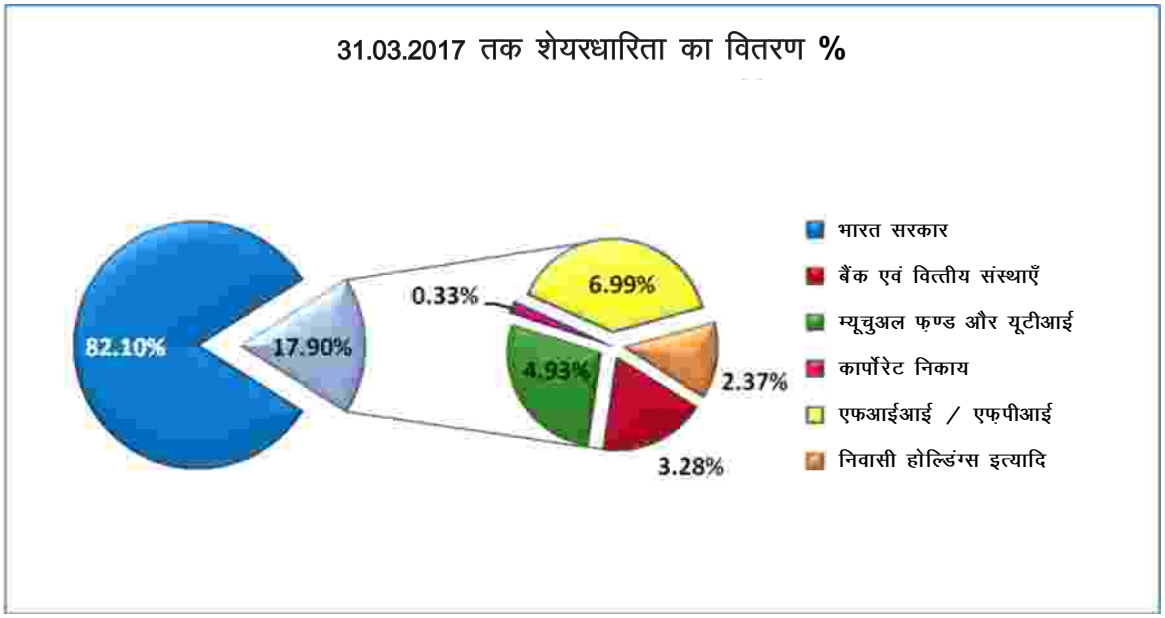

d. Shareholding pattern as on 31.03.2017:

List of shareholders holding shares 1% and above as on 31.03.2017:

No.	Names of Shareholders	No. of shares held	% to total holding
1.	Government of India	394341651	82.10
2.	Life Insurance Corporation of India	15071796	3.14
3.	HSBC Global Investment Funds – Indian Equity	9224723	1.92
4.	HDFC Trustee Company Limited – A/c HDFC Mid-Cap Opportunities Fund	8903100	1.85

Total foreign holding as on 31.3.2017:

No.	Category of Shareholders	No. of shares held	% to total holding
1.	Foreign Institutional Investors	6463075	1.35
2.	Foreign Portfolio Investors	27065370	5.64
3.	NRIs	400325	0.08
	T o t a l	**33928770**	**7.07**

Distribution of shareholdings as on 31.03.2017:

Category wise:

No.	Category	No. of Shares held	Amount (₹)	% of Shareholding
1.	Government of India	394341651	3943416510	82.10
2.	Banks & Financial Institutions (Central / State Institutions)	15748607	157486070	3.28
3.	Mutual Funds & UTI	23673971	236739710	4.93
4.	Bodies Corporate	1577493	15774930	0.33
5.	FIIs /FPIs	33528445	335284450	6.99
6.	Resident Holdings, etc.	11421484	114214840	2.37
	TOTAL	**480291651**	**4802916510**	**100.00**

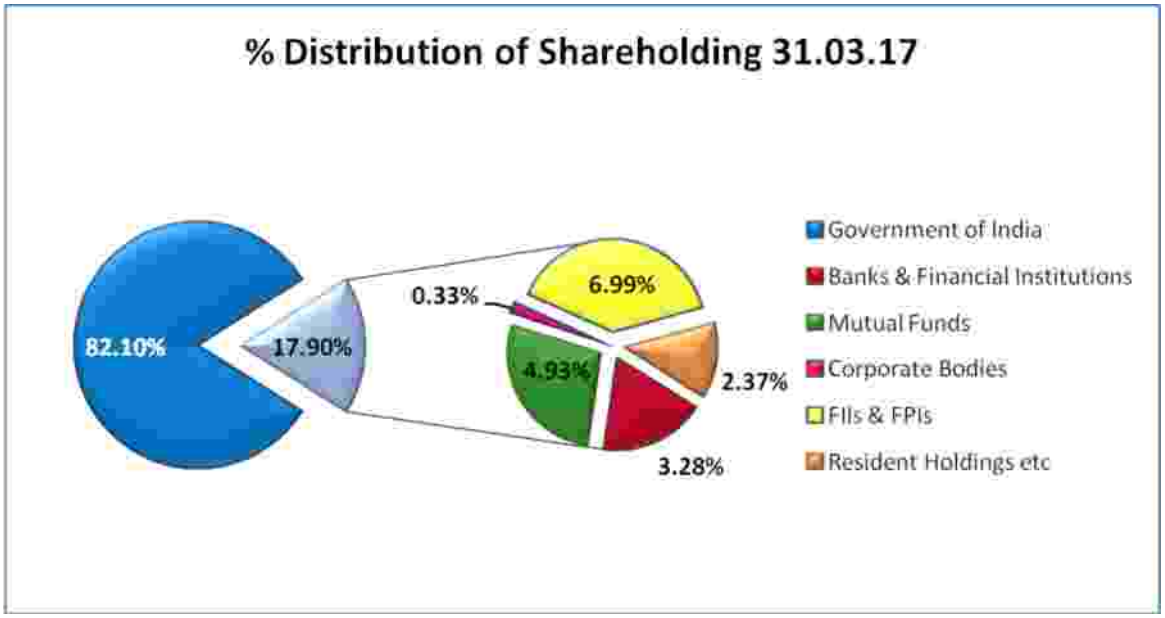

मूल्यवार :

अंकित मूल्य के शेयरों की शेयरधारिता ₹	शेयर धारक		शेयर	
	संख्या	%प्रतिशत	संख्या	%प्रतिशत
Upto 5000	60421	95.14	67562850	1.41
5001 – 10000	1774	2.79	13259490	0.28
10001 – 20000	677	1.07	9646050	0.20
20001 – 30000	185	0.29	4613140	0.10
30001 – 40000	76	0.12	2702510	0.05
40001 – 50000	59	0.09	2759840	0.05
50001 – 100000	122	0.19	8711340	0.18
100001 & above	194	0.31	4693661290	97.73
कुल	**63508**	**100.00**	**4802916510**	**100.00**

मासिक उच्च एवं निम्न कोटेशन एवं शेयरों की मात्रा :

माह	एनएसई			बीएसई			मात्रा (संख्याएँ लाख में)
	डचच (₹)	निम्न (₹)	मात्रा (संख्याएँ लाख में)	डचच (₹)	निम्न (₹)	मात्रा (संख्याएँ लाख में)	
अप्रैल 2016	108.95	96.40	48.36	107.20	96.65	3.08	51.44
मई 2016	97.70	84.90	58.14	98.25	84.80	4.52	62.66
जून 2016	147.40	90.00	158.15	147.10	90.00	19.09	177.24
जुलाई 2016	165.90	139.45	106.34	166.00	140.10	13.19	119.53
अगस्त 2016	236.80	145.00	538.39	236.80	151.60	133.89	672.28
सितंबर 2016	242.00	204.65	121.36	242.05	204.70	44.52	165.88
अक्तूबर 2016	237.60	206.50	89.00	237.00	208.00	30.94	119.94
नवंबर 2016	276.40	185.00	182.73	275.90	190.30	27.18	209.91
दिसंबर 2016	257.50	196.50	94.16	257.60	196.20	10.42	104.58
ज्नवरी 2017	279.00	218.95	109.28	279.00	219.00	16.62	125.90
फरवरी 2017	310.00	270.00	83.57	310.00	270.00	11.01	94.58
मार्च 2017	295.00	256.75	107.54	295.00	256.20	25.52	133.06

वर्ष 2016–17 के दौरान एनएसई निफ्टी 50 की तुलना में ईक्विटी का निष्पादन

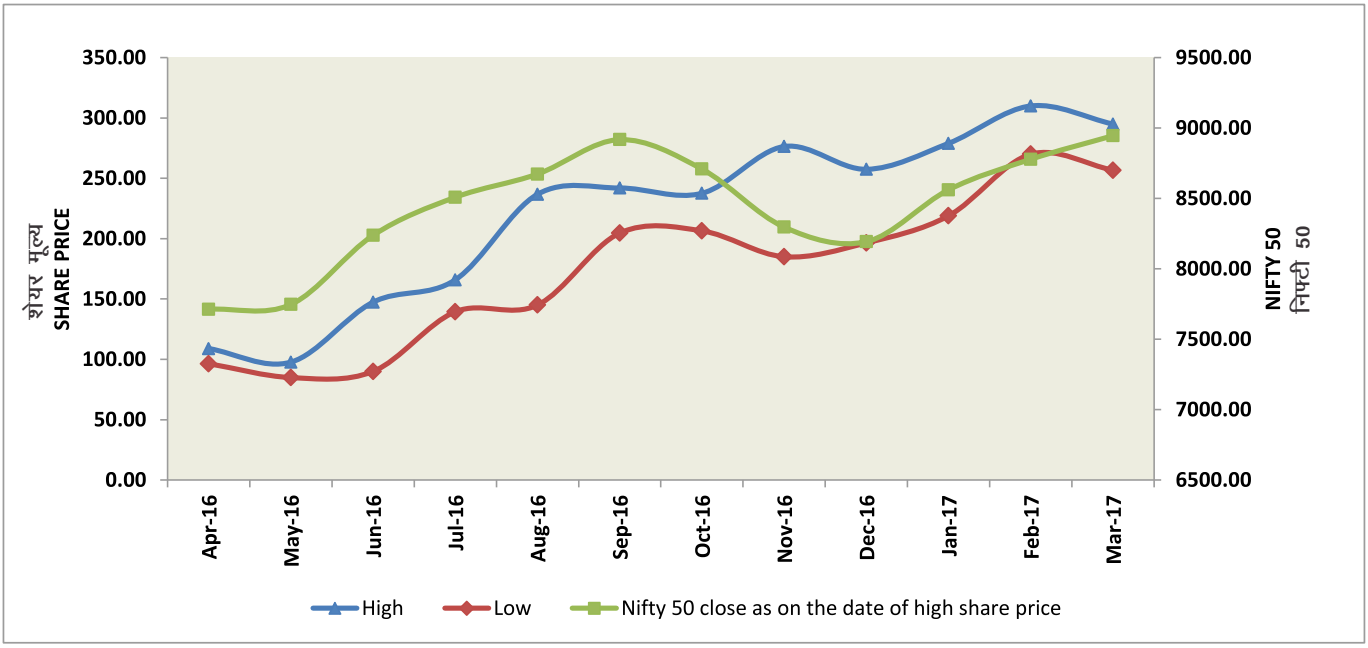

Value wise:

Shareholding of Nominal value ₹	Shareholders		Shares	
	Nos.	%age	₹	%age
Upto 5000	60421	95.14	67562850	1.41
5001 – 10000	1774	2.79	13259490	0.28
10001 – 20000	677	1.07	9646050	0.20
20001 – 30000	185	0.29	4613140	0.10
30001 – 40000	76	0.12	2702510	0.05
40001 – 50000	59	0.09	2759840	0.05
50001 – 100000	122	0.19	8711340	0.18
100001 & above	194	0.31	4693661290	97.73
TOTAL	**63508**	**100.00**	**4802916510**	**100.00**

Monthly High and low quotation and volume of shares:

Month	N S E			B S E			Total Volume (Nos. in lacs)
	High (₹)	Low (₹)	Volume (Nos. in lakh)	High (₹)	Low (₹)	Volume (Nos. in lakh)	
April 2016	108.95	96.40	48.36	107.20	96.65	3.08	51.44
May 2016	97.70	84.90	58.14	98.25	84.80	4.52	62.66
June 2016	147.40	90.00	158.15	147.10	90.00	19.09	177.24
July 2016	165.90	139.45	106.34	166.00	140.10	13.19	119.53
August 2016	236.80	145.00	538.39	236.80	151.60	133.89	672.28
September 2016	242.00	204.65	121.36	242.05	204.70	44.52	165.88
October 2016	237.60	206.50	89.00	237.00	208.00	30.94	119.94
November 2016	276.40	185.00	182.73	275.90	190.30	27.18	209.91
December 2016	257.50	196.50	94.16	257.60	196.20	10.42	104.58
January 2017	279.00	218.95	109.28	279.00	219.00	16.62	125.90
February 2017	310.00	270.00	83.57	310.00	270.00	11.01	94.58
March 2017	295.00	256.75	107.54	295.00	256.20	25.52	133.06

Equity Performance in comparison with NSE Nifty 50 during the year 2016-17

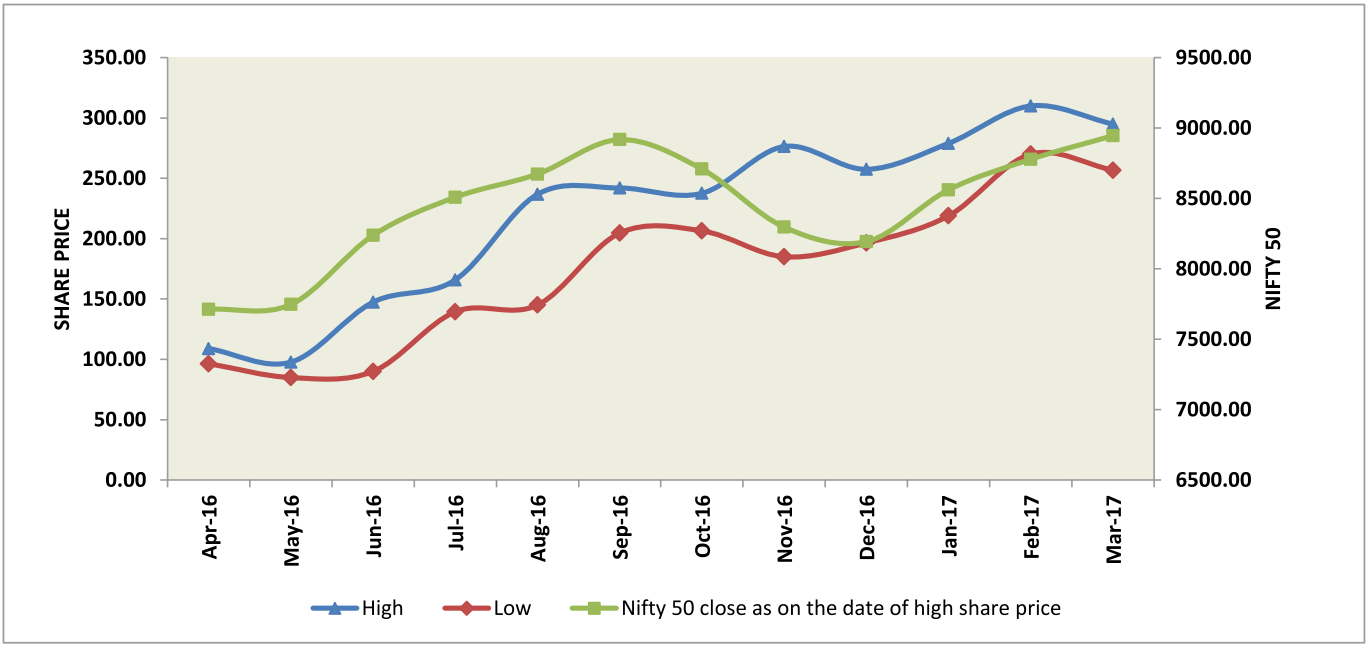

ई) शेयरों का अमूर्तकरण(कागज़ रहित करना)

बैंक के शेयर में लेनदेन, अनिवार्यतः कागज़ – रहित रूप में किए जाते हैं तथा बैंक ने नेशनल सेक्यूरिटीज़ डिपॉज़िटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) तथा सेंट्रल डिपॉज़िटरी सेर्विसेज़ (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) के साथ करार किया है तथा आईएसआईएन, आईएनई 562A01011 है। 31.03.2017 को कागज़–रहित रूप में और कागज़ के रूप में धारित शेयरों के विवरण निम्नवत् हैं :–

संख्या	फॉर्म	शेयरों की संख्या	
1.	भौतिक (कागज के रूप में)		1555
2.	डी–मेट – एनएसडीएल के साथ सीडीएसएल के साथ	83324305 396965791	 480290096
	कुल		**480291651**

मार्च 2017 को कोई भी ग्लोबल डिपोजिटरी रसीद या अमरीकी डिपोजिटरी रसीद या वारेंट या कोई संपरिवर्तनीय बकाया नहीं थे।

एफ) बैंक ने समय–समय पर अपरिवर्तनीय बॉन्डों को जारी किया है और ऐसे बॉन्डों का विवरण दिनांक 31 मार्च, 2017 तक निम्नानुसार है।

शृंखला	आबंटन की तारीख	मात्रा (रु करोड़ में)	अवधि (महीनों में)	कूपन (%)	मोचन की तारीख
टियर II	28.06.2010	500.00	120	8.53	28.06.2020
टियर II	16.07.2010	500.00	180	8.67	16.07.2025*
अतिरिक्त टियर I बेसल III का अनुपालन	30.03.2016	500.00	स्थायी **	11.15	-
टियर II	28.07.2016	600.00	120	8.10	28.07.2026***

* दिनांक 16.07.2020 तक कॉल ऑप्शन उपलब्ध है।

** प्रथम कॉल ऑप्शन 30.03.2021 को उपलब्ध तथा इसके पश्चात प्रत्येक कूपन की तारीख को उपलब्ध।

*** कॉल ऑप्शन 28.07.2021 को उपलब्ध ।

निर्गम के लिए बॉन्ड ट्रस्टी

i बैंक ने दिनांक जून 28, 2010 तथा जुलाई 16, 2010 को जारी किए गए टियर II बॉन्ड के लिए बॉन्ड ट्रस्टी के रूप में मेसर्स आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड, मुंबई को बॉन्डों के निवेशकों के हित को सुरक्षित एवं संरक्षित रखने हेतु नियुक्त किया है। निर्गम के ट्रस्टियों का पता – मेसर्स आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड, भूतल, एशियन बिल्डिंग, सं.17 आर, कामनी रोड, बलार्ड एस्टेट, फोर्ट, मुंबई – 400 001

ii बैंक ने दिनांक मार्च 30, 2016 को जारी किए गए अतिरिक्त टियर I बॉन्ड तथा जुलाई 28, 2016 को जारी टियर II बांडों के लिए बॉन्ड ट्रस्टी के रूप में मेसर्स एक्सिस ट्रस्टी सर्विसेज लिमिटेड मुंबई को बॉन्डों के निवेशकों के हित को सुरक्षित एवं संरक्षित रखने हेतु नियुक्त किया है। निर्गम के ट्रस्टियों का पता – मेसर्स एक्सिस ट्रस्टी सर्विसेज लिमिटेड, भू तल, एक्सिस हाउस, बॉम्बे डाइंग मिल्स कॉम्पाउण्ड पांडुरंग बुधकर मार्ग, वरली, मुंबई 400 025

जी) सस्पेन्स (उचंत) खाते में शेयर

लिस्टिंग करार में अनुबद्ध किये गये क्लॉज़ 5ए की अपेक्षा के अनुपालन में इनिशियल पब्लिक ऑफर में जारी किये गये, परंतु बैंक तथा रजिस्ट्रार के प्रयासों के बावजूद भी अदावी रहनेवाले शेयरों को बैंक इस प्रयोजनार्थ खोले गये सस्पेन्स (उचंत) खाते में रखता है। सस्पेन्स, (उचंत) खाते में रखे गए ऐसे शेयरों के विवरण निम्नवत् हैं :

विवरण	शेयरधारकों की संख्या	बकाया अदत्त शेयर
वर्ष के आरंभ में बकाया	24	4031
हस्तांतरण हेतु संपर्क करनेवाले शेयरधारकों की संख्या	3	447
शेयरधारकों की संख्या जिन्हें हस्तांतरित किये गये	3	447
वर्षांत में बकाया	21	3584

एच) दावा नहीं किए गए लाभांश

अक्तूबर 16, 2006 को लागू बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) और वित्तीय संस्थाएँ नियम (संशोधन) अधिनियम 2006 ने बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 / 1980 में एक नयी धारा 10(बी) लगाया है जिसमें निम्नानुसार प्रावधान किया गया है:

1. घोषणा की तारीख के 30 दिनों के बाद वाली 7 दिनों की अवधि के अंदर यदि किसी शेयरधारक ने लाभांश को नहीं भुनाया है / दावा नहीं किया है तो बैंक के चालू खाते में रहनेवाली ऐसी राशियाँ, ''वर्ष ..... के लिए इंडियन बैंक का अदत्त लाभांश'' नामक पृथक खाते में अंतरित किया जाए।

2. अदत्त लाभांश खाते में अंतरित कोई भी राशि यदि ऐसे अंतरण की तारीख से 7 वर्षों की अवधि के लिए अदत्त रहती या उसके लिए दावा नहीं की जाती तो उसका अंतरण कंपनी अधिनियम, 1956 की उपधारा 205 सी के अंतर्गत स्थापित निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि (आईईपीएफ) को किया जाए।

तदनुसार, पिछले वर्षों के लिए अदत्त लाभांश को इंडियन बैंक के अदत्त लाभांश खाते में अंतरित किया गया है और इसके बाद ऐसे अंतरण की तारीख से 7 वर्षों की अवधि के लिए अदत्त या अदावी रहनेवाली राशियों को निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में अंतरित किया जाएगा। तदनुसार, वर्ष 2008–09(अंतरिम) से संबंधित 7.19 लाख रुपए की अदावी लाभांश राशि और वर्ष 2008–09 (अंतिम) से संबंधित 8.04 लाख रुपए की अदावी लाभांश राशि को वर्ष 2016–17 के दौरान निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि को अंतरित किया गया।

e. Dematerialization of Shares

The shares of the Bank are compulsorily traded in dematerialized form and the Bank has entered into agreements with the National Securities Depository Limited (NSDL) and Central Depository Services (India) Limited (CDSL) and the ISIN is INE562A01011. As on March 31, 2017 the details of equity shares held in dematerialised and physical form were as under.

No.	Form	No. of shares	
1.	Physical		1555
2.	D-Mat - with NSDL	83324305	
	with CDSL	396965791	480290096
	TOTAL		**480291651**

There was no outstanding Global Depository Receipts or American Depository Receipts or warrants or any convertible instruments as on March 31, 2017.

f. The Bank has raised Non-convertible Bonds from time to time and the details of such bonds outstanding as on March 31, 2017 are as under:

Series	Date of allotment	Size (Rs. in crore)	Tenor (in months)	Coupon (%)	Redemption date
Tier II	28.06.2010	500.00	120	8.53	28.06.2020
Tier II	16.07.2010	500.00	180	8.67	16.07.2025*
Additional Tier I – Basel III compliant	30.03.2016	500.00	Perpetual**	11.15	-
Tier II	28.07.2016	600.00	120	8.10	28.07.2026***

* Call option available on 16.07.2020. ** First call option available on 30.03.2021 & there after every coupon date.
***Call option available on 28.07.2021.

Bond Trustee to the Issue:

I. The Bank has appointed M/s IDBI Trusteeship Services Limited, Mumbai as Bond Trustees to Tier II Bonds issued on June 28, 2010 and July 16, 2010, to safeguard and to protect the interests of the investors of the Bonds. Address of the Trustees to the Issue is M/s IDBI Trusteeship Services Limited, Ground Floor, Asian Building, No.17 R, Kamani Marg, Ballard Estate, Fort, Mumbai - 400 001.

ii. The Bank has appointed M/s Axis Trustee Services Limited, Mumbai as Bond Trustees to Additional Tier I Bonds issued on March 30, 2016 and Tier II bonds issued on July 28, 2016 to safeguard and to protect the interests of the investors of the Bonds. Address of the Trustee to the Issue is M/s Axis Trustee Services Limited, Ground Floor, Axis House, Bombay Dyeing Mills Compound, Pandurang Budhkar Marg, Worli, Mumbai - 400 025.

g. Shares in Suspense Account

In compliance of the requirement stipulated in Regulation 39 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Bank is keeping the shares issued pursuant to the Initial Public Offer, which remain unclaimed despite the best efforts of the Bank and the Share Transfer Agent in a Suspense Account opened for this purpose. The details of such shares lying in the Suspense Account are as under:

Particulars	No. of shareholders	Shares outstanding
Outstanding at the beginning of the year	24	4031
No. of shareholders approached for transfer	3	447
No. of shareholders to whom shares were transferred	3	447
Outstanding at the end of the year	21	3584

h. Unclaimed Dividend

The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) and Financial Institutions Laws (Amendment) Act, 2006, which has come into force on October 16, 2006, has inserted a new section 10 B in the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980, which provides as under:

1. Within 7 days from the expiry of 30 days from the date of declaration, if any shareholder has not encashed / claimed the dividend, such amounts lying in the bank current account, have to be transferred to a separate account styled "Unpaid Dividiend of Indian Bank for the year….."
2. Any money transferred to the Unpaid Dividend account, which remains unpaid or unclaimed for a period of seven years from the date of such transfer, shall be transferred to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) established under sub-section 205C of the Companies Act, 1956.

Accordingly, the unpaid dividends of previous years have been transferred to Unpaid Dividend accounts of Indian Bank and hence, such monies remaining unpaid or unclaimed for a period of seven years from the date of such transfer shall be transferred to the Investor Education and Protection Fund. Accordingly, the unclaimed dividend amounts of ₹ 7.19 lakhs pertaining to the year 2008-09 (Interim) and ₹ 8.04 lakhs pertaining to the year 2008-09 (Final) were transferred to Investor Education and Protection Fund during the year 2016-17.

2009–10 से 2015–16 तक पिछले वर्षों के लिए अदत्त लाभांश खातों के विवरण तथा आईईपीएफ में उनके अंतरण के लिए नियत तारीख निम्नानुसार हैं:

क्रम सं.	अदत्त लाभांश के विवरण	31.03.2016 को शेष (ए)	आईईपीएफ को अंतरण के लिए नियत तारीख
1.	अंतरिम लाभांश 2009–10	6,72,117.50	मार्च 2017*
2.	अंतिम लाभांश 2009–10	7,42,968.00	जुलाई 2017
3.	लाभांश 2010–11	12,27,052.50	अगस्त 2018
4.	लाभांश 2011–12	14,12,460.00	अगस्त 2019
5.	लाभांश 2012–13	14,83,152.00	अगस्त 2020
6.	अंतरिम लाभांश 2013–14	10,07,796.00	फरवरी 2021
7.	अंतिम लाभांश 2013–14	5,78,329.80	अगस्त 2021
8.	लाभांश 2014–15	10,17,521.40	अगस्त 2022
9.	लाभांश 2014–15	5,44,180.50	अगस्त 2023

* तत्पश्चात आईईपीएफ को अंतरित

ऐसे शेयर धारक/निवेशक जिन्होंने अपना लाभांश वारंट/धन वापसी आदेशों की भुनाई नहीं की है, से अनुरोध है कि वे बैंक के चेन्नै स्थित कॉर्पोरेट कार्यालय के निवेशक सेवा कक्ष या बैंक के शेयर अंतरण ऐजेंट के पास अंतरण के लिए नियत तारीख के पहले अपने अद्यतन बनाई गई ग्राहक मास्टर सूची/बैंक अधिदेश के साथ संपर्क करें ताकि लाभांश/ धन वापसी की राशि को उनके खाते में जमा की जा सकें।

आई) सेबी (आंतरिक व्यक्ति द्वारा ट्रेडिंग पर रोक) विनियमन 2015 का अनुपालन:

उपर्युक्त विनियमनों के अनुपालन में बैंक ने अपनी प्रतिभूतियों में डीलिंग करनेवाले नामोद्दिष्ट कर्मचारियों और निदेशकों के लिए आंतरिक व्यक्ति द्वारा ट्रेडिंग पर रोक के लिए आचार संहिता बनाई है। इन विनियमनों की शर्तों की अपेक्षानुसार बैंक के नामोद्दिष्ट कर्मचारियों और निदेशकों से आवधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए विभिन्न फार्म बनाए गए हैं। आगे, वर्ष 2016–17 के दौरान निम्नलिखित विवरणों के अनुसार बैंक के शेयरों में डीलिंग करने के लिए नामोद्दिष्ट कर्मचारियों और निदेशकों के लिए ट्रेडिंग विंडो बंद कर दिया गया था :

ट्रेडिंग विंडो बंद करने की तारीख	बंद करने का उद्देश्य
03 मई 2016 से 13 मई 2016 तक	मार्च 31, 2016 को समाप्त तिमाही एवं वर्ष के लिए वित्तीय परिणामों की घोषणा एवं वर्ष 2015–16 हेतु अंतरिम लाभांश की घोषाणा
15 जुलाई, 2016 से 04 अगस्त, 2016 तक	जून 30, 2016 को समाप्त तिमाही के लिए वित्तीय परिणामों की घोषणा
28 अक्तूबर, 2016 से 11 नंबवर, 2016 तक	सितम्बर 30, 2016 को समाप्त तिमाही / छमाही के लिए वित्तीय परिणामों की घोषणा
14 जनवरी, 2017 से 27 जनवरी, 2017 तक	दिसम्बर 31, 2016 को समाप्त तिमाही / नौ महीनों के लिए वित्तीय परिणामों की घोषणा

जे) आचार संहिता :

बैंक ने निदेशक मंडल और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों पर लागू आचार संहिता बनायी है तथा निदेशक मंडल ने दिनांक 29 मार्च, 2007 को आयोजित अपनी बैठक में इसे अपना लिया है तथा बाद में इसमें संशोधन किया गया है और निदेशक मण्डल ने 23 दिसम्बर 2008 को उसे अनुमोदित किया है और इसे बैंक की वेबसाइट www.indianbank.in में भी उपलब्ध कराया गया है।

घोषणा

बैंक ने सभी बोर्ड सदस्यों और बैंक के वरिष्ठ प्रबंधन के लिए एक आचार संहिता बना ली है तथा इसे बैंक की वेबसाइट में भी उपलब्ध करा दिया गया है।

बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन ने आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है।

कृते इंडियन बैंक

किशोर खरात
प्रबंध निदेशक एवं मु.का.अ

The details of such Unpaid Dividend accounts of earlier years from 2009-10 to 2015-16 and the due dates for transfer to IEPF are as under:

Sl. No.	Details of Unpaid Dividend	Balance as on 31.03.2017 (₹)	Due Date of Transfer to IEPF
1.	Interim Dividend 2009-10	6,72,117.50	March 2017*
2.	Final Dividend 2009-10	7,42,968.00	July 2017
3.	Dividend 2010-11	12,27,052.50	August 2018
4.	Dividend 2011-12	14,12,460.00	August 2019
5.	Dividend 2012-13	14,83,152.00	August 2020
6.	Interim Dividend 2013-14	10,07,796.00	February 2021
7.	Final Dividend 2013-14	5,78,329.80	August 2021
8.	Dividend 2014-15	10,17,521.40	August 2022
9.	Dividend 2015-16	5,44,180.50	August 2023

* since transferred to IEPF.

Such of those shareholders / investors, who are yet to encash their Dividend Warrants / Refund Orders, are requested to approach Investor Services Cell of the Bank at its Corporate Office, Chennai or the Bank's Share Transfer Agent with their updated Client Master List / bank mandate before the due date(s) for transfer to enable the Bank to credit their bank accounts with the dividend / refund amounts.

i. Compliance with SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015.

In pursuance of the above Regulations, the Bank has formulated Code of Conduct for Prohibition of Insider Trading for Designated Employees and Directors for dealing in securities of the Bank. Various forms have been designed to receive periodical information from the Designated Employees and Directors of the Bank, as required in terms of these Regulations. Further, the Trading Window for dealing in shares of the Bank was closed for the Directors and Designated Employees of the Bank as per the following details during the year 2016-17:

Dates of closure of Trading Window	Purpose of Closure
From May 03, 2016 to May 13, 2016	Declaration of Financial Results for the quarter and year ended March 31, 2016 and declaration of Dividend for the year 2015-16.
From July 15, 2016 to August 04, 2016	Declaration of Financial Results for the quarter ended June 30, 2016.
From October 28, 2016 to November 11, 2016	Declaration of Financial Results for the quarter / half-year ended September 30, 2016.
From January 14, 2017 to January 27, 2017	Declaration of Financial Results for the quarter / nine months ended December 31, 2016.

j. Code of Conduct

The Bank has framed the Code of Conduct applicable to Board of Directors and Senior Management Personnel and the same has been adopted by the Board of Directors at its meeting held on March 29, 2007 and subsequently amended and approved by the Board of Directors on December 23, 2008 and the same has also been put on the Bank's website viz., www.indianbank.in.

Declaration

The Bank has laid down a Code of Conduct for all the Board Members and Senior Management of the Bank and the Code is posted on the website of the Bank.

The Board Members and Senior Management have affirmed compliance to the Code of Conduct.

For Indian Bank

Kishor Kharat
Managing Director & CEO

सेवा में,

निदेशक मंडल
इंडियन बैंक

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (लिस्टिंग बाध्यताएं तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं विनियमन 2015) के विनियम 17(8) के अनुसार सीईओ एवं सीएफओ प्रमाणपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि

(ए) हमने वर्ष 2016–17 के लिए इंडियन बैंक के वित्तीय विवरण एवं नकदी प्रवाह विवरणों का पुनरीक्षण किया है तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार

(I) इन विवरणों में तात्विक रूप से कोई अवास्तविक कथन नहीं हैं या महत्वपूर्ण तथ्य हटाए नहीं गये हैं या भ्रमजनक विवरण नहीं हैं।

(ii) ये विवरण एकत्रित रूप से बैंक के कार्यकलापों का सच्चा एवं निष्पक्ष रूप दिखाते हैं और ये विद्यमान लेखाकरण मानक, प्रयोज्य कानून एवं विनियमन के अनुरूप हैं।

(बी) हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार इस वर्ष के दौरान बैंक ने ऐसे कोई लेनदेन नहीं किए हैं जो कपटपूर्ण, गैर–कानूनी हो या बैंक की आचार संहिता का उल्लंघन करता हो ।

(सी) हम वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आंतरिक नियंत्रण स्थापित करने एवं अनुरक्षित करने का दायित्व लेते हैं और हमने वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में बैंक के आंतरिक नियंत्रण तंत्र की प्रभावोत्पादकता का मूल्यांकन किया है और आंतरिक नियंत्रण के रूप या परिचालन में कमियाँ, यदि हों, जिन्हें हम जानते हैं तथा इन कमियों को सुधारने के लिए किए गए कदम या प्रस्तावित कदम की रिपोर्ट हमने लेखा परीक्षकों एवं लेखा परीक्षा समिति को दे दी है।

(डी) हमने लेखा परीक्षकों और लेखा समिति को निम्नलिखित बातों की जानकारी दी है:

(i) वर्ष के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण परिवर्तन।

(ii) वर्ष के दौरान लेखाकरण नीतियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन, और इनका प्रकटीकरण, वित्तीय विवरणों के टिप्पणियों में किया गया है, और

(iii) धोखाधड़ी की महत्वपूर्ण घटनाओं के मामले, जो हमें ज्ञात हुए हैं और उसमें वित्तीय रिपोर्टिंग हेतु आंतरिक प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभानेवाले कर्मचारी या प्रबंधन का शामिल होना, यदि हो, की जानकारी।

(पी ए कृष्णन)
उप महाप्रबन्धक एवं मु वि अ

किशोर खरात
प्रबंध निदेशक एवं मु.का.अ

स्थान : चेन्नै
दिनांक : 25 अप्रैल, 2017

To

The Board of Directors
Indian Bank

CEO & CFO Certificate under Regulation 17(8) of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

This is to certify that

(a) We have reviewed financial statements and the cash flow statement of Indian Bank for the year 2016-17 and that to the best of our knowledge and belief:

(i) these statements do not contain any materially untrue statement or omit any material fact or contain statements that might be misleading;

(ii) these statements together present a true and fair view of the Bank's affairs and are in compliance with existing accounting standards, applicable laws and regulations.

(b) There are, to the best of our knowledge and belief, no transactions entered into by the Bank during the year which are fraudulent, illegal or violative of the Bank's code of conduct.

(c) We accept responsibility for establishing and maintaining internal controls for financial reporting and that we have evaluated the effectiveness of the internal control systems of the Bank pertaining to financial reporting and we have disclosed to the auditors and the Audit Committee, deficiencies in the design or operation of such internal controls, if any, of which we are aware and the steps we have taken or propose to take to rectify these deficiencies.

(d) We have indicated to the auditors and the Audit Committee

(i) significant changes in internal control over financial reporting during the year.

(ii) significant changes in accounting policies during the year and that the same have been disclosed in the notes to the financial statements; and

(iii) instances of significant fraud of which we have become aware and the involvement therein, if any, of the management or an employee having a significant role in the Bank's internal control system over financial reporting.

(P A Krishnan)
Dy. General Manager & CFO

(Kishor Kharat)
Managing Director & CEO

Place : Chennai
Date : April 25, 2017

कार्पोरेट अभिशासन पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में

इंडियन बैंक के सदस्य

हमने 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए **इंडियन बैंक** द्वारा स्टॉक एक्सचेंजों के साथ कथित बैंक के लिस्टिंग करार के उपरान्त भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (लिस्टिंग बाध्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएं)विनिमयमन, 2015 के अध्याय IV में अनुबद्ध कार्पोरेट अभिशासन की शर्तों के अनुपालन की जांच की है।

कार्पोरेट अभिशासन की शर्तों का अनुपालन, प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। कार्पोरेट अभिशासन की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए बैंक द्वारा अपनायी गयी प्रक्रियाविधियों और उनके कार्यान्वयन तक ही हमारी जांच सीमित थी। यह लेखापरीक्षा भी नहीं है और न ही यह बैंक के वित्तीय विवरणों पर हमारे मत का प्रकटीकरण है।

हमारी राय में और हमारी उत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार लिस्टिंग करार के उपरान्त भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (लिस्टिंग बाध्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएं)विनिमयमन , 2015 के अध्याय IV में निहित प्रावधान के अनुसार कार्पोरेट अभिशासन की शर्तों का अनुपालन किया गया है, जो किसी भी निदेशकों की नियुक्ति में बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 और बैंकिंग कंपनी (अधिग्रहण और उपक्रम का अंतरण) अधिनियम, 1970 में यथा संशोधित का उल्लंघन नहीं करते।

हम आगे कहते हैं कि ऐसा अनुपालन, न ही बैंक की भविष्य की व्यवहार्यता का आश्वासन है और न ही बैंक के कार्यों के संचालन में प्रबंधन की दक्षता या प्रभावोत्पादकता है।

कृते जी बालु असोसियेट्स
For G. BALU ASSOCIATES
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
एफआर सं. FR No.000376S

कृते पद्मनाभन रमणी और रामानुजम
For PADMANABHAN RAMANI & RAMANUJAM
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
एफआर सं. FR No.002510S

कृते प्रकाश चन्द्र जैन एण्ड कंपनी
For PRAKASH CHANDRA JAIN & CO.
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
एफआर सं. FR No.002438C

जी बालसुब्रमण्यन
G. BALASUBRAMANYAN
साझेदार Partner
(एम.सं. M. No.7628

के आर गणेश
K. R. GANESH
साझेदार Partner
(एम.सं. M. No.022439)

प्रतिभा शर्मा
PRATIBHA SHARMA
साझेदार Partner
(एम.सं. M. No.400755)

कृते गांधी मिनोचा एण्ड कंपनी
For GANDHI MINOCHA & CO.
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
एफआर सं. FR No.000458N

कृते पीएएमएस एण्ड एसोसियेट्स
For PAMS & ASSOCIATES
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
एफआर सं. FR No.316079E

भुपिन्दर सिंह
BHUPINDER SINGH
साझेदार Partner
(एम.सं. M. No.92867)

सत्यजित मिश्रा
SATYAJIT MISHRA
साझेदार Partner
(एम.सं. M. No.057293)

स्थान Place : चेन्नै Chennai
दिनांक Date : 25 अप्रैल, 2017 / April 25, 2017

AUDITORS' CERTIFICATE ON CORPORATE GOVERNANCE

To

The Members of Indian Bank

We have examined the compliance of conditions of Corporate Governance by **INDIAN BANK** for the year ended on March 31, 2017 as stipulated in Chapter IV of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 pursuant to the Listing Agreement of the said Bank with the Stock Exchanges.

The compliance of conditions of Corporate Governance is the responsibility of the Management. Our examination was limited to procedures and implementation thereof, adopted by the Bank for ensuring the compliance of the Corporate Governance. It is neither an audit nor an expression of opinion on the financial statements of the Bank.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, we certify that the Bank has complied with the conditions of Corporate Governance as stipulated in the provisions as specified in Chapter IV of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 pursuant to the Listing Agreement of the said Bank with Stock Exchanges to the extent these do not violate the Banking Regulation Act, 1949 and the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 as amended, in respect of appointment of Directors.

We further state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor the efficiency or effectiveness with which the Management has conducted the affairs of the Bank.

For G. BALU ASSOCIATES
Chartered Accountants
FR No.000376S

G. BALASUBRAMANYAN
Partner
M. No.7628

For PADMANABHAN RAMANI & RAMANUJAM
Chartered Accountants
FR No. 002510S

K. R. GANESH
Partner
M. No.022439

For PRAKASH CHANDRA JAIN & CO.
Chartered Accountants
FR No.002438C

PRATIBHA SHARMA
Partner
M. No.400755

For GANDHI MINOCHA & CO.
Chartered Accountants
FR No.000458N

BHUPINDER SINGH
Partner
M. No.092867

For PAMS & ASSOCIATES
Chartered Accountants
FR No.316079E

SATYAJIT MISHRA
Partner
M. No.057293

Place : Chennai
Date : April 25, 2017

इस पृष्ठ को जानबूझकर रिक्त रखा गया है।

This page is intentionally left blank

तुलन पत्र,
लाभ और हानि लेखा और अनुसूचियां

BALANCE SHEET,
PROFIT AND LOSS ACCOUNT AND SCHEDULES

31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र
BALANCE SHEET AS ON MARCH 31, 2017

(₹ हजारों में)
(₹ in Thousands)

विवरण PARTICULARS	अनुसूची सं. Schedule No.	31.03.2017 को As on 31.03.2017	31.03.2016 को As on 31.03.2016
पूँजी व देयताएं CAPITAL & LIABILITIES			
पूंजी Capital	1	480 29 17	480 29 17
आरक्षितियां और अधिशेष Reserves and Surplus	2	16681 71 83	15779 48 51
जमाएं Deposits	3	182509 28 25	178285 84 26
उधार Borrowings	4	12636 88 90	3509 31 65
अन्य देयताएं और प्रावधान Other Liabilities & Provisions	5	5924 96 55	5655 44 61
कुल TOTAL		**218233 14 70**	**203710 38 20**
आस्तियां ASSETS			
भारतीय रिज़र्व बैंक में नकद और अधिशेष Cash & Balances with R B I	6	5588 70 03	9174 45 13
बैंकों में शेष एवं मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धनराशि Balances with Banks and Money at Call and Short Notice	7	4453 01 90	2824 83 94
निवेश Investments	8	67551 78 86	53089 31 36
अग्रिम Advances	9	127699 28 20	129049 07 63
अचल आस्तियां Fixed Assets	10	3442 60 46	3511 07 20
अन्य आस्तियां Other Assets	11	9497 75 25	6061 62 94
कुल TOTAL		**218233 14 70**	**203710 38 20**
आकस्मिक देयताएं Contingent Liabilities	12	29362 30 39	29752 52 28
संग्रहण के लिए बिल Bills for Collection	-	3230 55 59	3150 61 02

महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां Significant Accounting Policies 17
लेखों पर टिप्पणियाँ Notes on Accounts 18
ऊपर उल्लिखित अनुसूचियाँ, तुलन पत्र के अंभिन्न अंग हैं
Schedules referred to above form an integral part of the Balance Sheet

टी सी वेंकट सुब्रमणियन
T C VENKAT SUBRAMANIAN
गैर–कार्यपालक अध्यक्ष
NON EXECUTIVE CHAIRMAN

किशोर खरात
KISHOR KHARAT
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी
MANAGING DIRECTOR & CEO

ए एस राजीव
A S RAJEEV
कार्यपालक निदेशक
EXECUTIVE DIRECTOR

एम के भट्टाचार्य
M K BHATTACHARYA
कार्यपालक निदेशक
EXECUTIVE DIRECTOR

पी ए कृष्णन
P A KRISHNAN
उप महाप्रबंधक/सीएफओ
DEPUTY GENERAL MANAGER / CFO

निदेशक **DIRECTORS**

जे के दाश J K DASH
पद्मनाभन विट्ठल दास PADMANABAN VITTAL DASS
विजया कुमार गोएल VIJAY KUMAR GOEL
विनोद कुमार नागर VINOD KUMAR NAGAR

हमारी सम संख्यक दिनांकित रिपोर्ट संलग्न है

सांविधिक केन्द्रीय लेखा परीक्षक STATUTORY CENTRAL AUDITORS

कृते जी बालु असोसियेट्स
For G. BALU ASSOCIATES
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
एफआर सं. FR No.000376S
जी बालसुब्रमण्यन
G. BALASUBRAMANYAN
साझेदार Partner
(एम.सं. M. No.7628

कृते पद्मनाभन रमणी और रामानुजम
For PADMANABHAN RAMANI & RAMANUJAM
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
एफआर सं. FR No.002510S
के आर गणेश
K. R. GANESH
साझेदार Partner
(एम.सं. M. No.022439)

कृते प्रकाश चन्द्र जैन एण्ड कंपनी
For PRAKASH CHANDRA JAIN & CO.
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
एफआर सं. FR No.002438C
प्रतिभा शर्मा
PRATIBHA SHARMA
साझेदार Partner
(एम.सं. M. No.400755)

कृते गांधी मिनोचा एण्ड कंपनी
For GANDHI MINOCHA & CO.
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
एफआर सं. FR No.000458N
भुपिन्दर सिंह
BHUPINDER SINGH
साझेदार Partner
(एम.सं. M. No.92867)

कृते पीएएमएस एण्ड एसोसियेट्स
For PAMS & ASSOCIATES
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
एफआर सं. FR No.316079E
सत्यजीत मिश्रा
SATYAJIT MISHRA
साझेदार Partner
(एम.सं. M. No.057293)

स्थान : चेन्नै
Place : Chennai
दिनांक : Date : 25-04-2017

31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ व हानि लेखा
PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2017

(₹ हजारों में)
(₹ in Thousands)

विवरण PARTICULARS	अनुसूची सं. Schedule No.	31.03.2017 को Y E 31.03.2017	31.03.2016 को Y E 31.03.2016
I. आय : INCOME			
अर्जित ब्याज Interest earned	13	16039 74 55	16243 78 35
अन्य आय Other Income	14	2211 37 16	1781 41 63
कुल TOTAL		**18251 11 71**	**18025 19 98**
II. व्यय EXPENDITURE			
व्यय किया गया ब्याज Interest expended	15	10893 69 06	11797 60 39
परिचालनगत व्यय Operating expenses	16	3356 71 95	3195 50 35
प्रावधान एवं आकस्मिकतायें Provisions & Contingencies	-	2595 02 98	2320 70 90
कुल TOTAL		**16845 43 99**	**17313 81 64**
III. लाभ / हानि PROFIT/LOSS			
वर्ष के लिए निवल लाभ / हानि (–) Net Profit/Loss(-) for the year		1405 67 72	711 38 34
अग्रानीत लाभ / हानि (–) Profit/Loss(-) Brought forward		96 36 41	95 03 75
कुल TOTAL		**1502 04 13**	**806 42 09**
IV. विनियोजन APPROPRIATIONS			
निम्नलिखित को अंतरित : Transfer to :			
सांविधिक प्रारक्षित निधि Statutory Reserves		351 50 00	177 85 00
पूँजी रिज़र्व Capital Reserves		42 59 00	22 47 64
धारा 36(1) (viii) के अंतर्गत विशेष रिज़र्व Special Reserves u/s 36(1)(viii)		49 00 00	28 02 00
राजस्व रिज़र्व Revenue Reserves		595 00 00	375 00 00
स्टाफ कल्याण निधि Staff Welfare Fund		20 00 00	20 00 00
ईक्विटी लाभांश Equity Dividend		288 17 50	72 04 37
लाभांश वितरण कर Dividend Distribution Tax		58 66 67	14 66 67
लाभ का शेष जो तुलन पत्र को अग्रानीत किया गया है Bal. carried over to Balance Sheet		97 10 97	96 36 41
कुल TOTAL		**1502 04 13**	**806 42 09**
प्रति शेयर अर्जन ₹ में (आधारभूत और कम किया गया) Earnings Per Share in Rs. (basic & diluted)	18 (9.7)	29.27	14.81

महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां Significant Accounting Policies 17
लेखों पर टिप्पणियाँ Notes on Accounts 18
ऊपर उल्लिखित अनुसूचियाँ, तुलन पत्र के अंभिन्न अंग हैं
Schedules referred to above form an integral part of the Balance Sheet

टी सी वेंकट सुब्रमणियन
T C VENKAT SUBRAMANIAN
गैर–कार्यपालक अध्यक्ष
NON EXECUTIVE CHAIRMAN

किशोर खरात
KISHOR KHARAT
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी
MANAGING DIRECTOR & CEO

ए एस राजीव
A S RAJEEV
कार्यपालक निदेशक
EXECUTIVE DIRECTOR

एम के भट्टाचार्य
M K BHATTACHARYA
कार्यपालक निदेशक
EXECUTIVE DIRECTOR

पी ए कृष्णन
P A KRISHNAN
उप महाप्रबंधक / सीएफओ
DEPUTY GENERAL MANAGER / CFO

निदेशक **DIRECTORS**

जे के दाश **J K DASH**
विजया कुमार गोएल **VIJAY KUMAR GOEL**
पद्मनाभन विट्ठल दास **PADMANABAN VITTAL DASS**
विनोद कुमार नागर **VINOD KUMAR NAGAR**

हमारी सम संख्यक दिनांकित रिपोर्ट संलग्न है

सांविधिक केन्द्रीय लेखा परीक्षक STATUTORY CENTRAL AUDITORS

कृते जी बालु असोसियेट्स
For G. BALU ASSOCIATES
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
एफआर सं. FR No.000376S
जी बालसुब्रमण्यन
G. BALASUBRAMANYAN
साझेदार Partner
(एम.सं. M. No.7628

कृते पद्मनाभन रमणी और रामानुजम
For PADMANABHAN RAMANI & RAMANUJAM
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
एफआर सं. FR No.002510S
के आर गणेश
K. R. GANESH
साझेदार Partner
(एम.सं. M. No.022439)

कृते प्रकाश चन्द्र जैन एण्ड कंपनी
For PRAKASH CHANDRA JAIN & CO.
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
एफआर सं. FR No.002438C
प्रतिभा शर्मा
PRATIBHA SHARMA
साझेदार Partner
(एम.सं. M. No.400755)

कृते गांधी मिनोचा एण्ड कंपनी
For GANDHI MINOCHA & CO.
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
एफआर सं. FR No.000458N
भुपिन्दर सिंह
BHUPINDER SINGH
साझेदार Partner
(एम.सं. M. No.92867)

कृते पीएएमएस एण्ड एसोसियेट्स
For PAMS & ASSOCIATES
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
एफआर सं. FR No.316079E
सत्यजीत मिश्रा
SATYAJIT MISHRA
साझेदार Partner
(एम.सं. M. No.057293)

स्थान : चेन्नै
Place : Chennai
दिनांक : Date : 25-04-2017

(₹ हजारों में)
(₹ in Thousands)

अनुसूची 1 – पूंजी
SCHEDULE 1 - CAPITAL

विवरण PARTICULARS	31.03.2017 को As on 31.03.2017	31.03.2016 को As on 31.03.2016
I. प्राधिकृत पूँजी Authorised Capital		
प्रत्येक ₹ 10/– के 300,00,00,000 ईक्विटी शेयर		
300,00,00,000 Equity Shares of Rs.10/- each	3000 00 00	3000 00 00
II. जारी, अभिदत्त और अदा की गई पूंजी Issued, Subscribed and Paid up:		
ईक्विटी शेयर Equity Shares:		
ए. भारत सरकार द्वारा रखे गए प्रत्येक रुपये 10/– के 39,43,41,651 ईक्विटी शेयर (गत वर्ष – प्रत्येक रुपये 10/– के 39,43,41,651 ईक्विटी शेयर)		
a. 39,43,41,651 Equity shares of Rs.10/- each held by Government of India (P.Y.-39,43,41,651 Equity shares of Rs. 10/- each)	394 34 17	394 34 17
बी. जनता द्वारा रखे गए प्रत्येक ₹.10/– के 8,59,50,000 ईक्विटी शेयर (गत वर्ष – प्रत्येक रुपये 10/– के 8,59,50,000 ईक्विटी शेयर)		
b. 8,59,50,000 Equity shares of Rs.10/- each held by Public (P.Y. 8,59,50,000 Equity shares of Rs.10/- each)	85 95 00	85 95 00
कुल Total	**480 29 17**	**480 29 17**

अनुसूची 2 – आरक्षितियां और अधिशेष

SCHEDULE 2 - RESERVES AND SURPLUS

(₹ हजारों में)
(₹ in Thousands)

	विवरण PARTICULARS	31.03.2017 को As on 31.03.2017	31.03.2016 को As on 31.03.2016
I.	सांवधिक आरक्षितियां **STATUTORY RESERVES**		
	ए) अथशेष a. Opening Balance	3759 10 81	3581 25 81
	बी) वर्ष के दौरान जोड़ b. Additions during the year	351 50 00	177 85 00
	कुल **TOTAL I**	**4110 60 81**	**3759 10 81**
II.	पूँजीगत आरक्षितियां **CAPITAL RESERVES**		
A	पुनर्मूल्यांकन आरक्षितियां Revaluation Reserve		
	ए) अथशेष a. Opening Balance	2781 42 67	2275 51 65
	बी) वर्ष के दौरान जोड़ b. Additions during the year		582 59 61
	सी) वर्ष के दौरान कटौतियां c. Deductions during the year	81 00 81	76 68 59
	कुल (ए) **TOTAL (A)**	**2700 41 86**	**2781 42 67**
B	अन्य **Others**		
	ए) वर्ष के दौरान जोड a) Opening Balance	117 82 24	95 34 60
	बी) वर्ष के दौरान कटौतियाँ b) Additions during the year	42 59 00	22 47 64
	कुल (बी) **TOTAL (B)**	**160 41 24**	**117 82 24**
	कुल II (ए.+ बी) **TOTAL II (A + B)**	**2860 83 10**	**2899 24 91**
III.	शेयर प्रीमियम **SHARE PREMIUM**		
	ए) अथशेष a) Opening Balance	1325 67 33	1325 67 33
	वर्ष के दौरान जोड़ b) Additions during the year	0	0
	कुल III **TOTAL III**	**1325 67 33**	**1325 67 33**
IV.	राजस्व और अन्य आरक्षितियां **REVENUE AND OTHER RESERVES**		
	ए) राजस्व आरक्षितियां A) Revenue Reserve		
	अथशेष Opening Balance	6658 51 10	6283 51 10
	लाभ एवं हानि लेखे से अंतरित Tfrd from Profit & Loss a/c	595 00 00	375 00 00
	वर्ष के दौरान कटौतियां Deductions during the year	0	0
	कुल (ए) TOTAL (A)	**7253 51 10**	**6658 51 10**
	(बी) आईटी अधिनियम की धारा के 36(1)(Viii) के अंतर्गत विशेष रिज़र्व		
	B) Special Reserve u/s 36(1)(viii) of IT Act		
	अथशेष Opening Balance	626 52 00	598 50 00
	वर्ष के दौरान जोड़ Additions during the year	49 00 00	28 02 00
	कुल (बी) **TOTAL (B)**	**675 52 00**	**626 52 00**
	(सी) आईटी अधिनियम की धारा के 36(1)(Viii ए) के अंतर्गत विशेष रिज़र्व		
	C) Special Reserve u/s 36(1)(viii a) of IT Act		
	अथशेष Opening Balance	**58 20 00**	**58 20 00**
	डी) निवेश रिजर्व **D) Investment Reserve**		
	अथशेष Opening Balance	39 92 22	39 92 22
	वर्ष के दौरान जोड Additions during the year	0	0
	कुल (डी) TOTAL (D)	**39 92 22**	**39 92 22**
	(सी) आईटी अधिनियम की धारा के 36(1)(Viii ए) के अंतर्गत विशेष रिज़र्व		
	E) Foreign Currency Translation Reserve		
	अथशेष Opening Balance	315 93 74	262 21 65
	वर्ष के दौरान जोड Additions during the year	0	53 72 09
	वर्ष के दौरान कटौतियां Deduction during the year	55 59 43	0
	कुल (डी) **TOTAL (E)**	**260 34 31**	**315 93 74**
	कुल IV (ए + बी + सी + डी) **TOTAL IV (A + B + C + D + E)**	**8287 49 63**	**7699 09 06**
V.	लाभ एवं हानि खाता **PROFIT & LOSS ACCOUNT**		
	अथशेष Opening Balance	96 36 40	95 03 75
	वर्ष के दौरान जोड़ Additions during the year	74 56	1 32 65
	कुल V **TOTAL V**	**97 10 96**	**96 36 40**
	कुल (I + II + III + IV + V) **TOTAL (I+II+III+IV+V)**	**16681 71 83**	**15779 48 51**

अनुसूची 3 – जमाएँ
SCHEDULE 3 - DEPOSITS

(₹ हजारों में)
(₹ in Thousands)

विवरण PARTICULARS	31.03.2017 को As on 31.03.2017	31.03.2016 को As on 31.03.2016
(अ) I. मांग जमाराशियां A. I. DEMAND DEPOSITS		
I. बैंकों से i) From Banks	510 72 34	132 43 34
ii. अन्यों से ii) From Others	9833 19 19	9145 01 00
कुल TOTAL	**10343 91 53**	**9277 44 34**
II. बचत बैंक जमाराशियां II. SAVINGS BANK DEPOSITS	**57333 86 17**	**46481 76 86**
III. सावधि जमाराशियां III. TERM DEPOSITS		
I. बैंकों से i) From Banks	2851 59 77	2403 83 42
ii. अन्यों से ii) From Others	111979 90 78	120122 79 64
कुल TOTAL	**114831 50 55**	**122526 63 06**
कुल (I+II+III) TOTAL (I+II+III)	**182509 28 25**	**178285 84 26**
(आ) I. भारत में स्थित शाखाओं की जमाएं B. i) Deposits of branches in India	177084 01 98	172651 68 31
II. भारत के बाहर शाखाओं की जमाएं ii) Deposits of branches outside India	5425 26 27	5634 15 95
कुल TOTAL	**182509 28 25**	**178285 84 26**

अनुसूची 4 – उधार
SCHEDULE 4 - BORROWINGS

(₹ हजारों में)
(₹ in Thousands)

विवरण PARTICULARS	31.03.2017 को As on 31.03.2017	31.03.2016 को As on 31.03.2016
I. भारत में उधार I. BORROWINGS IN INDIA		
I) भारतीय रिज़र्व बैंक i) Reserve Bank of India	0	0
ii) अन्य बैंक ii) Other Banks	1 39	1 39
iii) अन्य संस्थाएं और अभिकरण * iii) Other Institutions and Agencies *	10420 60 14	1500 08 90
कुल TOTAL	**10420 61 53**	**1500 10 29**
II. भारत के बाहर उधार ** II. BORROWINGS OUTSIDE INDIA **	2216 27 37	2009 21 36
कुल TOTAL (I+II)	**12636 88 90**	**3509 31 65**
ऊपर समाहित रक्षित उधार Secured Borrowings included above	8320 53 91	NIL

* टियर II पूँजी – गौण ऋण ₹ 1600 00 00 करोड (पिछले वर्ष ₹1000 00 00) को शामिल करते हुए * includes Tier II Capital - Subordinated debt of ₹1600 00 00 (P.Y. ₹ 1000 00 00) and Tier I Capital - Perpetual Debt Instrument of ₹500 00 00 (P.Y. ₹500 00 00)

** नास्ट्रो मिरर शेषों की असमायोजित मदें एवं मार्गस्थ मदों को शामिल करते हुए ** Includes pipeline and un-adjusted items in Nostro Mirror Balances

अनुसूची 5 – अन्य देयताएँ और प्रावधान
SCHEDULE 5 - OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS

(₹ हजारों में)
(₹ in Thousands)

विवरण PARTICULARS	31.03.2017 को As on 31.03.2017	31.03.2016 को As on 31.03.2016
I. संदेय बिल I. Bills Payable	1097 60 73	690 11 64
ii. अंतर–कार्यालय समायोजन (निवल) II. Inter Office Adjustments(Net)	0	120 20 41
iii. प्रोद्भूत ब्याज III. Interest Accrued	925 34 25	817 23 16
iv. अन्य (प्रावधान सहित)* IV. Others(including Provisions) *	3902 01 57	4027 89 40
कुल TOTAL	**5924 96 55**	**5655 44 61**

* ₹ 768 76 26 (पिछले वर्ष ₹755 30 01) की मानक आस्तियों के विरुद्ध आकस्मिक प्रावधान
* includes Contingent Provisions against Standard Assets of ₹768 76 26 (P.Y - ₹755 30 01)

अनुसूची 6 भारतीय रिज़र्व बैंक में नकदी और शेष
SCHEDULE 6 - CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA

(₹ हजारों में)
(₹ in Thousands)

विवरण PARTICULARS	31.03.2017 को As on 31.03.2017	31.03.2016 को As on 31.03.2016
I. हाथ में नकदी (इसमें विदेशी मुद्रा नोट सम्मिलित हैं) I. Cash in hand (including foreign currency notes)	162 34 73	537 13 02
II.भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ चालू खाते में शेष II. Balances with Reserve Bank of India in Current Account	5426 35 30	8637 32 11
कुल (I + II) TOTAL (I+II)	**5588 70 03**	**9174 45 13**

अनुसूची 7 – बैंकों में शेष और माँग पर तथा अल्प सूचना पर राशि

SCHEDULE 7 - BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE

(₹ हजारों में)
(₹ in Thousands)

विवरण PARTICULARS	31.03.2017 को As on 31.03.2017	31.03.2016 को As on 31.03.2016
I. भारत में I. IN INDIA		
i) बैंकों में अतिशेष i) Balances with Banks		
क. चालू खाते में a) in Current Account	13 58 87	10 31 02
ख. अन्य जमा खातों में b) in Other Deposit Accounts	956 90 16	275 93 37
कुल (i) TOTAL (I)	**970 49 03**	**286 24 39**
ii) मांग पर तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धनराशि (बैंकों के साथ)		
ii) Money at Call and Short Notice (with Banks)	0.00	0.00
कुल (ii) TOTAL (ii)	0.00	0.00
कुल (i + ii) TOTAL (i + ii)	**970 49 03**	**286 24 39**
II. भारत के बाहर II. OUTSIDE INDIA		
I) चालू खातों में i) in Current Accounts	180 99 60	258 26 41
ii) अन्य जमा खातों में ii) in other Deposit Accounts	3290 32 69	2274 03 72
iii) माँग पर तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धनराशि iii) Money at Call and Short Notice	11 20 58	6 29 42
कुल (i + ii + iii) TOTAL (i + ii + iii)	**3482 52 87**	**2538 59 55**
कुल योग GRAND TOTAL (I +II)	**4453 01 90**	**2824 83 94**

अनुसूची 8 – निवेश

SCHEDULE 8 - INVESTMENTS

(₹ हजारों में)
(₹ in Thousands)

विवरण PARTICULARS	31.03.2017को As on 31.03.2017	31.03.2016 को As on 31.03.2016
I. भारत में निवेश I. INVESTMENTS IN INDIA		
सकल निवेश Gross Investments	65972 31 00	50748 65 41
घटाएँ : मूल्यह्रास एवं एनपीआई हेतु प्रावधान Less : Provsion for Depreciation &NPI	314 25 51	233 98 75
निवल निवेश Net Investments	**65658 05 49**	**50514 66 66**
i. सरकारी प्रतिभूतियां i) Government Securities	56587 40 28	39511 73 47
ii. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां ii) Other approved Securities	36 27 08	36 27 08
iii. शेयर iii) Shares	583 57 62	385 96 05
iv. डिबेंचर और बॉंड iv) Debentures and bonds	7863 30 97	7765 38 68
v. अनुषंगियां और / या संयुक्त उद्यम v) Subsidiaries and/or joint ventures (including Associates)	46 64 63	45 15 00
vi. अन्य vi) Others	540 84 91	2770 16 38
कुल : TOTAL	**65658 05 49**	**50514 66 66**
II. भारत के बाहर निवेश II. INVESTMENT OUTSIDE INDIA		
सकल निवेश Gross Investments	**1983 28 23**	**2669 67 15**
घटाएँ : मूल्यह्रास एवं एनपीआई हेतु प्रावधान Less Provsion for Depreciation &NPI	89 54 86	95 02 45
निवल निवेश Net Investments	**1893 73 37**	**2574 64 70**
i. सरकारी प्रतिभूतियाँ (स्थानीय प्राधिकारी सहित)		
I) Government Securities (including local authorities)	1889 57 98	2570 37 23
ii. अन्य निवेश ii) Other investments		
ए शेयर (a) Shares	1 44 72	1 38 56
बी ऋण प्रतिभूतियाँ (b) Debt Securities	2 70 67	2 88 91
कुल TOTAL	**1893 73 37**	**2574 64 70**
निवल कुल योग (ए) + (बी) NET GRAND TOTAL (A+B)	**67551 78 86**	**53089 31 36**

अनुसूची 9 – अग्रिम
SCHEDULE 9 - ADVANCES

(₹ हजारों में)
(₹ in Thousands)

विवरण PARTICULARS	31.03.2017 को As on 31.03.2017	31.03.2016 को As on 31.03.2016
I) क्रय किए गए और भुनाये गए बिल i) Bills purchased and discounted	1386 95 27	1473 11 26
ii) नकद उधार, ओवर ड्राफ़्ट और मांग पर प्रतिदेय उधार		
ii) Cash Credit, Overdrafts and loans repayable on demand	60610 14 42	66026 03 24
iii. सावधि उधार iii) Term Loans	65702 18 51	61549 93 13
कुल TOTAL	**127699 28 20**	**129049 07 63**
i) मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत (बही ऋणों पर अग्रिम शामिल हैं)		
I) Secured by tangible assets (includes advance against bookdebts)	99653 47 20	103255 68 37
ii) बैंक / सरकारी प्रतिभूतियां द्वारा संरक्षित ii) Covered by bank/Government guarantee	4193 24 42	6296 84 08
iii) अप्रतिभूत iii) Unsecured	23852 56 58	19496 55 18
कुल TOTAL	**127699 28 20**	**129049 07 63**
I भारत में अग्रिम I. ADVANCES IN INDIA		
I. प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र i) Priority Sector	53765 18 08	46490 64 01
ii. सरकारी क्षेत्र ii) Public Sector	17704 63 95	21927 00 70
iii. बैंक iii) Banks	0	0
iv. अन्य iv) Others	50640 55 62	55461 91 80
कुल TOTAL	**122110 37 65**	**123879 56 51**
II. भारत के बाहर अग्रिम II. ADVANCES OUTSIDE INDIA		
I) बैंकों से प्राप्य राशियाँ i) Dues from Banks	669 16 77	665 99 29
ii) अन्यों से प्राप्य राशियाँ ii) Dues from others		
क) क्रय किये गए और भुनाये गए बिल a) Bills Purchased and discounted	888 83 53	1031 55 35
ख) सामूहिक ऋण b) Syndicated loans	2462 57 70	1374 84 10
ग) अन्य c) Others	1568 32 55	2097 12 38
कुल TOTAL	**5588 90 55**	**5169 51 12**
कुल योग (1+2) GRAND TOTAL (I+II)	**127699 28 20**	**129049 07 63**

अनुसूची 10 – स्थाई आस्तियाँ
SCHEDULE 10 - FIXED ASSETS

(₹ हजारों में)
(₹ in Thousands)

	विवरण PARTICULARS	31.03.2017 को As on 31.03.2017	31.03.2016 को As on 31.03.2016
I.	**परिसर PREMISES**		
	पूर्ववर्ती वर्ष के तुलन–पत्र के अनुसार लागत / पुनर्मूल्यांकन मूल्य पर		
	At cost/revaluation as per the last Balance Sheet	3428 58 40	2841 55 26
	वर्ष के दौरान जोड़ / समायोजन Additions/Adjustments during the year	-3 13 04	587 46 62
	पूर्ण योग Sub Total	3425 45 36	3429 01 88
	वर्ष के दौरान कटौतियां Deductions during the year	1 57 00	43 48
	पूर्ण योग Sub Total	3423 88 36	3428 58 40
	अद्यतन मूल्य ह्रास Depreciation to date *	551 76 75	468 77 09
	कुल TOTAL	**2872 11 61**	**2959 81 31**
	II. निर्माणाधीन भवन II. BUILDINGS UNDER CONSTRUCTION	**10 63 92**	**7 89 93**
III.	अन्य अचल आस्तियां (इसमें फर्नीचर और फिक्सचर सम्मिलित हैं)		
	OTHER FIXED ASSETS (including Furniture and Fixtures)		
	पूर्ववर्ती वर्ष के तुलन–पत्र के अनुसार लागत पर At cost as per last Balance Sheet	1553 02 74	1411 89 77
	वर्ष के दौरान जोड़ / समायोजन Additions/Adjustments during the year	181 30 51	192 63 17
	पूर्ण योग Sub Total	1734 33 24	1604 52 94
	वर्ष के दौरान कटौतियां Deductions during the year	35 66 13	51 50 20
	पूर्ण योग Sub Total	1698 67 11	1553 02 74
	अद्यतन मूल्यह्रास Depreciation to date**	1138 82 18	1009 66 78
	कुल TOTAL	**559 84 93**	**543 35 96**
	(I+II+III) TOTAL (I+II+III)	**3442 60 46**	**3511 07 20**

*वर्ष के लिए ₹ 83 73 91 (पिछले वर्ष ₹ 82 12 25) * For the year ₹ 83 73 91 (P.Y. ₹ 82 12 25)

**वर्ष के लिए ₹ 161 66 95 (पिछले वर्ष ₹ 106 35 39) ** For the year ₹ 161 66 95 (P.Y. ₹ 106 35 39)

अनुसूची 11 – अन्य आस्तियाँ
SCHEDULE 11 - OTHER ASSETS

(₹ हजारों में)
(₹ in Thousands)

विवरण PARTICULARS	31.03.2017 को As on 31.03.2017	31.03.2016 को As on 31.03.2016
I अंतर कार्यालय समायोजन (निवल)		
I. Inter Office Adjustment (net)	2132 84 98	0
II प्रोद्भूत ब्याज II. Interest Accrued	1242 17 11	988 09 47
III प्रदत्त अग्रिम कर / स्रोत पर काटा गया कर		
III. Tax paid in advance/tax deducted at source (net)	2950 51 42	2669 64 81
IV लेखन सामग्री और स्टाम्प IV. Stationery and Stamps	16 56 84	16 46 35
V दावों की संतुष्टि में प्राप्त की गयी गैर–बैंककारी आस्तियां		
V. Non-banking assets acquired in satisfaction of claims	20 26 11	20 26 11
VI अन्य VI. Others	3135 38 79	2367 16 20
कुल TOTAL	**9497 75 25**	**6061 62 94**

अनुसूची 12 – आकस्मिक देयताएँ
SCHEDULE 12 - CONTINGENT LIABILITIES

(₹ हजारों में)
(₹ in Thousands)

विवरण PARTICULARS	31.03.2017 को As on 31.03.2017	31.03.2016 को As on 31.03.2016
I बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है		
I. Claims against the bank not acknowledged as debts	486 55 15	647 23 69
II अंशतः संदत्त निवेशों के लिए देयता		
II. Liability for partly paid investments	7 37 25	8 25 92
III बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के कारण देयता		
III. Liability on account of outstanding forward exchange contracts	8015 31 99	11587 05 70
IV संघटकों की ओर से दी गई प्रत्याभूतियां		
IV. Guarantee given on behalf of constituents		
क. भारत में a) In India	10035 44 75	9536 82 24
ख. भारत के बाहर b) Outside India	119 15 09	17 90 64
V स्वीकृतियाँ, पृष्ठांकन और अन्य बाध्यताएं		
V. Acceptance, Endorsements and other obligations	7501 05 92	5186 48 81
VI अन्य मदें जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है		
VI. Other items for which the bank is contingently liable	3197 40 24	2768 75 28
कुल TOTAL	**29362 30 39**	**29752 52 28**

अनुसूची 13 – अर्जित ब्याज
SCHEDULE 13 - INTEREST EARNED

(₹ हजारों में)
(₹ in Thousands)

विवरण PARTICULARS	31.03.2017 को Y E 31.03.2017	31.03.2016 को Y E 31.03.2016
I अग्रिमों / विनिमय पत्रों पर ब्याज / बट्टा राशि I. Interest/Discount on Advances/Bills	11461 32 08	11924 23 13
II निवेशों पर आय II. Income on Investments	4423 95 17	4153 23 14
III भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ शेष और अन्य अंतर बैंक निधियों पर ब्याज		
III. Interest on balances with Reserve Bank of India and other Inter Bank funds	125 58 91	145 98 11
IV अन्य IV. Others	28 88 39	20 33 97
कुल TOTAL	**16039 74 55**	**16243 78 35**

अनुसूची 14 – अन्य आय

SCHEDULE 14 - OTHER INCOME

(₹ हजारों में)
(₹ in Thousands)

विवरण PARTICULARS	31.03.2017 को Y E 31.03.2017	31.03.2016 को Y E 31.03.2016
I. कमीशन, विनिमय और दलाली		
I. Commission, Exchange and Brokerage	287 27 19	287 54 23
II. निवेशों के विक्रय पर लाभ II. Profit on Sale of Investments	896 11 52	314 17 17
घटाएँ : निवेशों की बिक्री पर हानि Less: Loss on Sale of Investments	24 18 47	7 20 82
निवल Net	871 93 05	306 96 35
III. निवेशों के पुनर्मूल्याँकन पर लाभ Profit on revaluation of Investments	0	0
घटाएँ : निवेशों के पुनर्मूल्यांकन पर हानि Less: Loss on revaluation of Investments	0	0
निवल Net	0	0
IV भूमि, भवनों और अन्य आस्तियों के विक्रय पर लाभ *		
IV. Profit on sale of land, buildings and other assets *	1 61 61	2 21 14
घटाएँ : निवेशों के पुनर्मूल्यांकन पर हानि *		
Less: Loss on Sale of Land, Bldgs. & Other Assets *	2 64 79	4 10 95
निवल Net	-1 03 18	-1 89 81
V विनिमय संव्यवहारों पर लाभ (निवल)		
V. Profit on exchange transactions (Net)	230 50 73	297 31 49
VI विदेश / भारत में स्थापित अनुषंगियों / कंपनियों और / या संयुक्त उद्यमों से लाभांश आदि के रूप में अर्जित आय		
VI. Income earned by way of dividends, etc., from Subsidiaries/Companies and/or Joint ventures abroad/in India	13 92 66	18 07 63
VII. विविध आय Miscellaneous Income	808 76 71	873 41 74
कुल TOTAL	**2211 37 16**	**1781 41 63**

* यह राशि सेफ, फॅर्नीचर, वाहन और म ीनरी से संबंधित है * Amounts relates to Safe, Furniture, Vehicle and Machinery.

अनुसूची 15 – व्यय किया गया ब्याज

SCHEDULE 15 - INTEREST EXPENDED

विवरण PARTICULARS	31.03.2017 को Y E 31.03.2017	31.03.2016 को Y E 31.03.2016
I जमाओं पर ब्याज I. Interest on deposits	10556 89 82	11547 32 39
II भारतीय रिज़र्व बैंक / अंतर बैंक उधारों पर ब्याज		
II. Interest on Reserve Bank of India/Inter Bank borrowings	275 22 72	235 21 22
III. अन्य III.Others	61 56 52	15 06 78
कुल TOTAL	**10893 69 06**	**11797 60 39**

अनुसूची 16 परिचालन व्यय

SCHEDULE 16 - OPERATING EXPENSES

(₹ हजारों में)
(₹ in Thousands)

विवरण PARTICULARS			31.03.2017 को Y E 31.03.2017	31.03.2016 को Y E 31.03.2016
ए कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान				
I. Payments to and provisions for employees			1991 48 66	2006 39 57
II. किराया, कर और प्रकाश व्यवस्था Rent, Taxes and Lighting			300 61 18	264 87 91
III. मुद्रण और लेखन सामग्री Printing and Stationery			29 69 45	28 46 94
IV. विज्ञापन और प्रचार Advertisement and Publicity			7 36 43	8 12 90
V. बैंक की संपत्ति पर मूल्यह्रास	31 03 17	31 03 16		
V. Depreciation on Bank's property	2467152	2243456	165 70 71	150 57 91
घटाएँ : पुनर्मूल्यांकन रिजर्व से अंतरित				
Less: Transferred from Revaluation Reserve	810081	737665		
VI. निदेशकों की फीस, भत्ते और व्यय	165 70 71	150 57 91		
VI. Directors' fees allowance and expenses			83 56	83 92
VII. लेखा परीक्षकों की फीस और व्यय (शाखा लेखा परीक्षकों की फीस और व्यय सहित)				
VII. Auditors' fees and expenses(including branch auditors)			29 22 02	26 40 32
VIII .विधि प्रभार Law Charges			8 10 71	9 23 01
IX. डाक, तार और टेलीफोन आदि Postage, Telegrams and Telephones			41 01 71	24 76 64
X. मरम्मत और अनुरक्षण Repairs and Maintenance			93 59 68	72 78 35
XI. बीमा Insurance			190 98 79	162 47 01
XII. अन्य व्यय Other Expenditure			498 09 05	440 55 87
कुल TOTAL			**3356 71 95**	**3195 50 35**

अनुसूची 17 – मुख्य लेखांकन नीतिया

1. लेखांकन की परंपरा :

वित्तीय विवरण, जब तक अन्यथा नहीं बताया जाता है, ऐतिहासिक लागत प्रथा पर निरंतर कारोबारवाले संस्थान की संकल्पना का पालन करते हुए तैयार किए जाते हैं। ये भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों, जिनमें सांविधिक प्रावधान, भारतीय रिजर्व बैंक के विनियामक / दिशानिर्देश, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानक / मार्गदर्शन की टिप्पणियाँ और भारत में बैंकिंग उद्योग में प्रचलित व्यवहार शामिल हैं, के समनुरूप बनाये जाते हैं। विदेशों में स्थित शाखाओं के संबंध में उस देश में प्रचलित सांविधिक प्रावधानों एवं पद्धतियों के समनुरूप हैं।

2. प्राक्कलनों का प्रयोग

वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए प्रबंधन से अपेक्षा की जाती है कि वह रिपोर्टिंग अवधि हेतु वित्तीय विवरणों की तारीख को रिपोर्टित आस्तियों एवं देयताओं (आकस्मिक देयताओं सहित) और आय एवं व्यय पर विचार करने हेतु अपने प्राक्कलन और पूर्वानुमान बनायें। प्रबंधन को यह विश्वास रहता है कि वित्तीय विवरणों की तैयारी में इस्तेमाल किये गये प्राक्कलन विवेकी और उचित हैं।

3. लेनदेन जिनमें विदेशी विनिमय शामिल हैं

भारत में किए गए परिचालनों में विदेशी मुद्रा लेनदेन और गैर–समाकलित विदेशी परिचालनों के विदेशी मुद्रा लेनदेनों का लेखांकन, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी किए गए लेखांकन मानक – 11 (एएस – 11) के अनुसार किया गया है।

3.1. भारत में किए गए परिचालनों के संबंध में परिवर्तन

1. विदेशी विनिमय लेनदेनों को भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (फ़ेडाई) द्वारा अधिसूचित साप्ताहिक औसत दर (डब्ल्यूएआर) पर दर्ज किया गया है।

2. विदेशी मुद्रा आस्ति एवं देयताओं को वर्ष की समाप्ति पर फ़ेडाई द्वारा अधिसूचित समापन दरों पर परिवर्तित किया गया है।

3. विदेशी मुद्रा में मूल्यांकित स्वीकृतियों, पृष्ठांकनों एवं अन्य वचनबद्धताओं और गारंटियों को फ़ेडाई द्वारा वर्ष की समाप्ति पर अधिसूचित समापन दरों पर परिवर्तित किया गया है।

4. वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर विदेशी मुद्रा आस्तियों एवं देयताओं के निपटान एवं परिवर्तन से होनेवाले विनिमय अंतरों को, उनके घटित होने की अवधि के दौरान आय अथवा व्यय माना जाएगा।

5. बकाया वायदा विनिमय संविदाओं को संविदात्मक दरों पर प्रकट किया जाता है और फ़ेडाई की समापन दरों पर पुनर्मूल्यन किया जाता है और परिणामी प्रभाव को लाभ व हानि लेखे के ज़रिए पहचाना जाता है।

3.2. गैर समाकलित विदेशी परिचालनों के संबंध में परिवर्तन

विदेशी शाखाओं को गैर–समाकलित विदेशी परिचालन के रूप में वर्गीकृत किया गया है और वित्तीय विवरणों को निम्नानुसार परिवर्तित किया गया है :

1. आकस्मिक देयाताओं को शामिल करते हुए, आस्ति एवं देयताओं को वर्ष की समाप्ति पर फ़ेडाई द्वारा अधिसूचित समापन दरों पर परिवर्तित किया जाता है।

2. आय एवं व्यय को फ़ेडाई द्वारा संबंधित तिमाही की समाप्ति पर अधिसूचित तिमाही औसत दर पर परिवर्तित किया जाता है।

3. निवल निवेशों के निपटान तक, सभी परिणामी विनिमय अंतरों को ''विनिमय उतार–चढ़ाव निधि'' नामक पृथक खाते में संचित कर रखा जाता है।

4. निवेश

4.1 बैंक के संपूर्ण निवेश संविभाग को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार निम्नलिखित तीन प्रवर्गों में वर्गीकृत किया गया है :

- परिपक्वता के लिए रखे गए (एचटीएम)
- बिक्री हेतु उपलब्ध (एएफएस)
- व्यापार के लिए रखे गए (एचएफटी)

परिपक्वता तक रोक रखने के आशय के साथ प्राप्त की गई प्रतिभूतियों को **''एचटीएम''** प्रवर्ग के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। अल्प अवधि के मूल्य / ब्याज दर में उतार–चढ़ाव से लाभ उठाकर व्यापार करने के आशय के साथ प्राप्त की गई प्रतिभूतियों को ''**एचएफटी**'' प्रवर्ग में वर्गीकृत किया गया है। अन्य सभी प्रतिभूतियाँ, जो उपर्युक्त दोनों प्रवर्गों में नहीं आती हैं, उन्हें, ''**एएफएस**'' प्रवर्ग में वर्गीकृत किया गया है।

निवेश को उसे खरीदते/अर्जन करते समय परिपक्वता के लिए रखे गये, बिक्री हेतु उपलब्ध या व्यापार के लिए रखे गये वर्ग के रूप में वर्गीकृत किया जाता है तथा विनियामक दिशानिर्देशों के अनुसार परवर्ती अंतरण किया जाता है। स्क्रिप्स, अगर कुछ हों, का अंतरण, ऐसे अंतरण की तारीख पर एक वर्ग से दूसरे वर्ग में उसके अर्जन करने की लागत/बही मूल्य/बाजार मूल्य, इसमें जो भी कम हो, उसपर किया जाता है तथा मूल्यह्रास अगर कुछ हों तो ऐसे अंतरण के लिए पूर्णतः प्रावधान किया जाता है।

अनुषंगियों तथा सहयोगियों में निवेश का वर्गीकरण, ''परिपक्वता के लिए रखे गये'' वर्ग में किया गया है।

4.2.1 एचटीएम प्रवर्ग में रखी गयी प्रतिभूतियों की बिक्री पर प्राप्त लाभ को पहले लाभ व हानि लेखे में लिया जाता है और बाद में पूंजी प्रारक्षिती लेखे (करों और सांविधिक प्रारक्षित निधियों में अंतरित करने के लिए अपेक्षित धनराशियों को घटाने के बाद निवल) में विनियोजित किया जाता है तथा हानि, यदि हो, को लाभ व हानि लेखे में प्रभारित किया जाता है :

4.2.2 भारत में निवेशों का मूल्यांकन भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार निम्नानुसार किया जाता है :

ए) ''**एचटीएम**'' प्रवर्ग में प्रतिभूति का मूल्यांकन अर्जन की लागत पर किया जाता है सिवाय उन मामलों में जहां अंकित मूल्य से अर्जन लागत अधिक होती हो, वैसे मामलों में, अंकित मूल्य पर अर्जन लागत की ऐसी अधिकता को परिपक्वता की शेष अवधि में परिशोधित किया जाता है। अनुषंगियों / संयुक्त उद्यमों/सहभागियों में, जिन्हें एचटीएम प्रवर्ग में शामिल किया गया है, निवेशों के मूल्य में, अस्थाई प्रकृति के अलावा किसी अन्य ह्रास की पहचान की गई है और प्रावधान किया गया है। ऐसे ह्रास का निर्धारण और इसके लिए प्रावधान प्रत्येक निवेश हेतु

SCHEDULE 17 – SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

1. ACCOUNTING CONVENTION

The financial statements are prepared by following the going concern concept on historical cost convention unless otherwise stated. They conform to generally accepted accounting principles in India, which comprises statutory provisions, regulatory / Reserve Bank of India guidelines, accounting standards / guidance notes issued by the Institute of Chartered Accountants of India and the practices prevalent in the Banking Industry in India. In respect of foreign branches as per statutory provisions and practices prevailing in the respective countries.

2. USE OF ESTIMATES

The preparation of financial statements requires the management to make estimates and assumptions for considering the reported assets and liabilities (including contingent liabilities) as on the date of financial statements and the income and expenses for the reporting period. Management believes that the estimates used in the preparation of the financial statements are prudent and reasonable.

2. TRANSACTIONS INVOLVING FOREIGN EXCHANGE

Foreign Currency transactions of Indian operations and non-integral foreign operations are accounted for as per Accounting Standard-11 (AS-11) issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI).

3.1 Translation in respect of Indian operations

1. Foreign exchange transactions are recorded at the Weekly Average Rate (WAR) notified by Foreign Exchange Dealers Association of India (FEDAI).
2. Foreign currency assets and liabilities are translated at the closing rates notified by FEDAI at the year end.
3. Acceptances, endorsements and other obligations and guarantees in foreign currency are carried at the closing rates notified by FEDAI at the year end.
4. Exchange differences arising on settlement and translation of foreign currency assets and liabilities at the end of the financial year are recognized as income or expenses in the period in which they arise.
5. Outstanding forward exchange contracts are disclosed at the Contracted rates, and revalued at FEDAI closing rates, and the resultant effect is recognized in the Profit and Loss account.

3.2 Translation in respect of non-integral foreign operations.

Foreign branches are classified as non-integral foreign operations and the financial statements are translated as follows:

1. Assets and liabilities including contingent liabilities are translated at the closing rates notified by FEDAI at the year end.
2. Income and expenses are translated at the Quarterly Average Closing rate notified by FEDAI at the end of the respective quarter.
3. All resulting exchange differences are accumulated in a separate account "Foreign Currency Translation Reserve" (FCTR) till the disposal of the net investments.

4. INVESTMENTS

4.1 The entire investment portfolio of the Bank is classified in accordance with the RBI guidelines into three categories viz.

- Held To Maturity (HTM)
- Available For Sale (AFS)
- Held For Trading (HFT)

The securities acquired with the intention to be held till maturity are classified under **"HTM"** category. The securities acquired with the intention to trade by taking advantage of short term price / interest movements are classified as **"HFT".** All other securities which do not fall under any of the two categories are classified under **"AFS"** category.

An investment is classified as Held to Maturity, Available for Sale or Held for Trading at the time of its purchase/acquisition and subsequent shifting is done in conformity with the Regulatory guidelines. Transfer of scrips, if any, from one category to another is done at the lowest of acquisition cost/book value/market value on the date of transfer and depreciation, if any, on such transfer is fully provided for.

Investment in Subsidiaries and Associates are classified as Held to Maturity.

4.2.1 Profit on sale of securities under HTM category is first taken to Profit and Loss account and thereafter appropriated to Capital Reserve account (net of taxes and amount required to be transferred to statutory reserves) and loss, if any, charged to Profit & Loss account.

4.2.2 Investments in India are valued in accordance with RBI guidelines, as under:

a) Securities in HTM category are valued at acquisition cost except where the acquisition cost is higher than the face value, in which case, such excess of acquisition cost over the face value is amortised over the remaining period of maturity. Any diminution, other than temporary, in value of investments in subsidiaries/joint ventures/Associates which are included under HTM category is recognized and provided. Such

अलग से किया जाता है। दिनांक 23.08.2006 के बाद जोखिम पूँजी निधियों के यूनिटों (वीसीएफ) में किये गये निवेश, प्रारंभिक 3 वर्ष की अवधि के लिए एचटीएम वर्ग के अधीन वर्गीकृत किये जाते हैं तथा उनका मूल्यांकन, लागत पर किया जाता है।

बी) अनुषंगियों, संयुक्त उद्यमों तथा सहयोगियों में किये गये निवेश ऐतिहासिक लागत पर लिये जाते हैं। प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) में निवेश का मूल्यांकन, रखाव लागत पर किया जाता है (यथाः बही मूल्य)

सी) ''**एएफएस**'' प्रवर्ग में निवेशों का मूल्यांकन, बाज़ार मूल्य पर, तिमाही अंतराल पर स्क्रिपवार तथा वर्गीकरणवार किया जाता है। यदि कोई निवल मूल्यह्रास हो, तो उसे लाभ–हानि लेखे में शामिल किया जाता है, जबकि कोई निवल मूल्यवृद्धि होने पर उसकी उपेक्षा कर दी जाती हे। इस प्रवर्ग में बाज़ार को अंकित करने के बाद वैयक्तिक प्रतिभूतियों के बही मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है।

डी) ''**एचएफटी**'' प्रवर्ग में रखी गई वैयक्तिक स्क्रिपों को दैनिक अंतराल पर बाज़ार को अंकित किया जाता है। निवल मूल्यह्रास, यदि हो, तो लाभ व हानि लेखे में उसका प्रावधान किया जाता है जबकि निवल मूल्यवृद्धि, यदि कोई हो, पर ध्यान नहीं दिया जाता है। वैयक्तिक प्रतिभूतियाँ, जो इस प्रवर्ग में है, के बही मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं होता है।

ई) ''**एएफएस**'' एवं ''**एचएफटी**'' प्रवर्गों में प्रतिभूतियों का मूल्यांकन निम्नवत् किया जाता है :

(i) केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों का मूल्यांकन संयुक्त रूप से प्राइमरी डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया तथा फिक्स्ड इन्कम मनी मार्केट एण्ड डेरिवेटिव्ज एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एफआईएमएमडीए) द्वारा संयुक्त रूप से घोषित मूल्यों / परिपक्वता प्रतिफल (वाईटीएम) दरों के आधार पर किया जाता है।

(ii) राज्य सरकार और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों का मूल्यांकन पीडीएआई / एफ़आईएमएमडीए द्वारा निकाली गई समतुल्य परिपक्वता की केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों के प्रतिफ़ल से 25 बेसिस प्वाइंट बढ़ाते हुए वाईटीएम पद्धति का अनुप्रयोग करते हुए किया जाता है।

(iii) कोट होने पर ईक्विटी शेयरों का मूल्यांकन बाज़ार मूल्य पर किया जाता है। कोट न होनेवाले ईक्विटी शेयरों को उनके ब्रेक–अप मूल्य पर (पूनर्मूल्यन रिज़र्व, यदि हो, पर ध्यान दिए बिना), कंपनी के नवीनतम तुलनपत्र (मूल्यन की तारीख से एक वर्ष के पहले का न हो), के आधार पर मूल्यांकित किया जाता है। अन्यथा शेयरों का मूल्यांकन, प्रति कंपनी एक रुपया के अनुसार किया जाता है।

(iv) कोट होने पर अधिमान्य शेयरों का मूल्यांकन बाज़ार मूल्य पर किया जाता है; अन्यथा समुचित वाईटीएम दरों अथवा शोधन मूल्य के आधार पर निर्धारित मूल्य, दोनों में से जो भी कम हो, पर किया जाता है।

(v) अग्रिमों के रूप में रहे डिबेंचरों तथा बांडों के अलावा, सभी डिबेंचरों तथा बांडों का मूल्यांकन वाईटीएम आधार पर किया जाता है।

(vi) राजकोष बिलों, जमा प्रमाण पत्रों तथा वाणिज्यिक कागज़ातों का मूल्यांकन उनकी रखाव लागत पर किया जाता है।

(vii) कोट होने पर म्यूचुअल फ़ंडों की यूनिटों का मूल्यांकन बाज़ार मूल्य पर किया जाता है; अन्यथा पुनः खरीद मूल्य अथवा निवल आस्ति मूल्य (एनएवी) दोनों में जो भी कम हो, पर किया जाता है। यदि निधियाँ लॉक–इन अवधि में हैं, जहां पुनःखरीदी मूल्य / बाज़ार कोट उपलब्ध नहीं हो तो, यूनिटों का मूल्यांकन एनएवी पर अथवा लॉक–इन अवधि की समाप्ति तक लागत पर किया जाता है।

(viii) 23.08.2006 के बाद वेंचर कैपिटल निधियों (वीसीएफ) की यूनिटों में किए गए निवेशों को 3 वर्षों की प्रारंभिक अवधि के लिए एचटीएम संवर्ग में वर्गीकृत किया जाता है और लागत पर उनका मूल्यांकन किया जाता है। संवितरण की तारीख से तीन वर्ष के बाद, एएफएस में इसका अंतरण किया जाएगा तथा भा.रि.बैंक के दिशानिर्देशानुसार बाजार को अंकित किया जाता है।

4.3 ओवरसीज़ शाखाओं में निवेश के संबंध में, भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देश या मेजबान देशों के दिशानिर्देश जो भी सख्त हो, उसका पालन किया जाएगा। किसी प्रकार के दिशानिर्देश निर्धारित नहीं करनेवाले देशों में कार्यरत शाखाओं के मामले में, भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों का पालन किया जाता है।

4.4 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किये गये दिशानिर्देशानुसार गैर–निष्पादित निवेश (एनपीआई) की पहचान निम्न प्रकार की जाती है :

ए) प्रतिभूतियाँ / असंचयी अधिमान्य शेयर जिनमें ब्याज / नियत लाभांश / किस्त (परिपक्वता राशि को मिलाकर) देय है तथा 90 दिन की अवधि से अधिक समय तक उसका भुगतान नहीं किया गया है।

बी) अगर बैंक से जारीकर्ता द्वारा प्राप्त कोई ऋण सुविधा को गैर–निष्पादित अग्रिम माना गया है, तो उसी जारीकर्ता द्वारा जारी की गई किसी भी प्रतिभूति में निवेश को एनपीआई के रूप में माना जाएगा।

4.5 प्रतिभूतियों की लागत में से दलाली / कमीशन / अंशदानों पर प्राप्त प्रोत्साहन को घटा दिया जाता है। प्रतिभूतियों के अर्जन के संबंध में अदा की गयी दलाली / कमीशन / स्टांप शुल्क को राजस्व व्यय माना जाता है।

4.6 व्यापार के लिए ब्याज दरों की अदला–बदली के लेनदेनों को तिमाही अंतरालों में बाजार मूल्य पर अंकित किया जाता है। कुल अदला–बदलियों के उचित मूल्य का आकलन, तुलन–पत्र की तारीख पर अदला–बदली करारों के समाप्त किए जाने पर प्राप्त / प्राप्य या प्रदत्त / प्रदेय राशि के आधार पर किया जाएगा। इससे होनेवाली हानियाँ, यदि हो, के लिए पूर्ण प्रावधान किया गया है, जबकि लाभ यदि हो, पर ध्यान नहीं दिया जाएगा।

4.7 विनिमय में व्यापार किए जाने वाले विदेशी विनिमय व्युत्पन्न अर्थात् मुद्रा वायदे, विनिमय निर्धारित मूल्यों पर मूल्यांकित किए जाते हैं और परिणामस्वरूप होने वाले लाभ या हानि को लाभ व हानि लेखा में दर्शाया जाता है।

4.8 एफसीएनआर (बी) डालर जमाओं के लिए भारिबैंक की वायदा विनिमय अदला बदली सुविधा से मिलने वाले प्रीमियम / ब्याज को अदला – बदली संविदा अवधि में व्यय के रूप में परिशोधित किया जाता है।

4.9 केन्द्र सरकार की गारंटी द्वारा समर्थित निवेश हालांकि अतिदेय हैं, को केवल तभी गैर निष्पादक आस्ति (एनपीए) माना जाएगा जब गारंटी का आह्वान करने पर सरकार गारंटी को अस्वीकार करती है।

4.10 राज्य सरकार द्वारा गारंटीकृत प्रतिभूतियों में निवेश, जिसमें ''मानित अग्रिमों'' की प्रकृतिवाले निवेश भी शामिल हैं, का आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार किया जाता है, जब ब्याज / मूलधन की किस्त (परिपक्वता संप्राप्तियों सहित) अथवा बैंक को देय कोई अन्य राशि का 90 से अधिक दिनों तक भुगतान नहीं होता है।

diminution is being determined and provided for each investment individually. Investment in units of Venture Capital funds (VCF) made after 23.08.2006 are classified under HTM category for initial period of 3 years and valued at cost.

b) Investment in Subsidiaries, Joint Ventures and Associates are valued at historical cost. Investment in sponsored Regional Rural Banks (RRB) are valued at carrying cost (i.e. Book value).

c) Investments in **AFS** category are marked to market, scrip-wise and classification wise, at quarterly intervals. Net depreciation, if any, is provided for in the Profit and Loss account while net appreciation, if any, is ignored. The book value of the individual securities does not undergo any change after marking to market.

d) The individual scripts in the **HFT** category are marked to market at daily intervals. Net depreciation, if any, is provided for in the Profit and Loss account while net appreciation, if any, is ignored. The Book Value of the individual securities in this category does not undergo any change.

e) Securities in **AFS** and **HFT** categories are valued as under:

I. Central Government Securities are valued at prices / YTM rates as announced by Primary Dealers Association of India (PDAI) jointly with Fixed Income Money Market and Derivatives Association of India (FIMMDA).

ii. State Government and Other approved securities are valued applying the YTM method by marking up 25 basis points above the yields of the Central Government Securities of equivalent maturity put out by PDAI / FIMMDA periodically.

iii. Equity shares are valued at market price, if quoted. Unquoted equity shares are valued at break-up value (without considering revaluation reserves if any) as per the companys latest balance sheet (not more than one year prior to the date of valuation). Otherwise, the shares are valued at Re. 1 per company.

iv. Preference shares are valued at market price, if quoted; otherwise at lower of the value determined based on the appropriate YTM rates or redemption value.

v. All debentures/bonds, other than those which are in the nature of advances, are valued on the YTM basis.

vi. Treasury bills, Certificate of deposits and Commercial papers are valued at carrying cost.

vii. Units of Mutual Funds are valued at market price, if quoted; otherwise at lower of repurchase price or Net Asset Value (NAV). In case of funds with a lock-in period, where repurchase price / market quote is not available, units are valued at NAV, else valued at cost till the end of the lock-in period.

viii. Investment in units of Venture Capital funds (VCF) made after 23.08.2006 are classified under HTM category for initial period of 3 years and valued at cost. After period of 3 years from the date of disbursement, it will be shifted to AFS and marked-to-market as per RBI guidelines.

4.3 In respect of investment at Overseas branches, RBI guidelines or those of the host countries whichever are more stringent are followed. In case of those branches situated in countries where no guidelines are specified, the guidelines of RBI are followed.

4.4 Non-performing investment (NPI) are identified as stated below, as per guidelines issued by RBI.

a) Securities/Non-cumulative Preference shares where interest/fixed dividend/installment (including maturity proceeds) is due and remains unpaid for more than 90 days.

b) If any credit facility availed by the issuer from the Bank is a Non-performing advance, investment in any of the securities issued by the same issuer is also treated as NPI.

4.5 Brokerages / Commission / incentive received on subscriptions are deducted from the cost of securities. Brokerage / Commission / Stamp duty paid in connection with acquisition of securities are treated as revenue expenses.

4.6 Interest Rate Swap transactions for trading is marked to market at quarterly intervals. The fair value of the total swaps is computed on the basis of the amount that would be received/ receivable or paid/ payable on termination of the swap agreements as on the balance sheet date. Losses arising there from, if any, are fully provided for, while the profit, if any, is ignored.

4.7 Exchange traded FX Derivatives i.e. Currency Futures, are valued at the Exchange determined prices and the resultant gains and losses are recognized in the Profit and Loss account.

4.8 Premium/interest arising at the inception of forward exchange swap facility of RBI for FCNR (B) dollar deposits is amortized as expense over the period of the swap contract.

4.9 Investments backed by guarantee of the Central Government though overdue are treated as Non Performing Asset (NPA) only when the Government repudiates its guarantee when invoked.

4.10 Investment in State Government guaranteed securities, including those in the nature of deemed advances, are subjected to asset classification and provisioning as per prudential norms if interest/ installment of principal (including maturity proceeds) or any other amount due to the Bank remains unpaid for more than 90 days.

4.11 प्रत्येक श्रेणी में निवेशों की लागत भारित औसत लागत विधि से निर्धारित की जाती है। एचटीएम के अंतर्गत वर्गीकृत निवेश, भारित औसत लागत विधि के प्रयोग से परिकलित अधिग्रहण लागत पर धारित जाते हैं और अगर भारित औसत लागत अंकित मूल्य से अधिक होता है तो परिपक्वता की शेष अवधि में प्रीमियम परिशोधित हो जाता है।

4.12 रेपो एवं रिवर्स रेपो लेनदेनों के लिए लेखाकरण :

क. भारिबैं के साथ तरलता समायोजन सुविधाएं (एलएएफ) के तहत : भारिबैंक के साथ तरलता समायोजन सुविधाएं (एलएएफ) के तहत क्रय /विक्रय किए गए प्रतिभूतियों को निवेश खाते में नामे/जमा किया जाता है एवं लेनदेन की परिपक्वता पर रिवर्स किया जाता है। व्यय किये गये खर्च / अर्जित किए गए ब्याज को व्यय / राजस्व के रूप में हिसाब रखा जाता है।

ख. भारिबैं के साथ लेनदेनों के अलावा तरलता समायोजन सुविधाएं (एलएएफ) के तहत : रेपो/ रिवर्स रेपो के तहत बेची गई और खरीदी गई प्रतिभूतियों को संपार्श्विक उधार और उधार लेनदेनों के रूप में लिया जाता हैं। हालांकि, प्रतिभूतियों को सामान्य एकमुश्त बिक्री / खरीद लेनदेनों के मामले में अंतरित किए जाते हैं और इस प्रकार के प्रतिभूति के उतार –चढ़ाव, रेपो/रिवर्स रेपो खातों और प्रति–प्रविष्टियों के प्रयोग से परिलक्षित होता है। उपरोक्त प्रविष्टियाँ परिपक्वता की तारीख पर प्रतिवर्तित हो जाती है। मामलें के आधार पर लागत एवं राजस्व को ब्याज व्यय/आय के रूप में लिया जाएगा। रेपो खाते में शेष, अनुसूची 4(उधार) के तहत वर्गीकृत है और रिवर्स रेपो खाते में शेष, अनुसूची 7 (बैंकों में शेष एवं मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धनराशि) के तहत वर्गीकृत है।

5. पुनर्निर्माण कंपनियों (आरसी) को बेची गई वित्तीय आस्तियाँ :

5.1 आस्ति पुनर्निमाण कंपनियों द्वारा, उन्हें बेची गई वित्तीय आस्तियों के संबंध में जारी की गई प्रतिभूति रसीदों को उनके प्रतिदेय मूल्य और वित्तीय आस्तियों के निवल बही मूल्य, से कम स्तर पर मूल्यांकित किया जाता है। प्रतिभूति रसीद को परिसम्पत्ति पुनर्निमाण कंपनी द्वारा तुलन पत्र के दिनांक पर घोषित निवल परिसंपत्ति मूल्य पर मूल्यांकित किया जाता है और मूल्यह्रास होने पर उसके लिए प्रावधान किया जाता है तथा मूल्यवृद्धि होने पर उसपर ध्यान नहीं दिया जाता।

5.2 आरसी को बेची गयी वित्तीय आस्तियों के मामले में उनका मूल्यांकन और आय की पहचान, भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है। अगर बिक्री मूल्य, निवल बही मूल्य (एनबीवी) से कम है (यथा, बही मूल्य से रखे गये प्रावधान घटाने के बाद का मूल्य) तो भारतीय रिज़र्व बैंक के विद्यमान दिशानिर्देशों के अनुसार उससे होनेवाली कमी को लाभ व हानि खाते में नामे डाला जाएगा या रखी गयी अस्थायी प्रावधान का प्रयोग करते हुए इसका समंजन किया जाएगा।

यदि प्राप्त नकदी (आरंभिक प्रतिफल और/या प्रतिभूति रसीदों के मोचन के जरिए) आरसी को बेची गई अनर्जक आस्तियों (एनपीए) के निवल बही मूल्य से अधिक होती है तो अतिरिक्त प्रावधान को लाभ एवं हानि खाते में प्रत्यावर्तित किया जाता है। लाभ एवं हानि खाते में प्रत्यावर्तित किए गए अतिरिक्त प्रावधान की प्रमात्रा उस सीमा तक सीमित है जिस सीमा तक प्राप्त नकदी बेची गई अनर्जक आस्तियों (एनपीए) के निवल बही मूल्य से अधिक होती है।

6. अग्रिम

6.1. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी विवेकपूर्ण मानदण्डों के अनुसार भारत में अग्रिमों को उधारकर्ता–वार मानक, अव–मानक, संदिग्ध और हानि आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

6.2 अनर्जक अग्रिमों के लिए प्रावधान निम्नानुसार किए गए हैं :

ए) अवमानक :

i) अरक्षित प्रकटीकरण के लिए 25 प्रतिशत

ii) सुरक्षित प्रकटीकरण के लिए 15 प्रतिशत

बी) संदिग्ध संवर्ग – 1 :

i) सुरक्षित भाग के लिए 25 प्रतिशत

ii) अरक्षित भाग के लिए 100 प्रतिशत

सी) संदिग्ध संवर्ग – 2 :

i) सुरक्षित भाग के लिए 40 प्रतिशत

ii) अरक्षित भाग के लिए 100 प्रतिशत

संदिग्ध वर्ग– 3 एवं हानि अग्रिम – 100 प्रतिशत

6.3 पुनर्गठित / पुनर्संरचित मानक अग्रिम सहित मानक अग्रिमों के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों के अनुसार प्रावधान किया जाता है।

6.4. विदेशी शाखाओं के मामले में ऋण हानियों के लिए आय–निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण तथा प्रावधान, स्थानीय आवश्यकताओं अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक के विवेकपूर्ण मानदंडों में से जो भी अधिक सख्त हो, के अनुसार किया जाता है।

आगे, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किये गये विनियमों के संबंध में अगर कोई आस्ति को बैंक के समुद्रपार बही में किसी भी समय गैर– निष्पादित आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाना है तो बैंक द्वारा ऋणकर्ता को प्रदान की गई सभी सुविधाओं तथा ऋणकर्ता द्वारा जारी की गयी सभी प्रतिभूतियों में निवेश को एनपीए / एनपीआई के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।

तथापि मेजबान विनियामकों द्वारा खातों को वसूली से अन्य कारणवश गैर निष्पादित / बाधित आस्तियों (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, तो भारत में वित्तीय विवरणियों के समेकन करते समय उन्हें एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा तथा आवश्यकतानुसार प्रावधान किया जाएगा, जबकि उसी प्रतिपक्षकारों को अन्य क्षेत्राधिकार में (भारत को सम्मिलत कर) प्रदत्त अन्य ऋण एक्स्पोजर के संबंध में आस्ति वर्गीकरण, संबंधित क्षेत्राधिकार में विद्यमान दिशानिर्देशों से अधिशासित होगा।

6.5 प्रकट किये गए अग्रिम, गैर–निष्पादित आस्तियों, डीआईसीजीसी / ईसीजीसी / सीजीटीएमएसई से प्राप्त तथा समायोजन हेतु लंबित रखे गए दावों, विविध खाते में प्राप्त और रखी गई चुकौतियों, सहभागिता प्रमाण–पत्रों एवं पुनः भुनाये गये मियादी बिलों के लिए किए गए प्रावधानों और मानक आस्तियों के रूप में वर्गीकृत पुर्नगठित खातों के उचित मूल्य में अधित्याग के बदले प्रावधान के बाद निवल हैं।

7. अचल आस्तियाँ / मूल्यह्रास

7.1 परिसर तथा अन्य अचल आस्तियों का हिसाब उनकी परंपरागत लागत पर और पुनर्मूल्यांकित आस्तियों को पुनर्मूल्यांकित मूल्य पर दिखाया गया है।

4.11 Cost of investments is determined based on the Weighted Average Cost method in each category. Investments classified under HTM are carried at acquisition cost as arrived under Weighted Average Cost method and in case the weighted average cost is more than the face value, the premium is amortised over the remaining period of maturity.

4.12 Accounting for Repo/Reverse Repo transactions:

a. Under the Liquidity Adjustment Facility (LAF) with the RBI: Securities purchased/sold under LAF with RBI are debited/credited to Investment Account and reversed on maturity of the transaction. Interest expended/earned thereon is accounted for as expenditure/revenue.

b. Other than transactions under the Liquidity Adjustment Facility (LAF) with the RBI: The securities sold and purchased under Repo/Reverse Repo are accounted as Collateralised lending and borrowing transactions. However, securities are transferred as in the case of normal outright sale/purchase transactions and such movement of securities is reflected using the Repo/Reverse Repo Accounts and Contra entries. The above entries are reversed on the date of maturity. Costs and revenues are accounted as Interest expenditure/income, as the case may be. Balance in Repo Account is classified under Schedule 4 (Borrowings) and balance in Reverse Repo Account is classified under Schedule 7 (Balance with Banks and Money at Call & Short Notice).

5. FINANCIAL ASSETS SOLD TO RECOVERY COMPANIES (RC)

5.1 Security Receipts (SR) issued by RCs in respect of financial assets sold to them is recognized at lower of redemption value of SRs and Net Book Value of financial assets. SRs are valued at Net Asset Value declared by RCs on the Balance Sheet date and depreciation, if any, is provided for and appreciation is ignored.

5.2 In case of financial assets sold to RC, the valuation and, income recognition is being done as per RBI Guidelines. If the sale is for value lower than the Net Book Value (NBV) (i.e, book value less provisions held), the shorfall is debited to the Profit and Loss account or met out of utilisation of Floating provision held, as per extant RBI guidelines

If the cash received (by way of initial consideration and /or redemption of security receipts) is higher than the Net Book value of the Non Performing Asset (NPA) sold to RC, then excess provision is reversed to the profit and Loss account. The quantum of excess provision reversed to profit and loss account is limited to the extent to which cash received exceeds the NBV of the NPA sold.

6 ADVANCES

6.1 In accordance with the prudential norms issued by RBI, advances in India are classified into Standard, Sub-Standard, Doubtful and Loss assets borrower-wise.

6.2 Provisions are made for non performing advances as under:

a) Sub Standard:

i) 25% for Unsecured exposures

ii) 15% for Secured exposures

b) Doubtful category-1

i) 25 % for Secured portion.

ii) 100% for Unsecured portion.

c) Doubtful Category – 2

i) 40 % for Secured portion.

ii) 100% for Unsecured portion.

d) Doubtful category-3 and Loss advances – 100 %.

6.3 Provision is made for standard advances including Restructured / Rescheduled standard advances as per RBI directives.

6.4 In respect of foreign branches, income recognition, asset classification and provisioning for loan losses are made as per local requirement or as per RBI prudential norms, whichever is more stringent.

Further,if an asset in the overseas books of the Bank requires to be classified as NPA at any point of time in terms of regulations issued by Reserve Bank of India, then all the facilities granted by the bank to the borrower and investment in all the securities issued by the borrower will be classified as NPAs/NPIs.

However,accounts classified as Non-performing/Impaired assets (NPAs) by host regulators for reasons other than record of recovery, would be classified as NPAs at the time of consolidating financial statements in India and provided for, as required; whereas asset classification of other credit exposures to the same counterparties in other jurisdictions (including India) will continue to be governed by the extant guidelines in the respective jurisdictions.

6.5 Advances disclosed are net of provisions made for non-performing assets, DICGC/ ECGC/ CGTMSE claims received and held pending adjustment, repayments received and kept in sundries account, participation certificates , usance bills rediscounted and provision in lieu of diminution in the fair value of restructured accounts classified as standard assets.

7. FIXED ASSETS / DEPRECIATION

7.1. Premises and other fixed assets are stated at historical cost and at the revalued amount in respect of assets revalued.

7.2 भारत में, इमारतों (जमीन की कीमत सहित जहां कहीं अवियोज्य/पृथक नहीं है) एवं अन्य अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास, मूल्यह्रास की सीधी रेखा पद्धति से उसी दर पर जिस पर उन्हें प्रभारित किया गया था, निम्नानुसार किया जाता है

क्रम संख्या	आस्ति की प्रकृति	मूल्यह्रास की दर एसएलएम
I	इमारतें	1.63%
II	अन्य अचल आस्तियाँ	
	1. सामान्य संयंत्र व मशीनें	4.75%
	2. फ़र्निचर एवं फिक्सचर	6.33%
	3. विद्युत चालित मशीनरी और फिटिंग	7.07%
	4. साइकिलें	7.07%
	5. स्कूटर, मोटर साइकल, जीप	9.50%
	6. वैन	11.31%
	7. सिक्के वेंडिंग मशीन	16.66%
	8. मोटर कार	20.00%
	9. डाटा प्रसंस्करण मशीनें कम्प्यूटर एवं यूपीएस सहित	33.33%
	10. सेलफोन एवं 5000 रुपए तक की छोटी कीमत की वस्तुएँ	100.00%

7.3 पुनर्मूल्यांकित घटक से संबन्धित मूल्यह्रास, पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि पर प्रभारित किया जाता है । 30 सितंबर से पहले अधिगृहीत अचल आस्तियों पर निर्धारित दरों का 100 प्रतिशत और उसके बाद अधिगृहीत अचल आस्तियों के लिए निर्धारित दरों का 50 प्रतिशत मूल्यह्रास प्रभारित किया जाता है। बिक्री / निपटान के वर्ष में अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास का कोई प्रावधान नहीं किया जाता। उन आस्तियों के मामले में जहां सरकार से सब्सिडी प्राप्त होता है, उसको तत्संबंधित आस्ति खाता में जमा किया जाता है और तदनुसार मूल्यह्रास प्रभारित किया जाता है।

7.4 पट्टेवाली भूमि पर प्रीमियम, अधिग्रहण के वर्ष में पूंजीकृत किया जाता है और पट्टे की अवधि पर परिशोधित किया जाता है।

7.5 विदेशी शाखाओं की अचल आस्तियों के संबंध में मूल्यह्रास की व्यवस्था उन देशों में प्रचलित पद्धतियों के अनुसार की जाती है।

7.6 गैर–बैंकिंग आस्तियों (एनपीए) के संबंध में कोई मूल्यह्रास प्रभारित नहीं किया जाता है।

8. राजस्व पहचान

8.1 आय और व्यय को, जब तक अन्यथा नहीं कहा जाए, सामान्यतः संचयी आधार पर हिसाब में लिया जाता है।

8.2 गैर–निष्पादक आस्तियों, सरकार द्वारा गारंटीकृत आस्तियों (जो 90 दिनों से ज्यादा अतिदेय हैं) लाभांश आय, बीमा दावे, जारी किये गये साख–पत्रों / गारंटियों पर कमीशन (परियोजना वित्त से इतर), बैंक एश्यूरेन्स उत्पादों पर आय, धन प्रबंधन पर आय, खरीदे गए बिलों पर अतिरिक्त ब्याज / अतिदेय प्रभार, क्रेडिट कार्डों पर वित्तीय प्रभार, पुनः क्षतिपूरित करने के बैंक के अधिकार पर व्यय आदि को उनकी वसूली होने पर हिसाब में लिया गया है और प्राप्त किए गए लॉकर किराया उपचय आधार पर लेखांकित किया जाता है।

8.3 अतिदेय विदेशी बिलों के मामले में, ब्याज और अन्य प्रभारों को भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (फ़ेडाई) के दिशानिर्देशों के अनुसार किस्ट्रलीकरण की तारीख तक माना गया है।

9. क्रेडिट कार्ड पुरस्कार प्वाइंट

कार्ड सुविधा के उपयोग पर कार्ड सदस्यों द्वारा अर्जित पुरस्कार प्वाइंटों को इस प्रकार के उपयोग के कारण व्यय के रूप में पहचाना जाता है।

10. निवल लाभ / हानि

निम्नलिखित पर विचार करने के पश्चात्, लाभ व हानि लेखे में दर्शाया गया परिणाम :

- गैर निष्पादक अग्रिमों और / अथवा निवेशों के लिए प्रावधान
- मानक अग्रिमों पर सामान्य प्रावधान
- पुनः संरचित अग्रिमों हेतु प्रावधान
- अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास के लिए प्रावधान
- निवेशों पर मूल्यह्रास के लिए प्रावधान
- आकस्मिकता निधि को / से अंतरण
- प्रत्यक्ष करों के लिए प्रावधान
- आरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोज़र के लिए प्रावधान
- सामान्य अथवा / और अन्य आवश्यक प्रावधान

11 स्टाफ सेवानिवृत्ति लाभ

I) भविष्य निधि

भविष्य निधि एक वैधानिक दायित्व है और अंशदायी भविष्य निधि का विकल्प चुननेवालों के मामले में बैंक पूर्वनिर्धारित दरों पर निश्चित अंशदान अदा करता है। ऐसे निश्चित अंशदान की राशि तक ही बैंक का दायित्व सीमित है। इन अंशदानों को लाभ एवं हानि लेखे में प्रभारित किया जाता है। निधि का प्रबंध इंडियन बैंक स्टाफ भविष्य निधि न्यास द्वारा किया जाता है ।

ii) उपदान

इंडियन बैंक कर्मचारी उपदान निधि नियमों एवं विनियमनों के अनुसार उपदान देयता एक वैधानिक दायित्व है और वित्तीय वर्ष के अंत में किए गए बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर इसके लिए प्रावधान किया जाता है। बैंक द्वारा उपदान देयता का निधीयन किया जाता है और इसका प्रबंध इंडियन बैंक कर्मचारी उपदान निधि न्यास द्वारा किया जाता है।

iii) पेंशन

ए) इंडियन बैंक (कर्मचारी) पेंशन विनियमन 1995 के तहत पेंशन देयता एक परिभाषित लाभकारी दायित्व है तथा 31.03.2010 तक बैंक में भर्ती हुए और पेंशन का विकल्प देनेवाले कर्मचारियों को यह बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रदान की जाती है।

7.2. Depreciation on buildings (including cost of land wherever inseparable/ not segregated) and other fixed assets in India is provided for on the straight-line method at the same rates in which the said assets were charged, as specified below:

SL. No.	Nature of Asset	Rate of Depn. (SLM)
I	Buildings	1.63%
II	Other Fixed Assets	
	1. General Plant and Machinery	4.75%
	2. Furniture, Fixtures	6.33%
	3. Electrical Machinery and Fittings	7.07%
	4. Cycles	7.07%
	5. Scooters, Motor Cycles, Jeeps	9.50%
	6. Vans	11.31%
	7. Coin Vending Machine	16.66%
	8. Motor cars	20.00%
	9. Data processing machines including computers and UPS	33.33%
	10. Cell Phones and on small value items costing upto ₹ 5000/-	100.00%

7.3. Depreciation relatable to revalued component is charged against revaluation reserve. Depreciation on fixed assets acquired and put in to use on or before 30th September is charged at 100% of the prescribed rates and at 50% of the prescribed rates on the fixed assets acquired thereafter. No depreciation on the fixed assets is provided for in the year of sale / disposal. In respect of Assets where subsidy is received from Government, the same is credited to the respective asset account and depreciation has been charged accordingly.

7.4. Premium on leasehold land is capitalised in the year of acquisition and amortized over the period of lease.

7.5. Depreciation in respect of fixed assets at foreign branches is provided as per the practice prevailing in the respective countries.

7.6. In respect of Non Banking Assets, no depreciation is charged.

8. REVENUE RECOGNITION

8.1 Income and expenditure are generally accounted for on accrual basis, unless otherwise stated.

8.2 Income from non-performing assets, Central Government guaranteed assets (where it is overdue beyond 90 days), dividend income, insurance claims, commission on letters of credit/ guarantees issued (other than those relating to project finance), income from Bancassurance products, income from wealth management, additional interest/ overdue charges on bills purchased, finance charges on credit cards, income on Banks right to recompense, AMC charges on debit cards are accounted for on realisation and Locker Rent received is accounted on accrual basis.

8.3 In case of overdue foreign bills, interest and other charges are recognised till the date of crystallisation as per FEDAI guidelines.

9. CREDIT CARD REWARD POINTS

Reward points earned by card members on use of Card facility is recognized as expenditure on such use.

10. NET PROFIT / LOSS

The result disclosed in the Profit and Loss Account is after considering:

- Provision for Non-Performing Advances and / or Investments.
- General provision on Standard Advances
- Provision for Restructured Advances
- Provision for Depreciation on Fixed Assets
- Provision for Depreciation on Investments
- Transfer to/ from Contingency Fund
- Provision for direct taxes
- Provision for Unhedged Foreign Currency Exposure
- Usual or/and other necessary provisions

11. STAFF RETIREMENT BENEFITS

I) PROVIDENT FUND

Provident fund is a statutory obligation and in the case of Contributory Provident Fund Optees, the Bank pays fixed contribution at pre-determined rates. The obligation of the Bank is limited to such fixed contribution. The contributions are charged to Profit and Loss Account. The fund is managed by Indian Bank Staff Provident Fund Trust.

ii) GRATUITY

Gratuity liability is a statutory obligation as per Indian Bank Employees Gratuity Fund Rules and Regulations and is provided for on the basis of an actuarial valuation made at the end of the financial year. The gratuity liability is funded by the Bank and is managed by Indian Bank Employees Gratuity Fund Trust.

iii) PENSION

a) Pension liability is a defined benefit obligation under Indian Bank (Employees) Pension Regulations 1995 and is provided for on the basis of actuarial valuation, for the employees who have joined Bank up to 31.03.2010 and opted for pension. .

बी) नई पेंशन योजना (एनपीएस) जो उन कर्मचारियों पर लागू होती है, जिनकी भर्ती बैंक में दिनांक 01.04.2010 को अथवा उसके बाद हुई है और यह एक परिभाषित अंशदान योजना है। एनपीएस के अंतर्गत बैंक पूर्व निर्धारित दर पर एक निश्चित अंशदान अदा करता है और बैंक का दायित्व ऐसे निश्चित अंशदान तक सीमित है। इस अंशदान को लाभ एवं हानि खाते में प्रभारित किया जाता है।

iv) क्षतिपूरित अनुपस्थितियाँ

संचित क्षतिपूरित अनुपस्थितियाँ, जैसे विशेषाधिकार अवकाश और चिकित्सा अवकाश, के लिए बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रावधान किया जाता है।

v) अन्य कर्मचारी सुविधाएँ

अन्य कर्मचारी सुविधाएँ जैसे छुट्टी भुनाना, छुट्टी यात्रा रियायत और सेवानिवृत्ति के बाद अतिरिक्त सेवानिवृत्ति लाभ, बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर उपलब्ध करवाए जाते हैं। समुद्रपारीय शाखाओं एवं कार्यालयों में प्रतिनियुक्ति के अलावा कार्यरत कर्मचारियों से संबन्धित लाभ तत्संबंधी कार्याधिकार क्षेत्रों के कानून के तहत मूल्यांकित एवं लेखाबद्ध किए जाते हैं।

12. पट्टे हेतु लेखांकन

परिचालनगत पट्टों पर ली गई आस्तियों हेतु पट्टा भुगतानों को कीमत वृद्धि सहित पट्टा अवधि या आस्ति की अवधि, भी जो कम हो, के दौरान लाभ व हानि खाते में अभिज्ञात किये जाते हैं।

13. आकस्मिक देयताएं और प्रावधान :

13.1 आकस्मिक देयता : पहले किए गए क्रियाकलापों को जिनसे वर्तमान में संभाव्य बाध्यताएं हो सकती हैं, निम्न दशाओं में आकस्मिक देयता के रूप में पहचाने जाते हैं, जहां :

ए) ऐसी बाध्यताओं का अस्तित्व पुष्टिकृत नहीं किया गया है।

बी) ऐसी बाध्यताओं के निपटारे के लिए संसाधनों का बाहरी प्रवाह अपेक्षित नहीं है।

सी) बाध्यताओं की राशि का एक विश्वसनीय आकलन नहीं किया जा सकता है।

डी) ऐसी राशियाँ भौतिक नहीं हैं।

13.2 ए) वर्तमान बाध्यताओं के मामले में, जहाँ विश्वसनीय आकलन किया जा सकता है और/या जहाँ बहुत छोटे दावों को छोडकर बाध्यताओं का निपटान करने के लिए आर्थिक लाभों का त्याग करते हुए संसाधनों का बाहरी प्रवाह होने की संभावना है, प्रावधान की पहचान की जाती है।

बी) बाजार जोखिमों, देश–विशेष की जोखिम आदि के लिए प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक के वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार किए जाते हैं।

सी) बैंक प्रबंधन द्वारा अभिपहचानित रूप से फ़्लोटिंग प्रावधान की व्यवस्था की जाती है। भारिबैंक के वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार अस्थायी प्रावधान का उपयोग निम्न मदों के लिए किया जा सकता है।

i) गैर–निष्पादित आस्तियों के लिए विशिष्ट प्रावधान रखना

ii) गैर–निष्पादित आस्तियों में बिक्री में होनेवाली कमी की पूर्ति करना

14. आस्तियों का अनर्जक होना :

अचल आस्तियों (पुनर्मूल्यांकित आस्तियों सहित) के संबंध में आस्तियों की हानी यदि कोई हो,लेखा मानक 28 "आस्तियों का अनर्जक होना" के अनुरूप पहचानी जाती है और उन्हें लाभ एवं हानि लेखे में प्रभारित किया जाता है। तथापि, पुनर्मूल्यांकित आस्ति पर आस्तियों का अनर्जक सीधे आस्ति के लिए कोई पुनर्मूल्यन अधिशेष के रूप में पहचाना जाता है, ताकि कोइ भी ह्रास आस्ति के लिए पुनर्मूल्यन अधिशेष में रखी राशि से अधिक न हो।

15. आय पर कर

15.1 वर्तमान कर एवं आस्थगित कर दोनों के लिए कर हेतु प्रावधान किया जाता है।

15.2. वर्तमान कर का मापन, कर प्राधिकारियों को अदा की जानेवाली प्रत्याशित राशि के अनुसार लागू कर दरों, कर कानूनों एवं अनुकूल न्यायिक फ़ैसलों / विधिक राय का प्रयोग करते हुए किया जाता है।

15.3 समय में अंतर के कारण उत्पन्न होनेवाली आस्थगित कर आस्तियां एवं देयताएं, जोकि आनेवाली अवधियों में रिवर्सल की क्षमता रखती हो, की पहचान, तुलन–पत्र की तिथि तक तैयार अथवा बाद में तैयार कर दरों एवं कर नियमों का प्रयोग करते हुए की जाती है। आस्थगित कर आस्तियों की पहचान तब तक नहीं की जाती जब तक ''वर्चुअल निश्चितता'' नहीं हो जाती कि पर्याप्त भविष्य कर योग्य आय उपलब्ध होगी, जिससे ऐसी आस्थगित कर आस्तियाँ उगाही जाएंगी।

b) New Pension Scheme (NPS) which is applicable to employees who joined bank on or after 01.04.2010 and it is a defined contribution scheme. Under NPS the Bank pays fixed contribution at pre determined rate and the obligation of the Bank is limited to such fixed contribution. The contribution is charged to Profit and Loss Account.

iv) COMPENSATED ABSENCES

Accumulating compensated absences such as Privilege Leave and Sick Leave are provided for based on actuarial valuation.

v) OTHER EMPLOYEE BENEFITS

Other Employee benefits such as Leave Fare Concession and Additional Retirement Benefit on Retirement are provided for based on actuarial valuation. In respect of overseas branches and offices, the benefits in respect of employees other than those on deputation are valued and accounted for as per laws prevailing in the respective territories.

12. ACCOUNTING FOR LEASES

Lease payments including cost escalation for assets taken on operating lease are recognized in the Profit and Loss Account over the lease term or life whichever is lower.

13. CONTINGENT LIABILITIES AND PROVISIONS

13.1 Contingent liability: Past events leading to, possible or present obligations are recognised as contingent liability in the following instances where:

(a) The existence of such obligations has not been confirmed

(b) no outflow of resources are required to settle such obligations

(c) a reliable estimate of the amount of the obligations cannot be made

(d) such amounts are not material

13.2 (a) Provision is recognized in case of present obligations where a reliable estimate can be made and/or where there are probable outflow of resources embodying foregoing of economic benefits to settle the obligations, excluding frivolous claims.

(b) Provision for Market Risk, Country Risk, etc., are made in terms of extant instructions of RBI.

(c) Floating provision as identified by the Bank Management is provided for. Floating provision may be utilized as per extant RBI guidelines, for -

(i) Making specific provisions for non-performing assets;

(ii) Meeting any shortfall in sale of non-performing assets.

14. IMPAIRMENT OF ASSETS

Impairment losses, if any, on Fixed Assets (including revalued assets) are recognised and charged to Profit and Loss Account in accordance with the Accounting Standard 28 “Impairment of Assets”. However, an impairment loss on a revalued asset is recognised directly against any revaluation surplus for the asset to the extent that the impairment loss does not exceed the amount held in the revaluation surplus for that same asset.

15. TAXES ON INCOME

15.1 Provision for tax is made for both Current Tax and Deferred Tax.

15.2 Current tax is measured at the amount expected to be paid to the taxation authorities, using the applicable tax rates, tax laws and favourable judicial pronouncements / legal opinion.

15.3 Deferred Tax Assets and Liabilities arising on account of timing differences and which are capable of reversal in subsequent periods are recognised using the tax rates and tax laws that have been enacted or substantively enacted till the date of the Balance Sheet. Deferred Tax Assets are not recognised unless there is “virtual certainty” that sufficient future taxable income will be available against which such deferred tax assets will be realised.

अनुसूची 18 – लेखों पर टिप्पणियाँ

1. पूँजी

मदें	31.03.2017	31.03.2016
i) सामान्य ईक्विटी टियर I पूँजी अनुपात (%)	11.82	11.68
ii) टियर I पूँजी अनुपात (%)	12.20	12.08
iii) टियर II पूँजी अनुपात (%)	1.44	1.12
iv) कुल पूंजी अनुपात (सीआरएआर) (%)	13.64	13.20
v) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में भारत सरकार के शेयरधारण का प्रतिशत	82.10	82.10
vi) निर्गमित ईक्विटी पूँजी की राशि	0.00	0.00
vii) अतिरिक्त टियर I पूँजी निर्गमित की राशि, जिसमें	शून्य	500.00
शाश्वत संचयी अधिमान्य शेयर (पीसीपीएस)		
शाश्वत खर्च लिखत (पीडीआई)	-	500.00
viii) टियर II पूँजी निर्गमित की राशि, जिसमें	600.00	
ऋण पूँजी लिखत	600.00	
अधिमान शेयर पूँजी लिखत [शाश्वत संचयी अधिमान्य शेयर (पीसीपीएस) / प्रतिदेय गैर संचयी अधिमान्य शेयर (आरएनसीपीएस) / प्रतिदेय संचयी अधिमान्य शेयर (आरसीपीएस)]	- -	शून्य

1. निवेश

2.1 भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक के देशी निवेश संविभाग को तीन संवर्गों में बाँट दिया गया है। 31.03.2017 को यह वर्गीकरण निम्न प्रकार है :

(₹ करोड़ में)

वर्गीकरण	31/03/2017		31/03/2016	
	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत
परिपक्वता के लिए रखे गए – एच टी एम *	38975.49	59.08	31326.20**	59.78
बिक्री के लिए उपलब्ध – एएफएस	26642.63	40.38	20776.41***	39.65
व्यापार के लिए रखे गए – एचएफटी	354.19	0.54	300.63	0.59
कुल योग	65972.31	100	52403.24	100.00

*निवल मांग और सावधि देयताओं के प्रतिशत के रूप में देशी एचटीएम संवर्ग की देशी एसएलआर प्रतिभूतियां 20.19 प्रतिशत के अधिकतम निर्दिष्ट स्तर के विरुद्ध 20.50 प्रतिशत है। (पिछले वर्ष के लिए 16.66 प्रतिशत के अधिकतम निर्दिष्ट स्तर के विरुद्ध 21.50 प्रतिशत है)

**31.03.2016 को लेखापरीक्षित तुलनपत्र के अनुसार आंकड़े 27383.61 करोड़ रूपए था। 31.03.2016 को एलएएफ उधार लेने के लिए प्रतिभूति गिरवी रु. 3942.59 करोड़ था। निवल के बिना एचटीएम बही मूल्य एलएएफ उधार लेने के लिए रु.31326.20 करोड़ है।

***31.03.2016 को लेखापरीक्षित तुलनपत्र के अनुसार आंकड़े 23064.41 करोड़ रूपए था। 31.03.2016 को एलएएफ उधार देने के लिए प्राप्त प्रतिभूति रु.2288.00 करोड़ था। निवल के बिना एएफ़एस बही मूल्य एलएएफ उधार देने के लिए रु. 20776.41 करोड़ है।

SCHEDULE 18 - NOTES ON ACCOUNTS

1. CAPITAL

	Items	31.03.2017	31.03.2016
i)	Common Equity Tier 1 capital ratio (%)	11.82	11.68
ii)	Tier I Capital ratio (%)	12.20	12.08
iii)	Tier II Capital ratio(%)	1.44	1.12
iv)	Total Capital ratio (CRAR) (%)	13.64	13.20
v)	Percentage of the Shareholding of the Government of India in public sector banks	82.10	82.10
vi)	Amount of equity capital raised (Amount in ₹ crore)	0.00	0.00
vii)	Amount Additional Tier 1 capital raised; of which		500.00
	Perpetual Non-cumulative Preference Shares (PNCPS)		-
	Perpetual Debt Instruments (PDI): (Amount in ₹ crore)	NIL	500.00
ix)	Amount of Additional Tier 2 capital raised ; of which	600.00	
	Debt capital instrument:	600.00	
	Preference Share Capital Instruments:[Perpetual Cumulative	-	
	Preference Shares(PCPS)/Redeemable Non-Cumulative	-	
	Preference Shares(RNCPS)/Redeemable Cumulative	-	
	Preference Shares(RCPS)]	-	NIL

2. INVESTMENTS

2.1. In accordance with the RBI guidelines, the Bank's domestic investment portfolio has been classified into three categories. The figures as at 31.03.17 are given hereunder:

₹ in Crore

Classification	31/03/2017		31/03/2016	
	Amount	%	Amount	%
Held to Maturity -HTM *	38975.49	59.08	31326.20**	59.78
Available for Sale – AFS	26642.63	40.38	20776.41***	39.65
Held for Trading – HFT	354.19	0.54	300.63	0.59
Gross Total	65972.31	100	52403.24	100.00

*Domestic SLR securities in HTM category as a percentage of Net Demand and Time Liabilities works out to 20.19% against the stipulated maximum level of 20.50% (previous year 16.66% as against the stipulated maximum level of 21.50%).

**Figures as per audited Balance Sheet as on 31.03.2016 was Rs.27383.61 crores. Security pledged for LAF Borrowing as on 31.03.2016 was Rs.3942.59 crores. HTM Book Value without netting LAF Borrowing is Rs.31326.20 crores.

*** Figures as per audited Balance Sheet as on 31.03.2016 was Rs.23064.41 crores. Security received under LAF Lending as on 31.03.2016 was Rs.2288.00 crores. AFS Book Value without netting LAF Lending is Rs.20776.41 crores.

2.2. निवेश

(₹ करोड़ में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
(1) निवेशों का मूल्य		
(i) **निवेशों का सकल मूल्य**		
(ए) भारत में	65972.31	52403.24*
(बी) भारत के बाहर	1983.28	2669.67
(ii) **मूल्यह्रास व एनपीआई के लिए प्रावधान**		
((ए) भारत में	314.25	233.98
(बी) भारत के बाहर	89.55	95.02
(iii) **निवेशों का निवल मूल्य**		
(ए) भारत में	65641.05	52169.26**
(बी) भारत के बाहर	1893.73	2574.65
(2) निवेशों व एनपीआई पर मूल्यह्रस के लिए बनाए गए प्रावधानों में वृद्धि / कमी		
(i) अथशेष	233.98	188.06
(ii) जोड़े : वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	171.29	86.97
(iii) घटाएँ : वर्ष के दौरान अतिरिक्त प्रावधानों का प्रतिलेखन / खाते में डालना	91.02	41.05
(iv) अंतिम शेष	314.25	233.98

*31.03.2016 को लेखापरीक्षित तुलनपत्र के अनुसार आंकड़े 50748.65 करोड़ रूपए था। 31.03.2016 को एलएएफ उधार लेने के लिए प्रतिभूति गिरवी रु. 3942.59 करोड़ था। 31.03.2016 को एलएएफ उधार देने के लिए प्राप्त प्रतिभूति रु.2288.00 करोड़ था। निवल के बिना बही मूल्य एलएएफ उधार देने /उधार लेने के लिए रु.52403.24 करोड़ है।

**31.03.2016 को लेखापरीक्षित तुलनपत्र के अनुसार आंकड़े 50514.67 करोड़ रूपए था। 31.03.2016 को एलएएफ उधार लेने के लिए प्रतिभूति गिरवी रु. 3942.59 करोड़ था। 31.03.2016 को एलएएफ उधार देने के लिए प्राप्त प्रतिभूति रु.2288.00 करोड़ था। निवल के बिना बही मूल्य एलएएफ उधार देने /उधार लेने के लिए रु.52169.26 करोड़ है।

2.2.1 रेपो लेनदेन (अंकित मूल्यों में)

(₹ करोड़ में)

प्रकार	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया	31 मार्च 2015 को बकाया
रेपो के तहत बेची गई प्रतिभूतियां				
i. सरकारी प्रतिभूतियाँ	0.00	4035.46	456.00	0.00
ii. कार्पोरेट ऋण प्रतिभूतियाँ	0.00	0.00	0.00	0.00
रिवर्स रेपो के तहत खरीदी गई प्रतिभूतियां				
i. सरकारी प्रतिभूतियाँ	0.00	7456.77	903.64	940.83
ii. कार्पोरेट ऋण प्रतिभूतियाँ	0.00	0.00	0.00	0.00

2.2. Investments

(Amount in ₹ crore)

Particulars	2016-17	2015-16
(1) Value of Investments		
(i) Gross value of investments		
(a) In India	65972.31	52403.24*
(b) Outside India	1983.28	2669.67
(ii) Provisions for Depreciation & NPI		
(a) In India	314.25	233.98
(b) Outside India	89.55	95.02
(iii) Net value of Investments		
(a) In India	65641.05	52169.26**
(b) Outside India	1893.73	2574.65
(2) Movement of provisions held towards depreciation on investments & NPI		
(i) Opening Balance	233.98	188.06
(ii) Add: Provisions made during the year	171.29	86.97
(iii) Less: Write-off/ Write back of excess provisions during the year	91.02	41.05
(iv) Closing Balance	314.25	233.98

*Figures as per audited Balance Sheet as on 31.03.2016 was Rs.50748.65 crores. Security pledged for LAF Borrowing as on 31.03.2016 was Rs.3942.59 crores. Security received under LAF Lending as on 31.03.2016 was Rs.2288.00 crores. Book value without netting LAF Lending/LAF Borrowing is Rs.52403.24 crores.

** Figures as per audited Balance Sheet as on 31.03.2016 was Rs.50514.67 crores. Security pledged for LAF Borrowing as on 31.03.2016 was Rs.3942.59 crores. Security received under LAF Lending as on 31.03.2016 was Rs.2288.00 crores. Book Value without netting LAF Lending/LAF Borrowing is Rs.52169.26 crores.

2.2.1 REPO Transactions (in face value terms):

(Amount in ₹ crore)

Type	Minimum outstanding during the year	Maximum outstanding during the year	Daily average outstanding during the year	Outstanding as on March 31, 2017
Securities sold under repo				
I. Government securities	0.00	4035.46	456.00	0.00
ii. Corporate debt securities	0.00	0.00	0.00	0.00
Securities purchased under reverse repo				
I. Government securities	0.00	7456.77	903.64	940.83
ii. Corporate debt securities	0.00	0.00	0.00	0.00

2.2.2 गैर एसएलआर निवेश संविभाग (देशी)

i) गैर–एसएलआर निवेशों पर जारीकर्ता संरचना

(₹ करोड़ में)

सं.	जारीकर्ता	राशि	निजी आबंटन की सीमा	निवेश स्तर से निम्न वर्ग की प्रतिभूतियों की मात्रा	सूचीबद्ध नहीं की गई प्रतिभूतियों की मात्रा	दर निर्धारण नहीं की गई प्रतिभूतियों की मात्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रम	4446.63	4108.15	354.15	0.00	0.00
2	वित्तीय संस्थाएं	2441.90	2047.54	0.00	0.00	17.38
3	बैंक	439.37	372.35	0.00	0.00	0.00
4	निजी कॉर्पोरेट	1693.08	1605.69	57.53	129.00*	85.73
5	अनुषंगी / संयुक्त उद्यम	92.36	92.36	0.00	0.00	13.49
6	अन्य	70.65	61.69	0.00	0.00	0.00
7	मूल्यह्रास व एनपीआई के प्रति धारित प्रावधान	(-)149.62	xx	xx	xx	xx
	कुल	**9034.37**	**8287.79**	**411.68**	**129.00***	**116.60**

* भारिबैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रारम्भिक 6 महीनों की अवधि के लिए रेटिंग से छूट प्राप्त है।

ii) गैर–निष्पादक गैर–एसएलआर निवेश

(₹ करोड़ में)

विवरण	2016-17	2015-16
अथ शेष	39.72	33.76
1 अप्रैल से वर्ष के दौरान जोड़	0.00	9.79
वर्ष के दौरान घटौती	21.79	3.83
अंतिम शेष	17.93	39.72
धारित कुल प्रावधान	17.93	39.72

2.2.3 एचटीएम वर्ग में/से विक्रय एवं हस्तांतरण

वर्ष की शुरुआत में भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार एचटीएम वर्ग में/से विक्रय एवं हस्तांतरण का एचटीएम वर्ग में रखे गए निवेशों के बही मूल्य के 5 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकता ।

- एचटीएम श्रेणी से रु.86.84 करोड़ की राशि (पिछले वर्ष रु.45.82 करोड़) की प्रतिभूतियों की बिक्री पर लाभ, लाभ और हानि खाते में लिया गया है और उसके बाद 42.59 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 22.48 करोड़ रुपये) की राशि को आरक्षित पूंजी खाता में हस्तांतरित कर दिया गया था। (करों का निवल और सांविधिक आरक्षित निधियां में हस्तांतरित करने के लिए आवश्यक राशि)
- प्रतिभूतियों का हस्तांतरण

(i) वर्ष की शुरुआत में,

एचटीएम श्रेणी से एएफएस श्रेणी में बैंक रु. 6197.54 करोड़ के बही मूल्य के लिए एसएलआर प्रतिभूति और रु.5.78 करोड़ के बही मूल्य के लिए गैर–एसएलआर वीसीएफ प्रतिभूति हस्तांतरित कर चुका है, जिसके परिणामस्वरूप एएफएस श्रेणी से एचटीएम श्रेणी के रु.5789.7 9 करोड़ के बही मूल्य के लिए कोई अतिरिक्त प्रावधान और एसएलआर सिक्योरिटी नहीं है, जिसके परिणामस्वरूप बही मूल्य को बाजार मूल्य में कम करने के लिए मूल्यह्रास के विरुद्ध प्रावधान का कोई समायोजन नहीं है।

(ii) 20/02/2017 को, बैंक ने एचएफटी श्रेणी से एबीएस श्रेणी में रु.10.18 करोड़ रुपये के बही मूल्य के लिए गैर–एसएलआर प्रतिभूतियों को हस्तांतरित कर दिया है।

- एचटीएम सवंर्ग में वगीकृत प्रतिभूतियों के मामले में यदि अर्जन की लागत उसके अंकित मूल्य से अधिक है, तो परिपक्वता के लिए शेष अवधि में प्रीमियम को परिशोधित कर दिया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2016–17 में रु.80.81करोड़ की राशि को (गत वर्ष में रु. 61.69 करोड़) परिशोधित किया जा चुका है तथा इसे ''निवेशों पर आय'' के अंतर्गत कटौती के रूप में दर्शाया गया है।

2.2.2 NON-SLR INVESTMENT PORTFOLIO (Domestic)

i) Issuer Composition of Non SLR Investments:

(Amount in ₹ crore)

No.	ISSUER	AMOUNT	EXTENT OF PRIVATE PLACEMENT	EXTENT OF "BELOW INVESTMENT GRADE" SECURITIES	EXTENT OF "UNRATED" SECURITIES	EXTENT OF "UNLISTED" SECURITIES
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	PSU	4446.63	4108.15	354.15	0.00	0.00
2	FIs	2441.90	2047.54	0.00	0.00	17.38
3	Banks	439.37	372.35	0.00	0.00	0.00
4	Private Corporates	1693.08	1605.69	57.53	129.00*	85.73
5	Subsidiaries/Joint Ventures	92.36	92.36	0.00	0.00	13.49
6	Others	70.65	61.69	0.00	0.00	0.00
7	Provision held towards depreciation & NPI	(-)149.62	xx	xx	xx	xx
	Total	**9034.37**	**8287.79**	**411.68**	**129.00***	**116.60**

* Exempted from rating for a initial period of 6 months as per RBI guidelines.

ii) Non Performing Non-SLR Investments

(Amount in ₹ crore)

Particulars	2016-17	2015-16
Opening Balance	39.72	33.76
Additions during the year since 1st April	0.00	9.79
Reduction during the above period	21.79	3.83
Closing Balance	17.93	39.72
Total Provisions held	17.93	39.72

2.2.3 Sale and Transfers to / from HTM Category:

The value of sales and transfers of securities to / from HTM category did not exceed 5 per cent of the book value of investments held in HTM category at the beginning of the year as per RBI guidelines.

- Profit on account of sale of securities from HTM category amounting to ₹ 86.84 crores (previous year ₹ 45.82 crores) has been taken to Profit and Loss Account and thereafter an amount of ₹ 42.59 crores (previous year ₹ 22.48 crores) was transferred to Capital Reserve Account (net of taxes and the amount required to be transferred to statutory reserves).
- Shifting of securities
  - (i) In the beginning of the year, the Bank shifted SLR Securities for Book Value of ₹ 6197.54 crores & Non-SLR VCF Securities for Book Value of ₹ 5.78 crores from HTM category to AFS category which has resulted in no additional provision and SLR Securities for Book Value of ₹ 5789.79 crores from AFS category to HTM category which has resulted in no adjustment of provision held against depreciation to reduce the book value to the market value.
  - (ii) On 20/02/2017, the Bank shifted Non-SLR securities for Book Value of ₹10.18 crores from HFT category to AFS category.

  In case of securities classified under HTM category, if acquisition cost is more than the face value, the premium is amortized over the remaining period to maturity. For the Financial Year 2016-17, a sum of ₹ 80.81 crore (previous year ₹ 61.69 crore) has been amortized and the same is reflected as a deduction from Income on Investments.

3. व्युत्पन्न / (डेरिवेटिव)

3.1 वायदा दर करार / ब्याज दर स्वैप (आईआर एस)

वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान, बैंक ने तुलन पत्र आस्तियों के बचाव के लिए वायदा दर करार / ब्याज दर स्वैप (आईआर एस)के स्वरूप की कोई व्युत्पन्न संविदा नहीं की।

(₹ करोड़ में)

मदें	31.03.2017	31.03.2016
i) अदला–बदली करार का अनुमानित मूलधन	0.00	0.00
ii) करार के अंतर्गत अपनी बाध्यताओं को पूरा करने में यदि विपक्षी पक्षकार चूक करें तो वहन की जानेवाली हानियाँ	शून्य	शून्य
iii) स्वैप करार करने पर बैंक को आवश्यक संपार्श्विक प्रतिभूति	शून्य	शून्य
iv) स्वैप से उत्पन्न होनेवाला जोखिमों का संकेन्द्रण	0.00	0.00
v) स्वैप बही का उचित मूल्य	0.00	0.00

3.2 विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पाद :

पुनरीक्षा वर्ष के दौरान बैंक ने विनिमय व्यापार किए गए ब्याज दर व्युत्पन्न के लिए कोई करार नहीं किया है।

क्रम सं.	विवरण	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
i.	वर्ष के दौरान किये गये विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्न का अनुमानित मूलधन (लिखत वार) ए) बी) सी)	शून्य	शून्य
	31 मार्च 2015 को विनिमय व्यापार किये गये ब्याज दर व्युत्पन्न के अनुमानित मूलधन का बकाया (लिखत वार) ए) बी) बी)	शून्य	शून्य
	वित्तीय व्यापार किये गये ब्याज दर व्युत्पन्न के अनुमानित मूलधन का बकाया तथा अधिक प्रभावात्मक न रहनेवाले (लिखत वार) ए) बी) बी)	शून्य	शून्य
	विनिमय व्यापार किये गये ब्याज दर व्युत्पन्न के बाजार मूल्य को बही में अंकित राशि का बकाया (लिखत वार) ए) बी) बी)	शून्य	शून्य

3.3 व्युत्पन्नों में ऋण जोखिम पर प्रकटीकरण :

3.3.1 गुणात्मक प्रकटीकरण:

बैंक की नीति आईआरएस का उपयोग करते हुए आस्तियों के साथ–साथ देयताएँ की प्रतिरक्षा की अनुमति देती है। हेजिंग लेन–देनों को उपचय आधार पर लेखांकित किया जाना चाहिए। ऐसे स्वैप जो ब्याज कमानेवाली आस्ति / देयता की प्रतिरक्षा करते हैं, हेज की गई आस्ति या देयता के रूप में लेखांकित किया जाता है। बकाया स्वैप संविदाएँ बाजार मूल्य पर अंकित होता है।

अंतर्राष्ट्रीय स्वेप डीलर संघ के दिशानिर्देशों के आधार पर सभी स्वैप लेनदेन किए गए हैं। लेनदेनों को समाप्त करने के पहले बैंक के पास पर्याप्त आंतरिक अनुमोदन और नियंत्रण प्रणालियाँ उपलब्ध हैं। (i) व्यापार (डीलिंग) (ii) बैक–ऑफ़िस (समझौता, निगरानी और नियंत्रण) तथा (iii) लेखाकरण क्षेत्रों के बीच एक स्पष्ट कार्यकारी पृथक्करण उपलब्ध है।

व्युत्पन्न उत्पाद खंड के अंतर्गत बैंक, ओवरनाइट इंडेक्स स्वैप (ओआईएस) में स्वामित्व लेनदेन कर रहा है। इस खंड में बैंक की गतिविधियाँ बैंक के बोर्ड द्वारा अनुमोदित व्युत्पन्न उत्पाद संबंधी नीति के अधीन की जाती हैं।

3. DERIVATIVES

3.1 Forward Rate Agreements / Interest Rate Swaps (IRS)

The Bank has not entered into Derivative contracts of the nature of Forward Rate Agreements / Interest Rate Swaps (IRS) to hedge on balance sheet assets during the financial year 2016-17

(Amount in ₹ crore)

Items	31.03.2017	31.03.2016
I) The notional Principal of Swap agreement	0.00	0.00
ii) Losses which would be incurred if counterparties failed to fulfill their obligations under the agreements.	NIL	NIL
iii) Collateral required by the bank upon entering into swaps	NIL	NIL
iv) Concentration of Credit Risk arising from the swaps	0.00	0.00
v) The fair value of swap book	0.00	0.00

3.2 Exchange Traded Interest Rate Derivatives

The bank has not contracted any exchange traded interest derivatives during the current year and in the previous year.

Sl No	Particulars	2016-17	2015-16
I.	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives undertaken during the year (instrument-wise) a) b)	NIL	NIL
	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding as on 31st March 2017 (instrument-wise) a) b)	NIL	NIL
	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective" (instrument-wise) a) b)	NIL	NIL
	Mark-to-Market value of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective": (instrument-wise) a) b)	NIL	NIL

3.3 Disclosures on Risk Exposure in Derivatives

3.3.1 Qualitative Disclosures:

Banks policy permits hedging of asset as well as liability using IRS. The hedging transactions are to be accounted on an accrual basis. Swaps, which hedge interest bearing asset / liability, are accounted for as the asset or liability hedged. Outstanding swap contracts are marked to market.

All swap deals shall be based on the guidelines of International Swaps Dealers' Association. Bank has adequate control systems and also internal approvals prior to concluding transactions. There exists a clear functional segregation between (i) trading (Dealing) (ii) back office (settlement, monitoring and control) and (iii) accounting sections.

In the derivatives segment, the banks policy permits doing proprietary trading in Overnight Index Swaps (OIS). The activities in this segment are governed by the Derivatives Policy approved by the Banks Board.

ओआईएस लेनदेनों से होनेवाले लाभ व हानि, लेनदेन की परिपक्वता या समाप्ति, जो भी पूर्व हो, पर लाभ व हानि खाते में दर्शायी जाती है। बकाया ओआईएस लेनदेन के मूल्यांकन को निश्चित करने के लिए, संपूर्ण अदला–बदली का सही मूल्य, तुलन पत्र के दिनांक पर अदला–बदली की समाप्ति से प्राप्य या देय राशि, के आधार पर किया जाता है। इससे प्राप्त हानि के लिए संपूर्ण प्रावधान किया जाता है और अगर लाभ हो तो, नजर अंदाज किया जाता है।

विनिमय बाजार में लेनदेन किए जाने वाले विदेशी विनिमय व्युत्पन्न उत्पाद अर्थात् मुद्रा वायदे सौदे, विनिमय बाजार निर्धारित मूल्यों पर मूल्यांकित किए जाते हैं और परिणामस्वरूप मिलने वाले लाभ व घाटा, बैंक के लाभ व हानि खाते में दर्शाया जाता है।

3.3.2. मात्रात्मक प्रकटीकरण

व्युत्पन्न बाजार में बैंक के निम्नलिखित उत्पाद हैं :

- ओवरनाइट इंडेक्स स्वैपस (ओआईएस)
- मुद्रा फ़्यूचर्स

31 मार्च, 2017 को बकाया ओआईएस ₹ 150.00 करोड़ रहा (पिछले वर्ष – शून्य)
31.03.2017 को मुद्रा फ्यूचर्स की बकाया स्थिति ₹ 200.20 करोड़ है और पिछले वर्ष ₹ 2584.92 करोड़ थी।

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	चालू वर्ष		पिछले वर्ष	
		मुद्रा व्युत्पाद	ब्याज दर व्युत्पाद	मुद्रा व्युत्पाद	ब्याज दर व्युत्पाद
1	व्युत्पन्न (नाममात्र मूल रकम)	200.20	150.00	2584.92	0.00
	क) प्रतिरक्षा के लिए	0.00	0.00	0.00	0.00
	ख) व्यापार के लिए	200.20	150.00	2584.92	0.00
2	बाज़ार की स्थितियों पर अंकित (1)				
	क) आस्ति (+)	0.00	0.01	0.05	0.00
	ख) देयता (-)	4.95	0.00	62.29	0.00
3	ऋण जोखिम (2)	4.00	0.85	51.75	0.00
4	ब्याज दर में एक प्रतिशत बदलाव का संभाव्य प्रभाव (100 * पीवी 01)				
	क) प्रतिरक्षा व्युत्पन्न पर	0.00	0.00	0.00	0.00
	ख) व्यापार व्युत्पन्न पर	0.00	1.02	0.00	0.00
5	वर्ष के दौरान पाए गए 100 पीवी* 01 का लक्षित और अधिकतम और न्यूनतम				
	क) प्रतिरक्षा पर				
	अधिकतम	0.00	0.00	0.00	0.00
	न्यूनतम	0.00	0.00	0.00	0.00
	ख) व्यापार पर				
	अधिकतम	0.00	1.14	लागू नहीं	0.00
	न्यूनतम	0.00	0.00	लागू नहीं	0.00

The gain or loss in OIS transactions is booked in the Profit and Loss account on the maturity or unwinding of the deal whichever is earlier. For the purpose of valuation of outstanding OIS deals, the fair value of the total swap is computed on the basis of the amount that would be receivable or payable on termination of the swap as on the balance sheet date. Losses arising there from, if any, are fully provided for while the profits, if any, are ignored.

Exchange traded FX Derivatives i.e. Currency Futures, are valued at the Exchange determined prices and the resultant gains and losses are recognized in the Profit and Loss account.

3.3.2 Quantitative Disclosures

The Bank is active in the following products under derivatives:-

- Overnight Index Swaps (OIS)
- Currency Futures

The outstanding OIS position as on 31st March 2017 was ₹ 150.00 crores (previous year Nil).

Outstanding position in Currency futures as on 31.03.2017 is ₹ 200.20 crores and previous year was ₹ 2584.92 crores

(Amount in ₹ crore)

Sl. No.	Particulars	2016-17		2015-16	
		Currency Derivatives	Interest Rate Derivatives	Currency Derivatives	Interest Rate Derivatives
1	Derivatives (Notional Principal Amount)	200.20	150.00	2584.92	0.00
	a) For hedging				
	b) For trading	200.20	150.00	2584.92	0.00
2	Marked to Market Positions (1)				
	a) Asset (+)	0.00	0.01	0.05	0.00
	b) Liability (-)	4.95	0.00	62.29	0.00
3	Credit Exposure (2)	4.00	0.85	51.75	0.00
4	Likely impact on one percentage change in interest rate (100*PV01)				
	a) On hedging derivatives	0.00	0.00	0.00	0.00
	b) On trading derivatives	0.00	1.02	0.00	0.00
5	Maximum and Minimum of 100*PV01 observed during the year				
	a) On hedging				
	Maximum	0.00	0.00	0.00	0.00
	Minimum	0.00	0.00	0.00	0.00
	b) On Trading				
	Maximum	0.00	1.14	NA	0.00
	Minimum	0.00	0.00	NA	0.00

4. आस्ति गुणवत्ता

4.1.1 गैर–निष्पादक आस्तियाँ

(₹ करोड़ में)

मदें	2016-17	2015-16
(i) निवल अग्रिमों और निवल एनपीए का अनुपात (%)	4.39	4.20
(ii) एनपीए (सकल) में उतार चढ़ाव		
(ए) अथशेष	8827.04	5670.44
(बी) वर्ष के दौरान जोड़	3330.66	5711.68
(सी) वर्ष के दौरान कटौती	2292.57	2555.08
(डी) अंतशेष	9865.14	8827.04
(iii) निवल एनपीए में उतार चढ़ाव		
(ए) अथशेष	5419.40	3146.95
(बी) वर्ष के दौरान जोड़	2056.13	3972.48
(सी) वर्ष के दौरान कटौती	1868.96	1700.03
(डी) अंतशेष	5606.57	5419.40
(iv) एनपीए के लिए प्रावधानों में उतार चढ़ाव (मानक आस्तियों पर प्रावधानों और चल प्रावधानों को छोड़कर)		
(ए) अथशेष	2926.76	2130.68
(बी) वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	2056.61	2393.22
सी) अतिरिक्त प्रावधानों को बट्टे खाते में डालना / प्रतिलेखन करना	1194.45	1597.14
(डी) अंतशेष	3788.92	2926.76

4.1.2 भारतीय रिजर्व बैंक ने दिनांक 18.04.2017 के परिपत्र सं. सी.सं. 63 / 21.04.018 / 2016–17 के जरिए "नोट्स टू अकाउंट्स" में बैंको को उचित प्रकटीकरण निर्धारित किया है, जबकि आस्ति वर्गीकरण में विचलन के कारण आरबीआई द्वारा मूल्यांकन की जाने वाली अतिरिक्त प्रावधान आवश्यक निर्धारित सीमा से अधिक है। निर्धारित सीमा के भीतर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पहचाने गए विचलन के संबंध में कोई प्रकटीकरण आवश्यकता नहीं है।

4. ASSETS QUALITY

4.1.1 Non-Performing Assets

(Amount in ₹ crore)

Items	2016-17	2015-16
(I) Net NPAs to Net Advances (%)	4.39	4.20
(ii) Movement of NPAs (Gross)		
(a) Opening Balance	8827.04	5670.44
(b) Additions during the year	3330.66	5711.68
(c) Reductions during the year	2292.57	2555.08
(d) Closing Balance	9865.14	8827.04
(iii) Movement of Net NPAs		
(a) Opening Balance	5419.40	3146.95
(b) Additions during the year	2056.13	3972.48
(c) Reductions during the year	1868.96	1700.03
(d) Closing Balance	5606.57	5419.40
(iv) Movement of Provision for NPAs (excluding provisions on standard assets and Floating Provisions)		
(a) Opening Balance	2926.76	2130.68
(b) Provisions made during the year	2056.61	2393.22
(c)) Write-off / Write - back of excess provisions	1194.45	1597.14
(d) Closing Balance	3788.92	2926.76

4.1.2 RBI vide their circular No.DBR.BP.BC.No.63/21.04.018/.2016-17 dated 18.04.2017 has prescribed Banks to make suitable disclosure in the "Notes to Accounts", wherever the additional provisioning requirement assessed by RBI due to divergence in the Asset Classification exceeds certain threshold limit. No disclosure in this regard is required as divergences identified by RBI are within the threshold limits prescribed.

4.2.1 31.3.2017 को पुर्नसंरचित खाते

	पुनर्रचना का प्रकार			सीडीआर पद्धति के अंतर्गत					एसएमई ऋण पुनर्रचना के अंतर्गत					अन्य					कुल				
	आस्ति वर्गीकरण			मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल
क्रम संख्या	विवरण																						
1	वित्तीय वर्ष 2016 के 1 अप्रैल को पुनर्रचित खाते (प्रारम्भिक आंकड़ा) *	1	उधारकर्ताओं की संख्या	7	0	8	0	15	983	111	319	0	1413	8320	1463	2008	0	11791	9310	1574	2335	0	13219
		2	बकाया राशि	760.31	0	780.63	0	1540.94	312.15	58.79	58.90	0	429.84	5293.77	176.40	1549.90	0	7020.07	6366.23	235.19	2389.43	0	8990.85
		3	उस पर प्रावधान	32.19	0	33.20	0	65.39	1.83	0.11	0.14	0	2.08	87.23	2.47	33.63	0	123.33	121.25	2.58	66.97	0	190.80
2	अप्रैल से मार्च के दौरान की गई नई पुनर्रचना 2017	4	उधारकर्ताओं की संख्या	0	0	0	0	0	30	23	5	0	58	346	388	52	4	790	376	411	57	4	848
		5	बकाया राशि	30.27	0	0	0	30.27	19.58	1.55	0.89	0	22.02	855.98	35.14	245.62	0.35	1137.09	905.83	36.69	246.51	0.35	1189.38
		6	उस पर प्रावधान	-2.28	0	-0.28		-2.56	0.23	0	0	0	0.23	-9.98	-0.31	7.15	0	-3.14	-12.03	-0.31	6.87	0	-5.47
3	अप्रैल–मार्च 2017 के दौरान पुनर्रचना मानक वर्ग तक अपग्रेडेशन	7	उधारकर्ताओं की संख्या	1	0	-1	0	0	17	-11	-6	0	0	113	-59	-54	0	0	131	-70	-61	0	0
		8	बकाया राशि	53.98	0	-53.98	0	0.00	1.14	-0.98	-0.16	0	0.00	3.79	-2.27	-1.52	0	0.00	58.91	-3.25	-55.66	0	0.00
		9	उस पर प्रावधान	0.79	0	-0.79	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0.06	-0.03	-0.03	0	0.00	0.85	-0.03	-0.82	0	0.00
4	पुनर्संरचित मानक अग्रिम जिनके लिए वित्तीय वर्ष के अंत में उच्च प्रावधानीकरण और / या अतिरिक्त जोखिम भार की आवश्यकता नहीं है एवं अतः अगले वित्तीय वर्ष के उत्तरार्द्ध में उन्हें पुनर्संरचित मानक अग्रिमों के रूप में प्रदर्शित किए जाने की जरूरत नहीं है।	10	उधारकर्ताओं की संख्या	0				0	-17				-17	-231				-231	-248				-248
		11	बकाया राशि	0.00				0.00	-35.56				-35.56	-228.20				-228.20	-263.76				-263.76
		12	उस पर प्रावधान	0.00				0.00	-0.43				-0.43	-0.35				-0.35	-0.78				-0.78
5	अप्रैल–मार्च 2017 के दौरान अवनत किए गए पुनर्संरचित खाते	13	उधारकर्ताओं की संख्या	-1	0	1	0	0	-173	125	48		0	-702	79	620	3	0	-876	204	669	3	0
		14	बकाया राशि	-53.14	0.00	53.14	0.00	0.00	-22.50	-38.08	60.58	0	0.00	-660.46	-77.82	738.28	0	0.00	-736.10	-115.90	852.00	0	0.00
		15	उस पर प्रावधान	-8.93	0	8.93	0	0	0	-0.10	0.10	0	0.00	-16.23	-0.44	16.67	0	0.00	-25.16	-0.54	25.7	0	0.00
6	अप्रैल–मार्च 2017 के दौरान बट्टे खाते में डाले गए पुनर्संरचित खाते	16	उधारकर्ताओं की संख्या	-1	0	-2	0	-3	-119	-55	-204	0	-378	-986	-803	-605	0	-2394	-1106	-858	-811	0	-2775
		17	बकाया राशि	-143.63	0	-111.52	0	-255.15	-55.47	-3.65	-33.96	0	-93.08	-1809.70	-14.00	-428.46	0	-2252.2	-2008.8	-17.65	-573.94	0	-2600.39
		18	उस पर प्रावधान	-9.70	0	-18.93	0	-28.63	-1.06	0	-0.18	0	-1.24	-10.19	-0.11	-21.3	0	-31.6	-20.95	-0.11	-40.41	0	-61.47
7	वित्तीय वर्ष 2016 के मार्च 31, माह को पुनर्संरचित खाते (अंतिम आंकड़े) *	19	उधारकर्ताओं की संख्या	6	0	6	0	12	721	193	162	0	1076	6860	1068	2021	7	9956	7587	1261	2189	7	11044
		20	बकाया राशि	647.79	0.00	668.27	0.00	1316.06	219.34	17.63	86.25	0.00	323.22	3455.18	117.45	2103.82	0.35	5676.80	4322.31	135.08	2858.34	0.35	7316.08
		21	उस पर प्रावधान	12.07	0.00	22.13	0.00	34.20	0.57	0.01	0.06	0.00	0.64	50.54	1.58	36.12	0.00	88.24	63.18	1.59	58.31	0	123.08

* मानक पुनर्संरचित अग्रिमों के उन आंकड़े को छोड़कर जिनके कारण उच्च प्रावधानीकरण या जोखिम भार नहीं आता(यदि प्रयोज्य हो)

4.2.1 Disclosure of Restructured Accounts - as on 31-03-2017

	Type of Restructuring			Under CDR Mechanism					Under SME Debt Restructuring					Others					Total				
	Asset Classification			Standard	Sub-Standard	Doubtful	Loss	Total	Standard	Sub-Standard	Doubtful	Loss	Total	Standard	Sub-Standard	Doubtful	Loss	Total	Standard	Sub-Standard	Doubtful	Loss	Total
Sl No	Details																						
1	Restructured Accounts as on April 1of the FY 20156 (opening figure) *	1	Number Of Borrowers	7	0	8	0	15	983	111	319	0	1413	8320	1463	2008	0	11791	9310	1574	2335	0	13219
		2	Amount Outstanding	760.31	0	780.63	0	1540.94	312.15	58.79	58.90	0	429.84	5293.77	176.40	1549.90	0	7020.07	6366.23	235.19	2389.43	0	8990.85
		3	Provision thereon	32.19	0	33.20	0	65.39	1.83	0.11	0.14	0	2.08	87.23	2.47	33.63	0	123.33	121.25	2.58	66.97	0	190.80
2	Fresh restructuring during Apr-Mar 2017	4	Number Of Borrowers	0	0	0	0	0	30	23	5	0	58	346	388	52	4	790	376	411	57	4	848
		5	Amount Outstanding	30.27	0	0	0	30.27	19.58	1.55	0.89	0	22.02	855.98	35.14	245.62	0.35	1137.09	905.83	36.69	246.51	0.35	1189.38
		6	Provision thereon	-2.28	0	-0.28		-2.56	0.23	0	0	0	0.23	-9.98	-0.31	7.15	0	-3.14	-12.03	-0.31	6.87	0	-5.47
3	Upgradation to restructured standard category during Apr-Mar 2017	7	Number Of Borrowers	1	0	-1	0	0	17	-11	-6	0	0	113	-59	-54	0	0	131	-70	-61	0	0
		8	Amount Outstanding	53.98	0	-53.98	0	0.00	1.14	-0.98	-0.16	0	0.00	3.79	-2.27	-1.52	0	0.00	58.91	-3.25	-55.66	0	0.00
		9	Provision thereon	0.79	0	-0.79	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0.06	-0.03	-0.03	0	0.00	0.85	-0.03	-0.82	0	0.00
4	Restructured standard advances which cease to attract higher provisioning and / or additional risk weight at the end of the FY and hence need not be shown as restructured standard advances at the beginning of the next FY	10	Number Of Borrowers	0				0	-17				-17	-231				-231	-248				-248
		11	Amount Outstanding	0.00				0.00	-35.56				-35.56	-228.20				-228.20	-263.76				-263.76
		12	Provision thereon	0.00				0.00	-0.43				-0.43	-0.35				-0.35	-0.78				-0.78
5	Downgradations of restructured accounts during Apr-Mar 2017	13	Number Of Borrowers	-1	0	1	0	0	-173	125	48		0	-702	79	620	3	0	-876	204	669	3	0
		14	Amount Outstanding	-53.14	0.00	53.14	0.00	0.00	-22.50	-38.08	60.58	0	0.00	-660.46	-77.82	738.28	0	0.00	-736.10	-115.90	852.00	0	0.00
		15	Provision thereon	-8.93	0	8.93	0	0	0	-0.10	0.10	0	0.00	-16.23	-0.44	16.67	0	0.00	-25.16	-0.54	25.7	0	0.00
6	Write-offs of restructured accounts during Apr-Mar 2017	16	Number Of Borrowers	-1	0	-2	0	-3	-119	-55	-204	0	-378	-986	-803	-605	0	-2394	-1106	-858	-811	0	-2775
		17	Amount Outstanding	-143.63	0	-111.52	0	-255.15	-55.47	-3.65	-33.96	0	-93.08	-1809.70	-14.00	-428.46	0	-2252.2	-2008.8	-17.65	-573.94	0	-2600.39
		18	Provision thereon	-9.70	0	-18.93	0	-28.63	-1.06	0	-0.18	0	-1.24	-10.19	-0.11	-21.3	0	-31.6	-20.95	-0.11	-40.41	0	-61.47
7	Restructured Accounts as on Mar 31 of the FY 2017 (closing figure) *	19	Number Of Borrowers	6	0	6	0	12	721	193	162	0	1076	6860	1068	2021	7	9956	7587	1261	2189	7	11044
		20	Amount Outstanding	647.79	0.00	668.27	0.00	1316.06	219.34	17.63	86.25	0.00	323.22	3455.18	117.45	2103.82	0.35	5676.80	4322.31	135.08	2858.34	0.35	7316.08
		21	Provision thereon	12.07	0.00	22.13	0.00	34.20	0.57	0.01	0.06	0.00	0.64	50.54	1.58	36.12	0.00	88.24	63.18	1.59	58.31	0	123.08
	* Excluding the figures of Standard Restructured Advances which do not attract higher provisioning or risk weight (if applicable)																						

S No. 2 includes Rs. 633.60 cr of fresh restructuring and further debits / disbursements to existing restructured account as on 31.03.2017 - Rs.555.78cr S No.6 includes fresh write off Rs. 440.20 cr and closer/ sale to ARC - Rs. 1716.08 cr decrease in balance - Rs.444.11 cr

4.2.2. 31.03.2017 को सामरिक ऋण योजना (जो वर्तमान में यथावत स्थिति अवधि के तहत हैं) का प्रकटीकरण

(₹ करोड़ में)

उन खातों की संख्या जहां एसडीआर लागू किया गया है	रिपोर्टिंग तारीख को बकाया राशि		उन खातों के संबंध में रिपोर्टिंग तारीख को बकाया राशि जहां इक्विटी के लिए ऋण का संपरिवर्तन लंबित है		खातों के संबंध में रिपोर्टिंग की तिथि को बकाया राशि, जहां इक्विटी के लिए ऋण का संपरिवर्तन हुआ है	
	मानक के रूप में वर्गीकृत	एनपीए के रूप में वर्गीकृत	मानक के रूप में वर्गीकृत	एनपीए के रूप में वर्गीकृत	मानक के रूप में वर्गीकृत	एनपीए के रूप में वर्गीकृत
8	854.93	शून्य	421.24	शून्य	433.69#	शून्य

एसडीआर के भाग के रूप में इक्विटी में परिवर्तित ऋण का मूल्य रू 116.54 करोड

4.2.3 31.03.2017 को एसडीआर योजना(खाते जो वर्तमान में यथावत स्थिति अवधि के तहत हैं) के बाहर स्वामित्व में परिवर्तन पर प्रकटीकरण

(₹ करोड़ में)

उन खातों की संख्या जहां बैंक ने स्वामित्व में परिवर्तन पर प्रभाव डाला है	रिपोर्टिंग तारीख को बकाया राशि		उन खातों के संबंध में रिपोर्टिंग तारीख को बकाया राशि जहां इक्विटी के लिए ऋण का संपरिवर्तन / इक्विटी शेयरों की गिरवी लागू करना लंबित है।		उन खातों के संबंध में रिपोर्टिंग तारीख को बकाया राशि जहां इक्विटी के लिए ऋण का संपरिवर्तन / इक्विटी शेयरों की गिरवी लागू करना है।		खातों के संबंध में रिपोर्टिंग तिथि को बकाया राशि जहां नए शेयर जारी करने या प्रमोटर की इक्विटी की बिक्री के जरिए स्वामित्व में परिवर्तन की परिकल्पना की गई है।	
	मानक के रूप में वर्गीकृत	एनपीए के रूप में वर्गीकृत	मानक के रूप में वर्गीकृत	एनपीए के रूप में वर्गीकृत	मानक के रूप में वर्गीकृत	एनपीए के रूप में वर्गीकृत	मानक के रूप में वर्गीकृत	एनपीए के रूप में वर्गीकृत
शून्य								

4.2.4 31.03.2017 को कार्यान्वयन के तहत परियोजना के स्वामित्व में परिवर्तन पर प्रकटीकरण (खाते जो वर्तमान में यथावत स्थिति अवधि के तहत हैं)

(₹ करोड़ में)

उन परियोजना ऋण खातों की संख्या जहां बैंक ने स्वामित्व में परिवर्तन पर निर्णय लिया है ।	रिपोर्टिंग तारीख को बकाया राशि		
	मानक के रूप में वर्गीत	मानक पुनर्रचना के रूप में वर्गीत	एनपीए के रूप में वर्गीत
शून्य			

4.2.5 31.03.2017 तक तनावग्रस्त आस्तियों (एस 4 ए) के धारणीय संरचना के लिए योजना पर प्रकटीकरण.

(₹ करोड़ में)

खातों की संख्या जहां एस4ए का आवेदन किया है	आस्ति वर्गीकरण	कुल बकाया राशि	बकाया राशि		प्रावधान धारित
			भाग ए में	भाग बी में	
1	मानक	84.55	46.91	37.64	16.91
5	मानक	689.52	कार्यान्वयन के तहत		
1	एनपीए	24.43	कार्यान्वयन के तहत		3.66 #

एनपीए प्रावधान धारित

4. 2.2 Disclosure of Strategic Debt Scheme (which are currently under the standstill period) as on 31.03.2017

(Amount in ₹ crore)

No. of accounts where SDR has been invoked	Amount outstanding as on the reporting date		Amount outstanding as on the reporting date with respect to accounts where conversion of debt to equity is pending		Amount outstanding as on the reporting date with respect to accounts where conversion of debt to equity has taken place	
	Classified as standard	Classified as NPA	Classified as standard	Classified as NPA	Classified as standard	Classified as NPA
8	854.93	Nil	421.24	Nil	433.69#	Nil

Value of debt converted into equity as part of SDR: Rs.116.54 crore

4.2.3 Disclosures on Change in Ownership outside SDR Scheme (accounts which are currently under the stand-still period) as on 31.03.2017

(Amount in ₹ crore)

No. of accounts where banks have decided to effect	Amount outstanding as on the reporting date		Amount outstanding as on the reporting date with respect to accounts where conversion of debt to equity / invocation of pledge of equity shares is pending		Amount outstanding as on the reporting date with respect to accounts where conversion of debt to equity / invocation of pledge of equity shares has taken place.		Amount outstanding as on the reporting date with respect to accounts where change of ownership is envisaged by issuance of fresh shares or sale of promoter s equity.	
	Classified as standard	Classified as NPA	Classified as standard	Classified as NPA	Classified as standard	Classified as NPA	Classified as standard	Classified as NPA
NIL								

4.2.4 Disclosures on Change in Ownership of Projects under Implementation (accounts which are currently under the stand-still period) as on 31.03.2017

(Amount in ₹ crore)

No. of project loan accounts where banks have decided to effect change in ownership	Amount outstanding as on the reporting date		
	Classified as standard	Classified as standard restructured	Classified as NPA
NIL			

4. 2.5 Disclosures on the Scheme for Sustainable Structuring of Stressed Assets (S4A), as on 31.03.2017.

(Amount in ₹ crore)

No. of accounts where S4A has been applied	Asset Classification	Aggregate amount outstanding	Amount outstanding		Provision held
			In Part A	In Part B	
1	Standard	84.55	46.91	37.64	16.91
5	Standard	689.52	Under implementation		
1	NPA	24.43	Under implementation		3.66 #

NPA provision held.

4.2.6 31.03.2017 को मौजूदा ऋण की लचीली संरचना पर प्रकटीकरण

(₹ करोड़ में)

अवधि	लचीली संरचना के लिए गए उधारकर्ताओं की संख्या	लचीली संरचना के लिए गए ऋणों की राशि		लचीली संरचना के लिए ऋणों की भारित औसत अवधि का एक्सपोजर	
		मानक के रूप में वर्गीत	एनपीए के रूप में वर्गीत	लचीली संरचना लागू करने से पहले	लचीली संरचना लागू करने के बाद
पिछले वित्तीय वर्ष	8	432.80	1407.26	70 महीने	227 महीने
चालू वित्तीय वर्ष	4	552.15	Nil	77 महीने	227 महीने

4.3 आस्ति पुनर्निर्माण के लिए प्रतिभूतिकरण / पुननिर्माण कंपनी को बेची गई वित्तीय आस्तियों के विवरण

4.3.1 बिक्री का विवरण

(₹ करोड में)

मदें	2016-17	2015-16
(i) खातों की संख्या	7566	12
(ii) एससी / आरसी को बेचे गए खातों का सकल मूल्य (प्रावधानों से निवल)	91.85	455.44
(iii) सकल प्रतिफल	213.44	813.96
(iv) पिछले वर्षों में अंतरित खाते के संबंध में वसूला गया अतिरित प्रतिफल	--	--
(v) निवल बही मूल्य पर सकल लाभ / हानि	121.59	358.52

4.3.2 एनबीवी के अंतर्गत सुरक्षा रसीद सकल प्रावधान का बही मूल्य

4.3.2 एनबीवी के अंतर्गत सुरक्षा रसीद सकल प्रावधान का बही मूल्य

(₹ करोड में)

विवरण	2016-17	2015-16
(i) अंतर्निहित रूप से बैंक द्वारा बेचे गए एनपीए को लेकर	2084.37	1940.23
(Ii) अन्य बैंकों / वित्तीय संस्थाओं / गैर–बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं द्वारा अंतर्निहित रूप से बेचे गए एनपीए द्वारा समर्थित	शून्य	शून्य
Total	2084.37	1940.23

4.3.3 खरीदी / बेची गयी गैर निष्पादक वित्तीय आस्तियों के विवरण

ए. खरीदी गयी गैर–निष्पादक वित्तीय आस्तियों के विवरण

(₹ करोड में)

विवरण	2016-17	2015-16
1. (ए) वर्ष के दौरान खरीदे गए खातों की संख्या	शून्य	शून्य
(बी) बकाया कुल शेष	शून्य	शून्य
2. (ए) इनमे से वर्ष के दौरान पुनः संरचित खातों की संख्या	शून्य	शून्य
(बी) बकाया कुल शेष	शून्य	शून्य

बी. बेची गयी गैर–निष्पादक वित्तीय आस्तियों के विवरण

(₹ करोड में)

विवरण	2016-17	2015-16
1. बेचे गए खातों की संख्या	7566	12
2. बकाया कुल शेष	356.68	1153.62
3. प्राप्त कुल प्रतिफल	213.44	813.96

4.3.4 मानक आस्तियों के लिए प्रावधान

(₹ करोड में)

	2016-17	2015-16
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	768.76	755.30

4.2.6 Disclosure on flexible structuring of existing loans as on 31.03.2017

(Amount in ₹ crore)

Period	No of borrowers taken up for flexible structuring	Amount of loans taken up for flexible structuring		Exposure weighted average duration of loans taken up for flexible structuring	
		Classified as Standard	Classified as NPA	Before applying flexible structuring	After applying flexible structuring
Previous financial year	8	432.80	1407.26	70 months	227 months
Current financial year	4	552.15	Nil	77 months	227 months

4.3 Details of financial assets sold to Securitization / Reconstruction Company for Asset Reconstruction

4.3.1. Details of Sales

(Amount ₹ in crore)

Items	2016-17	2015-16
(I) No. of Accounts	7566	12
(ii) Aggregate value (net of provisions) of accounts sold to SC/RC	91.85	455.44
(iii) Aggregate consideration	213.44	813.96
(iv) Additional consideration realised in respect of accounts transferred in earlier years	--	--
(v) Aggregate gain/ loss over net book value	121.59	358.52

4. 3.2 Book Value of Security Receipt Gross

(Amount ₹ in crore)

Particulars	2016-17	2015-16
(i) Backed by NPAs sold by the bank as underlying	2084.37	1940.23
(ii) Backed by NPAs sold by other banks / financial institutions / non banking financial companies as underlying	NIL	NIL
Total	2084.37	1940.23

4.3.3 Details of non-performing financial assets purchased /sold

A. Details of non-performing financial assets purchased:

(Amount ₹ in crore)

Particulars	2016-17	2015-16
1. (a).No. of accounts purchased during the year	NIL	NIL
(b) Aggregate outstanding	NIL	NIL
2. (a) Of these, number of accounts restructured during the year	NIL	NIL
(b) Aggregate outstanding	NIL	NIL

B. Details of non-performing financial assets sold

(Amount ₹ in crore)

Particulars	2016-17	2015-16
1. No. of accounts sold	7566	12
2. Aggregate Outstanding	356.68	1153.62
3. Aggregate consideration received	213.44	813.96

4.3.4. Provision on Standard Assets

(Amount ₹ in crore)

	2016-17	2015-16
Provisions towards Standard Assets	768.76	755.30

5. व्यापार अनुपात

(₹ करोड़ में)

ब्यवरण	2016-17	2015-16
(i) कार्यशील निधि के प्रतिशत के रूप में ब्याज आय	7.67	8.13
(ii) कार्यशील निधि के प्रतिशत के रूप में गैर–ब्याज आय	1.06	0.89
(iii) कार्यशील निधि के प्रतिशत के रूप में परिचालन लाभ	1.91	1.52
(iv) आस्तियों पर प्रतिलाभ (%)	0.67	0.36
(v) कारोबार (जमाएँ एवं अग्रिम) प्रति कर्मचारी (रु. करोड में)	14.88	15.31
(vi) प्रति कर्मचारी लाभ (R लाख में)	0.07	0.04

6. आस्ति देयता प्रबंधन
आस्तियों / देयताओं की कुछ मदों का परिपक्वता पैटर्न (बैंक द्वारा यथा संकलित)

(₹ करोड़ में)

विवरण	1 दिन	2-7 दिन	8-14 दिन	15 - 30 दिन	31 दिन से 2 महीना	दो से तीन महीनों से अधिक	3 महीनों से अधिक तथा 6 महीनों तक	6 महीनों से अधिक तथा 1 वर्ष तक	1 वर्ष से अधिक तथा 3 वर्षों तक	3 वर्षों से अधिक तथा 5 वर्षों तक	5 वर्षों से अधिक	कुल
जमाएं	1077.23	2805.24	2347.99	2129.83	7020.77	7560.97	16325.45	18943.48	115557.02	6123.63	2617.68	182509.28
उधार	1240.21	2150.92	4628.66	3942.46	6450.70	5953.34	10456.28	18243.49	41009.18	16347.69	17276.37	127699.28
निवेश*	15331.23	960.27	432.38	1205.86	1204.16	1327.66	2665.98	4209.68	25695.76	2405.51	11852.55	67291.04
अग्रिम	53.77	8055.27	225	212.13	41.69	518.80	275.77	1154.40	0.01	2100.04	0.01	12636.89
जिसमें से												
विदेशी मुद्रा देयताएं	171.94	246.45	311.10	552.94	712.06	1306.81	959.28	2197.98	1451.38	562.19	459.77	8931.91
विदेशी मुद्रा आस्तियां	174.75	561.38	129.07	933.02	=998.67	1207.90	1167.01	1778.31	1424.98	409.51	119.89	8904.49

* ₹ 8320.54 करोड़ की सीबीएलओ उधार, ₹ 950.00 करोड़ की रिसर्व रिपो (एलएएफ) प्रतिभूतियाँ शामिल हैं और ₹ 512.48 करोड़ की सूचीबद्ध ईक्विटियों का 50 प्रतिशत शामिल नहीं है।

5. Business Ratios

(Amount in ₹ crore)

Particulars	2016-17	2015-16
(I) Interest Income as a percentage to Working Funds	7.67	8.13
(ii) Non-Interest Income as a percentage to Working Funds	1.06	0.89
(iii) Operating Profit as a percentage to Working Funds	1.91	1.52
(iv) Return on Assets (%)	0.67	0.36
(v) Business (Deposits plus Advances) per employee (₹ Crore)	14.88	15.31
(vi) Profit per employee (₹ Crore)	0.07	0.04

6. Asset Liability Management

Maturity Pattern of certain items of Assets and Liabilities

(Amount in ₹ crore)

Particulars	1 day	2-7 days	8-14 days	15 to 30 days	31 days to 2 months	Over 2 to 3 months	Over 3 months to 6 months	Over 6 months to 1 year	Over 1 years to 3 years	Over 3 years to 5 years	Over 5 years	Total
Deposits	1077.23	2805.24	2347.99	2129.83	7020.77	7560.97	16325.45	18943.48	115557.02	6123.63	2617.68	182509.28
Advances	1240.21	2150.92	4628.66	3942.46	6450.70	5953.34	10456.28	18243.49	41009.18	16347.69	17276.37	127699.28
Investments*	15331.23	960.27	432.38	1205.86	1204.16	1327.66	2665.98	4209.68	25695.76	2405.51	11852.55	67291.04
Borrowings	53.77	8055.27	225	212.13	41.69	518.80	275.77	1154.40	0.01	2100.04	0.01	12636.89
Foreign Currency Liabilities	171.94	246.45	311.10	552.94	712.06	1306.81	959.28	2197.98	1451.38	562.19	459.77	8931.91
Foreign Currency Assets	174.75	561.38	129.07	933.02	=998.67	1207.90	1167.01	1778.31	1424.98	409.51	119.89	8904.49

*Includes CBLO Borrowings of Rs.8320.54 crore, Reverse Repo(LAF) securities of Rs.950.00 crore and excludes 50% of listed equities of Rs.521.48 crores.

7. संवदेनशील क्षेत्रों को उधार

7.1 रियल एस्टेट क्षेत्र को ऋण

(₹ करोड़ में)

श्रेणी	31-03-2017	31-03-2016
ए) प्रत्यक्ष ऋण		
(i) आवासिक बंधक	12283.29	9888.81
जिसमें से वैयक्तिक गृह ऋण जो प्राथमिकता क्षेत्र के तहत श्शामिल किए जाने हेतु योग्य है	5488.73	5360.00
(ii) वाणिज्यिक रियल एस्टेट	3420.28	2668.14
(iii) बंधक समर्थित प्रतिभूतियों (एबीएस) में निवेश और अन्य प्रतिभूतिकृत ऋण	शून्य	शून्य
ए) आवासिक	शून्य	0.07
बी) वाणिज्यिक रियल एस्टेट	शून्य	शून्य
बी) अप्रत्यक्ष ऋण		
राष्ट्रीय आवासीय बैंक (एनएचबी) और आवास वित्त निगम(एचएफ़सी) पर निधि आधारित तथा गैर–निधिक एक्सपोजर	4475.10	6168.36
रियल एस्टेट क्षेत्र को कुल ऋण	**20178.67**	**18725.38**

7.2 पूंजी बाजार में एक्सपोजर

(₹ करोड़ में)

मद	31-03-2017	31-03-2016
(I) प्रत्यक्ष निवेश		
ए) ईक्विटी शेयर में	565.87	562.37
बी) बांड्स / परिवर्तनीय डिबेंचरों में	शून्य	शून्य
सी) ईक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों के यूनिटों में जिसका कॉरपस मात्र कार्पोरेट ऋण में निवेश नहीं किया गया है।	शून्य	शून्य
(ii) यक्तियों को ईक्विटी शेयरों (आईपीओ / ईएसओपी सहित) परिवर्तनीय बांडों एवं डिबेंचरों, ईक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों के यूनिटों में निवेश के लिए शेयरों / बांडों / डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों की जमानत पर अग्रिम या व्यक्तियों को बेजमानती ऋण	शून्य	शून्य
(iii) किसी अन्य प्रयोजन के लिए अग्रिम जहां शेयरों या परिवर्तनीय बांडों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या ईक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों के यूनिटों को प्राथमिक जमानत के रूप में लिया जाता है।	23.18	23.09
(iv) किसी अन्य प्रयोजन के लिए अग्रिम जोकि शेयरों अथवा उस सीमा तक परिवर्तनीय बांडों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या ईक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों के यूनिटों द्वारा प्रत्याभूत हैं अर्थातृ शेयरों / परिवर्तनीय बांडों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या ईक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों के यूनिटों के अलावा प्राथमिक प्रतिभूति अग्रिमों को पूर्णतः कवर नहीं करती।	376.05	शून्य
(v) स्टॉक ब्रोकरों को प्रत्याभूत और अप्रत्याभूत अग्रिम एवं स्टॉक ब्रोकरों तथा मार्केट मेकरों की ओर से जारी गारंटियां।	30.00	32.00
(vi) स्रोतों को उपलब्ध कराने की प्रत्याशा में नई कंपनियों की ईक्विटी के लिए प्रवर्तक के अंशदान को पूरा करने के लिए शेयरों / बांडों / डिबेंचरों अथवा अन्य प्रतिभूतियों के विरूद्ध अथवा बेजमानती आधार पर कार्पोरेटों को मंजूर ऋण।	शून्य	शून्य
(vii) प्रत्याशित ईक्विटी प्रवाहों / निर्गमों के विरूद्ध कंपनियों को पूरक ऋण ।	शून्य	शून्य
(viii) शेयरों अथवा परिवर्तनीय बांडों अथवा परिवर्तनीय डिबेंचरों या ईक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों के यूनिटों के प्राथमिक निर्गम के संबंध में बैंकों द्वारा दी गई हामिदारी प्रतिबद्धताएं।	शून्य	शून्य
(ix) मार्जिन ट्रेडिंग हेतु स्टॉक ब्रोकरों को वित्तीयन	शून्य	शून्य
(x) उद्यम पूंजी निधियों (पंजीकृत और अपंजीकृत दोनो) के सभी एक्पोजर।	30.46	40.90
पूंजी बाजार को कुल एक्सपोजर	**1025.55**	**658.36**

7. Exposures

7.1 Exposure to Real Estate Sector

(Amount in ₹ crore)

Category	31.03.2017	31.03.2016
A) Direct Exposure		
(i) Residential Mortgages -	12283.29	9888.81
Out of which individual housing loans eligible for being included under priority sector	5488.73	5360.00
(ii) Commercial Real Estate -	3420.28	2668.14
(iii) Investment in Mortgage Backed Securities (MBS) and other securitized exposures	NIL	NIL
a) Residential	NIL	0.07
b) Commercial Real Estate	NIL	NIL
B) Indirect Exposure		
Fund based and Non-fund based exposure on National Housing Bank (NHB) and Housing Finance Corporation (HFCs)	4475.10	6168.36
Total Exposure to Real Estate Sector	**20178.67**	**18725.38**

7.2 Exposure to Capital Market

(Amount in ₹ crore)

Items	31.03.2017	31.03.2016
(i) Direct investment		
a) In Equity shares,	565.87	562.37
b) In Convertible Debentures,	NIL	NIL
c) In Convertible Bonds	NIL	NIL
d) In Units of Equity- Oriented Mutual Funds the corpus of which is not exclusively invested in Corporate Debt;	NIL	NIL
(ii) Advances against Shares/Bonds/Debentures or other Securities or on clean basis to individuals for investment in Equity shares (including IPOs/ESOPs) Convertible Bonds, Convertible Debentures, and units of Equity Oriented Mutual Funds;	NIL	NIL
(iii) Advances for any other purposes where shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds are taken as primary security;	23.18	23.09
(iv) Advances for any other purposes to the extent secured by the collateral security of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds i.e. where the primary security other than shares/convertible bonds/convertible debentures/units of equity oriented mutual funds does not fully cover advances ;	376.05	NIL
(v) Secured and unsecured advances to stockbrokers and guarantees issued on behalf of stockbrokers and market makers;	30.00	32.00
(vi) Loans sanctioned to corporates against the security of shares/bonds/debentures or other securities or on clean basis for meeting promoter's contribution to the equity of new companies in anticipation of raising resources;	NIL	NIL
(vii) Bridge loans to companies against expected equity flows/issues;	NIL	NIL
(viii) Underwriting commitments taken up by the banks in respect of primary issue of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds;	NIL	NIL
(ix) Financing to stockbrokers for margin trading	NIL	NIL
(x) All exposures to Venture Capital Funds (both registered and unregistered);	30.46	40.90
Total Exposure to Capital Market	**1025.55**	**658.36**

7.3 जोखिम संवर्गवार देश संबंधी ऋण

(₹ करोड़ में)

ऋण जोखिम **	31 मार्च 2017 तक ऋण (निवल)	31 मार्च 2017 तक किए गए प्रावधान	31 मार्च 2016 तक ऋण (निवल)	31 मार्च 2016 तक किए गए प्रावधान
न्गण्य	5267.82	3.04	5080.89	2.05
न्यून	3656.81	3.70	3821.08	4.22
मध्यम रूप से न्यून	261.05		283.81	
उच्च	0.00		0.00	
सर्वोच्च	0.00		0.00	
प्रतिबंधित	0.00		0.00	
ऑफ क्रेडिट	0.00		0.00	
कुल	**9185.68**	**6.74**	**9185.78**	**6.27**

** ईसीजीसी के दिनांक 03.04.2017 के परिपत्र सं. ईसीजीसी / सीयूडी / 225 / 2017 अनुसार अद्यतन देश–विशेष के जोखिम वर्गीकरण के आधार पर।

देश विशेष को प्रदत्त ऋण का जोखिम प्रबंधन :

बैंक ने 31.03.2017 को विभिन्न देशों को प्रदत्त निवल निधि एक्सपोजर का विश्लेषण किया है और सिंगापुर व श्रीलंका को छोड़ कर अन्य देशों के प्रति यह एक्सपोजर बैंक की कुल आस्तियों के 1 प्रतिशत की सीमा के भीतर है। सिंगापुर, जिसे ईसीजीसी लिमिटेड ने गैर महत्वपूर्ण जोखिम संवर्ग के अधीन वर्गीकृत किया है, के लिए रु.3.04 करोड़ (गत वर्ष – रु 2.05 करोड़) का एवं श्रीलंका, जिसे न्यून जोखिम संवर्ग के अधीन वर्गीकृत किया है, के लिए रु.3.70 करोड़ (गत वर्ष ? 4.22 करोड) का प्रावधान उपलब्ध है।

(₹ करोड़ में)

उधारकर्ता का नाम	अतिरिक्त एक्सपोजर	कुल उच्चतम एक्सपोजर	अतिरिक्त एक्सपोजर %	कुल एक्सपोजर %
----------	----------	शून्य	----------	----------

7.5 बेजमानती अग्रिम

कुल बेजमानती अग्रिमों में अधिकार, लाइसेंस, प्राधिकार, जैसे अमूर्त प्रतिभूति संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में प्रदत्त –शून्य हैं।

7.6 वर्ष के दौरान आय कर के लिए बनाए गए प्रावधानों की राशि :

(₹ करोड़ो में)

	2016–17	2015–16
कराधान के लिए प्रावधान (आस्तिगत कर सहित आय कर)	352.56	243.92

31.03.2017 को विवादित आयकर मांग ₹2619.21 करोड़ (पिछले वर्ष ₹2350.60) है, आकस्मिक देयताएँ के तहत भी शामिल किया गया जिसमें से 31.03.2017 तक विवादित आयकर का भुगतान ₹2576.67 करोड़ (पिछले वर्ष ₹2110.60 करोड़) है। न्यायिक उद्घोषणाओं तथा बैंकों के स्वीय वादों में अनुकूल निर्णयों के कारण कथित विवादित मांगों पर कोई प्रावधान करना आवश्यक नहीं समझा गया।

8.1 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा लगाए गए दण्डों का प्रकटीकरण :

वर्ष के दौरान भारिबैंक ने कमियों, गंदे नोटों के प्रेषण में जालसाजी तथा मुद्रा कोष परिचालन द्वारा आईसीसीओएमएस में विलंबित / गलत रिपोर्टिंग / भारिबैंक के दिशा–निर्देशों का अननुपालन के लिए ₹14.95 लाख (182 प्रविष्टियाँ) (पिछले 2015–16 को समाप्त वर्ष के लिए ₹18.77 लाख – 312 प्रविष्टियाँ) जुर्माना लगाया।

8.2 अचल आस्तियाँ

8.2.1. बैंक के परिसर में भूमि शामिल है और इसे पुनर्मूल्यन राशि कहा गया है। वर्ष 2015–16 के दौरान बैंक ने अपने परिसर का पुनर्मूल्यांकन अनुमोदित बाह्य मूल्यांककों द्वारा निर्धारित उचित बाजार मूल्य पर किया। वर्ष के लिए, रु. 80.90 करोड़ मूल्यह्रास की राशि को प्रारम्भिक पुनर्मूल्यांकित राशि पर प्रभारित किया गया और जिसका समायोजन "पुनर्मूल्यन आरक्षित निधि" खाते से किया गया है।

8.2.2 परिसर में ₹ 3.59 करोड़ (विगत वर्ष ₹ 3.59 करोड़ मूल्य की 4 संपत्तियाँ) मूल्य की 4 संपत्तियाँ हैं जिनका बही मूल्य, निवल मूल्यह्रास ₹ 53.75 करोड़ (विगत वर्ष ₹ 55.22 करोड़) है जिसके लिए पंजीकरण प्रक्रिया लंबित है।

7.3 Risk Category-wise Country Exposure

(Amount in ₹ crore)

Risk category**	Exposure (Net) as at 31.03.2017	Provision held as at 31.03.2017	Exposure (Net) as at 31.03.2016	Provision held as at 31.03.2016
Insignificant	5267.82	3.04	5080.89	2.05
Low	3656.81	3.70	3821.08	4.22
Moderate	261.05		283.81	
High	0.00		0.00	
Very High	0.00		0.00	
Restricted	0.00		0.00	
Off-credit	0.00		0.00	
Total	**9185.68**	**6.74**	**9185.78**	**6.27**

**As per the updated country risk classification by the ECGC, vide its circular ECGC/CUD/225/2017 dated 03.04.2017.

COUNTRY RISK MANAGEMENT:

The Bank has analysed its net funded exposure to various countries as on 31.03.2017 and such exposure to countries other than Singapore and Sri Lanka are well within the stipulation of 1% of the total assets of the Bank. In respect of Singapore, which is classified under "Insignificant" risk category by ECGC Ltd, a provision of ₹3.04 Cr (Previous year ₹2.05 Cr) is available and in respect of Sri Lanka which is classified under "Low" risk category ₹3.70 crore (Previous year ₹4.22 Cr) is available

7.4 Details of Single Borrower Limit (SBL), Group Borrower Limit (GBL) if any, exceeded by the Bank

(Amount in ₹ crore)

Borrower Name	Additional Exposure	Total Highest Exposure	Percentage of additional exposure	Percentage of Total Exposure
----------	----------	NIL	----------	----------

7.5 Unsecured Advances

Unsecured advances for which intangible securities such as charge over the rights, licenses, authority, etc. have been taken as collateral - NIL

7.6 Provision for Income Tax for the year (Amount in ₹ crore)

	2016-17	2015-16
Provision for Taxation (Income Tax including Deferred Tax)	352.56	243.92

The disputed income tax demand as at 31.03.2017 is at Rs.2619.21 Crores (previous year Rs. 2350.60 Crores), also included under contingent liabilities, out of which Rs. 2576.67 Crores (previous year Rs. 2110.60 Crores) is the disputed income tax paid as at 31.03.2017. No provision is considered necessary for the said disputed demands on account of judicial pronouncements and favourable decisions in Banks own case.

8.1 Disclosure of Penalties imposed by RBI

During the year RBI has imposed penalty of 14.95 lakhs (182 entries) (Previous Year ending 2015-16 18.77 lakhs -312 entries) for shortages, forgeries in soiled notes remittances and delayed / wrong reporting in ICCOMS / non adherence to RBI guidelines by the currency Chest operations.

8.2 Fixed Assets

8.2.1 The premises of the Bank include land and are stated at revalued amount. The Bank revalued its premises in the financial year 2015-16 at fair market value determined by the approved external valuers. For the year, depreciation amounting Rs.80.90 crores was charged on the opening revalued amount and adjusted against the "Revaluation Reserve Accounts".

8.2.2 Premises include 4 properties costing 3.59 crores (Previous year 4 properties costing 3.59 crores) having revalued book value, net of depreciation at 53.75 Crore (Previous year 55.22 crore) for which registration formalities are pending.

9. लेखा मानकों (एएस) के अनुसार प्रकटीकरण :

(₹ करोड़ में)

9.1 **नकदी प्रवाह विवरण (एएस 3)**

इंडियन बैंक, प्रधान कार्यालय, चेन्नै					
मार्च 31, 2016 (एएस) को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण					
			को समाप्त वर्ष		को समाप्त वर्ष
			31.03.2017		**31.03.2016**
ए. परिचालनगत गतिविधियों से नकद प्रवाह			(₹ 000 में)		(₹ 000 में)
लाभ व हानि खाते के अनुसार निवल लाभ			**1405 67 72**		**711 38 34**
निम्नलिखित हेतु समायोजन :					
प्रावधान व आकस्मिकताएं			2595 02 98		2320 70 90
मूल्यह्रास			165 70 71		150 57 91
आस्तियों की बिक्री पर हानि/(लाभ)			1 03 18		1 89 81
भुगतान किए गए आय कर			(605 00 00)		(632 50 00)
कार्यशील पूँजी परिवर्तनों के पूर्व परिचालनगत लाभ (i)			**3562 44 59**		**2552 06 96**
परिचालनगत आस्तियों में वृद्धि / कमी					
निवेशों में वृद्धि			(14462 47 50)		(7360 99 21)
अग्रिमों में कमी / (वृद्धि)			1349 79 43		(3185 53 05)
अन्य आस्तियों में वृद्धि/(कमी)			(3436 12 31)		(867 42 56)
(ii)			**(16548 80 38)**		**(11413 94 82)**
परिचालनगत देयताओं में वृद्धि / कमी					
जमाओं में वृद्धि			4223 43 99		9060 57 09
अन्य देयताओं में कमी			(2056 23 60)		(1129 27 65)
(Iii)			**2167 20 39**		**7931 29 44**
ए. परिचालनगत गतिविधियों (i)+ (ii)+ (iii) से सृजित निवल नकदी			**(10819 15 40)**		**(930 58 42)**
बी. निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह					
अचल आस्तियों की खरीद			(184 04 50)		(782 75 87)
अचल आस्तियों की बिक्री			4 76 53		11 25 21
सहायक कंपनियों से प्राप्त लाभांश					
निवेश गतिविधियों से सृजित निवल नकदी			**(179 27 97)**		**(771 50 66)**
सी. वित्तपोषण गतिविधियों से कुल नकदी प्रवाह					
प्रदत्त किया गया लाभांश			(72 04 37)		(201 72 25)
प्रदत्त लाभांश कर वितरण			(14 66 67)		(41 29 26)
उधार में वृद्धि			9127 57 25		863 22 31
वित्तपोषण गतिविधियों से सृजित निवल नकदी			**9040 86 21**		**620 20 80**
नकदी और नकदी समकरणों में निवल वृद्धि/(कमी)(ए) + (बी) + (सी)			**(1957 57 16)**		**(1081 88 28)**
वर्ष के प्रारंभ में नकदी व नकदी तुल्य					
नकदी और भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ शेष					
हाथ में नकदी		537 13 02		401 02 09	
भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ चालू खाते में शेष		8637 32 11		7900 04 90	
बैंकों में शेष एवं मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि शेष					
बैंकों में शेष					
(ए) चालू खातों में		10 31 02		20 38 54	
(बी) अन्य जमा खातों में		275 93 37		275 77 49	
बैंकों में मांग एवं अल्प सूचना पर राशियां					
भारत के बाहर					
i) चालू खातों में		258 26 41		1763 03 30	
ii) अन्य जमा खातों में		2274 03 72		2708 59 37	
iii) मांग एवं अल्प सूचना पर राशियां		6 29 42		12 31 66	
			11999 29 07		13081 17 35

9. DISCLOSURES IN TERMS OF ACCOUNTING STANDARDS (AS):

(Amount in ₹ crore)

9.1 Cash Flow Statement (AS 3) :

Indian Bank, Head Office, Chennai					
Cash Flow Statement for the year ended March 31, 2017					
			Year ended		Year ended
			31.03.2017		31.03.2016
A. Cash flow from operating Activities			(Rs in 000)		(Rs in 000)
Net Profit as per Profit & Loss Account			**1405 67 72**		**711 38 34**
Adjustments for :					
Provisions & Contingencies			2595 02 98		2320 70 90
Depreciation			165 70 71		150 57 91
Loss on Sale of Assets			1 03 18		1 89 81
Income Taxes paid			(605 00 00)		(632 50 00)
Operating Profit before working capital changes (i)			**3562 44 59**		**2552 06 96**
INCREASE/DECREASE IN OPERATING ASSETS					
Increase in Investments			(14462 47 50)		(7360 99 21)
Decrease/(Increase) in Advances			1349 79 43		(3185 53 05)
Increase/(Decrease) in Other Assets			(3436 12 31)		(867 42 56)
(ii)			**(16548 80 38)**		**(11413 94 82)**
INCREASE/DECREASE IN OPERATING LIABILITIES					
Increase in Deposits			4223 43 99		9060 57 09
Decrease in Other Liabilities			(2056 23 60)		(1129 27 65)
(iii)			**2167 20 39**		**7931 29 44**
Net cash generated from operating Activities (i) + (ii) + (iii)			**(10819 15 40)**		**(930 58 42)**
B. CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES					
Purchase of Fixed Assets			(184 04 50)		(782 75 87)
Sale proceeds of Fixed Assets			4 76 53		11 25 21
Dividends received from subsidiary company					
Net cash generated from Investing Activities			**(179 27 97)**		**(771 50 66)**
C. CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES					
Dividends paid			(72 04 37)		(201 72 25)
Dividend distribution tax paid			(14 66 67)		(41 29 26)
Increase in borrowings			9127 57 25		863 22 31
Net cash generated from Financing Activities			**9040 86 21**		**620 20 80**
Net increase/(Decrease) in cash & cash equivalents	**(A + B + C)**		**(1957 57 16)**		**(1081 88 28)**
CASH & CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF THE YEAR					
Cash and balances with RBI					
Cash in hand		537 13 02		401 02 09	
Balances with RBI in current account		8637 32 11		7900 04 90	
Balances with Banks and Money at call and short notice					
Balances with Banks					
(a) in current accounts		10 31 02		20 38 54	
(b) in other deposit accounts		275 93 37		275 77 49	
Money at call and short notice (with Banks)					
Outside India					
i) in Current Accounts		258 26 41		1763 03 30	
ii) in other deposit accounts		2274 03 72		2708 59 37	
iii) Money at call and short notice		6 29 42		12 31 66	
			11999 29 07		13081 17 35

			को समाप्त वर्ष		को समाप्त वर्ष
			31.03.2017		31.03.2016
वर्ष के प्रारंभ में नकदी व नकदी तुल्य					
नकदी और भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ शेष					
हाथ में नकदी		162 34 73		537 13 02	
भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ चालू खाते में शेष		5426 35 30		8637 32 11	
बैंकों में शेष एवं मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि शेष					
बैंकों में शेष					
(ए) चालू खातों में		13 58 87		10 31 02	
(बी) अन्य जमा खातों में		956 90 16		275 93 37	
बैंकों में मांग एवं अल्प सूचना पर राशियां					
भारत के बाहर					
I) चालू खातों में		180 99 60		258 26 41	
ii) अन्य जमा खातों में		3290 32 69		2274 03 72	
iii) मांग एवं अल्प सूचना पर राशियां		11 20 58	10041 71 93	6 29 42	11999 29 07

9.2 इस अवधि के लिए निवल लाभ या हानि, पूर्ववर्ती अवधि की मदें और लेखांकन अवधि में परिवर्तन (एएस5)
वर्ष के दौरान, बैंक ने लॉकर रेंट के संबंध में वसूली आधार से उपचय आधार पर राजस्व पहचान पर अपनी लेखांकन नीति बदल दी है। इस वर्ष के लिए "अन्य आय" , "कुल आय" और "निवल लाभ" को कम करने के साथ चालू वर्ष में ? 11.45 करोड़ रुपये से "कमीशन एक्सचेंज और ब्रोकरेज" पर आय को कम करने पर प्रभाव पड़ा है।
9.3 स्टाफ को लाभ (एएस 15)
9.3.1 परिभाषित अंशदान योजनाएँ **:**

भविष्य निधि एक वैधानिक दायित्व है और अंशदायी भविष्य निधि का विकल्प चुननेवालों के मामले में बैंक पूर्वनिर्धारित दरों पर निश्चित अंशदान अदा करता है। ऐसे निश्चित अंशदान की राशि तक ही बैंक का दायित्व सीमित है। इन अंशदानों को लाभ एवं हानि लेखा में प्रभारित किया जाता है। निधि का प्रबंध इंडियन बैंक स्टाफ भविष्य निधि न्यास द्वारा किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान, बैंक ने ₹ 0.95 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 2.11 करोड़) का अंशदान दिया है।

नई पेंशन योजना उन कर्मचारियों पर लागू होती है, जिनकी बैंक में भर्ती 01.04.2010 के बाद हुई है और यह एक परिभाषित अंशदान योजना है। एनपीएस के अंतर्गत बैंक पूर्व निर्धारित दर पर एक निश्चित अंशदान अदा करता है और बैंक का दायित्व ऐसे निश्चित अंशदान तक सीमित है। इस अंशदान को लाभ एवं हानि लेखा में प्रभारित किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान, बैंक ने ₹ 35.77 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 26.47 करोड़) का अंशदान दिया है।
9.3.2. परिभाषित लाभ योजनाएं**:**

लेखा मानक–15 (संशोधित) के अनुसरण में अपेक्षित लाभ एवं हानि लेखा और तुलन पत्र में मान्यता दिए गए नियोजनोत्तर लाभ और दीर्घकालीन कर्मचारी लाभों की संक्षेप में स्थिति निम्नानुसार है :–

I. मूल बीमांकन अनुमान (भारित औसतों के रूप में व्यक्त)	31.03.2017	31.03.2016
बट्टे की दर	पेंशन के लिए 7.29% – 15 वर्ष जी–सेक पेपर पेंशन के लिए 7.99% – 15 वर्ष जी–सेक पेपर	उपदान के लिए 7.126%– 10 वर्ष जी–सेक पेपर उपदान के लिए 7.95% – 10 वर्ष जी–सेक पेपर
वेतन बढोत्तरी की दर	6.00% (वेतन संशोधन हेतु 0.5% सहित)	6.00% (वेतन संशोधन हेतु 0.50% सहित)
पदत्याग की दर	पेन्शन के लिए 1.00% और सेवारत कर्मचारियों के लिए 2.00%	पेन्शन के लिए 1.00% और सेवारत कर्मचारियों के लिए 2.00%
योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल की दर*	8.62% पेंशन के लिए और 8.57% उपदान के लिए	9.00%
प्रयुक्त तरीका	परियोजना इकाई जमा (पीयूसी) बीमांकिक तरीका	

* योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल की दर, छुट्टी भुनाई पर लागू नहीं होगी।
भविष्य में होनेवाली वेतन बढोत्तरी का आकलन, मुद्रास्फीति, वरिष्ठता, पदोन्नति और नियोजन बाज़ार में आपूर्ति और मांग जैसे संगत तत्वों को हिसाब में लेते हुए और आईबीए द्वारा संसूचित अधिवर्षिता योजनाओं
के निधीयन के दिशानिर्देश के अनुरूप किया जाता है।

छुट्टी भुनाई की देयताएँ गैर–निधिक होते हैं।

			Year ended		Year ended
			31.03.2017		31.03.2016
CASH & CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE YEAR					
Cash and balances with RBI					
Cash in hand		162 34 73		537 13 02	
Balances with RBI in current account		5426 35 30		8637 32 11	
Balances with Banks and Money at call and short notice					
Balances with Banks					
(a) in current accounts		13 58 87		10 31 02	
(b) in other deposit accounts		956 90 16		275 93 37	
Money at call and short notice (with Banks)					
Outside India					
i) in Current Accounts		180 99 60		258 26 41	
ii) in other deposit accounts		3290 32 69		2274 03 72	
iii) Money at call and short notice		11 20 58	10041 71 93	6 29 42	11999 29 07

9.2 Net Profit or loss for the period, prior period item and changes in Accounting Policies (AS 5)

During the year, the Bank has changed its accounting policy on Revenue Recognition in respect of income on Locker Rent from realization basis to accrual basis. This has impact on lowering the income on "Commission Exchange & Brokerage" by 11.45 crore in the current year with consequent lowering of "Other Income," "Total Income" and "Net Profit" for the year.

9.3 EMPLOYEE BENEFITS (AS 15)

9.3.1 Defined Contribution Plans:

Provident fund is a statutory obligation and in the case of Contributory Provident Fund Optees, the Bank pays fixed contribution at pre-determined rates. The obligation of the Bank is limited to such fixed contribution. The contributions are charged to Profit and Loss Account. The fund is managed by Indian Bank Staff Provident Fund Trust. During the financial year 2016-17, the Bank has contributed 0.95 crores (previous year Rs.2.11 crore).

New Pension Scheme (NPS) is applicable to employees who joined bank on or after 01.04.2010 and it is a defined contribution scheme. Under NPS the Bank pays fixed contribution at pre determined rate and the obligation of the Bank is limited to such fixed contribution. The contribution is charged to Profit and Loss Account. During the financial year 2016-17, the Bank has contributed ₹35.77 crores (previous year ₹26.47 crores).

9.3.2 Defined Benefit Plans:

The summarized position of Post-employment benefits and long term employee benefits recognised in the Profit & Loss Account and Balance Sheet as required in accordance with Accounting Standard 15 (Revised) are as under:

I.PRINCIPAL ACTUARIAL ASSUMPTIONS [Expressed as weighted averages]	**31/03/2017**	**31/03/2016**
Discount Rate	7.29% for Pension - 15 year G-sec paper and 7.56% for Gratuity-10 year G-sec paper	8.04% for Pension-15 year G-sec paper and 7.56% for Gratuity-10 year G-sec paper
Salary escalation rate	6.00%(includes 0.50% for wage revision)	6.00%(includes 0.50% for wage revision)
Attrition rate	1.00% for Pension and 2.00% for Serving Employees	1.00% for Pension and 2.00% for Serving Employees
Expected rate of return on Plan Assets *	8.62% for Pension and 8.57% for Gratuity	9.00%
Method used	Projected Unit Credit (PUC) actuarial Method	

* Expected Rate of return on Plan Assets not applicable for Leave encashment.

The estimates of future salary increases are considered taking into account inflation, seniority, promotion and other relevant factors, such as supply and demand in the employment market and in tandem with Funding Guidelines for Superannuation Schemes communicated by IBA.

The liabilities of leave encashment are unfunded.

चालू वर्ष 2016–17

(₹ करोड़ में)

II. बाध्यता के वर्तमान मूल्य (पीवीओ) में परिवर्तन – प्रारंभिक शेष एवं अंतशेष का लेखा समाधान भुनाई	**पेंशन निधि**	**उपदान निधि**	**छुट्टी**
वर्ष के आरंभ में पीवीओ	**5608.14**	**831.94**	**161.63**
ब्याज लागत	98.16	56.35	11.25
वर्तमान सेवा लागत	81.41	49.35	17.22
विगत सेवा लागत – पहचानी गई / निहित लाभ	0.00	0.00	0.00
विगत सेवा लागत – न पहचानी गई /अनिहित लाभ	0.00	0.00	0.00
प्रदत्त लाभ	(489.38)	(124.08)	(15.88)
बाध्यता पर बीमांकिक हानि / (लाभ)(संतुलन आंकडा)	626.82	87.34	(3.01)
वर्ष की समाप्ति पर पीवीओ	**5925.15**	**900.90**	**171.21**

पिछले वर्ष 2015–16

(₹ करोड़ में)

II. बाध्यता के वर्तमान मूल्य (पीवीओ) में परिवर्तन – प्रारंभिक शेष एवं अंतशेष का लेखा समाधान	**पेंशन निधि**	**उपदान निधि**	**छुट्टी भुनाई**
वर्ष के आरंभ में पीवीओ	**5306.22**	**844.78**	**154.58**
ब्याज लागत	404.03	58.63	7.24
वर्तमान सेवा लागत	75.54	42.82	17.14
विगत सेवा लागत – पहचानी गई / निहित लाभ	0.00	0.00	0.00
विगत सेवा लागत – न पहचानी गई /अनिहित लाभ	0.00	0.00	0.00
प्रदत्त लाभ	(562.05)	(138.49)	(117.70)
बाध्यता पर बीमांकिक हानि / (लाभ)(संतुलन आंकडा)	384.40	24.20	100.37
वर्ष की समाप्ति पर पीवीओ	**5608.14**	**831.94**	**161.63**

चालू वर्ष 2016–17

(₹ करोड़ में)

III. योजना आस्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन – प्रारंभिक शेष एवं अंतशेष का लेखा समाधान	**पेंशन निधि**	**उपदान निधि**	**छुट्टी भुनाई**
वर्ष के आरंभ में योजना आस्तियों का उचित मूल्य	**5508.95**	**829.38**	**0.00**
योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल	441.99	70.99	0.00
अंशदान	352.07	99.16	15.88
प्रदत्त लाभ	(489.38)	(124.08)	(15.88)
योजना आस्तियों पर बीमांकक लाभ / (हानि)(संतुलन आंकडा)	27.73	1.36	0.00
वर्ष की समाप्ति पर योजना आस्तियों का उचित मूल्य	**5841.36**	**876.81**	**0.00**

Current Year 2016-17

(Amount in ₹ crore)

II. CHANGES IN THE PRESENT VALUE OF THE OBLIGATION (PVO) - RECONCILIATION OF OPENING AND CLOSING BALANCES:	Pension Fund	Gratuity Fund	Leave Encashment
PVO as at the beginning of the year	**5608.14**	**831.94**	**161.63**
Interest Cost	98.16	56.35	11.25
Current service cost	81.41	49.35	17.22
Past service cost – recognized / vested benefits	0.00	0.00	0.00
Past service cost – unrecognized / non-vested benefits	0.00	0.00	0.00
Benefits paid	(489.38)	(124.08)	(15.88)
Actuarial loss/(gain) on obligation (balancing figure)	626.82	87.34	(3.01)
PVO as at the end of the year	**5925.15**	**900.90**	**171.21**

Previous year 2015-16

(Amount in ₹ crore)

II. CHANGES IN THE PRESENT VALUE OF THE OBLIGATION (PVO) - RECONCILIATION OF OPENING AND CLOSING BALANCES:	Pension Fund	Gratuity Fund	Leave Encashment
PVO as at the beginning of the year	**5306.22**	**844.78**	**154.58**
Interest Cost	404.03	58.63	7.24
Current service cost	75.54	42.82	17.14
Past service cost – recognized / vested benefits	0.00	0.00	0.00
Past service cost – unrecognized / non-vested benefits	0.00	0.00	0.00
Benefits paid	(562.05)	(138.49)	(117.70)
Actuarial loss/(gain) on obligation (balancing figure)	384.40	24.20	100.37
PVO as at the end of the year	**5608.14**	**831.94**	**161.63**

Current Year 2016-17

(Amount in ₹ crore)

III. CHANGES IN THE FAIR VALUE OF PLAN ASSETS - RECONCILIATION OF OPENING AND CLOSING BALANCES:	Pension Fund	Gratuity Fund	Leave Encashment
Fair value of plan assets as at the beginning of the year	**5508.95**	**829.38**	**0.00**
Expected return on plan assets	441.99	70.99	0.00
Contributions	352.07	99.16	15.88
Benefits paid	(489.38)	(124.08)	(15.88)
Actuarial gain/(loss) on plan assets [balancing figure]	27.73	1.36	0.00
Fair value of plan assets as at the end of the year	**5841.36**	**876.81**	**0.00**

पिछले वर्ष 2015–16

(₹ करोड़ में)

III. योजना आस्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन – प्रारंभिक शेष एवं अंतशेष का लेखा समाधान भुनाई	**पेंशन निधि**	**उपदान निधि**	**छुट्टी**
वर्ष के आरंभ में योजना आस्तियों का उचित मूल्य	**5215.05**	**835.47**	**0.00**
योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल	461.60	70.98	0.00
अंशदान	401.96	63.08	117.70
प्रदत्त लाभ	(562.05)	(138.49)	(117.70)
योजना आस्तियों पर बीमांकक लाभ / (हानि)(संतुलन आंकडा)	(7.61)	(1.66)	0.00
वर्ष की समाप्ति पर योजना आस्तियों का उचित मूल्य	**5508.95**	**829.38**	**0.00**

चालू वर्ष 2016–17

(₹ करोड़ में)

IV. योजना आस्तियों पर वास्तविक प्रतिफल	**पेंशन निधि**	**उपदान निधि**	**छुट्टी भुनाई**
योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल	441.99	70.99	0.00
योजना आस्तियों पर बीमांकिक लाभ/(हानि)	27.73	1.36	0.00
योजना आस्तियों पर वास्तविक प्रतिफल	469.72	72.35	0.00

पिछले वर्ष 2015–16

(₹ करोड़ में)

IV. योजना आस्तियों पर वास्तविक प्रतिफल	**पेंशन निधि**	**उपदान निधि**	**छुट्टी भुनाई**
योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल	461.60	70.98	0.00
योजना आस्तियों पर बीमांकिक लाभ/(हानि)	(7.61)	(1.66)	0.00
योजना आस्तियों पर वास्तविक प्रतिफल	453.99	69.32	0.00

चालू वर्ष 2016–17

(₹ करोड़ में)

V. पहचाना गया बीमांकिक लाभ/हानि	**पेंशन निधि**	**उपदान निधि**	**छुट्टी भुनाई**
वर्ष के लिए बीमांकिक लाभ/(हानि) – बाध्यता	(626.82)	(87.34)	3.01
वर्ष के लिए बीमांकिक लाभ/(हानि)–योजना आस्तियां	27.73	1.36	0.00
वर्ष के लिए कुल (लाभ) / हानि	(599.09)	(85.98)	3.01
वर्ष के दौरान पहचाने गए बीमांकिक (लाभ)/हानि	(599.09)	(85.98)	3.01
वर्ष के अंत में न पहचाने गए बीमांकिक (लाभ)/हानि	0.00	0.00	17.22

Previous year 2015-16

(Amount in ₹ crore)

III. CHANGES IN THE FAIR VALUE OF PLAN ASSETS - RECONCILIATION OF OPENING AND CLOSING BALANCES:	Pension Fund	Gratuity Fund	Leave Encashment
Fair value of plan assets as at the beginning of the year	**5215.05**	**835.47**	**0.00**
Expected return on plan assets	461.60	70.98	0.00
Contributions	401.96	63.08	117.70
Benefits paid	(562.05)	(138.49)	(117.70)
Actuarial gain/(loss) on plan assets [balancing figure]	(7.61)	(1.66)	0.00
Fair value of plan assets as at the end of the year	**5508.95**	**829.38**	**0.00**

Current Year 2016-17

(Amount in ₹ crore)

IV. ACTUAL RETURN ON PLAN ASSETS	Pension Fund	Gratuity Fund	Leave Encashment
Expected return on plan assets	441.99	70.99	0.00
Actuarial gain/ (loss) on plan assets	27.73	1.36	0.00
Actual return on plan assets	469.72	72.35	0.00

Previous Year 2015-16

(Amount in ₹ crore)

IV. ACTUAL RETURN ON PLAN ASSETS	Pension Fund	Gratuity Fund	Leave Encashment
Expected return on plan assets	461.60	70.98	0.00
Actuarial gain/ (loss) on plan assets	(7.61)	(1.66)	0.00
Actual return on plan assets	453.99	69.32	0.00

Current Year 2016-17

(Amount in ₹ crore)

V. ACTUARIAL GAIN / LOSS RECOGNIZED	Pension Fund	Gratuity Fund	Leave Encashment
Actuarial gain/(loss) for the year - Obligation	(626.82)	(87.34)	3.01
Actuarial gain / (loss) for the year- Plan Assets	27.73	1.36	0.00
Total gain / (loss) for the year	(599.09)	(85.98)	3.01
Actuarial gain /(loss) recognized in the year	**(599.09)**	**(85.98)**	**3.01**
Unrecognized actuarial gain /(loss) at the end of the year	0.00	0.00	17.22

पिछले वर्ष 2015–16

(₹ करोड़ में)

V. पहचाना गया बीमांकिक लाभ/हानि	पेंशन निधि	उपदान निधि	छुट्टी भुनाई
वर्ष के लिए बीमांकिक लाभ/(हानि) – बाध्यता	(384.40)	(24.20)	(100.37)
वर्ष के लिए बीमांकिक लाभ/(हानि)–योजना आस्तियां	(7.61)	(1.66)	0.00
वर्ष के लिए कुल (लाभ) / हानि	(392.01)	(25.86)	(100.37)
वर्ष के दौरान पहचाने गए बीमांकिक (लाभ)/हानि	(392.01)	(25.86)	(100.37)
वर्ष के अंत में न पहचाने गए बीमांकिक (लाभ)/हानि	0.00	0.00	0.00

चालू वर्ष 2016–17

(₹ करोड़ में)

VI. तुलन पत्र में पहचानी गयी राशियां और संबंधित विश्लेषण	पेंशन निधि	उपदान निधि	छुट्टी भुनाई
बाध्यता का वर्तमान मूल्य	**5925.15**	**900.90**	**171.21**
योजना आस्तियों का उचित मूल्य	5841.36	876.81	0.00
अन्तर	(83.79)	(24.09)	(171.21)
पहचान न की गयी संक्रमणकालीन देयता	0.00	0.00	0.00
पहचान न की गयी विगत सेवा लागत	0.00	0.00	0.00
तुलन पत्र में पहचानी गयी देयता	**(83.79)**	**(24.09)**	**(171.21)**

पिछले वर्ष 2015–16

(₹ करोड़ में)

VI. तुलन पत्र में पहचानी गयी राशियां और संबंधित विश्लेषण	पेंशन निधि	उपदान निधि	छुट्टी भुनाई
बाध्यता का वर्तमान मूल्य	**5608.14**	**831.94**	**161.63**
योजना आस्तियों का उचित मूल्य	5508.95	829.38	0.00
अन्तर	(99.19)	(2.56)	(161.63)
पहचानी न गयी संक्रमणकालीन देयता	0.00	0.00	0.00
पहचानी न गयी विगत सेवा लागत	0.00	0.00	0.00
तुलन पत्र में पहचानी गयी देयता	**(99.19)**	**(2.56)**	**(161.63)**

चालू वर्ष 2016–17

(₹ करोड़ में)

VII. लाभ एवं हानि लेखे में पहचाने गये व्यय	पेंशन निधि	उपदान निधि	छुट्टी भुनाई
वर्तमान सेवा लागत	81.41	49.35	17.22
ब्याज लागत	98.15	56.35	11.25
योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल	(441.99)	(70.99)	0.00
निवल बीमांकिक (लाभ)/ हानि जो इस वर्ष में पहचानी गयी है	599.09	85.98	(3.01)
इस वर्ष में पहचानी गयी संक्रमणकालीन देयता	0.00	0.00	0.00
विगत सेवा लागत – पहचानी गई	0.00	0.00	0.00
लाभ एवं हानि लेखे में पहचाने गये व्यय	**336.66**	**120.69**	**25.46**

Previous Year 2015-16

(Amount in ₹ crore)

V. ACTUARIAL GAIN / LOSS RECOGNIZED	Pension Fund	Gratuity Fund	Leave Encashment
Actuarial gain / (loss) for the year - Obligation	(384.40)	(24.20)	(100.37)
Actuarial gain / (loss) for the year- Plan Assets	(7.61)	(1.66)	0.00
Total gain / (loss) for the year	(392.01)	(25.86)	(100.37)
Actuarial gain /(loss) recognized in the year	**(392.01)**	**(25.86)**	**(100.37)**
Unrecognized actuarial gain/(loss) at the end of the year	0.00	0.00	0.00

Current Year 2016-17

(Amount in ₹ crore)

VI. AMOUNTS RECOGNISED IN THE BALANCE SHEET AND RELATED ANALYSIS	Pension Fund	Gratuity Fund	Leave Encashment
Present value of the obligation	**5925.15**	**900.90**	**171.21**
Fair value of plan assets	5841.36	876.81	0.00
Difference	(83.79)	(24.09)	(171.21)
Unrecognised transitional liability	0.00	0.00	0.00
Unrecognised past service cost	0.00	0.00	0.00
Liability recognized in the balance sheet	**(83.79)**	**(24.09)**	**(171.21)**

Previous Year 2015-16

(Amount in ₹ crore)

VI. AMOUNTS RECOGNISED IN THE BALANCE SHEET AND RELATED ANALYSIS	Pension Fund	Gratuity Fund	Leave Encashment
Present value of the obligation	**5608.14**	**831.94**	**161.63**
Fair value of plan assets	5508.95	829.38	0.00
Difference	(99.19)	(2.56)	(161.63)
Unrecognised transitional liability	0.00	0.00	0.00
Unrecognised past service cost	0.00	0.00	0.00
Liability recognized in the balance sheet	**(99.19)**	**(2.56)**	**(161.63)**

Current Year 2016-17

(Amount in ₹ crore)

VII. EXPENSES RECOGNISED IN THE STATEMENT OF PROFIT AND LOSS:	Pension Fund	Gratuity Fund	Leave Encashment
Current service cost	81.41	49.35	17.22
Interest Cost	98.15	56.35	11.25
Expected return on plan assets	(441.99)	(70.99)	0.00
Net actuarial (gain)/loss recognised in the year	599.09	85.98	(3.01)
Transitional Liability recognised in the year	0.00	0.00	0.00
Past service cost - recognised	0.00	0.00	0.00
Expenses recognized in the statement of profit and loss	**336.66**	**120.69**	**25.46**

पिछले वर्ष 2015–16

(₹ करोड़ में)

VII. लाभ एवं हानि लेखे में पहचाने गये व्यय	पेंशन निधि	उपदान निधि	छुट्टी भुनाई
वर्तमान सेवा लागत	75.54	42.82	17.14
ब्याज लागत	404.03	58.63	7.24
योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल	(461.60)	(70.98)	0.00
निवल बीमांकिक (लाभ)/ हानि जो इस वर्ष में पहचानी गयी है	392.01	25.86	100.37
इस वर्ष में पहचानी गयी संक्रमणकालीन देयता	0.00	0.00	0.00
विगत सेवा लागत – पहचानी गई	0.00	0.00	0.00
लाभ एवं हानि लेखें में पहचाने गये व्यय	**409.98**	**56.33**	**124.75**

चालू वर्ष 2016–17

(₹ करोड़ में)

VIII. तुलन पत्र में पहचानी गयी देयताओं में परिवर्तन	पेंशन निधि	उपदान निधि	छुट्टी भुनाई
निवल देयता का आरंभिक शेष	99.19	2.56	161.63
उपर्युक्तानुसार व्यय	336.66	120.69	25.45
प्रदत्त अंशदान	(352.07)	(99.16)	(15.87)
निवल देयता का अंत शेष	**83.79**	**24.09**	**171.21**

पिछले वर्ष 2015–16

(₹ करोड़ में)

VIII. तुलन पत्र में पहचानी गयी देयताओं में परिवर्तन	पेंशन निधि	उपदान निधि	छुट्टी भुनाई
निवल देयता का आरंभ शेष	91.17	9.31	154.58
उपर्युक्तानुसार व्यय	409.98	56.33	124.75
प्रदत्त अंशदान	(401.96)	(63.08)	(117.70)
निवल देयता का अंत शेष	**99.19**	**2.56**	**161.63**

(₹ करोड़ में)

IX. (i) चालू वर्ष 2016–17	पेंशन निधि	उपदान निधि	छुट्टी भुनाई
बाध्यता का वर्तमान मूल्य	5925.15	900.90	171.21
योजना आस्तियां	5841.36	876.81	0.00
अधिशेष (घाटा)	(83.79)	(24.09)	(171.21)
योजना देयताओं पर अनुभव समायोजन (हानि/लाभ)	(626.82)	(87.34)	3.01
योजना आस्तियों पर अनुभव समयोजन (हानि/लाभ)	27.73	1.36	0.00

Previous Year 2015-16

(Amount in ₹ crore)

VII. EXPENSES RECOGNISED IN THE STATEMENT OF PROFIT AND LOSS:	Pension Fund	Gratuity Fund	Leave Encashment
Current service cost	75.54	42.82	17.14
Interest Cost	404.03	58.63	7.24
Expected return on plan assets	(461.60)	(70.98)	0.00
Net actuarial (gain)/loss recognised in the year	392.01	25.86	100.37
Transitional Liability recognised in the year	0.00	0.00	0.00
Past service cost - recognised	0.00	0.00	0.00
Expenses recognized in the statement of profit and loss	**409.98**	**56.33**	**124.75**

Current Year 2016-17

(Amount in ₹ crore)

VIII. MOVEMENTS IN THE LIABILITY RECOGNIZED IN THE BALANCE SHEET	Pension Fund	Gratuity Fund	Leave Encashment
Opening net liability	99.19	2.56	161.63
Expense as above	336.66	120.69	25.45
Contribution paid	(352.07)	(99.16)	(15.87)
Closing net liability	**83.79**	**24.09**	**171.21**

Previous Year 2015-16

(Amount in ₹ crore)

VIII. MOVEMENTS IN THE LIABILITY RECOGNIZED IN THE BALANCE SHEET	Pension Fund	Gratuity Fund	Leave Encashment
Opening net liability	91.17	9.31	154.58
Expense as above	409.98	56.33	124.75
Contribution paid	(401.96)	(63.08)	(117.70)
Closing net liability	**99.19**	**2.56**	**161.63**

(Amount in ₹ crore)

IX. (i) Current Year 2016-17	Pension Fund	Gratuity Fund	Leave Encashment
Present Value of obligation	5925.15	900.90	171.21
Plan Assets	5841.36	876.81	0.00
Surplus/ (Deficit)	(83.79)	(24.09)	(171.21)
Experience adjustments on plan liabilities- (loss) / gain	(626.82)	(87.34)	3.01
Experience adjustments on plan assets- (loss) / gain	27.73	1.36	0.00

(₹ करोड़ में)

IX. (ii) पिछले वर्ष 2013–16 पेंशन	31.03.2013 को समाप्त वर्ष	31.03.2014 को समाप्त वर्ष	31.03.2015 को समाप्त वर्ष	वर्ष 31.03.2016 को समाप्त वर्ष
बाध्यता का वर्तमान मूल्य	4521.26	4930.31	5306.22	5608.14
योजना आस्तियां	4195.96	4767.66	5215.05	5508.95
अधिशेष (घाटा)	(325.30)	(162.65)	(91.17)	(99.19)
योजना देयताओं पर अनुभव समायोजन (हानि/लाभ)	533.47	(263.75)	(305.93)	(384.40)
योजना आस्तियों पर अनुभव समयोजन (हानि/लाभ)	24.35	(21.88)	13.13	(7.61)

(₹ करोड़ में)

IX. (iii) पिछले वर्ष 2013–16 पेंशन	31.03.2013 को समाप्त वर्ष	31.03.2014 को समाप्त वर्ष	31.03.2015 को समाप्त वर्ष	वर्ष 31.03.2016 को समाप्त वर्ष
बाध्यता का वर्तमान मूल्य	810.57	897.83	844.78	831.94
योजना आस्तियां	744.18	864.63	835.47	829.38
अधिशेष (घाटा)	(66.40)	(33.19)	(9.31)	(2.56)
योजना देयताओं पर अनुभव समायोजन (हानि/लाभ)	75.89	113.35	21.09	(24.20)
योजना आस्तियों पर अनुभव समयोजन (हानि/लाभ)	0.00	0.65	10.61	(1.66)

(₹ करोड़ में)

IX. (Iii) पिछले वर्ष 2013–16 पेंशन	31.03.2013 को समाप्त वर्ष	31.03.2014 को समाप्त वर्ष	31.03.2015 को समाप्त वर्ष	वर्ष 31.03.2016 को समाप्त वर्ष
बाध्यता का वर्तमान मूल्य	236.22	200.69	154.58	161.63
योजना आस्तियां	0.00	0.00	0.00	0.00
अधिशेष (घाटा)	(236.22)	(200.69)	(154.58)	(161.63)
योजना देयताओं पर अनुभव समायोजन (हानि/लाभ)	2.23	4.39	(8.15)	(100.37)
योजना आस्तियों पर अनुभव समयोजन (हानि/लाभ)	0.00	0.00	0.00	0.00

(₹ करोड़ में)

X. .योजना आस्तियों के मुख्य संवर्ग (कुल योजना आस्तियों के प्रतिशत में)	पेंशन निधि	उपदान निधि	पेंशन निधि	उपदान निधि
	2016-17		2015-16	
भारत सरकार प्रतिभूतियाँ	---	---	---	---
राज्य सरकार प्रतिभूतियाँ	---	---	---	---
भारत सरकार प्रतिभूतियाँ और राज्य सरकार प्रतिभूतियाँ	40.13	13.10	46.04	22.60
उच्च गुणवत्तावाले कार्पोरेट बांड	0.00	0.00	0.22	0.26
विशेष जमा योजना	0.00	0.00	0.00	0.00
बीमाकर्ता द्वारा प्रबंधित निधियाँ	59.87	86.90	53.74	77.14
निजी क्षेत्र के बॉण्ड	0.00	0.00	0.00	0.00
मनी मार्केट	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल	100.00	100.00	100.00	100.00

(Amount in ₹ crore)

IX. (ii) Previous Years 2013-16 Pension	Year ended 31.03.2013	Year ended 31.03.2014	Year ended 31.03.2015	Year ended 31.03.2016
Present Value of obligation	4521.26	4930.31	5306.22	5608.14
Plan Assets	4195.96	4767.66	5215.05	5508.95
Surplus /(Deficit)	(325.30)	(162.65)	(91.17)	(99.19)
Experience adjustments on plan liabilities- (loss) / gain	533.47	(263.75)	(305.93)	(384.40)
Experience adjustments on plan assets- (loss) / gain	24.35	(21.88)	13.13	(7.61)

(Amount in ₹ crore)

IX. (iii) Previous Years 2013-16 Gratuity	Year ended 31.03.2013	Year ended 31.03.2014	Year ended 31.03.2015	Year ended 31.03.2016
Present Value of obligation	810.57	897.83	844.78	831.94
Plan Assets	744.18	864.63	835.47	829.38
Surplus /(Deficit)	(66.40)	(33.19)	(9.31)	(2.56)
Experience adjustments on plan liabilities- (loss) / gain	75.89	113.35	21.09	(24.20)
Experience adjustments on plan assets- (loss) / gain	0.00	0.65	10.61	(1.66)

(Amount in ₹ crore)

IX. (iii) Previous Years 2013-16 Leave Encashment	Year ended 31.03.2013	Year ended 31.03.2014	Year ended 31.03.2015	Year ended 31.03.2016
Present Value of obligation	236.22	200.69	154.58	161.63
Plan Assets	0.00	0.00	0.00	0.00
Surplus /(Deficit)	(236.22)	(200.69)	(154.58)	(161.63)
Experience adjustments on plan liabilities- (loss) / gain	2.23	4.39	(8.15)	(100.37)
Experience adjustments on plan assets- (loss) / gain	0.00	0.00	0.00	0.00

(Amount in ₹ crore)

X. MAJOR CATEGORIES OF PLAN ASSETS (AS PERCENTAGE OF TOTAL PLAN ASSETS)	Pension Fund	Gratuity Fund	Pension Fund	Gratuity Fund
	2016-17		2015-16	
Government of India Securities	-	-	-	-
State Government Securities	-	-	-	-
Government of India Securities and State Government Securities	40.13	13.10	46.04	22.60
High Quality Corporate Bonds	0.00	0.00	0.22	0.26
Special Deposit Scheme	0.00	0.00	0.00	0.00
Funds managed by Insurer	59.87	86.90	53.74	77.14
Private Sector Bonds	0.00	0.00	0.00	0.00
Money Market	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	100.00	100.00	100.00	100.00

(₹ करोड़ में)

XI. अगले वर्ष के दौरान अंशदान	पेंशन निधि	उपदान राशि	अर्जित छुट्टी
अगले वर्ष के दौरान अंशदान पर उद्यम का सर्वोच्च अनुमान	352.00	**90.44**	**30.22**

9.3.3 अन्य दीर्घकालीन कर्मचारी लाभ

बैंक द्वारा नियुक्त स्वतंत्र बीमांकक द्वारा बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार दीर्घकालीन कर्मचारी लाभों के लिए ₹1.68 करोड़ की राशि (पिछले वर्ष ₹1.55 करोड़.) प्रदान / (अवलिखित) की गई तथा इसे लाभ एवं हानि लेखा में "कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान" शीर्ष के तहत शामिल किया गया।

वर्ष के दौरान विभिन्न दीर्घकालीन कर्मचारी लाभों हेतु बनाए गए (अवलिखित) अतिरिक्त प्रावधानों का विवरणः

(₹ करोड़ में)

सं.	दीर्घकालीन कर्मचारी लाभ	31/03/2017	31/03/2016
1	बीमारी छुट्टी	0.37	(0.21)
2	आकस्मिक छुट्टी	0.18	(0.27)
3	छुट्टी यात्रा रियायत	1.13	(1.07)
	कुल	**1.68**	**(1.55)**

नोटः शामिल प्रकटीकरण में बीमांकक द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना की सीमा तक सीमित है।

(Amount in ₹ crore)

XI. CONTRIBUTION DURING NEXT YEAR	Pension Fund	Gratuity Fund	Earned Leave
Enterprises best estimate of contribution during next year	352.00	90.44	30.22

9.3.3 Other Long Term Employee Benefits

Amount of ₹1.68 crore (previous year ₹ 1.55 crore is written back) towards Long Term Employee Benefits as per the actuarial valuation by the independent Actuary appointed by the Bank and is included under the head "Payments to and Provisions for Employees" in Profit and Loss Account.

Details of additional Provisions made / (written back) for various long Term Employee Benefits during the year:

(Amount in ₹ crore)

No.	Long Term Employee Benefits	31/03/2017	31/03/2016
1.	Sick Leave	0.37	(0.21)
2.	Casual Leave	0.18	(0.27)
3.	Leave Travel Concession	1.13	(1.07)
	Total	**1.68**	**(1.55)**

Note:

Disclosures included are limited to the extent of information provided by the Actuary.

9.4 खंड परिणाम (एएस 17)

(₹ करोड़ में)

भाग ए व्यापार खण्ड	ट्रेशरी		कार्पोरेट/थोक बैंकिंग		खुदरा बैंकिंग		अन्य बैंकिंग परिचालन		कुल	
	2016-17	2015-16	2016-17	2015-16	2016-17	2015-16	2016-17	2015-16	2016-17	2015-16
राजस्व	5 562.11	4 591.80	6 679.21	7 122.37	5 883.14	6 132.23	126.66	178.79	18 251.12	18 025.20
परिणाम	1 905.92	978.11	1 083.66	1 030.81	927.41	844.41	83.71	178.76	4 000.70	3 032.09
अनाबंटित व्यय									2 242.47	2 076.79
परिचालनगत लाभ									1 758.23	955.30
अल्प संख्यक हित									0.00	0.00
अन्य गैर आबंटनीय आय									0.00	0.00
आयकर									352.56	243.92
अपवाद स्वरूप मदें									0.00	0.00
निवल लाभ									1 405.67	711.38
अन्य जानकारी										
खण्डीय आस्तियां	71642.55	54996.89	78138.05	82193.10	69820.87	67326.00	0.55	1.06	219602.02	204517.04
अनाबंटित आस्तियां									- 1 368.88	- 806.65
कुल आस्तियां									**218233.14**	**203710.39**
खण्डीय देयताएं	68395.22	54674.80	68570.25	71693.98	61534.35	58941.26	.00	.00	198499.82	185310.05
अनाबंटित देयताएं									2 571.32	2 140.56
पूंजी, आरक्षितियाँ और अधिशेष									17 162.00	16 259.78
कुल देयताएं									**218233.14**	**203710.39**

	भाग बी – भौगोलिक खण्ड					
	देशी		अंतर्राष्ट्रीय		कुल	
	2016-17	**2015-16**	**2016-17**	**2015-16**	**2016-17**	**2015-16**
राजस्व	17 971.77	17 739.55	279.35	286.65	18 251.12	18 0 25.20
आस्तियां	2 11 162.69	1 94 638.68	7 070.45	9071.71	2 18 233.14	2 03 710.39

जहां प्रत्यक्ष आबंटन संभव नहीं है, खण्डीय राजस्व एवं व्ययों को खण्डीय आस्तियों के आधार पर प्रभाजित किया गया है।

जहाँ आवश्यक हुआ, पिछले वर्ष के आँकडों को पुनर्समूहित किया गया।

9.4 SEGMENT REPORTING (AS 17)

(Amount in ₹ crore)

Part A Business Segments	Treasury		Corporate/ Wholesale Banking		Retail Banking		Other Banking operations		Total	
	2016-17	2015-16	2016-17	2015-16	2016-17	2015-16	2016-17	2015-16	2016-17	2015-16
Revenue	5 562.11	4 591.80	6 679.21	7 122.37	5 883.14	6 132.23	126.66	178.79	18 251.12	18 025.20
Result	1 905.92	978.11	1 083.66	1 030.81	927.41	844.41	83.71	178.76	4 000.70	3 032.09
Unallocated expenses									2 242.47	2 076.79
Operating Profit									1 758.23	955.30
Minority Interest									0.00	0.00
Other unallocable income									0.00	0.00
Income Taxes									352.56	243.92
Exceptional Item									0.00	0.00
Net Profit									1 405.67	711.38
Other information										
Segment Assets	71642.55	54996.89	78138.05	82193.10	69820.87	67326.00	0.55	1.06	219602.02	204517.04
Unallocated assets									- 1 368.88	- 806.65
Total assets									**218233.14**	**203710.39**
Segment Liabilities	68395.22	54674.80	68570.25	71693.98	61534.35	58941.26	.00	.00	198499.82	185310.05
Unallocated liabilities									2 571.32	2 140.56
Capital, Reserves & Surplus									17 162.00	16 259.78
Total liabilities									**218233.14**	**203710.39**

		Part B Geographic Segments				
	Domestic		**International**		**Total**	
	2016-17	**2015-16**	**2016-17**	**2015-16**	**2016-17**	**2015-16**
Revenue	17 971.77	17 739.55	279.35	286.65	18 251.12	18 0 25.20
Assets	2 11 162.69	1 94 638.68	7 070.45	9071.71	2 18 233.14	2 03 710.39

Segment Revenue and expenses have been apportioned on the basis of segment assets, wherever direct allocation is not possible. Previous year figures were re-grouped wherever necessary.

9.5 संबंधित पार्टी प्रकटीकरण (ए एस 18)

संबद्ध पक्षों के नाम तथा बैंक के साथ उनके संबंध

ए) अनुषंगियां:

i. इंड बैंक हाउसिंग लिमिटेड

ii. इंड बैंक मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज लिमिटेड

बी) सहयोगी: (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक)

i. पल्लवन ग्राम बैंक

ii. सप्तगिरि ग्रामीण बैंक

iii. पुदुवै भारतियार ग्राम बैंक

सी. मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक

श्री महेश कुमार जैन — कार्यपालक निदेशक (01.11.2015 तक) और प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (02.11.2015 के प्रभाव से 03.04.2017 तक)

श्री आर सुब्रमणिय कुमार — कार्यपालक निदेशक (22.01.2016 के प्रभाव से 28.09.2016 तक)

श्री ए एस राजीव — कार्यपालक निदेशक (22.01.2016 के प्रभाव से)

श्री एम के भट्टाचार्य — कार्यपालक निदेशक (02.02.2017 के प्रभाव से)

डी. गैर कार्यपालक निदेशकों की शेयर धारिता :

क्रमांक	गैर कार्यपालक निदेशक का नाम	धारित ईक्विटी शेयरों की संख्या
1.	श्री बडिडा पार्थसारथी विजेन्द्र	75
2.	श्री विनोद कुमार नागर	107
3.	श्री श्रीराम रामचन्द्रन	500
	कुल	682

संबंधित पार्टी लेनदेन निम्नलिखित है :

ए. प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों को वर्ष के दौरान 67.27 लाख रुपये पारिश्रमिक का भुगतान किया गया (पिछले वर्ष 72.00 लाख रुपए)

	2015–16	2014–15
श्री महेश कुमार जैन, प्रनि एवं मुकाअ प्रदत्त वेतन और पारिश्रमिक (01.04.2016 से 31.03.2017)	₹ 29.70 लाख	₹ 25.53 लाख
श्री आर सुब्रमणिय कुमार, का नि प्रदत्त वेतन और पारिश्रमिक (01.04.2016 से 28.09.2016)	₹ 28.60 लाख	₹ 3.31 लाख
श्री ए एस राजीव, का नि प्रदत्त वेतन और पारिश्रमिक (01.04.2016 से 31.03.2017)	₹ 25.25 लाख	₹ 3.31 लाख
श्री एम के भट्टाचार्य, का नि प्रदत्त वेतन और पारिश्रमिक (02.02.2017 से 31.03.2017)	₹ 2.76 लाख	–––
श्री टी.एम. भसीन, भूतपूर्व प्रनि एवं मुकाअ	–––	₹ 22.55 लाख
श्री बी राजकुमार, भूतपूर्व का नि	–––	₹ 12.57 लाख

ii. अनुषंगियों और सहयोगियों के सभी लेनदेन को ''संबंधित पार्टी प्रकटीकरण'' ए एस–18 के पैरा–9 के अनुसार प्रकटीकरण नहीं किया गया है, जिन्हें राज्य नियंत्रित उपक्रमों को उनके लेनदेन से संबंधित पार्टी, जो स्वयं राजय नियंत्रित उपक्रम है, प्रकटीकरण से छूट दी गई है।

9.6 पट्टे (एएस 19)

ए. पट्टे / किराए आधार पर ली गई परिसंपत्तियों के संबंध में बैंक के विकल्प के अनुसार उनका नवीकरण / रद्द किया जा सकता है।

बी. बैंक द्वारा किए जाने वाले पट्टे करार, आपस में सहमत अवधि के लिए हैं और लिखित रूप से सहमत कैलण्डर महीनों की नोटिस देने के जरिए पट्टे की अवधि के दौरान भी उसे समाप्त किया जा सकता है।

सी. परिचालनगत पट्टों के लिए प्रदत्त पट्टा किराए को, वह जिस वर्ष से संबंधित है, लाभ एवं हानि लेखे में व्यय के रूप में पहचाना जाता है। वर्तमान वर्ष के दौरान पहचाना गया पट्टा किराया ₹ 180.73 करोड़ रुपए हैं। (विगत वर्ष ₹ 157.68 करोड़ रुपए)।

9.5 RELATED PARTY DISCLOSURES (AS 18)

Names of the Related Parties and their relationship with the Bank :

a) Subsidiaries :

i. Ind Bank Housing Ltd.

ii. Indbank Merchant Banking Services Ltd.

b) Associates : (Regional Rural Banks)

i) Pallavan Grama Bank

ii) Saptagiri Grameena Bank

iii) Puduvai Bharathiar Grama Bank

c) Key Managerial Personnel:

Shri Mahesh Kumar Jain	Executive Director (up to 01.11.2015) & Managing Director & Chief Executive Officer (w.e.f. 02.11.2015 upto 03.04.2017)
Shri R Subramanian Kumar	Executive Director (w.e.f. 22.01.2016 upto 28.09.2016)
Shri A S Rajeev	Executive Director (w.e.f. 22.01.2016)
Shri M K Bhattacharya	Executive Director (w.e.f. 02.02.2017)

d) Shareholding of non-executive Directors:

Sl No.	Name of the non-executive Director	No. of equity shares held
1.	Shri Badida Parthasarathy Vijayendra	75
2.	Shri Vinod Kumar Nagar	107
3.	Shri Sriram Ramachandran	500
	TOTAL	**682**

Related Party transactions are as under:

a) Remuneration paid to Key Management Personnel during the year ₹ 86.31 lakhs (Previous-year ₹ 67.27 lakhs)

	2016-17	2015-16
Shri. Mahesh Kumar Jain, MD & CEO Salary & Emoluments Paid (01.04.16 to 31.03.17)	₹29.70 lakhs	₹25.53 lakhs
Shri. R. Subramania Kumar ED Salary & Emoluments Paid (01.04.2016 to 28.09.2016)	₹28.60 lakhs	₹3.31 lakhs
Shri . A. S. Rajeev ED Salary & Emoluments Paid (01.04.2016 to 31.03.2017)	₹25.25 lakhs	₹3.31 lakhs
Shri M K Bhattacharaya ED Salary & Emoluments Paid (02.02.2017 to 31.03.2017)	₹2.76 lakhs	---
Shri T M Bhasin Ex MD & CEO	—	₹ 22.55 lakhs
Shri B Rajkumar Ex-ED	—	₹12.57 lakhs

ii. The transactions with subsidiaries and associates have not been disclosed in view of para 9 of AS-18 Related Party Disclosure, which exempts state controlled enterprises from making any disclosure pertaining to their transactions with other related parties which are also state controlled enterprises.

9.6 Leases (AS 19)

a) The properties taken on lease / rental basis are renewable / cancellable at the option of the Bank.

The leases entered into by the Bank are for agreed period with an option to terminate the leases even during the currency of lease period by giving agreed calendar months notice in writing.

Lease rent paid for operating leases are recognized as an expense in the Profit & Loss account in the year to which it relates. The lease rent recognized during the year is ₹ 180.73 Crores (Previous year ₹157.68 Crore).

9.7 प्रति शेयर अर्जन (एएस 20)

विवरण	2016-17	2015-16
ईक्विटी शेयर धारकों हेतु उपलब्ध कर के बाद निवल लाभ (रु.करोड़ में)	1405.68	711.38
ईक्विटी शेयरों की संख्या	480291651	480291651
ईक्विटी शेयरों की भारित संख्या	480291651	480291651
प्रति शेयर मूल अर्जन	₹ 29.27	₹14.81
प्रति शेयर कम किया हुआ अर्जन	₹ 29.27	₹ 14.81
प्रति ईक्विटी शेयर अंकित मूल्य	₹10.00	₹10.00

9.8 आय पर करों के लिए लेखाकरण (एएस 22)
डीटीए (अस्थगित कर आस्तियाँ) / डीटीएल (अस्थगित कर देयताएँ) के मुख्य संघटक निम्न प्रकार हैं :
डीटीए / डीटीएल संघटक (रु. करोडों में)

संघटक	31.03.2017	31.03.2016
आस्थगित कर आस्तियाँ		
1. भुगतान/क्रिस्टलाइजेशन पर अनुमेय देयताओं का प्रावधान	74.63	70.92
2. अप्रयुक्त अवकाश के लिए प्रावधान	0.24	0.00
1. उपदान के लिए प्रावधान	0.16	
2. विगत वर्षों में संदिग्ध ऋणों के लिए दावा नहीं किए गए भत्ते		0.28
5. एफसीटीआर (विदेशी मुद्रा परिवर्तन रिसर्व)	92.04	
कुल–डीटीए	**167.07**	**71.20**
आस्थगित कर देयताएँ		
1. स्थिर आस्तियों पर मूल्यह्रास	52.39	61.04
2. बट्टे खाते हेतु प्रावधान	504.21	504.21
3. स्टाफ कल्याण व्यय	5.71	5.71
4. आयकर अधिनियम 1961 यू/एस 36(i)(viii) के विशेष आरक्षण पर डीटीएल *	230.06	213.11
कुल – डीटीएल	**792.82**	**784.07**
निवल डीटीए (डीटीएल)	**(625.75)**	**(712.88)**

*आईसीडीएस प्रावधानों के अनुसार टैक्स में एफसीटीआर ओपेनिंग शेष राशि ऑफर देने के परिणाम स्वरूप डीटीए का सृजन

10.1 प्रावधान और आकस्मिकताओं (₹ करोड़ो में)

	लाभ एवं हानि लेखे में व्यय शीर्ष के तहत दिखाए गए ''प्रावधान और आकस्मिकताओं'' का ब्रेकअप	2016–17	2015–16
i)	निवेश पर मूल्यह्रास हेतु प्रावधान	101.96	39.90
ii)	एनपीए के लिए प्रावधान	2077.33	2398.18
iii)	आयकर के लिए प्रावधान	352.56	243.92
iv)	विवरण सहित अन्य प्रावधानों और आकस्मिकताएं विवरण **2016-17** **2015-16** 1. मानक अग्रिम 15-00 134-90 2. पुनः संरचित अग्रिम 0-11 235-46 3. अन्य 48-29 9-07	63.18	-361.29
	कुल	**2595.03**	**2320.71**

10.2 चल प्रावधान :

(₹ करोड़ो में)

	विवरण	**2016-17**	**2015-16**
ए.	चल प्रावधान खाता में अथशेष	46.76	46.76
बी.	वित्तीय वर्ष में चल प्रावधान की मात्रा	0.00	0.00
सी.	वित्तीय वर्ष के दौरान राशि में कमी	0.00	0.00
डी.	चल प्रावधान खाता में अंतिम शेष	46.76	46.76

9.7 Earnings Per Share (AS 20)

Particulars	2016-17	2015-16
Net Profit after tax available for equity shareholders (₹ Crore)	1405.68	711.38
Number of Equity Shares	480291651	480291651
Weighted Number of equity shares	480291651	480291651
Basic Earning Per Share	₹ 29.27	₹ 14.81
Diluted Earning Per Share	₹ 29.27	₹ 14.81
Nominal value per Equity Share	₹ 10.00	₹ 10.00

9.8 ACCOUNTING FOR TAXES ON INCOME (AS 22)

The major components of Deferred Tax Assets (DTA) / Deferred Tax Liabilities (DTL) are:

₹ in Crore

Components	31.03.2017	31.03.2016
Deferred Tax Assets		
1. Liabilities provision allowable on payment / crystallization	74.63	70.92
2. Provision for unutilized leave	0.24	0.00
3 Provision for Gratuity	0.16	
4. Unclaimed allowance for doubtful debts in prior years		0.28
5. Foreign Currency Translation Reserve (FCTR) *	92.04	
TOTAL- DTA	**167.07**	**71.20**
Deferred Tax Liabilities		
1. Depreciation on Fixed Assets	52.39	61.04
2.. Provision for Written-off Accounts	504.21	504.21
3. Staff Welfare Fund	5.71	5.71
4.Special Reserves u/s 36(i)(viii) of Income Tax Act, 1961	230.06	213.11
TOTAL DTL	**792.82**	**784.07**
NET DTL	**625.75**	**712.88**

*Creation of DTA consequent to offering FCTR opening balance to tax as per ICDS provisions.

10.1 Provisions and Contingencies

(Amount in ₹ crore)

	Break-up of Provisions & Contingencies shown under the head Expenditure in Profit and Loss Account			2016-17	2015-16
i)	Provision for depreciation on investments			101.96	39.90
ii)	Provision towards NPA			2077.33	2398.18
iii)	Provision made towards Income Tax			352.56	243.92
iv)	Other Provisions and contingencies with details			63.18	-361.29
	Particulars	**2016-17**	**2015-16**		
	1. Standard Advances	15.00	-134.90		
	2. Restructured Advances:	- 0.11	-235.46		
	3. Others	48.29	9.07		
	Total			**2595.03**	**2320.71**

10.2 Floating Provisions:

(Amount in ₹ crore)

	Floating Provisions Account	2016-17	2015-16
(a)	Opening balance in the floating provisions account	46.76	46.76
(b)	The quantum of floating provisions made in the accounting year	0.00	0.00
(c)	Amount of draw down made during the accounting year	0.00	0.00
(d)	Closing Balance in the floating provisions account	46.76	46.76

10.3 आरक्षितियों से कमी :

(रु. करोडों में)

क्रम सं.	आरक्षितियां	आहरित राशि		उद्देश्य
१	पुनर्मूल्यन रिजर्व	**2015-16**	**2016-17**	परिसर में पुनर्मूल्यांकित भाग पर मूल्यह्रास
		73.77	80.90	आगे पुनर्मूल्यन पर कुछ परिसर के पुनर्मूल्यांकित बही मूल्य में कमी
		31.93	-	

10.4 ग्राहक शिकायतें

ए. ग्राहक शिकायत

	चलू वर्ष 2016-17	पिछले वर्ष 2015-16
ए. वर्ष की शुरुआत में लंबित शिकायतों की सं.	68	89
बी. वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की सं.	21356	10375
सी. वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की सं.	21325	10363
डी. वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की सं.	99	68

बी. क्रेडिट कार्ड

	2016-17	**2015-16**
ए. वर्ष की शुरुआत में लंबित शिकायतों की सं.	4	60
बी. वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की सं.	1504	1060
सी. वर्ष को दौरान निपटाई गई शिकायतों की सं.	1340	1116
डी. वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की सं.	168	4

सी. एटीएम शिकायत

	कुल चलू वर्ष	जिसमें से	कुल पिछले वर्ष	जिसमें से
	2016-17		2015-16	
ए. वर्ष की शुरुआत में लंबित शिकायतों की सं.	1557	794	855	379
बी. वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की सं.	122483	24502	80546	13191
सी. वर्ष को दौरान निपटाई गई शिकायतों की सं.	119754	24649	79844	12776
डी. वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की सं.	4286	647	1557	794

10.5 बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित और बैंक के द्वारा कार्यान्वित किए गए अधिनिर्णय निचे दिए गए है

	2016-17	**2015-16**
ए. वर्ष की शुरुआत में अकार्यान्वित अधिनिर्णयों	शून्य	शून्य
बी. वर्ष के दौरान बैंकिंग लोकपाल द्वारा पास किए गए अधिनिर्णयों	शून्य	शून्य
सी. वर्ष के दौरान कार्यान्वित किए गए अधिनिर्णय	शून्य	शून्य
डी. वर्ष के अंत में लंबित अकार्यान्वित अधिनिर्णयों	शून्य	शून्य

10.3 Draw Down from Reserves:

(Amount in ₹ crore)

Sl. No.	Reserves	Amount Drawn		Purpose
1.	Revaluation Reserve	2016-17	2015-16	
		80.90	73.77	Depreciation on revalued portion on Premises
			31.93	Decrease in revalued book value of certain premises on further revaluation

10.4 Customer Complaints :

A. Customer Complaints

	2016-17	2015-16
(a) No. of complaints pending at the beginning of the year	68	56
(b) No. of complaints received during the year	21356	10375
(c) No. of complaints redressed during the year	21325	10363
(d) No. of complaints pending at the end of the year	99	68

B. Credit Card

	2016-17	2015-16
(a) No. of complaints pending at the beginning of the year	4	60
(b) No. of complaints received during the year	1504	1060
(c) No. of complaints redressed during the year	1340	1116
(d) No. of complaints pending at the end of the year	168	4

C. ATM Complaints

	Total	Of which acquirer	Total	Of which acquirer
	2016-17		2015-16	
(a) No. of complaints pending at the beginning of the year	1557	794	855	379
(b) No. of complaints received during the year	122483	24502	80546	13191
(c) No. of complaints redressed during the year	119754	24649	79844	12776
(d) No. of complaints pending at the end of the year	4286	647	1557	794

10.5 Awards passed by the Banking ombudsman and implemented by the Bank is as follows :

	2016-17	2015-16
(a) Unimplemented awards at the beginning of the year	NIL	NIL
(b) Awards passed by Banking Ombudsman during the year	NIL	NIL
(c) Awards implemented during the year	NIL	NIL
(d) Unimplemented award at the end of the year	NIL	NIL

10.6 पूर्व तिमाहियों की तुलना में, 31.03.2017 को समाप्त तिमाही में प्राप्त ग्राहक शिकायतों का वर्गीकरण

क्र.सं	वर्गीकरण	को समाप्त तिमाही में प्राप्त शिकायतें									
		31.03.2016		30.06.2016		30.09.2016		31.12.2016		31.03.2017	
		सं	%	सं	%	सं	%	सं	%	सं	%
1	अग्रिम	134	4.6	59	2.4	151	4.0	162	2.6	156	1.7
2	एटीएम	227	7.8	219	8.8	339	9.2	640	10.3	1493	16.6
3	क्रेडिट कार्ड	36	1.2	16	0.6	0	0.0	0	0.0	70	0.8
4	ग्राहक सेवा	459	15.8	364	14.7	505	13.7	905	14.6	669	7.4
5	डीमैट	2	0.1	3	0.1	6	0.2	4	0.1	8	0.1
6	जमा	135	4.7	176	7.1	222	6.0	392	6.4	405	4.6
7	सामान्य बैंकिंग	499	17.2	448	18.1	736	19.9	1263	20.5	1199	13.3
8	सरकारी योजनाएं	105	3.6	62	2.5	63	1.7	72	1.2	138	1.5
9	विविध	342	11.8	318	12.8	450	12.2	646	10.5	723	8.0
10	एनआरआई सेवा	101	3.5	95	3.8	90	2.4	85	1.4	97	1.00
11	प्रेषण	222	7.6	176	7.1	240	6.5	347	5.6	461	5.2
12	प्रौद्योगिकी	641	22.1	543	22	896	24.2	1655	26.8	3589	39.8
	कुल	**2903**	**100**	2479	100	3698	100	6171	100	9008	100

10.7 बैंक द्वारा जारी चुकौती आश्वासन पत्र :

31.03.2017 को समाप्त वर्ष के दौरान बैंक द्वारा 2904.71 करोड़ रुपए (गत वर्ष 2219.81 करोड़ रुपए) मूल्य के लिए 1093 (गत वर्ष 967) चुकौती आश्वासन पत्र जारी किए गए हैं। 31.03.2017 को 486 (गत वर्ष 326) चुकौती आश्वासन पत्र बकाया है जिनकी राशि 1167.65 (गत वर्ष 835.60 करोड़ रुपए) करोड़ रुपए है।

एलओसी / एलओयू शेष पर अनुमानित वित्तीय असर ₹4.75 करोड़ तक होगा। 31.03.2017 को समाप्त वर्ष के दौरान, हमारी विदेशी शाखाओं (सिंगापूर और कोलंबो) द्वारा जारी चुकौती आश्वासन पत्र शून्य है तथा दिनांक 31.03.2017 को शेष शून्य है।

10.8 प्रावधान कवरेज अनुपात

गैर निष्पादन ऋण प्रावधान कवरेज अनुपात 58.14% (पिछले वर्ष 53.37%)

10.9 बैंक एश्यूरेन्स कारोबार

वर्तमान वर्ष के दौरान बैंक ने विभिन्न बैंक एश्यूरेन्स उत्पादों की बिक्री /विपणन से रुपए 12.75 करोड़ का कमीशन अर्जित किया है (पिछले वर्ष रुपए 9.15 करोड़)

(रु. करोडों में)

क्रम सं.	आय का स्वरूप	2016-17	2015-16
1.	जीवन बीमा पालिसी की बिक्री के लिए	6.86	5.18
2.	गैर जीवन बीमा पालिसी की बिक्री के लिए	5.53	3.62
3.	अन्य – म्यूचुअल फंड उत्पादों की बिक्री के लिए	0.36	0.35
	कुल	**12.75**	**9.15**

10.10 ग्रामीण विकास हेतु इंडियन बैंक ट्रस्ट(आईबीटीआरडी)

22.09.2008 को बैंक द्वारा ग्रामीण विकास हेतु इंडियन बैंक ट्रस्ट स्थापित किया गया है जो ग्रामीण विकास पर अनन्य रूप से केन्द्रित ध्यान देते हुए ग्रामीण अवसरों को पकडने में समुदाय की सहायता करने में लगी हुई अन्य विभिन्न संस्थाओं/अभिकरणों के साथ बेहतर गोचर परिणाम प्राप्त करने हेतु समन्वय स्थापित करते हुए अच्छे परिणाम दिखाने का उद्देश्य रखता है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार, इस न्यास के अधीन इंडियन बैंक स्वरोज़गार प्रशिक्षण संस्थान (इंडसेटी) की स्थापना, बारह केन्द्रों में की गयी है (आंधप्रदेश में) चित्तूर, पुदुच्चेरी क्षेत्र (पुदुच्चेरी संघशासित क्षेत्र में), कडलूर, धर्मपुरी, कांचीपुरम, कृष्णगिरी, नामक्कल, सेलम, तिरुवण्णामलै, तिरुवल्लुर, वेल्लूर और विळुपुरम (तमिलनाडु में) जो ग्रामीण बेरोजगार युवाओं को कौशल उन्मुख प्रशिक्षण प्रदान करेगा जिससे वे स्वरोजगार/रोजगार पाने में सक्षम होंगे। ट्रस्ट के तहत 19 स्थानों यथा चित्तूर, मचलीपटनम (आंध्र प्रदेश में), कोल्लम, चदयमंगलम, पारस्साला (केरल में), पुदुच्चेरी (पुदुच्चेरी संघशासित क्षेत्र में), कडलूर, धर्मपुरी, कांचीपुरम, कृष्णगिरि, नामक्कल, सेलम, तिरुवण्णामलै, तिरुवल्लूर, (तमिलनाडु) में भी वित्तीय साक्षरता केन्द्र (एफएलसी) स्थापित किए गए एवं बैंक को वित्तीय समावेशन परियोजना में आम जनता की सहायता प्राप्त करने के उद्देश्य से उन्हें वित्तीय साक्षरता व काउंसिलिंग सेवाएँ प्रदान करने हेतु चेन्नै, दिल्ली और मुंबई में शहरी एफएलसी की स्थापना की गई हैं।

ट्रस्ट की खाता बहियों की लेखा परीक्षा ट्रस्ट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त सनदी लेखाकार द्वारा की जाती है।

10.6 Classification of customer complaints received during the quarter ended 31.03.2017 compared to the previous quarters:

Sl.No	Classification	Complaints received during the quarter ended									
		31.03.2016		30.06.2016		30.09.2016		31.12.2016		31.03.2017	
		No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%
1	Advances	134	4.6	59	2.4	151	4.0	162	2.6	156	1.7
2	ATM	227	7.8	219	8.8	339	9.2	640	10.3	1493	16.6
3	Credit Card	36	1.2	16	0.6	0	0.0	0	0.0	70	0.8
4	Customer Services	459	15.8	364	14.7	505	13.7	905	14.6	669	7.4
5	Demat	2	0.1	3	0.1	6	0.2	4	0.1	8	0.1
6	Deposits	135	4.7	176	7.1	222	6.0	392	6.4	405	4.6
7	General Banking	499	17.2	448	18.1	736	19.9	1263	20.5	1199	13.3
8	Govt. Schemes	105	3.6	62	2.5	63	1.7	72	1.2	138	1.5
9	Miscellaneous	342	11.8	318	12.8	450	12.2	646	10.5	723	8.0
10	NRI Services	101	3.5	95	3.8	90	2.4	85	1.4	97	1.00
11	Remittances	222	7.6	176	7.1	240	6.5	347	5.6	461	5.2
12	Technology	641	22.1	543	22	896	24.2	1655	26.8	3589	39.8
	TOTAL	**2903**	**100**	**2479**	**100**	**3698**	**100**	**6171**	**100**	**9008**	**100**

10.7 Letter of comfort issued by the Bank:

During the year ended 31.03.2017, 1093 (Previous year-967) letters of comfort have been issued by the bank amounting to ₹2904.71 Crores (Previous Year: 2219.81 crores). The letters of comfort outstanding as on 31.03.2017 are 486 (Previous Year-326) amounting to ₹1167.65 Crores (Previous Year: ₹835.60 crores)

The estimated financial impact on the outstanding LOC/LOU would be to the tune of ₹4.75 crores. During the year ended 31.03.2017, Letter of Comfort issued by our foreign branches (Singapore and Colombo) is NIL and outstanding as on 31.03.2017 is NIL.

10.8 Provision Coverage Ratio (PCR)

Non Performing Loan Provisioning Coverage Ratio is 58.14% (previous year 53.37%).

10.9 BANCASSURANCE BUSINESS

During the current year, the Bank has earned commission, etc, to the extent of ₹12.75 Crore on sale/marketing of various Bancassurance products/Mutual Funds (previous year ₹ 9.15 Crore).

(Amount ₹ in crore)

Sr. No.	Nature of Income	2016-17	2015-16
1	For Selling Life Insurance Policies	6.86	5.18
2	For selling Non-life insurance policies	5.53	3.62
3	Others For selling Mutual Fund Products	0.36	0.35
	Total	**12.75**	**9.15**

10.10 Indian Bank Trust for Rural Development

Indian Bank Trust for Rural Development has been set up by the Bank on 22.09.2008 to exclusively focus on rural development and accomplish better results by coordinating with various other players / agencies who are also engaged in the development of rural areas.

Under the Trust, Indian Bank Self Employment Training Institutes (INDSETIs) have been established in 12 centers, viz. Chittoor (in Andhra Pradesh), Puducherry (in UT of Puducherry), Cuddalore, Dharmapuri, Kancheepuram, Krishnagiri, Namakkal, Salem, Thiruvannamalai, Tiruvallur, Vellore and Villupuram (in Tamil Nadu) to impart skill oriented training to rural unemployed youth, to enable them to either self / wage employed as per the directions of Ministry of Rural Development, Govt. of India. Financial Literacy Centres (FLCs) have also been established under the Trust in 19 places viz. Chittoor, Machilipatnam (in Andhra Pradesh), Kollam, Chadayamangalam, Parassala (in Kerala), Puducherry (in UT of Puducherry), Cuddalore, Dharmapuri, Kancheepuram, Krishnagiri, Namakkal, Salem, Thiruvannamalai, Tiruvallur, Vellore, Villupuram (in Tamil Nadu) and Urban FLCs in Chennai, Delhi and Mumbai to provide financial literacy and counseling services to the general public to assist the banks in financial inclusion project.

The books of account of the Trust are being subjected to audit, independently by the Chartered Accountants appointed by the Trust

वर्ष 2016–17* के लिए आईबीटीआरडी का अनंतिम भुगतान व प्राप्तियां

(₹ करोड़ में)

आय के विवरण	रुपये
वर्ष 2016–17 के दौरान बैंक द्वारा किए गए अंशदान	1770000000
प्रशिक्षण व्यय हेतु भारत सरकार से मिला अनुदान	0.00
अर्जित बैंक ब्याज	8147264
नाबार्ड से प्राप्त प्रशिक्षण कीमत की प्रतिपूर्ति	12385043
विविध आय	0.00
कुल आय	**38232307**
व्यय के विवरण	
वर्ष के दौरान व्यय	31118444
व्यय से अतिरिक्त आय	7113863
अथ शेष	
कुल व्यय	**38232307**
पूंजीगत लेखा	85995000.00
कॉर्पस निधि	85995000.00
आय व व्यय खाते में शेष	
01.04.2016 को अथ शेष	10141585
व्यय से अतिरिक्त आय	7113863
31.03.2017 को अंतिम शेष	17255448
कुल पूंजी खाता	**103250448**

*अंतिम लेखापरीक्षा के बाद आंकड़े बदल सकते हैं

10.11 जमाएँ अग्रिम, ऋण तथा एनपीएओ का संकेन्द्रण (बैंक द्वारा यथा समेकित)

10.11.1 जमाओं का संकेन्द्रण

(₹ करोड़ में)

	2016-17	2015-16
बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं की कुल जमाएँ (सिर्फ देशी)	11397.17	10536.60
बैंक की कुल जमाओं के साथ बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं की जमाओं का प्रतिशत	6.44%	6.10%

10.11.2 अग्रिमों का संकेन्द्रण

(₹ करोड़ में)

	2016-17	2015-16
बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं के कुल अग्रिम	20999.67	20529.84
बैंक की कुल अग्रिमों के साथ बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं की अग्रिमों का प्रतिशत	15.89%	15.48%

10.11.3 एक्स्पोजरों का संकेन्द्रण

(₹ करोड़ में)

	2016-17	2015-16
बीस सबसे बडे उधारकर्ताओं/ग्राहकों को कुल एक्स्पोजर	25440.66	25524.58
बैंक के उधारकर्ताओं/ग्राहकों को कुल एक्स्पोजर के साथ बीस सबसे बडे उधारकर्ताओं/ग्राहकों को एक्स्पोश्जर का प्रतिशत	12.87%	13.18%

10.11.4 एनपीए का संकेन्द्रण

(₹ करोड़ में)

	2016-17	2015-16
सबसे बडे चार एनपीए खातों को कुल एक्स्पोजर	2293.9	2174.99

PROVISIONAL RECEIPTS AND PAYMENTS OF IBTRD FOR THE YEAR 2016-17*

(Amount in ₹)

Details of Income	
Contributions made by the Bank during the year 2016-17	17700000.00
Grant received from Govt. of India for training expenses	0.00
Bank interest earned	8147264.00
Training cost reimbursement received from various agencies	12385043.00
Miscellaneous income	0.00
Total Income	**38232307.00**
Details of Expenditure	
Expenditure incurred during the year	31118444.00
Excess of income over Expenditure	7113863.00
Closing balance	
Total Expenditure	**38232307.00**
Capital Account	85995000.00
Corpus fund	85995000.00
Balance in Income & Expenditure account	
Opening Balance as on 01.04.2016	10141585.00
Add Excess of income over Expenditure	7113863.00
Closing Balance as on 31.03.2017	17255448.00
Total capital account	**103250448.00**

* Figures are subject to change on final audit.

10.11 Concentration of Deposits, Advances, Exposures and NPAs (As compiled by the Bank)

10.11.1 Concentration of Deposits

(Amount in ₹ crore)

	2016-17	2015-16
Total Deposits of twenty largest depositors (domestic only)	11397.17	10536.60
Percentage of Deposits of twenty largest depositors to total Deposits of the Bank	6.44%	6.10%

10.11.2 Concentration of Advances

(Amount in ₹ crore)

	2016-17	2015-16
Total Advances to twenty largest borrowers	20999.67	20529.84
Percentage of Advances of twenty largest borrowers to total Advances of the Bank	15.89%	15.48%

10.11.3 Concentration of Exposures

(Amount in ₹ crore)

	2016-17	2015-16
Total Exposures to twenty largest borrowers/customers	25440.66	25524.58
Percentage of Exposures of twenty largest borrowers/ customers to Total Exposures of the Bank on borrowers/ customers	2.87%	13.18%

10.11.4 Concentration of NPAs

(Amount in ₹ crore)

	2016-17	2015-16
Total Exposures to top four NPA accounts	2293.90	2174.99

10.11.5 सेक्टर वार अग्रिम

(₹ करोड़ में)

क्र. संख्या	सेक्टर	2016-17			2015-16		
		कुल बकाया अग्रिम	सकल एनपीए	सेक्टर में कुल अग्रिम के सकल एनपीए का प्रतिशत	कुल बकाया अग्रिम	सकल एनपीए	सेक्टर में कुल अग्रिम के सकल एनपीए का प्रतिशत
ए	प्राथमिक क्षेत्र						
1.	कृषि व सहबद्ध कार्यकलाप	24820.42	604.38	2.44	23017.56	618.2	2.68
2.	उद्योग क्षेत्र के अग्रिम जोकि प्राथमिकता क्षेत्र के ऋण में योग्य हैं	7698.24	666.74	8.66	5757.96	673.04	11.69
3.	सेवाएँ	14216.28	540.37	3.8	13828.61	545.86	3.95
4.	वैयक्तिक ऋण	8240.88	330.64	4.01	7729.39	314.14	4.06
	पूर्ण योग(ए)	**54975.82**	**2142.13**	**3.9**	**50333.52**	**2151.24**	**4.27**
बी	गैर–प्राथमिक क्षेत्र						
1.	कृषि व सहबद्ध कार्यकलाप	-	-	-	-	-	-
2.	उद्योग क्षेत्र	51873.73	6424.64	12.39	42280.7	5500.2	13.01
3.	सेवाएँ	12900.72	1194.7	9.26	28522.36	1083.62	3.8
4.	वैयक्तिक ऋण	12394.43	103.67	0.83	11495.56	91.98	0.8
	पूर्ण योग(बी)	**77168.88**	**7723.01**	**10.01**	**82298.62**	**6675.8**	**8.11**
	कुल(ए+बी)	**132144.7**	**9865.14**	**7.47**	**132632.1**	**8827.04**	**6.66**

10.12 एनपीए में परिवर्तन / तकनीकी रूप से बट्टे खाते डालना

10.12.1 एनपीए में परिवर्तन

(₹ करोड़ में)

विवरण	2016-17	2015-16
01 अप्रैल 2016 को सकल एनपीए (प्रारंभिक शेष)	8827.04	5670.44
वर्ष के दोरान जोड (नए एनपीए)	3330.66	5703.82
उप–कुल (ए)	12157.70	11374.26
घटाएँ :		
(i) कोटि–उन्नयन	264.14	91.05
(ii) एआरसी को आंबटित राशि	215.92	1004.24
(iii) वसूलियां (कोटि उन्नयन किए गए खातों से वसूली गयी राशियों को छोड़कर	587.08	525.51
(iv) तकनीकी / विवेकपूर्ण रूप से बट्टे खाते डाले गए खाते	1085.72	906.12
(iv) उपर्युक्त (iii) के अंतर्गत के अलावा बट्टा खाता में डाले गए	139.70	20.30
उप–कुल (बी)	2295.56	2547.22
31 मार्च 2017 को सकल एनपीए (अंत शेष ए–बी)	9865.14	8827.04

10.12.2 तकनीकी / विवेकपूर्ण रूप से बट्टे खाते डालना

विवरण	2016-17	2015-16
अप्रैल 01, 2016 से तकनीकी / विवेकपूर्ण बट्टे खाते में डाले गये खातों का प्रारंभिक शेष	2795.40	2213.26
जोडें : वर्ष के दौरान तकनीकी / विवेकपूर्ण रूप से बट्टे खाते में डाले गये खाते	1085.72	906.12
उप–कुल (ए)	3881.12	3119.38
घटाएं : वर्ष के दौरान पिछले वर्षों में तकनीकी / विवेकपूर्ण रूप से बट्टे खाते में डाले गये खातों से की गई वसूली (बी)	353.03	323.98
31 मार्च, 2017 को अंत शेष (ए बी)	3528.09	2795.40

10.12.3 भारिबैंक द्वारा प्रारम्भ किए अनुसार आस्ति गुणवत्ता की समीक्षा (एक्यूआर) के अनुरूप, बैंक ने वर्ष के दौरान भारिबैंक द्वारा सूचित के अनुसार कुछ खातों पर अतिरिक्त प्रावधान उपलब्ध कराया है।

10.11.5 Sector-wise Advances

(Amount in ₹ crore)

Sl. No.	Sector	2016-17			2015-16		
		Outstanding Total Advances	Gross NPAs	Percentage of Gross NPAs to Total Advances in that sector	Outstanding Total Advances	Gross NPAs	Percentage of Gross NPAs to Total Advances in that sector
A	**Priority Sector**						
1.	Agriculture and allied activities	24820.42	604.38	2.44	23017.56	618.2	2.68
2.	Advances to industries sector eligible as priority sector lending	7698.24	666.74	8.66	5757.96	673.04	11.69
3.	Services	14216.28	540.37	3.8	13828.61	545.86	3.95
4.	Personal loans	8240.88	330.64	4.01	7729.39	314.14	4.06
	Sub-total (A)	**54975.82**	**2142.13**	**3.9**	**50333.52**	**2151.24**	**4.27**
B	**Non Priority Sector**						
1.	Agriculture and allied activities	-	-	-	-	-	-
2.	Industry	51873.73	6424.64	12.39	42280.7	5500.2	13.01
3.	Services	12900.72	1194.7	9.26	28522.36	1083.62	3.8
4.	Personal loans	12394.43	103.67	0.83	11495.56	91.98	0.8
	Sub-total (B)	**77168.88**	**7723.01**	**10.01**	**82298.62**	**6675.8**	**8.11**
	Total (A+B)	**132144.7**	**9865.14**	**7.47**	**132632.14**	**8827.04**	**6.66**

10.12 Movement of NPAs/Technical Write-off

10.12.1 Movement of NPAs

(Amount in ₹ crore)

Particulars	2016-17	2015-16
Gross NPAs as on 1st April of 2016 (Opening Balance)	8827.04	5670.44
Additions (Fresh NPAs) during the year	3330.66	5703.82
Sub-total (A)	12157.7	11374.3
Less :		
(I) Upgradations	264.14	91.05
(ii)Amount assigned to ARC	215.92	1004.24
(iii) Recoveries (excluding recoveries made from upgraded accounts)	587.08	525.51
(iv) Technical/Prudential Write-offs	1085.72	906.12
(v) Write-offs other than those under (iv) above	139.7	20.3
Sub-total (B)	2295.56	2547.22
Gross NPAs as on 31st March 2017 (closing balance (A-B)	9865.14	8827.04

10.12.2 Technical / Prudential Write-off

Particulars	2016-17	2015-16
Opening bal of Technical / Prudential written-off accounts as at 01st April, 2016	2795.4	2213.26
Add: Technical/ Prudential write-offs during the year	1085.72	906.12
Sub-total (A)	3881.12	3119.38
Less: Recoveries made from previously technical/prudential written-off accounts during the year (B)	353.03	323.98
Closing bal as at 31st March, 2017 (A-B)	3528.09	2795.40

10.12.3 In accordance with Asset Quality Review (AQR) undertaken by RBI, the Bank has made additional provision on certain accounts as advised by RBI during the year.

10.12.4 ओवरसीज़ आस्तियां, एनपीए और राजस्व

(₹ करोड़ में)

विवरण	2016-17	2015-16
कुल आस्तियां	7070.45	9071.71
कुल एनपीए	613.68	562.77
सकल एनपीए	277.09	499.45
निवल एनपीए	210.27	123.65
कुल राजस्व	279.35	285.65

11.1 तुलनपत्र के बाहर – प्रायोजित एसपीवी (जिन्हें लेखाकरण मानदण्डों के अनुसार समेकित करना है)

प्रायोजित एसपीवी का नाम	
देशी	ओवरसीज़
शून्य	शून्य

11.2 **अपरिशोधित पेंशन एवं उपदान देयताएं :**

31.03.2017 तक बैंक के पास कोई अपरिशोधित पेंशन एवं उपदान देयताएं नहीं है।

11.3 **प्रतिभूतिकरण से संबंधित प्रकटीकरण :**

वर्ष के दौरान बैंक ने कोई प्रतिभूतिकरण नहीं किया है।

11.4 **ऋण डिफ़ाल्ट स्वैप :**

श्वर्ष के दौरान बैंक ने किसी भी क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैप में प्रवेश नहीं किया है।

11.5 **इंट्रा समूह प्रकटीकरण :**

एएस –18 'संबंधित पार्टी प्रकटीकरण' के पैरा 9 के अनुसार कोई प्रकटीकरण की आवश्यकता नहीं है, ऐसे उद्यमों के साथ अन्य राज्य–नियंत्रित उद्यमों और उनके साथ लेनदेन के साथ संबंधित पक्ष के संबंध में राज्य–नियंत्रित उद्यमों को किसी भी प्रकटीकरण करने से छूट देता है।

11.6 आकस्मिक देयताओं में एक खाता – मेसर्स निम्बस कम्यूनिकेशन्स लि. शामिल है, जिसमें सहभागिता संघ के बैंकों द्वारा बीसीसीआई के पक्ष में गारंटियाँ जारी की गई थीं। बीसीसीआई ने सहभागिता संघ के बैंकों के विरुद्ध गारंटी देयता का दावा करते हुए वाद दायर किया तथा वाद में 400 करोड़ रुपए अदा करने पर प्रतिरक्षा रने की सशर्त अनुमति दी गई थी तथा इसमें बैंक का हिस्सा 100 करोड़ रुपए हैं। हमारे बैंक का रुपए 100 करोड़ का हिस्सा प्रोथोनोटरी और बंबई के माननीय उच्च न्यायालय के सीनियर मास्टर के साथ विप्रेषित किया गया। सम्मरी वाद, बंबई के माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष न्यायनिर्णयन के लिए लंबित है।

11.7 जमाकर्ता शिक्षण एवं जागरूकता निधि (डीईएएफ) को अंतरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	2016-17	2015-16
डीईएएफ को अंतरित राशियों का प्रारंभिक शेष	107.70	72.97
जोडें : वर्ष के दौरान डीईएएफ को अंतरित राशियाँ	401.71	34.73
घटाएं : डीईएएफ द्वारा दावों के लिए प्रतिपूरित राशियाँ	0.95	-
डीईएएफ को अंतरित राशियों का अंत शेष	508.46	107.70

11.8 अरक्षित विदेशी मुद्रा ऋण

अपने उधारकर्ताओं के अरक्षित विदेशी मुद्रा ऋणों में जोखिम की व्यवस्था के लिए बैंक ने एक नीति निर्धारित की है। जहाँ स्वाभाविक रक्षा (हेज) नहीं है, आयात / निर्यात लेनदेनों के लिए ग्राहकों को वायदा कवर लेने की सलाह दी जाती है। यह वायदा कवर, विनिमय जोखिम के लिए जोखिम शमन के कारक की भूमिका निभायेगा। सुविधाओं को मंजूर करते समय बैंक यह सुनिश्चित करता है कि विदेशी मुद्रा में प्रदत्त सभी ऋणों (निधि आधारित और गैर निधि आधारित, जिसमें कम्फर्ट पत्र और वचनबद्धता पत्र शामिल हैं) को वायदा कवर के जरिए कवर किया जाता है। वायदा कवर से छूट प्रदान करने के अनुरोधों पर सिर्फ कॉर्पोरेट कार्यालय के स्तर पर विचार किया जाता है। उधार खातों का पुनरीक्षण करते समय, रक्षित एवं अरक्षित ऋणों को कैप्चर किया जाता है और ऋण प्रस्तावों में इनके प्रभाव का विश्लेषण किया जाता है।

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक ने ₹ 7.04 करोड़ की राशि पुनः प्राप्त किया तथा भारिबैंक के परिपत्र दिनांक 15 जनवरी, 2014 के अनुसार अपने संघटकों के आरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर पर बैंक के पास ₹ 8.34 करोड़ रखने का प्रावधान है।

11.9 वर्ष के दौरान रिपोर्ट की गई धोखाधड़ी

वर्ष के दौरान, बैंक ने पूर्व में रखें प्रावधान / संपार्श्विक को घटाकर 480.45 करोड़ रुपए राशि की 133 धोखाधड़ी के मामलों की रिपोर्ट की है और 158.32 करोड़ रुपये का प्रावधान बनाया है । इस वर्ष के अंत में बैंक के पास कोई अमूर्त प्रावधान नहीं है।

10.12.4 Overseas Assets, NPAs and Revenue

(Amount in ₹ crore)

Particulars	2016-17	2015-16
Total Assets	7070.45	9071.71
Total NPAs	613.68	562.77
Gross NPA	277.09	499.45
Net NPA	210.27	123.65
Total Revenue	279.35	285.65

11.1 Off-balance Sheet SPVs sponsored (which are required to be consolidated as per accounting norms)

Name of the SPV sponsored	
Domestic	Overseas
NIL	NIL

11.2 Unamortized Pension and Gratuity Liabilities:

Bank does not have any unamortized Pension and Gratuity Liability as on 31.03.2017.

11.3 Disclosures relating to Securitization:

Bank has not undertaken any securitization during the year.

11.4 Credit Default Swaps:

Bank has not entered into any Credit Default Swap during the year.

11.5 Intra Group Exposures:

No disclosure is required in view of para 9 of AS-18 Related Party Disclosure which exempts state-controlled enterprises from making any disclosure regarding related party relationships with other state-controlled enterprises and transactions with such enterprises.

11.6 Contingent liabilities include an A/c M/s Nimbus Communications Ltd., Guarantees were issued by Consortium Banks favouring BCCI. BCCI filed suit against Consortium Banks claiming guarantee liability and in the suit, conditional leave to defend was granted on making payment of 400 crores, wherein our Bank share is 100 crore. Remittance of our Banks share of 100 crore was made with the Prothonotary and Senior Master of the Honble High Court of Bombay. The summary suit is pending adjudication before Honble High Court of Bombay.

11.7 Transfers to Depositor Education and Awareness Fund (DEAF)

(Amount in ₹ crore)

Particulars	2016-17	2015-16
Opening balance of amounts transferred to DEAF	107.7	72.97
Add : Amounts transferred to DEAF during the year	401.71	34.73
Less : Amounts reimbursed by DEAF towards claims	0.95	-
Closing balance of amounts transferred to DEAF	508.46	107.7

11.8 Foreign Currency Exposure:

The Bank has in place a policy on managing credit risk arising out of unhedged foreign currency exposures of its borrowers .Where there is no natural hedge, forward cover is suggested to customers in respect of import/export transactions. The forward cover will act as Unhedged risk mitigation on exchange risk. While sanctioning the facilities, bank is ensuring that all the exposures (fund based and non fund based including Letter of Comfort / Letter of Undertaking) in foreign currencies are covered by forward cover. Request for considering waiver of forward cover if any is considered only at corporate office level. While reviewing the borrowal accounts hedged and unhedged exposure are captured and impact is analyzed in credit proposals.

The Bank has retrieved an amount of 7.04 crores for the year ended 31st March 2017 and holds a provision of 8.33 crore and a capital of 8.34 crore as at the year end on Unhedged Foreign Currency Exposure to their constituents in terms of RBI circular dated January 15,2014.

11.9 Frauds reported during the year :

The Bank has reported 133 fraud cases amounting to ₹ 480.45 crores and made a provision of ₹ 158.32 crores during the year net of provisions/collaterals already held. The Bank has no unamortised provision at the end of the year.

12. तरलता कवरेज अनुपात (एलसीआर) पर गुणात्मक नोट :
Qualitative Note on Liquidity Coverage Ratio (LCR):

(₹ करोड़ मे)	जून तिमाही-1*	2016-17	सितंबर तिमाही-2*	2016-17	दिसंबर तिमाही-3*	2016-17	मार्च तिमाही-4**	2016-17	मार्च तिमाही-4*	2016-17
उच्च गुणवत्ता वाली तरल आस्तियाँ	कुल भार लगाया गया मूल्य (औसत)	कुल भार लगाया गया मूल्य (औसत)	कुल भार लगाया गया मूल्य (औसत)	कुल भार लगाया गया मूल्य (औसत)	कुल भार लगाया गया मूल्य (औसत)	कुल भार लगाया गया मूल्य (औसत)	कुल भार लगाया गया मूल्य (औसत)	कुल भार लगाया गया मूल्य (औसत)	कुल भार लगाया गया मूल्य (औसत)	कुल भार लगाया गया मूल्य (औसत)
1 कुल उच्च गुणवत्ता वाली तरल आस्तियाँ (HQLA)		28661.49		30661.47		38533.89		39442.68		23585.59
निधि का बहिर्प्रवाह										
2 खुदरा जमाएं और लघु व्यापार ग्राहकों से प्राप्त जमाएं, जिसमें से :	90055.48	8656.19	89353.49	8625.21	96655.10	9308.20	97338.24	9370.84	100603.38	9598.82
(I) स्थायी जमाएं	6987.20	349.36	6202.81	310.14	7146.20	357.31	7259.66	362.98	9230.40	461.52
(Ii) कम स्थायी जमाएं	83068.28	8306.83	83150.67	8315.07	89508.91	8950.89	90078.58	9007.86	91372.98	9137.30
3 आरक्षित थोक निधीयन जिसमें से	40342.93	17656.97	36020.03	16027.44	38620.15	18416.38	34237.04	14446.61	43110.29	18834.49
(I) परिचालनगत जमाएं (सभी काउंटर पार्टी)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(Ii) गैर–परिचालनगत जमाएं (सभी काउंटर पार्टी)	37809.93	15123.97	33320.97	13328.39	33672.95	13469.18	32984.05	13193.62	40459.67	16183.87
(Iii) आरक्षित ऋण	2533.00	2533.00	2699.05	2699.05	4947.20	4947.20	1252.99	1252.99	2650.62	2650.62
4 रक्षित थोक निधीयन		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
5 अतिरिक्त आवश्यकताएं, जिसमें से	20968.92	2646.35	22991.45	9182.21	22425.55	2813.12	24443.42	2729.93	18534.59	2236.89
(I) व्युत्पन्न ऋण और अन्य संपार्श्विक अपेक्षाओं से संबंधित बहिर्प्रवाह	607.65	607.65	681.42	681.42	338.03	338.03	77.77	77.77	262.09	262.09
(Ii) ऋण उत्पादों पर निधीयन में हानियों से संबंधित बहिर्प्रवाह										
(Iii) ऋण और तरलता सुविधाएं	20361.27	2038.69	22310.03	8500.79	22087.51	2475.09	24365.66	2652.16	18272.51	1974.81
6 अन्य संविदागत निधीयन बाध्यताएं	1406.44	1406.44	1677.07	1677.07	1434.60	1434.60	4200.29	4200.29	1081.88	1081.88
7 अन्य आकस्मिक निधीयन बाध्यताएं	18187.81	545.63	18514.10	6451.79	18950.05	568.50	20376.79	611.30	16029.55	581.33
8 कुल नकदी बहिर्प्रवाह		30911.59		29877.86		32540.81		31358.97		32333.42
नकदी आवक प्रवाह										
9 रक्षित ऋणद (उदा. रिवर्स रेपो)	216.67	0.00	2388.36	0.00	1201.78	0.00	47.87	0.00	966.67	0.00
10 पूर्णतः निष्पादक ऋणों से आवक नकदी प्रवाह	8914.70	4662.35	10540.22	7228.13	9751.37	5114.20	9854.33	5335.05	9672.11	4982.70
11 अन्य आवक नकदी प्रवाह	5220.12	5220.12	8364.96	8364.96	3282.08	3282.08	1666.12	1666.12	6356.99	6356.99
12 कुल आवक नकदी प्रवाह	14351.48	9882.47	21293.80	13929.98	14235.23	8396.29	11568.33	7001.17	16995.77	11339.69
		Total Adjusted Value		Total Adjusted Value		Total Adjusted Value		Total Adjusted Value		Total Adjusted Value
21 कुल एचक्यूएलए		28661.75		30661.47		38533.89		39442.68		23585.59
22 कुल निवल नकदी बहिर्प्रवाह		21029.12		15947.88		24144.52		24357.80		20993.73
3 तरलता कवरेज अनुपात (प्रतिशत)		136.30%		192.26%		159.60%		161.93%		112.61%

* 2016–17 का जून तिमाही, सितंबर तिमाही और दिसंबर तिमाही के लिए एलसीआर मासिक औसत पर आधारित हैं। ** 2016–17 का मार्च तिमाही दैनिक औसत पर आधारित है।

12. Qualitative Note on Liquidity Coverage Ratio (LCR):

	(Rs in Crore)	Jun Q1*	2016-17	Sep Q2*	2016-17	Dec Q3*	2016-17	Mar Q4**	2016-17	Mar Q4*	2016-17
	HIGH QUALITY LIQUID ASSETS	Total UnWeighted Value (Average)	Total Weighted Value (Average)	Total UnWeighted Value (Average)	Total Weighted Value (Average)	Total UnWeighted Value (Average)	Total Weighted Value (Average)	Total UnWeighted Value (Average)	Total Weighted Value (Average)	Total UnWeighted Value (Average)	Total Weighted Value (Average)
1	Total High Quality Liquid Assets (HQLA)		28661.49		30661.47		38533.89		39442.68		23585.59
Cash Outflows											
2	Retail deposits and deposits from Small business customers, of which:	90055.48	8656.19	89353.49	8625.21	96655.10	9308.20	97338.24	9370.84	100603.38	9598.82
(i)	Stable Deposits	6987.20	349.36	6202.81	310.14	7146.20	357.31	7259.66	362.98	9230.40	461.52
(ii)	Less Stable deposits	83068.28	8306.83	83150.67	8315.07	89508.91	8950.89	90078.58	9007.86	91372.98	9137.30
3	**Unsecured wholesale funding**	40342.93	17656.97	36020.03	16027.44	38620.15	18416.38	34237.04	14446.61	43110.29	18834.49
(i)	Operational deposits (all counterparties)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(ii)	Non operational deposits (all counterparties)	37809.93	15123.97	33320.97	13328.39	33672.95	13469.18	32984.05	13193.62	40459.67	16183.87
(iii)	Unsecured debt	2533.00	2533.00	2699.05	2699.05	4947.20	4947.20	1252.99	1252.99	2650.62	2650.62
4	Secured wholesale funding		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
5	Additional requirements, of which	20968.92	2646.35	22991.45	9182.21	22425.55	2813.12	24443.42	2729.93	18534.59	2236.89
(i)	Outflows related to derivative exposures and other collateral requirements	607.65	607.65	681.42	681.42	338.03	338.03	77.77	77.77	262.09	262.09
(ii)	Outflows related to loss of funding on debt products										
(iii)	Credit and liquidity facilities	20361.27	2038.69	22310.03	8500.79	22087.51	2475.09	24365.66	2652.16	18272.51	1974.81
6	Other contractual funding obligations	1406.44	1406.44	1677.07	1677.07	1434.60	1434.60	4200.29	4200.29	1081.88	1081.88
7	Other contingent funding obligations	18187.81	545.63	18514.10	6451.79	18950.05	568.50	20376.79	611.30	16029.55	581.33
8	TOTAL CASH OUTFLOWS		30911.59		29877.86		32540.81		31358.97		32333.42
Cash Inflows											
9	Secured lending (e.g. reverse repos)	216.67	0.00	2388.36	0.00	1201.78	0.00	47.87	0.00	966.67	0.00
10	Inflows from fully performing exposures	8914.70	4662.35	10540.22	7228.13	9751.37	5114.20	9854.33	5335.05	9672.11	4982.70
11	Other cash inflows	5220.12	5220.12	8364.96	8364.96	3282.08	3282.08	1666.12	1666.12	6356.99	6356.99
12	TOTAL CASH INFLOWS	14351.48	9882.47	21293.80	13929.98	14235.23	8396.29	11568.33	7001.17	16995.77	11339.69
			Total Adjusted Value		Total Adjusted Value		Total Adjusted Value		Total Adjusted Value		Total Adjusted Value
21	TOTAL HQLA		28661.75		30661.47		38533.89		39442.68		23585.59
22	TOTAL NET CASH OUTFLOWS		21029.12		15947.88		24144.52		24357.80		20993.73
23	LIQUIDITY COVERAGE RATIO(%)		136.30%		192.26%		159.60%		161.93%		112.61%

* LCR for June Quarter, September Quarter and December Quarter of 2016-17 and March Quarter 2015-16 is based on Monthly average

**LCR for March Quarter 2016-17 is based on Daily average

13. विविध

13.1 लेखा समाधान एवं समायोजन

13.1.1 अंतर शाखा लेखों का लेखा समाधान 31.03.2017 तक पूरा किया जा चुका है। आईबीजीए में बकाया पुरानी प्रविष्टियों के निपटान के लिए विभिन्न कारगर उपायों के द्वारा बैंक ने उसमें पर्याप्त कमी लायी है। तत्पश्चात् शेष बकाया प्रविष्टियों के समायोजन का कार्य प्रगति पर है। प्रबंधन के अनुसार 01/03/2009 से पहले की अवधि से संबंधित, ₹ 5.67 करोड़ रुपए कुल मूल्य की 6798 आईबीजीए क्रेडिट प्रविष्टियां बकाया हैं।

13.1.2 दिनांक 31.03.2017 को अंतर शाखा खाता बकाया में 6 महीने से अधिक अवधि के लिए लेखा समाधान नहीं की गई प्रविष्टियों के संबंध में कुल जमा स्थिति को देखते हुए किसी प्रावधान की जरूरत नहीं है।

13.1.3 देय ड्राफ्टों, समाशोधन समायोजन, विविध प्राप्त राशियों, विविध जमा खातों आदि में तथा भारतीय रिज़र्व बैंक एवं अन्य बैंकों से संबंधित बैंक लेखा समाधानों में पुरानी बकाया प्रविष्टियों के समुचित समायोजन के लिए नियमित समीक्षा की जा रही है।

13.1.4 कुल शाखाओं में अनुषंगी बहियों/रजिस्टरों का तुलन और सामान्य बहियों के साथ लेखा समाधान का कार्य जारी है। प्रबंधन के मतानुसार, खातों पर उपर्युक्त विषयों का परिणामी प्रभाव बहुत ज्यादा नहीं होगा।

13.1.5 बैंक के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार बैंक द्वारा पहचानी गई एमएसएमई इकाइयों को बैंक द्वारा देय ऐसी बकाया राशियाँ नहीं हैं जो एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 में निर्धारित समय सीमा से अधिक अवधि के लिए लंबित है और ऐसी पार्टियों के संबंध में मूल राशि ओर / या उसपर ब्याज के विलंब से किए गए भुगतानों के लिए मानी गयी देयता के संबंध में कोई रिपोर्टें नहीं हैं।

13.1.6 विविध आय में निम्नलिखित शामिल हैं :

i. 212.74 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 247.42 करोड़ रुपए) की राशि जो बट्टे खाते लिखे गए खातों में वसूली है।

ii. वित्तीय आस्तियों की बिक्री के मामलों में हानि या लाभ के लेखांकन के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र सं.डीबीआर.सं.बीपी.बीसी.75/21.04.048/2014–15 दिनांक 11 मार्च, 2015 के अनुकरण में विगत वर्षों में किए गए 2.94 करोड़ रुपए के अधिक प्रावधान को प्रत्यावर्तित किया गया है और इसका परिणाम, 31.03.2017 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ पर पडता है।

iii. 137.45 करोड रुपए (पिछले वर्ष 125.06 करोड़ रुपए), जो वर्ष के दौरान संसाधन प्रभार हेतु वसूल की गयी राशि है।

14. लाभांश

ईक्विटी शेयर : ईक्विटी लाभांश के लिए प्रावधान में रुपए 288.17 करोड की राशि रखी गई है जिसमें वर्ष 2015–16 के लिए 60 प्रतिशत प्रस्तावित लाभांश (पिछले वर्ष– 72.04 करोड़ रुपए) शामिल है।

15. जहां भी आवश्यक हो, चालू वर्ष के आंकडे के अनुरूप बनाने के लिए पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनः वर्गीकृत किया गया है।

13. MISCELLANEOUS

13.1 Reconciliation and Adjustments

13.1.1 Reconciliation of Inter Branch Account is completed up to 31.03.2017. The Bank through various effective steps has achieved reduction in the old outstanding entries in IBGA. Adjustments of the remaining outstanding entries are in progress. As per the Management, 6798 IBGA credit entries aggregating to .5.67 crores are outstanding, pertaining to the period before 01/03/2009.

13.1.2 In view of the credit unreconciled entries in the Inter Branch Account outstanding for more than 6 months as on 31.03.2017, no provision is required.

13.1.3 Old outstanding entries in drafts payable, clearing adjustment, sundries receivable, sundry deposit accounts, etc. and in bank reconciliation relating to Reserve Bank of India and other banks are being regularly reviewed for appropriate adjustments.

13.1.4 Balancing of subsidiary / ledgers, registers and reconciliation with general ledgers are in branches. In the opinion of the management, consequential financial impact of the above will not be significant

13.1.5 As per information available with the Bank, there is no outstanding dues payable by the Bank to MSME units identified by the Bank, which is pending beyond the time limit prescribed under MSMED Act, 2006 and there have been no reported cases of accepted liability of delayed payments of principal amount or interest thereon for such parties during the year

13.1.6 Miscellaneous income includes

i) A sum of .212.74 crore (previous year 247.42 crore) being recovery in written-off accounts.

ii) Pursuant to Reserve Bank of India circular No. DBR No.BP.BC.75/21.04.048/2014-15 dt,11th March 2015, on sale of treatment of loss and profit made on sale of accounts, excess provision of earlier years of 2.94 crore has been reversed during the current year with consequential increase in profit for the year ended 31.03.2017

iii) A sum of 137.45 crore (previous year 125.06 crore) being recovery of processing charges during the year.

14. Dividend

Equity shares: Proposed Equity @ 60% amounting to 288.17 crore (Previous Year 72.04 crore) is appropriated from the current year profit (FY 2016-17).

15. Previous year s figures have been regrouped / reclassified, wherever necessary, to conform to current year s figures.

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

सेवा में,

इंडियन बैंक के सदस्य

वित्तीय विवरणों संबंधी रिपोर्ट

1. हमने इंडियन बैंक के **31 मार्च, 2017** तक के संलग्न वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की है, जिनमें **31 मार्च, 2017** का तुलन–पत्र, लाभ–हानि लेखा और समाप्त वर्ष का नकदी प्रवाह विवरण एवं महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों का सारांश और अन्य स्पष्टीकरण सूचनाएँ शामिल हैं। इन वित्तीय परिणामों में हमारे द्वारा लेखा–परीक्षित **20** शाखाओं और हमारे द्वारा लेखा परीक्षित राजकोषीय शाखा, सांविधिक शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित **1447** शाखाएँ एवं स्थानीय लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित 3 विदेशी शाखाओं की विवरणियाँ शामिल की गईं हैं। हमारे द्वारा और अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा जिन शाखाओं की लेखा परीक्षा की गई, उनका चयन बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिशानिर्देशों के अनुसार किया है। ऐसी **1211** शाखाओं की विवरणियाँ भी डाली गई हैं जो लेखा परीक्षा के अधीन नहीं थीं और तुलन–पत्र एवं लाभ व हानि खाते में विवरण इन्हें भी दर्ज किया गया है। वे शाखाएँ जिनका लेखा–परीक्षण नहीं हुआ उनके पास बैंक के **8.06** प्रतिशत अग्रिम हिस्सा, **19.85** प्रतिशत जमा हिस्सा, **5.38** प्रतिशत ब्याज आय एवं **18.99** प्रतिशत ब्याज व्यय हिसा है।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

2. बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949, भारतीय रिजर्व बैंक की अपेक्षाओं एवं प्रयोज्य भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान ("आईसीएआई") द्वारा जारी लेखांकन मानकों के प्रावधानों के अनुसार इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए प्रबंधन उत्तरदायी है। इस उत्तरदायित्व में ऐसे वित्तीय विवरणों को तैयार करने से सम्बद्ध आंतरिक नियंत्रण का निर्वहन, डिज़ाइन एवं कार्यान्वयन शामिल है, जो किसी भी अशुद्ध तात्विक विवरण, चाहे वह कपटपूर्ण हो या गलती से हो, से रहित हो ।

लेखापरीक्षकों की ज़िम्मेदारी

3. हमारे द्वारा की गई लेखापरीक्षा के आधार पर अपनी राय व्यक्त करना हमारा उत्तरदायित्व है। हमने अपनी लेखापरीक्षा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा लेखापरीक्षण पर जारी मानकों के अनुसार की है । इन मानकों के अनुसार हमसे अपेक्षा की जाती है कि हम नैतिक अपेक्षाओं का पालन करते हैं और अपनी इस लेखापरीक्षा को इस तरह आयोजित व निष्पादित करते हैं ताकि यह सुसंगत आश्वासन मिले कि ये वित्तीय विवरण तात्विक अशुद्धियों से मुक्त रहें।

4. लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों में दी गई राशियों और प्रकटीकरणों से संबंधित लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने हेतु प्रक्रियाओं पर कार्य करना अंतर्विष्ट है। चयनित प्रक्रियाएँ लेखापरीक्षकों के निर्णय पर निर्भर करतीं हैं, जिनमें वित्तीय विवरणों में महत्वपूर्ण गलत कथनों के जोखिम का निर्धारण करना भी शामिल है, चाहे वे धोखाधड़ी से हो या गलती से हो। इन जोखिमों के निर्धारण में, लेखापरीक्षक बैंक द्वारा वित्तीय विवरणियों को तैयार करने और उचित प्रस्तुतीकरण पर विचार किया जाता है जिससे वे परिस्थितियों के समीचीन लेखापरीक्षण प्रक्रियाओं को डिज़ाइन कर सकें। लेकिन इसका उद्देश्य बैंक के आंतरिक नियंत्रण की कारीगरता पर राय व्यक्त करना नहीं है । प्रयुक्त लेखाकरण नीतियों का मूल्यांकन और प्रबंधन द्वारा लगाए गए लेखांकन अनुमानों की तर्कसंगतता के साथ–साथ वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति का मूल्यांकन भी लेखापरीक्षा में शामिल है।

5. हमें विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य पर्याप्त हैं और हमारी लेखापरीक्षा राय के आधार हेतु उपयुक्त हैं।

राय

6. हमारी राय में, बैंक की बहियों में दिखाए गए विवरणों के अनुसार और हमारी श्रेष्ठतम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार :

   (ए) भारत में सामान्यतः स्वीकार्य लेखांकन नीतियों के अनुपालन में, टिप्पणियों के साथ पठित तुलन–पत्र पूर्ण और सही तुलन–पत्र है जिसमें समस्त आवश्यक जानकारी शामिल है तथा उसे इस प्रकार उचित रूप से तैयार किया गया है कि उसमें बैंक के 31 मार्च, 2017 के कामकाज का सही एवं वास्तविक चित्र प्रदर्शित होता है।

   (बी) महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और लेखों पर दिए गए नोट के साथ पठित लाभ एवं हानि लेखा, कवर किए गए वर्ष के लिए भारत में सामान्यतः स्वीकार्य लेखांकन नीतियों के अनुपालन में लेखे द्वारा लाभ का सही शेष दर्शाता है और

   (सी) नकदी प्रवाह विवरण उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाहों का असली और उचित विवरण दर्शाता है ।

अन्य विधिक और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

7. बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की तीसरी अनुसूची के फॉर्म "ए" और "बी" में क्रमशः तुलन–पत्र और लाभ एवं हानि लेखा बनाए गए हैं।

8. उपर्युक्त 1 से 5 तक के पैराग्राफों में संकेतित लेखापरीक्षा सीमाओं के अध्यधीन और बैंककारी कंपनी(उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 की अपेक्षानुसार और उसमें अपेक्षित प्रकटीकरण की सीमाओं के अध्यधीन, हम रिपोर्ट करते हैं कि :

   ए. हमने सभी जानकारी व स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं, जोकि हमारी श्रेष्ठतम जानकारी व विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनार्थ आवश्यक थे और हमने उन्हें संतोषजनक पाया ।

   बी. बैंक के लेन–देन जोकि हमारे समक्ष आए हैं बैंक के अधिकारों के भीतर ही हैं।

   सी. कार्यालयों एवं शाखाओं तथा बैंक के कार्यालयों से प्राप्त विवरण हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनार्थ पर्याप्त पाए गए हैं।

9. हम आगे रिपोर्ट करना चाहते हैं कि,

   ए. इस रिपोर्ट में प्रदर्शित तुलन पत्र तथा लाभ एवं हानि लेखे बही खातों और विवरणियों के अनुसार हैं।

   बी. बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के खंड 29 के अधीन शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा शाखा कार्यालयों के खातों की रिपोर्ट जो लेखा परीक्षित किये हैं, को हमें भेजे दिए गए हैं और हमने इस रिपोर्ट को तैयार करते समय इसे उचित रूप से जाँच की है।

   सी. हमारी राय में तुलन पत्र, लाभ व हानि लेखा तथा नकदी प्रवाह विवरण प्रयोज्य लेखाकरण मानकों का अनुपालन करते हैं।

कृते जी बालु असोसियेट्स
For G. BALU ASSOCIATES
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
एफआर सं. FR No.000376S

जी बालसुब्रमण्यन
G. BALASUBRAMANYAN
साझेदार Partner
(एम.सं. M. No.7628

कृते पद्मनाभन रमणी और रामानुजम
For PADMANABHAN RAMANI & RAMANUJAM
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
एफआर सं. FR No.002510S

के आर गणेश
K. R. GANESH
साझेदार Partner
(एम.सं. M. No.022439)

कृते प्रकाश चन्द्र जैन एण्ड कंपनी
For PRAKASH CHANDRA JAIN & CO.
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
एफआर सं. FR No.002438C

प्रतिभा शर्मा
PRATIBHA SHARMA
साझेदार Partner
(एम.सं. M. No.400755)

कृते गांधी मिनोचा एण्ड कंपनी
For GANDHI MINOCHA & CO.
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
एफआर सं. FR No.000458N

भुपिन्दर सिंह
BHUPINDER SINGH
साझेदार Partner
(एम.सं. M. No.92867)

कृते पीएएमएस एण्ड एसोसियेट्स
For PAMS & ASSOCIATES
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
एफआर सं. FR No.316079E

सत्यजीत मिश्रा
SATYAJIT MISHRA
साझेदार Partner
(एम.सं. M. No.057293)

स्थान : चेन्नै
Place : Chennai
दिनांक : Date : 25-04-2017

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To
The Members of Indian Bank

Report on Financial Statements

1. We have audited the accompanying financial statements of INDIAN BANK (the "Bank") as at **March 31, 2017** which comprise the Balance Sheet as at **March 31, 2017** and the Profit and Loss Account and the Cash Flow Statement for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information. Incorporated in these financial statements are the returns of **20** branches and the Treasury Branch audited by us and **1447** branches audited by Statutory Branch Auditors and **3** foreign branches audited by the local foreign auditors. The Branches audited by us and those audited by other auditors have been selected by the Bank in accordance with the guidelines issued to the Bank by the Reserve Bank of India. Also incorporated in the Balance Sheet and the Profit & Loss Account are the returns from **1211** branches which have not been subjected to audit. These un-audited branches account for **8.06** per cent of advances, **19.85** per cent of deposits, **5.38** per cent of interest income and **18.99** per cent of interest expenses.

Management's Responsibility for the Financial Statements:

2. Management is responsible for the preparation of these financial statements in accordance with the Banking Regulation Act, 1949, Reserve Bank of India guidelines from time to time and Accounting Standards generally accepted in India. This responsibility includes the design, implementation and maintenance of internal control relevant to the preparation of the financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's Responsibility:

3. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatements.
4. An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgement, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the Bank's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purposes of expressing an opinion on the effectiveness of the Bank's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.
5. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

6. In our opinion, as shown by books of the Bank and to the best of our information and according to the explanations given to us:
   (a) the Balance Sheet, read with the notes thereon is a full and fair Balance Sheet containing all the necessary particulars, is properly drawn up so as to exhibit a true and fair view of state of affairs of the Bank as at March 31, 2017, in conformity with accounting principles generally accepted in India;
   (b) the Profit and Loss Account, read with the notes thereon shows a true balance of profit, in conformity with accounting principles generally accepted in India, for the year covered by the account ; and
   (c) the Cash Flow Statement gives a true and fair view of the cash flows for the year ended on that date.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

7. The Balance Sheet and the Profit and Loss Account have been drawn up in accordance with Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949.

8. Subject to the limitations of the audit indicated in paragraph 1 to 5 above and as required by the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980, and subject also to the limitations of disclosures required therein, we report that:
   a. We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purposes of our audit and have found them to be satisfactory;
   b. The transactions of the Bank, which have come to our notice, have been within the powers of the Bank; and
   c. The returns received from the offices and branches of the Bank have been found adequate for the purposes of our audit.

9. We further report that
   a. The Balance Sheet and Profit and Loss account dealt with by this report are in agreement with the books of account and returns;
   b. The reports on the accounts of the branch offices audited by branch auditors of the Bank under Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 have been sent to us and have been properly dealt with by us in preparing this report;
   c. In our opinion, the Balance Sheet, Profit and Loss Account and Cash Flow Statement comply with the applicable accounting standards.

For G. BALU ASSOCIATES
Chartered Accountants
FR No.000376S

G. BALASUBRAMANYAN
Partner
M. No.7628

For PADMANABHAN RAMANI & RAMANUJAM
Chartered Accountants
FR No. 002510S

K. R. GANESH
Partner
M. No.022439

For PRAKASH CHANDRA JAIN & CO.
Chartered Accountants
FR No.002438C

PRATIBHA SHARMA
Partner
M. No.400755

For GANDHI MINOCHA & CO.
Chartered Accountants
FR No.000458N

BHUPINDER SINGH
Partner
M. No.092867

For PAMS & ASSOCIATES
Chartered Accountants
FR No.316079E

SATYAJIT MISHRA
Partner
M. No.057293

Place : Chennai
Date : 25.04.2017

इस पृष्ठ को जानबूझकर रिक्त रखा गया है।

This page is intentionally left blank

समेकित तुलन पत्र
लाभ एवं हानि लेखा और अनुसूचियाँ

CONSOLIDATED BALANCE SHEET,
PROFIT AND LOSS ACCOUNT AND SCHEDULES

31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित तुलन पत्र
CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS ON MARCH 31, 2017

(₹ करोड़ों में)
(₹ in Crore)

विवरण PARTICULARS	अनुसूची Schedule No.	31.03.2017 को As on 31.03.2017	31.03.2016 को As on 31.03.2016
पूँजी व देयताएं CAPITAL & LIABILITIES			
पूंजी Capital	1	480.29	480.29
आरक्षितियां और अधिशेष Reserves and Surplus	2	16953.55	16009.54
अल्पसंख्यक हित Minority Interest	2A	19.12	17.25
जमाएं Deposits	3	182480.04	178258.92
उधार Borrowings	4	12636.89	3509.32
अन्य देयताएं और प्रावधान Other Liabilities & Provisions	5	5937.55	5665.77
कुल **TOTAL**		**218507.44**	**203941.09**
आस्तियां **ASSETS**			
नकदी और भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ शेष Cash & Balances with Reserve Bank of India	6	5588.70	9174.46
बैंकों के साथ शेष और मांग पर तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धनराशियाँ Balances with Banks and Money at Call and Short Notice	7	4458.54	2825.15
निवेश Investments	8	67781.19	53282.93
अग्रिम Advances	9	127707.71	129055.44
अचल आस्तियां Fixed Assets	10	3446.68	3515.61
अन्य आस्तियां Other Assets	11	9524.62	6087.50
कुल TOTAL		**218507.44**	**203941.09**
आकस्मिक देयताएं Contingent Liabilities	12	**29385.56**	**29775.78**
वसूली के लिए बिल Bills for Collection	-	**3230.56**	**3150.61**

महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां Significant Accounting Policies 17
लेखों पर टिप्पणियाँ Notes on Accounts 18
ऊपर उल्लिखित अनुसूचियाँ, तुलन पत्र के अंभिन्न अंग हैं
Schedules referred to above form an integral part of the Balance Sheet

टी सी वेंकट सुब्रमणियन
T C VENKAT SUBRAMANIAN
गैर–कार्यपालक अध्यक्ष
NON EXECUTIVE CHAIRMAN

किशोर खरात
KISHOR KHARAT
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी
MANAGING DIRECTOR & CEO

ए एस राजीव
A S RAJEEV
कार्यपालक निदेशक
EXECUTIVE DIRECTOR

एम के भट्टाचार्य
M K BHATTACHARYA
कार्यपालक निदेशक
EXECUTIVE DIRECTOR

पी ए कृष्णन
P A KRISHNAN
उप महाप्रबंधक / सीएफओ
DEPUTY GENERAL MANAGER / CFO

निदेशक **DIRECTORS**

जे के दाश **J K DASH**
विजया कुमार गोएल **VIJAY KUMAR GOEL**
पद्मनाभन विट्ठल दास **PADMANABAN VITTAL DASS**
विनोद कुमार नागर **VINOD KUMAR NAGAR**

हमारी सम संख्यक दिनांकित रिपोर्ट संलग्न है

सांविधिक केन्द्रीय लेखा परीक्षक STATUTORY CENTRAL AUDITORS

कृते जी बालु असोसियेट्स
For G. BALU ASSOCIATES
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
एफआर सं. FR No.000376S
जी बालसुब्रमण्यन
G. BALASUBRAMANYAN
साझेदार Partner
(एम.सं. M. No.7628

कृते पद्मनाभन रमणी और रामानुजम
For PADMANABHAN RAMANI & RAMANUJAM
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
एफआर सं. FR No.002510S
के आर गणेश
K. R. GANESH
साझेदार Partner
(एम.सं. M. No.022439)

कृते प्रकाश चन्द्र जैन एण्ड कंपनी
For PRAKASH CHANDRA JAIN & CO.
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
एफआर सं. FR No.002438C
प्रतिभा शर्मा
PRATIBHA SHARMA
साझेदार Partner
(एम.सं. M. No.400755)

कृते गांधी मिनोचा एण्ड कंपनी
For GANDHI MINOCHA & CO.
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
एफआर सं. FR No.000458N
भुपिन्दर सिंह
BHUPINDER SINGH
साझेदार Partner
(एम.सं. M. No.92867)

कृते पीएएमएस एण्ड एसोसियेट्स
For PAMS & ASSOCIATES
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
एफआर सं. FR No.316079E
सत्यजीत मिश्रा
SATYAJIT MISHRA
साझेदार Partner
(एम.सं. M. No.057293)

स्थान : चेन्नै
Place : Chennai
दिनांक : Date : 25-04-2017

31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ व हानि लेखा
CONSOLIDATED PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2017

(₹ करोडों में)
(₹ in Crore)

विवरण PARTICULARS	अनुसूची सं. Schedule No.	31.03.2017 को Y E 31.03.2017	31.03.2016 को Y E 31.03.2016
I. आय : INCOME			
अर्जित ब्याज Interest earned	13	16039.22	16244.27
अन्य आय Other Income	14	2222.40	1788.94
कुल TOTAL		**18261.62**	**18033.21**
II. व्यय EXPENDITURE			
व्यय किया गया ब्याज Interest expended	15	10891.46	11795.38
परिचालनगत व्यय Operating expenses	16	3363.46	3202.13
प्रावधान एवं आकस्मिकतायें Provisions & Contingencies	-	2593.79	2321.18
कुल TOTAL		**16848.71**	**17318.68**
III. वर्ष के लिए समूह से संबंधित समेकित निवल लाभ / (हानि)			
Consolidated Profit/(loss) for the year attributable to the group		1412.91	714.51
सहयोगियों में कमाई की हिस्सेदारी Share of earnings in Associates		42.02	37.73
घटाएँ : अल्प संख्यक हित Less : Minority Interest		1.87	0.97
		1453.06	751.28
अग्रानीत लाभ / (हानि) Profit/(Loss) brought forward		288.83	247.61
कुल निवल लाभ Total Net Profit		**1741.89**	**998.88**
IV. विनियोजन APPROPRIATIONS			
निम्नलिखित को अंतरित : Transfer to :			
सांविधिक प्रारक्षित निधि Statutory Reserves		351.50	177.85
पूँजी रिज़र्व - अन्य Capital Reserves- Others		42.59	22.48
आईटी अधिनियम की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत विशेष रिज़र्व Spl.Reserve u/s 36(1)(viii) of I T Act		49.00	28.02
निवेश रिज़र्व Investment Reserve		-	-
राजस्व रिज़र्व Revenue Reserves		595.00	375.00
स्टाफ कल्याण निधि Staff Welfare Fund		20.00	20.00
प्रस्तावित ईक्विटी लाभांश Proposed Equity Dividend		288.17	72.04
प्रस्तावित अधिमान्य लाभांश Proposed Preference Dividend		0.00	0.00
लाभांश वितरण कर Dividend Distribution Tax		58.67	14.67
समेकित तुलन पत्र को ले जाया गया अधिशेष Balance carried over to consolidated Balance Sheet		336.96	288.83
कुल विनियोजन **Total Appropriations**		**1741.89**	**998.88**
प्रति शेयर अर्जन (मूल एवं कम किया गया) Earnings per Share in Rs. (Basic & diluted)	18	30.25	14.87

महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां Significant Accounting Policies 17
लेखों पर टिप्पणियाँ Notes on Accounts 18
ऊपर उल्लिखित अनुसूचियाँ, तुलन पत्र के अंभिन्न अंग हैं
Schedules referred to above form an integral part of the Balance Sheet

टी सी वेंकट सुब्रमणियन
T C VENKAT SUBRAMANIAN
गैर–कार्यपालक अध्यक्ष
NON EXECUTIVE CHAIRMAN

किशोर खरात
KISHOR KHARAT
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी
MANAGING DIRECTOR & CEO

ए एस राजीव
A S RAJEEV
कार्यपालक निदेशक
EXECUTIVE DIRECTOR

एम के भट्टाचार्य
M K BHATTACHARYA
कार्यपालक निदेशक
EXECUTIVE DIRECTOR

पी ए कृष्णन
P A KRISHNAN
उप महाप्रबंधक / सीएफओ
DEPUTY GENERAL MANAGER / CFO

निदेशक **DIRECTORS**

जे के दाश **J K DASH**
विजया कुमार गोएल **VIJAY KUMAR GOEL**
पद्मनाभन विट्ठल दास **PADMANABAN VITTAL DASS**
विनोद कुमार नागर **VINOD KUMAR NAGAR**

हमारी सम संख्यक दिनांकित रिपोर्ट संलग्न है

सांविधिक केन्द्रीय लेखा परीक्षक STATUTORY CENTRAL AUDITORS

कृते जी बालु असोसियेट्स
For G. BALU ASSOCIATES
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
एफआर सं. FR No.000376S
जी बालसुब्रमण्यन
G. BALASUBRAMANYAN
साझेदार Partner
(एम.सं. M. No.7628

कृते पद्मनाभन रमणी और रामानुजम
For PADMANABHAN RAMANI & RAMANUJAM
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
एफआर सं. FR No.002510S
के आर गणेश
K. R. GANESH
साझेदार Partner
(एम.सं. M. No.022439)

कृते प्रकाश चन्द्र जैन एण्ड कंपनी
For PRAKASH CHANDRA JAIN & CO.
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
एफआर सं. FR No.002438C
प्रतिभा शर्मा
PRATIBHA SHARMA
साझेदार Partner
(एम.सं. M. No.400755)

कृते गांधी मिनोचा एण्ड कंपनी
For GANDHI MINOCHA & CO.
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
एफआर सं. FR No.000458N
भुपिन्दर सिंह
BHUPINDER SINGH
साझेदार Partner
(एम.सं. M. No.92867)

कृते पीएएमएस एण्ड एसोसियेट्स
For PAMS & ASSOCIATES
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
एफआर सं. FR No.316079E
सत्यजीत मिश्रा
SATYAJIT MISHRA
साझेदार Partner
(एम.सं. M. No.057293)

स्थान : चेन्नै
Place : Chennai
दिनांक : Date : 25-04-2017

अनुसूची 1 – पूँजी
SCHEDULE 1 - CAPITAL

(₹ करोड़ों में)
(₹ in Crore)

विवरण PARTICULARS	31.03.2017 को As on 31.03.2017	31.03.2016 को As on 31.03.2016
I. प्राधिकृत पूँजी Authorised Capital		
प्रत्येक ₹ 10/– के 300,00,00,000 ईक्विटी शेयर		
300,00,00,000 Equity Shares of Rs.10/- each	3000.00	3000.00
II. जारी, अभिदत्त और अदा की गई पूंजी Issued, Subscribed and Paid up:		
ए. भारत सरकार द्वारा रखे गए प्रत्येक रुपए 10/– के 39,43,41,651 ईक्विटी शेयर (जिसमें वर्ष के दौरान पीएनसीपीएस के अधिमान्य आधार पर परिवर्तित किए जाने पर जारी 1,54,43,163 ईक्विटी शेयर शामिल हैं) (पिछले वर्ष – रुपए 10/– प्रत्येक के 37,88,98,488 ईक्विटी शेयर शामिल है)		
a. 39,43,41,651 (including 1,54,43,163 Equity shares issued upon conversion of PNCPS on preferential basis) Equity shares of Rs.10/- each held by Government of India (P.Y.-37,88,98,488 Equity shares of Rs. 10/- each)	394.34	394.34
बी. जनता द्वारा रखे गए प्रत्येक ₹ 10/– के 8,59,50,000 ईक्विटी शेयर		
b. 8,59,50,000 Equity shares of Rs.10/- each held by Public	85.95	85.95
कुल Total	**480.29**	**480.29**

अनुसूची 2 – प्रारक्षित निधि व अधिशेष
SCHEDULE 2 - RESERVES AND SURPLUS

(₹ करोड़ों में)
(₹ in Crore)

विवरण PARTICULARS	31.03.2017 को As on 31.03.2017	31.03.2016 को As on 31.03.2016
सांविधिक आरक्षितियां Statutory Reserves	4110.61	3759.11
पूँजीगत आरक्षितियां – पुनर्मूल्यांकन Capital Reserves-Revaluation	2700.42	2781.43
पूँजीगत आरक्षितियां – अन्य Capital Reserve -Others	160.41	117.82
शेयर प्रीमियम Share Premium	1325.68	1325.67
निवेश रिज़र्व Investment Reserve	39.92	39.92
राजस्व और अन्य प्रारक्षित निधियाँ Revenue and other Reserves	7285.49	6696.10
आयकर अधिनियम 36(1) (viii) के अंतर्गत विशेष रिजर्व Spl. Reserve u/s 36(1)(viii) of Income Tax Act	675.52	626.52
आयकर अधिनियम 36(1) (viii ए) के अंतर्गत विशेष रिजर्व Spl. Reserve u/s 36(1)(viii a) of Income Tax Act	58.20	58.20
विदेशी मुद्रा लेनदेन रिजर्व Foreign Currency Translation Reserve	260.34	315.94
लाभ एवं हानि खाता Profit & Loss account	336.96	288.83
कुल **Total**	**16953.55**	**16009.54**

अनुसूची 2ए – अल्पसंख्यक हित
SCHEDULE 2A - MINORITY INTEREST

(₹ करोड़ों में)
(₹ in Crore)

विवरण PARTICULARS	31.03.2017 को As on 31.03.2017	31.03.2016 को As on 31.03.2016
मूल उद्यम – अनुषंगी का संबंध उद्भव होने की तारीख पर अल्प संख्यक हित Minority interest on the date on which the parent-subsidiary relationship came into existence	3.27	3.27
परवर्ती वृद्धि / घटाव Subsequent increase/decrease	15.85	13.98
तुलन पत्र की तारीख पर अल्प संख्यक हित Minority interest on the date of balance sheet	19.12	17.25

अनुसूची 3 – जमाएँ
SCHEDULE 3 - DEPOSITS

(₹ करोड़ों में)
(₹ in Crore)

विवरण PARTICULARS	31.03.2017 को As on 31.03.2017	31.03.2016 को As on 31.03.2016
(ए) I. मांग जमाराशियां A.I. Demand Deposits		
(i) बैंकों से (i) From Banks	510.72	132.43
(ii) अन्यों से (ii) From others	9833.93	9144.98
II. बचत बैंक जमाराशियाँ II. Savings Bank Deposits	57333.86	46481.77
III. सावधि जमाराशियाँ III. Term Deposits		
(i) बैंकों से (i) From Banks	2851.60	2403.83
(ii) अन्यों से (ii) From others	111949.93	120095.90
कुल (I, II और III) Total A (I,II & III)	**182480.04**	**178258.92**
(बी) (i) भारत में शाखाओं की जमाएं B. (i) Deposits of branches in India	177054.78	172624.76
(ii) भारत के बाहर शाखाओं की जमाएं (ii) Deposits of branches outside India	5425.26	5634.16
कुल बी (i और ii) Total B (i & ii)	**182480.04**	**178258.92**

अनुसूची 4 – उधार
SCHEDULE 4 - BORROWINGS

(₹ करोड़ों में)
(₹ in Crore)

विवरण PARTICULARS	31.03.2017 को As on 31.03.2017	31.03.2016 को As on 31.03.2016
I. भारत में उधार I. Borrowings in India		
(i) भारतीय रिज़र्व बैंक (i) RBI	0.00	0.00
(ii) अन्य बैंक (ii) Other Banks	0.01	0.01
(iii) अन्य संस्थाएं और अभिकरण (iii)Other Institutions and Agencies	10420.60	1500.09
II. भारत के बाहर उधार II.Borrowings outside India	2216.27	2009.21
कुल (I और II) Total (I & II)	**12636.89**	**3509.32**
ऊपर I और II में शामिल प्रतिभूत उधार Secured borrowings included in I & II above	शून्य NIL	शून्य NIL

अनुसूची 5 – अन्य देयताएँ और प्रावधान
SCHEDULE 5 - OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS

(₹ करोड़ों में)
(₹ in Crore)

विवरण PARTICULARS	31.03.2017 को As on 31.03.2017	31.03.2016 को As on 31.03.2016
I. देय बिल I. Bills Payable	1097.61	690.12
II. अंतर कार्यालय समायोजन (निवल) II. Inter-Office adjustments(net)	0.00	120.20
III. उपचित ब्याज III. Interest Accrued	925.34	817.23
IV. अन्य (प्रावधानों सहित) IV. Others(including provisions)	3914.60	4038.22
कुल Total	**5937.55**	**5665.77**

अनुसूची 6 भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ नकदी और शेष
SCHEDULE 6 - CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA

(₹ करोड़ों में)
(₹ in Crore)

विवरण PARTICULARS	31.03.2017 को As on 31.03.2017	31.03.2016 को As on 31.03.2016
I. हाथ में नकदी (विदेशी मुद्रा नोटों सहित) I. Cash in hand (including foreign currency notes)	162.35	537.14
II. भारतीय रिज़र्व बैंक में शेष – चालू खाते में II.Balances with Reserve Bank of India - in Current Account	5426.35	8637.32
कुल (I & II) Total (I & II)	**5588.70**	**9174.46**

अनुसूची 7 – बैंकों में शेष और माँग पर तथा अल्प सूचना पर राशि

SCHEDULE 7 - BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE

(₹ करोड़ों में)
(₹ in Crore)

विवरण PARTICULARS	31.03.2017 को As on 31.03.2017	31.03.2016 को As on 31.03.2016
I. भारत में I. In India		
(i) बैंकों में शेष (i) Balances with Banks		
(ए) चालू खातों में (a) in Current Accounts	13.76	10.63
(बी) अन्य जमा खातों में (b) in Other Deposit Accounts	962.25	275.93
(ii) मांग पर तथा अल्प सूचना पर धनराशि (ii) Money at call and short notice		
(ए) बैंकों में (a) with Banks	0.00	0.00
कुल I (i और ii) Total I (i & ii)	**976.01**	**286.56**
II. भारत के बाहर II. Outside India		
(I) चालू खाते में (i) in Current Account	181.00	258.26
(ii) अन्य जमा खातों में (ii) in Other Deposit Accounts	3290.32	2274.04
(iii) माँग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि (iii) Money at call and short notice	11.21	6.29
कुल II Total II	**3482.53**	**2538.59**
कुल योग (I और II) Grand Total (I & II)	**4458.54**	**2825.15**

अनुसूची 8 – निवेश

SCHEDULE 8 - INVESTMENT

(₹ करोड़ों में)
(₹ in Crore)

विवरण PARTICULARS	31.03.2017 को As on 31.03.2017	31.03.2016 को As on 31.03.2016
I. भारत में निवेश I. INVESTMENTS IN INDIA		
सकल निवेश Gross Investments	66213.84	50960.25
घटाएँ : मूल्यह्रास एवं एनपीआई हेतु प्रावधान Less Provsion for Depreciation & NPI	326.38	251.97
	65887.46	**50708.28**
i. सरकारी प्रतिभूतियां i) Government Securities	56587.41	39511.73
ii. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां ii) Other approved Securities	36.27	36.27
iii. शेयर iii) Shares	585.80	389.03
iv. डिबेंचर और बॉंड iv) Debentures and bonds	7863.31	7765.39
v. सहयोगी संस्थाओं में निवेश v) Investment in Associates	273.91	235.70
vi. अन्य vi) Others	540.76	2770.16
कुल : TOTAL	**65887.46**	**50708.28**
II. भारत के बाहर निवेश II. INVESTMENT OUTSIDE INDIA		
सकल निवेश Gross Investments	1983.28	2669.67
घटाएँ : मूल्यह्रास एवं एनपीआई हेतु प्रावधान Less Provsion for Depreciation & NPI	89.55	95.02
	1893.73	**2574.65**
i. सरकारी प्रतिभूतियाँ (स्थानीय प्राधिकारी सहित)		
i) Government Securities (including local authorities)	1889.58	2570.37
ii) सहयोगी संस्थाओं में निवेश ii) Investment in Associates	0.00	0.00
iii) अन्य निवेश (विनिर्दिष्ट करना है) iii) Other investment (to be specified)		
ए शेयर (a) Shares	1.45	1.39
बी ऋण प्रतिभूतियाँ (b) Debt Securities	2.71	2.89
कुल TOTAL	**1893.73**	**2574.65**
निवल कुल योग (I व II) NET GRAND TOTAL (I & II)	**67781.19**	**53282.93**

अनुसूची 9 – अग्रिम
SCHEDULE 9 - ADVANCES

(₹ करोड़ों में)
(₹ in Crore)

विवरण PARTICULARS	31.03.2017 को As on 31.03.2017	31.03.2016 को As on 31.03.2016
ए. i) क्रय किए गए एवं बट्टाकृत बिल A. (i) Bills Purchased and discounted	1386.95	1473.11
(ii) नकद उधार, आवेर ड्राफ़्ट और मांग पर देय उधार		
(ii) Cash credits, overdrafts and loans repayable on demand	60609.34	66024.63
(iii) सावधि उधार (iii)Term Loans	65711.42	61557.45
(iv) अन्य (iv) Others	0.00	0.24
कुल (ए) Total (A)	**127707.71**	**129055.44**
बी. i) मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत (इसमें बही ऋणों पर अग्रिम शामिल हैं)		
B. (i) Secured by tangible assets(includes advances against book debts)	99652.68	103254.61
(ii) बैंक/सरकार गारंटियों द्वारा संरक्षित (ii) Covered by Bank / Government Guarantees	4193.24	6296.84
(iii) अप्रतिभूत (iii) Unsecured	23861.79	19503.98
कुल (बी) Total (B)	**127707.71**	**129055.44**
सी. I भारत में अग्रिम C. I. Advances in India		
(I) प्राथमिकता क्षेत्र (i) Priority Sector	53765.18	46490.64
(ii) सार्वजनिक क्षेत्र (ii) Public Sector	17704.64	21927.01
(iii) बैंक (iii) Banks	0.00	0.00
(iv) अन्य (iv) Others	50648.98	55468.28
कुल (सी–I) Total (C-I)	**122118.80**	**123885.93**
सी (II) भारत के बाहर अग्रिम C. II.Advances outside India		
(I) बैंकों से देय (i) Due from Banks	669.17	665.99
(ii) अन्यों से देय (ii)Due from Others		
(क) क्रय किए गए एवं बट्टाकृत बिल (a) Bills Purchased & discounted	888.84	1031.55
(ख) सामूहिक ऋण (b) Syndicated Loans	2462.58	1374.84
(ग) अन्य (c) Others	1568.32	2097.12
कुल (सी – II) Total (C-II)	**5588.90**	**5169.51**
कुल योग (सी I + सी II) Total (C-I+C-II)	**127707.71**	**129055.44**

अनुसूची 10 – स्थाई आस्तियाँ
SCHEDULE 10 - FIXED ASSETS

(₹ करोड़ों में)
(₹ in Crore)

विवरण PARTICULARS	31.03.2017 को As on 31.03.2017	31.03.2016 को As on 31.03.2016
परिसर I. Premises		
पूर्ववर्ती तुलन–पत्रानुसार लागत/पुनर्मूल्यांकन पर At cost/revaluation as per last Balance Sheet	3428.59	2846.40
वर्ष के दौरान जोड/समायोजन Additions / adjustments during the year	-3.13	587.47
वर्ष के दौरान घटाव Deductions during the year	1.57	0.43
उक्त तारीख तक मूल्यह्रास Depreciation to date	551.77	470.43
निवल मूल्य Net Value	**2872.12**	**2963.01**
I ए. निर्माणाधीन परिसर IA.Premises under Construction	**10.64**	**7.90**
II. अन्य अचल आस्तियां (फ़र्निचर/फ़िक्सचर सहित) II. Other Fixed Assets(including furniture & fixtures)		
पूर्ववर्ती वर्ष के तुलन पत्र के अनुसार लागत पर At cost as per last Balance Sheet	1562.51	1416.56
वर्ष के दौरान जोड़ Additions during the year	181.30	192.71
वर्ष के दौरान घटाव Deductions during the year	35.66	51.58
उक्त तारीख तक मूल्यह्रास Depreciation to date	1144.23	1012.99
निवल मूल्य Net Value	**563.92**	**544.70**
II(ए) पट्टाकृत आस्तियाँ IIA.Leased Assets		
पूर्ववर्ती तुलन पत्र के अनुसार लागत पर At cost as per last Balance Sheet	0.00	17.39
वर्ष के दौरान जोड़ Additions during the year	0.00	0.00
प्रावधान को सम्मिलित करते हुए वर्ष के दौरान घटाव Deductions during the year including provisions	0.00	0.00
उक्त तारीख तक मूल्यह्रास Depreciation to date	0.00	17.39
निवल मूल्य Net Value	**0.00**	**0.00**
कुल : (I, I(ए), IIव II(ए) Total (I,IA,II,&IIA)	**3446.68**	**3515.61**

अनुसूची 11 – अन्य आस्तियाँ
SCHEDULE 11 - OTHER ASSETS

(₹ करोड़ों में)
(₹ in Crore)

विवरण PARTICULARS	31.03.2017 को As on 31.03.2017	31.03.2016 को As on 31.03.2016
I. अंतर कार्यालय समायोजन (निवल) I. Inter Office Adjustment (net)	2132.85	0.00
II. उपचित ब्याज II. Interest accrued	1244.02	989.04
III. अग्रिम रूप से प्रदत्त कर / स्रोत पर काटा गया कर III. Tax paid in advance/tax deducted at source	2967.37	2686.19
IV. लेखन सामग्री एवं स्टांप IV. Stationery and stamps	16.60	16.49
V. दावों की संतुष्टि से प्राप्त की गयी ग़ैर बैंककारी आस्तियाँ V. Non-banking assets acquired in satisfaction of claims	20.26	20.26
VI. आस्थगित कर आस्तियाँ (निवल) VI. Deferred Tax assets (Net)	4.22	4.22
अन्य VI.Others	3139.30	2371.31
कुल Total	**9524.62**	**6087.50**

अनुसूची 12 – आकस्मिक देयताएँ
SCHEDULE 12 - CONTINGENT LIABILITIES

(₹ करोड़ों में)
(₹ in Crore)

विवरण PARTICULARS	31.03.2017 को As on 31.03.2017	31.03.2016 को As on 31.03.2016
I. बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है (निवल) I. Claims against the Bank not acknowledged as debts (Net)	486.55	647.24
II. अंशतः प्रदत्त निवेशों के लिए दायित्व II. Liability for partly paid Investments	7.37	8.26
III. बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के बाबत दायित्व III. Liability on account of outstanding forward exchange contracts	8015.32	11587.06
IV. संघटकों की ओर से दी गई गारंटियां IV. Guarantees given on behalf of constituents		
ए. भारत में (a)In India	10035.46	9536.82
बी. भारत के बाहर (b)Outside India	119.15	17.91
V. स्वीकृतियां, पृष्ठांकन और अन्य दायित्व V. Acceptances, endorsements and other obligations	7501.06	5186.49
VI. अन्य मदें जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है VI.Other items for which the bank is contingently liable	3220.66	2792.00
कुल Total	**29385.56**	**29775.78**

अनुसूची 13 – अर्जित ब्याज
SCHEDULE 13 - INTEREST EARNED

(₹ करोड़ों में)
(₹ in Crore)

विवरण PARTICULARS	31.03.2017 को समाप्त वर्ष Y E 31.03.2017	31.03.2016 को समाप्त वर्ष Y E 31.03.2016
I. अग्रिमों / बिलों पर ब्याज /बट्टा I. Interest/discount on advances/bills	11461.18	11924.44
II. निवेशों पर आय II. Income on Investments	4423.95	4153.50
III. भारतीय रिज़र्व बैंक के पास अतिशेष और अन्य अंतर बैंक निधियों पर ब्याज III. Interest on balances with Reserve Bank of India and other inter-bank funds	125.59	145.98
IV. अन्य IV. Others	28.50	20.34
कुल Total	**16039.22**	**16244.27**

अनुसूची 14 – अन्य आय
SCHEDULE 14 - OTHER INCOME

(₹ करोड़ों में)
(₹ in Crore)

विवरण PARTICULARS	31.03.2017 को समाप्त वर्ष Y E 31.03.2017	31.03.2016 को समाप्त वर्ष Y E 31.03.2016
I. कमीशन, विनिमय और दलाली I. Commission , exchange and brokerage	287.27	287.54
II. निवेशों के विक्रय पर लाभ (निवल) II. Profit on sale of Investments (net)	871.93	306.96
III. निवेशों के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ (निवल) III Profit on Revaluation of Investments (net)	0.00	0.00
IV. भूमि, भवन और अन्य आस्तियों के विक्रय पर लाभ (निवल) IV. Profit on sale of land, buildings and other assets (Net)	-1.03	-1.90
V. विनिमय संव्यवहारों पर लाभ (निवल) V. Profit on exchange transactions (net)	230.51	297.31
VI.ए) पट्टा–वित्त / किराया खरीद से आय VI. a) Lease finance / Hire Purchase inome	0.00	0.12
बी) विदेश / भारत में अनुषंगियों / कंपनियों तथा / या सह उद्यमों से लाभांश आदि के ज़रिए अर्जित आय b) Income earned by way of dividends etc. from companies and/ or joint ventures abroad/ in India	13.93	18.08
VII. विविध आय VII. Miscellaneous Income	819.79	880.81
कुल **Total**	**2222.40**	**1788.94**

अनुसूची 15 – व्यय किया गया ब्याज
SCHEDULE 15 - INTEREST EXPENDED

(₹ करोड़ों में)
(₹ in Crore)

विवरण PARTICULARS	31.03.2017 को समाप्त वर्ष Y E 31.03.2017	31.03.2016 को समाप्त वर्ष Y E 31.03.2016
I. जमाओं पर ब्याज I. Interest on deposits	10554.66	11545.10
II. भारतीय रिज़र्व बैंक / अंतर बैंक उधारों पर ब्याज II. Interest on Reserve Bank of India/inter-bank borrowings	275.23	235.21
III. अन्य III. Others	61.57	15.07
कुल **Total**	**10891.46**	**11795.38**

अनुसूची 16 – प्रचालन व्यय
SCHEDULE 16 - OPERATING EXPENSES

(₹ करोड़ों में)
(₹ in Crore)

विवरण PARTICULARS	31.03.2017 को समाप्त वर्ष Y E 31.03.2017	31.03.2016 को समाप्त वर्ष Y E 31.03.2016
I. कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान I. Payments to and provisions for employees	1995.36	2010.26
II. किराया, कर और रोशनी II. Rent, taxes and lighting	300.64	265.09
III. मुद्रण और लेखन सामग्री III. Printing and stationery	29.69	28.55
IV. विज्ञापन और प्रचार IV. Advertisement and publicity	7.36	8.15
V. ए) पट्टाकृत आस्तियों से अन्य बैंक की संपत्तियों पर मूल्यह्रास V. (a) Depreciation on Bank's property other than Leased Assets	166.24	151.19
बी) पट्टाकृत आस्तियों पर मूल्यह्रास (b) Depreciation on Leased Assets	0.00	0.12
VI. निदेशकों की फीस, भत्ते और व्यय VI. Directors' fees, allowances and expenses	0.84	0.87
VII. लेखा परीक्षकों की फीस और व्यय (शाखा लेखा परीक्षकों की फीस और व्यय सहित) VII. Auditors' fees and expenses (including branch auditors' fees and expenses)	29.31	26.50
VIII. विधि प्रभार VIII. Law charges	8.13	9.26
IX. डाक, तार और टेलीफोन आदि IX. Postage, telegrams, telephones, etc.	41.02	24.89
X. मरम्मत और अनुरक्षण X. Repairs and maintenance	93.60	73.06
XI. बीमा XI. Insurance	191.00	162.48
XII. अन्य व्यय XII. Other expenditure	500.27	441.70
कुल **Total**	**3363.46**	**3202.13**

अनुसूची 17

मुख्य लेखांकन नीतियाँ
(समेकित लेखे 2016-17)

1 लेखांकन प्रथा :

वित्तीय विवरणों को अन्यथा न बताये जाने पर ऐतिहासिक लागत प्रथा पर क्रियाशील संस्था संकल्पना का अनुपालन करते हुए तैयार किया जाता है। यह भारत में प्रचलित सांविधिक सिद्धांतों के अनुरूप है जिसमें सांविधिक प्रावधान, विनियामक/भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देश, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानकों/मार्गदर्शन नोट्स और भारत के बैंकिंग उद्योग में प्रचलित प्रथाएं शामिल हैं। विदेशी शाखाओं के संबंध में संबंधित देशों में प्रचलित सांविधिक प्रावधानों के अनुरूप है।

2. प्राक्कलन का प्रयोग

वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए, रिपोर्टिंग अवधि हेतु वित्तीय विवरणियों की तारीख पर दर्ज आस्तियों एवं देयताओं (आकस्मिक देयताओं सहित) तथा आय एवं व्यय पर विचार करने हेतु प्रबंधन को प्राक्कलन तैयार करने और पूर्वानुमान करने की आवश्यकता होती है। प्रबंधन, यह विश्वास रखता है कि वित्तीय विवरणियों की तैयारी में इस्तेमाल किये गये प्राक्कलन विवेकी और उचित हैं।

3 समेकन की प्रक्रिया :

ए बैंक के (मूल संस्था एवं उसकी अनुषंगियां) समेकित वित्तीय विवरण, इंडियन बैंक (मूल संस्था) और उसकी अनुषंगियां, यथा (1) इंड बैंक हाउसिंग लिमिटेड (2) इंड बैंक मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज़ लिमिटेड, के लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों के आधार पर, अंतर समूह लेनदेनों को एवं प्राप्त न किए गए लाभ /हानियों को छोड़ने के बाद यथावश्यक समायोजन करके तैयार किये गये हैं। मूल संस्था की रिपोर्टिंग तारीख तक अनुषंगियों के वित्तीय विवरण भी बनाए गए हैं।

बी अनुषंगियां और सहयोगी संस्थाएं, संबंधित विनियामक प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित एवं सांविधिक अपेक्षाओं के अनुसार लेखाकरण नीतियों का अनुपालन करती हैं। अनुपालनार्थ अपेक्षित ऐसी विभिन्न लेखाकरण नीतियों के मद्देनजर, अधिदेश/सांविधिक अपेक्षाओं के अनुरूप संबंधित लेखाकरण नीतियों को अपनाते हुए समेकित वित्तीय विवरण तैयार किए गए हैं।

सी मूल संस्था को आनुषंगिक संस्था में निवेश के लिए हुई लागत और अर्जन की तारीख को अनुषंगी संस्था में मूल संस्था की ईक्विटी में अंतर को वित्तीय विवरण में पूंजी रिज़र्व/गुडविल के रूप में लिया जाता है। अर्जन के बाद के लाभ/हानियों में मूल संस्था के शेयर का समायोजन, राजस्व रिज़र्व के साथ किया जाता है ।

डी परिचालन के निवल परिणाम और अनुषंगी संस्था की संपत्ति में अल्प संख्यक के हक से लाभ एवं निवल संपत्तियों का वह अंश द्योतित है जो अल्पसंख्यकों को देय है।

ई एसोसियेटस में निवेश का हिसाब, एसोसियेटस के लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों के आधार पर आईसीएआई द्वारा जारी लेखाकरण मानक–23 (एएस–23) समेकित वित्तीय विवरणों में एसोसियेटस में निवेश के लिए लेखांकन के अनुसार ईक्विटी पद्धति के तहत किया जाता है।

4 विदेशी विनिमय से संबंधित लेनदेन

मूल संस्था

4.1 भारतीय परिचालनों और ग़ैर समाकलित विदेशी परिचालन के विदेशी मुद्रा लेनदेनों का लेखांकन, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखाकरण मानक – 11 (एएस – 11) के अनुसार किया जाता है।

4.2 भारतीय परिचालनों के मामले में परिवर्तन

4.2.1. विदेशी मुद्रा डीलर असोसिएशन आफ़ इंडिया (फ़ेडाय) द्वारा अधिसूचित साप्ताहिक औसत दर (डबल्यूएआर) पर विदेशी विनिमय लेनदेन दर्ज किए जाते हैं।

4.2.2. विदेशी मुद्रा में आस्तियों एवं देयताओं का परिवर्तन, वर्षांत पर फ़ेडाय द्वारा अधिसूचित समापन दरों पर किया जाता है।

4.2.3. विदेशी मुद्रा में स्वीकृतियां, पृष्ठांकन और अन्य बाध्यताएं और गारंटियों को वर्षांत पर फ़ेडाय द्वारा अधिसूचित समापन दरों पर रखा जाता है।

4.2.4. वित्तीय वर्ष के अंत में विदेशी मुद्रा में रखी गयी आस्तियों एवं देयताओं के निपटान एवं परिवर्तन से उठनेवाले विनिमय अंतर को, उस वर्ष में ही आय या व्यय के रूप में पहचाना जाता है, जब वे उत्पन्न होते हैं।

4.2.5. बकाया वायदा विनिमय दरों का प्रकटीकरण संविदागत दरों से किया जाता है तथा फ़ेडाय की समापन दरों पर उनका पुनर्मूल्यांकन किया जाता है एवं उसके परिणाम की पहचान, लाभ व हानि लेखे के ज़रिए की जाती है।

4.3 ग़ैर– समाकलित विदेशी परिचालनों के संबंध में परिवर्तन

विदेशी शाखाओं का वर्गीकरण, ग़ैर समाकलित विदेशी परिचालन के रूप में किया गया है और वित्तीय विवरणों का परिवर्तन निम्नप्रकार किया जाता है :

4.3.1. आकस्मिक देयताएं सहित आस्तियों एवं देयताओं का परिवर्तन फ़ेडाय द्वारा वर्षांत में अधिसूचित दरों पर किया जाता है।

SCHEDULE - 17

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(Consolidated Accounts 2016-17)

1. ACCOUNTING CONVENTION

The financial statements are prepared by following the going concern concept on historical cost convention unless otherwise stated. They conform to generally accepted accounting principles in India, which comprises statutory provisions, regulatory / Reserve Bank of India guidelines, accounting standards / guidance notes issued by the Institute of Chartered Accountants of India and the practices prevalent in the Banking Industry in India; in respect of foreign branches as per statutory provisions and practices prevailing in the respective countries.

2. USE OF ESTIMATES

The preparation of financial statements requires the management to make estimates and assumptions for considering the reported assets and liabilities (including contingent liabilities) as on the date of financial statements and the income and expenses for the reporting period. Management believes that the estimates used in the preparation of the financial statements are prudent and reasonable.

3. CONSOLIDATION PROCEDURE

a. Consolidated financial statements of the "Bank" (parent and its subsidiaries) have been prepared on the basis of audited financial statements of Indian Bank (parent) and unaudited financial statements of its subsidiaries viz. (1) Ind Bank Housing Ltd, (2) Indbank Merchant Banking Services Ltd. after eliminating intra group transactions and unrealized profit/losses and making necessary adjustments. The financial statements of the subsidiaries are drawn up to the same reporting date of the parent.

b. The Subsidiaries and Associates follow Accounting Policies as prescribed by the respective regulatory authorities and as per statutory requirements. In view of such diverse accounting policies required to be followed, the consolidated financial statements have been prepared by adopting the respective accounting policies of the mandated / statutory requirements.

c. The difference between the cost to the parent of its investment in subsidiary entity and the parents portion of its equity in the subsidiary with reference to the date of acquisition is recognized in the consolidated financial statement as Capital Reserve/Goodwill. The parent's share in the post acquisition profits/losses is adjusted against the Revenue Reserve.

d. The minority interests in the net result of the operation and the asset of the subsidiary, represent that part of profit and the net asset attributable to the minorities.

e. Investments in Associates are accounted for under the Equity Method as per Accounting Standard -23 (AS - 23) - "Accounting for Investments in Associates in Consolidated Financial Statements" issued by ICAI based on the audited Financial Statements of the Associates.

4. TRANSACTIONS INVOLVING FOREIGN EXCHANGE

PARENT

4.1 Foreign Currency transactions of Indian operations and non-integral foreign operations are accounted for as per Accounting Standard-11 (AS-11) issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI).

4.2 Translation in respect of Indian operations :

4.2.1 Foreign exchange transactions are recorded at the Weekly Average Rate (WAR) notified by Foreign Exchange Dealers Association of India (FEDAI).

4.2.2 Foreign currency assets and liabilities are translated at the closing rates notified by FEDAI at the year end.

4.2.3 Acceptances, endorsements and other obligations and guarantees in foreign currency are carried at the closing rates notified by FEDAI at the year end.

4.2.4 Exchange differences arising on settlement and translation of foreign currency assets and liabilities at the end of the financial year are recognized as income or expenses in the period in which they arise.

4.2.5 Outstanding forward exchange contracts are disclosed at the contracted rates, and revalued at FEDAI closing rates, and the resultant effect is recognized in the Profit and Loss account.

4.3 **Translation in respect of non-integral foreign operations.**

Foreign branches are classified as non-integral foreign operations and the financial statements are translated as follows:

4.3.1 Assets and liabilities including contingent liabilities are translated at the closing rates notified by FEDAI at the year end.

4.3.2 आय एवं व्यय का परिवर्तन फ़ेडाय द्वारा संबंधित तिमाही के अंत पर अधिसूचित तिमाही औसत समापन दर पर किया जाता है।

4.3.3 निवल निवेशों के निपटान तक उठनेवाले सभी विनिमय अंतर को ''विनिमय उतार–चढ़ाव निधि'' (एफसीटीआर) नामक पृथक निधि में उपचित रखा जाता है।

5. निवेश

5.1 मूल संस्था :

5.1.1 बैंक के निवेश संविभाग को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार निम्नलिखित तीन प्रवर्गों में वर्गीकृत किया गया है :

- परिपक्वता तक रखे गए (एचटीएम)
- बिक्री हेतु उपलब्ध (एएफएस)
- व्यापार के लिए रखे गए (एचएफटी)

परिपक्वता तक रोक रखने के आशय के साथ प्राप्त की गई प्रतिभूतियों को ''एचटीएम'' प्रवर्ग के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। अल्पावधि के मूल्य/ब्याज दर में उतार–चढ़ाव से लाभ उठाकर व्यापार करने के आशय के साथ प्राप्त की गई प्रतिभूतियों को ''एचएफटी'' प्रवर्ग में वर्गीकृत किया गया है। अन्य सभी प्रतिभूतियाँ जो उपर्युक्त दोनों प्रवर्गों में नहीं आती हैं, उन्हें, ''एएफएस'' प्रवर्ग में वर्गीकृत किया गया है।

एक निवेश को उसकी खरीद / अर्जन के समय पर ही, परिपक्वता तक धारित, बिक्री के लिए उपलब्ध अथवा व्यापार के लिए उपलब्ध के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और तदनन्तर नियामक दिशानिर्देशों के अनुरूप उनका अंतरण किया जाता है। एक वर्ग से दूसरे वर्ग को शेयरों का अंतरण, यदि कोई है, अंतरण की तारीख पर अर्जन लागत / बही मूल्य / बाजार मूल्य में से न्यूनतम मूल्य पर किया जाता है, और ऐसे अंतरण के लिए मूल्यह्रास हेतु पूर्ण प्रावधान किया जाता है।

अनुषंगियों और एसोसियेट्स में निवेश को परिपक्वता तक धारित के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

5.1.2 एचटीएम प्रवर्ग में रखी गयी प्रतिभूतियों की बिक्री पर प्राप्त लाभ को पहले लाभ व हानि लेखे में लिया जाता है और बाद में पूंजी प्रारक्षिती लेखे में विनियोजित किया जाता है तथा हानि, यदि हो, को लाभ व हानि लेखे में प्रभारित किया जाता है :

5.1.3 भारत में निवेशों का मूल्यांकन भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के समनुरूप निम्नानुसार किया जाता है :

ए) ''एचटीएम'' प्रवर्ग में प्रतिभूतियों का मूल्यांकन अर्जन की लागत पर किया जाता है सिवाय उन मामलों में जहां अंकित मूल्य से अर्जन लागत अधिक होती हो, वैसे मामले में, अंकित मूल्य पर अर्जन लागत की ऐसी अधिकता को परिपक्वता की बकाया अवधि में परिशोधित किया जाता हे। अनुषंगियों / संयुक्त उद्यमों में, जिन्हें एचटीएम प्रवर्ग में शामिल किया गया है, निवेशों के मूल्य में, अस्थाई प्रकृति के अलावा किसी अन्य ह्रास की पहचान की जाती है और उनके लिए प्रावधान किया जाता है। ऐसे ह्रास का निर्धारण और इसके लिए प्रावधान प्रत्येक निवेश हेतु अलग से किया जा रहा है। 23.08.2006 के बाद किये गये जोखिम पूंजी निधियों (वीसीएफ) के यूनिटों में निवेश, 3 सालों की प्रारंभिक अवधि के लिए एचटीएम श्रेणी में वर्गीकृत होते है एवं इनका लागत पर मूल्यांकन किया जाता है।

बी) अनुषंगी संस्थाओं, संयुक्त उपक्रमों और सहयोगी संस्थाओं में निवेश का मूल्यांकन, परंपरागत लागत पर किया जाता है। प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में निवेश का मूल्यांकन, वहन लागत (अर्थात् बही मूल्य) पर किया जाता है।

सी) ''एएफस'' प्रवर्ग में निवेशों का मूल्यांकन, बाज़ार मूल्य पर, तिमाही अंतराल पर स्क्रिपवार तथा वर्गीकरणवार किया जाता है। यदि कोई निवल मूल्यह्रास हो, तो उसे लाभ–हानि लेखे में शामिल किया जाता है, जबकि किसी निवल मूल्यवृद्धि होने पर उसकी उपेक्षा कर दी जाती हे। इस प्रवर्ग में बाज़ार को अंकित करने के बाद वैयक्तिक प्रतिभूतियों के बही मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है।

डी) ''एचएफटी'' प्रवर्ग में रखी गई वैयक्तिक प्रतिभूतियों को दैनिक अंतराल पर बाज़ार को अंकित किया जाता है। निवल मूल्यह्रास, यदि कोई हो, तो लाभ व हानि लेखे में उसका प्रावधान किया जाता है जबकि निवल मूल्यवृद्धि, यदि कोई हो, उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। इस प्रवर्ग में वैयक्तिक प्रतिभूतियों के बही मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं होता है।

ई) ''एएफएस'' एवं ''एचएफटी'' प्रवर्गों में प्रतिभूतियों का मूल्यांकन निम्नवत् किया गया है :

i) प्राइमेरी डीलर्स एसोसिएशन आफ़ इंडिया (पीडीएआई) और फ़िक्स्ड इन्कम मनी मार्केट और डिराइवेटिव्स एसोसिएशन आफ़ इंडिया (एफ़आईएमएमडीए) द्वारा संयुक्त रूप से घोषित किए गए अनुसार केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों का मूल्यांकन, मूल्य पर / वाईटीएम दरों पर किया जाता है।

ii) राज्य सरकार और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों का मूल्यांकन, वाईटीएम पद्धति को लागू करते हुए और पीडीएआई/एफ़आईएमएमडीए द्वारा रखी गई समतुल्य परिपक्वता की केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों के प्रतिफ़ल से 25 बेसिस प्वाइंट बढ़ाते हुए आवधिक रूप से किया जाता है।

iii) कोट होने पर ईक्विटी शेयरों का मूल्यांकन बाज़ार मूल्य पर किया जाता है। कोट न होनेवाले ईक्विटी शेयरों को उनके ब्रेक–अप मूल्य पर (पूनर्मूल्यन रिज़र्व, यदि हो, उस पर ध्यान दिए बिना), कंपनी के नवीनतम तुलनपत्र (मूल्यन की तारीख से एक वर्ष के पहले का न हो), के आधार पर मूल्यांकित किया जाता है। अन्यथा शेयरों का मूल्यांकन प्रति कंपनी एक रुपया के अनुसार किया जाता है।

iv) कोट होने पर अधिमान्य शेयरों का मूल्यांकन बाज़ार मूल्य पर किया जाता है; अन्यथा समुचित वाईटीएम दरों अथवा पुनः शोधन मूल्य के आधार पर निर्धारित मूल्य, दोनों में से जो भी कम हो, उस मूल्य पर किया जाता है।

V) अग्रिमों के रूप में रहे डिबेंचरों तथा बांडों के अलावा, सभी डिबेंचरों तथा बांडों का मूल्यांकन वाईटीएम आधार पर किया जाता है।

vi) राजकोष बिलों, जमा प्रमाण पत्रों तथा वाणिज्यिक कागज़ातों का मूल्यांकन उनकी रखाव लागत पर किया जाता है।

vii) कोट होने पर म्यूचुअल फ़ंडों की यूनिटों का मूल्यांकन बाज़ार मूल्य पर किया जाता है; अन्यथा पुनः खरीद मूल्य अथवा

4.3.2 Income and expenses are translated at the Quarterly Average Closing rate notified by FEDAI at the end of the respective quarter.

4.3.3 All resulting exchange differences are accumulated in a separate account "Foreign Currency Translation Reserve" (FCTR) till the disposal of the net investments.

5 INVESTMENTS

5.1 PARENT

5.1.1 The entire investment portfolio of the Bank is classified in accordance with the RBI guidelines into three categories viz.

- Held To Maturity (HTM)
- Available For Sale (AFS)
- Held For Trading (HFT)

The securities acquired with the intention to be held till maturity are classified under "HTM" category. The securities acquired with the intention to trade by taking advantage of short-term price / interest movements are classified as "HFT". All other securities which do not fall under any of the two categories are classified under "AFS" category.

An investment is classified as Held to Maturity, Available for Sale or Held for Trading at the time of its purchase/acquisition and subsequent shifting is done in conformity with the Regulatory guidelines. Transfer of scrips, if any, from one category to another is done at the lowest of acquisition cost/book value/market value on the date of transfer and depreciation, if any, on such transfer is fully provided for.

Investment in Subsidiaries and Associates are classified as Held to Maturity.

5.1.2 Profit on sale of securities under HTM category is first taken to Profit and Loss account and thereafter appropriated to Capital Reserve account (net of taxes and amount required to be transferred to statutory reserves) and loss, if any, charged to Profit & Loss account.

5.1.3 Investments in India are valued in accordance with RBI guidelines, as under:

a) Securities in HTM category are valued at acquisition cost except where the acquisition cost is higher than the face value, in which case, such excess of acquisition cost over the face value is amortised over the remaining period of maturity. Any diminution, other than temporary, in value of investments in subsidiaries / joint ventures / Associates which are included under HTM category is recognized and provided. Such diminution is being determined and provided for each investment individually. Investment in units of Venture Capital funds (VCF) made after 23.08.2006 are classified under HTM category for initial period of 3 years and valued at cost.

b) Investment in Subsidiaries, Joint Ventures and Associates are valued at historical cost. Investment in sponsored Regional Rural Banks (RRB) are valued at carrying cost (i.e. Book value).

c) Investments in AFS category are marked to market, scrip-wise and classification wise, at quarterly intervals. Net depreciation, if any, is provided for in the Profit and Loss account while net appreciation, if any, is ignored. The book value of the individual securities does not undergo any change after marking to market.

d) The individual scripts in the HFT category are marked to market at daily intervals. Net depreciation, if any, is provided for in the Profit and Loss account while net appreciation, if any, is ignored. The Book Value of the individual securities in this category does not undergo any change.

e) Securities in AFS and HFT categories are valued as under:

i. Central Government Securities are valued at prices / YTM rates as announced by Primary Dealers Association of India (PDAI) jointly with Fixed Income Money Market and Derivatives Association of India (FIMMDA).

ii. State Government and Other approved securities are valued applying the YTM method by marking up 25 basis points above the yields of the Central Government Securities of equivalent maturity put out by PDAI / FIMMDA periodically.

iii. Equity shares are valued at market price, if quoted. Unquoted equity shares are valued at break-up value (without considering revaluation reserves if any) as per the company's latest balance sheet (not more than one year prior to the date of valuation). Otherwise, the shares are valued at Re. 1 per company.

iv. Preference shares are valued at market price, if quoted; otherwise at lower of the value determined based on the appropriate YTM rates or redemption value.

v. All debentures/bonds, other than those which are in the nature of advances, are valued on the YTM basis.

vi. Treasury bills, Certificate of deposits and Commercial papers are valued at carrying cost.

vii. Units of Mutual Funds are valued at market price, if quoted; otherwise at lower of repurchase price or Net Asset Value (NAV).

निवल आस्ति मूल्य (एनएवी) दोनों में जो भी कम हो, उस मूल्य पर किया जाता है। यदि निधियां लॉक–इन अवधि में हैं, जहां पुनःखरीदी मूल्य/बाज़ार कोट उपलब्ध नहीं हो तो, यूनिटों का मूल्यांकन एनएवी पर अथवा लॉक–इन अवधि की समाप्ति तक की लागत पर किया जाता है।

viii) 23.08.2006 के बाद किये गये जोखिम पूंजी निधियों (वीसीएफ) के यूनिटों में निवेश, 3 सालों की प्रारंभिक अवधि के लिए एचटीएम श्रेणी में वर्गीकृत होते है एवं इनका लागत पर मूल्यांकन किया जाता है। संवितरण की तारीख से 3 सालों के समय के बाद, यह एएफएस में परिवर्तित किया जाएगा और भा.रि.बैं.के दिशानिर्देशों के अनुसार बाजार के लिए अंकित किया जाएगा।

5.1.4. विदेशी शाखाओं के निवेश के संबंध में, भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देश या मेजबानी देश के दिशानिर्देश, जो भी ज्यादा कठोर हैं, का पालन किया जाएगा। ऐसे देशों में स्थित शाखाओं के मामले में, जहाँ कोई दिशानिर्देश विनिर्दिष्ट नहीं किए गए हैं, भारिबैंक के दिशानिर्देशों का पालन किया जाए।

5.1.5. भारिबैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार अनर्जक निवेश (एनपीआई) की पहचान निम्नलिखित रूप में किया गया है :

ए) प्रतिभूतियां / गैर संचयी अधिमान शेयर जहाँ ब्याज / नियत लाभांश / किस्त (परिपक्वता संप्राप्तियाँ सहित) देय हैं और 90 दिन से ज्यादा अवधि के लिए अदत्त है।

बी) यदि जारीकर्ता द्वारा बैंक से लाभ उठायी गयी कोई क्रेडिट सुविधा अनर्जक अग्रिम है, तो उसी जारीकर्ता द्वारा जारी प्रतिभूतियों में निवेश को भी एनपीआई माना जाएगा।

5.1.6 प्रतिभूतियों की लागत में से दलाली/कमीशन/अंशदानों पर प्राप्त प्रोत्साहन को घटा दिया जाता है। प्रतिभूतियों के अर्जन के संबंध में अदा की गयी दलाली/कमीशन/स्टांप शुल्क को राजस्व व्यय माना जाता है।

5.1.7 व्यापार के लिए ब्याज दर स्वैप लेनदेनों को तिमाही आधार पर बाज़ार को अंकित किए जाते हैं। कुल अदला–बदलियों के उचित मूल्य का आकलन, तुलन–पत्र की तारीख पर अदला–बदली करारों को समाप्त किए जाने पर प्राप्त/प्राप्य या प्रदत्त/प्रदेय राशि के आधार पर किया जाएगा। इससे होनेवाली हानियों के लिए पूर्ण प्रावधान किया गया है, जबकि लाभ यदि हो, पर ध्यान नहीं दिया जाएगा।

5.1.8 एक्सचेंज कारोबार विदेशी विनिमय डेरिवेटिव यानी मुद्रा वायदे का मूल्यांकन एक्सचेंज द्वारा निर्धारित मूल्यों पर किया जाता है और परिणामी लाभ और हानि की पहचान लाभ और हानि लेखे में की जाती हैं।

5.1.9 एफसीएनआर (बी) डॉलर जमाओं के लिए भारिबैंक के विनिमय स्वैप की सुविधा की शुरुआत में उत्पन्न होनेवाले प्रीमियम / ब्याज, स्वैप अनुबंध की अवधि के दौरान खर्च के रूप में परिशोधित किया जाता है।

5.1.10 केन्द्रीय सरकार की गारंटी प्राप्त निवेशों के अतिदेय होने पर भी उन्हें तभी एनपीए माना जाएगा जब गारंटी लागू की जाने पर सरकार उसका निराकरण करती है।

5.1.11. यदि ब्याज/मूल किस्त (परिपक्वता संप्राप्तियों को शामिल करते हुए) अथवा बैंक को देय अन्य कोई राशि, 90 दिनों से अधिक के लिए अदत्त बनी रहती हो, तो राज्य सरकार द्वारा प्रत्याभूत प्रतिभूतियों में निवेश को, जोकि ''माने गए अग्रिमों' के रूप में नहीं हैं, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण मानदंडों के अध्यधीन रखा जाता है।

5.1.12. निवेश की कीमत के निर्धारण प्रत्येक वर्ग में भारित औसत कीमत पद्धति के आधार पर किया जाता है। एचटीएम के अंतर्गत वर्गीकृत निवेशों को भारित औसत कीमत पद्धति के तहत प्राप्त अधिग्रहण कीमत के आधार पर ले लिया गया है तथा भारित औसत कीमत के अंकित मूल्य से अधिक होने की स्थिति में प्रीमियम को केवल शेष परिपक्वता अवधि हेतु परिशोधित कर दिया जाता है।

5.1.13 रेपो एवं रिवर्स रेपो लेनदेनों के लिए लेखाकरण :

क. भारिबैं के साथ तरलता समायोजन सुविधाएं (एलएएफ) के तहत :

भारिबैंक के साथ तरलता समायोजन सुविधाएं (एलएएफ) के तहत क्रय /विक्रय किए गए प्रतिभूतियों को निवेश खाते में नामे/जमा किया जाता है एवं लेनदेन की परिपक्वता पर रिवर्स किया जाता है। व्यय किये गये खर्च / अर्जित किए गए ब्याज को व्यय / राजस्व के रूप में हिसाब रखा जाता है।

ख. भारिबैं के साथ लेनदेनों के अलावा तरलता समायोजन सुविधाएं (एलएएफ) के तहत :

रेपो/ रिवर्स रेपो के तहत बेची गई और खरीदी गई प्रतिभूतियों को संपार्श्विक उधार और उधार लेनदेनों के रूप में लिया जाता हैं। हालांकि, प्रतिभूतियों को सामान्य एकमुश्त बिक्री / खरीद लेनदेनों के मामले में अंतरित किए जाते हैं और इस प्रकार के प्रतिभूति के उतार –चढ़ाव, रेपो/रिवर्स रेपो खातों और प्रति–प्रविष्टियों के प्रयोग से परिलक्षित होता है। उपरोक्त प्रविष्टियाँ परिपक्वता की तारीख पर प्रतिवर्तित हो जाती है। मामलें के आधार पर लागत एवं राजस्व को ब्याज व्यय/आय के रूप में लिया जाएगा। रेपो खाते में शेष, अनुसूची 4(उधार) के तहत वर्गीत है और रिवर्स रेपो खाते में शेष, अनुसूची 7 (बैंकों में शेष एवं मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धनराशि) के तहत वर्गीत है।

अनुषंगी कंपनियाँ :

5.2 इंड बैंक मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज़ लिमिटेड

कंपनी के पास रखे सभी निवेश दीर्घकालिक निवेश हैं । अस्थायी प्रकृति के निवेशों के अलावा दीर्घकालिक निवेशों को ह्रास के लिए प्रावधान घटाकर, लागत पर लाया गया है । कंपनी ने कोट किए गए शेयरों के बाज़ार मूल्य पर भरोसा करते हुए शेयरों/ड़िबेंचरों के मूल्य में ह्रास को स्थायी प्रकृति के रूप में माना है तथा कोट न किए गए शेयरों के मामले में बही मूल्य/उचित मूल्य, दोनों में जो भी अधिक हो, को माना गया है।

In case of funds with a lock-in period, where repurchase price / market quote is not available, units are valued at NAV, else valued at cost till the end of the lock-in period.

viii. Investment in units of Venture Capital funds (VCF) made after 23.08.2006 are classified under HTM category for initial period of 3 years and valued at cost. After period of 3 years from the date of disbursement, it will be shifted to AFS and marked-to-market as per RBI guidelines.

5.1.4 In respect of investment at Overseas branches, RBI guidelines or those of the host countries whichever are more stringent are followed. In case of those branches situated in countries where no guidelines are specified, the guidelines of RBI are followed.

5.1.5 Non-performing investment (NPI) are identified as stated below, as per guidelines issued by RBI.

a) Securities/Non-cumulative Preference shares where interest/fixed dividend/installment (including maturity proceeds) is due and remains unpaid for more than 90 days.

b) If any credit facility availed by the issuer from the Bank is a Non-performing advance, investment in any of the securities issued by the same issuer is also treated as NPI.

5.1.6 Brokerages / Commission / incentive received on subscriptions are deducted from the cost of securities. Brokerage / Commission / Stamp duty paid in connection with acquisition of securities are treated as revenue expenses.

5.1.7 Interest Rate Swap transactions for trading is marked to market at quarterly intervals. The fair value of the total swaps is computed on the basis of the amount that would be received/ receivable or paid/ payable on termination of the swap agreements as on the balance sheet date. Losses arising there from, if any, are fully provided for, while the profit, if any, is ignored.

5.1.8 Exchange traded FX Derivatives i.e. Currency Futures, are valued at the Exchange determined prices and the resultant gains and losses are recognized in the Profit and Loss account.

5.1.9 Premium/interest arising at the inception of forward exchange swap facility of RBI for FCNR (B) dollar deposits is amortized as expense over the period of the swap contract.

5.1.10 Investments backed by guarantee of the Central Government though overdue are treated as Non Performing Asset (NPA) only when the Government repudiates its guarantee when invoked.

5.1.11 Investment in State Government guaranteed securities, including those in the nature of "deemed advances", are subjected to asset classification and provisioning as per prudential norms if interest/ installment of principal (including maturity proceeds) or any other amount due to the Bank remains unpaid for more than 90 days.

5.1.12 Cost of investments is determined based on the Weighted Average Cost method in each category. Investments classified under HTM are carried at acquisition cost as arrived under Weighted Average Cost method and in case the weighted average cost is more than the face value, the premium is amortised over the remaining period of maturity.

5.1.13 Accounting for Repo/Reverse Repo transactions:

a. Under the Liquidity Adjustment Facility (LAF) with the RBI:

Securities purchased/sold under LAF with RBI are debited/credited to Investment Account and reversed on maturity of the transaction. Interest expended/earned thereon is accounted for as expenditure/revenue.

b. Other than transactions under the Liquidity Adjustment Facility (LAF) with the RBI:

The securities sold and purchased under Repo/Reverse Repo are accounted as Collateralised lending and borrowing transactions. However, securities are transferred as in the case of normal outright sale/purchase transactions and such movement of securities is reflected using the Repo/Reverse Repo Accounts and Contra entries. The above entries are reversed on the date of maturity. Costs and revenues are accounted as Interest expenditure/income, as the case may be. Balance in Repo Account is classified under Schedule 4 (Borrowings) and balance in Reverse Repo Account is classified under Schedule 7 (Balance with Banks and Money at Call & Short Notice).

SUBSIDIARY COMPANIES:

5.2 Indbank Merchant Banking Services Ltd:

The investments held by the Company are all long-term investments. Long term investments are carried at cost less provision for diminution, other than temporary in nature. The Company has reckoned diminution in value of shares / debentures as permanent in nature by relying on market value of quoted shares and book value/ fair value whichever is higher in respect of unquoted shares.

5.3 इंड बैंक हाउसिंग लिमिटेड

निवेशों को चालू निवेशों और दीर्घकालिक निवेशों में वर्गीकृत किया गया है। राष्ट्रीय आवास बैंक के वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार निवेशों का मूल्यांकन प्रत्येक निवेश के लिए अलग–अलग रूप से, उनके लागत अथवा बाज़ार मूल्य में से निम्नतर दरों पर किया गया है।

6. आस्ति वसूली कंपनियों को बेची गई वित्तीय आस्तियां (एआरसी)

मूल संस्था :

6.1 एआरसी को बेची गई वित्तीय आस्तियों के संबंध में परिसम्पत्ति पुनर्निमाण कंपनी द्वारा जारी की गई प्रतिभूति रसीद (एसआर) का मूल्यांकन, प्रतिभूति रसीद के प्रतिदान मूल्य या वित्तीय आस्तियों के निवल बही मूल्य, जो भी कम हो, पर किया जाता है। प्रतिभूति रसीद को परिसम्पत्ति पुनर्निमाण कंपनी द्वारा तुलन पत्र के दिनांक पर घोषित निवल परिसंपत्ति मूल्य पर मूल्यांकित किया जाता है और मूल्यह्रास कोई हो तो, उसके लिए प्रावधान किया जाता हैं।

6.2 परिसम्पत्ति पुनर्निमाण कंपनी को बेची गयी आस्तियों के मामले में, मूल्यांकन और आय अभिज्ञान भारिबैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है । यदि बिक्री का मूल्य निवल बही मूल्य (एनबीवी) से कम है (अर्थात् प्रावधान को घटाने के बाद बही मूल्य), तो भारिबैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार, कमी को लाभ/हानि खाते में नामे डाला जाएगा या रखे हुए अस्थायी प्रावधान के उपयोग से समायोजित किया जाएगा।

6.3 यदि प्राप्त नकदी (आरंभिक प्रतिफल और/या बंधक छुड़ाने के माध्यम से) आस्ति पुनर्निमाण कंपनी (एआरसी) को बेचे गए एनपीए के निवल बही मूल्य से अधिक है, तो अतिरिक्त प्रावधान को लाभ व हानि लेखे में प्रत्यावर्तित किया जाएगा। लाभ व हानि लेखे में प्रत्यावर्तित अतिरिक्त प्रावधान की प्रमात्रा उस सीमा तक होगी, जिसमें बेचे गए एनपीए के एनबीवी से प्राप्त अधिक नकदी तक होगी ।

7. अग्रिम

7.1 मूल संस्था

7.1.1 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुरूप, भारत में अग्रिमों को उधारकर्तावार मानक, अवमानक, संदिग्ध तथा हानिवाली आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

7.1.2 गैर निष्पादक अग्रिमों के लिए निम्नानुसार प्रावधान किए गए हैं –

ए) अवमानक संवर्ग –

i) अरक्षित प्रकटीकरण के लिए 25 प्रतिशत

ii) सुरक्षित प्रकटीकरण के लिए 15 प्रतिशत

बी) संदिग्ध संवर्ग – 1 :

i) सुरक्षित भाग के लिए 25 प्रतिशत

ii) अरक्षित भाग के लिए 100 प्रतिशत

सी) संदिग्ध संवर्ग – 2 :

i) सुरक्षित भाग के लिए 40 प्रतिशत

ii) अरक्षित भाग के लिए 100 प्रतिशत

डी) संदिग्ध संवर्ग – 3 और हानि अग्रिम – 100 प्रतिशत

7.1.3 भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशों के अनुसार पुनःसंरचित मानक अग्रिम सहित सभी मानक अग्रिमों के लिए प्रावधान किया गया है।

7.1.4 विदेशी शाखाओं के संबंध में, आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण तथा ऋण हानियों के लिए स्थानीय आवश्यकताओं अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक के विवेकपूर्ण मानदंड, जो भी अधिकतर सख्त है, उसके अनुसार प्रावधान किए जाते हैं।

आगे यदि भारिबैंक द्वारा जारी किये गए विनियमनों के अनुसार किसी भी समय बैंक की विदेशी बहियों में रही किसी आस्ति को एनपीए के रूप में वर्गीकृत करना होता है, तब बैंक द्वारा उस उधारकर्ता को प्रदान की गई सभी सुविधाओं और उधारकर्ता द्वारा जारी सभी प्रतिभूतियों में निवेश को एनपीए / एनपीआई के रूप में वर्गीकृत किया जाए।

फिर भी, वसूली के रिकॉर्ड के अलावा अन्य कारणों से मेजबान देश के विनियामकों द्वारा खाता अनर्जक / हानि आस्तियों के रूप में वर्गीकृत है, तो भारत में वित्तीय विवरणों को समेकित करते समय उन्हें एपीए के रूप में वर्गीकृत करेंगे और और उनके लिए यथावश्यक प्रावधान किया जाएगा; तथापि उन्हीं प्रतिपक्षियों को अन्य अधिकार क्षेत्रों (भारत को मिलाकर) में प्रदत्त अन्य ऋण एक्स्पोजरों पर आस्ति वर्गीकरण, तत्संबंधित अधिकार क्षेत्रों में लागू विद्यमान दिशानिर्देशों द्वारा नियंत्रित किया जाना जारी रहेगा।

7.1.5 प्रकटीकृत अग्रिम, गैर–निष्पादक आस्तियों, डीआईसीजीसी / ईसीजीसी /सीजीटीएसआई से प्राप्त दावों तथा लंबित समायोजन हेतु रखे, प्राप्त पुनर्भुगतान तथा विविध खातों में रखे, ब्याज लगाये जाने योग्य खातों में शेष, सहभागिता प्रमाण पत्रों एवं पुनः कटौती वाले मीयादी बिलों और मानक आस्तियों के रूप में वर्गीकृत पुनः संरचित खातों के उचित मूल्य में घटाव के एवज में किए गए प्रावधानों को घटाने के बाद निवल हैं।

8 अचल आस्तियां / मूल्यह्रास

8.1 मूल संस्था :

8.1.1 परिसर तथा अन्य अचल आस्तियों का हिसाब उनकी परंपरागत लागत / पुनर्मूल्यांकित राशि के आधार पर लगाया गया है।

8.1.2 भारत में भवनों (जहाँ कहीं अलग नहीं किया जा सकता है/ अलग नहीं किया गया है, ज़मीन की लागत सहित) तथा अन्य अचल आस्तियों का मूल्यह्रास सीधी कटौती से उन दरों पर प्रभारित किया गया है जिसमें उपरोक्त आस्तियों को प्रभारित किया गया था, को निम्नप्रकार दर्शाया जाता है:

5.3 Ind Bank Housing Ltd:

Investments are classified into current investments and long term investments. Investments are valued at lower of cost or market value for each investment individually as per NHB guidelines in force.

6 FINANCIAL ASSETS SOLD TO RECONSTRUCTION COMPANIES (RC)

PARENT

6.1 Security Receipts (SR) issued by RCs in respect of financial assets sold to them is recognized at lower of redemption value of SRs and Net Book Value of financial assets. SRs are valued at Net Asset Value declared by RCs on the Balance Sheet date and depreciation, if any, is provided for and appreciation is ignored.

6.2 In case of financial assets sold to RC, the valuation and, income recognition is being done as per RBI Guidelines. If the sale is for value lower than the Net Book Value (NBV) (i.e, book value less provisions held), the shorfall is debited to the Profit and Loss account or met out of utilisation of Floating provision held, as per extant RBI guidelines.

6.3 If the cash received (by way of initial consideration and /or redemption of security receipts) is higher than the Net Book value of the Non Performing Asset (NPA) sold to RC, then excess provision is reversed to the profit and Loss account. The quantum of excess provision reversed to profit and loss account is limited to the extent to which cash received exceeds the NBV of the NPA sold.

7 ADVANCES

7.1 PARENT

7.1.1 In accordance with the prudential norms issued by RBI, advances in India are classified into Standard, Sub-Standard, Doubtful and Loss assets borrower-wise.

7.1.2 Provisions are made for non performing advances as under:

a) Substandard :

i) 25% for Unsecured exposures

ii) 15% for Secured exposures

b) Doubtful category-1:

i) 25 % for Secured portion.

ii) 100% for Unsecured portion.

c) Doubtful Category – 2

i) 40 % for Secured portion.

ii) 100% for Unsecured portion.

d) Doubtful category-3 and Loss advances – 100 %.

7.1.3 Provision is made for standard advances including Restructured / Rescheduled standard advances as per RBI directives.

7.1.4 In respect of foreign branches, income recognition, asset classification and provisioning for loan losses are made as per local requirement or as per RBI prudential norms, whichever is more stringent.

Further,if an asset in the overseas books of the Bank requires to be classified as NPA at any point of time in terms of regulations issued by Reserve Bank of India, then all the facilities granted by the bank to the borrower and investment in all the securities issued by the borrower will be classified as NPAs/NPIs.

However,accounts classified as Non-performing/Impaired assets (NPAs) by host regulators for reasons other than record of recovery, would be classified as NPAs at the time of consolidating financial statements in India and provided for, as required; whereas asset classification of other credit exposures to the same counterparties in other jurisdictions (including India) will continue to be governed by the extant guidelines in the respective jurisdictions.

7.1.5 Advances disclosed are net of provisions made for non-performing assets, DICGC/ ECGC/ CGTMSE claims received and held pending adjustment, repayments received and kept in sundries account, participation certificates , usance bills rediscounted and provision in lieu of diminution in the fair value of restructured accounts classified as standard assets.

8 FIXED ASSETS / DEPRECIATION

8.1 PARENT

8.1.1 Premises and other fixed assets are stated at historical cost and at the revalued amount in respect of assets revalued.

8.1.2 Depreciation on buildings (including cost of land wherever inseparable/not segregated) and other fixed assets in India is provided for on the straight-line method at the same rates in which the said assets were charged, as specified below:

क्रम	संपत्ति की प्रकृति	मूल्यह्रास दर संख्या (एसएलएम)
I	भवन	1.63%
II	अन्य अचल आस्ति	
1.	सामान्य संयत्र व मशीनरी	4.75%
2.	फर्नीचर, फिक्सचर	6.33%
3.	विद्युत मशीनरी व फिटिंग	7.07%
4.	साइकिल	7.07%
5.	स्कूटर, मोटरसाइकिल, जीप	9.50%
6.	वैन	11.31%
7.	सिक्का वेंडिंग मशीन	16.66%
8.	मोटर कार	20%
9.	कंप्यूटर व यूपीएस सहित डाटा प्रोसेसिंग मशीन	33.33%
10.	सेल फोन तथा ₹ 5000/– तक मूल्य के कम कीमतवाली मदें	100%

8.1.3 पूनर्मूल्यांकित संघटक के संबंध में मूल्यह्रास, पुनर्मूल्यांकन आरक्षिति के तहत प्रभारित किया जाता है। वर्ष के दौरान अर्जित नियत आस्तियों पर मूल्यह्रास, 30 सितंबर को या उसके पूर्व अर्जित आस्तियों पर 100 प्रतिशत दर से तथा उसके बाद अर्जित आस्तियों पर आधी दर पर प्रभारित किया जाता है। बिक्री/निपटारे के वर्ष के लिए अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास हेतु प्रावधान नहीं किया जाता।

उन आस्तियों के मामले में, जहां सरकार से इमदाद प्राप्त हुआ है, उसे संबंधतित आस्ति खाते में जमा किया जाता है और मूल्यह्रास को तदनुसार प्रभारित किया जाता है ।

8.1.4 पट्टे की ज़मीन पर प्रीमियम अधिग्रहण वर्ष में पूंजीकृत किया जाता है और पट्टा अवधि में परिशोधित किया जाता है।

8.1.5 विदेशी शाखाओं की आस्तियों के संबंध में मूल्यह्रास का प्रावधान संबंधित देशों में प्रचलित पद्धति के अनुसार किया जाता है।

8.1.6 गैर बैंकिंग आस्तियों (एनबीए) के मामले में कोई मूल्यह्रास प्रभारित नहीं किया जाता है।

अनुषंगी कंपनियाँ :

इंड बैंक मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज़ लिमिटेड :

8.2 अचल आस्तियों को परम्परागत लागत पर, संचित मूल्यह्रास और क्षति के लिए प्रावधान (यदि कोई हो) को घटा कर बताया जाता है। पट्टे पर ली गई आस्तियों (दिसंबर 1997 के पहले संविदाकृत) को पट्टा समायोजन खाते में शेष के लिए आगे समायोजित किया जाता है।

मूल्यह्रास

ए) <u>पटटे पर दी गई आस्तियों को छोडकर अन्य आस्तियों पर</u>

पट्टे पर दी गई आस्तियों को छोड़कर अन्य आस्तियों पर कंपनी, सीधी कटौती प्रणाली (एसएलएम) में आस्ति के उपयोगी जीवनकाल के आधार पर, कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के अनुसार मूल्यह्रास का प्रावधान करती है । साफ़्टवेयर लागतों को, उनके अर्जन के वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए परिशोधित किया जाता है।

बी) <u>बन्द परिचालनों के अंतर्गत प्रदत्त पट्टेदारी आस्तियों पर</u> :–

परिचालन बन्द करने के तहत पट्टेदारी आस्तियों पर कंपनी घटते मूल्य पद्धति पर यथानुपात आधार पर, मूल्यह्रास का प्रावधान करती है तथा जिस महीने में आस्ति संस्थापित की गयी है, उसे पूर्ण महीना माना जाता है। भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी पट्टों का लेखाकरण पर मार्गदर्शन नोट (संशोधित) के अनुसार पट्टा आस्तियों की लागत को पट्टे की अवधि के दौरान पूर्णतः परिशोधित किया जाता है। सांविधिक मूल्यह्रास और वार्षिक पट्टा प्रभार में अंतर का समायोजन, पट्टा समकरण के ज़रिए किया जाता है, जिसका समायोजन पट्टा आय के साथ किया जाता है।

इंड बैंक हाउसिंग लिमिटेड :

8.3 अचल संपत्तियों को लागत पर पूंजीकृत किया जाता है और लागत से मूल्यह्रास घटाकर दर्शाया गया है। मूल्यह्रास का परिकलन कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची II में दी गई दरों पर मूल्यह्रासित पद्धति से किया जाता है।

9. राजस्व अभिज्ञान

मूल संस्था

9.1.1 आय और व्यय मदों को, जब तक अन्यथा नहीं बताया जाए, सामान्यतः उपचित आधार पर हिसाब में लिया जाता है।

9.1.2 ग़ैर निष्पादक आस्तियों से आय, सरकार द्वारा गारंटीकृत आस्तियों (जहां वह 90 दिनों से अधिक के लिए अतिदेय रहा हो), लाभांश आय, बीमा दावे, जारी किये गये साख–पत्रों /गारंटियों पर कमीशन (परियोजना वित्त से संबंधित को छोडकर अन्य), बैंक एश्यूरेंस उत्पादों पर आय, धन प्रबंधन पर आय खरीदे गए बिलों पर अतिरिक्त ब्याज/अतिदेय प्रभार, क्रेडिट कार्डों पर वित्त प्रभार, पुनः क्षतिपूर्ति के बैंक के अधिकार पर आय, डेबिट कार्डों पर एएमसी प्रभार आदि से आय को उनकी वसूली होने पर हिसाब में लिया जाता है। प्राप्त आय को उपचित आधार पर लिया जाता है ।

9.1.3 अतिदेय विदेशी बिलों के मामले में, ब्याज और अन्य प्रभारों को भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (फ़ेडाय) के दिशानिर्देशों के अनुसार क्रिस्टलाईज़ेशन की तारीख़ तक माना जाता है।

अनुषंगी कंपनियाँ :

9.2. इंड बैंक मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज़ लिमिटेड

ए) इश्यू प्रबंधन शुल्क और अन्य प्रबंधकीय सेवाओं के लिए शुल्क – समनुदेशन पूरा होने की तारीख को मान लिया जाता है।

बी) वित्तीय उत्पादों के वितरण पर हामीदारी कमीशन और दलाली – अंशदान ब्यौरे प्राप्त होने पर मान लिया जाता है।

सी) स्टॉक ब्रोकिंग परिचालनों के अधीन दलाली को संविदा के पूरा करने पर लेखांकित किया जाता है।

Sl. No	Nature of Asset	Rate of Depn (SLM)
I	Buildings	1.63%
II	Other Fixed Assets	
	1. General Plant and Machinery	4.75%
	2. Furniture, Fixtures	6.33%
	3. Electrical Machinery and Fittings	7.07%
	4. Cycles	7.07%
	5. Scooters, Motor Cycles, Jeeps	9.50%
	6. Vans	11.31%
	7. Coin Vending Machine	16.66%
	8. Motor cars	20%
	9. Data processing machines including computers and UPS	33.33%
	10. Cell Phones and on small value items costing upto ₹ 5000/-	100%

8.1.3 Depreciation relatable to revalued component is charged against revaluation reserve. Depreciation on fixed assets acquired and put in to use on or before 30th September is charged at 100% of the prescribed rates and at 50% of the prescribed rates on the fixed assets acquired thereafter. No depreciation on the fixed assets is provided for in the year of sale / disposal. In respect of Assets where subsidy is received from Government, the same is credited to the respective asset account and depreciation has been charged accordingly.

8.1.4 Premium on leasehold land is capitalised in the year of acquisition and amortized over the period of lease.

8.1.5 Depreciation in respect of fixed assets at foreign branches is provided as per the practice prevailing in the respective countries.

8.1.6 In respect of Non Banking Assets, no depreciation is charged.

SUBSIDIARY COMPANIES:

Indbank Merchant Banking Services Ltd

8.2 Fixed Assets are stated at historical cost less accumulated depreciation & provision for impairment (if any). Leased assets (Contracted prior to December 1997) are further adjusted for the balance in Lease adjustment account.

DEPRECIATION

a) On Assets other than given on lease:

In respect of assets other than assets given on lease, the company provides depreciation on the assets on the Straight Line Method (SLM) based on the useful life of the asset as prescribed in Schedule II to the Companies Act, 2013, on pro-rata basis. Software costs are amortised on SLM over a period of three years, from the year of acquisition.

b) On Assets given on lease under discontinuing operations:

In respect of Assets given on lease under discontinuing operation, the Company provides depreciation on the assets in the WDV method on pro-rata basis, the month in which the assets are installed taken as full month. The cost of the Assets given on lease are amortised fully during the Lease period. {In accordance with the Guidance note on Accounting for Leases (revised) issued by the ICAI}. The difference between the statutory depreciation and the annual lease charge is adjusted through the Lease Equalisation, which is adjusted with the lease income.

Ind Bank Housing Ltd

8.3 Fixed Assets are capitalized at cost and or stated at cost less deprecation. Depreciation is calculated on written down value method at the rates prescribed in Schedule II to the companies Act, 2013.

9 REVENUE RECOGNITION

PARENT

9.1.1 Income and expenditure are generally accounted for on accrual basis, unless otherwise stated.

9.1.2 Income from non-performing assets, Central Government guaranteed assets (where it is overdue beyond 90 days), dividend income, insurance claims, commission on letters of credit/ guarantees issued (other than those relating to project finance), income from Bancassurance products, income from wealth management, additional interest/ overdue charges on bills purchased, finance charges on credit cards, income on Bank's right to recompense, AMC charges on debit cards are accounted for on realisation and Locker Rent received is accounted on accrual basis.

9.1.3 In case of overdue foreign bills, interest and other charges are recognised till the date of crystallisation as per FEDAI guidelines.

SUBSIDIARY COMPANIES:

9.2 Indbank Merchant Banking Services Ltd.

a. Issue Management Fee and fees for other managerial services - Considered on the completion of assignment.

b. Underwriting Commission and brokerage on distribution of financial products - Considered on receipt of subscription particulars..

c. Brokerages under stock broking operations are accounted on completion of contract.

डी) अतिदेय पट्टा किराये पर और किराया खरीद किस्तों पर ब्याज पावती आधार पर लेखांकित किया जाता है।

इ) लाभांश आय का अभिज्ञान तब किया जाता है, जब प्राप्त करने का अधिकार स्थापित किया जाता है।

9.3. इंड बैंक हाउसिंग लिमिटेड :

ए) आय की पहचान और गैर निष्पादक आस्तियों के लिए प्रावधान एनएचबी के विवेकी मानदंडों का पालन किया जाता है।

बी) आवास ऋणों की पुनरदायगी, समीकृत मासिक किस्तों (ईएमआई) के जरिए, की जाती है, जिसमें मूलधन और ब्याज राशि शामिल हैं। संबंधित अर्ध–वर्ष / वर्ष के आरंभिक शेष पर प्रत्येक अर्ध–वर्ष पर ब्याज का परिकलन किया जाता है। पूरे ऋण के वितरण के बाद ईएमआई आरंभ होती हैं। ईएमआई के प्रारंभ होने के समय तक, ईएमआई–पूर्व ब्याज देय है तथा मासिक आधार पर इसका अभिज्ञान किया जाता है।

10. क्रेडिट कार्ड पुरस्कार पाइंट : –

कार्ड सुविधा के प्रयोग पर कार्ड सदस्यों द्वारा अर्जित पुरस्कार पाइंटों को ऐसे प्रयोग के लिए व्यय के रूप में समझा जाता है।

11 निवल लाभ / हानि

लाभ व हानि लेखे में दर्शाया गया परिणाम निम्नलिखित पर विचार करने के पश्चात् है।

- गैर निष्पादक अग्रिमों और / या निवेशों के लिए प्रावधान
- मानक अग्रिमों पर सामान्य प्रावधान
- पुनः संरचित अग्रिमों के लिए प्रावधान
- स्थिर आस्तियों पर मूल्यह्रास के लिए प्रावधान
- निवेशों पर मूल्यह्रास के लिए प्रावधान
- आकस्मिकता निधि को / से अंतरण
- प्रत्यक्ष करों के लिए प्रावधान
- आरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर के लिए प्रावधान
- सामान्य और / या अन्य आवश्यक प्रावधान

12 स्टाफ को सेवानिवृत्ति पर प्राप्त होनेवाले लाभ

मूल संस्था

12.1.1 भविष्य निधि

भविष्य निधि एक वैधानिक दायित्व है और विकल्पी भविष्य निधि के मामले में, बैंक पूर्वनिर्धारित दरों पर निश्चित अंशदान अदा करता है । ऐसे निश्चित अंशदान के लिए बैंक का दायित्व सीमित है। अंशदानों को लाभ एवं हानि खाते में प्रभारित किया जाता है। निधि का प्रबंधन इंडियन बैंक स्टाफ भविष्य निधि न्यास द्वारा किया जाता है ।

12.1.2 उपदान

इंडियन बैंक कर्मचारी नियमों एवं शर्तों के अनुसार उपदान देयता एक वैधानिक दायित्व है और इसका प्रावधान वित्तीय वर्ष के अंत में किए गए बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है। उपदान देयता का वित्तीयन बैंक द्वारा किया जाता है और इसका प्रबंधन इंडियन बैंक कर्मचारी उपदान निधि न्यास द्वारा किया जाता है।

12.1.3. पेंशन

ए) पेंशन दायित्व इंडियन बैंक (कर्मचारी) पेंशन विनियम 1995 के तहत परिभाषित लाभकारी दायित्व है। यह ऐसे कर्मचारियों को , बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रदान की जाती है, जिन्होंने 31.03.2010 तक बैंक में भर्ती हुए हैं या जिन्होंने पेंशन का विकल्प दिया है ।

बी) नई पेंशन योजना(एनपीएस) उन कर्मचारियों पर लागू होती है जिन्होंने बैंक में 01.04.2010 के बाद भर्ती हुए हैं और यह एक परिभाषित अंशदान योजना है। एनपीएस के अंतर्गत बैंक पूर्व निर्धारित दर पर एक निश्चित अंशदान अदा करता है और बैंक का दायित्व ऐसे निश्चित अंशदान तक सीमित है। इस अंशदान को लाभ एवं हानि खाते में प्रभारित किया जाता है ।

12.1.4. क्षतिपूरित अनुपस्थितियाँ

संचित क्षतिपूरित अनुपस्थितियाँ जैसे अर्जित अवकाश और चिकित्सा अवकाश बीमांकक मूल्यांकन के आधार पर दी जाती हैं ।

12.1.5. अन्य कर्मचारी लाभ

अन्य कर्मचारी लाभ जैसे छुट्टी भुनाना, छुट्टी यात्रा रियायत और अन्य सेवानिवृत्ति के बाद अतिरिक्त सेवानिवृत्ति लाभ बीमांकक मूल्यांकन के आधार पर उपलब्ध करवाए जाते हैं। समुद्रपारीय शाखाओं एवं कार्यालयों में प्रतिनियुक्ति के अलावा कार्यरत कर्मचारियों से संबन्धित लाभ तत्संबंधी कार्याधिकार क्षेत्रों के कानून के तहत दिए जाते हैं।

अनुषंगी कंपनियाँ

इंड बैंक मर्चेंट बैंकिंग सेवाएं लि.

12.2 अल्प कालिक कर्मचारी हितों / बाध्यताओं का प्राक्कलन कर प्रावधान किया गया ।

ग्रेच्युटि – ग्रेच्युटि, जोकि अर्ह कर्मचारियों को कवर करनेवाली एक परिभाषित सेवानिवृत्ति लाभ योजना है, के प्रति अनुषंगी का दायित्व है। योजना में सेवानिवृत्ति, नियोजन में रहते मृत्यु अथवा नियोजन समापन पर निहित कर्मचारियों को समाप्त प्रत्येक वर्ष के लिए 15 दिनों के वेतन के बराबर की राशि देने का प्रावधान है। पांच वर्षों की सेवा की समाप्ति पर वेस्टिंग शुरू होती है। न्यास के रूप में स्थापित ग्रेच्युटि निधि को अनुषंगी भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ समूह ग्रैच्युटि पॉलिसी के ज़रिए वार्षिक अंशदान देती है। ग्रेच्युटि के प्रति अनुषंगी की देयता का बीमांकिक निर्धारण तुलन पत्र की तारीख पर प्रक्षेपित यूनिट जमा (पीयूसी) पद्धति का प्रयोग करते हुए किया जाता है। बीमांकिक लाभ व हानि का राजस्व में अभिज्ञान किया जाता है।

d. Interest on overdue lease rentals and hire purchase instalments are accounted for on receipt basis.

e. Dividend income is recognized when the right to receive is established.

9.3 Ind Bank Housing Ltd.

a. The Company follows National Housing Bank's Prudential Norms for recognition of Income and Provisioning for Non Performing Assets.

b. Repayment of housing loans is by way of Equated Monthly Instalments (EMIs) comprising of principal and interest. Interest is calculated every half year on the opening balance at the beginning of the respective half year/ year. EMI commences once the entire loan is disbursed. Pending commencement of EMI, pre-EMI interest payable is recognized every month.

10. CREDIT CARD REWARD POINTS:

Reward points earned by card members on use of Card facility is recognized as expenditure on such use.

11 NET PROFIT / LOSS

The result disclosed in the Profit and Loss Account is after considering:

- Provision for Non-Performing Advances and / or Investments.
- General provision on Standard Advances
- Provision for Restructured Advances
- Provision for Depreciation on Fixed Assets
- Provision for Depreciation on Investments
- Transfer to/ from Contingency Fund
- Provision for direct taxes
- Provision for Unhedged Foreign Currency Exposure
- Usual or/and other necessary provisions

12 STAFF RETIREMENT BENEFITS

PARENT

12.1.1 PROVIDENT FUND

Provident fund is a statutory obligation and in the case of Contributory Provident Fund Optees, the Bank pays fixed contribution at pre-determined rates. The obligation of the Bank is limited to such fixed contribution. The contributions are charged to Profit and Loss Account. The fund is managed by Indian Bank Staff Provident Fund Trust.

12.1.2 GRATUITY

Gratuity liability is a statutory obligation as per Indian Bank Employees Gratuity Fund Rules and Regulations and is provided for on the basis of an actuarial valuation made at the end of the financial year. The gratuity liability is funded by the Bank and is managed by Indian Bank Employees Gratuity Fund Trust.

12.1.3 PENSION

a) Pension liability is a defined benefit obligation under Indian Bank (Employees) Pension Regulations 1995 and is provided for on the basis of actuarial valuation, for the employees who have joined Bank up to 31.03.2010 and opted for pension.

b) New Pension Scheme (NPS) which is applicable to employees who joined bank on or after 01.04.2010 and it is a defined contribution scheme. Under NPS the Bank pays fixed contribution at pre determined rate and the obligation of the Bank is limited to such fixed contribution. The contribution is charged to Profit and Loss Account.

12.1.4 COMPENSATED ABSENCES

Accumulating compensated absences such as Privilege Leave and Sick Leave are provided for based on actuarial valuation.

12.1.5 OTHER EMPLOYEE BENEFITS

Other Employee benefits such as Leave Fare Concession and Additional Retirement Benefit on Retirement are provided for based on actuarial valuation. In respect of overseas branches and offices, the benefits in respect of employees other than those on deputation are valued and accounted for as per laws prevailing in the respective territories.

SUBSIDIARY COMPANIES:

Indbank Merchant Banking Services Ltd.

12.2 Short Term employee benefits / obligations are estimated and provided for.

Gratuity - The Subsidiary has an obligation towards gratuity, a defined benefit retirement plan covering eligible employees. The plan provides for a lumpsum payment to vested employees at retirement, death while in employment or on termination of employment of an amount equivalent to 15 days salary payable for each completed year of service. Vesting occurs upon completion of five years of service. Annual contribution is made to gratuity fund established as a Trust through a Group Gratuity Policy with Life Insurance Corporation of India. The Company's liability towards Gratuity is actuarially determined as at balance sheet date using the Projected Unit Credit (PUC) method. Actuarial gains and losses are recognized in revenue.

भविष्य निधि – अनुषंगी के अर्ह कर्मचारी, भविष्य निधि जोकि एक परिभाषित अंशदान योजना है के तहत लाभ प्राप्त करने हेतु हक़दार हैं जिसमें कवर किए गए कर्मचारी के वेतन के एक निर्दिष्ट प्रतिशत पर दोनों कर्मचारी एवं अनुषंगी अंशदान देते हैं, विधि के तहत यथा निर्दिष्ट अंशदान भविष्य निधि को और भविष्य निधि प्राधिकारियों के साथ रखी गयी पेंशन निधि को अदा किए जाते हैं।

छुट्टी की भुनाई : इंडियन बैंक से प्रतिनियुक्त स्टाफ़ से अन्य कर्मचारियों की छुट्टी की भुनाई की देयता के लिए, प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख पर न ली गई छुट्टी के दिनों के आधार पर बीमांकिक आधार पर प्रावधान किया जाता है।

इंडियन बैंक से प्रतिनियुक्ति पर रहे स्टाफ की सेवानिवृत्ति लाभ देयता, योग्य भविष्य निधि अंशदान के अलावा इंडियन बैंक द्वारा वहन की जाती है।

12.3. इंड बैंक हाउसिंग लिमिटेड :

भविष्य निधि में अंशदान, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पास किए जाते हैं।

ग्रूप ग्रेच्युटि योजना के अन्तर्गत गठित न्यास द्वारा ग्रेच्युटि देयता कवर किया जाता है। न्यास ने भारतीय जीवन बीमा निगम से समूह ग्रेच्युटि पॉलिसी खरीदी है और वार्षिक प्रीमियम, न्यास के ज़रिए अदा किया जाता है।

छुट्टी की भुनाई की देयता के लिए बीमांकिक आधार पर प्रावधान किया जाता है।

13. पट्टे हेतु लेखांकन

परिचालनगत पट्टों पर ली गई आस्तियों हेतु पट्टा भुगतानों को कीमत वृद्धि सहित पट्टा अवधि या आस्ति की अवधि, भी जो कम हो, के दौरान लाभ व हानि खाते में अभिज्ञात किये जाते है।

14. आकस्मिक देयताएँ और प्रावधान :

14.1 आकस्मिक देयताएं : निम्नलिखित मामलों में, जहाँ

(ए) ऐसी बाध्यताओं के मौजूद रहने की बात पुष्टिकृत नहीं की गई है

(बी) ऐसी बाध्यताओं को निपटाने के लिए संसाधन का बहिर्गमन आवश्यक नहीं है

(सी) बाध्यताओं की राशि के लिए कोई विश्वसनीय अनुमान नहीं किया जा सकता

(डी) ऐसी राशियां भौतिक नहीं हैं,

विगत घटनाएं, जिनसे वर्तमान या संभावित बाध्यताएं हो सकती हैं, को आकस्मिक देयता के रूप में माना जाता है।

14.2 (ए) वर्तमान बाध्यताओं के संबंध में तब प्रावधान को माना जाता है, जब विश्वसनीय आकलन किया जा सकता है और / या संसाधनों का बहिर्गमन संभावित है, जिनमें बहुत छोटे दावों को छोडकर शेष मामलों में आर्थिक लाभों को त्यागना पड सकें।

(बी) बाजार जोखिम, देश जोखिम आदि के लिए प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक के वर्तमान अनुदेशों के अनुसार किये जाते हैं।

(सी) बैंक प्रबन्धन द्वारा अभिज्ञात किये अनुसार फ्लोटिंग प्रावधान किया जाता है। भारिबैंक के वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार फ्लोटिंग प्रावधान का प्रयोग निम्नलिखित हेतु किया जा सकता है

(i) गैर–निष्पादक आस्तियों हेतु विशेष प्रावधान करना

(ii) गैर–निष्पादक आस्तियों की बिक्री में किसी कमी की पूर्ति करना

15. आस्तियों का अनर्जक होना :

अचल आस्तियों (पुनर्मूल्यांकित आस्तियों सहित) के संबंध में आस्तियों की हानी यदि कोई हो,लेखा मानक 28 "आस्तियों का अनर्जक होना" के अनुरूप पहचानी जाती है और उन्हें लाभ एवं हानि लेखे में प्रभारित किया जाता है। तथापि, पुनर्मूल्यांकित आस्ति पर आस्तियों का अनर्जक सीधे आस्ति के लिए कोई पुनर्मूल्यन अधिशेष के रूप में पहचाना जाता है, ताकि कोइ भी ह्रास आस्ति के लिए पुनर्मूल्यन अधिशेष में रखी राशि से अधिक न हो।

16. आय पर कर :

16.1 कर हेतु प्रावधान, चालू कर तथा आस्थगित कर दोनों के लिए किया जाता है।

16.2 प्रयोज्य कर दरें, कर नियम और अनुकूल न्यायिक निर्णय / विधिक मत का उपयोग करते हुए कर प्राधिकारियों को देय आकलित राशि के आधार पर वर्तमान कर का आकलन किया जाता है।

16.3 समय के अंतर के कारण उत्पन्न आस्थगित कर आस्तियां और देयताएं जोकि बाद के वर्षों में प्रत्यावर्तन की क्षमता रखती हैं, को तुलन पत्र की तारीख तक अथवा बाद में तैयार किए गए कर दरों व कर कानूनों का प्रयोग करके अभिपहचानित किया जाता है। आस्थगित कर आस्तियों को तब तक अभिपहचानित नही किया जाता है जब तक कि ''असली निश्चितता'' हो जाए कि पर्याप्त भावी कर–योग्य आय उत्पन्न होगी जिसके विरुद्ध ऐसी आस्थगित कर आस्तियों की उगाही जा सके।

17. परिचालनों को बन्द करना :

इंड बैंक मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेस लि. के संबंध में परिचालनों को बन्द करने के लिए अपनायी जानेवाली लेखांकन नीतियाँ, परिचालनों को जारी रखने के लिए अपनायी जानेवाली लेखांकन नीतियों के समनुरूप हैं।

Provident Fund - The eligible employees are entitled to receive benefits under Provident Fund, a defined contribution plan in which both employees and the employer make monthly contributions at a specified percentage of the covered employees salary, the contributions as specified under the Law are paid to the Provident Fund and Pension Fund with the Provident Fund Authorities.

Leave encashment - The eligible Leave encashment liability to the employees other than those deputed by Indian Bank has been provided for on the basis of actuarial valuation based on number of days un-utilised leave as at each balance sheet date.

The retirement benefit liability to staff on deputation from Parent is borne by the Parent except eligible Provident Fund contribution.

Indbank Housing Ltd.

12.3 Contribution to Provident Funds is made to the Regional Provident Fund Commissioner.

The Gratuity liability is covered by Trust formed under the Group Gratuity Scheme. The trust has purchased a Group Gratuity policy from LIC and the annual premium is paid through the Trust.

Liability for leave encashment is provided for on actuarial basis.

13. ACCOUNTING FOR LEASES

Lease payments including cost escalation for assets taken on operating lease are recognized in the Profit and Loss Account over the lease term or life whichever is lower.

14 CONTINGENT LIABILITIES AND PROVISIONS

14.1 Contingent liability: Past events leading to, possible or present obligations are recognised as contingent liability in the following instances where:

(a) The existence of such obligations has not been confirmed

(b) no outflow of resources are required to settle such obligations

(c) a reliable estimate of the amount of the obligations cannot be made

(d) such amounts are not material

14.2 a) Provision is recognized in case of present obligations where a reliable estimate can be made and/or where there are probable outflow of resources embodying foregoing of economic benefits to settle the obligations, excluding frivolous claims.

(b) Provision for Market Risk, Country Risk, etc., are made in terms of extant instructions of RBI.

(c) Floating provision as identified by the Bank Management is provided for. Floating provision may be utilized as per extant RBI guidelines, for -

(i) Making specific provisions for non-performing assets;

(ii) Meeting any shortfall in sale of non-performing assets.

15 IMPAIRMENT OF ASSETS

Impairment losses, if any, on Fixed Assets (including revalued assets) are recognised and charged to Profit and Loss Account in accordance with the Accounting Standard 28 “Impairment of Assets”. However, an impairment loss on a revalued asset is recognised directly against any revaluation surplus for the asset to the extent that the impairment loss does not exceed the amount held in the revaluation surplus for that same asset.

16 TAXES ON INCOME

16.1 Provision for tax is made for both Current Tax and Deferred Tax.

16.2 Current tax is measured at the amount expected to be paid to the taxation authorities, using the applicable tax rates, tax laws and favorable judicial pronouncements / legal opinion.

16.3 Deferred Tax Assets and Liabilities arising on account of timing differences and which are capable of reversal in subsequent periods are recognised using the tax rates and tax laws that have been enacted or substantively enacted till the date of the Balance Sheet. Deferred Tax Assets are not recognised unless there is “virtual certainty” that sufficient future taxable income will be available against which such deferred tax assets will be realized.

17 DISCONTINUING OPERATIONS

In respect of Indbank Merchant Banking Services Ltd accounting policies adopted for discontinued operations are in line with the accounting policies adopted for continuing operations.

अनुसूची –18

समेकित वित्तीय विवरणियों के लिए लेखों पर टिप्पणियां (2016–17)

1. अनुषंगियां

क्रम सं.	अनुषंगी का नाम	संस्थापना का देश	स्वामित्व का अनुपात
ए	इंडबैंक हाउसिंग लि.	भारत	51.00%
बी	इंडबैंक मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज़ लि.	भारत	64.84%

2. सहयोगी

क्रम सं.	सहयोगियों का नाम	शेयरधारिता का ढांचा
ए	पल्लवन ग्राम बैंक	35%
बी	सप्तगिरि ग्रामीण बैंक	35%
सी	पुदुवै भारतीयार ग्राम बैंक**	35%

3. लेखा समाधान एवं समायोजन

मूल संस्था

3.1.1 अंतर शाखा लेखों का लेखा समाधान 31.03.2017 तक पूरा किया जा चुका है। बैंक ने विभिन्न कारगर उपायों के द्वारा पुरानी बकाया प्रविष्टियों /आईबीजीए के स्तर में कमी लाई है। शेष बकाया प्रविष्टियों के समायोजन का कार्य प्रगति पर है। प्रबन्धन के अनुसार कुल ₹ 5.67 करोड राशि की 6798 आईबीजीए जमा प्रविष्टियाँ जोकि 01.03.2009 के पूर्व की अवधि से संबंधित है, बकाया हैं।

3.1.2 31.03.2017 तक 6 महीनों से अधिक के लिए बकाया अंतर शाखा लेखों में असमाशोधित प्रविष्टियों के संबंध में निवल जमा स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्रावधान की कोई आवश्यकता नहीं है।

3.1.3 देय ड्राफ़्ट, समाशोधन समायोजन, विविध प्राप्य, विविध जमा खाते आदि में और भारतीय रिजर्व बैंक तथा अन्य बैंकों से संबंधित बैंक समाधान में पुरानी बकाया प्रविष्टियों के समुचित समायोजन के लिए नियमित पुनरीक्षा की जाती है।

3.1.4 कुछ शाखाओं में अनुषंगी बहियों/रजिस्टरों का तुलन और सामान्य बहियों के साथ लेखा समाधान प्रगति पर है। प्रबंधन की राय में खातों पर उपर्युक्त विषयों का परिणामी वित्तीय प्रभाव बहुत ज्यादा नहीं होगा।

4. अचल आस्तियां

मूल संस्था

4.1.1 बैंक के परिसर में भूमि शामिल है तथा इसे पूनर्मूल्यांकित राशि पर लिया गया है! बैंक ने वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए अपने परिसर को पुनर्मूल्यांकन अनुमोदति बाह्य मूल्यांककों द्वारा उचित बाज़ार मूल्य पर किया है। वर्ष के लिए ₹ 80.90 करोड़ की राशि मूल्यह्रास हेतु प्रारंभिक पुनर्मूल्यांकन राशि पर प्रभारित किया गया तथा इसे ''पूनर्मूल्यांकन आरक्षित खाते'' में समायोजित किया गया।

4.1.2 परिसर में ₹ 3.59 करोड़ (विगत वर्ष ₹ 3.59 करोड़ मूल्य की 4 संपत्तियाँ) मूल्य की 4 संपत्तियाँ हैं जिनका पुनर्मूल्यांकित बही मूल्य, निवल मूल्यह्रास ₹53.75 करोड़ (विगत वर्ष ₹ 55.22 करोड़) है जिसके लिए पंजीकरण प्रक्रिया लंबित है।

4.1.3 आरक्षितियों से कमी :

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	आरक्षित निधियां	आहरित राशि		उद्देश्य
1.	पुनर्मूल्यन आरक्षित निधियों	2016-17	2015-16	
		80.90	73.77	परिसर में पुनर्मूल्यांकित भाग पर मूल्यह्रास
		-	31.93	आगे पुनर्मूल्यन पर कुछ परिसर के पुनर्मूल्यांकित बही मूल्य में कमी

SCHEDULE 18

NOTES ON ACCOUNTS TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (2016-17)

1. SUBSIDIARIES:

Sl.No.	Name of the Subsidiary	Country of Incorporation	Proportion of Ownership
a	Ind Bank Housing Ltd	India	51.00%
b	Indbank Merchant Banking Services Ltd	India	64.84%

2. ASSOCIATES:

Sl.No.	Name of the Associate	Shareholding Pattern
a	Pallavan Grama Bank	35%
b	Saptagiri Grameena Bank	35%
c	Puduvai Bharathiar Grama Bank	35%

3. RECONCILIATION AND ADJUSTMENTS

PARENT:

3.1.1 Reconciliation of Inter Branch Account is completed up to 31.03.2017. The Bank through various effective steps has achieved reduction in the old outstanding entries in IBGA. Adjustment of the remaining outstanding entries is in progress. As per the Management, 6798 IBGA credit entries aggregating to ₹5.67 crores are outstanding, pertaining to the period before 01/03/2009.

3.1.2 In view of the net credit position in respect of unreconciled entries in the Inter Branch Account outstanding for more than 6 months as on 31.03.2017, no provision is required.

3.1.3 Old outstanding entries in drafts payable, clearing adjustment, sundries receivable, sundry deposit accounts, etc. and in bank reconciliation relating to Reserve Bank of India and other banks are being regularly reviewed for appropriate adjustments.

3.1.4 Balancing of subsidiary ledgers / registers and reconciliation with general ledgers are in progress at some branches. In the opinion of the management, consequential financial impact of the above on the accounts will not be significant.

4. FIXED ASSETS

PARENT

4.1.1 The premises of the Bank include land and are stated at revalued amount. The Bank revalued its premises in the financial year 2015-16 at fair market value determined by the approved external valuers. For the year, depreciation amounting to ₹80.90 crores was charged on the opening revalued amount and adjusted against the "Revaluation Reserve Accounts".

4.1.2 Premises include 4 properties costing ₹ 3.59 crores (Previous year 4 properties costing ₹ 3.59 crores) having revalued book value, net of depreciation at ₹ 53.75 Crore (Previous year ₹ 55.22 crore) for which registration formalities are pending.

4.1.3 Draw Down from Reserves:

(₹ in crore)

Sl. No.	Reserves	Amount drawn		Purpose
1.	Revaluation Reserve	2016-17	2015-16	
		80.90	73.77	Depreciation on revalued portion on Premises
		-	31.93	Decrease in revalued book value of certain premises on further revaluation

5. कराधान

5.1 मूल संस्था

वर्ष के दौरान आयकर हेतु किए प्रावधान की राशि :

(₹ करोड़ में)

	2016-17	2015-16
कराधान के लिए प्रावधान (आस्तिगत कर सहित आय कर)	352.56	243.92

31.03.2017 को विवादित आयकर मांग ₹2619.21 करोड़ (पिछले वर्ष ₹2350.60) है, आकस्मिक देयताएँ के तहत भी शामिल किया गया जिसमें से 31.03.2017 तक विवादित आयकर का भुगतान ₹2576.67 करोड़ (पिछले वर्ष ₹2110.60 करोड़) है। न्यायिक उद्घोषणाओं तथा बैंकों के स्वीय वादों में अनुकूल निर्णयों के कारण कथित विवादित मांगों पर कोई प्रावधान करना आवश्यक नहीं समझा गया।

5.2 अनुषंगी कंपनियां

5.2.1 इंड बैंक मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज लि.

ए) हानियों (आय कर के अनुसार) तथा बही हानियों (एमएटी अभिकलन के अनुसार) को ध्यान में रखते हुए वर्ष के लिए कर प्रावधान की आवश्यकता नहीं है।

बी) विषयों पर न्यायिक निर्णयों और/या विधिक राय को ध्यान में रखते हुए आयकर की विवादित मांगों के लिए कोई प्रावधान नहीं रखा गया है।

सी) इस वर्ष के लिए आस्थगित कर (निवल) हेतु कोई प्रावधान की आवश्यकता नहीं है (पिछले वर्ष ₹ 11.37 लाख) तथा इसे लाभ एवं हानि लेखे में प्रभारित किया गया है।

डी) पूर्व अवधि के करों में निम्न भी शामिल हैं

आकलन वर्ष	विवरण	राशि (₹)
2014-15	बहि लाभ का संशोधित अभिकलन पर प्रदत्त कर	1062400
2016-17	मूल्यांकन वर्ष 2016–17 के लिए आय कर विवरणी फाईल करने के पहले अंतिम अभिकलन पर प्रदत्त कर	1838930
	कुल	**2901330**

5.2.2 इंड बैंक हाऊसिंग लिमिटेड

ए. भ्रामक अनिश्चितता के आधार पर अनवशोषित मूल्यह्रास और भावी कर–योग्य आय के विरुद्ध समंजन के लिए अगले लाभ से घाटा–पूर्ति को आस्थगित कर आस्ति के रूप में नहीं माना गया है।

बी. आयकर विभाग ने आकलन वर्ष 1999–00 के लिए ब्याज सहित ₹4.32 करोड के लिए एक मांग नोटिस भेजी है। यह मांग उपचय आधार पर गैर निष्पादक आस्तियों पर आय को ध्यान में लेते हुए भेजी गई है जिसे एनएचबी के दिशानिर्देशों के अनुसार आय के रूप में पहचाना नहीं जा सकता है। कंपनी ने इस मांग के विरुद्ध विवाद करते हुए माननीय मद्रास हाई कोर्ट के समक्ष अपील दायर किया है।

सी. आयकर विभाग द्वारा समायोजित मांग को ब्याज कर और अनुवर्ती वर्षों के लिए कुल ₹ 4.83 करोड़ की राशि के साथ ब्याज, आय कर वापसी दावों को दीर्घावधि ऋण एवं अग्रिमों के तहत दर्शाया गया है और वे आयकर विभाग द्वारा किए जाने वाले समाधान के अधीन हैं।

लेखाकरण मानकों के संबंध में प्रकटीकरण

6. मार्च 31, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित नकदी प्रवाह विवरण

(₹ करोड़ में)

	31.03.2017 को समाप्त वर्ष	31.03.2016 को समाप्त वर्ष
ए. परिचालनगत गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
लाभ व हानि खाते के अनुसार निवल लाभ	**1454.93**	**752.24**
समायोजन के लिए		
प्रावधान व आकस्मिकताएं	2593.79	2321.18
मूल्यह्रास	166.24	151.32
भूमि व मकान की बिक्री पर हानि/(लाभ)	1.03	1.90

5. TAXATION

5.1 PARENT

Amount of Provision made for Income Tax during the year:

(₹ in crore)

	2016-17	2015-16
Provision for Taxation (Income Tax including Deferred Tax)	352.56	243.92

The disputed income tax demand as at 31.03.2017 is at ₹2619.21 Crores (previous year ₹2350.60 Crores), also included under contingent liabilities, out of which ₹2576.67 Crores (previous year ₹2110.60 Crores) is the disputed income tax paid as at 31.03.2017. No provision is considered necessary for the said disputed demands on account of judicial pronouncements and favourable decisions in Bank's own case.

5.2 SUBSIDIARY COMPANIES

5.2.1 INDBANK MERCHANT BANKING SERVICES LTD

a) In view of losses (as per Income tax) as well as book losses (as per AT computation) no provision for tax is required for the year.

b) No provision is made for the disputed demands of income tax keeping in view the judicial pronouncements and/or legal opinion on the issues.

c) No provision is required for deferred tax for the year (Previous Year ₹11.37 lakhs).

d) Prior period taxes represents the following:

Assessment year	Particulars	Amount (₹)
2014-15	Tax paid on revised computation of Book profits	10,62,400
2016-17	Tax paid on final computation before filing Income tax return for the Assessment Year 2016-17	18,38,930
	Total	**29,01,330**

5.2.2 INDBANK HOUSING LTD

a. The unabsorbed depreciation and carry forward losses eligible for set-off against future taxable income have not been considered for deferred tax asset on the ground of virtual uncertainty.

b. The Income Tax Department has sent a demand notice for ₹4.32 crores for the assessment year 1999-2000 including interest. The demand is raised by considering the income on non-performing assets on accrual basis which, as per the NHB directives, could not be recognised as income. The Company has contested the demand and the matter is pending before the Honble Madras High Court.

c. The Demand adjusted by the Income Tax Department against the refund of Interest tax and the interest thereon along with the Income tax refund claims for subsequent years amounting to ₹ 4.83 crore is reflected under Long Term Loans and Advances and are subject to reconciliation with the Income Tax Department.

DISCLOSURES IN RESPECT OF ACCOUNTING STANDARDS

6. CONSOLIDATED CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31,2017 (AS3)

(₹ in crore)

	Year ended 31.03.2017	Year ended 31.03.2016
A. Cash flow from operating activities		
Net Profit as per Profit and Loss Account	**1454.93**	**752.24**
Adjustments for :		
Provisions and Contingencies	2593.79	2321.18
Depreciation	166.24	151.32
Loss/(profit) on sale of land and buildings	1.03	1.90

	31.03.2017 को समाप्त वर्ष	31.03.2016 को समाप्त वर्ष
कार्यशील पूँजी परिवर्तनों के पूर्व परिचालनगत लाभ	**4216.00**	**3226.64**
परिचालनगत आस्तियों में वृद्धि / कमी		
निवेशों में कमी/(वृद्धि)	(14,498.26)	(7,222.48)
अग्रिमों में (वृद्धि) कमी	1356.16	(3,185.24)
अन्य आस्तियों में वृद्धि	(3437.12)	(1,038.07)
	(16579.22)	(11445.79)
परिचालनगत देयताओं में वृद्धि / कमी		
जमाओं में वृद्धि	4221.12	9054.74
अन्य देयताओं में वृद्धि/(कमी)	(2671.74)	(1766.30)
	1549.38	7288.44
परिचालन से सृजित निवल नकदी (ए)	**(10813.85)**	**(930.72)**
निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
अचल आस्तियों की खरीद	(184.04)	(782.84)
अचल आस्तियों की बिक्री	4.67	11.12
निवेश गतिविधियों से सृजित निवल नकदी (बी)	**(179.38)**	**(771.72)**
वित्तपोषण गतिविधियों से कुल नकदी प्रवाह		
प्रदत्त किया गया लाभांश	(72.04)	(201.72)
प्रदत्त लाभांश वितरण कर	(14.67)	(41.29)
उधार में वृद्धि	9127.57	863.22
वित्तपोषण गतिविधियों से सृजित निवल नकदी (सी)	**9040.86**	**620.21**
नकदी और नकदी समकरणों में निवल वृद्धि/(कमी) (ए) + (बी) + (सी)	**(1952.37)**	**(1082.23)**
वर्ष के प्रारंभ में नकदी व नकदी तुल्य		
हाथ में नकदी (विदेशी मुद्रा नोटों सहित)	537.14	401.08
भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ चालू खाते में शेष	8637.32	7900.05
बैंकों में शेष		
(ए) चालू खातों में	10.63	20.61
(बी) अन्य जमा खातों में	275.93	276.16
बैंकों में मांग एवं अल्प सूचना पर राशियां		376.6
भारत के बाहर बैंकों में शेष		
(ए) चालू खातों में	258.26	1382.02
(बी) अन्य जमा खातों में	2274.04	2713
मांग एवं अल्प सूचना पर राशियां	6.29	12.32
	11999.61	13081.84
वर्ष के अंत में नकदी व नकदी तुल्य		
हाथ में नकदी (विदेशी मुद्रा नोटों सहित)	162.35	537.14
भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ चालू खाते में शेष	5426.35	8637.32
बैंकों में शेष		
(ए) चालू खातों में	13.76	10.63
(बी) अन्य जमा खातों में	962.25	275.93
बैंकों में मांग एवं अल्प सूचना पर राशियां		
भारत के बाहर बैंकों में शेष		
(ए) चालू खातों में	181.00	258.26
(बी) अन्य जमा खातों में	3290.33	2274.04
मांग एवं अल्प सूचना पर राशियां	11.21	6.29
	10047.24	**11999.61**

	Year ended 31.03.2017	Year ended 31.03.2016
Operating Profit before working Capital Changes	**4216.00**	**3226.64**
Increase/Decrease in Operating Assets		
Decrease/(Increase) in Investments	(14498.26)	(7222.48)
(Increase)/Decrease in advances	1356.16	(3185.24)
Increase in other assets	(3437.12)	(1038.07)
	(16579.22)	(11445.79)
Increase/Decrease in Operating Liabilities		
Increase in Deposits	4221.12	9054.74
Increase/(Decrease) in other liabilities	(2671.74)	(1766.30)
	1549.38	7288.44
Net cash generated from operations (A)	**(10813.85)**	**(930.72)**
B. Cash flow from investing activities		
Purchase of fixed assets	(184.04)	(782.84)
Sale of fixed assets	4.67	11.12
Net cash generated from Investing Activities (B)	**(179.38)**	**(771.72)**
C. Cash flow from Financing activities		
Payment of dividend	(72.04)	(201.72)
Payment of distribution tax	(14.67)	(41.29)
Increase in borrowings	9127.57	863.22
Net cash generated from financing activities (C)	**9040.86**	**620.21**
Net increase/(Decrease) in cash & cash equivalents (A)+(B)+(C)	**(1952.37)**	**(1082.23)**
cash and cash equivalents at the beginning of the year		
cash in hand (including foreign currency notes)	537.14	401.08
Balances with Reserve Bank of India - in current Account	8637.32	7900.05
Balances with Banks		
(a) in current Accounts	10.63	20.61
(b) in other deposit accounts	275.93	276.16
Money at Call and short notice with Banks		376.60
Balances with Banks outside India		
(a) in current Accounts	258.26	1382.02
(b) in other deposit accounts	2274.04	2713.00
Money at call and short notice	6.29	12.32
	11999.61	13081.84
Cash & Cash equivalents at the end of the year		
cash in hand (including foreign currency notes)	162.35	537.14
Balances with Reserve Bank of India - in current Account	5426.35	8637.32
Balances with Banks		
(a) in current Accounts	13.76	10.63
(b) in other deposit accounts	962.25	275.93
Money at Call and short notice with Banks	-	-
Balances with Banks outside India		
(a) in current Accounts	181.00	258.26
(b) in other deposit accounts	3290.33	2274.04
Money at call and short notice	11.21	6.29
	10047.24	**11999.61**

7. इस अवधि के लिए निवल लाभ या हानि, पूर्ववर्ती अवधि की मदें और लेखांकन अवधि में परिवर्तन (एएस5)

मूल संस्था

वर्ष के दौरान, बैंक ने उगाही आधार से उपचय आधार पर लॉकर किराए आय के संबंध में राजस्व मान्यता पर अपनी लेखा नीति बदल दी है। इस पर चालू वर्ष में रु.11.45 करोड़ का "कमीशन विनिमय और ब्रोकरेज" पर आय को कम करने पर प्रभाव पड़ा है जिसके परिणामस्वरूप वर्ष के लिए "अन्य आय" "कुल आय" और "निवल लाभ" कम हो सकता है।

8. कर्मचारी लाभ (एएस 15)

8.1.1 परिभाषित अंशदान योजनाएँ :

भविष्य निधि एक वैधानिक दायित्व है और अंशदायी भविष्य निधि का विकल्प चुननेवालों के मामले में बैंक पूर्वनिर्धारित दरों पर निश्चित अंशदान अदा करता है। ऐसे निश्चित अंशदान की राशि तक ही बैंक का दायित्व सीमित है। इन अंशदानों को लाभ एवं हानि लेखा में प्रभारित किया जाता है। निधि का प्रबंध इंडियन बैंक स्टाफ भविष्य निधि न्यास द्वारा किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान, बैंक ने ₹0.95 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 2.11 करोड़) का अंशदान दिया है।

नई पेंशन योजना उन कर्मचारियों पर लागू होती है, जिनकी बैंक में भर्ती 01.04.2010 के बाद हुई है और यह एक परिभाषित अंशदान योजना है। एनपीएस के अंतर्गत बैंक पूर्व निर्धारित दर पर एक निश्चित अंशदान अदा करता है और बैंक का दायित्व ऐसे निश्चित अंशदान तक सीमित है। इस अंशदान को लाभ एवं हानि लेखा में प्रभारित किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान, बैंक ने ₹ 35.77 करोड़ (पिछले वर्ष ₹26.47 करोड़) का अंशदान दिया है।

8.1.2 परिभाषित लाभ योजनाएँ :

लेखा मानक – 15 (संशोधित) के अनुसरण में अपेक्षित लाभ एवं हानि लेखा और तुलन पत्र में मान्यता दिए गए नियोजनोत्तर लाभ और दीर्घकालीन कर्मचारी लाभों की संक्षेप में स्थिति निम्नानुसार है : –

I. मूल बीमांकन अनुमान (भारित औसतों के रूप में व्यक्त)	31.03.2017	31.03.2016
बट्टे की दर	पेन्शन के लिए 7.29 % - 15 वर्ष जी –सेक पत्र उपदान के लिए 7.12% - 10 वर्ष जी–सेक प्त्र	पेन्शन के लिए 8.04% - 15 वर्ष जी–सेक पत्र उपदान के लिए 7.56% -10 वर्ष जी–सेक प्त्र वेतन
वेतन में बढोत्तरी की दर	6.00% (वेतन संशोधन के लिए 0.50% के साथ)	6.00% (वेतन संशोधन के लिए 0.50% के साथ)
पदत्याग की दर	पेंशन के लिए 1.00% और सेवारत कर्मचारियों के लिए 2.00%	पेंशन के लिए 1.00% और सेवारत कर्मचारियों के लिए 2.00%
योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल की दर *	पेंशन के लिए 8.62% और उपदान के लिए 8.57%	9.00%
प्रयुक्त तरीका	परियोजना इकाई ऋण (पीयूसी) बीमांकक तरीका	

* योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल की दर, छुट्टी भुनाई पर लागू नहीं होगी।

भावी वेतनवृद्धियों के आकलन मुद्रास्फीति, वरिष्ठता, पदोन्नति और अन्य संबंधित घटक जैसे नियोजन बाज़ार में आपूर्ति एवं मांग को हिसाब में लेकर भारतीय बैंक संघ द्वारा अधिवर्षिता योजनाओं के निधीयन पर दिशानिर्देश्या के अनुरूप किये जाते हैं।

छुट्टी भुनाई की देयताएँ गैर–निधिक होते हैं।

चालू वर्ष 2016–17 (₹ करोड़ में)

II. बाध्यता के वर्तमान मूल्य (पीवीओ) में परिवर्तन – अथशेष एवं अंतशेष का लेखा समाधान	**पेंशन निधि**	**उपदान निधि**	**छुट्टी भुनाई**
वर्ष के आरंभ में पीवीओ	**5608.14**	**831.94**	**161.63**
ब्याज लागत	98.16	56.35	11.25
वर्तमान सेवा लागत	81.41	49.35	17.22
विगत सेवा लागत – पहचाने गए / निहित लाभ	0.00	0.00	0.00
विगत सेवा लागत – पहचाने न गए / गैर–निहित लाभ	0.00	0.00	0.00
प्रदत्त लाभ	(489.38)	(124.08)	(15.88)
बाध्यता पर (संतुलन आंकडा) बीमांकिक हानि / (लाभ)	626.82	87.34	(3.01)
वर्ष की समाप्ति पर पीवीओ	**5925.15**	**900.90**	**171.21**

7. Net Profit or loss for the period, prior period item and changes in Accounting Policies (AS 5)

PARENT

During the year, the Bank has changed its accounting policy on Revenue Recognition in respect of income on Locker Rent from realization basis to accrual basis. This has impact on lowering the income on "Commission Exchange & Brokerage" by ₹11.45 crore in the current year with consequent lowering of "Other Income," "Total Income" and "Net Profit" for the year.

8. EMPLOYEE BENEFITS (AS 15)

8.1.1 Defined Contribution Plans:

Provident fund is a statutory obligation and in the case of Contributory Provident Fund Optees, the Bank pays fixed contribution at pre-determined rates. The obligation of the Bank is limited to such fixed contribution. The contributions are charged to Profit and Loss Account. The fund is managed by Indian Bank Staff Provident Fund Trust. During the financial year 2016-17, the Bank has contributed ₹0.95 crores (previous year ₹2.11 crores).:

New Pension Scheme (NPS) is applicable to employees who joined bank on or after 01.04.2010 and it is a defined contribution scheme. Under NPS the Bank pays fixed contribution at pre determined rate and the obligation of the Bank is limited to such fixed contribution. The contribution is charged to Profit and Loss Account. During the financial year 2015-16, the Bank has contributed ₹35.77 crores (previous year ₹26.47 crores).

8.1.2 Defined Benefit Plans:

The summarized position of Post-employment benefits and long term employee benefits recognised in the Profit & Loss Account and Balance Sheet as required in accordance with Accounting Standard 15 (Revised) are as under:

I.PRINCIPAL ACTUARIAL ASSUMPTIONS [Expressed as weighted averages]	**31/03/2017**	**31/03/2016**
Discount Rate	7.29% for Pension–15 year G-sec paper 7.12% for Gratuity —10 year G-sec paper	8.04% for Pension – 15 year G-sec paper 7.56% for Gratuity – 10 year G-sec paper
Salary escalation rate	6.00% (includes 0.50% for wage revision)	6.00% (includes 0.50% for wage revision)
Attrition rate	1.00% for Pension and 2.00% for Serving Employees	6.00% for Pension and 2.00% for Serving Employees
Expected rate of return on Plan Assets *	8.62% for Pension and 8.57% for Gratuity	9.00%
Method used	Projected Unit Credit (PUC) actuarial Method	

* Expected Rate of return on Plan Assets not applicable for Leave encashment.

The estimates of future salary increases are considered taking into account inflation, seniority, promotion and other relevant factors, such as supply and demand in the employment market and in tandem with Funding Guidelines for Superannuation Schemes communicated by IBA.

The liabilities of leave encashment are unfunded.

Current Year 2016-17 (₹ in Crore)

II. CHANGES IN THE PRESENT VALUE OF THE OBLIGATION (PVO) - RECONCILIATION OF OPENING AND CLOSING BALANCES:	**Pension Fund**	**Gratuity Fund**	**Leave Encashment**
PVO as at the beginning of the year	**5608.14**	**831.94**	**161.63**
Interest Cost	98.16	56.35	11.25
Current service cost	81.41	49.35	17.22
Past service cost – recognized / vested benefits	0.00	0.00	0.00
Past service cost – unrecognized / non-vested benefits	0.00	0.00	0.00
Benefits paid	(489.38)	(124.08)	(15.88)
Actuarial loss/(gain) on obligation (balancing figure)	626.82	87.34	(3.01)
PVO as at the end of the year	**5925.15**	**900.90**	**171.21**

पिछले वर्ष **2015-16** (₹ करोड़ में)

II. बाध्यता के वर्तमान मूल्य (पीवीओ) में परिवर्तन – अथशेष एवं अंतशेष का लेखा समाधान	पेंशन निधि	उपदान निधि	छुट्टी भुनाई
वर्ष के आरंभ में पीवीओ	**5306.22**	**844.78**	**154.58**
ब्याज लागत	404.03	58.63	7.24
वर्तमान में सेवा लागत	75.54	42.82	17.14
विगत सेवा लागत – पहचाने गए / निहित लाभ	0.00	0.00	0.00
विगत सेवा लागत – पहचाने न गए / गैर–निहित लाभ	0.00	0.00	0.00
प्रदत्त लाभ	(562.05)	(138.49)	(117.70)
बाध्यता पर (संतुलन आंकडा) बीमांकिक हानि / (लाभ)	384.40	24.20	100.37
वर्ष की समाप्ति पर पीवीओ	**5608.14**	**831.94**	**161.63**

चालू वर्ष **2016-17** (₹ करोड़ में)

III. योजना आस्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन – अथशेष एवं अंतशेष का लेखा समाधान	पेंशन निधि	उपदान निधि	छुट्टी भुनाई
वर्ष के आरंभ में योजना आस्तियों का उचित मूल्य	**5508.95**	**829.38**	**0.00**
योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल	441.99	70.99	0.00
अंशदान	352.07	99.16	15.88
प्रदत्त लाभ	(489.38)	(124.08)	(15.88)
योजना आस्तियों पर (संतुलन आंकडा) बीमांकिक लाभ / (हानि)	27.73	1.36	0.00
वर्ष की समाप्ति पर योजना आस्तियों का उचित मूल्य	**5841.36**	**876.81**	**0.00**

पिछले वर्ष **2015-16** (₹ करोड़ में)

III. योजना आस्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन – अथ शेष एवं अंतशेष का लेखा समाधान	पेंशन निधि	उपदान निधि	छुट्टी भुनाई
वर्ष के आरंभ में योजना आस्तियों का उचित मूल्य	**5215.05**	**835.47**	**0.00**
योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल	461.60	70.98	0.00
अंशदान	401.96	63.08	117.70
प्रदत्त लाभ	(562.05)	(138.49)	(117.70)
योजना आस्तियों पर (संतुलन आंकडा) बीमांकिक लाभ / (हानि)	(7.61)	(1.66)	0.00
वर्ष की समाप्ति पर योजना आस्तियों का उचित मूल्य	**5508.95**	**829.38**	**0.00**

चालू वर्ष **2016-17** (₹ करोड़ में)

IV. योजना आस्तियों पर वास्तविक प्रतिफल	पेंशन निधि	उपदान निधि	छुट्टी भुनाई
योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल	441.99	70.99	0.00
योजना आस्तियों पर बीमांकिक लाभ (हानि)	27.73	1.36	0.00
योजना आस्तियों पर वास्तविक प्रतिफल	469.72	72.35	0.00

पिछले वर्ष **2015-16** (₹ करोड़ में)

IV. योजना आस्तियों पर वास्तविक प्रतिफल	पेंशन निधि	उपदान निधि	छुट्टी भुनाई
योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल	461.60	70.98	0.00
योजना आस्तियों पर बीमांकिक लाभ / (हानि)	(7.61)	(1.66)	0.00
योजना आस्तियों पर वास्तविक प्रतिफल	453.99	69.32	0.00

Previous Year 2015-16 (₹ in Crore)

II. CHANGES IN THE PRESENT VALUE OF THE OBLIGATION (PVO) - RECONCILIATION OF OPENING AND CLOSING BALANCES:	Pension Fund	Gratuity Fund	Leave Encashment
PVO as at the beginning of the year	**5306.22**	**844.78**	**154.58**
Interest Cost	404.03	58.63	7.24
Current service cost	75.54	42.82	17.14
Past service cost – recognized / vested benefits	0.00	0.00	0.00
Past service cost – unrecognized / non-vested benefits	0.00	0.00	0.00
Benefits paid	(562.05)	(138.49)	(117.70)
Actuarial loss/(gain) on obligation (balancing figure)	384.40	24.20	100.37
PVO as at the end of the year	**5608.14**	**831.94**	**161.63**

Current Year 2016-17 (₹ in Crore)

III. CHANGES IN THE FAIR VALUE OF PLAN ASSETS - RECONCILIATION OF OPENING AND CLOSING BALANCES:	Pension Fund	Gratuity Fund	Leave Encashment
Fair value of plan assets as at the beginning of the year	**5508.95**	**829.38**	**0.00**
Expected return on plan assets	441.99	70.99	0.00
Contributions	352.07	99.16	15.88
Benefits paid	(489.38)	(124.08)	(15.88)
Actuarial gain/(loss) on plan assets [balancing figure]	27.73	1.36	0.00
Fair value of plan assets as at the end of the year	**5841.36**	**876.81**	**0.00**

Previous Year 2015-16 (₹ in Crore)

III. CHANGES IN THE FAIR VALUE OF PLAN ASSETS - RECONCILIATION OF OPENING AND CLOSING BALANCES:	Pension Fund	Gratuity Fund	Leave Encashment
Fair value of plan assets as at the beginning of the year	**5215.05**	**835.47**	**0.00**
Expected return on plan assets	461.60	70.98	0.00
Contributions	401.96	63.08	117.70
Benefits paid	(562.05)	(138.49)	(117.70)
Actuarial gain/(loss) on plan assets [balancing figure]	(7.61)	(1.66)	0.00
Fair value of plan assets as at the end of the year	**5508.95**	**829.38**	**0.00**

Current Year 2016-17 (₹ in Crore)

IV. ACTUAL RETURN ON PLAN ASSETS	Pension Fund	Gratuity Fund	Leave Encashment
Expected return on plan assets	441.99	70.99	0.00
Actuarial gain / (loss) on plan assets	27.73	1.36	0.00
Actual return on plan assets	469.72	72.35	0.00

Previous Year 2015-16 (₹ in Crore)

IV. ACTUAL RETURN ON PLAN ASSETS	Pension Fund	Gratuity Fund	Leave Encashment
Expected return on plan assets	461.60	70.98	0.00
Actuarial gain / (loss) on plan assets	(7.61)	(1.66)	0.00
Actual return on plan assets	453.99	69.32	0.00

चालू वर्ष **2016-17** (₹ करोड़ में)

V. पहचाना गया बीमांकिक लाभ/हानि	पेंशन निधि	उपदान निधि	छुट्टी भुनाई
वर्ष के लिए बीमांकिक लाभ/(हानि) – बाध्यता	(626.82)	(87.34)	3.01
वर्ष के लिए बीमांकिक लाभ/(हानि)–योजना आस्तियां	27.73	1.36	0.00
वर्ष के लिए कुल (लाभ) / हानि	(599.09)	(85.98)	3.01
वर्ष के दौरान पहचाने गए बीमांकक लाभ/(हानि)	**(599.09)**	**(85.98)**	**3.01**
वर्ष के अंत में न पहचाने गए बीमांकिक लाभ/(हानि)	0.00	0.00	0.00

पिछले वर्ष 2015–16 (₹ करोड़ में)

V. पहचाना गया बीमांकिक लाभ/हानि	पेंशन निधि	उपदान निधि	छुट्टी भुनाई
वर्ष के लिए बीमांकिक लाभ/(हानि) – बाध्यता	(384.40)	(24.20)	(100.37)
वर्ष के लिए बीमांकिक लाभ/(हानि)–योजना आस्तियां	(7.61)	(1.66)	0.00
वर्ष के लिए कुल लाभ/(हानि)	(392.01)	(25.86)	(100.37)
वर्ष के दौरान पहचाने गए बीमांकिक लाभ/(हानि)	**(392.01)**	**(25.86)**	**(100.37)**
वर्ष के अंत में न पहचाने गए बीमांकिक लाभ/(हानि)	0.00	0.00	0.00

चालू वर्ष 2016–17 (₹ करोड़ में)

VI. तुलन पत्र में पहचानी गयी राशियां और संबंधित विश्लेषण	पेंशन निधि	उपदान निधि	छुट्टी भुनाई
बाध्यता का वर्तमान मूल्य	5925.15	900.90	171.21
योजना आस्तियों का उचित मूल्य	5841.36	876.81	0.00
अन्तर	(83.79)	(24.09)	(171.21)
पहचान न की गयी संक्रमणकालीन देयता	0.00	0.00	0.00
पहचान न की गयी विगत सेवा लागत	0.00	0.00	0.00
तुलन पत्र में पहचानी गयी देयता	(83.79)	(24.09)	(171.21)

पिछले वर्ष 2015–16 (₹ करोड़ में)

VI. तुलन पत्र में पहचानी गयी राशियां और संबंधित विश्लेषण	पेंशन निधि	उपदान निधि	छुट्टी भुनाई
बाध्यता का वर्तमान मूल्य	5608.14	831.94	161.63
योजना आस्तियों का उचित मूल्य	5508.95	829.38	0.00
अन्तर	(99.19)	(2.56)	(161.63)
पहचान न की गयी संक्रमणकालीन देयता	0.00	0.00	0.00
पहचान न की गयी विगत सेवा लागत	0.00	0.00	0.00
तुलन पत्र में पहचानी गयी आस्ति (देयता)	(99.19)	(2.56)	(161.63)

चालू वर्ष 2016–17 (₹ करोड़ में)

VII. लाभ एवं हानि लेखे में पहचाने गये व्यय	पेंशन निधि	उपदान निधि	छुट्टी भुनाई
वर्तमान सेवा लागत	81.41	49.35	17.22
ब्याज लागत	98.15	56.35	11.25
योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल	(441.99)	(70.99)	0.00
निवल बीमांकिक (लाभ)/ हानि जो इस वर्ष में पहचानी गयी है	599.09	85.98	(3.01)
इस वर्ष में पहचानी गयी संक्रमणकालीन देयता	0.00	0.00	0.00
विगत सेवा लागत – पहचानी गई	0.00	0.00	0.00
लाभ एवं हानि लेखे में पहचाने गये व्यय	336.66	120.69	25.46

Current Year 2016-17 (₹ in Crore)

V. ACTUARIAL GAIN / LOSS RECOGNISED	Pension Fund	Gratuity Fund	Leave Encashment
Actuarial gain / (loss) for the year - Obligation	(626.82)	(87.34)	3.01
Actuarial gain / (loss) for the year- Plan Assets	27.73	1.36	0.00
Total gain / (loss) for the year	(599.09)	(85.98)	3.01
Actuarial gain / (loss) recognised in the year	**(599.09)**	**(85.98)**	**3.01**
Unrecognised actuarial gain / (loss) at the end of the year	0.00	0.00	17.22

Previous Year 2015-16 (₹ in Crore)

V. ACTUARIAL GAIN / LOSS RECOGNISED	Pension Fund	Gratuity Fund	Leave Encashment
Actuarial gain / (loss) for the year - Obligation	(384.40)	(24.20)	(100.37)
Actuarial gain / (loss) for the year- Plan Assets	(7.61)	(1.66)	0.00
Total gain / (loss) for the year	(392.01)	(25.86)	(100.37)
Actuarial gain / (loss) recognised in the year	**(392.01)**	**(25.86)**	**(100.37)**
Unrecognised actuarial gain / (loss) at the end of the year	0.00	0.00	0.00

Current Year 2016-17 (₹ in Crore)

VI. AMOUNTS RECOGNISED IN THE BALANCE SHEET AND RELATED ANALYSIS	Pension Fund	Gratuity Fund	Leave Encashment
Present value of the obligation	5925.15	900.90	171.21
Fair value of plan assets	5841.36	876.81	0.00
Difference	(83.79)	(24.09)	(171.21)
Unrecognised transitional liability	0.00	0.00	0.00
Unrecognised past service cost	0.00	0.00	0.00
Liability recognised in the balance sheet	(83.79)	(24.09)	(171.21)

Previous Year 2015-16 (₹ in Crore)

VI. AMOUNTS RECOGNISED IN THE BALANCE SHEET AND RELATED ANALYSIS	Pension Fund	Gratuity Fund	Leave Encashment
Present value of the obligation	5608.14	831.94	161.63
Fair value of plan assets	5508.95	829.38	0.00
Difference	(99.19)	(2.56)	(161.63)
Unrecognised transitional liability	0.00	0.00	0.00
Unrecognised past service cost	0.00	0.00	0.00
Liability recognised in the balance sheet	(99.19)	(2.56)	(161.63)

Current Year 2016-17 (₹ in Crore)

VII. EXPENSES RECOGNISED IN THE STATEMENT OF PROFIT AND LOSS:	Pension Fund	Gratuity Fund	Leave Encashment
Current service cost	81.41	49.35	17.22
Interest Cost	98.15	56.35	11.25
Expected return on plan assets	(441.99)	(70.99)	0.00
Net actuarial (gain)/loss recognised in the year	599.09	85.98	(3.01)
Transitional Liability recognised in the year	0.00	0.00	0.00
Past service cost - recognised	0.00	0.00	0.00
Expenses recognised in the statement of profit and loss	336.66	120.69	25.46

पिछले वर्ष 2015–16 (₹ करोड़ में)

VII. पहचाना गया बीमांकिक लाभ / हानि	पेंशन निधि	उपदान निधि	छुट्टी भुनाई
वर्तमान सेवा लागत	75.54	42.82	17.14
ब्याज लागत	404.03	58.63	7.24
योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल	(461.60)	(70.98)	0.00
निवल बीमांकिक (लाभ) / हानि जो इस वर्ष में पहचानी गयी है	392.01	25.86	100.37
इस वर्ष में पहचानी गयी संक्रमणकालीन देयता	0.00	0.00	0.00
विगत सेवा लागत – पहचानी गई	0.00	0.00	0.00
लाभ एवं हानि लेखें में पहचाने गये व्यय	409.98	56.33	124.75

चालू वर्ष 2016–17 (₹ करोड़ में)

VIII. तुलन पत्र में पहचानी गयी देयताओं में परिवर्तन	पेंशन निधि	उपदान निधि	छुट्टी भुनाई
निवल देयता का आरंभिक शेष	99.19	2.56	161.63
उपर्युक्तानुसार व्यय	336.66	120.69	25.45
प्रदत्त अंशदान	(352.07)	(99.16)	(15.87)
निवल देयता का अंत शेष	83.79	24.09	171.21

पिछले वर्ष 2015–16 (₹ करोड़ में)

VIII. तुलन पत्र में पहचानी गयी देयताओं में परिवर्तन	पेंशन निधि	उपदान निधि	छुट्टी भुनाई
निवल देयता का आरंभ शेष	91.17	9.31	154.58
उपर्युक्तानुसार व्यय	409.98	56.33	124.75
प्रदत्त अंशदान	(401.96)	(63.08)	(117.70)
निवल देयता का अंत शेष	99.19	2.56	161.63

(₹ करोड़ में)

IX. (I) चालू वर्ष 2016-17	पेंशन निधि	उपदान निधि	छुट्टी भुनाई
बाध्यता का वर्तमान मूल्य	5925.15	900.90	171.21
योजना आस्तियां	5841.36	876.81	0.00
अधिशेष / (घाटा)	(83.79)	(24.09)	(171.21)
योजना देयताओं पर अनुभव समायोजन (हानि) / लाभ	(626.82)	(87.34)	3.01
योजना आस्तियों पर अनुभव समयोजन (हानि) / लाभ	27.73	1.36	0.00

(₹ करोड़ में)

IX. (ii) पिछले वर्ष 2013-16 पेंशन	31.03.2013 को समाप्त वर्ष	31.03.2014 को समाप्त वर्ष	31.03.2015 को समाप्त वर्ष	31.03.2016 को समाप्त वर्ष
बाध्यता का वर्तमान मूल्य	4521.26	4930.31	5306.22	5608.14
योजना आस्तियां	4195.96	4767.66	5215.05	5508.95
अधिशेष / (घाटा)	(325.30)	(162.65)	(91.17)	(99.19)
योजना देयताओं पर अनुभव समायोजन (हानि) / लाभ	533.47	(263.75)	(305.93)	(384.40)
योजना आस्तियों पर अनुभव समयोजन (हानि) / लाभ	24.35	(21.88)	13.13	(7.61)

(₹ करोड़ में)

IX. (iii) पिछले वर्ष 2013-16 उपदान	31.03.2013 को समाप्त वर्ष	31.03.2014 को समाप्त वर्ष	31.03.2015 को समाप्त वर्ष	31.03.2016 को समाप्त वर्ष
बाध्यता का वर्तमान मूल्य	810.57	897.83	844.78	831.94
योजना आस्तियां	744.18	864.63	835.47	829.38
अधिशेष (घाटा)	(99.60)	(66.40)	(33.19)	(9.31)
योजना देयताओं पर अनुभव समायोजन (हानि / लाभ)	75.89	113.35	21.09	(24.20)
योजना आस्तियों पर अनुभव समयोजन (हानि) / लाभ	0.00	0.65	10.61	(1.66)

Previous Year 2015-16 (₹ in Crore)

VII. EXPENSES RECOGNISED IN THE STATEMENT OF PROFIT AND LOSS:	Pension Fund	Gratuity Fund	Leave Encashment
Current service cost	75.54	42.82	17.14
Interest Cost	404.03	58.63	7.24
Expected return on plan assets	(461.60)	(70.98)	0.00
Net actuarial (gain)/loss recognised in the year	392.01	25.86	100.37
Transitional Liability recognised in the year	0.00	0.00	0.00
Past service cost - recognised	0.00	0.00	0.00
Expenses recognised in the statement of profit and loss	409.98	56.33	124.75

Current Year 2016-17 (₹ in Crore)

VIII. MOVEMENTS IN THE LIABILITY RECOGNISED IN THE BALANCE SHEET	Pension Fund	Gratuity Fund	Leave Encashment
Opening net liability	99.19	2.56	161.63
Expense as above	336.66	120.69	25.45
Contribution paid	(352.07)	(99.16)	(15.87)
Closing net liability	83.79	24.09	171.21

Previous Year 2015-16 (₹ in Crore)

VIII. MOVEMENTS IN THE LIABILITY RECOGNISED IN THE BALANCE SHEET	Pension Fund	Gratuity Fund	Leave Encashment
Opening net liability	91.17	9.31	154.58
Expense as above	409.98	56.33	124.75
Contribution paid	(401.96)	(63.08)	(117.70)
Closing net liability	99.19	2.56	161.63

(₹ in Crore)

IX. (i) Current Year 2016-17	Pension Fund	Gratuity Fund	Leave Encashment
Present Value of obligation	5925.15	900.90	171.21
Plan Assets	5841.36	876.81	0.00
Surplus/ (Deficit)	(83.79)	(24.09)	(171.21)
Experience adjustments on plan liabilities- (loss) / gain	(626.82)	(87.34)	3.01
Experience adjustments on plan assets- (loss) / gain	27.73	1.36	0.00

(₹ in Crore)

IX. (ii) Previous Years 2013-16 Pension	Year ended 31.03.2013	Year ended 31.03.2014	Year ended 31.03.2015	Year ended 31.03.2016
Present Value of obligation	4521.26	4930.31	5306.22	5608.14
Plan Assets	4195.96	4767.66	5215.05	5508.95
Surplus/ (Deficit)	(325.30)	(162.65)	(91.17)	(99.19)
Experience adjustments on plan liabilities- (loss) / gain	533.47	(263.75)	(305.93)	(384.40)
Experience adjustments on plan assets- (loss) / gain	24.35	(21.88)	13.13	(7.61)

(₹ in Crore)

IX. (iii) Previous Years 2013-16 Gratuity	Year ended 31.03.2013	Year ended 31.03.2014	Year ended 31.03.2015	Year ended 31.03.2016
Present Value of obligation	810.57	897.83	844.78	831.94
Plan Assets	744.18	864.63	835.47	829.38
Surplus/ (Deficit)	(66.40)	(33.19)	(9.31)	(2.56)
Experience adjustments on plan liabilities- (loss) / gain	75.89	113.35	21.09	(24.20)
Experience adjustments on plan assets- (loss) / gain	0.00	0.65	10.61	(1.66)

(₹ करोड़ में)

IX. (iii) पिछले वर्षों 2013–16 के लिए छुट्टी भुनाई	31.03.2013 को समाप्त वर्ष	31.03.2014 को समाप्त वर्ष	31.03.2015 को समाप्त वर्ष	31.03.2016 को समाप्त वर्ष
बाध्यता का वर्तमान मूल्य	236.22	200.69	154.58	161.63
योजना आस्तियां	0.00	0.00	0.00	0.00
अधिशेष (घाटा)	(236.22)	(200.69)	(154.58)	(161.63)
योजना देयताओं पर अनुभव समायोजन (हानि / लाभ)	2.23	4.39	(8.15)	(100.37)
योजना आस्तियों पर अनुभव समयोजन (हानि / लाभ)	0.00	0.00	0.00	0.00

(₹ करोड़ में)

X. योजना आस्तियों के मुख्य संवर्ग (कुल योजना आस्तियों के प्रतिशत में)	पेंशन निधि	उपदान निधि	पेंशन निधि	उपदान निधि
	2016-17		2015-16	
भारत सरकार प्रतिभूतियाँ	—	—	—	—
राज्य सरकार प्रतिभूतियाँ	—	—	—	—
भारत सरकार प्रतिभूतियाँ और राज्य सरकार प्रतिभूतियाँ	40.13	13.10	46.04	22.60
उच्च गुणवत्तावाले कार्पोरेट बांड	0.00	0.00	0.22	0.26
विशेष जमा योजना	0.00	0.00	0.00	0.00
बीमाकर्ता द्वारा व्यवस्थित निधियाँ	59.87	86.90	53.74	77.14
निजी क्षेत्र के बॉण्ड	0.00	0.00	0.00	0.00
मनी मार्केट	0.00	0.00	0.26	0.28
कुल	100.00	100.00	100.00	100.00

(₹ करोड़ में)

XI. अगले वर्ष के दौरान अंशदान	पेंशन निधि	उपदान राशि	अर्जित छुट्टी
अगले वर्ष के दौरान अंशदान पर उद्यम का सर्वोच्च अनुमान	352.00	90.44	30.22

8.1.3 अन्य दीर्घकालीन कर्मचारी लाभ

बैंक द्वारा नियुक्त स्वतंत्र बीमांकक द्वारा बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार दीर्घकालीन कर्मचारी लाभों के लिए ₹1.68 करोड़ की राशि (पिछले वर्ष ₹ 1.55 करोड़) प्रदान / (अवलिखित) की गई तथा इसे लाभ एवं हानि लेखा में "कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान" शीर्ष के तहत शामिल किया गया।

वर्ष के दौरान विभिन्न दीर्घकालीन कर्मचारी लाभों हेतु बनाए गए (अवलिखित) अतिरिक्त प्रावधानों का विवरणः

(₹ करोड़ में)

सं.	दीर्घकालीन कर्मचारी लाभ	31/03/2017	31/03/2016
1	बीमारी छुट्टी	0.37	(0.21)
2	आकस्मिक छुट्टी	0.18	(0.27)
3	छुट्टी यात्रा रियायत	1.13	(1.07)
	कुल	**1.68**	**(1.55)**

नोटः शामिल प्रकटीकरण में बीमांकक द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना की सीमा तक सीमित है।

8.2 अनुषंगी कंपनियां

8.2.1 इंड बैंक मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज लिमिटेड

परिभाषित अंशदान योजना

परिभाषित अंशदान योजना हेतु अंशदान जिसे वर्ष के लिए व्यय माना गया, निम्नप्रकार प्रस्तुत है : ₹

विवरण	2016-17	2015-16
भविष्य निधि को नियोक्ता का अंशदान	3018147	2836695

(₹ in Crore)

IX. (iii) Previous Years 2013-16 Leave Encashment	Year ended 31.03.2013	Year ended 31.03.2014	Year ended 31.03.2015	Year ended 31.03.2016
Present Value of obligation	236.22	200.69	154.58	161.63
Plan Assets	0.00	0.00	0.00	0.00
Surplus/ (Deficit)	(236.22)	(200.69)	(154.58)	(161.63)
Experience adjustments on plan liabilities- (loss) / gain	2.23	4.39	(8.15)	(100.37)
Experience adjustments on plan assets- (loss) / gain	0.00	0.00	0.00	0.00

(₹ in Crore)

X. MAJOR CATEGORIES OF PLAN ASSETS (AS PERCENTAGE OF TOTAL PLAN ASSETS)	Pension Fund	Gratuity Fund	Pension Fund	Gratuity Fund
	2016-17		2015-16	
Government of India Securities	—	—	—	—
State Government Securities	—	—	—	—
Government of India Securities and State Government Securities	40.13	13.10	46.04	22.60
High Quality Corporate Bonds	0.00	0.00	0.22	0.26
Special Deposit Scheme	0.00	0.00	0.00	0.00
Funds managed by Insurer	59.87	86.90	53.74	77.14
Private Sector Bonds	0.00	0.00	0.00	0.00
Money Market	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	100.00	100.00	100.00	100.00

(₹ in Crore)

XI. CONTRIBUTION DURING NEXT YEAR	Pension Fund	Gratuity Fund	Earned Leave
Enterprises best estimate of contribution during next year	352.00	90.44	30.22

8.1.3 Other Long Term Employee Benefits

Amount of ₹1.68 crore (previous year ₹1.55 crore) is provided / (written back) towards Long Term Employee Benefits as per the actuarial valuation by the independent Actuary appointed by the Bank and is included under the head "Payments to and Provisions for Employees" in Profit and Loss Account.

Details of additional Provisions made / (written back) for various long Term Employee Benefits during the year:

(₹ in Crore)

No.	Long Term Employee Benefits	31/03/2017	31/03/2016
1	Sick Leave	0.37	(0.21)
2	Casual Leave	0.18	(0.27)
3	Leave Travel Concession	1.13	(1.07)
	Total	**1.68**	**(1.55)**

Note: Disclosures included are limited to the extent of information provided by the Actuary.

8.2 SUBSIDIARY COMPANIES

8.2.1 INDBANK MERCHANT BANKING SERVICES LTD

Defined Contribution Plan

Contribution to Defined Contribution Plan, recognized as expense for the year are as under:

₹

Details	2016-17	2015-16
Employer's contribution to Provident Fund	3018147	2836695

परिभाषित लाभ योजना

I) परिभाषित लाभ बाध्यता के अथशेष व इतिशेष का लेखा समाधान

₹

विवरण	उपदान (निधिक)		छुट्टी भुनाई (गैर–निधिक)	
	2016-17	**2015-16**	**2016-17**	**2015-16**
वर्ष के आरंभ में परिभाषित लाभ बाध्यता	6075948	5153722	5621824	4740493
वर्तमान सेवा लागत	662142	514581	329487	371522
ब्याज लागत	530528	412298	421337	359923
बीमांकिक (लाभ)/ हानि	170839	501672	(410210)	149886
प्रदत्त लाभ	(467782)	(506325)	-	-
निपटान लागत	-	-	-	-
वर्ष के अंत में परिभाषित लाभ बाध्यता	6971675	6075948	5962438	5621824

II) योजना आस्तियों के अथशेष व इतिशेष के उचित मूल्य का लेखा समाधान

₹

विवरण	उपदान (निधिक)	
	2016-17	**2015-16**
वर्ष के आरंभ में योजना आस्तियों का उचित मूल्य	6719499	4196669
योजना आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिफल	680430	424963
अंशदान	391314	2604192
बीमांकिक (लाभ)/ हानि	-	-
प्रदत्त लाभ	(467782)	(506325)
निपटान लागत	-	-
वर्ष के अंत में योजना आस्तियों का उचित मूल्य	7323461	6719499
योजना आस्तियों पर वास्तविक प्रतिफल	680430	424963

III) आस्तियों व बाध्यताओं के उचित मूल्य का लेखा समाधान

₹

विवरण	उपदान (निधिक)		छुट्टी भुनाई (गैर–निधिक))	
	2016-17	**2015-16**	**2016-17**	**2015-16**
योजना आस्तियों का उचित मूल्य	7323461	6719499	5962438	5621824
बाध्यता का वर्तमान मूल्य	6719499	6075948	5621824	4740493
तुलन–पत्र में अभिज्ञात राशि	603962	643551	340614	881331

IV) वर्ष के दौरान अभिज्ञात व्यय

₹

विवरण	उपदान (निधिक)		छुट्टी भुनाई (गैर–निधिक)	
	2016-17	**2015-16**	**2016-17**	**2015-16**
वर्तमान सेवा लागत	662142	514581	329487	371522
ब्याज लागत	530528	412298	421337	359923
योजना आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ	680430	424963	-	-
बीमांकक **(लाभ) /हानि**	170839	501672	(410210)	149886
निवल लागत	683079	1003588	340614	881331

V) बीमांकक अनुमान

विवरण	उपदान (निधिक)		छुट्टी भुनाई (गैर–निधिक)	
	2016-17	**2015-16**	**2016-17**	**2015-16**
मृत्यु संख्या सारणी (जीबीनि)	1994- 96	1994-96	1994-96	1994-96
	(अंतिम)	(अंतिम)	(अंतिम)	(अंतिम)
बट्टा दर (प्रतिवर्ष)	8%	8%	7%	7.70%
प्रतिलाभ की प्रत्याशित दर (प्रतिवर्ष)	8%	8%	-	-
वेतन वृद्धि दर (प्रतिवर्ष)	5%	5%	5%	5%
सेवात्याग दर	1% to 3%	1% to 3%	7%	7%

Defined Benefit Plan

I) Reconciliation of opening and closing balances of Defined benefit obligation

₹

Details	Gratuity (Funded)		Leave Encashment (Unfunded)	
	2016-17	2015-16	2016-17	2015-16
Defined benefit obligation at the beginning of the year	6075948	5153722	5621824	4740493
Current service cost	662142	514581	329487	371522
Interest cost	530528	412298	421337	359923
Actuarial (gain)/ loss	170839	501672	(410210)	149886
Benefits paid	(467782)	(506325)	-	-
Settlement cost	-	-	-	-
Defined benefit obligation at the year end	6971675	6075948	5962438	5621824

II) Reconciliation of opening and closing balances of fair value of plan assets

₹

Details	Gratuity (Funded)	
	2016-17	2015-16
Fair value of plan assets at the beginning of the year	6719499	4196669
Expected return on plan assets	680430	424963
Contributions	391314	2604192
Actuarial (gain)/ loss	-	-
Benefits paid	(467782)	(506325)
Settlement cost	-	-
Fair value of plan assets at year end	7323461	6719499
Actual return on plan assets	680430	424963

III) Reconciliation of fair value of assets and obligations

₹

Details	Gratuity (Funded)		Leave Encashment (Unfunded)	
	2016-17	2015-16	2016-17	2015-16
Fair value of plan assets	7323461	6719499	5962438	5621824
Present value of obligation	6719499	6075948	5621824	4740493
Amount recognized in Balance Sheet	603962	643551	340614	881331

IV) Expense recognized during the year

₹

Details	Gratuity (Funded)		Leave Encashment (Unfunded)	
	2016-17	2015-16	2016-17	2015-16
Current Service Cost	662142	514581	329487	371522
Interest Cost	530528	412298	421337	359923
Expected return on plan assets	680430	424963	-	-
Actuarial (gain) / loss	170839	501672	(410210)	149886
Net Cost	683079	1003588	340614	881331

V) Actuarial assumptions

Details	Gratuity (Funded)		Leave Encashment (Unfunded)	
	2016-17	2015-16	2016-17	2015-16
Mortality Table (LIC)	1994- 96	1994-96	1994-96	1994-96
	(Ultimate)	(Ultimate)	(Ultimate)	(Ultimate)
Discount rate (per annum)	8%	8%	7%	7.70%
Expected rate of return (per annum)	8%	8%	-	-
Rate of escalation of salary (per annum)	5%	5%	5%	5%
Attrition Rate	1% to 3%	1% to 3%	7%	7%

मुद्रास्फीति, वरिष्ठता, पदोन्नति एवं नियोजन बाजार में आपूर्ति और माँग सहित अन्य संबंधित घटकों को ध्यान में रखते हुए बीमांकक मूल्यांकन में वेतन में वृद्धि की दर का अनुमान लगाया गया है। प्रतिलाभ की प्रत्याशित दर कतिपय लागू घटकों, मुख्यतः धारित योजना आस्तियों का सम्मिश्रण, निर्धारित जोखिमों, योजना आस्तियों पर प्रतिलाभ के ऐतिहासिक परिणाम और योजना आस्तियों हेतु कंपनी की नीति को ध्यान में रखकर निर्धारित की गई है। मूल कंपनी से प्रतिनियुक्त स्टाफ के संबंध में सेवा निवृत्ति लाभ देयता का वहन मूल कंपनी द्वारा किया जाएगा।

कंपनी ने वर्ष 2016–17 में उपदान देयता की ओर ₹ 11.07 लाख (पिछले वर्ष ₹ 20.27 लाख) का अंशदान दिया है।

8.2.2 आनषंगी कंपनियां

इंडबैंक हाउसिंग लि.

उपदान निधि की ओर कंपनी की बाध्यता एवं बीमांकक मूल्यांकन के ब्यौरे : ₹

1	कुल विगत सेवा उपदान	508875
2	विगत सेवा उपदान बीमांकक मूल्य	508875
3	जीवन बीमा निगम में उपदान निधि	508100
4	जीवन बीमा निगम को देय अंशदान	20578
5	वर्ष के दौरान प्रदत्त अंशदान	20578
6	शेष देय	शून्य
7	प्रदत्त जोखिम प्रीमियम एवं सेवाकर	1059
8	अनुमान बट्टा दर वेतन में वृद्धि का पूर्वानुमान	 8 प्रतिशत प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि 8 प्रतिशत प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि

9. सेगमेंट रिपोर्टिंग (एएस 17) (समेकित)

सेगमेंट रिपोर्टिंग (₹ करोड़ में)

भाग ए व्यापार खण्ड	ट्रेशरी		कार्पोरेट / थोक बैंकिंग		खुदरा बैंकिंग		अन्य बैंकिंग परिचालन		कुल	
	2016-17	2015-16	2016-17	2015-16	2016-17	2015-16	2016-17	2015-16	2016-17	2015-16
राजस्व	5 562.11	4 591.80	6 679.21	7 122.37	5 883.14	6 132.23	137.16	186.80	18 261.62	18 033.20
परिणाम	1 905.92	671.45	1 083.66	1 238.35	927.41	986.90	83.71	117.02	4 006.70	3 035.69
अनाबंटित व्यय									2 240.94	2 077.25
परिचालनगत लाभ									1 765.76	958.44
अल्पसंख्यक हित									1.87	.97
अन्य अनाबंटनीय आय									42.02	37.74
आय कर									352.84	243.92
अपवाद स्वरूप मदें									0.00	0.00
निवल लाभ									1 453.07	751.29
अन्य जानकारी										
खण्डीय आस्तियां	71 642.55	54 996.87	78 138.05	82 193.10	69 820.87	67 326.00	0.55	1.06	2 19 602.02	2 04 517.03
अनाबंटित आस्तियां									- 1 368.88	- 575.95
कुल आस्तियां									2 18 233.14	2 03 941.08
खण्डीय देयताएं	68 395.22	54 674.80	68 570.25	71 693.98	61 534.35	58 941.26	- 16.65	230.71	1 98 483.17	1 85 540.75
अनाबंटित देयताएं									2 571.32	2 140.55
आरक्षित पूंजी व अधिशेष									17 452.95	16 259.78
कुल देयताएं									2 18 507.44	2 03 941.08

The estimates of rate of escalation in salary considered in actuarial valuation, take into account inflation, seniority, promotion and other relevant factors including supply and demand in the employment market. The expected rate of return is determined considering several applicable factors, mainly the composition of plan assets held, assessed risks, historical results of return on plan assets and the company's policy for plan assets management. The retirement benefit liability in respect of staff on deputation from Indian Bank is borne by Indian Bank.

The company has contributed ₹11.07 Lakhs (previous year- ₹ 20.27 lakhs) towards Gratuity liability in the year 2016-17.

8.2.2 INDBANK HOUSING LTD

Company's obligation towards Gratuity Fund and details of actuarial valuation: ₹

1	Total past service gratuity	508875
2	Actuarial value past service gratuity	508875
3	Gratuity Fund with LIC	508100
4	Contribution payable to LIC	20578
5	Contribution paid during the year	20578
6	Balance payable	NIL
7	Risk premium and service tax paid	1059
8	Assumptions Discounting rate Projections of salary increase	 8% p.a. compound 8% p.a. compound

9. SEGMENT REPORTING (CONSOLIDATED) (AS 17)

Segment Reporting (₹ in Crore)

Part A Business Segments	Treasury		Corporate/ Wholesale Banking		Retail Banking		Other Banking operations		Total	
	2016-17	2015-16	2016-17	2015-16	2016-17	2015-16	2016-17	2015-16	2016-17	2015-16
Revenue	5,562.11	4,591.80	6,679.21	7,122.37	5,883.14	6,132.23	137.16	186.80	18,261.62	18,033.20
Result	1,905.92	671.45	1,083.66	1,238.35	927.41	986.90	83.71	117.02	4,006.70	3,035.69
Unallocated expenses									2,240.94	2,077.25
Operating profit									1,765.76	958.44
Minority interest									1.87	0.97
Other unallocable income									42.02	37.74
Income Taxes									352.84	243.92
Exceptional Item									0.00	0.00
Net Profit									1,453.07	751.29
Other information										
Segment Assets	71,642.55	54,996.87	78,138.05	82,193.10	69,820.87	67,326.00	0.55	1.06	2,19,602.02	2,04,517.03
Unallocated assets									-1,368.88	- 575.95
Total assets									2,18,233.14	2,03,941.08
Segment Liabilities	68,395.22	54,674.80	68,570.25	71,693.98	61,534.35	58,941.26	- 16.65	230.71	1,98,483.17	1,85,540.75
Unallocated liabilities									2,571.32	2,140.55
Capital reserves & Surplus									17,452.95	16,259.78
Total liabilities									2,18,507.44	2,03,941.08

		भाग बी – भौगोलिक खण्ड				
	देशी		अंतर्राष्ट्रीय		कुल	
	2016-17	2015-16	2016-17	2015-16	2016-17	2015-16
राजस्व	17 982.27	17 747.55	279.35	285.65	18 261.62	18 033.20
आस्तियां	2 11 437.49	1 94 869.37	7 070.45	9 071.71	2 18 507.94	2 03 941.08

जहां प्रत्यक्ष आबंटन संभव नहीं है, खण्डीय राजस्व और व्ययों को खण्डीय आस्तियों के आधार पर प्रभाजित किया गया है। जहाँ भी आवश्यक हो, पिछले वर्ष के आँकडों को पुनःसमूहित किया गया है।

10. संबंधित पार्टी प्रकटीकरण (ए एस 18)

10.1 मूल संस्था

मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक

श्री किशेर खरात — प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (04.04.2017 के प्रभाव से

श्री महेश कुमार जैन — कार्यपालक निदेशक (01.11.2015 तक) और प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (02.11.2015 के प्रभाव से 03.04.2017 तक)

श्री आर सुब्रमणिय कुमार — कार्यपालक निदेशक (22.01.2016 के प्रभाव से 29.09.2016 तक)

श्री ए एस राजीव — कार्यपालक निदेशक (22.01.2016 के प्रभाव से)

श्री एम के भट्टाचार्य — कार्यपालक निदेशक (18.02.2017 के प्रभाव से)

प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों को वर्ष के दौरान ₹ 86.31 लाख के पारिश्रमिक का भुगतान किया गया (पिछले वर्ष ₹ 67.27 लाख)

10.2 अनुषंगी कंपनी :

10.2.1 इंडबैंक मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज लि.

मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक

श्री ए के बाजपेयी — प्रेसिडेंट एवं पूर्णकालिक निदेशक

प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक को वर्ष के दौरान ₹ 16.12 लाख के पारिश्रमिक का भुगतान किया गया (पिछले वर्ष ₹ 22.13 लाख)

कंपनी के प्रेसिडेंट एवं पूर्णकालिक निदेशक इंडियन बैंक से प्रतिनियुक्ति पर है तथा उपर्युक्त बैंक के सेवा नियम के अनुसार तथा कंपनी के शेयरधारकों द्वारा ''पूर्णकालिक निदेशक'' के रूप में नियुक्ति के अनुसार पारिश्रमिक दिया जाता है।

10.2.2 इंडबैंक हाउसिंग लिमिटेड

कंपनी के प्रबंध निदेशक इंडियन बैंक से प्रतिनियुक्ति पर है तथा वह अपना पारिश्रमिक उस कंपनी के प्रेसिडेंट के रूप में इंडबैंक मर्चेन्ट बैंकिंग सर्विस लिमिटेड से पाते है। अतः इस कंपनी द्वारा पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया जाता है।

10.3 अन्य संबंधित पार्टियाँ सरकार नियंत्रित उद्यम हैं और इस कारण एएस–18 के पैराग्राफ 9 के अनुसार कोई प्रकटीकरण अपेक्षित नहीं है। आगे, एएस–18 के पेराग्राफ 5 के अनुसार बैंकर–ग्राहक संबंध के स्वरूप के लेनदेनों को प्रकट करना अपेक्षित नहीं है।

11. पट्टे (एएस 19)

11.1 मूल संस्था

ए) पट्टे/किराए पर ली गई सम्पत्तियाँ, बैंक की इच्छानुसार नवीकृत/रद्द करने योग्य हैं।

बी) बैंक के नाम पर लिए गए पट्टों की सहमत अवधि के साथ पट्टे की अवधि के दौरान सहमत कैलेंडर माह का लिखित नोटिस देकर पट्टे को निरस्त करने का प्रावधान है।

सी) परिचालनगत पट्टों के लिए प्रदत्त किराये को तत्संबंधी वर्ष के लाभ एवं हानि खाते में व्यय के रूप में रखा जाता है। वर्ष के दौरान स्वीत पट्टा किराया 180.73 करोड़ रुपये (विगत वर्ष 157.68 करोड़ रुपये) है।

11.2 अनुषंगी कंपनियां

11.2.1 इंडबैंक मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज लि.

पट्टे पर लिए गए आस्तियों के संबंध में

पट्टे पर लिए गए आस्तियों के संबंध में, कंपनी, मूल संस्था के साथ विभिन्न कार्यालय परिसरों के लिए परिचालनात्मक पट्टे रखता है। वर्ष की समाप्ति पर, रद्द नहीं किए जा सकनेवाले परिचालनात्मक पट्टे के तहत, आवश्यक भावी न्यूनतम भुगतान निम्नवत् हैं–

		Part B Geographic Segments				
	Domestic		International		Total	
	2016-17	2015-16	2016-17	2015-16	2016-17	2015-16
Revenue	17 982.27	17 747.55	279.35	285.65	18 261.62	18 033.20
Assets	2 11 437.49	1 94 869.37	7 070.45	9 071.71	2 18 507.94	2 03 941.08

Segment Revenue and expenses have been apportioned on the basis of segment assets, wherever direct allocation is not possible. Previous year figures were re-grouped wherever necessary.

10.RELATED PARTY DISCLOSURES (AS 18)

10.1 PARENT

Key Managerial Personnel:

Shri Kishor Kharat	Managing Director & Chief Executive Officer (w.e.f 04.04.2017)
Shri Mahesh Kumar Jain	Executive Director (upto 01.11.2015) & Managing Director & Chief Executive Officer (w.e.f. 02.11.2015 upto 03.04.2017)
Shri R Subramania Kumar	Executive Director (w.e.f. 22.01.2016 to 29.09.2016)
Shri A S Rajeev	Executive Director (w.e.f. 22.01.2016)
Shri M K Bhattacharya	Executive Director (w.e.f. 18.02.2017)

Remuneration paid to Key Management Personnel during the year ₹86.31 lakhs (Previous-year - ₹67.27 lakhs)

10.2 SUBSIDIARY COMPANIES

10.2.1 INDBANK MERCHANT BANKING SERVICES LTD

Key Managerial Personnel:

Shri A K Bajpai President & Whole Time Director

Remuneration paid to Key Management Personnel during the year ₹16.12 lakhs (Previous-year ₹22.13 lakhs)

President and Whole Time Director of the Company is on deputation from Indian Bank and the remuneration is in accordance with the service rules of the said Bank and also in terms of appointment as "Whole Time Director" by the Shareholders of the Company.

10.2.2 IND BANK HOUSING LTD.

Managing Director of the Company is on deputation from Indian Bank and is drawing remuneration from Ind Bank Merchant Banking Services Ltd. as President of that Company. Hence no remuneration is paid by this Company.

10.3 Other related parties are State controlled Enterprises and hence no disclosures are required as per paragraph 9 of AS 18. Further, in terms of paragraph 5 of AS 18, transactions in the nature of banker-customer relationship are not required to be disclosed.

11. LEASES (AS 19)

11.1 PARENT

a) The properties taken on lease / rental basis are renewable / cancellable at the option of the Bank.

b) The leases entered into by the Bank are for agreed period with an option to terminate the leases even during the currency of lease period by giving agreed calendar months notice in writing.

c) Lease rent paid for operating leases are recognized as an expense in the Profit & Loss account in the year to which it relates. The lease rent recognized during the year is ₹ 180.73 crores (Previous year ₹157.68 Crore).

11.2 SUBSIDIARY COMPANIES

11.2.1 INDBANK MERCHANT BANKING SERVICES LTD

In case of assets taken on lease;

The company has operating leases for office premises at various locations with the Parent. The future minimum payments required under non-cancellable operating leases at year-end are as follows:

₹ लाखों में

	31.03.2017 को	31.03.2016 को
वर्ष के लिए पट्टा भुगतान	19.90	19.90
न्यूनतम पट्टा भुगतान : एक साल के बाद का नहीं	0.00	0.00
एक साल के बाद परंतु पांच साल से अधिक नहीं	0.00	0.00
पांच साल के बाद	0.00	0.00

12. प्रति शेयर अर्जन (एएस 20)

विवरण	2016-17	2015-16
ईक्विटी शेयरधारकों हेतु उपलब्ध कर के बाद निवल लाभ (₹ करोड़ में)	1412.91	714.51
ईक्विटी शेयरों की संख्या	480291651	480291651
ईक्विटी शेयरों की भारित संख्या	480291651	480291651
मूल अर्जन प्रति शेयर	₹ 29.41	₹14.87
प्रति शेयर कम किया गया अर्जन	₹ 29.41	₹ 14.87
प्रति ईक्विटी शेयर अंकित मूल्य	₹10.00	₹10.00

13. समेकित वित्तीय विवरण (एएस 21)

समेकित वित्तीय विवरण लेखा मानक (एएस 21) के अनुसार तैयार किए गए हैं। ''समेकित वित्तीय विवरण'' को भारतीय सनदी लेखाकार संस्था (आईसीएआई) द्वारा जारी समेकित वित्तीय विवरणों और समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के समनुरूप किए गए हैं।

समेकित वित्तीय विवरण, इंडियन बैंक (मूल संस्था) की लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण आर उनकी अनुषंगी जैसे (1) इंड हाउसिंग लिमिटेड और (2) इंड बैंक मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज लि. अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरण पर आधारित है।

31.03.2017 को समेकित आंकड़ों में तीने सहयोगियों यथा मेसर्स पल्लवन ग्राम बैंक, मेसर्स सप्तगिरी ग्रामीण बैंक और पुदुवै भारितियार ग्राम बैंक के 42.02 करोड़ रुपये का लाभ लेखा परीक्षित नहीं है

14. आय पर करों के लिए लेखाकरण (एएस 22)

14.1 मूल संस्था

डीटीए (आस्थगित कर आस्तियाँ) / डीटीएल (आस्थगित कर देयताएँ) के मुख्य घटक निम्न प्रकार हैं :

₹ करोड़ में

घटक	31.03.2017	31.03.2016
आस्थगित कर आस्तियां		
1. भुगतान/क्रिस्टाइलेजेशन पर अनुमेय, देयताओं का प्रावधान	74.63	70.92
2. अप्रयुक्त अवकाश के लिए प्रावधान	0.24	0.00
3. उपदान के लिए प्रावधान	0.16	0.00
4. पूर्व वर्ष में संदेहास्पद डेबिट के लिए अदावी भत्ते	0.00	0.28
5. विदेशी मुद्रा परिवर्तन आरक्षित निधि (एफसीटीआर)*	**92.04**	0.00
कुल–डीटीए	**167.07**	**71.20**
आस्थगित कर देयताएं		
1. स्थिर आस्तियों पर मूल्यह्रास	52.39	61.04
2. बट्टे खाते में डाले गए खातों के लिए प्रावधान	504.21	504.21
3. स्टाफ कल्याण व्यय	5.71	5.71
4. आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (i) (viii) के अधीन	230.06	213.11
कुल – डीटीएल	**792.82**	**784.07**
निवल डीटीए / डीटीएल	**625.75**	**712.88**

* डीटीए सृजन के परिणामस्वरूप कर के लिए एफ़सीटीआर प्रारम्भिक का ऑफर आईसीडीएस प्रावधान के अनुसार है

(₹ in lakhs)

	As on 31.03.2017	As on 31.03.2016
Lease payments for the year	19.66	19.90
Minimum Lease payments:		
Not later than one year	0.00	0.00
Later than one year but not later than five years	0.00	0.00
Later than five years	0.00	0.00

12. EARNINGS PER SHARE (AS 20)

Particulars	2016-17	2015-16
Net Profit after tax available for equity shareholders (₹Crore)	1412.91	714.51
Number of Equity Shares	480291651	480291651
Weighted Number of equity shares	480291651	480291651
Basic Earning Per Share	₹ 29.41	₹14.87
Diluted Earning Per Share	₹ 29.41	₹ 14.87
Nominal value per Equity Share	₹10.00	₹10.00

13. CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT (AS 21)

The consolidated financial statements are prepared in accordance with the Accounting Standard (AS 21), "Consolidated Financial Statements" issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and the guidelines issued by the Reserve Bank of India on preparation of Consolidated Financial Statements.

The consolidated financial statements are based on the audited financial statements of Indian Bank (parent) and unaudited financial statements of its subsidiaries, viz., (1) Indbank Housing Ltd. and (2) Indbank Merchant Banking Services Ltd.

Consolidated figures as on 31.03.2017 includes ₹42.02 crores being share in the unaudited profit of three Associates viz, M/s Pallavan Grama Bank, M/s Sapthagiri Grameena Bank and Puduvai Bharathiar Grama Bank.

14. ACCOUNTING FOR TAXES ON INCOME (AS 22)

14.1 PARENT

The major components of Deferred Tax Assets (DTA) / Deferred Tax Liabilities (DTL) are:

(₹ in Crore)

Components	31.03.2017	31.03.2016
Deferred Tax Assets		
1. Liabilities provision allowable on payment /crystallization	74.63	70.92
2. Provision for unutilized leave	0.24	0.00
3. Provision for Gratuity	0.16	0.00
4. Unclaimed allowance for doubtful debts in prior years	0.00	0.28
5. Foreign Currency Translation Reserve (FCTR) *	**92.04**	0.00
TOTAL- DTA	**167.07**	**71.20**
Deferred Tax Liabilities		
1. Depreciation on Fixed Assets	52.39	61.04
2. Provision for Written-off Accounts	504.21	504.21
3. Staff Welfare Fund	5.71	5.71
4. Special Reserves u/s 36(i)(viii) of Income Tax Act, 1961	230.06	213.11
TOTAL – DTL	**792.82**	**784.07**
NET DTL	**625.75**	**712.88**

* Creation of DTA consequent to offering FCTR opening balance to tax as per ICDS provisions.

14.2 अनुषंगी कंपनियां

14.2.1 इंडबैंक मर्चेंट बैंकिंग सर्विस लि.

आस्थगित कर परिसंपत्ति / देयता के मुख्य घटक निम्न प्रकार हैं। ₹

	आस्थगित कर			
	31.3.2017 को		31.3.2016 को	
	आस्ति	देयताएं	आस्ति	देयताएं
I) मूल्यह्रास–योग्य आस्तियों में समय का अंतर		33778521		34457693
ii) अशोध्य ऋणों व एनपीए के लिए प्रावधान	73552486*		74114716	
iii) अन्य	2396227		2513169	
कुल	**75948713**	**33778521**	**7627885**	**34457693**
निवल डीटीए / (डीटीएल)	**42170192**		**42170192**	

15. एएस 24 के अन्तर्गत प्रकटीकरण अपेक्षाएं – बंद परिचालन

15.1 अनुषंगी कंपनियाँ

15.1.1 इंडबैंक मर्चेंट बैंकिंग सर्विस लि.

कंपनी ने दिसंबर 1997 से लागू हुए सेबी विनियमन के फलस्वरूप निधि आधारित क्रियाकलापों को बंद किया था और केवल शुल्क आधारित क्रियाकलापों को लेने का निर्णय लिया था। दिसंबर 1997 तक विद्यमान निधि आधारित एकस्पोज़र उनकी संविदाकृत अवधि समाप्त होने तक जारी रखे गए हैं। स्थायी जमाओं की पुनरदायगी और दावा न की गई स्थायी जमाओं को जब कभी उनका दावा किया जाता है, उनकी पुनरदायगी करने के लिए एक राष्ट्रीयकृत बैंक में एस्क्रो खाते में अंतरण करने के बाद कंपनी ने भारतीय रिज़र्व बैंक से एनबीएफसी के रूप में पंजीकरण के रद्द किये जाने की अनुमति प्राप्त की है। अब कंपनी केवल सेबी विनियमनों द्वारा नियंत्रित है।

व्यापार घटकों को सेवा का स्वरूप संगठनात्मक संरचना और आंतरिक वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली को ध्यान में रखते हुए प्राथमिक खंड के रूप में पहचाना गया है। रिपोर्ट की गई व्यापार सेवा का वर्गीकरण ''बंद किये जा रहे परिचालन'' (निधि आधारित) और ''जारी परिचालन (शुल्क आधारित) के रूप में किया गया है। बंद किये जा रहे परिचालनों में पट्टे पर देना, भाडा खरीदी, अंतर कॉर्पोरेट जमाएं एवं निवेश आदि हैं। जारी रखे जानेवाले परिचालनों में मर्चेंट बैंकिंग, स्टॉफ बैंकिंग, निक्षेपागार प्रतिभागी सेवाएं, वित्तीय उत्पादों का वितरण और उससे संबंधित कार्यकलाप शामिल हैं। रिपोर्ट करने योग्य कोई गौण खंड नहीं है।

16. अनुषंगी कंपनियाँ

16.1 इंडबैंक मर्चेन्ट बैंकिंग सर्विस लि.

मूल बैंक ने ₹ 897.48 लाख की राशि की चुकौती के लिए 3 साल की अधिस्थगन अवधि सितंबर 2013 से सितंबर 2016 तक को मुआविज़ा का अधिकार खंड के तहत 31.03.2017 को समाप्त होनेवाले वर्ष से शुरू होने वाली प्रति छमाही 75 लाख की चुकौती को अधिस्थगन / चुकौती अवधि के लिए बिना किसी ब्याज प्रभार के अनुमोदित कर दिया है। तदनुसार मूल संस्था बैंक द्वारा अनुमोदित शर्तों के अनुसार 31.03.2017 को समाप्त अर्ध वर्ष हेतु कंपनी ने इंडियन बैंक को ₹ 75 लाख चुकौती की है।

17. मूल संस्था

विविध आय में शामिल है

i) बट्टे खाते में वसूली गई रु. 212.74 करोड़ (पिछले वर्ष रु. 274.42 करोड़)

ii) प्रसंस्करण शुल्क की वसूली गई रु. 137.45 करोड़ (पिछले वर्ष रु. 125.06 करोड़)

18. बैंक एश्यूरेन्स कारोबार

मूल संस्था

विभिन्न बैंक एश्यूरेन्स उत्पादों की बिक्री / विपणन से, बैंक ने इस वर्ष के दौरान ₹ 12.75 करोड का आढ़त कमाया (पिछले वर्ष यह ₹ 9.15 करोड़) था।

₹करोड़ में

क्रमांक	आय की प्रकृति	2016-17	2015-16
1	जीवन बीमा पालिसी बेचने के लिए	6.86	5.18
2	गैर–जीवन बीमा पालिसी बेचने के लिए	5.53	3.62
3	अन्य – म्युचुअल फंड उत्पाद बेचने के लिए	0.36	0.35
	कुल	**12.75**	**9.15**

19. मूल संस्था : भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 11.03.2015 के परिपत्र सं. डीबीआर सं.डीबी.बीसी.75 / 21.04.048 / 2014–15 के अनुरूप वित्तीय आस्तियों की बिक्री के संबंध में, खातों की बिक्री पर होनेवाली हानि एवं लाभ के व्यवहार से बैंक ने पिछले वर्षों के अधिक प्रावधन रु 2.94 करोड को प्रत्यावर्तित किया है तथा इससे 31.3.2017 को समाप्त वर्ष में लाभ में असर पडा है।

20. अतिरिक्त प्रकटीकरण

मूल संस्था

बैंक के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार, बैंक द्वारा पहचान की गई एमएसएमई इकाइयों को बैंक से कोई बकाया देय नहीं है, जोकि एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 के तहत निर्धारित समय सीमा के बाहर है और लंबित है और वर्ष के दौरान ऐसी पार्टियों के लिए मूल राशि की स्वीत देयताओं के विलंबित भुगतान अथवा उनपर ब्याज के कोई मामले दर्ज नहीं किए गए।

21. जहां भी आवश्यक हो, चालू वर्ष के आंकडे के अनुरूप बनाने के लिए पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनः समूहित / पुनःवर्गीकृत किया गया है।

14.2 SUBSIDIARY COMPANIES

14.2.1 INDBANK MERCHANT BANKING SERVICES LTD

The major components of deferred tax asset/liability are as below: ₹

	Deferred Tax			
	As on 31.3.2017		As on 31.3.2016	
	Asset	Liability	Asset	Liability
i) Timing difference in depreciable assets		33778521		34457693
ii) Provision for Bad debts and NPAs	73552486*		74114716	
iii) Others	2396227		2513169	
Total	**75948713**	**33778521**	**76627885**	**34457693**
NET DTA / (DTL)	**42170192**		**42170192**	

*The creation of Deferred Tax Asset to the extent of ₹176990/- for the year 2016-17 is not considered in the accounts for the year 2016-17 and the net Deferred Tax Asset as on 31.03.2017 remains at ₹42170192/-.

15. DISCLOSURE REQUIREMENTS UNDER AS 24DISCONTINUED OPERATIONS

15.1 SUBSIDIARY COMPANIES

15.1.1 INDBANK MERCHANT BANKING SERVICES

The Company had discontinued fund-based activities consequent to SEBI regulations coming into force with effect from December 1997 and had decided to undertake only fee-based activities. The existing fund based exposures as on December 1997 are continued to run down to their contracted period. The Company had obtained cancellation of registration as NBFC from RBI consequent to repayment of fixed deposits and transfer of unclaimed fixed deposits to an escrow account with a nationalised bank for repayment as and when claimed. The Company is now governed only by SEBI regulations.

The business segments have been identified as the Primary Segment considering the nature of service, organisational structure and internal financial reporting system. The services of the reported domestic business segments are classified as "Discontinuing operations" (Fund Based) and "Continuing Operations" (Fee Based). Discontinuing operations consists of Leasing, Hire purchase, Intercorporate deposits and Investments. Continuing operations include Merchant Banking, Stock Broking, Depository Participant services, Distribution of Financial Products and allied activities. There is no Secondary Reportable Segment.

16. SUBSIDIARY COMPANIES

16.1 INDBANK MERCHANT BANKING SERVICES LTD

The parent Bank has approved a moratorium period of 3 years from September 2013 to September 2016 for repayment of the amount of ₹897.48 lakhs payable to them under the Right of Recompense clause with repayment of ₹75 lakhs per half year to commence from the half year ending 31.03.2017 without any interest charge for the period of moratorium/repayment. Accordingly the company has repaid ₹75 lakhs to Indian Bank for the half year ended 31.03.2017 as per the terms approved by the parent bank

17. PARENT

Miscellaneous income includes:

I. ₹212.74 Crore(previous year ₹ 247.42 Crore) being recovery in written off accounts.

ii. ₹137.45 crore (previous year ₹125.06 crore) being recovery of processing charges.

18. BANCASSURANCE BUSINESS

PARENT

During the current year, the Bank has earned commission, etc, to the extent of ₹12.75 Crore on sale/marketing of various Bancassurance products/Mutual Funds (previous year ₹9.15 Crore).

(₹ in Crore)

Sl. No.	Nature of Income	2016-17	2015-16
1	For Selling Life Insurance Policies	6.86	5.18
2	For selling Non-life insurance policies	5.53	3.62
3	Others – For selling Mutual Fund Products	0.36	0.35
	Total	**12.75**	**9.15**

19. PARENT : Pursuant to Reserve Bank of India circular No.DBR.No.BP.BC.75/21.04.048/2014-15 dt 11th March, 2015, on sale of financial assets regarding treatment of loss and profit made on sale of accounts, excess provision of earlier years of ₹ 2.94 crore has been reversed and has a consequential impact on profit during the year ended 31.03.2017.

20. ADDITIONAL DISCLOSURES

PARENT : As per information available with the Bank, there is no outstanding dues payable by the Bank to MSME units identified by the Bank, which is pending beyond the time limit prescribed under MSMED Act, 2006 and there have been no reported cases of accepted liability of delayed payments of principal amount or interest thereon for such parties during the year.

21. Previous year's figures have been regrouped / reclassified, wherever necessary, to conform to current year's figures.

समेकित वित्तीय विवरणियों पर स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में,
निदेशक मंडल
इंडियन बैंक

समेकित वित्तीय विवरणों संबंधी रिपोर्ट

1. हमने इंडियन बैंक (''दि बैंक) और इसकी अनुषंगियों (बैंक तथा इसकी अनुषंगियां जिन्हें आगे सामूहिक रूप से ''समूह'' के रूप में संदर्भित कर दिया गया) की संलग्न समेकित वित्तीय विवरणों और इसकी सहभागियों में 31 मार्च 2017 तक का समेकित तुलनपत्र, इस वर्ष हेतु समेकित लाभ तथा हानि खाता और समेकित नकदी प्रवाह विवरण, इसके बाद सार्थक खाता नीतियों का सार और अन्य विवरणात्मक सूचना शामिल है, जिसे आगे समेकित वित्तीय विवरण के रूप में संदर्भित किया गया है, की लेखा परीक्षा की है।

समेकित वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व :

2. इस समूह तथा इसकी सहयोगियों में शामिल संबंधित निदेशक मंडल के निदेशकगण, समूह की आसितयों को सुरक्षित रखने हेतु आवश्यक लेखांकन अभिलेखों के अभिरक्षण तथा धोखाधडियों तथा अन्य अनियमितताओं को रोकने तथा पता लगाने, उचित लेखांकन नीतियों के चयन और कार्य करने, निर्णय तथा आकलनों को बनाएं जो उचित और तर्क संगत हों, पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के डिजाइन, कार्यान्वयन के अभिरक्षण जोकि लेखांकन अभिलेखों की पर्याप्तता तथा संपूर्णता को प्रभावात्मक रूप से संचालन कर रहा था, ये सभी संबंधित समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने और प्रस्तुत करने में सहायक सिद्ध थे, जिससे सही और निष्पक्ष रूप को दर्शाते हैं और तात्विक गलत कथनों से, चाहे वे धोखाधडी या गलती के कारण हो, मुक्त हैं जिसे ऊपर बताए अनुसार बैंक के निदेशक मंडल द्वारा समेकित वित्तीय विवरणों को प्रसतुत करने के उद्देश्य से उपयोग किया गया है, के लिए उत्तरदायी हैं।

3. बैंक द्वारा इन समेकित वित्तीय विवरणों को भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी एएस 21 (समेकित वित्तीय विवरण), एएस 23 (समेकित वित्तीय विवरणों में ऐसोसिएट्स में निवेश हेतु लेखांकन) व एएस 27 (संयुक्त उद्यम में ब्याज की वित्तीय रिर्पोटिंग) की आवश्यकताओं एवं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार बनाए गए हैं।

लेखापरीक्षकों की जिम्मेदारी :

4. हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन समेकित वित्तीय विवरणों पर अपनी राय व्यक्त करना हमारा उत्तरदायित्व है। भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा लेखापरीक्षण पर जारी मानकों के अनुसार हमने अपनी लेखापरीक्षा की है। इन मानकों के अनुसार हमसे अपेक्षा की जाती है कि हम नैतिक अपेक्षाओं का पालन करते हैं और इस युक्तियुक्त आश्वासन की प्राप्ति के लिए लेखापरीक्षण की आयोजना और लेखापरीक्षण करते हैं कि ये वित्तीय विवरण तात्विक गलत कथनों से मुक्त हैं।

5. लेखापरीक्षा की प्रक्रिया में समेकित वित्तीय विवरणों में दी गई राशियों और प्रकटीकरण से संबंधित लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किये जाते हैं। प्रक्रियाओं का चयन लेखापरीक्षकों के निर्णय पर निर्भर करता है, जिसमें समेकित वित्तीय विवरणों में तात्विक गलत कथनों, चाहे वे धोखाधड़ी से हो या गलती से हो, के जोखिम का निर्धारण करना है। इन जोखिमों के निर्धारण में, लेखापरीक्षक बैंक द्वारा समेकित वित्तीय विवरणों को बनाने और उचित प्रस्तुतीकरण पर विचार करता है जिससे कि वह लेखापरीक्षण प्रक्रियाओं को डिज़ाइन कर सके जो परिस्थितियों के समीचीन हो, लेकिन समूह की आंतरिक नियंत्रण के विचार की अभिव्यक्ति के प्रभावशील उद्देश्य के लिए नहीं है। प्रयुक्त लेखांकन नीतियों के औचित्य का मूल्यांकन, प्रबंधन द्वारा किए गए लेखाकरण अनुमानों की युक्तियुक्तता, साथ ही समेकित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति का मूल्यांकन भी लेखा–परीक्षा में शामिल है।

6. हम विश्वास करते हैं कि हमने जो लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं वे पर्याप्त हैं और समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए आधार हेतु उपर्युक्त हैं।

अभिमत

7. हमारी राय में, और हमारी श्रेष्ठतम जानकारी तथा हमें दिये गए स्पष्टीकरणों के अनुसार उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरण भारत में सामान्यतः स्वीकार्य लेखा प्रणालियों के समनुरूप सही एवं वास्तविक चित्र प्रकट करता है।

   ए) 31 मार्च 2017 को समूह के कार्यों तथा उसकी सहयोगियों के समेकित तुलन पत्र के बाबत

   बी) उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ संबधी समेकित लाभ व हानि लेखे के बाबत और

   सी) उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए नकद प्रवाह संबंधी समेकित नकदी प्रवाह विवरण के बाबत

अन्य मामले

8. हमने दो अनुषंगियों के वित्तीय विवरण / वित्तीय जानकारी की लेखा परीक्षा नहीं की है, जिनका 31 मार्च 2017 को समेकित वित्तीय विवरणों में उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण / वित्तीय जानकारी में रु 77.14 करोड़ की कुल आस्तियां, रु. 12.75 करोड़ की आमदनी, तथा रु 5.20 करोड़ के निवल नकद प्रवाह दर्शाया गया है। समेकित वित्तीय विवरणों में 31 मार्च 2017 को वर्ष के लिए रु42.02 करोड़ के निवल लाभ शामिल है जोकि तीन सहयोगियों के संबंध में उनके समेकित वित्तीय विवरणों में दर्शाया गया है, जिनके वित्तीय विवरण / वित्तीय जानकारी हमारे द्वारा लेखा परीक्षित नहीं की गई है। इन वित्तीय विवरण / वित्तीय जानकारी को लेखा परीक्षित नहीं की गई है तथा इसे प्रबंधन द्वारा हमें प्रस्तुत किया गया है और समेकित वित्तीय विवरणों के संबंध में हमारी राय, इन अनुषंगियों तथा सहयोगियों के संदर्भ में उनके द्वारा प्रस्तुत राशि और प्रकटीकरण से संबंधित है तथा हमारी रिपोर्ट इन अनुषंगियों और सहयोगियों के संदर्भ में उनके द्वारा प्रस्तुत अलेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों / वित्तीय जानकारी से पूर्णतः आधारित है। हमारी राय में और प्रबंधन द्वारा हमें उपलब्ध किये गए जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार ये वित्तीय विवरण / वित्तीय जानकारी समूह के लिए तात्विक नहीं हैं।

कृते जी बालु असोसियेट्स
For G. BALU ASSOCIATES
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
एफआर सं. FR No.000376S

जी बालसुब्रमण्यन
G. BALASUBRAMANYAN
साझेदार Partner
(एम.सं. M. No.7628

कृते पद्मनाभन रमणी और रामानुजम
For PADMANABHAN RAMANI & RAMANUJAM
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
एफआर सं. FR No.002510S

के आर गणेश
K. R. GANESH
साझेदार Partner
(एम.सं. M. No.022439)

कृते प्रकाश चन्द्र जैन एण्ड कंपनी
For PRAKASH CHANDRA JAIN & CO.
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
एफआर सं. FR No.002438C

प्रतिभा शर्मा
PRATIBHA SHARMA
साझेदार Partner
(एम.सं. M. No.400755)

कृते गांधी मिनोचा एण्ड कंपनी
For GANDHI MINOCHA & CO.
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
एफआर सं. FR No.000458N

भुपिन्दर सिंह
BHUPINDER SINGH
साझेदार Partner
(एम.सं. M. No.92867)

कृते पीएएमएस एण्ड एसोसियेट्स
For PAMS & ASSOCIATES
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
एफआर सं. FR No.316079E

सत्यजीत मिश्रा
SATYAJIT MISHRA
साझेदार Partner
(एम.सं. M. No.057293)

स्थान : चेन्नै
Place : Chennai
दिनांक : Date : 25-04-2017

Independent Auditors' Report on the Consolidated Financial statements

TO
THE BOARD OF DIRECTORS
INDIAN BANK

Report on the Consolidated Financial Statements

1. We have audited the accompanying consolidated financial statements of INDIAN BANK ("the Bank") and its subsidiaries, (the Bank and its subsidiaries together referred to as "the Group") and its associates comprising of the consolidated Balance Sheet as at 31st March 2017, the Consolidated Profit and Loss Account and Consolidated Cash Flow Statement for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information (hereinafter referred to as "the consolidated financial statements").

Management's Responsibility for the Consolidated Financial Statements

2. The Bank's Board of Directors is responsible for the preparation of these consolidated financial statements that give a true and fair view of the consolidated financial position, consolidated financial performance and consolidated cash flows of the Group including its associates in accordance with accounting principles generally accepted in India. The respective Board of Directors of the Companies included in the group and of its associates are responsible for maintenance of adequate accounting records for safeguarding the assets of the Group and for preventing and detecting frauds and other irregularities; the selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring adequacy and completeness of accounting records, relevant to the preparation and presentation of the consolidated financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error, which have been used for the purpose of presentation of the consolidated financial statements by the Directors of the Bank, as aforesaid.
3. These Consolidated Financial Statements have been prepared by the Bank in accordance with the requirements of AS 21 (Consolidated Financial Statements) and AS 23 (Accounting for Investment in Associates in Consolidated Financial Statements) issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and the guidelines issued by the Reserve Bank of India.

Auditor's Responsibility

4. Our responsibility is to express an opinion on these consolidated financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements are free from material misstatement.
5. An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the consolidated financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgement, including the assessment of the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal financial control relevant to the Bank's preparation and fair presentation of the consolidated financial statements that give a true and fair view in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purposes of expressing an opinion on whether the Bank has an adequate internal financial control system over financial reporting in place. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by Bank's Board of Directors, as well as evaluating the overall presentation of the consolidated financial statements.
6. We believe that the audit evidence obtained by us is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the Consolidated Financial Statements.

Opinion

7. In our opinion, and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid consolidated financial statements give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India:
   (a) in the case of the Consolidated Balance Sheet, of the state of affairs of the Group, and its associates as at 31st March 2017;
   (b) in the case of the Consolidated Profit and Loss Account, of their consolidated profit for the year ended on the date; and
   (c) in the case of the Consolidated Cash Flow Statement, of the cash flows for the year ended on that date.

Other Matters

8. We did not audit the financial statements/ financial information, of Two Subsidiaries, whose financial statements/ financial information reflect total assets of Rs.77.14 Crores as at 31st March 2017, total revenues of Rs.12.75 Crores and net cash outflows amounting to Rs.5.20 crores for the year ended on that date, as considered in the consolidated financial statements. The consolidated financial statements also include the Group's share of net profit of Rs.42.02 Crores for the year ended 31st March, 2017, as considered in the consolidated financial statements, in respect of three Associates, whose financial statements/ financial information have not been audited by us. These financial statements/ financial information are unaudited and have been furnished to us by the management and our opinion on the consolidated financial statements, in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of these subsidiaries and associates, and our report in so far as it relates to the aforesaid subsidiaries and associates, is based solely on such unaudited financial statements/ financial information. In our opinion and according to the information and explanations given to us by the management, these financial statements / financial information are not material to the Group.

For G. BALU ASSOCIATES
Chartered Accountants
FR No.000376S

G. BALASUBRAMANYAN
Partner
M. No.7628

For PADMANABHAN RAMANI & RAMANUJAM
Chartered Accountants
FR No. 002510S

K. R. GANESH
Partner
M. No.022439

For PRAKASH CHANDRA JAIN & CO.
Chartered Accountants
FR No.002438C

PRATIBHA SHARMA
Partner
M. No.400755

For GANDHI MINOCHA & CO.
Chartered Accountants
FR No.000458N

BHUPINDER SINGH
Partner
M. No.092867

For PAMS & ASSOCIATES
Chartered Accountants
FR No.316079E

SATYAJIT MISHRA
Partner
M. No.057293

Place : Chennai
Date : 25.04.2017

बेसल III - पिल्लर III प्रकटीकरण

मार्च 31, 2017

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित किए अनुसार बेसल III अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए अतिरिक्त प्रकटीकरण

सारणी डी एफ – 1

अनुप्रयोग का क्षेत्राधिकार

बैंकिंग ग्रूप के प्रमुख का नाम, जिसपर यह ढाँचा लागू होता है : इंडियन बैंक

(I) गुणात्मक प्रकटीकरण :

ए. समेकन के लिए जिन ग्रूप उपक्रमों की सूची पर विचार किया जाता है

उपक्रम का नाम / पंजीकरण जिस देश में किया गया है	क्या उपक्रम को लेखाकरण के समेकन के क्षेत्राधिकार में शामिल किया गया है? (हाँ / नहीं)	समेकन के तरीके को स्पष्ट करें	क्या उपक्रम को समेकन के विनियामक क्षेत्राधिकार में शामिल किया गया है? (हाँ / नहीं)	समेकन के तरीके को स्पष्ट करें	समेकन के तरीकों में अंतर के कारणों को स्पष्ट करें	यदि क्षेत्राधिकारों की पहुंच में से एक के अधीन ही समेकन किया गया है तो उसके कारणों को स्पष्ट करें
इंडबैंक मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज़ लि. (अनुषंगी)	हाँ	लेखाकरण मानक 21 – समेकित वित्तीय विवरण के अनुरूप समेकित	हाँ	लेखाकरण मानक 21 – समेकित वित्तीय विवरण के अनुरूप समेकित	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**
इंडबैंक हाउसिंग लि. (अनुषंगी)	हाँ	लेखाकरण मानक 21 – समेकित वित्तीय विवरण के अनुरूप समेकित	हाँ	लेखाकरण मानक 21 – समेकित वित्तीय विवरण के अनुरूप समेकित	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**
पल्लवन ग्राम बैंक (एसोसिएट्स)	हाँ	लेखाकरण मानक 23 – समेकित वित्तीय विवरण के अनुरूप ईक्विटी पद्धति के अंतर्गत समेकित	नहीं	**लागू नहीं**	एसोसिएट्स माना गया है	पूँजी पर्याप्तता के प्रयोजनों के लिए जोखिम भारित
सप्तगिरि ग्रामीण बैंक (एसोसिएट्स)	हाँ	लेखाकरण मानक 23 – समेकित वित्तीय विवरण के अनुरूप ईक्विटी पद्धति के अंतर्गत समेकित	नहीं	**लागू नहीं**	एसोसिएट्स माना गया है	पूँजी पर्याप्तता के प्रयोजनों के लिए जोखिम भारित
पुदुवै भारतियार ग्राम बैंक (एसोसिएट्स)	हाँ	लेखाकरण मानक 23 – समेकित वित्तीय विवरण के अनुरूप ईक्विटी पद्धति के अंतर्गत समेकित	नहीं	**लागू नहीं**	एसोसिएट्स माना गया है	पूँजी पर्याप्तता के प्रयोजनों के लिए जोखिम भारित

Basel III-Pillar III Disclosures
March 31,2017

ADDITIONAL DISCLOSURES IN TERMS OF COMPLIANCE OF BASEL III REQUIREMENTS AS STIPULATED BY RBI

Table DF – 1

Scope of Application

Name of the head of the banking group to which the framework applies: Indian Bank

(i) Qualitative Disclosures:

a. List of group entities considered for consolidation

Name of the entity / Country of incorporation	Whether the entity is included under accounting scope of consolidation (yes / no)	Explain the method of consolidation	Whether the entity is included under regulatory scope of consolidation (yes / no)	Explain the method of consolidation	Explain the reasons for difference in the method of consolidation	Explain the reasons if consolidated under only one of the scopes of consolidation
IndBank Merchant Banking Services Ltd. (Subsidiary)	Yes	Consolidated in accordance with Accounting Standard 21-Consolidated Financial Statement	Yes	Consolidated in accordance with Accounting Standard 21-Consolidated Financial Statement	Not Applicable	Not Applicable
Ind Bank Housing Ltd. (Subsidiary)	Yes	Consolidated in accordance with Accounting Standard 21-Consolidated Financial Statement	Yes	Consolidated in accordance with Accounting Standard 21-Consolidated Financial Statement	Not Applicable	Not Applicable
Pallavan Grama Bank (Associates)	Yes	Consolidated under Equity Method in accordance with Accounting Standard 23-Consolidated Financial Statement	No	Not Applicable	Treated as associates	Risk weighted for capital adequacy purposes
Saptagiri Grameena Bank (Associates)	Yes	Consolidated under Equity Method in accordance with Accounting Standard 23-Consolidated Financial Statement	No	Not Applicable	Treated as associates	Risk weighted for capital adequacy purposes
Puduvai Bharathiar Grama Bank (Associates)	Yes	Consolidated under Equity Method in accordance with Accounting Standard 23-Consolidated Financial Statement	No	Not Applicable	Treated as associates	Risk weighted for capital adequacy purposes

बी .ग्रूप उपक्रमों की सूची जिन पर समेकन के लिए विचार नहीं किया गया है दोनों लेखाकरण और विनियामक मानक के क्षेत्राधिकर के अधीन :

उपक्रम का नाम / पंजीकरण जिस देश में किया गया है	उपक्रम का मुख्य कार्यकलाप	कुल तुलन पत्र ईक्विटी (विधिक उपक्रम के लेखाकरण तुलन पत्र में दर्शाए अनुसार)	कुल ईक्विटी में बैंक की धारित का %	उपक्रम की पूँजीगत लिखतों में बैंक के निवेशों का विनियामक व्यवहार	कुल तुलन पत्र की आस्तियां (विधिक उपक्रम के लेखाकरण तुलन पत्र में उल्लिखित रूप से)
शून्य					

(ii) मात्रात्मक प्रकटीकरण :

सी) समेकन के लिए जिन ग्रूप उपक्रमों पर विचार किया गया है : **(₹ मिलियन में)**

उपक्रम का नाम / पंजीकरण जिस देश में किया गया है (ऊपर (i) ए में दिखाए अनुसार)	उपक्रम के मुख्य कार्यकलाप	कुल तुलन पत्र ईक्विटी (विधिक उपक्रम के लेखाकरण तुलन पत्र में दर्शाए अनुसार)	कुल तुलन पत्र की आस्तियां (विधिक उपक्रम के लेखाकरण तुलन पत्र में उल्लिखित रूप से)
इंडबैंक मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज़ लि. (भारत)	**मर्चेंट बैंकिंग सेवाएं**	443.78	646.22
इंडबैंक हाउसिंग लि. (भारत)	**आवास वित्त**	100.00	1520.20

डी. सभी अनुषंगियों में पूँजीगत कमियों की कुल राशि, जिन्हें समेकन के विनियामक दायरे में नहीं लाया गया है, अर्थात, जिनकी कटौती की गई है :

उपक्रमों का नाम / पंजीकरण जिस देश में किया गया है	उपक्रम का मुख्य कार्यकलाप	कुल तुलन पत्र ईक्विटी (विधिक उपक्रम के लेखाकरण तुलन पत्र में दर्शाए अनुसार)	कुल ईक्विटी में बैंक की धारिता का प्रतिशत	पूँजी कमियाँ
शून्य				

ई. बीमा उपक्रमों में बैंक के कुल हितों की सकल राशि (चालू बही मूल्य), जो जोखिम भारित हैं :

बीमा उपक्रमों का नाम / पंजीकरण जिस देश में किया गया है	उपक्रम का मुख्य कार्यकलाप	कुल तुलन पत्र ईक्विटी (विधिक उपक्रम के लेखाकरण तुलन पत्र में दर्शाए अनुसार)	कुल ईक्विटी में बैंक की धारिता का % / मतदान अधिकार का अनुपात	पूर्ण कटौती पद्धति की तुलना में जोखिम भारित पद्धति के प्रयोग से विनियामक पूंजी पर मात्रात्मक प्रभाव
लागू नहीं				

एफ. बैंकिंग समूह के अंदर ही निधि या विनियामक पूंजी के अंतरण पर कोई प्रतिबंध या बाधाएं :

बैंकिंग समूह के अंदर निधि या विनियामक पूंजी के अंतरण पर कोई प्रतिबंध या बाधाएं नहीं हैं।

b. List of group entities not considered for consolidation both under the accounting and regulatory scope of consolidation:

Name of the entity / country of incorporation	Principle activity of the entity	Total balance sheet equity (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)	% of bank's holding in the total equity	Regulatory treatment of bank's investments in the capital instruments of the entity	Total balance sheet assets (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)
NIL					

(ii) Quantitative Disclosures:

c. List of group entities considered for consolidation: (₹ in Million)

Name of the entity / country of incorporation (as indicated in (i)a. above)	Principle activity of the entity	Total balance sheet equity (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)	Total balance sheet assets (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)
IndBank Merchant Banking Services Ltd (India)	Merchant Banking services	443.78	646.22
Ind Bank Housing Ltd (India)	Housing Finance	100.00	1520.20

d. The aggregate amount of capital deficiencies in all subsidiaries which are not included in the regulatory scope of consolidation i.e. that are deducted:

Name of the subsidiaries / country of incorporation	Principle activity of the entity	Total balance sheet equity (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)	% of bank's holding in the total equity	Capital deficiencies
NIL				

e. The aggregate amounts (e.g. current book value) of the bank's total interests in insurance entities, which are risk-weighted:

Name of the insurance entities / country of incorporation	Principle activity of the entity	Total balance sheet equity *(as stated in the accounting balance sheet of the legal entity*	% of bank's holding in the total equity / proportion of voting power	Quantitative impact on regulatory capital of using risk weighting method versus using the full deduction method
NOT APPLICABLE				

f. Any restrictions or impediments on transfer of funds or regulatory capital with in the banking group:

There is no restriction or impediments on transfer of funds or regulatory capital within the banking group.

सारणी डीएफ – 2 : पूँजी पर्याप्तता

पूँजी पर्याप्तता का निर्धारण :

(ए) बैंक अप्रत्याशित हानियों के लिए पूंजी रखती है ताकि जमाकर्ताओं के हित, सामान्य ऋणदाताओं तथा अन्य पण्यधारकों को किसी भी अप्रत्याशित हानि से बचाया जा सके।

भारिबैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंकों को न्यूनतम सामान्य ईक्विटी टियर– I (सीईटी I) का 6.75 प्रतिशत (जिसमें 1.25 प्रतिशत की पूंजी संरक्षण बफर शामिल है) तथा न्यूनतम सीआरएआर का 10.25 प्रतिशत रखना है। बैंक सामान्य ईक्विटी टियर I (सीईटी I) का 6.75 प्रतिशत से अधिक और सीआरएआर का 10.25 प्रतिशत से अधिक रख रहा है।

(बी) भारिबैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक ने पूँजी पर्याप्तता का निर्धारण करने हेतु निम्नलिखित जोखिम प्रबंधन दृष्टिकोण को अपनाया है।

- ऋण जोखिम : माननीकृत दृष्टिकोण
- बाज़ार जोखिम : माननीकृत अवधि दृष्टिकोण
- परिचालन जोखिम : आधारभूत सूचक दृष्टिकोण

(सी) बैंक, व्यापार प्रक्षेपणों, नीतिगत दिशानिर्देशों, मैक्रो अर्थशास्त्र परिदृश्य तथा जोखिम प्रोफाइल के आधार पर अगले तीन वित्तीय वर्षों के लिए पूँजी का पूर्वानुमान लगाता है।

(डी) पिल्लर II के अधीन बैंक पूँजी का मूल्यांकन / योजना बनाते समय निम्नलिखित को जोखिम समझता है :

- तरलता जोखिम
- ऋण केन्द्रीकरण जोखिम
- बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम
- पेंशन बाध्यता जोखिम
- मानकीकरण दृष्टिकोण के अधीन ऋण जोखिम का कम मूल्यांकन
- रणनीतिगत जोखिम
- साख जोखिम
- प्रतिपक्षी ऋण जोखिम

(ई) बैंक अपनी लाभप्रदता तथा पूँजी पर्याप्तता पर आस्ति गुणता, तरलता, ब्याज दर, डेरीवेटिव तथा फॉरेक्स की तनावग्रस्त स्थिति या तनावग्रस्त परिस्थितियों में विभिन्न जोखिम क्षेत्रों का तनाव परीक्षण आवधिक तौर पर करता है।

व्यापक तनाव परीक्षण ढाँचा बनाकर रखा गया है। बैंक, भारिबैंक द्वारा निर्धारित स्थितियों के आधार पर तथा बैंक की विभिन्न परिस्थितियों के आधार पर तनाव परीक्षण त्रैमासिक अवधि में करता हैं। तनाव परीक्षण के परिणाम को विभिन्न शीर्षस्त स्तरीय समितियों को प्रस्तुत किया गया था।

बैंक, तनाव परीक्षण के अंग के रूप में निम्नलिखित जोखिमों पर असर का मूल्यांकन करेगा :

- ऋण जोखिम
- बाजार जोखिम
- ऋण केन्द्रीकरण जोखिम
- चूक जोखिम
- तरलता जोखिम
- बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबीबी)

बैंक, तिमाही तौर पर तनाव परीक्षण का आयोजन करता है तथा उसके परिणाम बोर्ड की ऋण जोखिम प्रबंधन समिति (सीआरएमसी) / जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) को प्रस्तुत किया जाता है।

Table DF - 2 : Capital Adequacy

Assessment of Capital Adequacy:

(a) Bank maintains capital to protect the interest of depositors, general creditors and stake holders against any unforeseen losses

As per the RBI guidelines, Banks have to maintain a Minimum Common Equity Tier 1 (CET 1) of 6.75% (including Capital Conservation Buffer of 1.25%) and minimum CRAR of 10.25%. Bank maintains Common Equity Tier 1 (CET 1) of more than 6.75% and CRAR of more than 10.25%.

(b) In line with RBI guidelines, Bank has adopted following risk management approaches for assessing the capital adequacy:

- **Credit Risk:** Standardised Approach
- **Market Risk:** Standardised Duration Approach
- **Operational Risk:** Basic Indicator Approach

(c) Bank projects capital for the next 3 financial years based on business projections ,policy guidelines, macro-economic scenarios, risk appetite etc.

(d) Under Pillar II, Bank considers the following as risks while assessing / planning capital:

- Liquidity Risk
- Credit Concentration Risk
- Interest Rate Risk in Banking Book
- Pension Obligation Risk
- Under estimation of Credit risk under Standardized approach
- Strategic Risk
- Reputation Risk
- Counterparty Credit Risk

(e) Bank also periodically undertakes stress testing in various risk areas to assess the impact of stressed scenario or plausible events on asset quality, liquidity, interest rate, derivatives and forex on its profitability and capital adequacy.

A comprehensive stress testing framework is put in place. Bank conducts stress test on quarterly basis based on scenarios prescribed by RBI as well as bank specific scenarios. The Stress test results were placed to various apex level committees.

The Bank assesses the impact of the following risks, as part of Stress Test:

- Credit Risk
- Market Risk
- Credit Concentration Risk
- Default Risk
- Liquidity Risk
- Interest Rate Risk in Banking Book (IRRBB)

Bank is conducting the Stress Test on quarterly basis and the result of the same is placed to Credit Risk Management Committee (CRMC)/Risk Management Committee (RMC) of the Board.

मात्रात्मक प्रकटीकरण (बेसल III दिशानिर्देशों के अनुसार)

(ए) ऋण जोखिम हेतु पूँजी आवश्यकताएँ : (₹ मिलियन में)

विवरण	एकल (सार्वभौमिक)	समेकित
मानकीकृत अभिगम के अद्यधीन संविभाग	104964.16	105010.90
प्रतिभूतिकरण ऋण	शून्य	शून्य

(बी) बाज़ार जोखिम हेतु पूँजी आवश्यकताएं

मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण (₹ मिलियन में)

विवरण	एकल (सार्वभौमिक)	समेकित
ब्याज दर जोखिम	10666.16	10666.16
विदेशी विनिमय जोखिम (स्वर्ण सहित)	63.00	63.00
ईक्विटी जोखिम	4098.01	4098.01
कुल	**14827.17**	**14827.17**

(सी) परिचालनगत जोखिम हेतु पूंजीगत आवश्यकताएं (₹ मिलियन में)

विवरण	एकल (सार्वभौमिक)	समेकित
मूल संकेतक अभिगम	8398.76	8383.59

(डी) सामान्य ईक्विटी टियर 1 (सीईटी1), टियर 1 तथा कुल पूंजी अनुपात बेसल III दिशानिर्देशों के अनुसार

विवरण	एकल (सार्वभौमिक)	समेकित
समेकितसामान्य ईक्विटी टियर 1 (सीईटी)	11.82%	12.05%
टियर 1 पर्याप्तता अनुपात	12.20%	12.43%
कुल पूँजी पर्याप्तता अनुपात	13.64%	13.87%

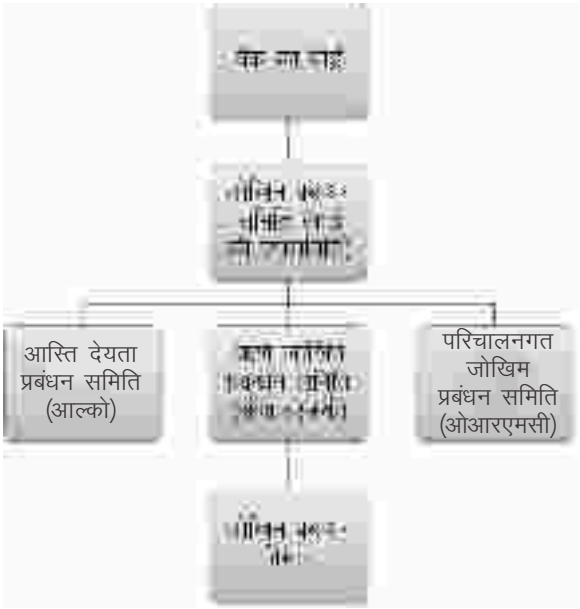

Quantitative disclosures (as per Basel III guidelines)

(a) Capital requirements for credit risk: (₹ in Million)

Particulars	Solo	Consolidated
Portfolios subject to standardized approach	104964.16	105010.90
Securitization exposures	Nil	Nil

b) Capital requirements for market risk:

Standardized duration approach (₹ in Million)

Particulars	Solo	Consolidated
Interest Rate Risk	10666.16	10666.16
Foreign Exchange Risk (including gold)	63.00	63.00
Equity Risk	4098.01	4098.01
Total	**14827.17**	**14827.17**

(c) Capital requirements for operational risk: (₹ in Million)

Particulars	Solo	Consolidated
Basic Indicator Approach	8398.76	8383.59

(d)Common Equity Tier 1 (CET 1), Tier 1 and Total capital ratio (as per Basel III guidelines):

Particulars	Solo	Consolidated
Common Equity Tier 1 (CET 1),	11.82%	12.05%
Tier 1 Capital Adequacy Ratio	12.20%	12.43%
Total Capital Adequacy Ratio	13.64%	13.87%

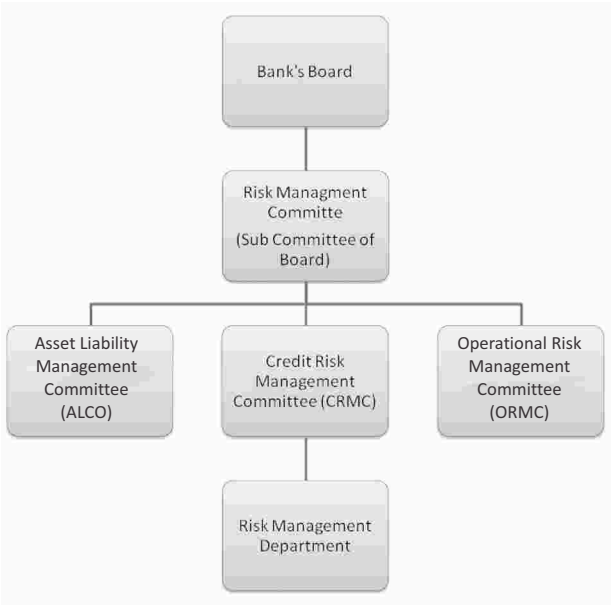

जेखिम प्रबंधन संरचना

बैंक का जोखिम प्रबंधन ढाँचा, विभिन्न जोखिमों को स्पष्ट रूप से समझने, अनुशासित जोखिम मूल्यांकन और प्रक्रियाएं और निरन्तर अनुप्रवर्तन पर आधारित है। समस्त उद्यम का प्रभावोत्पादक जोखिम प्रबंधन करने के लिए एक स्वतंत्र जोखिम प्रबंधन विभाग कार्यरत है, जो पूरे बैंक में जोखिम एक्सपोजरों के मूल्यांकन, अनुप्रवर्तन और रिपार्टिंग के लिए जिम्मेदार है। निम्नलिखित तीन शीर्ष स्तरीय समितियों के जरिए बैंक की सभी जोखिमों का प्रबंधन किया जाता है :

(I) ऋण जोखिम प्रबंधन समिति (सीआरएमसी)

(ii) आस्ति एवं देयता प्रबंधन समिति (आलको) तथा

(iii) परिचालनगत जोखिम प्रबंधन समिति (ओआरएमसी)

ये समितियां बोर्ड और बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति द्वारा अनुमोदित नीतियों और समग्र दिशानिर्देशों के अंतर्गत काम करती हैं।

जोखिमों के प्रबन्धन के लिए बैंक ने विभिन्न नीतियाँ निर्धारित की हैं। उद्यम–स्तर जोखिम का विश्लेषण करने तथा सभी जोखिमों को एकीकृत करने की दृष्टि से, एक एकीकृत जोखिम प्रबन्धन नीति बनायी गयी है। महत्वपूर्ण जोखिम नीतियों में ऋण जोखिम प्रबंधन नीति, तरलता प्रबंधन नीति, बाजार जोखिम प्रबंधन नीति, परिचालनगत जोखिम प्रबंधन नीति, आंतरिक पूंजी पर्याप्तता आकलन प्रक्रिया (आईसीएएपी) नीति, तनाव परीक्षण नीति, कोलाटेरल प्रबंधन नीति, प्रकटीकरण नीति, प्रतिष्ठा संबंधी जोखिम प्रबंधन नीति और महत्वपूर्ण (सामरिक) जोखिम प्रबंधन नीति शामिल है।

जोखिम प्रबन्धन समिति (आरएमसी)/बोर्ड द्वारा सभी नीतियां वार्षिक आधार पर पुनरीक्षित की जाती हैं। जोखिम प्रबंधन संकल्पनाओं की जानकारी देने और क्षेत्र स्तर के कार्यकर्ताओं को इनके प्रति जागरूकता बनाने के उद्देश्य से सभी संबंधित नीतियां शाखाओं के बीच में परिचालित की गई हैं तथा इसके अलावा बैंक के प्रशिक्षण कॉलेजों में इसका प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

ऋण जोखिम

प्रारंभिक चरण पर ही जोखिमों को पहचानकर उनका विश्लेषण करने, विवेकपूर्ण सीमाएं निर्धारित कर उन्हें अनुरक्षित करने तथा बदलते जोखिम माहौल का सामना करने के लिए अन्य सुधारात्मक कदम उठाने के लिए जोखिम प्रबंधन प्रणाली स्थापित की गई है।

प्रवेश स्तर की स्कोरिंग प्रणाली के अलावा ऋण की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए साफ़्टवेयर चालित रेटिंग मेकानिज़्म स्थापित किया गया है। रेटिंग माडल के कार्य का परिणाम निर्णय प्रक्रिया में प्रयोग किया जाता है यथा मंजूरी, कीमत निर्धारण और ऋण संविभाग की मॉनिटरिंग।

सीमा ढांचा

ऋण जोखिम तथा संकीर्ण जोखिम की मात्रा को कम करने की दृष्टि से सीमा ढाँचा निम्नलिखित प्रकार के एक्सपोज़र के लिए रखा गया है :

- एकल और ग्रूप ऋणकर्ता एक्स्पोज़र
- संवेदनशील क्षेत्र एक्सपोज़र
- अप्रतिभूत एक्सपोज़र
- अंतर बैंक एक्सपोज़र
- क्षेत्र–वार एक्सपोज़र
- आंतरिक रेटिंग–वार एक्सपोज़र
- भौगोलिक एक्सपोज़र
- मियादी ऋण एकसपोज़र
- उद्योग–वार एक्सपोजर
- अंतर बैंक एक्सपोज़र

इन एक्सपोज़र सीमाओं को नियमित तौर पर मानिटर किया जाता और बोर्ड की विभिन्न शीर्षस्त स्तरीय समितियों को प्रस्तुत किया जाता है।

रेटिंग मॉडल : ऋण अनुमोदनों एवं निर्णयों के समर्थन में और संविभाग प्रबंधन, मूल्य निर्धारण और जोखिम आधारित पूंजी मापन के लिए जोखिम प्रबंधन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए सभी ऋण प्रस्तावों पर तीव्र ऋण जोखिम रेटिंग/स्कोरिंग प्रक्रिया लागू की जाती है।

ऋण की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए प्रवेश स्तर की स्कोरिंग प्रणाली के अलावा साफ़्टवेयर आधारित रेटिंग तंत्र (मेकानिज़्म) स्थापित किया गया है। रेटिंग मॉडल के परिणाम का प्रयोग, निर्णय करने, अर्थात् ऋण संविभाग में मंजूरी प्रदान करने, मूल्य निर्धारण और अनुप्रवर्तन में किया जाता है। रेटिंग मॉडल के खरेपन की जाँच के लिए बाहरी अभिकरण द्वारा इसे वैध कराया गया है। बैंक इस मॉडल के लिए आवधिक वैधीकरण का कार्य अपनाना चाहता है।

स्कोरिंग मॉडलः बैंक ने प्रवेश स्तर का स्कोरिंग मॉडल विकसित किया है। वैयक्तिक ऋण उत्पादों के अंतर्गत आनेवाली सभी नई मंजूरियों पर प्रवेश स्तर का स्कोरिंग परिकलित किया जाता है।

उच्च मूल्य के खातों की आवधिक समीक्षा/लेखा परीक्षा के लिए ऋण पुनरीक्षण तंत्र एवं ऋण लेखा–परीक्षा प्रणाली निर्धारित की गई है जिससे बैंक में ऋण प्रशासन में गुणात्मक सुधार लाए जा सके। इसके अलावा मानक आस्ति अनुप्रवर्तन समिति, विशेष उल्लेख खातों की समीक्षा करती है ताकि मानक आस्तियों का गैर–निष्पादक आस्ति के रूप में रिसन को रोका जा सके। अनुप्रवर्तन मेकानिज़्म के अंश के रूप में, जिन खातों का निवेश संवर्ग से कोटि कम कराया जाता है, उनकी पहचान कर तिमाही आधार पर उनपर निकट निगरानी रखी जाती है।

खातों की रेटिंग का माइग्रेशन वार्षिक आधार पर किया जाता है। साथ ही बैंक के पोर्टफोलियों पर आधारित उद्यामों की भारित औसत रेटिंग, त्रैमासिक आधार पर की जाती है। अग्रिमों के रेटिंग वार संवितरण का विश्लेषण त्रैमासिक आधार पर किया जाता है।

ऋण जोखिम क्रियाकलापों के रूप में कॉ.का के स्तर पर आनेवाले ऋण प्रस्तावों का वैट्टिंग (योजनाबद्ध ऋण प्रस्तावों को छोड़कर) किया जाता है।

आस्ति देयता प्रबंधन :

आस्ति देयता प्रबंधन, बैंक को जोखिम एक्सपोज़र का माप तथा मानिटर करने के लिए अनुमत करता है जोकि तुलनपत्र में दोनों तरलता जोखिम तथा ब्याज दर जोखिम के कारण हो सकता है। यह बैंक को आस्ति देयता प्रबंधन हेतु उपयुक्त रणनीतियाँ उपलब्ध करने के लिए अनुमत करता है। आस्ति देयता प्रबंधन ढाँचे में निम्नलिखित प्रमुख घटक हैं।

- तरलता जोखिम प्रबंधन
- ब्याज दर जोखिम प्रबंधन
- तुलनपत्र तथा बेसल ।।। तरलता अुनपात
- तनाव परीक्षण तथा स्थिति विश्लेषण
- आकस्मिकता निधि योजना

नीचे सूचीबद्ध दो मुख्य उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए बैंक ने एएलएम नीति निर्धारित की हैः–

अल्पावधि उद्देश्यः–

- बैंक के निवल ब्याज मार्जिन को अनुकूलतम बनाना
- पर्याप्त चलनिधि प्रदान करना
- पुनः मूल्य निर्धारण जोखिम का प्रबंधन करना

Risk Management Architecture:

The Bank's risk management framework is based on a clear understanding of various risks, disciplined risk assessment and measurement procedures and continuous monitoring. An independent Risk Management Department is functioning for effective Enterprise-Wide Risk Management and responsible for assessment, monitoring and reporting of risk exposures across the bank. All the risks the Bank is exposed to, are managed through following three committees viz.,

(i) Credit Risk Management Committee (CRMC)

(ii) Asset and Liabilities Management Committee (ALCO)

(iii) Operational Risk Management Committee (ORMC).

These committees work within the overall guidelines and policies approved by the Board and Risk Management Committee of the Board.

The Bank has put in place various policies to manage the risks. To analyze the enterprise-wide risk and with the objective of integrating all the risks of the Bank, an Integrated Risk Management policy has also been put in place. The important risk policies comprise of Credit Risk Management Policy, Asset Liability Management Policy, Market Risk Management Policy, Operational Risk Management Policy, Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) Policy, Stress Testing Policy, Collateral Management Policy and Disclosure Policy, Reputational Risk Management Policy and Strategic Risk Management Policy.

All the policies are reviewed at a minimum on annual basis by Risk Management Committee (RMC)/ Board. In order to disseminate the risk management concepts and also to sensitize the field level functionaries, the relevant policies were circulated to the branches, in addition to imparting training at the Bank's training colleges.

Credit Risk:

Risk Management Systems are in place to identify and analyze the risks at the early stage and manage them by setting and monitoring prudential limits besides taking other corrective measures to face the changing risk environment.

Limit Framework:

In order to limit the magnitude of credit risk and concentration risk, a limit framework has been laid down for following type of exposures:

- Single and group borrower exposure
- sensitive sector exposure
- unsecured exposure
- interbank exposure
- country-wise exposure
- Internal rating wise exposure
- Geographical exposure
- Term loan exposure
- Industry - wise exposure
- Interbank exposure

These exposure limits are monitored on regular basis and placed to various apex level committees of the Board.

Rating Model: All credit proposals are subject to a rigorous credit risk rating/scoring process to support credit approvals and decision making as well as to enhance risk management capabilities for portfolio management, pricing and risk based capital measurement.

Software driven rating mechanism is in place to assign the rating to ensure credit quality besides an entry level scoring system. The output of the rating model is used in decision making i.e. sanction, pricing and monitoring of credit portfolio. In order to test the robustness of the rating model, the rating model has been validated by an external agency .

Scoring model: The Bank has developed entry level scoring model. All the fresh sanctions coming under personal loan products are subjected to entry level scoring

Loan review mechanism and Credit audit system are in place for the periodical review/audit of the large value accounts and bring about qualitative improvements in credit administration of the Bank. In addition, Standard Assets Monitoring Committee reviews the Special Mention Accounts periodically to initiate timely action to prevent slippage of standard assets to non performing assets. As a part of monitoring mechanism, accounts which are downgraded from investment category are identified and monitored closely on quarterly basis.

Migration analysis of rating of accounts is done on annual basis. Also weighted average rating of industry which are part of Bank's portfolio is done on quarterly basis. Analysis of rating wise distribution of advances is done on quarterly basis.

Adopting best risk management practices, vetting of credit proposals (except schematic loan proposals) coming under sanctioning powers of Corporate Office are undertaken by Risk Management Department.

Asset Liability Management:

Asset liability Management framework facilitates bank to measure, monitor and control liquidity risk and interest rate risk on its balance sheet. This helps in providing suitable strategies for asset liability management. The asset liability management framework consists of the following key components

- Liquidity risk management
- Interest rate risk management
- Balance sheet and Basel III liquidity ratios
- Stress Testing and scenario analysis
- Contingency funding plan

Bank has set in place ALM policy to achieve two primary objectives as listed below:

Short Term Objective:

- To optimize the Net Interest Margin (NIM) of the Bank
- To provide adequate liquidity
- To manage re-pricing risk

दीर्घावधि उद्देश्यः

- शेयरधारकों की संपत्ति बढ़ाना

आस्ति देयता प्रबंधन का कार्य आस्ति देयता प्रबंधन समिति (आलको) संभालती है। यह बोर्ड के दिशानिर्देश तथा पर्यवेक्षण के अधीन कार्य करती है और / या एएलएम तथा जोखिम प्रबंधन पर बोर्ड की उप–समिति के अधीन कार्य करती है। यह ब्याज दर स्थिति, जमाओं और अग्रिमों दोनों के उत्पाद क्रय, वृद्धिशील आस्ति तथा देयताओं की परिवक्ता प्रोफाइल, बैंक निधियों की माँग, बैंक के नकदी प्रवाह, लाभ योजना तथा संपूर्ण तुलनपत्र प्रबंधन की समीक्षा करने हेतु नियमित तौर पर बैठक का आयोजन करती है।

तरलता जोखिम दो दृष्टिकोण यथा फ्लो दृष्टिकोण तथा स्टॉक दृष्टिकोण के ज़रिए मापकर मानिटर किया जाता है। फ्लो दृष्टिकोण में नकद प्रवाह की विसंगतियों की संपूर्ण जाँच होती है तथा यह दैनंदिन आधार पर संरचित तरलता विवरणी की तैयारी से की जाती है। विभिन्न समय अंतरालों में विसंगतियों के लिए उपर्युक्त सहनशक्ति स्तर / प्रिडेंसियल सीमा का निर्धारण किया गया है। स्टॉक दृष्टिकोण के अधीन उपर्युक्त सीमाओं के साथ विभिन्न तुलनपत्र अनुपात निर्धारित किये गये हैं। निर्धारित सीमाओं के लिए अनुपातों का अनुपालन यह सुनिश्चित करता है कि बैंक अपनी तरलता का उचित विशाखन के ज़रिए प्रबंधन करता है तथा सुग्राह्य सीमा के अधीन बनाये रखता है। बैंक अपनी लघु कालीन तरलता विसंगतियों का मूल्यांकन करता है तथा उसकी रिपोर्ट लघु कालीन गतिशील रिपोर्ट में प्रस्तुत करता है जिसमें विभिन्न आस्तियों के नकद प्रवाह तथा देयता उत्पन्न करनेवाली इकाइयों की प्रस्तुति की जाती है तथा 1–90 दिन की अवधि में बैंक की आस्ति तथा देयताओं के नकद प्रवाह के सामयिक अंतर को प्रस्तुत किया जाता है।

ब्याज दर जोखिम को मुद्रावार मापने तथा मानिटर करने हेतु पारंपरिक गैप दृष्टिकोण तथा गौण दृष्टिकोण दोनों का प्रयोग किया जाता है। एनआईएम पर ब्याज दर परिवर्तन के अल्प–कालीन असर आकलन ''जोखिम पर अर्जन'' दृष्टिकोण के ज़रिए किया जाता है जिसमें प्रतिलाभ वक्र जोखिम, आधार जोखिम तथा एंबेडेड विकल्प जोखिम को ध्यान में लिया जाता है। ईक्विटी के बाज़ार मूल्य पर ब्याज दर परिवर्तन के दीर्घ–कालीन असर आकलन अवधि गौण दृष्टिकोण के जरिए किया जाता है। आलको / बोर्ड द्वारा मासिक ब्याज दर संवेदनशीलता विवरणी की संवीक्षा की जाती है।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा परिभाषित तथा आंतरक रूप से परिभाषित स्ट्रेस परिदृश्यों के अनुसार चलनिधि जोखिम और ब्याज दर जोखिम के लिए नियमित अंतरालों पर स्ट्रेस परीक्षण किया जाता है। आंतरिक चलनिधि स्ट्रेस परीक्षण से प्राप्त परिणामों का प्रयोग आकस्मिकता आयोजन निधि योजना का सृजन, विभिन्न चलनिधि स्ट्रेस परिदृश्यों में करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है।

उपर्युक्त के अलावा बैंक, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी हाल ही के दिशानिर्देशों के अनुसार चलनिधि कवरेज अनुपात का परिकलन कर रहा है तथा अल्पावधि चलनिधि के प्रबंधन के लिए उसका जोखिम मापक औजार के रूप में प्रयोग कर रहा है। मासिक आधार पर आलको द्वारा एलसीआर विवरण की पुनरीक्षा की जाती है।

बाजार जोखिम प्रबंधनः–

बाजार में परिवर्ती तथ्यों में हुए परिवर्तन के कारण हानि की संभाव्यता, बाजार जोखिम होता है। अंतर्राष्ट्रीय निपटान बैंक (बीआईएस) की परिभाषा के अनुसार ''बाजार जोखिम वह जोखिम है जहाँ ईक्विटी और ब्याज दरों पर बाजार, मुद्रा विनिमय दरें और पण्य के मूल्य में उतार–चढ़ाव से ''ऑन'' या ''ऑफ'' तुलन पत्र स्थिति के मूल्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। ''अतः बाजार जोखिम, बैंक की कमाई और पूंजी को होनेवाला जोखिम है जोकि ब्याज दरों के बाजार स्तर या प्रतिभूतियों, विदेशी विनिमय और ईक्विटी की कीमत में परिवर्तन तथा ऐसे परिवर्तनों में अस्थिरता से हो सकता है। बाजार जोखिम प्रबंधन का उद्देश्य, व्यापारिक इकाइयों को बाजार जोखिम एक्सपोज़र, जोखिम एक्सपोजर की तुलना में संविभाग निष्पादन और तुलनीय न्यूनतम मानदंडों के संबंध में विश्लेषिकी से चालित निविष्टियां प्रदान करते हुए जोखिम–समायोजित प्रतिफल की दरों को अधिक से अधिक बनाने में सहायता देना होता है। बाजार जाखिम के अन्तर्गत निम्नलिखित जोखिमों का प्रबंधन किया जाता हैः–

- ब्याज दर जोखिम
- विनिमय दर जोखिम
- ईक्विटी कीमत जोखिम

बाज़ार जोखिम, पण्य की कीमत तथा उतार–चढ़ाव में होनेवाले परिवर्तनों के कारण हो सकती है। तथापि, बैंक का पण्य संबंधित बाज़ार में कोई एक्सपोज़र नहीं है।

बैंक का बाजार जोखिम प्रबंधन (एमआरएम) ढांचा निम्नानुसार हैः–

ए) जोखिम की पहचानः– यह नीति बाजार जोखिम का पता लगाने, मूल्यांकित करने और व्यवस्थित करने के लिए एक तंत्र रचित करने पर केन्द्रित है ताकि जोखिम के विभिन्न आयामों की पहचान और व्यापार के प्रत्येक कार्यकलाप की मान्यता को स्पष्ट किया जा सके।

बी) जोखिम मापन और परिसीमाएंः– बैंक इस बात को स्पष्टतया मानता है कि बाजार जोखिम के सभी पहलुओं को कोई एक जोखिम – सांख्यिकी प्रतिबिंबित नहीं कर सकती। अतः बाजार जोखिम में जोखिम मापन की सुदृढता को बेहतर बनाने के लिए विभिन्न सांख्यिकीय एवं गैर–सांख्यिकीय जोखिम उपायों का प्रयोग किया जाता क्योंकि इनका अवलोकन एक साथ करने पर जोखिम के ये कदम, किसी एकल कदम की तुलना में बाजार जोखिम एक्सपोजर की सम्यक दृष्टि प्रदान करता है। बाजार जोखिम का प्रबंधन, विभिन्न मापने के साधनों, यथा, जोखिम पर रहे मूल्य (वीएआर), जोखिम पर रहे अर्जन, आशोधित अवधि, पीवी 01 सीमाएं, निवल ओवरनाइट खुली स्थिति सीमाएं (एनओओपीएल), वैयक्तिक गैप सीमा (आईजीएल) के जरिए मुद्रा–वार और सूक्ष्मग्रहिता विश्लेषण के जरिये भी किया जाता है। अतितीव्र, परन्तु मुमकिन आघातों की परिस्थितियों में बैंक की असुरक्षा की स्थिति को मानिटर करने के लिए नियमित आधार पर तनाव परीक्षण भी किया जाता है।

सी) जोखिम मानिटरिंगः– ट्रेडिंग बही के लिए विभिन्न आंतरिक और विनियामक जोखिम सीमाओं के प्रयोग से, जोकि आर्थिक परिदृश्य, व्यापार रणनीति, प्रबंधन का अनुभव और बैंक की जोखिम ग्राह्यता पर आधारित हैं, बैंक अपने जोखिम को मानिटर एवं नियंत्रित करता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि लेनदेनों का निष्पादन एवं पूनर्मूल्यन, मौजूदा बाजार दरों पर किया जाता है, रेट स्कैन किया जाता है।

डी) जोखिम रिपोर्टिंग : मिड–ऑफिस द्वारा ट्रेशरी परिचालनों को मानीटर किया जाता है और जोखिम प्रबंधन विभाग के प्रधान को दैनिक आधार पर, का.नि / प्र. नि और सीईओ को मासिक आधार पर (प्रथम पखवाडा) तथा आल्को को मासिक आधार पर (अंतिम पखवाडा) रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। बाजार जोखिम के कारण उत्पन्न पूंजी प्रभार परिकलित कर, उसकी रिपोर्ट तिमाही आधार पर आल्को और बोर्ड को प्रस्तुत की जाती है। तनाव परीक्षण नीति में निर्धारित धारणाओं का अनुपालन करते हुए बाजार जोखिम के निर्धारण के लिए तनाव परीक्षण किया जाता है और तिमाही आधार पर आलको को रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है।

Long Term Objective:

- To maximize the shareholder's wealth

Asset Liability Management is the function of Asset Liability Management Committee (ALCO).It operates under the guidance and supervision of the Board and/or Sub-Committee of Board on Risk Management. It meets at regular intervals to review the interest rate scenario, product pricing for both deposits and advances, maturity profile of the incremental assets and liabilities, demand for Bank funds, cash flows of the Bank, profit planning and overall Balance Sheet Management.

Liquidity risk is measured and monitored through two approaches-Flow approach and Stock approach. Flow approach involves comprehensive tracking of cash flow mismatches and is done through preparation of Structural liquidity statement on a daily basis. Appropriate tolerance levels/prudential limits have been stipulated for mismatches in different time buckets. Under Stock Approach various balance sheet ratios are prescribed with appropriate limits. The compliance of ratios to the prescribed limits ensures that the Bank has managed its liquidity through appropriate diversification and kept it within the sustainable limit. The Bank also assesses its short-term liquidity mismatches and reports the same in the short term dynamic liquidity report which represents the cash flow plans of various asset and liability generating units and seasonal variation of cash flow patterns of assets and liabilities of the bank over a period of 1-90 days.

For measurement and monitoring of Interest rate risk, currency wise, both Traditional gap approach and Duration gap approaches are followed. The short-term impact of interest rate movements on NIM is worked out through "Earnings at Risk" approach taking into consideration Yield curve risk, Basis risk and Embedded Options Risk. The long-term impact of interest rate movements on Market Value of Equity is also worked out through Duration Gap approach. The monthly interest rate sensitivity statement is reviewed by ALCO / Board.

Stress testing of liquidity risk and interest rate risk is conducted on regular interval as per the RBI defined and internally defined stress scenarios. The results from internal Liquidity stress testing are used to draw contingency funding plan under different liquidity stress scenarios.

In addition to the above, bank is computing Liquidity Coverage Ratio (LCR) as per latest guidelines issued by RBI and is using it as a risk measurement tool to manage short term liquidity. On a monthly basis LCR statement is reviewed by ALCO.

Market Risk Management:

Market risk is the possibility of loss caused by changes in the market variables. The Bank for International Settlements (BIS) defines market risk as "the risk that the value of 'on' or 'off' balance sheet positions will be adversely affected by movements in equity and interest rate markets, currency exchange rates and commodity prices". Thus, Market Risk is the risk to the bank's earnings and capital due to changes in the market level of interest rates or prices of securities, foreign exchange and equities, as well as the volatilities of those changes. The objective of market risk management is to assist the business units in maximizing the risk adjusted return by providing analytics driven inputs regarding market risk exposures, portfolio performance vis-à-vis risk exposures and comparable benchmarks. Following risks are managed under Market Risk.

- Interest Rate Risk
- Exchange Rate Risk
- Equity Price Risk

The market risk may also arise from changes in commodity prices and volatility. However, Bank does not have any exposure to commodity related markets.

Market Risk Management (MRM) Framework of the bank is as follows:

a) **Risk Identification:** The Policy is focused on setting a framework for identifying, assessing and managing market risk in order to provide clarity on various dimensions of risk identification and recognition to each of the business functions.

b) **Risk Measurement and Limits:** Bank recognizes that no single risk statistic can reflect all aspects of market risk. Therefore various statistical and non-statistical risk measures are used to enhance the stability of risk measurement of market risk because, taken together, these risk measures provide a more comprehensive view of market risk exposure than any single measure. Market risk is managed with various metrics viz. Value at Risk (VaR), Earnings at Risk, Modified duration, PV01 Limits, Net Overnight Open Position Limits (NOOPL), Individual Gap Limit (IGL) and Aggregate Gap Limit (AGL) currency wise and also through sensitivity analysis. Stress testing is also conducted on a regular basis to monitor the vulnerability of the bank to extreme but plausible unfavourable shocks.

c) **Risk Monitoring:** Bank monitors and controls its risk, using various internal and regulatory risk limits for trading book which are set based on economic scenario, business strategy, management experience and Bank's risk appetite. Rate scan is carried out to ensure that transactions are executed and revalued at prevailing market rates.

d) **Risk Reporting:** Mid Office monitors treasury operations on day to day basis. A daily report is placed to Chief Risk Officer. Capital charge on account of Market Risk is computed and reported to ALCO and Board on quarterly basis. Stress testing is done for assessing market risk as per framework prescribed in Stress Test Policy and reported to ALCO on Quarterly basis.

बोर्ड द्वारा अनुमोदित व्यापक बाजार जोखिम प्रबंधन नीति, निवेश नीति, तनाव परीक्षण और व्युत्पन्न नीति द्वारा बाजार जोखिम प्रबंधन अनुशासित है ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि बाजार जोखिम से युक्त विभिन्न कार्यकलापों में फैला हुआ जोखिम, बैंक की जोखिम ग्राह्यता के अन्दर ही है। उद्योग में व्याप्त उत्तम व्यवहार और भारतीय रिज़र्व बैंक के विनियमनों से सारी नीतियां बेंचमार्क की गई हैं। बैंक के जोखिम रिपोर्टिंग तंत्र में प्रकटीकरण और विभिन्न प्रबंधन समितियों को रिपोर्ट करना शामिल है।

परिचालनगत जोखिमः–

उद्योग के प्रतिभागियों, विनियामकों और अन्य स्टेकधारकों के बीच परिचालनगत जाखिम ही तीव्र अभिरुचि का केन्द्र है। प्रभावोत्पादक अभिशासन, जोखिम कैप्चर और परिचालनगत जोखिम एक्सपोशर के प्राक्कलन और मात्रात्मक निर्धारण के लिए बैंक ने परिचालनगत जोखिम प्रबंधन ढाँचा (ओआरएमएफ) और परिचालनगत जोखिम प्रबंधन तंत्र (ओआरएमएस) निर्धारित किया है। दैनंदिन की प्रबन्धन प्रक्रियाओं में उपयुक्त गुणात्मक एवं मात्रात्मक प्रणालियों और विभिन्न जोखिम शमन नीतियों तथा सुस्थापित आंतरिक नियंत्रण तंत्रों का प्रयोग करते हुए और विभिन्न जोखिम शमन नीतियों को अपनाते हुए परिचालनगत जोखिम का प्रबंधन सुगम रूप से किया जाता है। विभिन्न उत्पादों/प्रक्रियाओं में जोखिम बोध का समीक्षात्मक विश्लेषण किया जाता है और यथावश्यक सुधारात्मक कदम उठाए जाते हैं।

बैंक ने अपने परिचालनगत जोखिम एक्सपोजर को कैप्चर करने, मापने, मानीटर करने और व्यवस्थित करने के लिए परिष्कृत वेब–आधारित परिचालनगत जोखिम प्रबंधन प्रणाली कार्यान्वित की है। बैंक ने दस वर्षों से अधिक के लिए आंतरिक हानि डाटा बेस निर्मित किया है।

इस वर्ष के दौरान ''क्रेडिट स्पर्ट'' के जरिए परिचालनगत जोखिम का विश्लेषण और सांख्यिकीय तकनीकों के जरिए परिचालनगत हानि की बारंबारता एवं गंभीरता का विश्लेषण किया गया है।

सारणी डीएफ – 3

ऋण जोखिम : सभी बैंकों हेतु सामान्य प्रकटीकरण

गुणवत्ता प्रकटीकरण :

(ए) ऋण जोखिम प्रबंधन :

ऋण जोखिम को यों परिभाषित किया गया है कि ऋणकर्ताओं या प्रतिपक्षकारों की ऋण गुणता में कमी के कारण होनेवाली हानि की संभाव्यता।

संरचना :

विभिन्न दिशानिर्देशों तथा प्रमुख उद्योग प्रथाओं के अनुपालन में, बैंक ने ऋण जोखिम प्रबंधन के लिए एक सुव्यवस्थत अधिशान संरचना बनाई है ताकि पर्याप्त निरीक्षण, मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग हो सके। ढाँचा, निदेशकों के मंडल की जिम्मेदारी को स्थापित करती है।

बैंक ने जोखिम प्रबंधन प्रणाली पर भारिबैंक के दिशानिर्देश नोट के अनुसार बोर्ड स्तरीय उप–समिति की स्थापना की है जिसे ''जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी)'' कहा जाता है।

जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) :

आरएमसी, बैंक द्वारा सामने की जानेवाली संपूर्ण जोखिम को मूल्यांकन करती है तथा यह प्रभावी प्रणाली की स्थापना के लिए जिम्मेवार है जिससे जोखिम को पहचानने, मापने तथा नियंत्रित करने में सहायता मिल सके और इसके द्वारा नीतियों के निपटारा रणनीति, जोखिम लेने की क्षमता तथा ऋण मानदंडों को बोर्ड के अनुमोदन के लिए संस्तुत किये जा सके।

बोर्ड ने ऋण जोखिम के संबंध में जिम्मेदारी लेने के लिए आरएमसी को अधिकार प्रत्यायोजित किया है।

समिति, ऋण जोखिम प्रबंधन का पर्यवेक्षण करती है तथा यह सुनिश्चित करती है कि बैंक द्वारा सामने की जानेवाली प्रमुख ऋण जोखिम को उचित रूप से पहचाना जाता है तथा उसका उचित रूप से प्रबंधन हो। समिति, संपूर्ण जोखिम लेने की क्षमता तथा ऋण जोखिम प्रबंधन रणनीति को अनुमोदन करती है तथा आवधिक रूप से इसकी समीक्षा करती है। समिति, जोखिम प्रबंधन नीतियों, भारिबैंक द्वारा निर्धारित जोखित प्रबंधन दिशानिर्देशों से संबंधित बैंक के अनुपालन की समीक्षा करती है।

जोखिम समिति, ऋण जोखिम प्रोफाइल तथा अन्य कोई प्रमुख विकास यथा आंतरिक तथा बाह्य और संविभाग तथा बैंक पर उनके असर की समीक्षा करती है।

ऋण जोखिम प्रबंधन समिति (सीआरएमसी)

आरएमसी, ऋण नीति तथा प्रक्रियाओं के संबंध में मुद्दों तथा ऋण जोखिम को बैंक को समृद्ध रूप से लेकर विश्लेषण, प्रबंधन तथा नियंत्रण करती है।

ऋण समीक्षा प्रबंधन समिति (एलआरएमसी)

ऋण जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया के रूप में, कॉर्पोरेट कार्यालय में ऋण समीक्षा प्रबंधन समिति (एलआरएमसी) का गठन किया गया है ताकि कॉ.काः की विभिन्न समितियों तथा अंचल ऋण समिति द्वारा मंजूर किये गये ऋण खातों की समीक्षा की जा सकें।

अतिदेय तथा क्षतिग्रस्त (लेखांकन प्रयोग हेतु)

बैंक ने आय पहचान तथा आस्ति वर्गीकरण मानदंडों हेतु आरबीआई द्वारा परिभाषित किये अनुसार अतिदेय तथा क्षतिग्रस्त के लिए परिभाषाओं को अपनाया है।

बैंक की ऋण आस्तियों को वर्गीकृत करने के लिए बैंक की नीति निम्नप्रकार है :

गैर–निषपादित आस्ति (एनपीए) : गैर–निषपादित आस्ति (एनपीए), एक ऋण या अग्रिम है जहाँ

- मूलधन और /या ब्याज किस्त 90 दिन से अधिक समय तक बकाया रहता है,
- जब खाता ''ओवर ड्राफ़्ट / नकद ऋण (ओडी / सीसी) के संबंध में ''नियमित नहीं है''
- जब बिल, क्रय किये गये बिल तथा भुनाये गये बिल के मामले में 90 दिन से अधिक समय के लिए अतिदेय है
- मूलधन या ब्याज की किस्त अल्प अवधि फसलों के लिए दो फसल मौसम के लिए अतिदेय रहती है
- मूलधन या ब्याज की किस्त दीर्घकालिन फसलों के लिए एक फसल मौसम के लिए अतिदेय रहता है

एक ओडी / सीसी खाते को ''अनियमित माना जाता है जब अतिदेय राशि मंजूरीकृत सीमा / आहरित सीमा से 90 दिन से अधिक समय के लिए लगातार आधिक्य रहता है। जब मूल परिचालन खाते में अतिदेय राशि मंजूरीकृत सीमा / आहरित सीमा से कम है, परंतु तुलन पत्र के दिन पर 90 दिनों के लिए लगातार

Market risk management is governed by comprehensive board approved Market Risk Management Policy, Investment Policy, Stress Testing and Derivative Policy to ensure that the risks spread across different activities carrying an underlying market risk are within the stipulated risk appetite of the bank. All the policies are benchmarked with industry-best practices and RBI regulations. The risk reporting mechanism in the Bank comprises disclosures and reporting to the various management committees.

Operational Risk:

Operational risk is now on the focus of intense interest among industry participants, regulators and other stake holders. The bank has put in place Operational Risk Management Frame work (ORMF) and Operational Risk Management systems (ORMS) to ensure effective governance, risk capture and assessment and quantification of operational risk exposure. Operational risk is well managed by using appropriate qualitative & quantitative methods and established internal control systems in day to day management processes and adopting various risk mitigating strategies. The risk perceptions in various products / processes are critically analysed and corrective actions if required, are initiated.

Bank has implemented a sophisticated web-based Operational Risk Management System to capture, measure, monitor and manage its operational risk exposure. Bank has built up internal loss data base for more than 10 years.

During the year, monitoring of operational risk through credit spurt and Analysis of frequency & severity of operational loss through statistical technique have been done.

Table DF-3

Credit Risk: General disclosures for all banks

Qualitative Disclosures:

(a) Credit Risk Management:

Credit risk is defined as the possibility of losses associated with diminution in the credit quality of borrowers or counterparties.

Architecture:

In adherence with various guidelines and leading industry practices, the Bank has set up a robust governance structure for the management of credit risk, ensuring an adequate oversight, monitoring and reporting. The framework establishes the responsibilities of the board of directors.

The Bank has established a Board level sub-committee known as 'Risk Management Committee (RMC)' constituted in terms of RBI guidance note on Risk Management system.

Risk Management Committee (RMC):

TThe RMC evaluates overall risks faced by the Bank and is responsible for the establishment of an effective system to identify measure, monitor and control risk and recommend to the Board for its approval, clear policies, strategy, risk appetite and credit standards.

The Board has delegated authority to the RMC for credit risk related responsibilities.

The committee oversees credit risk management and ensures that the principal credit risks facing the Bank have been properly identified and are being appropriately managed. The committee approves and periodically reviews the overall risk appetite and credit risk management strategy. The committee reviews the risk management policies, the Bank's compliance with risk management guidelines stipulated by the RBI.

The risk committee also reviews credit risk profile and any major development, internal and external, and their impact on portfolio and as a whole on the bank

Credit Risk Management Committee (CRMC):

CRMC deals with the issues relating to credit policy and procedures, and analyzes, manages and controls credit risk on a bank wide basis.

Loan Review Management Committee: (LRMC):

As a part of Credit risk management process, Loan Review Management Committee (LRMC), at Corporate Office, has been constituted to undertake review of borrowal accounts sanctioned by various Committees at CO and Zonal Credit Committee.

Definitions of past due and impaired (for accounting purpose)

Bank has adopted the definitions of the past due and impaired (for accounting purposes) as defined by RBI for Income Recognition and Asset Classification norms.

The policy of the bank for classifying bank's loan assets is as under:

Non Performing Asset (NPA): A non performing asset (NPA) is a loan or an advance where:

- Interest and/ or installment of principal remain overdue for a period of more than 90 days in respect of a term loan,
- The account remains 'out of order' in respect of an Overdraft/Cash Credit (OD/CC)
- The bill remains overdue for a period of more than 90 days in the case of bills purchased and discounted,
- The installment of principal or interest thereon remains overdue for two crop seasons for short duration crops
- The installment of principal or interest thereon remains overdue for one crop season for long duration crops

AAn OD/CC account is treated as 'out of order' if the outstanding balance remains continuously in excess of the sanctioned limit/drawing power for more than 90 days. In cases where the outstanding balance in the principal operating account is less than the sanctioned limit/drawing

कोई जमा नहीं है या उसी अवधि में नामे डाले गये ब्याज को कवर करने के लिए जमा पर्याप्त पहीं है तो इन खातों को ''अनियमित'' माने जाएँगे।

बैंक की गैर–निष्पादित आस्तियों को आगे तीन वर्गों में वर्गीकृत की गई है:

➢ **अवमानक आस्तियाँ :**

अवमानक आस्ति यह है जोकि 12 महीने की समान अवधि या उससे कम अवधि के लिए एनपीए के रूप में रहा हो।

➢ **संदिग्ध आस्तियाँ**

आस्ति को संदिग्ध आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा जब आस्ति 12 महीनों के लिए अवमनाक वर्ग में रहती है।

➢ **हानिकारक आस्ति**

हानिकार आस्ति वह है जब बैंक द्वारा या आंतरिक या बाह्य लेखाकारों या भारिबैंक के निरीक्षण के समय पर हानि को पहचाना जाता है।

ऋण जोखिम प्रबंधन नीति :

बैंक ने ऋण जोखिम प्रबंधन नीति लागू की है और इसे सभी शाखाओं को परिचालित किया गया है। नीति का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि परिचालन प्रबंधन की प्रत्याशा के अनुरूप हैं तथा उच्च प्रबंधन की रणनीतियों को परिचालन स्तर पर सार्थक निदेशों के रूप में पहुँचाया गया है। यह नीति बृहत ऋण एक्स्पोज़र, ऋण संपार्श्विक हेतु मानक, फोर्टफोलियो प्रबंधन, ऋण समीक्षा तंत्र, जोखिम सकेंद्रीकरण, जोखिम निगरानी तथा मूल्यांकन, प्रावधानीकरण तथा विनियामक / विधिक अनुपालन पर विवेकी सीमाओं को निर्धारित करती है।

बैंक उन जोखिमों की पहचान करता है जो उनको प्रभावित करते हैं तथा इन जोखिमों के माप, निगरानी तथा नियंत्रण के लिए उचित तकनीकी का प्रयोग करता है।

जबकि बोर्ड / बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति नीति तैयार करती है तथा विभिन्न ऋण जोखिमों को निर्धारित करती है, ऋण जोखिम प्रबंधन समिति बोर्ड / आरएमसी द्वारा अनुमोदित इन नीतियों एवं रणनीतियों को कार्यान्वित करती है, बैंक व्यापक आधार पर ऋण जोखिम की निगरानी करता है तथा जोखिम सीमाओं का अनुपालन सुनिश्चित करता है।

बैंक (क) एकल तथा सामूहिक उधारकर्ताओं हेतु एक्सपोज़र सीमा निर्धारण (ख) ग्रेड सीमा रेटिंग (ग) उद्योगवार एक्सपोज़र सीमा तथा (घ) पूरे अंचलों में ऋणों के भौगोलिक संवितरण के विश्लेषण द्वारा जोखिम संकेद्रीकरण का अध्ययन करता है। सभी अंचलों को चार खंडों में वर्गीकृत किया गया है, यथा उत्तर, दक्षिण, पूर्व एवं पश्चिम।

बैंक किसी भी उधारकर्ता से संबंधित ऋण जोखिम का माप करने के लिए उधार खाते की रेटिंग को एक महत्वपूर्ण उपकरण मानता है और तदनुसार बैंक में सभी शाखाओं/अंचल कार्यालयों के लिए साफ्टवेयर चालित रेटिंग/स्कोरिंग मॉडल कार्यान्वित किए गए है।

(बी) कुल सकल ऋण जोखिम, पृथक रूप से निधि आधारित एवं गैर–निधि आधारित : (₹ मिलियन में)

विवरण	एकल (सार्वभौमिक)	समेकित
सकल ऋण जोखिम एक्स्पोश्र		
निधि आधारित		
ऋण एवं अग्रिम	1321447.00	1321539.31
थ्नवेश	397136.38	397157.73
अन्य आस्तियां	229820.76	229974.72
कुल निधि आधारित	**1948404.15**	**1948671.76**
गैर निधि आधारित जिस में आकस्मिक क्रेडिट, संविदाएं तथा व्युत्पन्न शामिल हैं*	541498.27	541730.85
कुल ऋण जोखिम एक्स्पोशर	**2489902.42**	**2490402.61**

*इसमें व्युत्पन्न एक्स्पोशर की अनुमानित मूल राशि, गैर लाभित सीमा, एलसी, स्वीकृतियां, गारंटी शामिल है।

(सी) एक्सपोशर का भौगोलिक वितरण, निधि आधारित एवं गैर–निधि आधारित अलग–अलग से : (₹ मिलियन में)

भौगोलिक क्षेत्र	निधि आधारित	आकस्मिक ऋण, संविदाएं तथा व्युत्पन्न सहित गैर–निधि आधारित	कुल
टोवरसीज	78547.85	11846.63	90394.48
छेशी	1869856.30	529651.64	2399507.94
कुल	**1948404.15**	**541498.27**	**2489902.42**

power, but there are no credits continuously for 90 days as on the date of Balance Sheet or credits are not enough to cover the interest debited during the same period, these accounts are treated as 'out of order'.

Non Performing Assets of the Bank is further classified in to three categories as under:

- **Sub standard Assets**

A sub standard asset is one which has remained NPA for a period less than or equal to 12 months.

- **Doubtful Assets**

An asset would be classified as doubtful if it has remained in the sub standard category for 12 months.

- **Loss Assets**

A loss asset is one where loss has been identified by the bank or by internal or external auditors or the RBI inspection.

Credit Risk Management Policy:

TThe main objective of the policy is to ensure that the operations are in line with the expectation of the management and the strategies of the top management are translated into meaningful directions to the operational level. The Policy stipulates prudential limits on large credit exposures, standards for loan collateral, portfolio management, loan review mechanism, risk concentrations, risk monitoring and evaluation, provisioning and regulatory / legal compliance.

The Bank identifies the risks to which it is exposed and applies suitable techniques to measure, monitor and control these risks.

While the Board / Risk Management Committee of the Board devises the policy and fixes various credit risk exposures, Credit Risk Management Committee implements these policies and strategies approved by the Board / RMC, monitors credit risks on a bank wide basis and ensures compliance of risk limits.

The Bank studies the concentration risk by (a) fixing exposure limits for single and group borrowers (b) rating grade limits (c) industry wise exposure limits and (d) analyzing the geographical distribution of credit across the Zones. All the Zones are categorized under four segments namely North, South, East and West.

Bank considers rating of a borrowal account as an important tool to measure the credit risk associated with any borrower and accordingly implemented rating software .

(b) Total gross credit risk exposures, Fund Based and Non-fund based separately. (₹ in Million)

Particulars	Solo (Global)	Consolidated
Gross Credit Risk Exposures		
Fund Based		
Loans and Advances	1321447.00	1321539.31
Investments	397136.38	397157.73
Other Assets	229820.76	229974.72
Total Fund Based	**1948404.15**	**1948671.76**
Non Fund Based including contingent credit, contracts and derivatives*	**541498.27**	**541730.85**
Total Credit Risk Exposure	**2489902.42**	**2490402.61**

*includes ·notional principles of derivatives exposures, fund based unavailed limits, LC, acceptances Guarantees.

(c) Geographic distribution of credit risk exposures Fund based and Non-fund based (solo) separately (₹ in Million)

Geographical Region	Fund Based	Non Fund Based including contingent credit, contracts and derivatives	Total
Overseas	78547.85	11846.63	90394.48
Domestic	1869856.30	529651.64	2399507.94
Total	**1948404.15**	**541498.27**	**2489902.42**

(डी) 31 03 2017 तक एक्स्पोशर का उद्योगवार वितरण (एकल – सार्वभौमिक)

(₹ मिलियन में)

क्रमांक	उद्योग का नाम	बकाया		प्रतिबद्ध एक्स्पोशर
		निधि आधारित	गैर निधि आधारित	
1	रत्न और जेवर हीरा सहित	1018.68	104.31	1447.89
2	**आधारिक संरचना**			
2.1	बिजली	84376.71	11449.82	121516.17
	जिनमें से अक्षय ऊर्जा	6225.40	634.20	7590.30
2.2	पोर्ट / सडक	50276.80	1595.64	60366.14
2.3	टेलीकॉम	5537.50	30436.21	37314.70
2.4	अन्य आधारिक संरचना	35654.24	4317.64	68039.94
2.5	शैक्षिक संस्था	25081.82	1353.81	33220.37
2.6	अस्पताल	4004.79	244.39	6912.92
2.7	होटल	7943.91	273.43	8678.68
3	पेट्रोलियम एवं पेट्रोलियम उत्पाद	25347.05	34859.82	68293.82
4	वस्त्र	42693.77	1896.04	54008.76
5	लोहा एवं इस्पात	39029.06	2655.15	47006.64
6	**सभी इंजीनियरिंग**			
6.1	सभी इंजीनियरिंग - अन्य	21257.62	21662.27	60143.46
6.2	इलेक्ट्रानिक एवं कंप्यूटर (हार्डवेयर एवं साफ़्टवेयर)	6288.80	2323.03	10717.01
7	रसायन एवं रसायन उत्पाद			
7.1	उर्वरक	772.83	587.20	3294.12
7.2	पेट्रोरसायन	12.91	0.00	50.10
7.3	औषधि एवं औषधीय	2956.11	258.04	3893.96
7.4	अन्य (रसायन एवं रसायन उत्पाद)	3812.80	1469.68	7268.79
8	**खाद्य संसाधन**			
8.1	चीनी	6915.73	783.73	8690.52
8.2	खाद्य तेल एवं वनस्पति	1159.79	2021.12	3636.12
8.3	चाय / काफी	1101.83	0.21	1713.39
8.4	अन्य (खाद्य संसाधन)	22585.87	3047.63	34995.02
9	कोयला, खनन और उत्खनन	5334.16	177.39	6516.24
10	सीमेंट एवं सीमेंट उत्पाद	13200.40	2338.08	18180.37
11	चमड़ा एवं चमड़ा उत्पाद	1093.99	221.34	1719.52
12	कंस्ट्रक्शन कान्ट्राक्टर्स	12397.23	28405.41	53997.80
13	रबड, प्लोस्टिक्स एवं अन्य उत्पाद (टायर सहित)	11709.66	2027.61	19394.34
14	आटोमोबइल (वाहन, वाहन पुर्जे और परिवहन उपस्कर)	6408.92	759.13	9624.41
15	पेय एवं तम्बाकू	2483.84	1336.90	5690.31
16	लकडी एवं लकडी उत्पाद	1969.70	73.25	2507.60
17	कागज एवं कागज उत्पाद	6845.10	380.39	8475.85
18	ग्लैस एवं गलैसवेयर	2012.63	591.74	3835.27
19	अन्य धातु एवं धातु उत्पाद	9578.53	308.65	10795.67
20	मुद्रण एवं प्रकाशन	3316.49	123.76	4308.50
21	विमान	5501.69	0.00	5521.07
22	मीडिया एवं मनोरंजन	1527.76	4146.47	5967.88
23	लाजिस्टीक्स	2551.95	2427.54	5985.65
24	जहाज निर्माण	936.15	820.54	8056.76
25	व्यापार (फुटकर व्यापार के अलावा)	98166.88	17088.36	171181.99
26	एनबीएफसी (एमएफआई /एचएफसी सहित)	102536.30	1343.31	140881.27
	जिनमें से एमएफआई	5006.30	0.00	6551.60
27	अन्य उद्योग	43739.32	2980.38	58359.01
28	सीएमई	123.00	3825.30	10255.50
29	सीआरई	28598.80	1240.80	34202.70

(d) Industry-wise distribution of exposures (Solo) as on 31-03-2017

(₹ in Million)

S.No.	Name of the industry	Outstanding		Committed Exposure
		Fund Based	Non Fund Based	
1	Gems and Jewellery including Diamond	1018.68	104.31	1447.89
2	**Infrastructure**			
2.1	Power	84376.71	11449.82	121516.17
	Of which Renewable Energy	6225.40	634.20	7590.30
2.2	Ports / Roads	50276.80	1595.64	60366.14
2.3	Telecom	5537.50	30436.21	37314.70
2.4	Other infrastructure	35654.24	4317.64	68039.94
2.5	Educational institution	25081.82	1353.81	33220.37
2.6	Hospital	4004.79	244.39	6912.92
2.7	Hotels	7943.91	273.43	8678.68
3	Petroleum and petroleum products	25347.05	34859.82	68293.82
4	Textiles	42693.77	1896.04	54008.76
5	Iron & Steel	39029.06	2655.15	47006.64
6	**All Engineering**			
6.1	All Engineering-others	21257.62	21662.27	60143.46
6.2	Electronics and Computers (HW and SW)	6288.80	2323.03	10717.01
7	**Chemical & Chemical Products**			
7.1	Fertilizer	772.83	587.20	3294.12
7.2	Petrochemical	12.91	0.00	50.10
7.3	Drugs & Pharmaceuticals	2956.11	258.04	3893.96
7.4	Others (Chemicals & Chemical Products)	3812.80	1469.68	7268.79
8	**Food Processing**			
8.1	Sugar	6915.73	783.73	8690.52
8.2	Edible Oil & Vasanpati	1159.79	2021.12	3636.12
8.3	Tea/Coffee	1101.83	0.21	1713.39
8.4	Others (Food Processing)	22585.87	3047.63	34995.02
9	Colliery, Mining and Quarying	5334.16	177.39	6516.24
10	Cement and Cement Products	13200.40	2338.08	18180.37
11	Leather and Leather Products	1093.99	221.34	1719.52
12	Construction Contractors	12397.23	28405.41	53997.80
13	Rubber, Plastics and their Products (Including Tyre)	11709.66	2027.61	19394.34
14	Automobiles (Vehicles, Vehilce Parts and Transport Equipment)	6408.92	759.13	9624.41
15	Beverages and Tobacco	2483.84	1336.90	5690.31
16	Wood and Wood Products	1969.70	73.25	2507.60
17	Paper and Paper Products	6845.10	380.39	8475.85
18	Glass and Glassware	2012.63	591.74	3835.27
19	Other Metal and Metal Products	9578.53	308.65	10795.67
20	Printing and Publishing	3316.49	123.76	4308.50
21	Aviation	5501.69	0.00	5521.07
22	Media and Entertainment	1527.76	4146.47	5967.88
23	Logistics	2551.95	2427.54	5985.65
24	Ship Building	936.15	820.54	8056.76
25	Trade (other than Retail Trade)	98166.88	17088.36	171181.99
26	NBFC (Including MFI/HFC)	102536.30	1343.31	140881.27
	Of which MFI	5006.30	0.00	6551.60
27	Other Industries	43739.32	2980.38	58359.01
28	CME	123.00	3825.30	10255.50
29	CRE	28598.80	1240.80	34202.70

31 मार्च 2017 को निम्नलिखित उद्योगों में बैंक का एक्स्पोशर रुपए 1809071.63 मिलियन के कुल सकल ऋण एक्स्पोशर के 5 प्रतिशत से अधिक था।

क्र.सं	उद्योग का वर्गीकरण	कुल सकल ऋण एक्स्पोजर का प्रतिशत
1	एनबीएफसी	7.14%
2	पावर	6.16%

(ई) अग्रिमों एवं निवेशों के अवशिष्ट संविदागत परिपक्वता के अलग–अलग आंकड़ें (₹ मिलियन में)

विवरण	अग्रिम	निवेश*
1 दिन	12402.08	153312.30
2-7 दिन	21509.22	9602.70
8-14 दिन	46286.56	4323.80
15 to 30 दिन	39424.64	12058.60
31 दिन - 2 माह	64506.96	12041.60
2 माह से अधिक 3 माह तक	59533.37	13276.60
3 माह से अधिक 6 माह तक	104562.80	26659.80
6 माह से अधिक 1 वर्ष तक	182434.90	42096.80
1 वर्ष से अधिक 3 वर्ष तक	410091.80	256957.60
3 वर्ष से अधिक 5 वर्ष तक	163476.90	24055.10
5 वर्ष से अधिक	172763.70	118525.50
कुल	**1276993.00**	**672910.40**

*इनमें रु 83205.40 मिलियन की सीबीएलओ उधार और रु 9500 मिलियन की प्रतिवर्ती रेपो (एलएएफ) प्रतिभूतियाँ शामिल है और सूचीबद्ध ईक्विटियों के 50 प्रतिशत की राशि रु 5214.80 शामिल नहीं है।

(₹ मिलियन में)

(एफ)	एनपीए की राशि (सकल) – (एकल सार्वभौमिक)	98651.40
	➢ अवमानक	17976.23
	➢ संदिग्ध 1	20421.89
	➢ संदिग्ध 2	53341.45
	➢ संदिग्ध 3	2851.03
	➢ हानि	4060.80
(जी)	निवल एनपीए	56065.65
(एच)	एनपीए अनुपात	
	➢ सकल अग्रिम के प्रति सकल एनपीए	7.47%
	➢ निवल अग्रिम के प्रति निवल एनपीए	4.39%
(I)	एनपीए का आवागमन (सकल)	
	➢ दि. 01.04.2016 को अथशेष	88270.43
	➢ जोड	33306.62
	➢ घटाव	22925.66
	➢ **अंतशेष 31.03.2017)**	**98651.40**
(J)	एनपीए के प्रावधान का आवागमन (फलोटिंग प्रावधान को छोडकर)	
	➢ अथशेष (01.04.2016)	29735.21
	➢ वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	21470.16
	➢ बट्टेखाते डाली गई राशि	13316.21
	➢ **अंतशेष (31.03.2017)**	**37889.16**
(के)	गैर निष्पादक निवेशों की राशि	179.26
(एल)	गैर निष्पादक निवेश हेतु धारित प्रावधान राशि	179.26
(एम)	निवेशों पर मूल्यह्रास हेतु प्रावधानों का आवागमन	
	➢ अथशेष (01.04.2016)	1942.68
	➢ वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	1712.93
	➢ बट्टेखाते डाली गई राशि	0.00
	➢ अतिरिक्त प्रावधानों का प्रतिलेखन	692.32
	➢ अंतशेष (31.03.2017)	2963.29

As on 31-03-2017, the Bank's exposure to the industries stated below was more than 5% of the total gross credit exposure of ₹ 1809071.63 million :

Sl.No	Industry Classification	Percentage of the total gross credit exposure
1	NBFC	7.14%
2	Power	6.16%

(e) Residual contractual maturity break-up of advances and investments (₹ in Million)

	Advances	Investments*
1 day	12402.08	153312.30
2-7 days	21509.22	9602.70
8 -14 days	46286.56	4323.80
15 to 30 days	39424.64	12058.60
31 days to 2 months	64506.96	12041.60
2 months to 3 months	59533.37	13276.60
Over 3 months to 6 months	104562.80	26659.80
Over 6 months to 1 year	182434.90	42096.80
Over 1 year to 3 years	410091.80	256957.60
Over 3 years to 5 years	163476.90	24055.10
Over 5 years	172763.70	118525.50
Total	**1276993.00**	**672910.40**

*Includes CBLO Borrowings of ₹83205.40 million, Reverse Repo(LAF) securities of ₹ 9500 million and excludes 50% of listed equities of ₹ 5214.80 million

(₹ in Million)

(f)	Amount of NPAs (Gross) – (Solo-Global)	98651.40
	➢ Substandard	17976.23
	➢ Doubtful 1	20421.89
	➢ Doubtful 2	53341.45
	➢ Doubtful 3	2851.03
	➢ Loss	4060.80
(g)	Net NPAs	56065.65
(h)	NPA Ratios	
	➢ Gross NPAs to gross advances	7.47%
	➢ Net NPAs to net advances	4.39%
(i)	Movement of NPAs (Gross)	
	➢ Opening Balance as on 01.04.2016	88270.43
	➢ Additions	33306.62
	➢ Reductions	22925.66
	➢ **Closing Balance (31.03.2017)**	**98651.40**
(j)	Movement of provisions for NPAs (excl floating provision)	
	➢ Opening Balance (01.04.2016)	29735.21
	➢ Provisions made during the period	21470.16
	➢ Write Off / Write-back of excess provisions	13316.21
	➢ **Closing balance (31.03.2017)**	**37889.16**
(k)	Amount of Non-Performing investments	179.26
(l)	Amount of Provisions held for non-performing investments	179.26
(m)	Movement of provisions for depreciation on investments	
	➢ Opening balance (01.04.2016)	1942.68
	➢ Provisions made during the period	1712.93
	➢ Write-off	0.00
	➢ Write-back of excess provisions	692.32
	➢ Closing balance (31.03.2017)	2963.29

सीधे आय विवरण में प्रविष्ट बट्टाकृत राशियाँ और वसूलियाँ:

उगाही के अधीन रहे खातों में वसूलियाँ	1566.87
ब्याज ज्ञापन एवं विधिक प्रभारों का ज्ञापन / बट्टाकृत खातों में वसूलियां	367.60

प्रमुख उद्योग के प्रकार–वार एनपीए राशि (₹ मिलियन में)

उद्योग	सकल एनपीए	प्रावधान	निवल एनपीए
मूल धातु तथा धातु उत्पाद	32639.09	13607.61	19031.48
संरचना	14721.20	5991.46	8729.74
व्सत्र	4760.23	2061.97	2698.26
सभी इंजीनियरिंग	7812.61	2960.77	4851.84
कोयला एवं खनन	3646.61	1832.96	1813.65

वर्ष के दौरान तकनीकी रूप से बट्टे खाते डाली गई राशिः रु 1085.72 मिलियन

भौगोलिक फैलाव–वार एनपीए (₹ मिलियन में)

	देशी	ओवरसीज	वैश्विक
एनपीए की राशि (सकल)			
➢ अव–मानक	15876.72	2099.51	17976.23
➢ संदिग्ध 1	19814.90	606.99	20421.89
➢ संदिग्ध 2	53277.10	64.35	53341.45
➢ संदिग्ध 3	2851.03	0.00	2851.03
➢ हानि	4060.80	0.00	4060.80
निवल एनपीए	95880.55	2770.85	98651.40

पिछले देय ऋणों की परिपक्वता का विश्लेषण (₹ मिलियन में)

विवरण	निवल एनपीए
1 वर्ष से कम (अवमानक)	17976.23
1 से 2 वर्ष (डी 1)	20421.89
2 से 3 वर्ष (डी 2 प्रथम वर्ष)	53341.45
3 से 4 वर्ष (डी – दूसरे वर्ष)	2851.03
4 वर्ष से अधिक	4060.80

सारणी डीएफ –4

ऋण जोखिम : मानकीकृत अभिगम के अध्यधीन संविभागों हेतु प्रकटीकरण

गुणवत्ता प्रकटीकरण:

(ए) बेसल III ढांचे के अनुसार अर्ह एक्स्पोशरों जैसे कार्पोरेट, सार्वजनिक क्षेत्रक उद्यम पूंजी बाज़ार एक्सपोसर आदि के लिए बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमोदित छह दर निर्धारण अभिकरणों यथा क) क्राइसिल ख) इक्रा ग) केयर और घ) इंडिया रेटिंग्स ई) ब्रिकवर्क्स एवं एफ) स्मेरा द्वारा निर्दिष्ट रेटिंग का प्रयोग करता है। समुद्रपार ऋण एक्सपोज़र के लिए, बैंक स्टैण्डर्ड एण्ड पुअर, फिट्च, मूडीस की रेटिंग को स्वीकार करता है।

बैंक ने सभी पात्र एक्सपोज़रों के लिए दोनों तुलनपत्र में और तुलनपत्र से परे, लघुकालीन या दीर्घकालीन जो भी हो, बेसल III पूँजी विनियमनों पर भारतीय रिज़र्व बैंक दिशानिर्देशों में अनुमत पद्धति के अनुसार उपर्युक्त अनुमोदित ऋण रेटिंग अभिकरणों द्वारा निर्धारित रेटिंग का प्रयोग किया है।

रेटिंग अभिकरणों द्वारा अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित रेटिंग को ही इस उद्देश्य के लिए प्रयोग किया जाता है। संबंधित रेटिंग अभिकरण के मासिक बुलेटिन के अनुसार रेटिंग्स जो चालू हैं, का प्रयोग किया जाता है।

बैंक के संविभाग में होनेवाली आस्तियाँ जिनकी संविदागत परिपक्वता एक वर्ष के समान या उससे कम है तो लघु कालीन रेटिंग जो चयनीत ऋण रेटिंग अभिकरणों द्वारा दिया जाता है, उसे प्रासंगिक माना जाता है। बैंक के संविभाग में होनेवाली आस्तियाँ जिनकी संविदागत परिपक्वता एक वर्ष से अधिक हो तो दीर्घकालीन रेटिंग जो चयनीत ऋण रेटिंग अभिकरणों द्वारा दिया जाता है, उसे प्रासंगिक माना जाता है।

चयनित देशी ऋण अभिकरणों द्वारा जारी दीर्घ कालीन/अल्प कालीन रेटिंग को बेसल III पूँजी विनियमनों के अधीन मानकीकृत दृष्टिकोण के अनुसार प्रयोज्य उचित जोखिम भारिता के साथ मैप किये गये हैं।

बहुल रेटिंग मूल्यांकन का प्रयोग:

➢ अगर चयनित ऋण रेटिंग अभिकरणों द्वारा दो रेटिंग उपलब्ध किये जाते हैं जिससे विभिन्न जोखिम भार का मैपिंग होता है तो उच्च जोखिम भार को लिया जाता है।

➢ अगर चयनीत ऋण रेटिंग अभिकरणों द्वारा विभिन्न जोखिम भारिता के साथ तीन या अधिक रेटिंग दिये जाते हैं तो दो निम्न जोखिम भार के संबंध में रेटिंग को संदर्भित करना चाहिए तथा इनमें से अधिक वाले दो जोखिम भार को लगाना चाहिए यथा दूसरा निम्नतम जोखिम भार

Write off and recoveries that have been booked directly to the income statement:

Recovery in Accounts under collection	1566.87
Memorandum of Interest / Legal charges / Recovery in written off accounts	367.60

Amount of NPA by Major Industry type (₹ in Million)

Industry	Gross NPA	Provision	Net NPA
Basic Metal and metal products	32639.09	13607.61	19031.48
Infrastructure including Power	14721.20	5991.46	8729.74
Textiles	4760.23	2061.97	2698.26
All engineering	7812.61	2960.77	4851.84
Coal and mining	3646.61	1832.96	1813.65

Technical write off during the year: ₹ 1085.72 million

Geography-wise NPA (₹ in Million)

	Domestic	Overseas	Global
Amount of NPAs (Gross)			
➢ Substandard	15876.72	2099.51	17976.23
➢ Doubtful 1	19814.90	606.99	20421.89
➢ Doubtful 2	53277.10	64.35	53341.45
➢ Doubtful 3	2851.03	0.00	2851.03
➢ Loss	4060.80	0.00	4060.80
Net NPAs	95880.55	2770.85	98651.40

Analysis of ageing of past-due loans (₹ in Million)

Details	Gross NPA
Less than 1 year (Sub Standard)	17976.23
1-2 Years (D1)	20421.89
2-3 Years(D2- 1st Year)	53341.45
3-4 Years(D2- 2nd Year)	2851.03
More than 4 years	4060.80

Table DF – 4

Credit Risk: disclosures for portfolios subject to the standardized approach

Qualitative Disclosures:

(a) The Bank uses ratings assigned by the six Rating Agencies approved by the Reserve Bank of India namely a) CRISIL, b) ICRA, c) CARE, d)India Ratings, e)BRICKWORKS and f) SMERA for the eligible exposures such as Corporate, Public Sector Enterprises, Capital Market Exposures etc. according to the Basel III framework. For overseas credit exposure, bank accepts rating of Standard &Poor, Fitch, Moody's.

The Bank has used the solicited ratings assigned by the above approved credit rating agencies for all eligible exposures, both on balance sheet and off balance sheet, whether short term or long term, in the manner permitted in the RBI guidelines on Basel III capital regulations.

Ratings published by the rating agencies on their website are used for this purpose. Only ratings which are in force as per monthly bulletin published in the website of the concerned rating agencies are taken into account.

For assets in the Bank's portfolio that have contractual maturity less than or equal to one year, short term ratings accorded by the chosen credit rating agencies are considered relevant. For other assets, which have a contractual maturity of more than one year, long term ratings accorded by the chosen credit rating agencies are considered relevant.

Long term/short term ratings issued by the chosen domestic credit rating agencies have been mapped to the appropriate risk weights applicable as per the standardised approach under Basel III capital regulations.

Use of multiple rating assessment:

- If there are two ratings accorded by chosen credit rating agencies that map into different risk weights, the higher risk weight are applied
- If there are three or more ratings accorded by chosen credit rating agencies with different risk weights, the ratings corresponding to the two lowest risk weights should be referred to and the higher of those two risk weights should be applied. i.e., the second lowest risk weight

मात्रात्मक प्रकटीकरण :

(बी) मानकीकृत अभिगम के तहत ऋण जोखिम निवारण के बाद विभाजित कुल ऋण जोखिम एक्सपोसर (एकल – सार्वभौमिक) निम्नानुसार है :

(₹ मिलियन में)

एकल (सार्वभौमिक)	बही मूल्य	जोखिम भारित / मूल्य
100% जोखिम भार के नीचे	1694043.77	348084.50
100% जोखिम भार	504541.08	397972.71
100% से अधिक जोखिम भार	291317.57	277983.36
कुल	**2489902.42**	**1024040.57**

मानकीकृत अभिगम के तहत ऋण जोखिम निवारण के बाद विभाजित कुल ऋण जोखिम एक्सपोसर(समेकित) निम्नानुसार है :

(₹ मिलियन में)

समेकित	बही मूल्य	जोखिम भारित / मूल्य
100% जोखिम भार के नीचे	1694157.01	348153.54
100% जोखिम भार	504928.02	398359.65
100% से अधिक जोखिम भार	291317.57	277983.36
कुल	**2490402.60**	**1024496.55**

सारणी डीएफ–5: ऋण जोखिम निवारण–मानकीकृत अभिगमों हेतु प्रकटीकरणं

गुणात्मक प्रकटीकरण

बैंक ने (क) ऋण जोखिम निवारण तथा बेसेल ।।।/भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों की भावना को ध्यान मे रखते हुए उचित संपार्श्विक की पहचान पर जागरुकता बढ़ाने तथा (ख) बेसेल।।/ भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों में निर्धारित अभिगम के अनुसार पूँजी प्रभार के परिकलन में ऋण जोखिम निवारण लाभ को इष्टतम बनाने के प्राथमिक उद्देश्य से ऋण जोखिम निवारण तथा संपार्श्विक प्रबंधन नीति लागू की है।

बैंक साधारणतः ऋण सहभागिता, एक्स्पोज़र की उच्चतम सीमा, एस्क्रो तंत्र, वायदा कवर, उच्चतर मार्जिन, ऋण प्रसंविदाओं, संपार्श्विक तथा बीमा कवर जैसे ऋण निवारण तकनीकों पर भरोसा करता है।

ऋण जोखिम प्रबंधन नीति में मूल्यांकन पद्धतियों को विस्तृत रूप से बताया गया है।

पूँजी प्रभार के अभिकलन हेतु पात्र संपार्श्विक जिसके लिए सीआरएम लाभ लिया गया है :

पूँजी प्रभार के अभिकलन हेतु सीआरएम की उपलब्धता हेतु निम्नलिखित संपार्श्विकों को पहचाना जाता है:

i) बैंक के साथ जमाओं पर नकदी (जमा प्रमाणपत्रों अथवा तुलनात्मक लिखतों के साथ साथ ऋणदाता बैंक द्वारा जारी की गई सावधि जमा की रसीदों को मिलाकर) जो कि काऊँटर पार्टी एक्पोसर को प्रदान कर रहा है।

ii) सोनाः सोना, सोना–चाँदी तथा जेवर को सम्मिलत करेगा। यद्यपि संपार्श्विक जेवर की कीमत 99.99 सुदृढता के लिए बेंचमार्क होनी चाहिए।

iii) केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा ज़ारी प्रतिभूतियाँ।

iv) किसान विकास पत्र और राष्ट्रिय वचत प्रमाण–पत्र जिनमें अवरुद्धता अवधि उपलब्ध नहीं है, क्रियाशील हैं और उन्हें धारण अवधि के अंदर भुनाया जा सकता है।

v) एक बीमा कंपनी जो कि बीमा क्षेत्र नियामक द्वारा विनियमित की जाती है, की घोषित सरेंडर कीमत के साथ बीमा पॉलिसियाँ।

गारंटार काऊंटरपार्टी के मुख्य प्रकार और उनकी उधार पात्रता

बैंक गारंटीयों की शर्तों में ऋण सुरक्षा पर विचार करता है, जो कि प्रत्यक्ष, सुस्पष्ट, अचल और अप्रतिबंधित/शर्त रहित हों। बैंक सभी ऋण सुरक्षा को पूँजी आवश्यकता के अभिकलन के दौरान ध्यान में रखता है।

काऊंटरपार्टी की तुलना में निम्नतम जोखिम भार के सहित उपक्रमों द्वारा जारी गारंटियां ही पूँजी प्रभार को कम करने में मुख्य भूमिका निभायेगीं। क्योंकि काऊंटरपार्टी एक्सपोसर का सरुक्षित हिस्सा गारंटर के जोखिम भार को निर्दिष्ट करता है, जबकि अरक्षित हिस्सा नई काऊँटर पार्टी के ऋण भार को बनाये रखता है।

निम्नलिखित उपक्रमों द्वारा दी गई ऋण सुरक्षा काऊंटरपार्टी के रूप में पहचानी जाती है।

(i) शासन (केन्द्र और राज्य सरकार)

(ii) सरकारी उपक्रम (ईसीजीसी और सीजीटीएमएसई को मिलाकर)

(iii) काउंटरपार्टी की तुलना में निम्नतम ऋण भारित बैंक

निवारण हेतु योग्य सभी प्रकार की प्रतिभूतियां आसानी से वसूली योग्य वित्तीय प्रतिभूतियां हैं। इस कारण से, बैंक द्वारा मान्यता प्रापत ऋण जोखिम निवारकों में ऋण संकेंद्रीकरण को हटाने के लिए वर्तमान में कोई सीमा / उच्चतम सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

बैंक पूँजी मूल्यांकन में व्यापक दृष्टिकोण का प्रयोग करता है। व्यापक दृष्टिकोण में संपार्श्विक को लेते समय, बैंक पूँजी पर्याप्तता प्रयोग के लिए समयोजित एक्सपोज़र को प्रतिपक्षकार के लिए संपार्श्विक के असर को संतुलित कर गणना करता है। बैंक कोई भी संपार्श्विक के मूल्य को समायोजन करने के लिए संभाव्य भावी उतार–चढ़ाव को ध्यान में रखकर बाज़ार में होनेवाले परिवर्तन में प्रतिभूति के मूल्य को कवर करता है।

Quantitative Disclosures:

(b)The total credit risk exposure (Solo-Global) bifurcated after the credit risk mitigation under Standardized Approach is as under:

(₹ in Million)

Solo (Global)	Book Value	Risk Weighted value
Below 100% Risk weight	1694043.77	348084.50
100% Risk weight	504541.08	397972.71
Above 100% Risk weight	291317.57	277983.36
Total	**2489902.42**	**1024040.57**

The total credit risk exposure (Consolidated) bifurcated after the credit risk mitigation under Standardized Approach is as under:

(₹ in Million)

Consolidated	Book Value	Risk Weighted value
Below 100% Risk weight	1694157.01	348153.54
100% Risk weight	504928.02	398359.65
Above 100% Risk weight	291317.57	277983.36
Total	**2490402.60**	**1024496.55**

Table DF-5 :Credit Risk Mitigation: disclosures for standardized approaches

Qualitative Disclosures

The Bank has put in place Credit Risk Mitigation & Collateral Management Policy with the primary objective of a) Mitigation of credit risks & enhancing awareness on identification of appropriate collateral taking into account the spirit of Basel III / RBI guidelines and (b) Optimizing the benefit of credit risk mitigation in computation of capital charge as per approaches laid down in Basel II / RBI guidelines.

The Bank generally relies on Risk Mitigation techniques like Loan participation, Ceiling on Exposures, Escrow mechanism, Forward cover, higher margins, loan covenants, Collateral and insurance cover.

Valuation methodologies are detailed in the Credit Risk Management Policy.

Eligible collateral for which CRM benefit taken for Computation of Capital Charge:

The following collaterals are recognized for availing CRM benefit for Computation of Capital Charge:

I) Cash (as well as certificates of deposit or comparable instruments, including fixed deposit receipts, issued by the lending bank) on deposit with the bank, which is incurring the counterparty exposure.

ii) Gold: Gold would include both bullion and jewellery. However, the value of the collateralized jewellery should be benchmarked to 99.99 purity.

iii) Securities issued by Central and State Governments

iv) Kisan Vikas Patra and National Savings Certificates provided no lock-in period is operational and if they can be encashed within the holding period

v) Life insurance policies with a declared surrender value of an insurance company which is regulated by an insurance sector regulator

Main types of guarantor counterparty and their creditworthiness

The Bank considers credit protection in terms of the guarantees which are direct, explicit, irrevocable and unconditional. The bank takes into account such credit protection in calculating capital requirements

Only guarantees issued by entities with a lower risk weight than the counterparty will lead to reduced capital charges, since the protected portion of the counterparty exposure is assigned the risk weight of the guarantor, whereas the uncovered portion retains the risk weight of the underlying counterparty

Credit protection given by the following entities is recognised as counterparty Guarantor:

(i) Sovereigns (Central and State Governments)

(ii) Sovereign entities (including ECGC and CGTMSE)

(iii) Banks with a lower risk weight than the counterparty

All types of securities eligible for mitigation are easily realizable financial securities. Hence, presently no limit / ceiling has been prescribed to address the concentration risk in credit risk mitigants recognized by the Bank.

The Bank uses the comprehensive approach in capital assessment. In the comprehensive approach, when taking collateral, the Bank calculates the adjusted exposure to a counterparty for capital adequacy purposes by netting off the effects of that collateral. The Bank adjusts the value of any collateral by a haircut to take into account possible future fluctuations in the value of the security occasioned by market movements

मात्रात्मक प्रकटीकरण

प्रत्येक प्रकटित अलग ऋण जोखिम संविभाग हेतु, (एकल–सार्वभौमिक / समेकित) कुल ऋण (यथा लागू तुलन–पत्र में या उसके बाहर नेटिंग के बाद) जोकि मार्जिन लागू करने के बाद योग्य वित्तीय संपार्श्विक द्वारा कवर किया जाता है :

(₹ मिलियन में)

ऋण (एक्सपोज़र) का प्रकार	अर्ह वित्तीय संपार्श्विक	गारंटियां
सकल ऋण जोखिम एक्सपोज़र		
निधि आधारित		
ऋण और अग्रिम	215371.51	59600.08
थ्नवेश	0.00	0.00
अन्य आस्तियां	0.00	0.00
कुल निधि आधारित	**215371.51**	**59600.08**
गैर निधि आधारित जिस में प्रासंगिक क्रेडिट, संविदाएं और व्युत्पन्न शामिल हैं	18222.73	5070.27
कुल	**233594.24**	**64670.35**

सारणी डीएफ – 6
प्रतिभूतिकरण : मानकीकृत अभिगम हेतु प्रकटीकरण

गुणवत्ता प्रकटीकरण	:	बैंक ने कोई प्रतिभूतिकरण क्रियाकलाप नहीं किया है।
मात्रात्मक प्रकटीकरण	:	शून्य

सारणी डीएफ – 7
व्यापार बही (ट्रेडिंग बुक) में बाज़ार जोखिम

बाज़ार जोखिम :

बाजार के परिवर्ती तथ्यों में परिवर्तन के कारण होनेवाली हानि की संभावना बाजार जोखिम है। अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक (बीआईएस) की परिभाषा के अनुसार बाजार जोखिम ''वह जोखिम है जिससे ईक्विटी और ब्याज दर बाजारों, मुद्रा विनिमय दरों और पण्यों के मूल्यों में उतार–चढ़ाव के कारण ''ऑन'' और ''ऑफ'' तुलन पत्र की स्थिति प्रतिकूल ढंग से प्रभावित हो जाती है। ''अतः ब्याज दरों का बाजार स्तर या प्रतिभूतियों के मूल्य, विदेशी विनिमय और ईक्विटी में परिवर्तन तथा साथ ही इन परिवर्तनों की अस्थिरता के कारण बैंक की पूंजी और अर्जन को होनेवाला जोखिम, बाज़ार जोखिम होता है। बाजार जोखिम प्रबंधन का उद्देश्य है, व्यापारिक इकाइयों को बाजार जोखिम एक्सपोशर के संबंध में विश्लेषकों से चालित निविष्टियां प्रदान करना, जोखिम एक्सपोशर की तुलना में संविभाग निष्पादन और तुलनीय बेंचमार्क देने के जरिये जोखिम समायोजित प्रतिफल की दर को अधिक से अधिक करने में उनको सहायता प्रदान करना। बाजार जोखिम के अंतर्गत निम्नलिखित जोखिमों का प्रबंधन किया जाता है :

- ब्याज दर जोखिम
- विनिमय दर जोखिम
- ईक्विटी कीमत जोखिम

पण्यों के मूल्यों में परिवर्तन एवं उतार चढ़ाव से भी बाजार जोखिम हो सकती है, यद्यपि बैंक के पण्य सम्बन्धी बाजारों में कोई निवेश नहीं है।

बैंक के बाजार जोखिम प्रबंधन (एमआरएम) का फ्रेमवर्क निम्नानुसार है:

ए) **जोखिम की पहचानः**– यह नीति बाजार जोखिम का पता लगाने, मूल्यांकित करने और व्यवस्थित करने के लिए तंत्र रचित करने पर केन्द्रित है ताकि जोखिम के विभिन्न आयामों की पहचान और व्यापार के प्रत्येक कार्यकलाप की मान्यता को स्पष्ट किया जा सके।

बी) **जोखिम मापन और परिसीमाएंः**– बैंक इस बात को स्पष्टतया मानता है कि बाजार जोखिम के सभी पहलुओं को कोई एक जोखिम – सांख्यिकी प्रतिबिंबित नहीं कर सकती। अतः बाजार जोखिम में जोखिम मापन की सुदृढता को बेहतर बनाने के लिए विभिन्न सांख्यिकीय एवं गैर–सांख्यिकीय जोखिम उपायों का प्रयोग किया जाता क्योंकि इनका अवलोकन एक साथ करने पर जोखिम के ये कदम, किसी एकल कदम की तुलना में बाजार जोखिम एक्सपोजर की सम्यक दृष्टि प्रदान करते हैं। बाजार जोखिम का प्रबंधन, विभिन्न मापने के साधनों, यथा, जोखिम पर रहे मूल्य (वीएआर), जोखिम पर रहे अर्जन, आशोधित अवधि, पीवी 01 सीमाएं, निवल ओवरनाइट खुली स्थिति सीमाएं (एनओओपीएल), वैयक्तिक गैप सीमा (आईजीएल) के जरिए मुद्रा–वार और सूक्ष्मग्रहिता विश्लेषण के जरिये भी किया जाता है। अतितीव्र, परन्तु मुमकिन आघातों की परिस्थितियों में बैंक की असुरक्षा की स्थिति को मानिटर करने के लिए नियमित आधार पर तनाव परीक्षण भी किया जाता है।

Quantitative Disclosures

For each separately disclosed credit risk portfolio (Solo-Global / Consolidated), the total exposure (after, where applicable, on- or off balance sheet netting) that is covered by eligible financial collateral after the application of haircuts:

(₹ in Million)

Type of Exposure	Eligible financial Collateral	Guarantees
Gross Credit Risk Exposures		
Fund Based		
Loans and Advances	215371.51	59600.08
Investments	0.00	0.00
Other Assets	0.00	0.00
Total Fund Based	**215371.51**	**59600.08**
Non Fund Based including contingent credit, contracts and derivatives	18222.73	5070.27
Total	**233594.24**	**64670.35**

Table DF – 6

Securitization: disclosure for standardized approach

Qualitative Disclosures: The Bank has not undertaken any securitization activity.	
Quantitative Disclosures:	NIL

Table DF – 7

Market risk in trading book

Market Risk :

Market risk is the possibility of loss caused by changes in the market variables. The Bank for International Settlements (BIS) defines market risk as "the risk that the value of 'on' or 'off' balance sheet positions will be adversely affected by movements in equity and interest rate markets, currency exchange rates and commodity prices". Thus, Market Risk is the risk to the bank's earnings and capital due to changes in the market level of interest rates or prices of securities, foreign exchange and equities, as well as the volatilities of those changes. The objective of market risk management is to assist the business units in maximizing the risk adjusted rate of return by providing analytics driven inputs regarding market risk exposures, portfolio performance vis-à-vis risk exposures and comparable benchmarks. Following risks are managed under Market Risk.

- Interest Rate Risk
- Exchange Rate Risk
- Equity Price Risk

The market risk may also arise from changes in commodity prices and volatility. However, Bank does not have any exposure to commodity related markets.

Market Risk Management (MRM) Framework of the bank is as follows:

a) **Risk Identification:** The Policy is focused on setting a framework for identifying, assessing and managing market risk in order to provide clarity on various dimensions of risk identification and recognition to each of the business functions.

b) **Risk Measurement and Limits:** Bank recognizes that no single risk statistic can reflect all aspects of market risk. Therefore various statistical and non-statistical risk measures are used to enhance the stability of risk measurement of market risk. Market risk is managed with various metrics viz. Value at Risk (VaR), Earnings at Risk, Modified duration, PV01 Limits, Net Overnight Open Position Limits (NOOPL), Individual Gap Limit (IGL) and Aggregate Gap Limit (AGL) currency wise and also through sensitivity analysis. Stress testing is also conducted on a regular basis to monitor the vulnerability of the bank to extreme but plausible unfavorable shocks.

सी) जोखिम मानिटरिंगः– ट्रेडिंग बही के लिए विभिन्न आंतरिक और विनियामक जोखिम सीमाओं के प्रयोग से, जोकि आर्थिक परिदृश्य, व्यापार रणनीति, प्रबंधन का अनुभव और बैंक की जोखिम ग्राह्यता पर आधारित हैं, बैंक अपने जाखिम को मानिटर एवं नियंत्रित करता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि लेनदेनों का निष्पादन एवं पूनर्मूल्यन, मौजूदा बाजार दरों पर किया जाता है, रेट स्कैन किया जाता है।

डी) जोखिम रिपोर्टिंग : मिड–ऑफिस द्वारा ट्रेशरी परिचालनों को मानीटर किया जाता है और जोखिम प्रबंधन विभाग के प्रधान को दैनिक आधार पर, का.नि/प्र.नि और सीईओ को मासिक आधार पर (प्रथम पखवाडा) तथा आल्को को मासिक आधार पर (अंतिम पखवाडा) रिपोर्ट प्रस्तुत

की जाती है। बाजार जोखिम के कारण उत्पन्न पूंजी प्रभारिकलित कर, उसकी रिपोर्ट तिमाही आधार पर आल्को और बोर्ड को प्रस्तुत की जाती है। तनाव परीक्षण नीति में निर्धारित धारणाओं का अनुपालन करते हुए बाजार जोखिम के निर्धारण के लिए तनाव परीक्षण किया जाता है और तिमाही आधार पर आलको को रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। बोर्ड द्वारा अनुमोदित व्यापक बाजार जोखिम प्रबंधन नीति, निवेश नीति, तनाव परीक्षण और व्युत्पन्न नीति द्वारा बाजार जोखिम प्रबंधन अनुशासित है ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि बाजार जोखिमसे युक्त विभिन्न कार्यकलापों में फैला हुआ जोखिम, बैंक की जोखिम ग्राह्यता के अन्दर ही है। उद्योग में व्याप्त उत्तम व्यवहार और भारतीय रिज़र्व बैंक के विनियमनों से सारी नीतियां बेंचमार्क की गई हैं। बैंक के जाखिम रिपोर्टिंग तंत्र में प्रकटीकरण और विभिन्न प्रबंधन समितियों को रिपोर्ट करना शामिल है।

मात्रात्मक प्रकटीकरण:

निम्न हेतु पूंजी आवश्यकताएं (एकल सार्वभौमिक / समेकित) :

(₹ in Million)

ब्याज दर जोखिम	10666.15
विदेशी विनिमय जोखिम	63.00
ईक्विटी स्थिति जोखिम	4098.01
कुल	**14827.16**

सारणी डीएफ – 8

परिचालनात्मक जोखिम

गुणात्मक प्रकटीकरण

परिचालनगत जोखिम को यों परिभाषित किया गया है कि अपर्याप्त या असफल आतंरिक प्रक्रिया, व्यक्ति और प्रणाली या बाह्य घटनाओं से होनेवाली हानि के कारण बननेवाली जोखिम। इस परिभाषा में विधिक जोखिम शामिल है परन्तु रणनीतिक तथा प्रतिष्ठा जोखिम शामिल नहीं है।

वर्तमान में उद्योग के प्रतिभागियों, विनियामकों और अन्य स्टेक धारकों के बीच परिचालनगत जोखिम तीव्र अभिरुचि का विषय रहा है। बैंक ने प्रभावोत्पादक अभिशासन, जोखिम कैप्चर और परिचालनगत जोखिम एक्सपोशर की मात्रा को नापने के लिए परिचालनगत जोखिम प्रबंधन ढांचा (ओआरएमएफ) और परिचालनगत जोखिम प्रबंधन तंत्र (ओआरएमएस) निर्धारित किया है। उपयुक्त गुणात्मक एवं मात्रात्मक तरीकों का प्रयोग तथा दैनंदिन की प्रबंध प्रक्रियाओं में सुस्थापित आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों का प्रयोग तथा दैनंदिन की प्रबंध प्रक्रियाओं में सुस्थापित आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों का प्रयोग और विभिन्न जोखिम शमन नीतियों को अपनाने से परिचालनगत जोखिम का सुगम प्रबंधन किया जाता है। विभिन्न उत्पादों/प्रक्रियाओं में निहित जोखिम बोध का समीक्षात्मक विश्लेषण किया जाता है और आवश्यकता पडने पर सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है।

बैंक ने अपने परिचालनगत जोखिम एक्सपोशर को कैप्चर करने, मानिटर करने, मापने और प्रबंध करने के लिए परिष्कृत वेब–आधारित परिचालनगत जोखिम प्रणाली कार्यान्वित की है। बैंक ने विगत 5 वर्षों के लिए आंतरिक हानि डाटा बेस निर्मित किया है।

वर्ष के दौरान ऋण स्पर्ट के जरिये परिचालनगत जोखिम का मानिटरिंग और सांख्यिकीय तकनीकों के जरिये बारंबरता का विश्लेषण और परिचालनगत हानि की गंभीरता का विश्लेषण किया गया।

परिचालनगत हानि के लिए पूंजी प्रभार, मूल सूचक दृष्टिकोण के अनुसार किया गया।

मात्रात्मक प्रकटीकरण

पूंजी प्रभार के परिकलन के लिए नई पूंजी पर्याप्तता ढांचे पर दिशानिर्देश में परिभाषित रूप से पिछले तीन वर्षों, यथा 2015-16, 2014-15 और 2013-14 की औसत सकल आय को लिहाज में लिया गया है। आवश्यक पूंजी ₹ 8398.76 मिलियन (एकल–वैश्विक) और ₹ 8383.59. मिलियन (समेकित) है।

c) **Risk Monitoring:** Bank monitors and controls its risk, using various internal and regulatory risk limits for trading book which are set based on economic scenario, business strategy, management experience and Bank's risk appetite. Rate scan is carried out to ensure that transactions are executed and revalued at prevailing market rates.

d) **Risk Reporting:** Monitoring of Treasury operations is done by Mid Office and a daily report is put up to Chief Risk Officer. Capital charge on account of Market Risk is computed and reported to ALCO and Board on quarterly basis. Stress testing is done for assessing market risk by following assumptions prescribed in Stress Test Policy and reported to ALCO on Quarterly basis.

Market risk management is governed by comprehensive board approved market risk management policy, Investment Policy, Stress testing and Derivative Policy to ensure that the risks spread across different activities carrying an underlying market risk are within the stipulated risk appetite of the bank. All the policies are benchmarked with industry-best practices and RBI regulations. The risk reporting mechanism in the Bank comprises disclosures and reporting to the various management committees.

Quantitative Disclosures:

The capital requirements (Solo-Global / Consolidated) for:

(₹ in Million)

Interest rate risk	10666.15
Foreign exchange risk	63.00
Equity position risk	4098.01
Total	**14827.16**

Table DF – 8

Operational Risk

Qualitative Disclosures

Operational risk is defined as the risk of loss resulting from inadequate or failed internal processes, people and systems or from external events. This definition includes legal risk, but excludes strategic and reputational risk.

Operational risk is now on the focus of intense interest among industry participants, regulators and other stake holders. The bank has put in place Operational Risk Management Frame work (ORMF) and Operational Risk Management systems (ORMS) to ensure effective governance, risk capture and assessment and quantification of operational risk exposure. Operational risk is well managed by using appropriate qualitative & quantitative methods and established internal control systems in day to day management processes and adopting various risk mitigating strategies. The risk perceptions in various products / processes are critically analysed and corrective actions if required, are initiated.

Bank has implemented a sophisticated web-based Operational Risk Management System to capture, measure, monitor and manage its operational risk exposure. Bank has built up internal loss data base for the last 5 years.

During the year, monitoring of operational risk through credit spurt and Analysis of frequency & severity of operational loss through statistical technique have been done

Capital charge for Operational Risk is computed as per the Basic Indicator Approach.

Quantitative Disclosures

The average of the gross income, as defined in the New Capital Adequacy Framework guidelines, for the previous 3 years i.e. 2015-16, 2014-15 and 2013-14 is considered for computing the capital charge. The required capital is ₹ 8398.76 Million (Solo-global) and ₹ 8383.59 Million (Consolidated).

सारणी डीएफ – 9

बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबीबी)

गुणात्मक प्रकटीकरण

आईआरआरआरबी इसे सूचित करता है जोकि ब्याज दरों में होनेवाले परिवर्तन से बैंक की बैंकिंग बही में संभाव्य वित्तीय असर को दर्शाता है।

ब्याज दर जोखिम को दो दृष्टिकोण के जरिए मापकर मानिटर किया जाता है:

i) जोखिम पर अर्जन (पारंपरिक गैप विश्लेषण) : इस दृष्टिकोण के अधीन बैंक के निवल ब्याज आय पर होनेवाली ब्याज दरों में परिवर्तन के तत्काल असर को विश्लेषण किया जाता है।

ii) ईक्विटी का आर्थिक मूल्य (अवधि गैप दृष्टिकोण) : आस्ति तथा देयताओं की आशोधित अवधि, ईक्विटी की आशोधित अवधि को अंतिम रूप से परिकलन करने के लिए पृथक तौर पर अभिकलन किया जाता है।

इस दृष्टिकोण में प्रतिलाभ में होनेवाले निश्चित परिवर्तन के लिए प्रतिलाभ वक्र समानंतर महत्व रखता है। ईक्विटी के आर्थिक मूल्य पर असर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित 200 बीपीएस शाक के अनुसार किया जाता है। संबंधित परिपक्वताओं के लिए बाजार से जुडे प्रतिलाभ का प्रयोग आशोधित अवधि की गणना में किया जाता हैं।

बैंकिंग बही बुक में बैंक की ब्याज दर जोखिम का (आईआरआरबीबी) विश्लेषण दोनों देशी तथा ओवरसीज़ परिचालनों के लिए किया जाता है।

बाज़ार ब्याज दरों में होनेवाले परिवर्तन से बैंक की बही पुस्तक में अर्जन तथा आर्थिक मूल्य में असर पड़ेगा अतः इस प्रकार जटिलता तथा तुलन–पत्र के उत्पाद की सीमा के कारण दोनों अर्जन तथा आर्थिक मूल्य में ब्याज दर के परिणाम को मूल्यांकित करने के लिए आई आर आर माप प्रणाली का प्रयोग किया जाता है. इसके लिए अनुपालन किए जानेवाले तकनीक चालु तूलन पत्र से पर स्थिति के आधार पर साधारण परिपक्वता (स्थिर दर) तथा पुनर्मूल्यांकन (फ्लोटिंग दर) गैप तथा अवधि गैप के प्रयोग से लेकर और उच्च स्तर तकनीक का प्रयोग किया जाता है. जिसमें आस्ति देयताओं तथा तुलन पत्र से पर मदों पर अनुमानों को शामिल किया जाता है और ये बेसिस जोखिम, अन्तर्निहित विकल्प जोखिम, प्रतिलाभ वक्र जोखिम इत्यादि के एक्सपोज़र की पूर्ण सीमा तक कैप्चर कर सकता है।

बैंकिंग बही बुक (आईआरआरबी) में बैंक ब्याज दर जोखिम का विश्लेषण, वैश्विक स्थिति के लिए किया जाता है. देशी परिचालनों के लिए आर्थिक परिचालनों का माप किया जाता है तथा इसे मासिक आधार पर मॉनिटर किया जाता है और आलको को प्रस्तुत किया जाता है।

मात्रात्मक प्रकटीकरण

आईआरआरबीबी (एकल – वैश्विक) को मापने हेतु प्रबंधन की प्रणाली के अनुसार ऊर्ध्वगामी व अधोगामी रेट शाक्स हेतु, अर्जन और आर्थिक मूल्य (अथवा प्रबंधन द्वारा प्रयुक्त संबंधित माप) में वृद्धि (गिरावट)।

I) 31.03.2017 तक ब्याज दर में 25 बीपीएस की वृद्धि हेतु अर्जन पर जोखिम ₹ 967.56 मिलियन हैं।

ii) इक्विटी के बाज़ार मूल्य में 200 बीपीएस के परिवर्तन से ब्याज दर पर असर ₹ 2776.6 मिलियन हैं (दूसरे समय वाले बकेट में बीपीएलआर का पनर्मूल्यनिर्धारण)।

डीएफ 10 : प्रतिपक्षकार ऋण जोखिम से संबन्धित एक्स्पोसरों के लिए सामान्य प्रकटीकरण

प्रतिपक्ष ऋण जोखिम वह जोखिम है जिसमें व्युत्पन्न लेन–देन का प्रतिपक्ष लेन–देन के नकदी प्रवाह के अंतिम निपटान के पहले चूक कर सकता है।बैंक ब्युत्पन्नों को मिलाकर दोनों निधि और गैर निधि आधारित सुविधाओं हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नियत एक्सपोसर के मानदण्डों के अनुसार सीमायें निर्धारित करता है। सीमायें पूँजी निधियों के प्रतिशत के रूप में निर्धारित की जाती हैं और नियमित आधार पर निगरानी की जाती है । प्रतिपक्ष ऋण जोखिम वह जोखिम है जिसमें व्युत्पन्न लेन–देन का प्रतिपक्ष लेन–देन के नकदी प्रवाह के अंतिम निपटान के पहले चूक कर सकता है।

प्रतिपक्षी के साथ किये गये सभी ब्युत्पन्न लेन–देन बैंक की बोर्ड द्वारा अनुमोदित ब्युत्पन्न पॉलिसी के माध्यम से मूल्यांकित किये जाते हैं।

व्युत्पन्न एक्सपोसर की वर्तमान एक्सपोसर पद्धति (सीईएम) का प्रयोग करते हुए गणना की जाती है और 31 मार्च 2017 को बकाया शेष निम्नांकित है।

(₹ मिलियन में)

व्युत्पन्न	आनुमानिक सिद्धांत	वर्तमान में ऋण की मात्रा	वर्तमान ऋण
वायदा संविदाएं	78653.20	1958.92	3543.30
आईआरएस	1500.00	0.97	8.47

Table DF – 9

Interest Rate Risk in the Banking Book (IRRBB)

Qualitative Disclosures:

IRRBB refers to the potential adverse financial impact on the Bank's banking book from changes in interest rates.

The interest rate risk is measured and monitored through two approaches:

(i) Earning at Risk (Traditional Gap Analysis) :The immediate impact of the changes in the interest rates on net interest income of the bank is analyzed under this approach.

(ii) Economic Value of Equity (Duration Gap Analysis): Modified duration of assets and liabilities is computed separately to finally arrive at the modified duration of equity.

This approach assumes parallel shift in the yield curve for a given change in the yield. Impact on the Economic Value of Equity is also analyzed for a 200 bps rate shock as required by RBI. Market linked yields for respective maturities are used in the calculation of the Modified Duration.

The analysis of bank's Interest Rate Risk in Banking Book (IRRBB) is done for both Domestic as well as Overseas Operations.

The changes in market interest rates have earnings and economic value impacts on the bank's banking book. Thus, given the complexity and range of balance sheet products, IRR measurement systems are used that assess the effects of the rate changes on both earnings and economic value. Techniques followed are simple maturity (fixed rate) and repricing (floating rate) gaps and duration gaps based on current on-and-off-balance sheet positions, to a little higher technique that incorporate assumptions on behavioural pattern of assets, liabilities and off-balance sheet items and can easily capture the full range of exposures against basis risk, embedded option risk, yield curve risk, etc.

The analysis of bank's Interest Rate Risk in Banking Book (IRRBB) is done for Global position. The Impact on Economic value of equity for Domestic Operations is measured and monitored on a monthly basis and placed to ALCO.

Quantitative Disclosures:

The increase (decline) in earnings and economic value (or relevant measure used by management) for upward and downward rate shocks according to management's method for measuring IRRBB (Solo-Global).

i) Earnings at Risk for 25 bps interest rate decrease as on 31-03-2017 for one year time horizon is ₹ 967.56 Million

ii) Change in economic Value of Equity for 200 bps interest rate shock is ₹ 2776.6 Million

DF-10: General Disclosure for exposures related to Counterparty Credit Risk:

Counterparty Credit Risk is the risk that the counterparty to a derivative transaction can default before the final settlement of the transaction's cash flow .The Bank sets limits as per the norms on exposure stipulated by RBI for both fund and non fund based facilities including derivatives. Limits are set as a percentage of the capital funds and are monitored on regular basis. For corporates the derivatives limits are assessed and sanctioned in conjunction with regular credit limit as part of regular appraisal .

All the Derivative transactions with the Counterparty are evaluated as per Board approved Derivative Policy of the Bank.

The derivative exposure calculated using Current Exposure Method (CEM) and outstanding as on 31.03.2017 is given below:

(₹ in Million)

Derivatives	Notional Principle	Current Credit Exposure (+ve MTM)	Current Exposure
FORWARD CONTRACTS	78653.20	1958.92	3543.30
Interest Rate Swaps	1500.00	0.97	8.47

	डी एफ–11: पूंजी की संरचना		(₹ मिलियन में)
			संदर्भ संख्या
	सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी : लिखत और आरक्षित निधियां		
1	सीधे जारी की गई अर्हता प्राप्त सामान्य शेयर पूंजी और संबंधित स्टॉक अधिशेष (शेयर प्रीमियम)	18059.65	ए=ए1+ए2
2	प्रतिधारित आय	3369.58	बी5
3	संचित अन्य व्यापक आय (एवं अन्य आरक्षिति)	137006.80	बी1+बी2+बी3+बी4 बी6+बी7
4	सीईटी 1 से धीरे–धीरे समाप्त होने के अधीन सीधे जारी की गई सामान्य शेयर पूंजी (केवल गैर–संयुक्त स्टॉक कंपनियों के लिए लागू)	0.00	
5	सहायक इकाइयों द्वारा जारी की गई और तीसरे पक्ष (सीईटी 1 समूह में अनुमत राशि) द्वारा धारित सामान्य शेयर पूंजी	0.00	
6	**विनियामक समायोजनों से पहले सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूंजी**	158436.03	
	सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी : विनियामक समायोजन		
7	विवेकपूर्ण मूल्यांकन समायोजन	0.00	
8	गुडविल (सम्बंधित कर देयता का निवल)	0.00	
9	मॉर्टगेज–सर्विसिंग अधिकार के अलावा अमूर्त आस्तियां (सम्बंधित कर देयता का निवल)	0.00	
10	आस्थिगत कर संपत्ति	0.00	
11	नकदी–प्रवाह बचाव रिजर्व	0.00	
12	अपेक्षित हानि के लिए प्रावधानों की कमी	0.00	
13	विक्रय पर प्रतिभूतिकरण लाभ	0.00	
14	उचित मूल्य देयताओं पर निजी ऋण जोखिम में परिवर्तन के कारण लाभ और हानि	0.00	
15	परिभाषित–लाभ पेंशन कोष निवल संपत्ति	0.00	
16	निजी शेयर में निवेश (रिपोर्ट किए गए तुलनपत्र में यदि पहले से ही प्रदत्त पूंजी का समायोजन न किया गया हो)	0.00	
17	सामान्य इक्विटी में परस्पर क्रॉस–होल्डिंग	59.38	D
18	बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाओं, जो विनियामक समेकन के दायरे से बाहर हैं, के पूंजी में विशेष निवेश का पात्र शॉर्ट पोजिशन निवल, जहां बैंक की जारी शेयर पूंजी 10 प्रतिशत से अधिक नहीं है (10 प्रतिशत की प्रारंभिक सीमा से अधिक की राशि)	0.00	
19	बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाओं, जो विनियामक समेकन के दायरे से बाहर हैं, के सामान्य शेयर में महत्वपूर्ण निवेश का पात्र शॉर्ट पोजिशन निवल (10 प्रतिशत की प्रारंभिक सीमा से अधिक की राशि)	0.00	
20	मोर्टगेज सर्विसिंग अधिकार (10 प्रतिशत की प्रारंभिक सीमा से अधिक की राशि)	0.00	
21	अस्थायी भिन्नता से उत्पन्न आस्थिगत कर संपत्ति (10 प्रतिशत की प्रारंभिक सीमा से अधिक की राशि, सम्बंधित कर देयता का निवल)	0.00	
22	15 प्रतिशत की प्रारंभिक सीमा से अधिक राशि	0.00	
23	जिनमें से : वित्तीय संस्थाओं के सामान्य शेयर में महत्वपूर्ण निवेश	0.00	

	DF-11: Composition of Capital		(₹ in Million)
			Ref No.
	Common Equity Tier 1 capital: instruments and reserves		
1	Directly issued qualifying common share capital plus related stock surplus (share premium)	18059.65	A=A1+A2
2	Retained earnings	3369.58	B5
3	Accumulated other comprehensive income (and other reserves)	137006.80	B1+B2+B3+B4 B6+B7
4	Directly issued capital subject to phase out from CET1 (only applicable to non-joint stock companies)	0.00	
5	Common share capital issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group CET1)	0.00	
6	**Common Equity Tier 1 capital before regulatory adjustments**	158436.03	
	Common Equity Tier 1 capital: regulatory adjustments		
7	Prudential valuation adjustments	0.00	
8	Goodwill (net of related tax liability)	0.00	
9	Intangibles other than mortgage-servicing rights (net of related tax liability)	0.00	
10	Deferred tax assets	0.00	
11	Cash-flow hedge reserve	0.00	
12	Shortfall of provisions to expected losses	0.00	
13	Securitisation gain on sale	0.00	
14	Gains and losses due to changes in own credit risk on fair valued liabilities	0.00	
15	Defined-benefit pension fund net assets	0.00	
16	Investments in own shares (if not already netted off paid-in capital on reported balance sheet)	0.00	
17	Reciprocal cross-holdings in common equity	59.38	D
18	Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued share capital (amount above 10% threshold)	0.00	
19	Significant investments in the common stock of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions (amount above 10% threshold)	0.00	
20	Mortgage servicing rights (amount above 10% threshold)	0.00	
21	Deferred tax assets arising from temporary differences (amount above 10% threshold, net of related tax liability)	0.00	
22	Amount exceeding the 15% threshold	0.00	
23	of which: significant investments in the common stock of financial entities	0.00	

	डी एफ–11: पूंजी की संरचना		(₹ मिलियन में)
			संदर्भ संख्या
24	जिनमें से : मॉर्टगेज सर्विसिंग अधिकार	0.00	
25	जिनमें से : अस्थायी भिन्नता से उत्पन्न होने वाली आस्थिगत कर आस्तियां	0.00	
26	राष्ट्रीय विशिष्ट विनियामक समायोजन (26क + 26ख + 26ग + 26घ)		
26क	जिसमें से : असमेकित बीमा सहायक कंपनियों के ईक्विटी पूंजी में निवेश	0.00	
26ख	जिसमें से : असमेकित गैर–वित्तीय सहायक कंपनियों के ईक्विटी पूंजी में निवेश	0.00	
26ग	जिसमें से : बैंक के साथ असमेकित प्रमुख निजी वित्तीय संस्थाओं की ईक्विटी पूंजी में कमी	0.00	
26घ	जिसमें से : अपरिशोधित पेंशन निधि व्यय	0.00	
	बेसल III पूर्व पद्धति के ट्रीटमेंट के अधीन राशि के सम्बंध में सामान्य ईक्विटी टियर 1 पर लागू विनियामक समायोजन	0.00	
	जिनमें से : अन्य वित्तीय संस्थानों में कुल इक्विटी निवेश	0.00	
27	अपर्याप्त अतिरिक्त टियर 1 और टियर 2 कटौती को कवर करने के लिए सामान्य ईक्विटी टियर 1 पर लागू विनियामक समायोजन	0.00	
28	**समान्य ईक्विटी टियर 1 में कुल विनियामक समायोजन**	**59.38**	
29	**समान्य ईक्विटी टियर 1 में पूंजी (सीईटी 1)**	**158376.65**	
	अतिरिक्त टियर 1 पूंजी : लिखत		
30	सीधे जारी किए गए पात्र अतिरिक्त टियर 1 लिखत और सम्बंधित स्टॉक अधिशेष (31 + 32)	5000.00	
31	जिसमें से : लागू लेखांकन मानकों के अंतर्गत देयता के रूप में वर्गीकृत (सतत गैर–संचयी अधिमानी शेयर)	0.00	
32	जिसमें से : लागू लेखांकन मानकों के अंतर्गत देयता के रूप में वर्गीकृत (सतत ऋण लिखत)	5000.00	C6
33	अतिरिक्त टियर 1 पूंजी से चरणबद्ध रूप से बाहर (फेज आउट) होने के अधीन सीधे जारी किए गए पूंजी लिखत	0.00	
34	सहायक कंपनियों द्वारा जारी तथा तीसरे पक्ष द्वारा (सीईटी 1 समूह में अनुमत राशि तक) धारित अतिरिक्त टियर 1 लिखत (और 5वीं पंक्ति में शामिल नहीं किए गए सीईटी 1 लिखत)	0.00	
35	जिसमें से : चरणबद्ध रूप से बाहर (फेज आउट) होने के अधीन सहायक कंपनियों द्वारा जारी किए गए लिखत	0.00	
36	**विनियामक समायोजन करने से पूर्व अतिरिक्त टियर पूंजी 1**	**5000**	
	अतिरिक्त टियर पूंजी 1 : विनियामक समायोजन		
37	निजी अतिरिक्त टियर 1 लिखत में निवेश	0.00	
38	अतिरिक्त टियर 1 लिखतों में पारस्परिक क्रॉस–होल्डिंग्स	0.00	
39	बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाओं, जो विनियामक समेकन के दायरे से बाहर हैं, की पूंजी में विशेष निवेश का पात्र शॉर्ट पोजिशन निवल, जहां बैंक के पास संस्था द्वारा जारी शेयर पूंजी (10 प्रतिशत की प्रारंभिक सीमा से अधिक की राशि) के 10 प्रतिशत से अधिक का स्वामित्व नहीं है।	0.00	

	DF-11: Composition of Capital		(₹ in Million)
			Ref No.
24	of which: mortgage servicing rights	0.00	
25	of which: deferred tax assets arising from temporary differences	0.00	
26	National specific regulatory adjustments (26a+26b+26c+26d)		
26a	of which: Investments in the equity capital of the unconsolidated insurance subsidiaries	0.00	
26b	of which: Investments in the equity capital of unconsolidated non-financial subsidiaries	0.00	
26c	of which: Shortfall in the equity capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank	0.00	
26d	of which: Unamortised pension funds expenditures	0.00	
27	Regulatory adjustments applied to Common Equity Tier 1 due to insufficient Additional Tier 1 and Tier 2 to cover deductions	0.00	
28	**Total regulatory adjustments to Common equity Tier 1**	**59.38**	
29	**Common Equity Tier 1 capital (CET1)**	**158376.65**	
	Additional Tier 1 capital: instruments		
30	Directly issued qualifying Additional Tier 1 instruments plus related stock surplus (31+32)	5000.00	
31	of which: classified as equity under applicable accounting standards (Perpetual Non-Cumulative Preference Shares)	0.00	
32	of which: classified as liabilities under applicable accounting standards (Perpetual debt Instruments)	5000.00	C6
33	Directly issued capital instruments subject to phase out from Additional Tier 1	0.00	
34	Additional Tier 1 instruments (and CET1 instruments not included in row 5) issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group At1)	0.00	
35	of which: instruments issued by subsidiaries subject to phase out	0.00	
36	**Additional Tier 1 capital before regulatory adjustments**	**5000.00**	
	Additional Tier 1 capital: regulatory adjustments		
37	Investments in own Additional Tier 1 instruments	0.00	
38	Reciprocal cross-holdings in Additional Tier 1 instruments	0.00	
39	Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued common share capital of the entity (amount above 10% threshold)	0.00	

	डी एफ–11: पूंजी की संरचना		(₹ मिलियन में)
			संदर्भ संख्या
40	बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाएं, जो विनियामक समेकन के दायरे से बाहर हैं, की पूंजी में महत्वपूर्ण निवेश (पात्र शॉर्ट पोजिशन निवल)	0.00	
41	राष्ट्रीय विशिष्ट विनियामक समायोजन (41 क + 41 ख)	0.00	
41क	गैर–समेकित बीमा सहायक कंपनियों के अतिरिक्त टियर 1 पूंजी में निवेश	0.00	
41ख	बहुमत के स्वामित्व वाली वित्तीय संस्थाओं के अतिरिक्त टियर 1 पूंजी में कमी जिनको बैंक के साथ समेकित नहीं किया गया है।	0.00	
42	कटौती को कवर करने के लिए अपर्याप्त टियर 2 के कारण अतिरिक्त टियर 1 पर लागू विनियामक समायोजन	0.00	
43	**अतिरिक्त टियर 1 पूंजी में कुल विनियामक समायोजन**	0.00	
44	**अतिरिक्त टियर 1 पूंजी (एटी 1)**	**5000.00**	
44क	**पूंजी पर्याप्तता II की गणना में प्रयुक्त अतिरिक्त टियर 1 पूंजी**	**5000.00**	
45	**टियर 1 पूंजी (टी 1 = सीईटी 1 + एटी 1) (29 + 44 क)**	**163376.65**	
	टियर 2 पूंजी : लिखत एवं प्रावधान		
46	सीधे जारी किए गए पात्र टियर 2 लिखत और सम्बंधित स्टॉक अधिशेष	6000.00	C3
47	.टियर 2 से चरणबद्ध रूप से बाहर (फेज आउट) होने के अधीन सीधे जारी किए गए पूंजी लिखत	10000.00	सी1+सी2
48	सहायक कंपनियों द्वारा जारी किए गए एवं तृतीय पक्षों द्वारा धारित (राशि समूह टियर 2 में अनुमत) टियर 2 लिखत (तथा पंक्तियों 5 और 34 में शामिल नहीं किये गये सीईटी 1 और एटी 1 लिखत)	0.00	
49	जिनमें से : चरणबद्ध रूप से बाहर (फेज आउट) होने के अधीन सहायक कंपनियों द्वारा जारी किए गए लिखत	0.00	
50	प्रावधान	8170.15	सी4+सी5
51	**विनियामक समायोजनों से पहले टियर 2 पूंजी**	**24170.15**	
	टियर 2 पूंजी : विनियामक समायोजन		
52	निजी टियर 2 लिखत में निवेश	0.00	
53	टियर 2 लिखतों में पारस्परिक क्रॉस–होल्डिंग्स	194.15	
54	बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाओं, जो विनियामक समेकन के दायरे से बाहर हैं, की पूंजी में निवेश, पात्र शॉर्टपोजिशन निवल, जहां बैंक के पास संस्थान द्वारा जारी शेयर पूंजी (10 प्रतिशत की प्रारंभिक सीमा से अधिक राशि) के 10 प्रतिशत से अधिक पर स्वामित्व नहीं है।	0.00	
55	बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाओं, जो विनियामक समेकन के दायरे से बाहर हैं, की पूंजी में महत्वपूर्ण निवेश (पात्र शॉर्टपोजिशन निवल)	0.00	

	DF-11: Composition of Capital		(₹ in Million)
			Ref No.
40	Significant investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation (net of eligible short positions)	0.00	
41	National specific regulatory adjustments (41a+41b)	0.00	
41a	Investments in the Additional Tier 1 capital of unconsolidated insurance subsidiaries	0.00	
41b	Shortfall in the Additional Tier 1 capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank	0.00	
42	Regulatory adjustments applied to Additional Tier 1 due to insufficient Tier 2 to cover deductions	0.00	
43	**Total regulatory adjustments to Additional Tier 1 capital**	0.00	
44	**Additional Tier 1 capital (AT1)**	**5000.00**	
44a	**Additional Tier 1 capital reckoned for capital adequacy**	**5000.00**	
45	**Tier 1 capital (T1 = CET1 + AT1) (29 + 44a)**	**163376.65**	
	Tier 2 capital: instruments and provisions		
46	Directly issued qualifying Tier 2 instruments plus related stock surplus	6000.00	C3
47	Directly issued capital instruments subject to phase out from Tier 2	10000.00	C1+C2
48	Tier 2 instruments (and CET1 and AT1 instruments not included in rows 5 or 34) issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group Tier 2)	0.00	
49	of which: instruments issued by subsidiaries subject to phase out	0.00	
50	Provisions	8170.15	C4+C5
51	**Tier 2 capital before regulatory adjustments**	**24170.15**	
	Tier 2 capital: regulatory adjustments		
52	Investments in own Tier 2 instruments	0.00	
53	Reciprocal cross-holdings in Tier 2 instruments	194.15	
54	Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued common share capital of the entity (amount above the 10% threshold)	0.00	
55	Significant investments in the capital banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation (net of eligible short positions)	0.00	

	डी एफ–11: पूंजी की संरचना		(₹ मिलियन में)
			संदर्भ संख्या
56	राष्ट्रीय विशिष्ट विनियामक समायोजन (56 क + 56 ख)	0.00	
56क	जिसमें से : गैर–समेकित सहायक कंपनियों के टियर 2 पूंजी में निवेश	0.00	
56ख	जिसमें से : बहुमत के स्वामित्व वाली वित्तीय संस्थाओं के टियर 2 पूंजी में कमी जिनको बैंक के साथ समेकित नहीं किया गया।	0.00	
	जिसमें से : टियर 2 बॉण्ड से हटाए गए	5000.00	
57	**टियर 2 पूंजी में कुल विनियामक समायोजन**	**5194.15**	
58	**टियर 2 पूंजी (टी – 2)**	18976.00	
58क	**पूंजी पर्याप्तता की गणना में प्रयुक्त टियर 2 पूंजी**	18976.00	
58ख	**टियर 2 पूंजी के रूप में मान्य एक्सेस अतिरिक्त टियर 1 पूंजी**	0	
58ग	**पूंजी पर्याप्तता के लिए स्वीकार्य कुल टियर 2 पूंजी (58क +58ख)**	18976.00	
59	**कुल पूंजी (टीसी = टी1+टी2) (45+58ग)**	**182352.65**	
60	**कुल जोखिम भारित आस्तियां (60क+60ख+60ग)**	**1314631.04**	
60क	जिसमें से : कुल क्रेडिट जोखिम भारित आस्तियां	1024496.55	
60ख	जिसमें से : कुल बाजार जोखिम भारित आस्तियां	185339.59	
60ग	जिसमें से : कुल परिचालन जोखिम भारित आस्तियां	104794.90	
	पूंजी अनुपात		
61	सामान्य ईक्विटी टियर 1 (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	12.05%	
62	टियर 1 (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	12.43%	
63	कुल पूंजी (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	13.87%	
64	संस्था विशिष्ट बफर आवश्यकता (न्यूनतम सीईटी 1 आवश्यकता और पूंजी संरक्षण और प्रतिचक्रीय बफर आवश्यकताएं, जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में व्यक्त)	6.750%	
65	जिसमें से: पूंजी संरक्षण बफर आवश्यकता	1.250%	
66	जिसमें से: बैंक विशिष्ट प्रतिवक्रीय बफ़र आवश्यकता	0.00%	
67	जिसमें से जी–एसआईबी बफ़र आवश्यकता	0.00%	
68	बफर्स को पूरा करने के लिए उपलब्ध सामान्य ईक्विटी टियर 1 (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	5.30%	
	राष्ट्रीय न्यूनतम (यदि बेसल III से पृथक है)		
69	राष्ट्रीय सामान्य ईक्विटी टियर 1 न्यूनतम अनुपात (यदि बेसल III न्यूनतम से अलग है)	6.750%	
70	राष्ट्रीय टियर 1 न्यूनतम अनुपात (यदि बेसल III के न्यूनतम से अलग है)	7.00%	
71	कुल राष्ट्रीय पूंजी न्यूनतम अनुपात (यदि बेसल III के न्यूनतम से अलग है)	10.250%	

	DF-11: Composition of Capital		(₹ in Million)
			Ref No.
56	National specific regulatory adjustments (56a+56b)	0.00	
56a	of which: Investments in the Tier 2 capital of unconsolidated subsidiaries	0.00	
56b	of which: Shortfall in the Tier 2 capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank	0.00	
	of which: Phase out from Tier 2 Bonds	5000.00	
57	**Total regulatory adjustments to Tier 2 capital**	**5194.15**	
58	**Tier 2 capital (T2)**	18976.00	
58a	**Tier 2 capital reckoned for capital adequacy**	18976.00	
58b	**Excess Additional Tier 1 capital reckoned as Tier 2 capital**	0.00	
58c	**Total Tier 2 capital admissible for capital adequacy (58a + 58b)**	18976.00	
59	**Total capital (TC = T1 + T2) (45 + 58c)**	**182352.65**	
60	**Total risk weighted assets (60a + 60b + 60c)**	**1314631.04**	
60a	of which: total credit risk weighted assets	1024496.55	
60b	of which: total market risk weighted assets	185339.59	
60c	of which: total operational risk weighted assets	104794.90	
	Capital ratios		
61	Common Equity Tier 1 (as a percentage of risk weighted assets)	12.05%	
62	Tier 1 (as a percentage of risk weighted assets)	12.43%	
63	Total capital (as a percentage of risk weighted assets)	13.87%	
64	Institution specific buffer requirement (minimum CET1 requirement plus capital conservation and countercyclical buffer requirements, expressed as a percentage of risk weighted assets)	6.750%	
65	of which: capital conservation buffer requirement	1.250%	
66	of which: bank specific countercyclical buffer requirement	0.00%	
67	of which: G-SIB buffer requirement	0.00%	
68	Common Equity Tier 1 available to meet buffers (as a percentage of risk weighted assets)	5.30%	
	National minima (if different from Basel III)		
69	National Common Equity Tier 1 minimum ratio (if different from Basel III minimum)	6.750%	
70	National Tier 1 minimum ratio (if different from Basel III minimum)	7.00%	
71	National total capital minimum ratio (if different from Basel III minimum)	10.250%	

	डी एफ–11: पूंजी की संरचना		(₹ मिलियन में)
			संदर्भ संख्या
	सीमा से कम मात्रा में कटौती के लिए राशियाँ (जोखिम भार से पहले)		
72	दूसरी वित्तीय संस्थाओं की पूंजी में गैर महत्वपूर्ण निवेश	0	
73	वित्तीय संस्थाओं के सामान्य स्टॉक में महत्वपूर्ण निवेश	0	
74	बंधक सर्विसिंग अधिकार (संबंधित कर देयता का निवल)	0	
75	अस्थायी अन्तर से उत्पन्न होने वाली आस्थगित कर आस्तियां (संबंधित कर देयता का निवल)	0	
	टियर 2 में प्रावधानों को शामिल किए जाने पर लागू कैप्स		
76	मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन प्रदत्त ऋणों के संबंध में टियर 2 में शामिल किए जाने के लिए पात्र प्रावधान (कैप को लागू करने के पहले)	8170.15	सी4+सी5
77	मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत टियर 2 में प्रावधानों का समावेश (ऋण जोखिम आरडबल्यूए के 1.25%) पर कैप	12806.21	
78	आंतरिक मूल्यांकन आधारित दृष्टिकोण के अधीन जोखिम के संबंध में टियर 2 में शामिल किए जाने के लिए पात्र प्रावधान (कैप को लागू करने के पहले)	लागू नहीं	
79	आंतरिक मूल्यांकन आधारित दृष्टिकोण के तहत टियर 2 में प्रावधानों को शामिल किए जाने के लिए कैप	लागू नहीं	
	फेस–आउट व्यवस्था के अधीन पूंजी लिखतें		
80	फेस–आउट व्यवस्था के तहत सीईटी 1 लिखतों पर वर्तमान कैप	0.00	
81	कैप की वजह से के सीईटी 1 से अपवर्जित राशि (मोचन और परिपक्वता के बाद कैप पर अतिरिक्त)	0.00	
82	फेस–आउट व्यवस्था के तहत एटी 1 लिखतों पर वर्तमान कैप	0.00	
83	कैप के कारण एटी 1 से अपवर्जित राशि (मोचनों और परिपक्वताओं के बाद कैप पर अतिरिक्त)	0.00	
84	फेस–आउट व्यवस्था के तहत टी 2 लिखतों पर वर्तमान कैप	5000.00	
85	कैप की वजह से टी 2 से अपवर्जित राशि (मोचन और परिपक्वता के बाद कैप पर अतिरिक्त)	5000.00	

	DF-11: Composition of Capital		(₹ in Million)
			Ref No.
	Amounts below the thresholds for deduction (before risk weighting)		
72	Non-significant investments in the capital of other financial entities	0.00	
73	Significant investments in the common stock of financial entities	0.00	
74	Mortgage servicing rights (net of related tax liability)	0.00	
75	Deferred tax assets arising from temporary differences (net of related tax liability)	0.00	
	Applicable caps on the inclusion of provisions in Tier 2		
76	Provisions eligible for inclusion in Tier 2 in respect of exposures subject to standardised approach (prior to application of cap)	8170.15	C4+C5
77	Cap on inclusion of provisions in Tier 2 under standardised approach (1.25% of Credit Risk RWA)	12806.21	
78	Provisions eligible for inclusion in Tier 2 in respect of exposures subject to internal ratings-based approach (prior to application of cap)	Not Applicable	
79	Cap for inclusion of provisions in Tier 2 under internal ratings-based approach	Not Applicable	
	Capital instruments subject to phase-out arrangements		
80	Current cap on CET1 instruments subject to phase out arrangements	0.00	
81	Amount excluded from CET1 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)	0.00	
82	Current cap on AT1 instruments subject to phase out arrangements	0.00	
83	Amount excluded from AT1 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)	0.00	
84	Current cap on T2 instruments subject to phase out arrangements	5000.00	
85	Amount excluded from T2 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)	5000.00	

	टेम्पलेट पर नोट	
टेम्पलेट की पंक्ति संख्या	विवरण	(₹ मिलियन में)
10	संचित हानियों के साथ जुड़ी हुई आस्थगित कर आस्तियाँ	0.00
	आस्थगित कर आस्तियाँ (उनको छोड़ कर जो संचित हानियों से जुड़ी हुई हैं) आस्थगित कर देयताओं का निवल	0.00
	पंक्ति 10 में वर्णित के अनुसार कुल योग	0.00
19	अगर सहायक बीमा कंपनियों में निवेश पूंजी से पूर्णतः नहीं काटा जाता है और उसके एवज में कटौती हेतु 10 प्रतिशत न्यूनतम सीमा के अंतर्गत लिहाज में लिया जाता है, तो परिणाम स्वरूप बैंक की पूंजी में वृद्धि	लागू नहीं
	जिसमें सेः सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूंजी में वृद्धि	लागू नहीं
	जिसमें सेः अतिरिक्त ईक्विटी टियर 1 पूंजी में वृद्धि	लागू नहीं
	जिसमें सेः अतिरिक्त ईक्विटी टियर 2 पूंजी में वृद्धि	लागू नहीं
26बी	गैर समेकित गैर वित्तीय सहायक कंपनियों की ईक्विटी पूंजी में निवेश नहीं काटा जाता है और परिणामतः जोखिम भारित किया जाता है,	लागू नहीं
	(I) सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूंजी में वृद्धि	लागू नहीं
	(ii) जोखिम भारित आस्तियों में वृद्धि	लागू नहीं
44ए	अन्य अतिरिक्त टियर 1 पूंजी, जिसका परिकलन पूंजी पर्याप्तता के लिए नहीं किया गया है (पंक्ति 44 में रिपोर्टित अतिरिक्त टियर 1 पूंजी और पंक्ति 44ए में रिपोर्टित अतिरिक्त अनुमेय टियर 1 पूंजी कें बीच का अंतर)	लागू नहीं
	जिसमें सेः अतिरिक्त अन्य टियर 1 पूंजी जिसे पंक्ति 58बी के तहत अब टियर 2 पूंजी माना गया है	लागू नहीं
50	टियर 2 पूंजी में शामिल पात्र प्रावधान	8170.15
	टियर 2 पूंजी में शामिल पात्र पुनर्मूल्यांकन प्रारक्षितियां	0.00
	पंक्ति 50 का कुल योग	8170.15

	Notes to the Template	
Row No. of the template	**Particular**	**(₹ in million)**
10	Deferred tax assets associated with accumulated losses	0.00
	Deferred tax assets (excluding those associated with accumulated losses) net of Deferred tax liability	0.00
	Total as indicated in row 10	0.00
19	If investments in insurance subsidiaries are not deducted fully from capital and instead considered under 10% threshold for deduction, the resultant increase in the capital of bank	Not Applicable
	of which: Increase in Common Equity Tier 1 capital	Not Applicable
	of which: Increase in Additional Tier 1 capital	Not Applicable
	of which: Increase in Tier 2 capital	Not Applicable
26b	If investments in the equity capital of unconsolidated non-financial subsidiaries are not deducted and hence, risk weighted then:	Not Applicable
	(i) Increase in Common Equity Tier 1 capital	Not Applicable
	(ii) Increase in risk weighted assets	Not Applicable
44a	Excess Additional Tier 1 capital not reckoned for capital adequacy (difference between Additional Tier 1 capital as reported in row 44 and admissible Additional Tier 1 capital as reported in 44a)	Not Applicable
	of which: Excess Additional Tier 1 capital which is considered as Tier 2 capital under row 58b	Not Applicable
50	Eligible Provisions included in Tier 2 capital	8170.15
	Eligible Revaluation Reserves included in Tier 2 capital	0.00
	Total of row 50	8170.15

	डीएफ 12 : पूंजी की संरचना - मिलान आवश्यकताएं – चरण 1		(₹ मिलियन में)
		वित्तीय विवरणों के अनुसार (स्टैंडएलोन) तुलन पत्र	समेकन के विनियामक दायरे के तहत तुलन पत्र
		31.03.2017 को	31.03.2017 को
ए	**पूंजी और देयताएं**		
I	प्रदत्त पूंजी	4802.92	4802.92
	आरक्षितियां एवं अधिशेष	166817.17	169535.49
	कुल पूंजी	**171620.09**	**174338.41**
	अल्पसंख्यक के हित	0.00	191.20
ii	**जमाराशियां**	**1825092.83**	**1824800.40**
	जिसमें सेः बैंकों से जमा	33623.22	33623.20
	जिसमें सेः ग्राहकों की जमा राशि	1791469.62	1791177.20
	जिसमें सेः अन्य जमा (कृपया दर्शाएँ)	0.00	0.00
iii	**उधार राशियां**	**126368.89**	**126368.89**
	भारतीय रिजर्व बैंक से	0.00	0.00
	बैंकों से	0.14	0.14
	भारत के बाहर से उधार	22162.74	22162.74
	अन्य संस्थाओं और एजेंसियों से	104206.01	104206.01
	जिसमें सेः पूंजी लिखतें	21000.00	21000.00
iv	**अन्य देयताएँ एवं प्रावधान**	**59249.66**	**59375.50**
	कुल देयताएँ	**2182331.47**	**2185074.40**
बी	**आस्तियां**		
I	भारतीय रिजर्व बैंक के पास नकदी और शेष	**55887.00**	**55887.00**
	बैंकों में शेष और मांग और अल्पावधि पर धनराशि	**44530.19**	**44585.40**
ii	निवेश :	**675517.89**	**677811.90**
	जिसमें सेः सरकारी प्रतिभूतियों में	584769.83	584769.90
	जिसमें सेः अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में	362.71	362.71
	जिसमें सेः शेयरों में	5850.23	5872.47
	जिसमें सेः ऋण पत्र और बांड में	78660.16	78660.17
	जिसमें सेः अनुषंगी / संयुक्त उपक्रम / सहयोगियों में	466.46	2739.05
	जिसमें सेः अन्य (वाणिज्यिक पत्रों, म्यूचुअल फंडों आदि) में	5408.49	5407.60
iii	ऋण और अग्रिम	**1276992.82**	**1277077.10**
	जिसमें सेः बैंकों को ऋण और अग्रिम	6691.68	6691.68
	जिसमें सेः ग्राहकों को ऋण और अग्रिम	1270301.14	1270385.42
iv	अचल आस्तियाँ	34426.05	34466.80
v	अन्य आस्तियां	94977.52	95246.20
	जिसमें सेः गुडविल और अमूर्त आस्तियां	0.00	0.00
	जिसमें सेः आस्थगित कर आस्तियाँ	0.00	42.20
vi	समेकन पर गुडविल	0.00	0
vii	लाभ और हानि खाते में नामे शेष	0.00	0
	कुल आस्तियां	**2182331.47**	**2185074.40**

	DF-12: Composition of Capital- Reconciliation Requirements - STEP 1		(₹ in Million)
		Balance sheet as in financial statements (stand alone)	**Balance sheet under regulatory scope of consolidation**
		As on 31.03.2017	As on 31.03.2017
A	**Capital & Liabilities**		
i	Paid-up Capital	4802.92	4802.92
	Reserves & Surplus	166817.17	169535.49
	Total Capital	**171620.09**	**174338.41**
	Minority Interest	0.00	191.20
ii	**Deposits**	**1825092.83**	**1824800.40**
	of which: Deposits from banks	33623.22	33623.20
	of which: Customer deposits	1791469.62	1791177.20
	of which: Other deposits (pl. specify)	0.00	0.00
iii	**Borrowings**	**126368.89**	**126368.89**
	From RBI	0.00	0.00
	From banks	0.14	0.14
	borrowings outside India	22162.74	22162.74
	From other institutions & agencies	104206.01	104206.01
	of which: Capital instruments	21000.00	21000.00
iv	**Other liabilities & provisions**	**59249.66**	**59375.50**
	Total Liabilities	**2182331.47**	**2185074.40**
B	**Assets**		
i	Cash and balances with Reserve Bank of India	**55887.00**	**55887.00**
	Balance with banks and money at call and short notice	**44530.19**	**44585.40**
ii	Investments:	**675517.89**	**677811.90**
	of which: Government securities	584769.83	584769.90
	of which: Other approved securities	362.71	362.71
	of which: Shares	5850.23	5872.47
	of which: Debentures & Bonds	78660.16	78660.17
	of which: Subsidiaries / Joint Ventures / Associates	466.46	2739.05
	of which: Others (Commercial Papers, Mutual Funds etc.)	5408.49	5407.60
iii	Loans and advances	**1276992.82**	**1277077.10**
	of which: Loans and advances to banks	6691.68	6691.68
	of which: Loans and advances to customers	1270301.14	1270385.42
iv	Fixed assets	34426.05	34466.80
v	Other assets	94977.52	95246.20
	of which: Goodwill and intangible assets	0.00	0.00
	of which: Deferred tax assets	0.00	42.20
vi	Goodwill on consolidation	0.00	0
vii	Debit balance in Profit & Loss account	0.00	0
	Total Assets	**2182331.47**	**2185074.40**

	डीएफ 12 : पूंजी की संरचना - मिलान आवश्यकताएं – चरण 2			(₹ मिलियन में)
		वित्तीय विवरणों के अनुसार (स्टैंडएलोन) तुलन पत्र	समेकन के विनियामक दायरे के तहत तुलन पत्र	
		31.03.2017 को	**31.03.2017 को**	संदर्भ
ए	**पूँजी तथा देयताएँ**			
I	**प्रदत्त पूँजी**	4802.92	4802.92	
	जिनमें से : सीईटी 1 के लिए पात्र राशि	4802.92	4802.92	A1
	आरक्षित निधि तथा अधिशेष (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10)	**166817.17**	**169535.49**	
	जिनमें से			
	1.शेयर प्रिमियम	13256.73	13256.73	A2
	2.सांविधिक आरक्षितियां	41106.08	41106.08	B1
	3.आरक्षितियाँ पूंजी	1604.12	1604.12	B2
	4.विशेष आरक्षितियां	7337.20	7337.20	
	जिनमें से कर का निवल विशेष आरक्षितियां	7337.20	7337.20	B3
	5.राजस्व आरक्षितियां	72535.11	72854.94	B4
	6.लाभ एवं हानि खाता	971.09	3369.58	B5
	7.अल्प संख्यक के हित	0.00	191.20	
	जिनमें से पूँजी निधि के लिए लिया गया	0.00	0.00	
	8.पुनर्मूल्यन आरक्षिति	27004.19	27004.19	
	पुनर्मूल्यन आरक्षिति (सीईटी 1 पूंजी के अंश पर 55% का छूट)	12151.89	12151.89	B6
	9.आरक्षित निवेश	399.22	399.22	C4
	10.फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिज़र्व (एफटीआरपी)	2603.43	2603.43	
	जिनमें से पूंजी निधि के लिए (25% की छूट) लिया गया.	1952.57	1952.57	B7
	कुल पूंजी	**171620.09**	**174338.41**	
ii	**जमा राशियां**	**1825092.83**	**1824800.40**	
	जिनमें से : बैंकों की जमा राशियां	33623.22	33623.22	
	जिनमें से : ग्राहक जमाएं	1791469.61	1791177.18	
	जिनमें से : अन्य जमाएं	0.00	0.00	
iii	**उधार**	**126368.89**	**126368.89**	
	भारतीय रिज़र्व बैंक से	0.00	0.00	
	बैंकों से	0.14	0.14	
	भारत के बाहर से उधार	22162.74	22162.74	
	अन्य संस्थाओं और एजेंसियों से	104206.01	104206.01	
	जिनमें से : पूंजी लिखत	21000.00	21000.00	
	अपर टियर II लिखत	5000.00	5000.00	C1
	लोवर टियर II लिखत	5000.00	5000.00	C2
	एटी 1 के लिए सतत लिखत अनर्ह	6000.00	6000.00	C3
iv	**अन्य देयताएं एवं प्रावधान**	5000.00	5000.00	C6
		59249.66	**59375.50**	
		7770.93	7770.93	C5
	कुल	**2182331.47**	**2185074.40**	

	DF-12: Composition of Capital- Reconciliation Requirements-STEP 2			(₹ in Million)
		Balance sheet as in financial statements (stand alone)	Balance sheet under regulatory scope of consolidation	
		As on 31.03.2017	As on 31.03.2017	Reference
A	**Capital & Liabilities**			
i	Paid-up Capital	4802.92	4802.92	
	of which: Amount eligible for CET1	4802.92	4802.92	A1
	Reserves & Surplus (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10)	**166817.17**	**169535.49**	
	of which			
	1.Share Premium	13256.73	13256.73	A2
	2.Statutory Reserves	41106.08	41106.08	B1
	3.Capital Reserves	1604.12	1604.12	B2
	4.Special Reserves	7337.20	7337.20	
	of which special reserve net of Tax	7337.20	7337.20	B3
	5.Revenue Reserves	72535.11	72854.94	B4
	6.Profit and Loss account	971.09	3369.58	B5
	7.Minority Interest	0.00	191.20	
	Of which considered for Capital funds	0.00	0.00	
	8.Revaluation Reserve	27004.19	27004.19	
	Revaluation Reserve (Part of CET 1 capital @ discount of 55%)	12151.89	12151.89	B6
	9.Investment Reserve	399.22	399.22	C4
	10.Foreign Currency Translation Reserve (FCTR)	2603.43	2603.43	
	of which considered for Capital funds (at 25% discount)	1952.57	1952.57	B7
	Total Capital	**171620.09**	**174338.41**	
ii	**Deposits**	**1825092.83**	**1824800.40**	
	of which: Deposits from banks	33623.22	33623.22	
	of which: Customer deposits	1791469.61	1791177.18	
	of which: Other deposits	0.00	0.00	
iii	**Borrowings**	**126368.89**	**126368.89**	
	From RBI	0.00	0.00	
	From banks	0.14	0.14	
	borrowings outside India	22162.74	22162.74	
	From other institutions & agencies	104206.01	104206.01	
	of which: Capital instruments	21000.00	21000.00	
	Upper Tier II Instruments (Non Basel III Compliant)	5000.00	5000.00	C1
	Lower Tier II Instruments (Non Basel III Compliant)	5000.00	5000.00	C2
	Tier II Instruments (Basel III Complaint)	6000.00	6000.00	C3
	Perpetual Debt Instruments qualifying for AT 1	5000.00	5000.00	C6
iv	**Other liabilities & provisions**	**59249.66**	**59375.50**	
		7770.93	7770.93	C5
	Total	**2182331.47**	**2185074.40**	

	डीएफ 12 : पूंजी की संरचना - मिलान आवश्यकताएं – चरण 2			(₹ मिलियन में)
		वित्तीय विवरणों के अनुसार (स्टैंडएलोन) तुलन पत्र	समेकन के विनियामक दायरे के तहत तुलन पत्र	
		31.03.2017 तक	31.03.2017 तक	संदर्भ
बी	आस्तियां			
I.	भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ नकद एवं शेष	**55887.00**	**55887.00**	
	बैंकों के पास शेष और मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि	**44530.19**	**44585.40**	
ii	निवेश	675517.89	677811.90	
	जिनमें से : सरकारी प्रतिभूतियां	584769.83	584769.90	
	जिनमें से : अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	362.71	362.71	
	जिनमें से : शेयर	5850.23	5872.47	
	जिनमें से : डिबेंचर एवं बांड	78660.16	78660.17	
	जिनमें से : अनुषंगी / संयुक्त उद्यम / सहयोगी संस्थाए	466.46	2739.05	
	जिनमें से : अन्य (वाणिज्यिक पत्र, म्युचुअल फंड, इत्यादि)	5408.49	5407.60	
iii	ऋण एवं अग्रिम	**1276992.82**	**1277077.10**	
	जिनमें से : बैंकों को ऋण और अग्रिम	6691.68	6691.68	
	जिनमें से : ग्राहकों को ऋण और अग्रिम	1270301.14	1270385.42	
iv	अचल आस्तियां	**34426.05**	**34466.80**	
v	अन्य आस्तियां	**94977.52**	**95246.20**	
	जिनमें से : गुडविल और अमूर्त आस्तियां			
	जिनमें से	0.00	42.20	
	गुडविल	0.00	0.00	
	अन्य अमूर्त तत्व	0.00	0.00	
	आस्थगित कर देयताएं	0.00	42.20	
vi	समेकन पर गुडविल	0.00	0.00	
vii	लाभ तथा हानि खाते में नामे शेष	0.00	0.00	
	कुल आस्तियां	**2182331.47**	**2185074.40**	

	बेसल III सामान्य प्रकटीकरण टेंप्लेट का उद्धरण – सारणी डीएफ – 11	चरण 3	(₹ मिलियन में)
	सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूँजी : लिखत तथा आरक्षिति		
		बैंक द्वारा रिपोर्ट की गई विनियामक पूँजी के घटक	चरण 2 से समेकन के विनियामक दायरे के अंतर्गत तुलनपत्र के संदर्भ संख्या पत्रों पर आधारित स्रोत
1	सीधे निर्गमित की गई अर्हक सामान्य शेयर (तथा गैर – संयुक्त स्टॉक कंपनियों के लिए समतुल्य) पूंजी तथा संबंधित स्टॉक अधिशेष का जोड	18059.65	A1+A2
2	प्रतिधारित आय	3369.58	B5
3	संचयित अन्य व्यापक आय (तथा अन्य निधियां)	137006.80	B1+B2+B3+B4+B6+B7
4	सीईटी1 से हटाया जाने के अधीन सीधे निर्गमित पूँजी (केवल गैर संयुक्त स्टॉक कंपनियों पर लागू)	0	
5	अनुषंगी संस्थाओं द्वारा निर्गमित सामान्य शेयर पूंजी तथा थर्ड पार्टी द्वारा धारित (समूह सीईटी 1 में अनुमत राशि)	0	
6	विनियामक समायोजनों से पूर्व सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूंजी	158436.03	
7	विवेकपूर्ण मूल्यन समायोजन	0	
8	गुडविल (संबंधित कर दयेता का निवल)	0	

	DF-12: Composition of Capital- Reconciliation Requirements-STEP 2			(₹ in Million)
		Balance sheet as in financial statements (stand alone)	Balance sheet under regulatory scope of consolidation	
		As on 31.03.2017	As on 31.03.2017	Reference
B	**Assets**			
i.	**Cash and balances with Reserve Bank of India**	**55887.00**	**55887.00**	
	Balance with banks and money at call and short notice	**44530.19**	**44585.40**	
ii	**Investments**	675517.89	677811.90	
	of which: Government securities	584769.83	584769.90	
	of which: Other approved securities	362.71	362.71	
	of which: Shares	5850.23	5872.47	
	of which: Debentures & Bonds	78660.16	78660.17	
	of which: Subsidiaries / Joint Ventures / Associates	466.46	2739.05	
	of which: Others (Commercial Papers, Mutual Funds etc.)	5408.49	5407.60	
iii	**Loans and advances**	**1276992.82**	**1277077.10**	
	of which: Loans and advances to banks	6691.68	6691.68	
	of which: Loans and advances to customers	1270301.14	1270385.42	
iv	**Fixed assets**	**34426.05**	**34466.80**	
v	**Other assets**	**94977.52**	**95246.20**	
	of which: Goodwill and intangible assets			
	Out of which:	0.00	42.20	
	Goodwill	0.00	0.00	
	Other intangibles	0.00	0.00	
	Deferred tax assets	0.00	42.20	
vi	Goodwill on consolidation	0.00	0.00	
vii	Debit balance in Profit & Loss account	0.00	0.00	
	Total Assets	**2182331.47**	**2185074.40**	

	Extract of Basel III common disclosure template – Table DF-11	STEP 3	(₹ in Million)
	Common Equity Tier 1 capital: instruments and reserves		
		Component of regulatory capital reported by bank	**Source based on reference numbers/ letters of the balance sheet under the regulatory scope of consolidation from step 2**
1	Directly issued qualifying common share (and equivalent for non-joint stock companies) capital plus related stock surplus	18059.65	A1+A2
2	Retained earnings	3369.58	B5
3	Accumulated other comprehensive income (and other reserves)	137006.80	B1+B2+B3+B4+B6+B7
4	Directly issued capital subject to phase out from CET1 (only applicable to non-joint stock companies)	0	
5	Common share capital issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group CET1)	0	
6	Common Equity Tier 1 capital before regulatory adjustments	158436.03	
7	Prudential valuation adjustments	0	
8	Goodwill (net of related tax liability)	0	

सारणी डीएफ – 13 विनियामक पूंजी लिखतों की मुख्य विशेषताएँ
विनियामक पूंजी लिखतों का मुख्य विशेषताएं हेतु प्रकटिकरण टेम्प्लेट

1	जारीकर्ता	इंडियन बैंक	इंडियन बैंक
2	विशिष्ट पहचानकर्ता (उदा : सीयूएसआईपी, आईएसआईएन अथवा निजी नियुक्तियों के लिए ब्लूमबर्ग पहचानकर्ता)	आईएनई562ए01011	आईएनई562ए09055
3	लिखतों का नियंत्रण करनेवाले नियम	भारतीय कानून और विनियामक आवश्यकताओं पर लागू	भारतीय कानून और विनियामक आवश्यकताओं पर लागू
	विनियामक ट्रीट्मेंट		
4	संक्रमणकालिक बेसल III नियम	सामान्य ईक्विटी टियर 1	एटी 1 बाण्ड
5	उत्तर संक्रमणकालिक बेसल III नियम	सामान्य ईक्विटी टियर 1	अपात्र
6	एकल/समूह/समूह एवं एकल पर पात्र	समूह एवं एकल	समूह एवं एकल
7	लिखत प्रकार	कामन शेयर	बेमियादी बाण्ड
8	विनियामक पूंजी में शामिल की गई राशि (31.03.2017 को रुपए मिलियन में)		
9	लिखत का सममूल्य	लागू नहीं	
10	लेखांकन वर्गीकरण	शेयर धारक का ईक्विटी	उधार
11	जारी करने की मूल तिथि	भिन्न तिथि	30/03/2016
12	सतत अथवा दिनांकित	बेमियादी	बेमियादी
13	मूल परिपक्वता तिथि	लागू नहीं	बेमियादी
14	पूर्व पर्यवेक्षी अनुमोदन के अधीन जारीकर्ता काल	नहीं	हाँ
15	वैकल्पिक कालॅ दिनांक, आकस्मिक कॉल दिनांक एवं मोचन राशि (रुपए मिलियन में)	लागू नहीं	वैकल्पिक कालॅ दिनांकः30/03/2021 आकस्मिक कॉल दिनांकः लागू नहीं मोचिन राशिः 5000
16	अनुवर्ती काल दिनांक यदि लागू हो	लागू नहीं	लागू नहीं
	लाभांश / कूपन	लाभांश	कूपन
17	स्थिर अथवा अस्थिर लाभांश / कूपन	लाभांश	स्थायी
18	कूपन दर अथवा कोई अन्य संबंधित सूचकांक	लागू नहीं	**11.15** प्रतिवर्ष कोई संबंधित सूचकांक नहीं है
19	लाभांश रोधक का अस्तित्व	लागू नहीं	हाँ
20	पूर्ण विवेकाधिकार, अर्ध विवेकाधिकार अथवा अनिवार्य	पूरी तरह विवेकाधीन	अनिवार्य
21	भुनाने के लिए स्टेप अप अथवा अन्य प्रोत्साहन राशि का अस्तित्व	नहीं	नहीं
22	गैर संचयी अथवा संचयी	गैर संचयी	गैर संचयी
23	परिवर्तनीय अथवा अपरिवर्तनीय	लागू नहीं	बेसल I I I पर भारिबैंक के दिनांक 01.07. 2015 के मास्टर परिपत्र में वर्णित पीओएनवी घटना / विशिष्ट ट्रिगर के आधार पर परिवर्तनीय पूर्व विनिर्दिष्ट ट्रिगर
24	यदि परिवर्तनीय है तो, परिवर्तन ट्रिगर	लागू नहीं	पर परिवर्तन जो 5.50 प्रतिशत के न्यूनतम आम ईक्विटी टियर I पूंजी अनुपात पर हो (31.03.2019 के पहले) या जोखिम भारित (आरडबल्यूए) के 6.125 प्रतिशत पर हो आस्तियों (31.03.2019 या उसके बाद) जोकि बेसल III पर जारी भारिबैंक के 01.07.2015 के परिपत्र में निर्धारित किया गया है।
25	यदि परिवर्तनीय है तो, पूर्णतः अथवा अंशतः	लागू नहीं	पूर्णतः
26	यदि परिवर्तनीय है तो, परिवर्तन दर	लागू नहीं	परिवर्तन के समय पर मौजूदा बाजार मूल्य के आधार पर
27	यदि परिवर्तनीय है तो, अनिवार्य अथवा वैकल्पिक परिवर्तन	लागू नहीं	विशिष्ट ट्रिगर पर अनिवार्य
28	यदि परिवर्तनीय है तो, परिवर्तनीय लिखत के प्रकार को विनिर्दिष्ट करें	लागू नहीं	सामान्य ईक्विटी शेयर
29	यदि परिवर्तनीय है तो, परिवर्तनीय लिखत जारीकर्ता को विनिर्दिष्ट करें।	लागू नहीं	लागू नहीं
30	अवलेखन विशेषताएं	नहीं	नहीं
31	यदि अवलिखित है तो, उसके ट्रिगर	लागू नहीं	लागू नहीं
32	यदि अवलिखित है तो, पूर्णतः अथवा अंशतः	लागू नहीं	लागू नहीं
33	यदि अवलिखित है तो, स्थायी या अस्थायी	लागू नहीं	लागू नहीं
34	यदि अस्थायी अवलेखन है तो, राइट– अप प्रणाली का विवरण	लागू नहीं	लागू नहीं
35	परिसमापन में अधीनता स्थान में पदक्रम (लिखत के निकटतम वरिष्ठ लिखत प्रकार उल्लेख करें)	लागू नहीं	बैंक के अन्य लेनदारों तथा जमाकर्ताओं के दावों के अधीनस्थ
36	गैर कार्यान्वित संक्रमण विशेषताएं	नहीं	लागू नहीं
37	यदि हाँ, गैर कार्यान्वित विशेषताओं को विनिर्दिष्ट करना	लागू नहीं	लागू नहीं

Table DF-13: Main Features of Regulatory Capital Instruments
Disclosure template for main features of regulatory capital instruments

1	Issuer	Indian Bank	Indian Bank
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE562A01011	INE562A09055
3	Governing law(s) of the instrument	Applicable Indian Laws and regulatory requirements	Applicable Indian Laws and regulatory requirements
	Regulatory treatment		
4	Transitional Basel III rules	Common Equity Tier 1	AT 1 bonds
5	Post-transitional Basel III rules	Common Equity Tier 1	Eligible
6	Eligible at solo/group/ group & solo	Group & Solo	Group & Solo
7	Instrument type	Common Shares	Perpetual bonds
8	Amount recognised in regulatory capital (Rs. in million, as of 31.03.2017)	4802.92	5000
9	Par value of instrument	Not Applicable	5000
10	Accounting classification	Share holder's equity	Borrowings
11	Original date of issuance	various dates	30.03.2016
12	Perpetual or dated	Perpetual	Perpetual
13	Original maturity date	Not Applicable	Perpetual
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	No	Yes
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount (₹ In Millions)	Not Applicable	Optional Call date: 30.03.2021 Contingent Call dates: Not applicable Redemption amount:5000
16	Subsequent call dates, if applicable	Not Applicable	Not Applicable
	Coupons / dividends	Dividend	Coupon
17	Fixed or floating dividend/coupon	Dividend	Fixed
18	Coupon rate and any related index	Not Applicable	11.15% p.a No related index
19	Existence of a dividend stopper	Not Applicable	Yes
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Fully discretionary	Mandatory
21	Existence of step up or other incentive to redeem	No	No
22	Noncumulative or cumulative	Non Cumulative	Non Cumulative
23	Convertible or non-convertible	Not Applicable	Convertible at specific trigger / PONV event as described in RBI Master circular on Basel III dated 01.07.2015
24	If convertible, conversion trigger(s)	Not Applicable	Conversion at pre-specified trigger at minimum Common Equity Tier I capital ratio of 5.50% (before 31.03.2019) or 6.125% of Risk weighted Assets (RWAs) (on or after 31.03.2019) as prescribed in in RBI Master circular on Basel III dated 01.07.2015
25	If convertible, fully or partially	Not Applicable	Fully
26	If convertible, conversion rate	Not Applicable	Based on market price prevailing at the time of conversion
27	If convertible, mandatory or optional conversion	Not Applicable	Mandatory on specific trigger
28	If convertible, specify instrument type convertible into	Not Applicable	Common equity shares
29	If convertible, specify issuer of instrument it converts into	Not Applicable	Not Applicable
30	Write-down feature	No	No
31	If write-down, write-down trigger(s)	Not Applicable	Not Applicable
32	If write-down, full or partial	Not Applicable	Not Applicable
33	If write-down, permanent or temporary	Not Applicable	Not Applicable
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	Not Applicable	Not Applicable
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	Not Applicable	Subordinated to the claims of other creditors and depositors of the Bank and subordinate debt bonds
36	Non-compliant transitioned features	No	Not Applicable
37	If yes, specify non-compliant features	Not Applicable	Not Applicable

सारणी डीएफ – 13 विनियामक पूंजी लिखतों की मुख्य विशेषताएँ
विनियामक पूंजी लिखतों का मुख्य विशेषताएं हेतु प्रकटिकरण टेम्प्लेट

1	जारीकर्ता	इंडियन बैंक	इंडियन बैंक
2	विशिष्ट पहचानकर्ता (उदा.सीयूएसआईपी, आईएसआईएन या निजी न्यूक्तियों के लिए ब्लूमबर्ग पहचानकर्ता)	आईएनई562ए09030	आईएनई562ए09048
3	लिखतों को नियंत्रण करने वाले नियम	भारतीय विधि और विनियामक अपेक्षाओं पर लागू	भारतीय कानून और विनियामक आवश्यकताओं पर लागू
	विनियामक ट्रीटमेंट		
4	संक्रमणकालीन बेसल III नियम	टीयर–2	टीयर–2
5	उत्तर–संक्रमणकालीन बेसल III के नियम	अपात्र	अपात्र
6	एकल / समूह / समूह और एकल स्तर पर पात्र	समूह एवं एकल	समूह एवं एकल
7	लिखत का प्रकार	ऊपरी टीयर II (श्रृंखला II)	ऊपरी टीयर II (श्रृंखला III)
8	विनियामक पूंजी में शामिल की गई राशि (31.03.2017 तक, रुपए लाख में)	2500	2500
9	लिखत का सम मूल्य	5000	5000
10	लेखांकन वर्गीकरण	उधार	उधार
11	जारी करने की मूल तिथि	28/06/2010	16/07/2010
12	सतत अथवा दिनांकित	दिनांकित	दिनांकित
13	मूल परिपक्वता तारीख	28/06/2020	16/07/2025
14	पूर्व पर्यवेक्षी अनुमोदन के अधीन जारीकर्ता कॉल	हाँ	हाँ
15	वैकल्पिक कॉल दिनांक, आकस्मिक कॉल दिनांक और मोचन राशि (रुपये लाखों में)	वैकल्पिक कॉल दिनांक: लागू नहीं मोचन राशि:5000	वैकल्पिक कालॅ दिनांक:16/07/2020 आकस्मिक कॉल दिनांकः लागू नहीं मोचिन राशिः 5000
16	अनुवर्ती कॉल दिनांक, यदि लागू हो कूपन/लाभांश	लागू नहीं कूपन	लागू नहीं कूपन
17	स्थिर अथवा अस्थिर लाभांश / कूपन	स्थायी	स्थायी
18	कूपन दर अथवा कोई अन्य संबंधित सूचकांक	8.53 प्रतिशत	पहले 10 वर्ष के लिए 8.67 प्रतिशत अगर कॉल का प्रयोग नहीं किया गयाः 9.17 प्रतिशत
19	लाभांश रोधक का अस्तित्व	नहीं	नहीं
20	पूर्ण विवेकाधिकार, अर्धविवेकाधिकार अथवा अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य
21	भुनाने के लिए स्टेप अप अथवा अन्य प्रोत्साहन राशि का अस्तित्व	नहीं	हाँ 50 बीपीएस द्वारा वृद्धिशील ऋण
22	गैर संचयी अथवा संचयी	गैर संचयी	गैर संचयी
23	परिवर्तनीय अथवा अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय
24	यदि परिवर्तनीय है तो, परिवर्तन ट्रिगर	लागू नहीं	लागू नहीं
25	यदि परिवर्तनीय है तो, पूर्णतः अथवा अंशतः	लागू नहीं	लागू नहीं
26	यदि परिवर्तनीय है तो, परिवर्तन दर	लागू नहीं	लागू नहीं
27	यदि परिवर्तनीय है तो, अनिवार्य अथवा वैकल्पिक परिवर्तन	लागू नहीं	लागू नहीं
28	यदि परिवर्तनीय है तो, परिवर्तनीय लिखत के प्रकार को विनिर्दिष्ट करें	लागू नहीं	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय है तो, परिवर्तनीय लिखत के जारीकर्ता को विनिर्दिष्ट करें	लागू नहीं	लागू नहीं
30	अवलेखन विशेषताएँ	नहीं	नहीं
31	यदि अवलिखित है तो, अवलेखन ट्रिगर	लागू नहीं	लागू नहीं
32	यदि अवलिखित है तो, पूर्णतः अथवा अंशतः	लागू नहीं	लागू नहीं
33	यदि अवलिखित है तो, स्थायी या अस्थायी	लागू नहीं	लागू नहीं
34	यदि अस्थायी अवलेखन है तो, राइट– अप प्रणाली का विवरण	लागू नहीं	लागू नहीं
35	परिसमापन में अधीनता स्थान में पदक्रम (लिखत के निकटतम वरिष्ठ लिखत प्रकार उल्लेख करें)	बैंक के अन्य लेनदारों तथा जमाकर्ताओं के तथा जमाकर्ताओं के दावों के अधीनस्थ	दावों के अधीनस्थ बैंक के अन्य लेनदारों
36	गैर कार्यान्वित संक्रमण विशेषताएं	हाँ	नहीं
37	यदि हाँ, गैर कार्यान्वित विशेषताओं को विनिर्दिष्ट करना	बिना हानि के अवशोषकता विशेषताएँ	बिना हानि के अवशोषकता विशेषताएँ

Table DF-13: Main Features of Regulatory Capital Instruments

Disclosure template for main features of regulatory capital instruments

1	Issuer	Indian Bank	Indian Bank
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE562A09030	INE562A09048
3	Governing law(s) of the instrument	Applicable Indian Laws and regulatory requirements	Applicable Indian Laws and regulatory requirements
	Regulatory treatment		
4	Transitional Basel III rules	Tier 2	Tier 2
5	Post-transitional Basel III rules	Ineligible	Ineligible
6	Eligible at solo/group/group & solo	Group & Solo	Group & Solo
7	Instrument type	Lower Tier II (series II)	Upper Tier II (series III)
8	Amount recognised in regulatory capital Rs. in million, as of 31.03.2017)	2500	2500
9	Par value of instrument	5000	5000
10	Accounting classification	Borrowings	Borrowings
11	Original date of issuance	28.06.2010	16.07.2010
12	Perpetual or dated	Dated	Dated
13	Original maturity date	28.06.2020	16.07.2025
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	Yes	Yes
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount (₹ In Millions)	Call Option Date: Not applicable Redemption amount:5000	Optional Call date:16/07/2020 Contingent Call dates: Not applicable Redemption amount:5000
16	Subsequent call dates, if applicable	Not Applicable	Not Applicable
	Coupons / dividends	Coupon	Coupon
17	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed	Fixed
18	Coupon rate and any related index	8.53% pa	8.67% pa for first 10 years, If call not exercised: 9.17%
19	Existence of a dividend stopper	No	No
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Mandatory	Mandatory
21	Existence of step up or other incentive to redeem	No	Yes step up by 50bps
22	Noncumulative or cumulative	Non Cumulative	Non Cumulative
23	Convertible or non-convertible	Non Convertible	Non Convertible
24	If convertible, conversion trigger(s)	Not Applicable	Not Applicable
25	If convertible, fully or partially	Not Applicable	Not Applicable
26	If convertible, conversion rate	Not Applicable	Not Applicable
27	If convertible, mandatory or optional conversion	Not Applicable	Not Applicable
28	If convertible, specify instrument type convertible into	Not Applicable	Not Applicable
29	If convertible, specify issuer of instrument it converts into	Not Applicable	Not Applicable
30	Write-down feature	No	No
31	If write-down, write-down trigger(s)	Not Applicable	Not Applicable
32	If write-down, full or partial	Not Applicable	Not Applicable
33	If write-down, permanent or temporary	Not Applicable	Not Applicable
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	Not Applicable	Not Applicable
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	Subordinated to the claims of other creditors and depositors of the Bank	Subordinated to the claims of other creditors and depositors of the Bank
36	Non-compliant transitioned features	Yes	Yes
37	If yes, specify non-compliant features	No loss absorbency features	No loss absorbency features

सारणी डीएफ – 13 विनियामक पूंजी लिखतों की मुख्य विशेषताएँ
विनियामक पूंजी लिखतों की मुख्य विशेषताओं हेतु प्रकटीकरण टेम्प्लेट

1	जारीकर्ता	इंडियन बैंक
2	विशिष्ट पहचानकर्ता (उदा.सीयूएसआईपी, आईएसआईएन या निजी न्यूक्तियों के लिए ब्लूमबर्ग पहचानकर्ता)	आईएनई562ए09030
3	लिखतों को नियंत्रण करने वाले नियम	भारतीय कानून और विनियामक आवश्यकताओं पर लागू
	विनियामक ट्रीटमेंट	
4	संक्रमणकालीन बेसल III नियम	टीयर–2
5	उत्तर–संक्रमणकालीन बेसल III के नियम	पात्र
6	एकल / समूह / समूह और एकल स्तर पर पात्र	समूह एवं एकल
7	लिखत का प्रकार	ऊपरी टीयर II (श्रृंखला III)
8	विनियामक पूंजी में शामिल की गई राशि (31.03.2017 तक, रुपए लाख में)	6000
9	लिखत का सम मूल्य	6000
10	लेखांकन वर्गीकरण	उधार
11	जारी करने की मूल तिथि	28.07.2016
12	सतत अथवा दिनांकित	दिनांकित
13	मूल परिपक्वता तारीख	28.07.2026
14	पूर्व पर्यवेक्षी अनुमोदन के अधीन जारीकर्ता कॉल	हाँ
15	वैकल्पिक कॉल दिनांक, आकस्मिक कॉल दिनांक और मोचन राशि (रुपये मिलियन में)	वैकल्पिक कॉल दिनांक:28/07/2021 मोचिन राशि: 6000
16	अनुवर्ती कॉल दिनांक, यदि लागू हो	लागू नहीं
	कूपन/लाभांश	कूपन
17	स्थिर अथवा अस्थिर लाभांश / कूपन	स्थायी
18	कूपन दर अथवा कोई अन्य संबंधित सूचकांक	8.10% प्रतिशत
19	लाभांश रोधक का अस्तित्व	नहीं
20	पूर्ण विवेकाधिकार, अर्धविवेकाधिकार अथवा अनिवार्य	पूर्ण विवेकाधिकार
21	भुनाने के लिए स्टेप अप अथवा अन्य प्रोत्साहन राशि का अस्तित्व	नहीं
22	गैर संचयी अथवा संचयी	गैर संचयी
23	परिवर्तनीय अथवा अपरिवर्तनीय	गैर संचयी
24	यदि परिवर्तनीय है तो, परिवर्तन ट्रिगर	लागू नहीं
25	यदि परिवर्तनीय है तो, पूर्णतः अथवा अंशतः	लागू नहीं
26	यदि परिवर्तनीय है तो, परिवर्तन दर	लागू नहीं
27	यदि परिवर्तनीय है तो, अनिवार्य अथवा वैकल्पिक परिवर्तन	लागू नहीं
28	यदि परिवर्तनीय है तो, परिवर्तनीय लिखत के प्रकार को विनिर्दिष्ट करें	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय है तो, परिवर्तनीय लिखत के जारीकर्ता को विनिर्दिष्ट करें	लागू नहीं
30	अवलेखन विशेषताएँ	हाँ
31	यदि अवलिखित है तो, अवलेखन ट्रिगर	भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित किए अनुसार गैर–व्यवहार्यता के बिंदु पर (पीओएनवी)
32	यदि अवलिखित है तो, पूर्णतः अथवा अंशतः	पूर्णतः
33	यदि अवलिखित है तो, स्थायी या अस्थायी	स्थायी
34	यदि अस्थायी अवलेखन है तो, राइट– अप प्रणाली का विवरण	लागू नहीं
35	परिसमापन में अधीनता स्थान में पदक्रम (लिखत के निकटतम वरिष्ठ लिखत प्रकार उल्लेख करें)	बैंक के अन्य लेनदारों तथा जमाकर्ताओं के दावों के अधीनस्थ
36	गैर कार्यान्वित संक्रमण विशेषताएं	पूर्णतः अनुपालन
37	यदि हाँ, गैर कार्यान्वित विशेषताओं को विनिर्दिष्ट करना	लागू नहीं

Table DF-13: Main Features of Regulatory Capital Instruments

Disclosure template for main features of regulatory capital instruments

1	Issuer	Indian Bank
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE562A09030
3	Governing law(s) of the instrument	Applicable Indian Laws and regulatory requirements
	Regulatory treatment	
4	Transitional Basel III rules	Tier 2
5	Post-transitional Basel III rules	Eligible
6	Eligible at solo/group/group & solo	Group & Solo
7	Instrument type	Upper Tier II (series II)
8	Amount recognised in regulatory capital Rs. in million, as of 31.03.2017)	6000
9	Par value of instrument	6000
10	Accounting classification	Borrowings
11	Original date of issuance	28.07.2016
12	Perpetual or dated	Dated
13	Original maturity date	28.07.2026
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	Yes
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount (₹ In Millions)	Optional Call date:28/07/2021 Redemption amount:6000
16	Subsequent call dates, if applicable	Not Applicable
	Coupons / dividends	Coupon
17	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed
18	Coupon rate and any related index	8.10% pa
19	Existence of a dividend stopper	No
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Fully discretionary
21	Existence of step up or other incentive to redeem	No
22	Noncumulative or cumulative	Non Cumulative
23	Convertible or non-convertible	Non Convertible
24	If convertible, conversion trigger(s)	Not Applicable
25	If convertible, fully or partially	Not Applicable
26	If convertible, conversion rate	Not Applicable
27	If convertible, mandatory or optional conversion	Not Applicable
28	If convertible, specify instrument type convertible into	Not Applicable
29	If convertible, specify issuer of instrument it converts into	Not Applicable
30	Write-down feature	Yes
31	If write-down, write-down trigger(s)	At Point of Non Viability (PONV) as set by RBI
32	If write-down, full or partial	Full
33	If write-down, permanent or temporary	Permanent
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	Not Applicable
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	Subordinated to the claims of other creditors and depositors of the Bank
36	Non-compliant transitioned features	Fully Compliant
37	If yes, specify non-compliant features	Not Applicable

सारणी डीएफ–14 विनियामक पूंजी लिखतों की मुख्य विशेषताएँ
निम्नतर टियर II बॉन्ड के लिए शर्तें एवं निबंधन

सुरक्षा विवरण	8.67 प्रतिशत असुरक्षित प्रतिदेय अपरिवर्तनीय गौण अपर टियर II बॉन्ड (ऋण पूंजी लिखत) प्रत्येक 10,00,000 रुपये का वचन नोट की प्रकृति में (श्रृंखला तृतीय) कुल 500 करोड़ रुपये तक)
....के माध्यम से सुरक्षा प्रदान की गई	निजी निवेश
टैक्स की स्थिति	टैक्स से छूट नहीं
निर्गम के उद्घाटन की तारीख	16 / 07 / 2010
निर्गम के बंद होने की तारीख	16 / 07 / 2010
श्रृंखला	श्रृंखला III
आईएसआईएन कोड	आईएनई562,09048
प्रति लिखत का अंकित मूल्य	रुपये 10,00,000
प्रति लिखत का प्रदत्त मूल्य	रुपये 10,00,000
निर्गम का आकार	रुपय 500 करोड़
आवंटन की तिथि	16 / 07 / 2010
परिपक्वता की तिथि	16 / 07 / 2025
परिपक्व होने के लिए राशि	रुपय 500 करोड़
कूपन दर (निश्चित)	पहले 10 साल के लिए 8.67 प्रतिशत के दर पर। 50 बेसिस पॉइंट्स दर स्टेप्ड अप होगा, प्रभाव में, बॉन्ड्स पर कूपन दर 11 वें वर्ष से 9.17 प्रतिशत प्रतिवर्ष होगी, अगर कॉल ऑप्शन आवंटन की तिथि से 10 वर्ष के अंत में बैंक द्वारा प्रयोग नहीं की जाएगी।
ब्याज की आवृति	वार्षिक तथा गैर संचयी
देय ब्याज की तिथि	हर साल 16 जुलाई को
ब्याज भुगतान की पहली तिथि	16 जुलाई 2011
कॉल ऑप्शन	कॉल ऑप्शन बॉन्ड पर उपलब्ध है और आवंटन की तारीख से 10 वर्ष के अंत में बैंक द्वारा इसका प्रयोग किया जाना, अन्य शर्तों से संबंधित समय में लागू कानूनों और नियमन के अनुसार, बैंक की कॉल ऑप्शन प्रयोग के समय में और प्रयोग के बाद पूंजी पर्याप्तता स्थिति अंशतः नहीं बल्कि पूर्णतः बैंक द्वारा कॉल विकल्प का प्रयोग और प्रयोग के बाद का मामला भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व अनुमोदन के अधीन होगा । बैंक द्वारा कॉल विकल्प के प्रयोग के समय बैंक कम से कम 30 (तीस) दिन पहले उस तारीख को, बॉन्ड धारकों को पंजीकृत डाक / कूरियर द्वारा भेजे गए एक नोटिस के माध्यम से सूचित करेगा । बांड आवंटन की संभावित तारीख से 10 साल की चूक के बाद कॉल विकल्प के साथ संयोजन के रूप में बांड के पूरे जीवन काल के दौरान केवल एक बार प्रयोग किया जाएगा जो एक स्टेप–अप ऑप्शन है। स्टेप–अप 50 बीपीएस, कॉल ऑप्शन आवंटन की तिथि से 10 वर्ष के अंत में अगर बैंक द्वारा प्रयोग नहीं किया जाता है, तो बॉन्ड पर कूपन दर बाद के वर्षों के लिए 9.17: प्रति वर्ष के हिसाब से कूपन रेट बढ़ाया जाएगा।

Table DF-14: Full Terms and Conditions of Regulatory Capital Instruments

Terms and conditions for Lower Tier II Bond

Security Description	8.67% Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated Upper Tier II Bonds (Debt Capital Instruments) in the nature of Promissory Notes (Series III) of Rs.10,00,000 each aggregating to Rs.500 Crore)
Security offered through	Private Placement
Tax status	Not exempted from Tax
Date of opening of the issue	16/07/2010
Date of closing of the issue	16/07/2010
Series	Series III
ISIN Code	INE562A09048
Face Value per instrument	Rs.10,00,000
Paid up value per instrument	Rs.10,00,000
Issue Size	Rs.500 Crore
Date of allotment	16/07/2010
Date of maturity	16/07/2025
Amount to be matured	Rs.500 Crore
Coupon rate (fixed)	8.67% for the first 10 years. The rate will be stepped up by 50 basis points, in effect, the coupon rate on Bonds shall be 9.17% p.a from 11th year onwards, if call option not exercised by the Bank at the end of the 10th year from the date of allotment
Frequency of Interest	Annual and Non Cumulative
Interest due dates	16th July every year
First Interest Payment date	16th July 2011
Call Option	Call Option is available on bonds which may be exercised by the Bank at the end of 10th year from the date of allotment, subject to prior approval of RBI and in accordance with the applicable laws and regulation in effect at the time relating to among other things, Capital adequacy position of the Bank both at the time of and after exercise of the Call option, in whole but not in part. In case of exercise of Call option by the Bank, the Bank shall notify its intention to do so through a notice sent by registered post/ courier to the Bond holders, at least 30(thirty) days prior to the due date. The bonds have a step-up options which shall be exercised only once during the whole life of the bonds, in conjunction with the Call option, after the lapse of 10 years from the deemed date of allotment. The step-up shall be 50 bps, in effect, the coupon rate on bonds shall be stepped up to 9.17% p.a for subsequent years if call option is not exercised by the bank at the end of 10th year from the date of allotment.

निम्नतर टीयर II बॉन्ड के लिए पूर्ण शर्तें एवं निबंधन

सुरक्षा विवरण	8.53 प्रतिशत असुरक्षित प्रतिदेय अपरिवर्तनीय गौण लोअर टीयर II बॉन्ड्स 10,00,000 रुपये का वचन पत्र के श्रेणी में (ऋण पूंजी लिखत) (श्रृंखला II), प्रत्येक कुल 500 करोड़ रुपये तक)
....के माध्यम से सुरक्षा प्रदान की गई	निजी नियोजन
टैक्स की स्थिति	टैक्स से छूट नहीं
निर्गम के उद्घाटन की तारीख	28 / 06 / 2010
निर्गम के बंद होने की तारीख	28 / 06 / 2010
श्रृंखला	श्रृंखला II
आईएसआईएन कोड	आईएनई562ए09030
प्रति लिखत का अंकित मूल्य	रुपये 10,00,000
प्रति लिखत का प्रदत्त मूल्य	रुपये 10,00,000
निर्गम का आकार	रुपये 500 करोड़
आवंटन की तिथि	28 / 06 / 2010
परिपक्वता अवधि समाप्ति की तिथि	28 / 06 / 2020
परिपक्व होने के लिए राशि	रुपये 500 करोड़
कूपन दर (निश्चित)	8.53 प्रतिशत
ब्याज की आवृति	वार्षिक तथा गैर संचयी
देय ब्याज की तिथि ब्याज भुगतान की पहली तिथि	हर साल 28 जून को 28 जून 2011

बेसल III के अनुरूप शर्तें एवं निबंधन टियर II बॉन्ड–सीरीज I

सुरक्षा विवरण	8.10 प्रतिशत असुरक्षित प्रतिदेय अपरिवर्तनीय गौण लोअर टीयर II बॉन्ड्स 10,00,000 रुपये का वचन पत्र के श्रेणी में (ऋण पूंजी लिखत) (श्रृंखला I), प्रत्येक कुल 600 करोड़ रुपये तक)
के माध्यम से सुरक्षा प्रदान की गई	निजी नियोजन
टैक्स की स्थिति	टैक्स से छूट नहीं
निर्गम के उद्घाटन की तारीख	28/07/2016
निर्गम के बंद होने की तारीख	28/07/2016
श्रृंखला	श्रृंखला I
आईएसआईएन कोड	आईएनई562ए08016
प्रति लिखत का अंकित मूल्य	रुपये 10,00,000
प्रति लिखत का प्रदत्त मूल्य	रुपये 10,00,000
निर्गम का आकार	रुपये 600 करोड़
आवंटन की तिथि	28/07/2016
परिपक्वता तिथि	28/07/2026
कॉल ऑप्शन	पाँच वर्षों के अंत में :28/07/2021
परिपक्व होने के लिए राशि	रुपये 500 करोड़
कूपन दर (निश्चित)	8.10%
ब्याज की आवृति	वार्षिक तथा गैर संचयी
देय ब्याज की तिथि	हर साल 28 जुलाई को
ब्याज भुगतान की पहली तिथि	28 जुलाई 2017

Terms and conditions for Lower Tier II Bond

Security Description	8.53% Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated Lower Tier II Bonds (Debt Capital Instruments) in the nature of Promissory Notes (Series II) of Rs.10,00,000 each aggregating to Rs.500 Crore)
Security offered through	Private Placement
Tax status	Not exempted from Tax
Date of opening of the issue	28/06/2010
Date of closing of the issue	28/06/2010
Series	Series II
ISIN Code	INE562A09030
Face Value per instrument	Rs.10,00,000
Paid up value per instrument	Rs.10,00,000
Issue Size	Rs.500 Crore
Date of allotment	28/06/2010
Date of maturity	28/06/2020
Amount to be matured	Rs.500 Crore
Coupon rate (fixed)	8.53%
Frequency of Interest	Annual and Non Cumulative
Interest due dates	28th June every year
First Interest Payment date	28th June 2011

Terms and conditions for Basel III compliant Tier II Bond - Series I

Security Description	8.10% Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated Tier II Bonds (Debt Capital Instruments) in the nature of Promissory Notes (Series I) of Rs.10,00,000 each aggregating to Rs.600 Crore)
Security offered through	Private Placement
Tax status	Not exempted from Tax
Date of opening of the issue	28/07/2016
Date of closing of the issue	28/07/2016
Series	Series I
ISIN Code	INE562A08016
Face Value per instrument	Rs.10,00,000
Paid up value per instrument	Rs.10,00,000
Issue Size	Rs.600 Crore
Date of allotment	28/07/2016
Date of maturity	28/07/2026
Call Option	At the end of 5 years ie:28/07/2021
Amount to be matured	Rs.600 Crore
Coupon rate (fixed)	8.10%
Frequency of Interest	Annual and Non Cumulative
Interest due dates	28th July every year
First Interest Payment date	28th July 2017

सारणी डीएफ–14 विनियामक पूंजी लिखतों की शर्तें एवं निबंधन
एटी 1 बॉन्ड के लिए पूर्ण शर्तें एवं निबंधन

सुरक्षा विवरण	अरक्षित बेसल III के अनुपालन में अतिरिक्त टियर–1 की स्थायी ऋण लिखतें
के माध्यम से सुरक्षा प्रदान की गई	निजी नियोजन
टैक्स की स्थिति	टैक्स से छूट नहीं
निर्गम के उद्घाटन की तारीख	30/03/2016
निर्गम के बंद होने की तारीख	30/03/2016
श्रृंखला	श्रृंखला I
आईएसआईएन कोड	आईएनई562ए09055
प्रति लिखत का अंकित मूल्य	रुपये 10,00,000
प्रति लिखत का प्रदत्त मूल्य	रुपये 10,00,000
निर्गम का आकार	रुपय 500 करोड़
आवंटन की तिथि	31/03/2016
परिपक्वता अवधि समाप्ति की तिथि	स्थायी लिखतें
कूपन दर (नियत)	11.15% प्रतिशत प्रतिवर्ष
ब्याज की आवृति	वार्षिक तथा गैर संचयी
देय ब्याज की तिथि	हर साल 30 मार्च को
ब्याज भुगतान की पहली तिथि	30 मार्च 2017
पुट ऑप्शन	कुछ नहीं
कॉल ऑप्शन	5 वर्ष पूरे होने के बाद ही
ट्रस्टीस	एक्सिस ट्रस्टी सर्विसेज लिमिटेड सीएआरई एए 05 मार्च 2016 दिनांकित
ऋण रेटिंग	सीआरआईएसआईएल एए/.....02 मार्च 2016 दिनांकित

सारणी डीएफ -15: पारिश्रमिक के लिए प्रकटीकरण आवश्यकयताएं

.....लागू नहीं .....

बेसल पर भारिबैंक के मास्टर परिपत्र के अनुसार यह सारणी भारत में कार्यरत सभी निजी एवं विदेशी बैंकों के लिए ही लागू है ।

सारणी डीएफ –16 : ईक्विटी – बैंकिंग बुक स्थितियों के लिए प्रकटीकरण

बैंकों द्वारा निवेश संविभाग के वर्गीकरण, मूल्यांकन और परिचालन पर विवेकपूर्ण मानदण्डों पर भारतीय रिजर्व बैंक के मास्टर परिपत्र के अनुपालन में खरीद के समय में ही निवेशों को व्यापार के लिए धारित (एचएफटी), बिक्री के लिए उपलब्ध (एएफएस) ओर परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। छोटी अवधि में ही मूल रूप से बिक्री के लिए धारित निवेशों को एचएफटी प्रतिभूति के रूप में वर्गीकृत किया जाता हैं। भारिबैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार ऐसी एचएफटी प्रतिभूतियों को, जो 90 दिन के अवधि के लिए बिना बिके रहते हैं, एएफएस प्रतिभूति के रूप में पुनः वर्गीकृत किया जाता हैं। जिन प्रतिभूतियों को बैंक परिपक्वता तक धारित करने का इरादा रखता है, उन्हें एचटीएम संवर्ग में वर्गीकृत किया जाता है। भारिबैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार अनुषंगियों / संयुक्त उद्यमों की ईक्विटी में निवेश को एएफएस प्रतिभूति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। अन्य सभी निवेशों को एएफएस प्रतिभूति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

एचटीएम सवंर्ग में धारित ईक्विटी निवेशों को अर्जन लागत पर रखा जाता है। बैंकिंग बही के अंतर्गत ईक्विटी निवेश, अनुषंगियों और सहयोगी संस्थाओं में बैंक के निवेश है। 31.03.2017 तक बैंकिंग बही के अंतर्गत ईक्विटी शेयरों में बही मूल्य ₹923.64 मिलियन हैं। बैंक ने समेकित लाभ / हानि लेखे में या समेकित तुलन–पत्र में किसी भी प्रकार के लाभ या हानि की पहचान नहीं की हैं।

अनुषंगियों में निवेश को सीईटी 1 से कम किया गया है तथा सहयोगी संस्थाओं टियर II पूंजी तथा निवेश को 250 प्रतिशत पर जोखिम भारित किया गया है।

Table DF-14: Terms and Conditions of Regulatory Capital Instruments

Terms and conditions for AT 1 Bonds

Security Description	Unsecured BASEL III Compliant Additional Tier-1 Perpetual Debt Instruments
Security offered through	Private Placement
Tax status	Not exempted from Tax
Date of opening of the issue	30/03/2016
Date of closing of the issue	30/03/2016
Series	Series I
ISIN Code	INE562A09055
Face Value per instrument	Rs.10,00,000
Paid up value per instrument	Rs.10,00,000
Issue Size	Rs.500 Crore
Date of allotment	31/03/2016
Date of maturity	Perpetual instruments
Coupon rate (fixed)	11.15% p.a.
Frequency of Interest	Annual and Non Cumulative
Interest due dates	30th March every year
First Interest Payment date	30th March 2017
Put option	None
Call Option	Only after completing 5 years.
Trustees	Axis Trustee Services Limited
Credit Rating	CARE AA dated 05th March 2016 CRISIL AA/Negative dated 02nd March 2016

Table DF-15: Disclosure Requirements for Remuneration

----- Not applicable -----

As per RBI Master Circular on Basel III, this table is only applicable to all private sector and foreign banks operating in India.

Table DF-16: Equities-Disclosure for Banking Book Positions

Investments are classified at the time of purchase into Held for trade (HFT), Available for Sale (AFS) and Held to Maturity (HTM) categories in line with the RBI master circular on Prudential Norms for classification, valuation and operation of investments portfolio by Banks. Investments that are held principally for sale within a short period are classified as HFT securities. As per the RBI guidelines, HFT securities, which remain unsold for a period of 90 days are reclassified as AFS securities. Investments that the Bank intends to hold till maturity are classified under the HTM category. Investments in the equity of subsidiaries/joint ventures are categorized as HTM in accordance with the RBI guidelines. All other investments are classified as AFS securities.

Equity investments under the HTM category are carried at acquisition cost. Equity investment under the banking book are the Bank's investments in subsidiaries and associates. As on 31/03/2017, Book value of equity shares under Banking book is ₹923.64 million. The Bank has not recognised any gain or loss in the consolidated profit and loss account or consolidated balance sheet.

Investments in subsidiaries have been reduced from CET 1 capital and investment in associates has been risk weighted at 250%.

सारणी डीएफ 17 – लेखांकित आस्तियों की तुलना में लिवरेज प्रतिशत एक्स्पोजर कदमों की तुलना का सारांश

	मद	(₹ मिलियन में)
1	प्रकाशित वित्तीय विवरण के अनुसार कुल समेकित आस्तियां	2185074.36
2	बैंकिंग, वित्तीय, बीमा या वाणिज्यिक उपक्रमों में निवेश के लिए समायोजन जिन्हें लेखांकन के प्रयोजनों के लिए समेकित किया गया है परंतु विनियामक समेकन के दायरे के बाहर है।	0.00
3	परिचालनगत लेखांकन ढांचे के अनुरूप तुलन–पत्र में पहचानी गयी प्रत्ययी आस्तियों के लिए समायोजन परंतु जो लिवरेज अनुपात एक्स्पोज़र कदम के दायरे से बाहर है।	0
4	व्युत्पन्न वित्तीय लिखतों के लिए समायोजन।	3551.77
5	प्रतिभूतियों के वित्तीयन लेनदेनों के लिए समायोजन (अर्थात् रैपो और इसी प्रकार के रक्षित ऋण)	0.00
6	तुलन–पत्र से बाहर की मदों के लिए समायोजन (अर्थात् तुलन–पत्र के बाहर की एक्स्पोज़र राशियों का ऋण–समतुल्य राशियों में परिवर्तन।	191924.83
7	अन्य समायोजन	5911.93
8	**लिवरेज प्रतिशत एक्स्पोज़र**	**2386462.89**

डीएफ 18 – लिवरेज प्रतिशत सामान्य प्रकटीकरण टेम्प्लेट

(₹ मिलियन में)

	मद	31-03-2017
	तुलन–पत्र में आनेवाले एक्स्पोश़र	**समेकित**
1	तुलन–पत्र में आनेवाली मदें (व्युत्पन्न और एसएफटी को छोड़कर परंतु संपार्श्विक को शामिल करते हुए)	2181545.66
2	(बेसल III टियर I पूंजी के निर्धारण में आस्ति राशियां घटायी गयी हैं।	59.38
3	कुल तुलन–पत्र में आनेवाली मदें (व्युत्पन्न और एसएफटी को छोड़कर) (ऊपर 1 और 2 का योग)	2181486.29
	व्युत्पन्न एक्स्पोश़र	
4	सभी व्युत्पन्न लेनदेनों से संबंधित पुनः स्थापन लागत (अर्थात् पात्र नकदी विभिन्नता मार्जिन को घटाने के बाद)	1959.89
5	सभी व्युत्पन्न लेनदेनों से संबंधित पीएफई के लिए एड–ऑन राशियां	1591.88
6	परिचालनगत लेखांकन ढांचे के अनुपालन में तुलन–पत्र की आस्तियों से जहां कटौती की गई है, प्रावधान किए गए व्युत्पन्न संपार्श्विक की सकल राशि।	0
7	(व्युत्पन्न लेनदेनों में प्रावधान किए गए नकदी विभिन्नता मार्जिन के लिए प्राप्य आस्तियों की कटौती)	0
8	(ग्राहक द्वारा क्लियर किए गए व्यापार एक्स्पोज़र में छूट प्राप्त सीसीपी लेग)	0
9	लिखित ऋण व्युत्पन्न के लिए समायोजित प्रभावी नाम मात्र राशि।	0
10	(लिखित ऋण व्युत्पन्न के लिए समायोजित प्रभावी नाम मात्र ऑफसेट और एड–ऑन कटौतियां)	0
11	कुल व्युत्पन्न एक्स्पोज़र (ऊपर 4 से 10 का योग)	3551.77
	प्रतिभूतियों के वित्तीयन संबंधित लेनदेन एक्स्पोश़र	
12	सकल एसएफटी आस्तियां (नेटिंग की पहचान रहित), बिक्री लेखांकन लेनदेनों के समायोजन के बाद)	9500.00
13	(सकल एसएफटी आस्तियों में देय नकदी और प्राप्य नकदी की निवल राशियां)	0
14	एसएफटी आस्तियों के लिए सीसीआर एक्स्पोज़र	0
15	एजेंट लेनदेन एक्स्पोज़र	0
16	कुल प्रतिभूति वित्तीयन लेनदेन एक्स्पोज़र (ऊपर 12 से 15 का योग)	9500.00
	अन्य तुलन–पत्र से बाहर के एक्स्पोश़र	
17	सकल नाममात्र राशि पर तुलन पत्र से बाहर के एक्स्पोज़र	461577.65
18	(ऋण समतुल्य राशियों में परिवर्तन हेतु समायोजन)	269652.81
19	तुलन–पत्र से बाहर की मदें (ऊपर 17 और 18 का योग)	191924.83
	पूंजी और कुल एक्स्पोश़र	
20	टियर । पूंजी	163376.66
21	कुल एक्स्पोश़र (पंक्ति3, 11, 16 और 19 का योग)	2386462.89
	लिवरेज अनुपात	
22	**बेसल ।।। लिवरेज अनुपात**	**6.85%**

Table DF 17- Summary comparison of accounting assets vs. leverage ratio exposure measure

	Item	(₹ in Million)
1	Total consolidated assets as per published financial Statement	2185074.36
2	Adjustment for investments in banking, financial, insurance or commercial entities that are consolidated for accounting purposes but outside the scope of regulatory consolidation	0.00
3	Adjustment for fiduciary assets recognized on the balance sheet pursuant to the operative accounting framework but excluded from the leverage ratio exposure measure	0.00
4	Adjustments for derivative financial instruments	3551.77
5	Adjustment for securities financing transactions (i.e. repos and similar secured lending)	0.00
6	Adjustment for off-balance sheet items (i.e. conversion to credit equivalent amounts of off- balance sheet exposures)	191924.83
7	Other adjustments	5911.93
8	**Leverage ratio exposure**	**2386462.89**

DF 18 – Leverage ratio common disclosure template

(₹ in Million)

	Item	31-03-2017
	On-balance sheet exposures	**Consolidated**
1	On-balance sheet items (excluding derivatives and SFTs, but including collateral)	2181545.66
2	(Asset amounts deducted in determining Basel III Tier 1 capital)	59.38
3	Total on-balance sheet exposures (excluding derivatives and SFTs) (sum of lines 1 and 2)	2181486.29
	Derivative exposures	
4	Replacement cost associated with all derivatives transactions (i.e. net of eligible cash variation margin)	1959.89
5	Add-on amounts for PFE associated with all derivatives transactions	1591.88
6	Gross-up for derivatives collateral provided where deducted from the balance sheet assets pursuant to the operative accounting framework	0
7	(Deductions of receivables assets for cash variation margin provided in derivatives transactions)	0
8	(Exempted CCP leg of client-cleared trade exposures)	0
9	Adjusted effective notional amount of written credit derivatives	0
10	(Adjusted effective notional offsets and add-on deductions for written credit derivatives)	0
11	Total derivative exposures (sum of lines 4 to 10)	3551.77
	Securities financing transaction exposures	
12	Gross SFT assets (with no recognition of netting), after adjusting for sale accounting transactions	9500.00
13	(Netted amounts of cash payables and cash receivables of gross SFT assets)	0
14	CCR exposure for SFT assets	0
15	Agent transaction exposures	0
16	Total securities financing transaction exposures (sum of lines 12 to 15)	9500.00
	Other off-balance sheet exposures	
17	Off-balance sheet exposure at gross notional amount	461577.65
18	(Adjustments for conversion to credit equivalent amounts)	269652.81
19	Off-balance sheet items (sum of lines 17 and 18)	191924.83
	Capital and total exposures	
20	Tier 1 capital	163376.66
21	Total exposures (sum of lines 3, 11, 16 and 19)	2386462.89
	Leverage ratio	
22	**Basel III leverage ratio**	**6.85%**

NOTES

श्री अरुण जेटली, माननीय केन्द्रीय वित्त मंत्री, श्री महेश कुमार जैन, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, इंडियन बैंक को सर्वश्रेष्ठ बैंक अवार्ड प्रदान करते हुए। 2013–14 में "वित्तीय मजबूती तथा सुदृढ़ता" हेतु फिनांसियल एक्सप्रेस ने इंडियन बैंक को विजेता घोषित किया। इस अवसर पर इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, विवेक गोयंका भी मौजूद थे।

Shri Arun Jaitley, Hon'ble Union Minister of Finance, presenting the Best Bank Award to Shri. Mahesh Kumar Jain, MD & CEO, Indian Bank. The Financial Express adjudged Indian Bank as the Winner in "Strength & Soundness" category for the year 2013-14. Shri. Vivek Goenka, Chairman & MD, Indian Express group was also present during the occasion.

एएसएसओसीएचएएम (एसोचैम) के 12वें बैंकिंग शिखर सम्मेलन सह सामाजिक उत्कृष्टता अवार्ड 2016 कार्यक्रम के दौरान इंडियन बैंक को "सर्वश्रेष्ठ सामाजिक बैंक" (बड़े बैंकों की श्रेणी में) के रूप में घोषित किया गया। बैंक की ओर से श्री ए. एस. राजीव, कार्यपालक निदेशक, इंडियन बैंक ने कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री अर्जुन राम मेघवाल, माननीय वित्त राज्य मंत्री से पुरस्कार प्राप्त किया। सरकारी योजनाओं में (बड़े बैंकों की श्रेणी में) इंडियन बैंक ने उप–विजेता पुरस्कार भी प्राप्त किया।

Indian Bank has been recognised as the 'Best Social Bank' (in the Large Bank Category) during the ASSOCHAM 12th Annual Banking Summit cum Social Banking Excellence Awards 2016. On behalf of the Bank, Shri AS Rajeev, Executive Director, Indian Bank received the award from Shri Arjun Ram Meghwal, Hon'ble Minister of State for Finance, who graced the occasion as the Chief Guest. Indian Bank also bagged the 'Runner-up Award, Participation in Government Schemes (in Large Bank Category)'

हमें इन योजनाओं के सहयोग में गर्व है / We are proud to be associated with

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

MAKE IN INDIA

Digital India
Power To Empower

Skill India

STARTUP INDIA
STAND UP INDIA

कॉर्पोरेट कार्यालय / Corporate Office :
254-260, अव्वै षण्मुगम सालै / Avvai Shanmugam Salai,
रायपेट्टा / Royapettah, चेन्नै / Chennai - 600 014.
ई–मेल / E-mail : indmail@indianbank.co.in
टोल फ्री / Toll Free : 1800 425 00 000 देखें / Visit us at : www.indianbank.in

MyIndianBank @MyIndianBank Indian Bank

இந்தியன் வங்கி
इंडियन बैंक
Indian Bank
உங்களுடைய வங்கி • आपका अपना बैंक • YOUR OWN BANK